

बेहतर कल का निर्माण राष्ट्र का निर्माण

वार्षिक रिपोर्ट
2024-2025



इरकॉन

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)

नवरत्न कंपनी

ircon



हमारे पथ प्रदर्शक

संकल्पना

एक ऐसे निर्माण संगठन के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान निर्मित हुई है जिसकी तुलना अवसंरचना सेक्टर में निर्माण क्रियाकलापों एवं सेवाओं के समग्र विस्तार कम के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संगठन से की जा सकती है।



लक्ष्य

हमारा लक्ष्य कम्पनी को ऐसी स्थिति में स्थापित करना है जिससे यह भारत एवं विज्व के बदलते हुए आर्थिक परिवेश में अवसंरचना विकास की निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद एवं सेवाओं की समय पर एवं सर्वोत्तम इंजीनियरिंग व्यवहारों के अनुरूप पूर्ति करके विश्व में अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं।



मूल्य

- रचनात्मक अभिविन्यास
- टीम वर्क
- निष्पादन उत्कृष्टता
- कार्य एवं संव्यवहार में सत्यनिष्ठा
- उत्तरदेयता एवं जवाबदेही



विषय सूची

कॉर्पोरेट विवरण	
इरकॉन विहंगावलोकन	3
हमारा सेवा प्रोफाइल	4
अध्यक्ष महोदय का संबोधन	7
निदेशक मंडल	11
वरिष्ठ अधिकारी	14
घरेलू परियोजनाएं	16
विदेशी परियोजनाएं	20
पुरस्कार और प्रशंसा	22
वित्त वर्ष 2024–25 में आयोजित सीएसआर गतिविधियां	23
प्रमुख निष्पादन संकेतक (स्टैंडएलोन)	25
वित्तीय विशेषताएं (स्टैंडएलोन)	26
प्रबंधन रिपोर्ट	
प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट	27
बोर्ड की रिपोर्ट	49
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	80
व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट	113
सीएसआर और स्थिरता पर वार्षिक रिपोर्ट	153
सचिविय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रबंधन उत्तर	157
स्थान्तरण से संबंधित पक्ष (फॉर्म एओसी-2)	163
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण	
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	170
तुलन पत्र	185
लाभ और हानि का विवरण	187
रोकड़ प्रवाह विवरण	188
इक्विटी परिवर्तन विवरण	190
स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या	191
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	274
समेकित वित्तीय विवरण	
सहायक कंपनियों/संबद्ध कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएं (एओसी-1)	276
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	279
तुलन पत्र	290
लाभ और हानि विवरण	292
रोकड़ प्रवाह विवरण	294
इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण	296
समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट	297
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	391



निगमित जानकारी

पंजीकृत कार्यालय

सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017
दूरभाष: 91-11-26530266 फ़ैक्स: 91-11-26522000/26854000
ईमेल: info@ircon.org वेबसाइट: www.ircon.org
सीआईएन: L45203DL1976GOI008171

कंपनी सचिव एवं अनुपान अधिकारी

श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल

मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी

श्री एलिन रॉय चौधरी

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैमर्स रमेश सी.अग्रवाल एवं को. चार्टर्ड अकाउंटेंट

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी लागत लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव

आंतरिक लेखापरीक्षक

मेसर्स ए.एम.ए.ए. एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट

बैंकर

इंडियन ओवरसीज बैंक, एचडीएफसी बैंक,
एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स,
झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055
वेबसाइट: www.alankit.com ईमेल: rta@alankit.com
टोल फ्री सं. :011-42541234/23541234

शेयर सूचीब)

बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)

डिपोजिटरी

नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) सेंट्रल
डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)

स्क्रिप्ट कोड

बीएसई: 541956
एनएसई: इरकॉन

आईएसआईएन सं.

INE962Y01021

31 मार्च 2025 को पूरी की गई परियोजनाएं

घरेलू

405

विदेशी

130

निष्पादित कार्य

रेलवे ट्रैक

5740 टीकेएम

सड़के और राजमार्ग

7012 केएमएस

सुरंग

166 केएमएस

रेलवे विद्युतीकरण

10669 आरएमएस

भवन

1.59 मि. वर्ग मी.

आरओबी

177

सिग्नलिंग एवं दूरसंचार

536 स्टेशन

1500 किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बैकबोन नेटवर्क 2178 नेटवर्क तत्वों को जोड़ता है, 104 किमी एकीकृत सुरंग संचार नेटवर्क, 4653 आईपी सक्षम उपकरणों को जोड़ता है।

मेट्रो

371 टीकेएम

इरकॉन विहंगावलोकन

इरकॉन, एक नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो त्वरित रूप से एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी के रूप में विकसित हो रही है, जिसे अवसंरचनात्मक क्षेत्र विशेषज्ञता प्राप्त है।



हमारा प्रमाणन

गुणवत्ता, पर्यावरण, व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए मान्यता प्राप्त आईएसओ प्रमाणित कंपनी।



क्रेडिट रेटिंग

आईबीआर एएए: स्टेबल/केयर ए1+
इरकॉन की दीर्घकालिक बैंक सुविधा हेतु

रैंकिंग 2024

यूएसए ईएनआर निर्माण कंपनियाँ

207वीं

फार्च्यून इंडिया

192वीं

बीएस 1000 राजस्व (मार्च 2024)

142वीं



इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी)

इरकॉन ने समय के साथ अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक की सभी सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। वित्तपोषण की विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न ग्राहकों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में कार्य करने के व्यापक अनुभव के साथ, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और दूरसंचार के क्षेत्र में इन-हाउस डिजाइन क्षमता के कारण हमारी कंपनी ईपीसी परियोजनाओं को प्राप्त करने की बेहतर स्थिति में है।

इरकॉन ने अपने कार्य व्यवस्था में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और पद्धतियों को अपनाया है जो इरकॉन की एक अद्वितीय शक्ति के रूप में है। इरकॉन के पास, जटिल परियोजनाओं को स्वयं पूरा करने के लिए निर्माण उपकरण और मशीनें हैं। ईपीसी मोड के तहत परियोजनाओं को डिजाइन अनुकूलन और मूल्यसंवर्धन इंजीनियरिंग के माध्यम से इरकॉन द्वारा कुशलतापूर्वक निष्पादित किया जाता है।

प्रमुख वस्तुओं के लिए केंद्रीकृत खरीद प्रणाली प्रतिस्पर्धी दरें उपलब्ध कराती है। ऐसी परियोजनाएँ जहाँ 50-60 प्रतिशत की खरीद इन-हाउस ही की जाती है, वहाँ परियोजना का शेष भाग पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से नियुक्त उप-ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है और ऐसी परियोजना को संधारणीय पद्धतियों का अनुपालन करते हुए निष्पादित किया जाता है। परियोजनाओं को निष्पादित करते समय पर्यावरण और बड़े पैमाने पर समुदाय के संबंध में उचित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाता है। मजबूत आईटी सक्षम अनुबंध प्रबंधन टूल के साथ परियोजना वितरण अधिकतम दक्षता के साथ सुनिश्चित किया जाता है और लागत और मदों के मूल्य वृद्धि से बचा जाता है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

हम टोल, वार्षिक व्यवस्था और मिश्रित वार्षिक व्यवस्था के आधार पर डीएफओटी पैटर्न के तहत, राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ संयुक्त उद्यम मॉडल के माध्यम से रेलवे क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं की श्रेणी में प्रमुख सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन करने और इन्हें समय पर पूरा करने के लिए, हमारे पास हमारी वित्तीय क्षमता के साथ-साथ अनुभवी डिजाइनरों, तकनीकी कर्मियों और कौशल परियोजना प्रबंधन पेशेवरों की एक अच्छी टीम है।

परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श (पीएमसी)

हम परियोजनाओं के पूरे आयाम (स्पेक्ट्रम) में, योजना बनाने से लेकर कमीशनिंग तक व्यापक पीएमसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ये पीएमसी सेवाएं हमारे द्वारा या हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी "इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (इरकोनीएसएल)" के माध्यम से रेलवे साइडिंग, राजमार्ग, रेलवे और सड़क ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए प्रदान की जाती हैं। हमारे पास अवसंरचना के क्षेत्र में पीएमसी कार्यों को निष्पादित करने के लिए परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन और अनुबंध प्रबंधन पेशेवर की एक समर्पित टीम उपलब्ध है। रियल एस्टेट (आरई)

रियल एस्टेट (आरई)

हम कार्यालय रियल्टी स्थानों के विकास, निर्माण और पट्टे पर देने और वाणिज्यिक रियल एस्टेट के विकास का कार्य करते हैं

विविध वैश्विक अवसंरचना पीएसयू

“इरकॉन, विकट स्थानों पर परियोजनाओं सहित उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को निष्पादित करने में अपनी विशेषज्ञता को योजनाओं सहित गणनागोलिक कवरेज दोनों के मामले में विविध अवसंरचना निर्माता के रूप में सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है”

सेवित औद्योगिक क्षेत्र



रेलवे
(अवधारणा से कमिशनिंग तक)



राजमार्ग)



फ्लाईओवर
और पुल



सुरंगें



भवन (वाणिज्यिक,
औद्योगिक व आवासीय)



औद्योगिक क्षेत्रों
का विकास



रनवे एवं
हैंगर



विद्युतीय



ओएचई उप-स्टेशन



सौर उर्जा

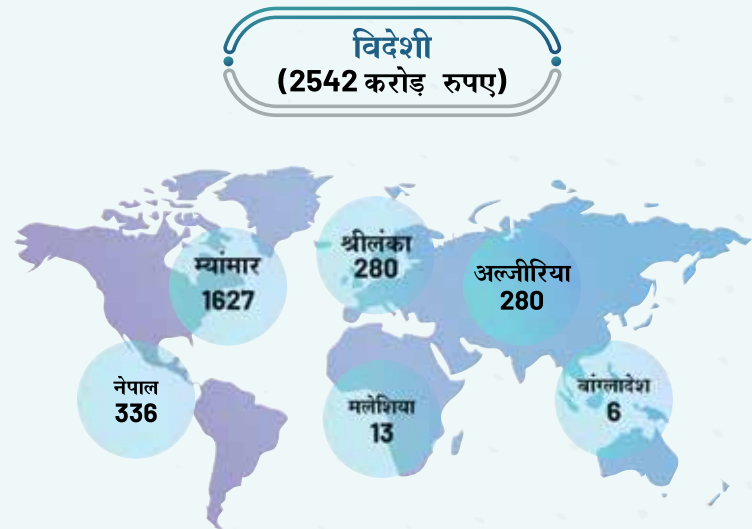
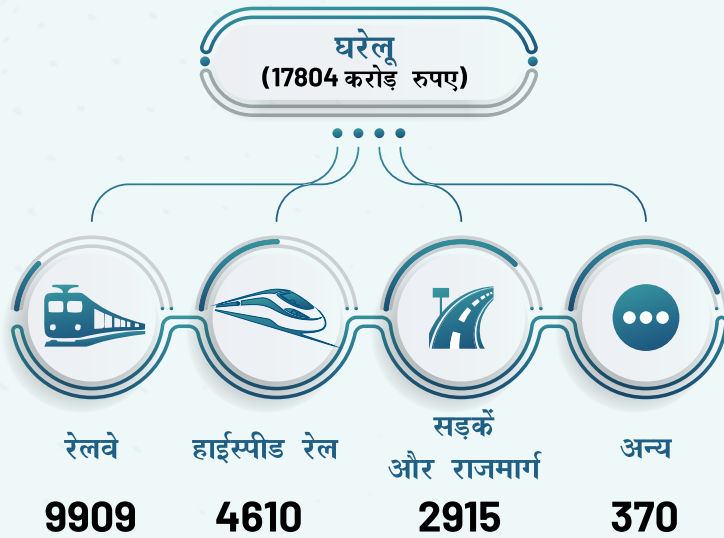


सिग्नलिंग
और दूरसंचार



यांत्रिकी

परियोजना स्थिति -आर्डर बुक
(20,346 करोड़ रुपए)



भौगोलिक पथचिन्ह



इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, अंगोला, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, अल्जीरिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, लिबेरिया, सीरिया, तंजानिया, जाम्बिया, ब्राजील, मोजाम्बिक, इथियोपिया, श्रीलंका, जाजील, भूटान, म्यांमार

अध्यक्ष महोदय का संबोधन



प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 49वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना और आपको वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन, कंपनी की नई पहलों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी देना अत्यंत सम्मान की बात है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने समग्र रूप से अच्छा वित्तीय प्रदर्शन किया है और निरंतर राजस्व वृद्धि और बेहतर लाभ मार्जिन के साथ स्थिर विकास पथ पर अग्रसर है। एकल आधार पर, आपकी कंपनी का कुल कारोबार ₹10,677.45 करोड़ है, और समेकित आधार पर, कुल कारोबार ₹11,131.03 करोड़ रहा।

इरकॉन का परिचालन प्रदर्शन उसके मजबूत कार्यान्वयन कौशल और अनुभव पर आधारित है। कंपनी के पास बुनियादी ढाँचे के विविध क्षेत्रों में क्षमता और अनुभव है। पीएमसीए, ईपीसी और पीपीपी परियोजनाओं में इसकी साख है। कंपनी का लक्ष्य एक निर्माण कंपनी से आगे बढ़कर एक विविध कंपनी बनना है, जिसका पोर्टफोलियो बीओटी, डीबीएफओटी, एचएएम, ईपीसी और अन्य अनुबंधों के साथ-साथ रेलवे और सड़क मार्ग जैसे बुनियादी ढाँचे के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हो।

भारत और विदेशों में सुरक्षित अनुबंध

वित्त वर्ष 2024.25 के दौरान, आपकी कंपनी को भारत में विभिन्न परियोजनाएं प्रदान की गईं, जिनमें पूर्वी तट रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन की कोट्टावलासा-कोरापुट दोहरीकरण परियोजना, ब्रॉड गेज बैलस्टेल्स ट्रैक (बीएलटी) की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच नई बीजी लाइन के संबंध में बैलस्ट की आपूर्ति और बैलस्टेड ट्रैक की स्थापना, इम्फाल पूर्व डिवीजन के तहत चयनित सड़कों के कठोर फुटपाथ और लाइन वाली नाली का निर्माण, मध्य रेलवे पर कवच और अन्य संबंधित कार्यों के लिए टावरों का सर्वेक्षण, डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग और मध्य रेलवे पर बैलस्टेल्स ट्रैक के साथ सुरंग का निर्माण और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में क्रमशः रतलाम डिवीजन के मंगलियागांव (इंदौर) से बुदनी स्टेशनों और पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल डिवीजन के बीच। विद्युतीकरण नई बीजी रेलवे लाइन के निर्माण संबंध में ऐसी सुरंगों के पहुँच मार्गों पर निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं।

कंपनी भारत के बाहर नई परियोजनाओं पर काम जारी रखे हुए है और अल्जीरिया, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया और म्यांमार में भी उसकी परियोजनाएँ चल रही हैं। कंपनी को कड़ी प्रतिस्पर्धा और मार्जिन में कमी का सामना करना पड़ा है, जबकि उसे नई नौकरियाँ भी मिली हैं। यह चुनौती जारी रहने की उम्मीद है। हालाँकि, कंपनी और उसका प्रबंधन ऑर्डर बुक की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय मुख्य विशेषताः

स्टैंडअलोन आधार पर, वित्त वर्ष 2024-25 में परिचालन कारोबार ₹10,193.14 करोड़ था। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर-पूर्व लाभ (PBT) ₹917.81 करोड़ था। वित्त वर्ष 2024-25 में कर-पश्चात लाभ (पीएटी) ₹737.59 करोड़ था। 31.03.2025 तक आपकी कंपनी की निवल संपत्ति ₹6,237.43 करोड़ थी।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, रेलवे क्षेत्र ने हमारे परिचालन कारोबार में लगभग 81% का योगदान दिया और राजमार्ग/अन्य क्षेत्र से परिचालन कारोबार लगभग 19% था।

समेकित आधार पर, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, परिचालन कारोबार ₹10,759.58 करोड़ और शुद्ध लाभ ₹727.83 करोड़ था।

इसके अलावा वैधानिक लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई योग्यता या टिप्पणी नहीं दी है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'शून्य' टिप्पणियां दी हैं।

30.06.2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम:

इस तिमाही के लिए कुल आय 1,771 करोड़ रुपये रही, परिचालन से राजस्व 1,664 करोड़ रुपये रहा, इस तिमाही के लिए कर के बाद लाभ (पीएटी) 151 करोड़ रुपये रहा।

लाभांश

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹2/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹1.65 का अंतरिम लाभांश घोषित और वितरित किया है। अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने ₹2/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹1.00 का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इन लाभांशों को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल लाभांश लगभग ₹249.23 करोड़ (₹2.65 प्रति शेयर) होगा, जो वित्त वर्ष 2024-25 के कर-पश्चात लाभ का 33.79% और 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की कुल संपत्ति का 4.01% है।

प्रस्तावित अंतिम लाभांश की घोषणा और भुगतान के बाद, वित्त वर्ष 2024-25 तक शेयरधारकों को भुगतान किया जाने वाला संचयी लाभांश लगभग 3,197 करोड़ रुपये होगा।

शेयर पूंजी:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, चुकता शेयर पूंजी ₹188.10 करोड़ थी। 31 मार्च, 2025 तक, प्रवर्तक, अर्थात् भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 65.17% थी। आपकी कंपनी प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकता का अनुपालन करती है।

इरकॉन समूह की कंपनियां

वर्तमान में, इरकॉन समूह में ग्यारह सहायक कंपनियां और सात संयुक्त उद्यम कंपनियां शामिल हैं, जिनका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इरकॉन द्वारा अपनी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों को किए गए निवेश, दिए गए ऋण और दी गई गारंटी का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट्स का हिस्सा है।

रेटिंग और प्रशंसा

भारत सरकार के रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, आपकी कंपनी को वर्ष 2023-24 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई है।

अमेरिका के इंजीनियरिंग न्यूज़ रिकॉर्ड (ईएनआर) के 2024 संस्करण के अनुसार, इरकॉन एकमात्र भारतीय सार्वजनिक उपक्रम है जो शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों के साथ-साथ शीर्ष 250 वैश्विक ठेकेदारों की सूची में भी जगह बना पाया है। इसके अलावा, मार्च 2025 में जारी बिज़नेस स्टैंडर्ड बीएस 1000 वार्षिक पत्रिका में, इरकॉन को 2024 में कुल राजस्व के आधार पर 132वाँ स्थान दिया गया है और 'निर्माण एवं अवसंरचना' क्षेत्र में 8वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। फॉर्च्यून इंडिया 500 की सूची में भी इरकॉन को 2024 में 192वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

वित्त वर्ष 2024.25 के दौरान, इरकॉन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जैसे (1) मोकामा रेल ब्रिज परियोजना के लिए निर्माण स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण श्रेणी के लिए 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024, (2) 'अनुबंध और निर्माण और तकनीकी परामर्श सेवाएं (केंद्रीय पीएसयू)' श्रेणी के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पुरस्कार, (3) ईएनआर सर्वेक्षण 2024 द्वारा प्रकाशित शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों की सूची में 232वां रैंक, (4) ईएनआर सर्वेक्षण 2024 द्वारा प्रकाशित शीर्ष 250 वैश्विक ठेकेदारों की सूची में 207वां रैंक।

कॉर्पोरेट शासन

हम पूरी तरह से जानते हैं कि दीर्घकालिक विकास और स्थिरता के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के सुदृढ़ सिद्धांत आवश्यक हैं और हम इन सिद्धांतों के दायरे में कार्य कर रहे हैं। उत्तरदायी व्यवसाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार करते हुए हम एक सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन नीति और आचार संहिता को अपनाकर नैतिक व्यावसायिक संचालन और सर्वोत्तम प्रथाओं के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं। आपकी कंपनी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015, कंपनी अधिनियम 2013, और डीपीई कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देश 2010 और अन्य लागू नियामक आवश्यकताओं में निहित प्रावधानों का पालन कर रही है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का हिस्सा है। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन में स्व-मूल्यांकन के आधार पर 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी)

हमारा पर्यावरण सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) ढाँचा इरकॉन और उसकी सहायक कंपनियों में कंपनी संचालन के सभी पहलुओं में लागू किया जाता है। हमारी कॉर्पोरेट रणनीतियों का उद्देश्य स्थिर, विवेकपूर्ण और सतत विकास प्राप्त करना है। हम जिम्मेदार व्यवसाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नैतिक व्यावसायिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं।

हम जिन समुदायों में काम करते हैं उन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में हमने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर ₹14.15 करोड़ खर्च किए हैं। डीपीई द्वारा घोषित वार्षिक थीम – 'स्वास्थ्य और पोषण' पर ध्यान केंद्रित करने और अपने सीएसआर के तहत आकांक्षी जिलों को वरीयता देने के लिए कंपनी ने 15 आकांक्षी जिलों में कई सीएसआर परियोजनाएं लागू कीं। इन पहलों में ग्राम स्तर पर एम्बुलेंस का प्रावधान, स्कूलों और अन्य सामुदायिक स्थानों में पेयजल मशीनों और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और वंचित छात्रों के लिए एक तकनीकी-उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन शामिल था। इसके अलावा, हमने जैविक खेती का समर्थन किया, वंचित लड़कियों को वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सौंदर्य और कल्याण जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया, यमुना नदी की स्वच्छता के बारे में जागरूकता में योगदान दिया।

मानव संसाधन, हमारी सर्वोत्तम संपत्ति

कर्मचारी किसी भी संगठन की सफलता की कुंजी होते हैं। कंपनी की नीतियाँ इस तरह से डिज़ाइन की गई हैं कि कर्मचारियों के ज्ञान, क्षमता, कौशल और उत्पादकता में निरंतर सुधार के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाया जा सके। कर्मचारी भागीदारी को एक साझेदारी के रूप में बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें संगठन के भीतर एक सकारात्मक कार्य और सामंजस्यपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए उनके पेशेवर विकास, कल्याण और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुप्रशिक्षित, सक्षम और प्रतिबद्ध कर्मचारियों को बनाए रखना और नए विचारों, रणनीतियों और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम कार्यबल का विस्तार करना अंततः कंपनी की दक्षता में सुधार लाने में सहायक होगा। 31 मार्च, 2025 तक हमारे मानव संसाधन की कुल संख्या 1,182 थी, जिसमें 109 नए कर्मचारी शामिल थे।

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्तिकरण

इरकॉन का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग परिचालन दक्षता और रणनीतिक विकास दोनों के लिए आधारशिला का काम करता है। एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कार्य करते हुए आईटी कार्य पूरे संगठन में कर्मचारी उत्पादकता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है। डिजिटल यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण SAP S/4HANA (विकासधीन) को हमारे एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) की रीढ़ के रूप में अपनाना है। यह मजबूत प्रणाली कंपनी के वित्त, नियंत्रण और मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों को सुव्यवस्थित करती है, जिससे कंपनी-व्यापी सूचना उपलब्धता, बढ़ी हुई पारदर्शिता और तेज़ निर्णय लेने में मदद मिलती है। भारत सरकार की कागज़ रहित कार्यालय पहल की दिशा में एक कदम के रूप में इरकॉन में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है।

आपकी कंपनी ने साइबर और सोशल इंजीनियरिंग हमलों से निपटने के लिए एक साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार की है। कंपनी की वेबसाइटों और वेब एप्लिकेशन को संभावित साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए एक क्लाउड-आधारित वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल (डब्ल्यूएफ़) प्रणाली लागू की गई है। कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं।

बेहतर दक्षता और पारदर्शिता के लिए संगठन में जेम (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) और सीपीपी पोर्टल (सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट को अपनाया गया है। कर्मचारी सूचना साझा करने और व्यावसायिक संचार के लिए ऑनलाइन सहयोग उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, परियोजना कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठकें, प्रशिक्षण, पदोन्नति साक्षात्कार और अनुबंध प्रबंधन संबंधी मुद्दों, बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों और कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक के लिए अत्याधुनिक AI आधारित ऑनलाइन मीटिंग पर आधारित समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

भविष्य का दृष्टिकोण

भारतीय रेलवे माल ढुलाई को सुव्यवस्थित करने के लिए समर्पित माल गलियारों (डीएफसी) और यात्री यात्रा को उन्नत बनाने के लिए आधुनिक वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के साथ एक बड़े बदलाव के दौर से गुज़र रहा है। साथ ही, भारतमाला परियोजना के तहत राजमार्ग क्षेत्र का तेज़ी से विस्तार हो रहा है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ाने और यात्रा के समय को कम करने के लिए आर्थिक

गलियारे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। ये विकास राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी पहलों के माध्यम से भारत की उच्च लॉजिस्टिक्स लागत को काफी कम करना है। ये सहक्रियात्मक प्रयास एक लागत-प्रभावी और कुशल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जो व्यापार करने की लागत को कम करने, 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने और देश के समग्र आर्थिक विकास को गति देने के लिए तैयार है।

भारतीय रेलवे ने अपने रेल नेटवर्क पर सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए, ट्रेन टक्कर टालने की प्रणाली के लिए स्वदेशी तकनीक "कवच" शुरू की है। कवच एक अत्यधिक प्रौद्योगिकी गहन प्रणाली है, जिसके लिए उच्चतम क्रम (एसआईएल -4) का सुरक्षा प्रमाणन आवश्यक है। कवच लोको पायलट द्वारा ब्रेक लगाने में विफल रहने की स्थिति में ब्रेक के स्वचालित अनुप्रयोग द्वारा ट्रेन को निर्दिष्ट गति सीमाओं के भीतर चलाने में लोको पायलट की सहायता करता है और खराब मौसम के दौरान ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद करता है। भारतीय रेलवे 15,000 किलोमीटर को स्वचालित सिग्नलिंग में बदलने और 37,000 किलोमीटर को "कवच" के साथ फिट करने की प्रक्रिया में है।

'हरित ऊर्जा परियोजना', नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय रेलवे को पर्यावरण-अनुकूल बनाने की एक पहल है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनना है।

इरकॉन को रेलवे परियोजनाओं में सिद्ध विशेषज्ञता के साथ कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे में उद्योग के अग्रणी के रूप में लंबे समय से प्रतिष्ठा प्राप्त है।

कड़ी प्रतिस्पर्धा और कम मार्जिन की चुनौती के बावजूद हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में परियोजनाओं के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

इरकॉन अपने व्यवसाय में विविधीकरण के लिए नए उभरते क्षेत्रों की खोज कर रहा है। अपनी विविधीकरण रणनीति के तहत, कंपनी ने नवीकरणीय और जल विद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया है और साथ ही विद्युतीकरण, सिग्नलिंग और दूरसंचार में भी स्वतंत्र व्यवसाय शुरू किया है।

हमें विश्वास है कि भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न बुनियादी ढांचागत पहल कंपनी के भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हमारा मानना है कि अपनी मजबूत तकनीकी क्षमताओं और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के कारण, हम इन माध्यमों से परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। अपने मजबूत अनुभव और ठोस प्रदर्शन के साथ, हमें उम्मीद है कि लंबे समय में हम जिन परियोजनाओं पर काम करेंगे, उनकी संख्या में वृद्धि के साथ-साथ हमारे व्यवसाय में भी निरंतर वृद्धि होगी।

आभारोक्ति

मैं इरकॉन के सभी पूर्व और वर्तमान बोर्ड सदस्यों, शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों का उनके सहयोग और विश्वास के लिए अत्यंत आभारी हूँ। निदेशक मंडल की ओर से मैं इस अवसर पर कंपनी के सभी पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों के अथक प्रयासों के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करता हूँ। कंपनी अपने मूल रेल मंत्रालय के साथ-साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग, विदेश मंत्रालय, वित्त एवं वाणिज्य, शहरी विकास और अन्य सरकारी विभागों, अर्थात् वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डीपीई और दीपम के साथ हमारे सहयोग, समझौता ज्ञापन और अन्य संबंधित मामलों में मिले बहुमूल्य सहयोग के लिए आभारी है, जो अत्यंत सहयोगी और मददगार रहे हैं। हम भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों, कंपनी के सांविधिक, शाखा, लागत, सचिवीय एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों एवं मिशनों, भारत में स्थित विदेशी मिशनों एवं दूतावासों, एक्विज़ बैंक, ईसीजीसी लिमिटेड, आब्रजन संरक्षक, पासपोर्ट प्राधिकरण और भारत एवं विदेशों में हमारे सम्मानित ग्राहकों से प्राप्त सहयोग के लिए भी आभारी हैं। उनके सक्रिय सहयोग के बिना कंपनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपनी उपलब्धियाँ हासिल नहीं कर पाती।

भवदीय,

ह./—

(हरि मोहन गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(डीआईएन: 08453476)



हरि मोहन गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ

इरकॉन

श्री हरि मोहन गुप्ता (डीआईएन: 08453476), भारतीय रेल अधिकारी (आईआरएसई-1989), आईआईटी/रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग हैं। इरकॉन के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वे लगभग 4 वर्षों तक डीएफसीसीआईएल के निदेशक (इन्फ्रा) के पद पर कार्यरत थे और इस कार्यकाल के दौरान, डब्ल्यूडीएफसी की स्वचालित सिग्नलिंग सहित 1404 रूट किलोमीटर (3173 ट्रेक किलोमीटर) दोहरी लाइन का विद्युतीकरण किया गया। उन्होंने 23.04.2019 से 12.10.2020 तक रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक/कार्य के रूप में भी कार्य किया।

कार्यपालक निदेशक/कार्यालय से पहले, उन्होंने डीएफसीसीआईएल में डब्ल्यूडीएफसी के रेवाड़ी-दादरी खंड के मुख्य परियोजना प्रबंधक के रूप में एक चुनौतीपूर्ण प्रतिष्ठित परियोजना पर प्रतिनियुक्ति पर 7 वर्षों तक कार्य किया और 7 प्रमुख जिलों (रेवाड़ी, अलवर, मेवात, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के जीबी नगर) में भूमि अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अरावली पहाड़ियों में सुरंग बनाकर अरावली पर्वतमाला से गुजरने की विशेष अनुमति सहित सभी जिलों में वानिकी मंजूरी सुनिश्चित करना, नोएडा में फ्रीहोल्ड भूमि प्राप्त करना और डीएफसी संरक्षण को समायोजित करने के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो संरक्षण में परिवर्तन करवाना शामिल था। परियोजना घटकों के सभी डिजाइन और चित्र उनके कार्यकाल के दौरान अंतिम रूप दिए गए और संरक्षण के साथ-साथ निर्माण गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर शुरू हुईं।

उन्हें ट्रैक रखरखाव, विशाल रेलवे ट्रैक मशीनों की मरम्मत/रखरखाव/ओवरहालिंग, क्षेत्रीय रेलवे की निविदा/अनुबंध को अंतिम रूप देने/मध्यस्थता/प्रशासन आदि का भी अनुभव है और कार्यकारी निदेशक/कार्य के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने परियोजना निगरानी, वित्तपोषण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में बहुत अनुभव प्राप्त किया है।

जुलाई 2024 में उन्होंने सीएमडी/इरकॉन का कार्यभार संभाला और विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में परियोजनाओं को चालू करना सुनिश्चित किया जैसे कि जम्मू-कश्मीर की यूएसबीआरएल (जम्मू-कश्मीर) रेल परियोजना, किउल-गया रेल परियोजना का दोहरीकरण, कटनी-सिंगरौली रेल दोहरीकरण परियोजना, प्रतिष्ठित एमपी कटनी ग्रेड सेपरेटर परियोजना, उत्तर सीमांत रेलवे का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण, उत्तर रेलवे के मैकेनिकल इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में परिवर्तित करना, श्रीलंका के माहो-उमंथाई रेल ट्रैक का उन्नयन, बांग्लादेश में खुलना-मोंगला नई रेल लाइन बिछाना, भारतीय रेलवे के लिए कर्नाटक में सौर ऊर्जा की कमीशनिंग, आधुनिक सुरंग संचार प्रणालियों की कमीशनिंग, सुरंगों में कठोर ओवरहेड कैटेनरी प्रणाली, रैपिड रेल एनसीआरटीसी परियोजना में ओवरहेड विद्युतीकरण, राजमार्ग परियोजनाओं का तेजी से निष्पादन आदि।

इसके अलावा, उन्होंने कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट विंग में अलग से इलेक्ट्रिकल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी विकसित किए। चूंकि किसी भी कंपनी का मानव संसाधन, कंपनी के विकास की मुख्य प्रेरक शक्ति होता है, इसलिए उन्होंने कर्मचारियों की संतुष्टि और स्वामित्व को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतिगत बदलाव सुनिश्चित किए।

कंपनी के लिए उनका दृष्टिकोण मजबूत अनुबंध प्रबंधन, कुशल निष्पादन, डिजाइन नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कंपनी के लिए लाभदायक और टिकाऊ विकास हासिल करने के लिए व्यावसायिक शक्तियों, औद्योगिक ज्ञान और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अनुभव का लाभ उठाना है।

एक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के जिम्मेदार प्रमुख के रूप में, वह इरकॉन को एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी बनाने और व्यापक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक उच्च मानक स्थापित करने के अपने कर्तव्य को समझते हैं। उनका उद्देश्य परिचालन और वित्तीय नियंत्रणों की एक उचित रूप से डिजाइन की गई और लगातार लागू की जाने वाली प्रणाली स्थापित करना, संसाधनों की सुरक्षा करना, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना और सभी कानूनों और नियमों का पालन करना है।

वह एक बेहद लगनशील और मेहनती व्यक्ति हैं और नेतृत्व के प्रति उनका दृष्टिकोण हमेशा टीम के प्रत्येक सदस्य के सुझावों को ध्यान में रखना, उनकी प्रेरणा को ऊँचा रखना और परियोजना को मिशन मोड पर आगे बढ़ाना रहा है। वह ईमानदारी, निष्ठा, दृढ़ता और एक संगठन में एक स्वस्थ कार्य संस्कृति की शक्ति में सच्चा विश्वास रखते हैं, इसलिए, उन्होंने हमेशा विभिन्न विभागों, वरिष्ठों और कनिष्ठों के साथ अच्छे पारस्परिक संबंध बनाए रखने का ध्यान रखा है। इससे न केवल उनके कामकाज में सामंजस्य आया है बल्कि उन्हें विभिन्न राज्य सरकारों और प्राधिकरणों से तेजी से मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने में भी मदद मिली है।



श्रीमती रागिनी अडवाणी
निदेशक (वित्त)

श्रीमती रागिनी आडवाणी (डीआईएन: 09575213), हमारी कंपनी की निदेशक (वित्त) हैं। वे योग्यता से चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और वित्त में लगभग 27 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वे चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी, दोनों परीक्षाओं में रैंक होल्डर हैं।

इरकॉन में शामिल होने से पहले, उन्होंने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल), एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) और केपीएमजी के साथ काम किया है। उन्हें वित्त क्षेत्र में समृद्ध और विविध अनुभव है, जिसमें लेखांकन मामले, वित्तीय सहमति, आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण, कोषागार प्रबंधन, वित्तीय समापन, कॉर्पोरेट योजना और बजट, मूल्यांकन, कराधान मामले और वित्तीय पुनर्गठन आदि शामिल हैं। वह 19 अप्रैल, 2022 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।



श्री आनंद कुमार सिंह
निदेशक (प्रोजेक्ट)

श्री आनंद कुमार सिंह (डीआईएन: 07918656) आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियर और एमडीआई, गुरुग्राम से एमबीए (वित्त) हैं। उन्होंने जनवरी 1990 में रेल मंत्रालय में आईआरएसई अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और प्रमुख रेलवे अवसंरचना (27 वर्ष से अधिक) और राजमार्ग अवसंरचना (8 वर्ष से अधिक) के विकास में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं।

श्री सिंह ने इससे पहले 2016-2019 तक एनएचएआई बोर्ड में निदेशक के रूप में सदस्य (परियोजना) एनएचएआई के रूप में 3 वर्षों तक कार्य किया और प्रमुख राजमार्ग विकास परियोजनाओं का नेतृत्व किया।

श्री सिंह का अनुभव प्रारंभिक योजना से लेकर अंतिम चरण के कार्यान्वयन तक फैला हुआ है, जिसमें परियोजना नियोजन व्यवहार्यता मूल्यांकन, निवेश रणनीति वित्तपोषण, बोली पुरस्कार, निर्माण, परियोजना परामर्श, अनुबंध प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, ओ एंड एम आदि के सभी पहलू शामिल हैं उनकी परियोजना कार्यान्वयन विशेषज्ञताओं में नई लाइनों दोहरीकरण, सुरंगों, एलिवेटेड कॉरिडोर, अत्याधुनिक पुलों, राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, तटीय राजमार्गों, लॉजिस्टिक्स, विद्युत प्रणालियों की स्थापना आदि का निर्माण समय से पहले पूरा करना शामिल है।

श्री सिंह ने परियोजना कार्यान्वयन के सभी प्रचलित तरीकों जैसे आइटम रेट ईपीसीए एफआईडीआईसीए ईपीसी (टर्नकी), पीपीपी, ओएमटी, एचएएम, टीओटी मॉडल में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी उपलब्धियों में परिसंपत्ति मुद्रीकरण, इनविट, विनिवेश, धन उगाहना, अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं का विपणन, विदेशी निवेश आकर्षित करना और व्यवसाय विकास शामिल हैं।

श्री सिंह ने नए ईपीसी (टर्नकी) मॉडल समझौते (एमसीए) को शुरू करने, पीपीपी के कठिन युग के बाद पीपीपी में सुधार और एचएएम और टीओटी विनिवेश के नए परियोजना मॉडल में अग्रणी भूमिका निभाई है।

श्री सिंह ने एक अनुबंध प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में नेतृत्व किया है और बड़ी संख्या में विवाद समाधान, सुलह, समझौते, तकनीकी और संविदात्मक व्याख्या समितियों और निपटान सलाहकारों का नेतृत्व किया है ताकि नई सोच और अभिनव हस्तक्षेपों के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित परियोजनाओं को बचाया जा सके। उन्होंने मानव संसाधन एवं प्रशासन, आईटी और कानूनी विभागों का भी नेतृत्व किया है और कई अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

श्री सिंह समावेशी नेतृत्व के माध्यम से मूल्य सृजन और सभी हितधारकों और निवेशकों के लिए तालमेल बनाने में विश्वास करते हैं।



श्री अजीत कुमार मिश्रा
निदेशक (कार्य)

श्री अजीत कुमार मिश्रा (डीआईएन: 11108237) निर्माण एवं अवसंरचना परियोजनाओं के संदर्भ में विवाद समाधान के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। वे भारत में विश्व बैंक / जेआईसीए द्वारा वित्तपोषित 12 अरब अमेरिकी डॉलर की अवसंरचना परियोजना में अनुबंध प्रबंधन प्रभाग के प्रमुख (कार्यकारी निदेशक) रह चुके हैं, तथा उन्होंने नियोक्ता की ओर से 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के दावों एवं विवादों में ठेकेदारों के साथ विवाद समाधान बोर्डों, मध्यस्थ न्यायाधिकरणों एवं न्यायालयों में प्रतिनिधित्व किया है श्री मिश्रा को अभियांत्रिकी, प्रबंधन एवं विधि में सुदृढ़ शैक्षणिक पृष्ठभूमि प्राप्त है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक., अंतरराष्ट्रीय विवाद समाधान में एल.एल.एम.ए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एम.बी.ए. तथा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में डिप्लोमा प्राप्त किया है। वे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स (FCI Arb) के फेलो, प्राइम डिस्प्यूट (यूके) के फेलो तथा यूके एडजुडिकेटर्स एवं डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन बोर्ड फाउंडेशन के सदस्य रह चुके हैं। उन्हें परियोजना प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय खरीद, अनुबंध प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, अवसंरचना वित्तपोषण एवं बड़े अवसंरचना परियोजनाओं के विवाद समाधान के क्षेत्र में 25 वर्षों से अधिक का व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है। वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से 'डिजाइन एंड बिल्ड' अनुबंध (एफआईडीआईसी अनुबंध प्रारूप) के तहत कार्यों की खरीद प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न हैं, तथा इनका निष्पादन विशेषीकृत परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं एवं बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के समन्वय के माध्यम से किया जाता है। वे एफआईडीआईसी प्रमाणित निर्णायक हैं तथा एफआईडीआईसी अध्यक्ष की स्वीकृत

विवाद निर्णायकों की सूची में सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, वे एफआईडीआईसी प्रमाणित प्रशिक्षक भी हैं, जो उन्हें एफआईडीआईसी अनुबंध पद्धतियों में प्रशिक्षण देने का अधिकार प्रदान करता है। श्री मिश्रा सोसाइटी ऑफ कंस्ट्रक्शन लॉ एंड इंजिनियरिंग के उपाध्यक्ष हैं, आईसीसी मध्यस्थता एवं वैकल्पिक विवाद समाधान समिति के भारत प्रतिनिधि तथा आईसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड बिजनेस लॉ के सदस्य भी हैं। उनकी विशेषज्ञता मध्यस्थता, निर्णय, विवाद बोर्ड, आपातकालीन मध्यस्थता, विशेषज्ञ निर्धारण, विशेषज्ञ साक्ष्य एवं सुलह जैसे विविध क्षेत्रों को भी समाहित करती है। मध्यस्थ एवं निर्णायक के रूप में सेवा देने के अतिरिक्त, श्री मिश्रा ने अकादमिक क्षेत्र में भी योगदान दिया है, जिसमें भारत में एफआईडीआईसी आधारित निर्माण अनुबंधों में विवाद समाधान तंत्र पर उनके प्रकाशन शामिल हैं। उन्हें सेवा के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें भारत सरकार द्वारा प्रदत्त 'राष्ट्रीय उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार' शामिल है, जो किसी अधिकारी को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।



श्री आनंद भाटिया
सरकारी नामित (सरकारी नामित व्यक्ति)

श्री आनंद भाटिया (डीआईएन: 10937265) 1988 बैच के भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा (आईआरएसई) के अधिकारी हैं और उन्होंने आईआईटी/दिल्ली से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वे 16 जनवरी, 2025 से रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य (सिविल इंजीनियरिंग) के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें रेलवे में, विशेष रूप से वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक आदि विभिन्न पदों पर, रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन और प्रबंधन में, 35 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है।



श्री अनुपम सिंह सरकारी नामित
(अंशकालिक (कार्यालयीन))

(श्री अनुपम सिंह (डीआईएन: 10637375), मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (एमएनआरईसी), इलाहाबाद से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वे वर्तमान में भारत सरकार के रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (पुल एवं संरचना II) के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने वरिष्ठ डीईएनए वरिष्ठ डीईएन/सीए उप मुख्य अभियंता/निर्माण, मुख्य अभियंता/निर्माण एवं एडीआरएम जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया है।



श्रीमती रागिनी अडवाणी
निदेशक (वित्त)

श्री टी. वरदराजन (डीआईएन: 08556664) ने भारतीदासन विश्वविद्यालय से संबद्ध ई.जी.एस. पिल्ले आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज से विज्ञान स्नातक (बी.एससी.) और विज्ञान स्नातकोत्तर (एम.एससी.) की डिग्री प्राप्त की है। विकासए उद्यमिता और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में दो दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, वह एक विविध और सर्वांगीण पेशेवर पृष्ठभूमि लेकर आते हैं। वह वर्तमान में 6 सितंबर 2019 से फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड एंटरप्राइज में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं जहाँ वह उद्यमशीलता की पहल और उद्यम विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे पहले, वह 2001 से 2011 तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉलेज में क्षेत्रीय प्रबंधक थे, और आईटी शिक्षा में क्षेत्रीय संचालन और क्षमता निर्माण की देखरेख करते थे। 2011 और 2015 के बीच, उन्होंने योगिता ग्रामीण विकास सोसाइटी के सलाहकार और विवेका अरकट्टलाई के सलाहकार के रूप में ग्रामीण विकास और सामाजिक पहलों का समर्थन करते हुए अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया।

वरिष्ठ अधिकारी



श्री योगेश कुमार मिश्रा
कार्यकारी निदेशक (इंफ्रा)



श्री सुरेन्द्र सिंह
कार्यकारी निदेशक (परियोजना)



श्री देबज्योति कुमार
कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)



श्री दुन्ने बुज्जि भुवन कुमार
कार्यकारी निदेशक (सामान्य)



श्री अजय पाल सिंह
कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)

वरिष्ठ अधिकारी



श्री जयशंकर वी.के
परियोजना निदेशक (अल्जीरिया)



श्री नवीन बाबू
परियोजना निदेशक (सूरत)



श्री अहमद नजर
परियोजना निदेशक (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे)



श्री एम. रविशंकर चौधरी
परियोजना निदेशक (छत्तीसगढ़)

घरेलू परियोजनाएं



शाखा संख्या 179 एनडब्ल्यूडी-टीआईए खंड,
किउल गया दोहरीकरण परियोजना



पुल 3, सिवोक रंगपो नई रेल
लाइन परियोजना



कट एंड कवर गैन्ट्री निर्माण, भोज मोरवे
एक्सप्रेसवे परियोजना



लुधियाना रूपनगर राजमार्ग परियोजनाए Ch 68+100
पर साइड स्लोप प्रोटेक्शन के साथ DBM कार्य



एकीकृत विद्युत आपूर्ति, मुरादाबाद विज्ञान
एवं प्रौद्योगिकी परियोजना



लुधियाना रूपनगर राजमार्ग परियोजनाए
Ch 0+000 पर इंटरचेंज



सिवोक रंगपो नई रेल लाइन परियोजना
का कार्य प्रगति पर है



प्रमुख पुल / किमी.3+406, लंबाई 633 मीटर,
शिरसाड अकलोली एक्सप्रेसवे परियोजना

घरेलू परियोजनाएं



प्रमुख पुल / किमी.18+421, लंबाई 1042 मीटर,
शिरसाड अकलोली एक्सप्रेसवे परियोजना



प्रमुख पुल संख्या 23, कोयला रेल संपर्क
परियोजनाएं झारखंड



प्रमुख पुल संख्या 23, कोयला रेल संपर्क
परियोजनाएं झारखंड



मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल
(एमएचएसआर) सी-7 परियोजना



कोरीछापर से धरमजयगढ़ खंड, छत्तीसगढ़ ईस्ट
रेल कॉरिडोर में ओएचई कार्य



रंगपो यार्ड, सिवोक रंगपो
नई रेल लाइन परियोजना



रिले रूम उपकरण, मुरादाबाद विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी परियोजना



सुरंग टी-50 में आरओसीएस स्थापना,
यूएसबीआरएल परियोजना

घरेलू परियोजनाएं



खरसिया के पास आरओआर लॉन्विंग ब्रिज 5A,
छत्तीसगढ़ पूर्वी रेल कॉरिडोर



चेन्नई मेट्रो रेल परियोजनाएं ट्रैक सेंटर
12 एम के साथ सिजर क्रॉस ओवर



सिवोक स्टेशन भवन, सिवोक रंगपो
नई रेल लाइन परियोजना



टी14 बीएलटी कार्य, सिवोक रंगपो
नई रेल लाइन परियोजना

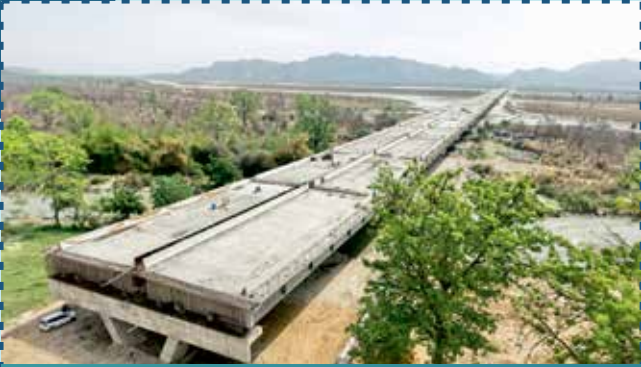


टी-50 ब्रेकथ्रू यूएसबीआरएल परियोजना

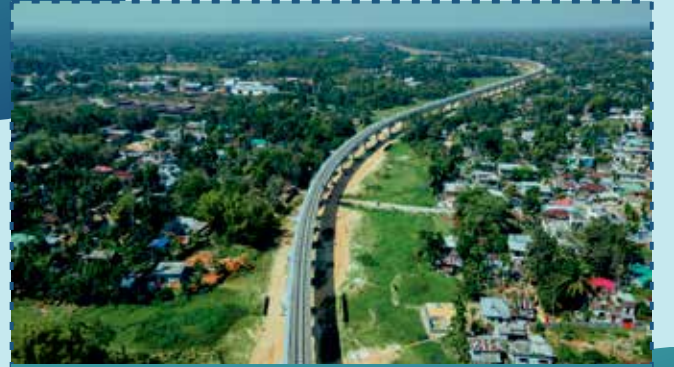


टी-52 डी-आकार और एच. शू,
यूएसबीआरएल परियोजना

घरेलू परियोजनाएं



गंगा नदी पर निर्माणाधीन 2.52 किमी लंबा
6 लेन राजमार्ग पुल, हरिद्वार बाईपास परियोजना



वायाडक्ट स्पैन व्यवस्था, अगरतला
अखौरा नई रेल लिंक परियोजना



टीएसएस घरघोड़ा, छत्तीसगढ़ पूर्व रेल कॉरिडोर



यूएचपीएफआरसी गार्डर निर्माण,
भोज मोरबे एक्सप्रेसवे परियोजना



बिश्रामगंज एसएसपीए रेलवे विद्युतीकरण पीकेजी 2



जिरीबाम यार्ड, रेलवे विद्युतीकरण पैकेज 2

विदेशी परियोजनाएं



श्रीलंका में माहो-ओमानथाई
रेलवे लाइन का उद्घाटन



अनुराधापुरा से ओमानथाई, श्रीलंका
तक पुनर्निर्मित रेलवे लाइन



दिगराज में मार्शलिंग यार्ड,
खुलना मोंगला पोर्ट लाइन परियोजना, बांग्लादेश



मोंगला स्टेशन यार्ड खुलना
मोंगला पोर्ट लाइन परियोजना, बांग्लादेश



रूपशा रेल ब्रिज खुलना मोंगला पोर्ट
लाइन परियोजना, बांग्लादेश



मोहम्मद नगर यार्ड, बांग्लादेश

विदेशी परियोजनाएं



मलेशिया के जोहार में रेलवे ट्रैक का पुनर्वास और उन्नयन



मलेशिया के जोहार में रेलवे ट्रैक का पुनर्वास और उन्नयन



पूर्ण हो चुके डबल ट्रैक के ऊपर आरओबी, अल्जीरिया



रेलिज़ेन रेलवे स्टेशन, अल्जीरिया



बालपुरा स्टेशन, नेपाल



नेपाल कस्टम यार्ड — जोगबनी विराटनगर परियोजना

पुरस्कार और प्रशंसा

इरकॉन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पिछले दो वर्षों में प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान नीचे दिए गए हैं:



मोकामा रेल पुल परियोजना के लिए 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024, निर्माण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण श्रेणी के लिए



डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पुरस्कार – इंजीनियरिंग और निर्माण सेवा क्षेत्र में ईएसजी चौपियंस ऑफ इंडिया 2024



अनुबंध एवं निर्माण तथा तकनीकी परामर्श सेवाएं (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) श्रेणी के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पुरस्कार।



रेल एनालिसिस इंडिया द्वारा सिविल इंजीनियरिंग, परीक्षण और रेल परियोजनाओं की कमीशनिंग में उत्कृष्टता



गवर्नेंस नाउ को 10वां पीएसयू पुरस्कार – सीएसआर प्रतिबद्धता



गवर्नेंस नाउ 10वां पीएसयू पुरस्कार – राष्ट्र निर्माण



परियोजना के लिए उत्कृष्ट सुरंग संरचना हेतु सीई एंड सीआर वार्षिक पुरस्कार उधमपुर- श्रीनगर – बारामुला न्यू बीजी रेल लाइन



कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड द्वारा टॉप चौलेंजर 2022-23 पुरस्कार

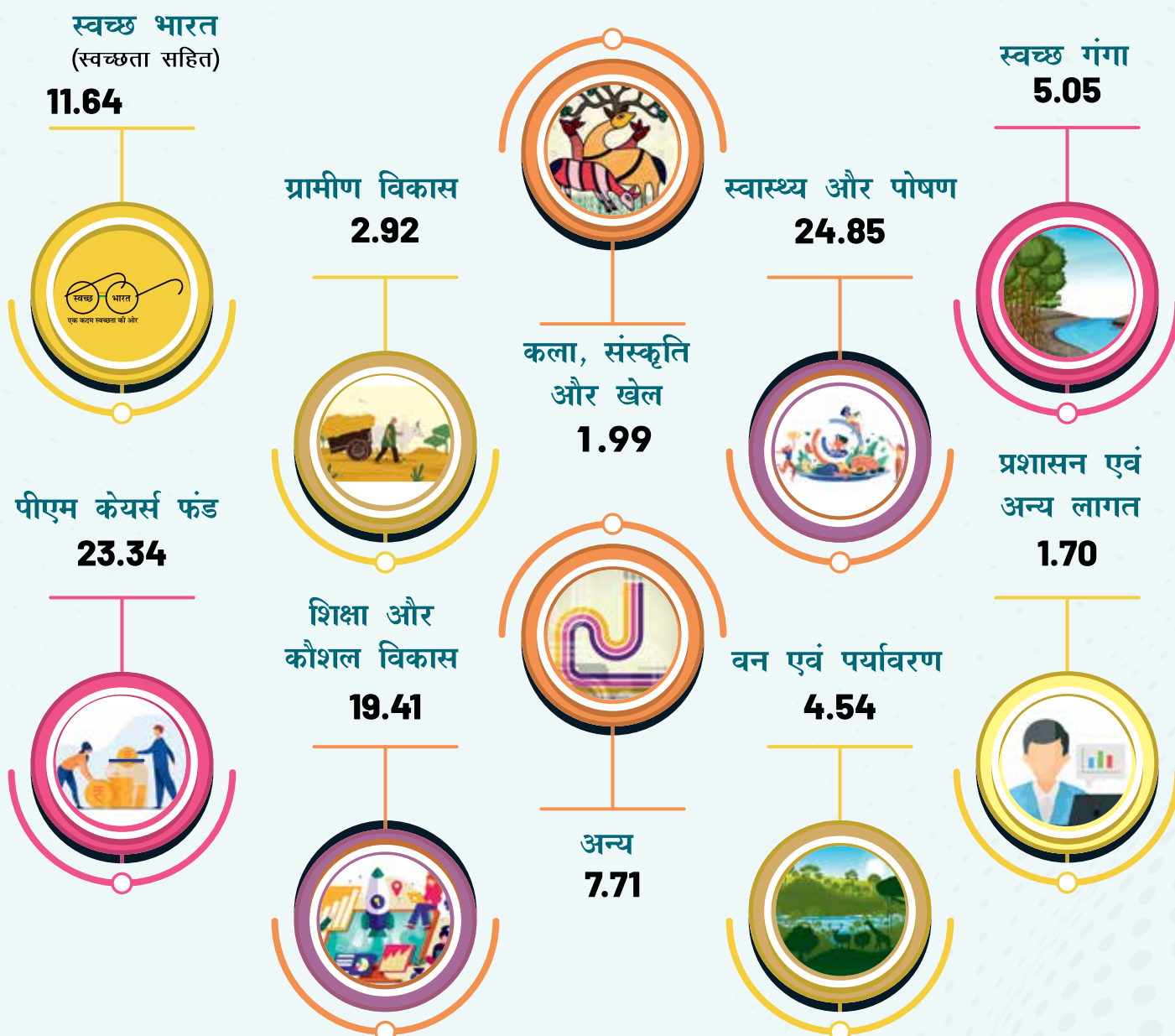
वित्त वर्ष 2024-25 में आयोजित सीएसआर गतिविधियाँ



“हमारा पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा हमारे व्यावसायिक परिचालनों में एकीकृत है। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से उन समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का निरंतर प्रयास करते हैं जिनमें हम काम करते हैं।”

सीएसआर व्यय
(वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2025 तक)
103.15 करोड़ रुपये

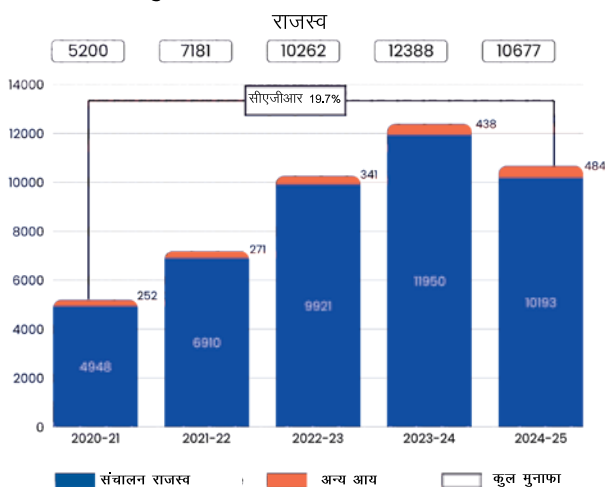
करोड़ रुपये में



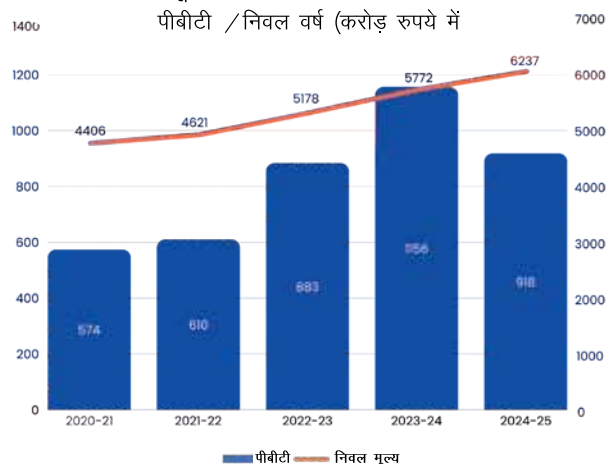
वित्त वर्ष 2025
में सीएसआर खर्च
14.15 करोड़ रुपये

प्रमुख निष्पादन संकेतक (स्टैंडएलोन)

कुल राजस्व/परिचालन राजस्व

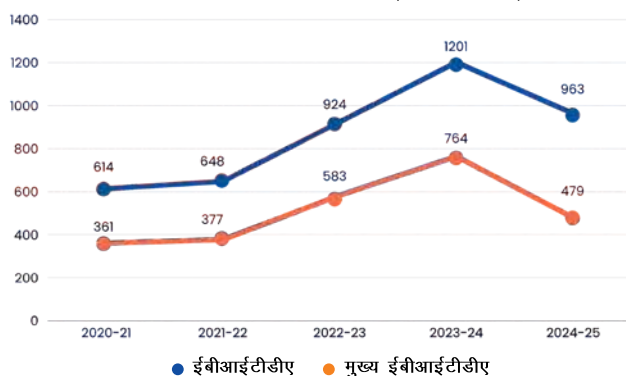


कर पूर्व लाभ (पीबीटी) निवल वर्ष



ईबीआईटीडीए/कोर ईबीआईटीडीए

ईबीआईटीडीए / कोर ईबीआईटीडीए (करोड़ रुपये में)

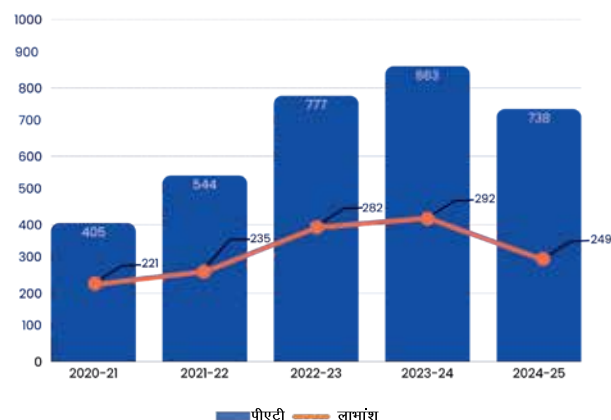


ईबीआईटीडीए = कर-पूर्व लाभ + वित्तीय लागत + मूल्यहास और परिशोधन

कोर ईबीआईटीडीए = कर-पूर्व लाभ + वित्तीय लागत + मूल्यहास और परिशोधन - अन्य आय

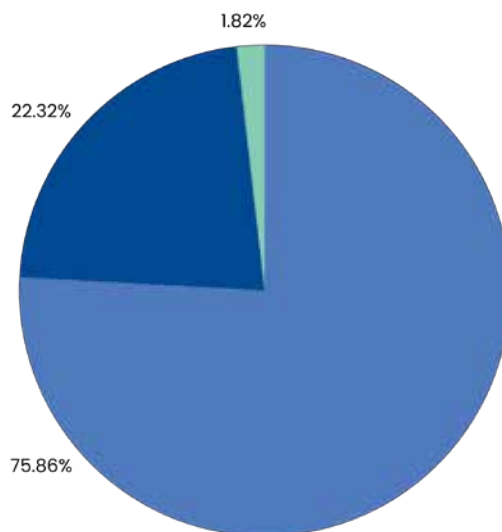
कर पश्चात लाभ (पीएटी) लाभांश

पीएटी / लाभांश (करोड़ रुपये में)



ऑर्डर बुक

ऑर्डर बुक - 20,346 करोड़



रेलवे 15,435 करोड़

राजमार्ग 4,541 करोड़

अन्य - 370 करोड़

वित्तीय विशेषताएं (स्टैंडएलोन)

रुपये करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	इंड एस									
		2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
1	परिचालन से राजस्व	10,193	11,950	9,921	6,910	4,948	5,202	4,415	3,896	2,995	2,419
2	अन्य आय	484	437	340	271	253	240	264	227	260	442
3	कुल आय	10,677	12,388	10,262	7,181	5,200	5,442	4,679	4,123	3,254	2,861
4	वित्त लागत और मूल्यहास एवं परिशोधन से पहले व्यय	9,714	11,186	9,338	6,534	4,587	4,726	4,037	3,512	2,718	2,187
5	वित्तीय लागत	7	10	3	10	15	27	16	64.53	61	43
6	मूल्यहास और परिशोधन	38	36	38	27	25	16	12	13	18	28
7	ब्याज, कर और मूल्यहास से पहले की कमाई (ईबीआईटीडीए)	963	1,201	924	647	614	716	642	611	611	673
8	ब्याज, कर से पहले की कमाई (ईबीआईटी)	925	1,165	886	620	589	700	631	598	593	645
9	कर-पूर्व लाभ	918	1,156	883	610	574	673	615	533	532	602
10	कर-पश्चात लाभ	738	863	777	544	405	490	445	391	369	395
11	वर्ष के लिए लाभंश	249	292	282	235	221	223	203	192	192	168
12	शेयर पूंजी	188.10	188.10	188.10	188.10	94.05	94.05	94.05	94.05	98.980	19.800
13	नियोजित पूंजी *	6,237	5,772	5,178	4,621	4,406	6,007	6,510	6,952	3,829	3,667
14	निवल मूल्य	6,237	5,772	5,178	4,621	4,406	4,161	3,950	3,752	3,829	3,667
15	पीबीटी मार्जिन (%) (पीबीटी / कुल आय)	8.60	9.33	8.61	8.49	11.04	12.37	13.14	12.93	16.35	21.04
16	पीएटी मार्जिन (%) (पीएटी / कुल आय)	6.91	6.97	7.57	7.58	7.78	9.00	9.51	9.48	11.34	13.81
17	नेट वर्ध पर रिटर्न (%) (पीएटी / नेट वर्ध)	11.83	14.95	15.00	11.77	9.18	11.77	11.27	10.42	9.64	10.77
18	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%) (ईबीआईटी / नियोजित पूंजी)	14.82	20.18	17.11	13.42	13.36	11.66	9.69	8.60	15.48	17.59
19	कर्मचारियों की संख्या (सं.)	1,190	1,272	1,341	1,278	1,295	1,369	1,576	1,622	1,496	1,499
20	प्रति कर्मचारी आय (कुल आय / कर्मचारियों की संख्या)	8.97	9.74	7.65	5.62	4.02	3.98	2.97	2.54	2.18	1.91

* वर्ष 2021 के दौरान, कंपनी ने आईआरएफसी से ऋण और आरएलडीए से वसूली योग्य राशि की भरपाई की है। तदनुसार पिछले वर्षों के आंकड़े पुनः प्रस्तुत किये गये हैं



प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

बुनियादी ढाँचे के विकास का किसी भी अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ता है। भारत 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने आर्थिक विकास लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपने बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने का इरादा रखता है। मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का बुनियादी ढाँचा निवेश वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2029 तक सकल घरेलू उत्पाद के 6.5% तक पहुँच जाएगा।

भारत सरकार एकीकृत नियोजन के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) जैसे रणनीतिक ढाँचों के नेतृत्व में एक व्यापक और महत्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचे में सुधार कर रही है। इस दृष्टिकोण को क्षेत्र-विशिष्ट प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य निर्बाध बहु-मॉडल कनेक्टिविटी बनाना है, जिसमें राजमार्गों के लिए भारतमाला परियोजना, रेलवे के लिए समर्पित माल ढुलाई गलियारे, बंदरगाह-आधारित विकास के लिए सागरमाला कार्यक्रम, क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए उड़ान योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) और कई अन्य चल रही परियोजनाएँ शामिल हैं।

भारत सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रारूप प्रस्तुत किए हैं, विशेष रूप से सड़कों, राजमार्गों, हवाई अड्डों, औद्योगिक पार्कों, उच्च शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्रों में।

भारत के बुनियादी ढाँचा क्षेत्र का प्रक्षेप पथ असाधारण रूप से मजबूत है, जिसे रणनीतिक सरकारी फोकस और निजी क्षेत्र की मजबूत भागीदारी का समर्थन प्राप्त है। लचीली, टिकाऊ और समावेशी प्रणालियों के विकास पर जोर आर्थिक विस्तार और बेहतर जीवन स्तर के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक बनने की उम्मीद है, जिससे यह क्षेत्र 2047 तक राष्ट्र के विकास लक्ष्यों का एक अभिन्न अंग बन जाएगा।

वैश्विक आर्थिक अवलोकन

बढ़ती अनिश्चितता और बड़े पैमाने पर नीतिगत बदलाव आर्थिक और राजकोषीय दृष्टिकोण को नया रूप दे रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रमुख टैरिफ घोषणाएँ, अन्य देशों द्वारा प्रतिवाद, वित्तीय बाजार में अस्थिरता, बिगड़ती संभावनाओं और नकारात्मक जोखिमों को बढ़ा रहे हैं। कई देशों में अवस्फीति रुक गई है, और पहले से ही निराशाजनक विकास अनुमानों को काफी कम कर दिया गया है, जबकि वित्तीय उथल-पुथल विकास के लिए काफी नकारात्मक जोखिम पैदा कर रही है। टैरिफ और आर्थिक नीति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते प्रतिफल, और उभरते बाजारों में बढ़ते प्रसार के साथ-साथ, विशेष रूप से यूरोप में, रक्षा खर्च में वृद्धि, और चुनौतीपूर्ण विदेशी सहायता परिदृश्य, राजकोषीय दृष्टिकोण को और जटिल बना रहे हैं।

व्यापार तनावों में तेजी से वृद्धि और नीतिगत अनिश्चितता के अत्यधिक उच्च स्तर का वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशंका है। वैश्विक विकास दर 2025 में 2.8% और 2026 में 3% तक गिरने का अनुमान है, जो ऐतिहासिक (2000-19) औसत 3.7% से काफी कम है। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, विकास दर 2025 में 3.7% और 2026 में 3.9% तक धीमी होने की उम्मीद है, जिसमें चीन जैसे हालिया व्यापार उपायों से सबसे अधिक प्रभावित देशों के लिए महत्वपूर्ण डाउनग्रेड शामिल हैं। व्यापक वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को नुकसान भी शामिल है। जनसांख्यिकीय बदलाव और सिकुड़ता विदेशी श्रम बल संभावित विकास को बाधित कर सकता है और राजकोषीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था नियंत्रित मुद्रास्फीति और मजबूत विकास के साथ मजबूत बुनियादी सिद्धांतों का प्रदर्शन करती है। आरबीआई की जून की मौद्रिक नीति रिपोर्ट मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सफलता का संकेत देती है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3.7% की दर का अनुमान लगाती है, हालांकि अगले वर्ष यह लगभग 4.5% तक बढ़ने की उम्मीद है। यह मूल्य स्थिरता मजबूत आर्थिक विस्तार से पूरित है, जैसा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने पुष्टि की है। अंतिम एनएसओ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जिसमें नाममात्र जीडीपी 9.8% की तेज गति से बढ़ रही है, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव को दर्शाती है। बाहरी मोर्चे पर, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव देखा गया, जो सितंबर 2024 में US\$ 705.78 बिलियन से घटकर जनवरी 2025 में US\$ 630.61 बिलियन के निचले स्तर पर आ गया।

सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, विशेष रूप से सड़कों और राजमार्गों, हवाई अड्डों, औद्योगिक पार्कों और उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास क्षेत्रों में, विभिन्न प्रारूप प्रस्तुत किए हैं। बुनियादी ढाँचे में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढाँचा वित्त सचिवालय की स्थापना की गई है, जो सभी हितधारकों को बुनियादी ढाँचे में और अधिक निजी निवेश के लिए सहायता प्रदान करेगा।

केंद्रीय बजट 2025-26 में, बुनियादी ढाँचे के लिए पूंजी निवेश परिव्यय को बढ़ाकर ₹11.21 लाख करोड़ (128.64 अरब अमेरिकी डॉलर) कर दिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% होगा। क्रिसिल की इन्फ्रास्ट्रक्चर ईयरबुक 2023 के अनुसार, भारत 2030 तक सात वित्तीय वर्षों में बुनियादी ढाँचे पर लगभग ₹143 लाख करोड़ (1,727.05 अरब अमेरिकी डॉलर) खर्च करेगा, जो पिछले सात वर्षों में खर्च किए गए लगभग ₹67 लाख करोड़ (912.81 अरब अमेरिकी डॉलर) के दोगुने से भी अधिक है। शहरित ऊर्जा परियोजनाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय रेलवे को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की एक पहल है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

भारत का लॉजिस्टिक्स बाजार 2024 में 317.26 अरब अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है और 8.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ते हुए 2029 तक 484.43 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5% है और लगभग 2.2 करोड़ भारतीयों को रोजगार प्रदान करता है। आईसीआरए के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत का सड़क लॉजिस्टिक्स उद्योग 3-6% की दर से बढ़ेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2025) में भारत के लिए 2025 में 6.2% की अपेक्षाकृत अधिक स्थिर वृद्धि का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, जिसे निजी उपभोग, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, से समर्थन प्राप्त है, लेकिन व्यापार तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के उच्च स्तर के कारण यह दर जनवरी 2025 के डब्ल्यूईओ अपडेट की तुलना में 0.3% कम है।

उद्योग अवलोकन

भारत सरकार ने अपने बुनियादी ढाँचे और निर्माण क्षेत्रों के विकास को रणनीतिक प्राथमिकता दी है। यह प्रतिबद्धता उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों, पर्याप्त बजटीय आवंटन और चल रहे स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से प्रदर्शित होती है। इन प्रयासों को और एकीकृत व तीव्र करने के लिए, प्रधानमंत्री ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया है, जो एक परिवर्तनकारी मंच है जिसका उद्देश्य बहु-मॉडल परिवहन को एकीकृत करना और परियोजना निष्पादन की दक्षता में सुधार करना है।

भारत के बुनियादी ढाँचे, रेलवे, राजमार्ग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों का भविष्य असाधारण रूप से सकारात्मक है, जो एक एकीकृत, विश्वस्तरीय आर्थिक ढाँचा बनाने की सरकारी रणनीति से प्रेरित है। इस परिवर्तन के केंद्र में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन हैं, जो एक निर्बाध मल्टी-मॉडल नेटवर्क के निर्माण के लिए समन्वित, डेटा-संचालित योजना और बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश सुनिश्चित करते हैं।

भारतीय रेलवे माल दुलाई को सुव्यवस्थित करने के लिए समर्पित माल गलियारों (डीएफसी) और यात्री यात्रा को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के साथ एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। साथ ही, भारतमाला परियोजना के तहत राजमार्ग क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ाने और यात्रा समय को कम करने के लिए आर्थिक गलियारे और एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। ये विकास राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (एनएलपी) की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी पहलों के माध्यम से भारत की उच्च लॉजिस्टिक्स लागत को काफी कम करना है। भारत सरकार ने 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स

नीति (एनएलपी) शुरू की थी। एनएलपी का एक प्राथमिक उद्देश्य सकल घरेलू उत्पाद में लॉजिस्टिक्स लागत के प्रतिशत को कम करना था।

ये सहक्रियात्मक प्रयास लागत प्रभावी और कुशल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जो व्यापार करने की लागत को कम करने, श्रमक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने और देश के समग्र आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए तैयार है।

रेलवे क्षेत्र

भारत का लॉजिस्टिक्स बाजार 2024 में 317.26 अरब अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है और 8.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ते हुए 2029 तक 484.43 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5% है और लगभग 2.2 करोड़ भारतीयों को रोजगार प्रदान करता है। आईसीआरए के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत का सड़क लॉजिस्टिक्स उद्योग 3-6% की दर से बढ़ेगा।

केंद्रीय बजट 2025-26 में, सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड ₹2,65,200 करोड़ (US\$31.43 बिलियन) का पूंजीगत व्यय आवंटित किया है। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2026 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त कर लेगा, जिसका 97% से अधिक कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, और यह तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा को अपना रहा है।

भारतीय रेलवे रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु निजी निवेश आकर्षित करने हेतु एक नए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विचार कर रहा है। इस मॉडल के तहत, निवेशकों को कुल परियोजना लागत का 40% तक व्यवहार्यता-अंतर निधि (वीजीएफ) के रूप में प्राप्त होगा और उन्हें प्लेटफार्मों और पटरियों के ऊपर के स्थान का व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति होगी। हाइब्रिड पीपीपी मॉडल के तहत, बोलियाँ निजी निवेशक द्वारा आवश्यक वीजीएफ समर्थन की मात्रा के आधार पर चुनी जाएँगी। निजी डेवलपर को व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए हवाई क्षेत्र विकसित करने की अनुमति होगी, जिसमें कार्यालय स्थान का पट्टा, मनोरंजन और मनोरंजन सुविधाओं का विकास, आतिथ्य सेवाएँ, मॉल और यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ भी शामिल हैं।

भारतीय रेलवे भारत की पहली डबल-डेकर डिजाइन वाली कार्गो लाइनर शुरू कर रहा है। ऊपरी डेक पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि निचला डेक माल भंडारण के लिए समर्पित होगा। इन ट्रेनों का परीक्षण अभी चल रहा है।

सरकार ने 2047 तक 100 शहरों में 5,000 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क बनाने की घोषणा की है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक अपने व्यापक ऊर्जा लक्ष्यों के तहत भारतीय रेलवे को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

वाला देश बनाना है। अनुमान है कि 2050 तक भारत की कुल वैश्विक रेल गतिविधि में 40% हिस्सेदारी होगी।

भारतीय रेलवे ने अपने रेल नेटवर्क पर सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए, ट्रेन टक्कर निवारण प्रणाली के लिए एक स्वदेशी तकनीक फ़वच शुरू की है। कवच एक अत्यधिक तकनीकी रूप से गहन प्रणाली है, जिसके लिए उच्चतम स्तर के सुरक्षा प्रमाणन (एसआईएल-4) की आवश्यकता होती है। कवच, लोको पायलट द्वारा ब्रेक न लगाने की स्थिति में स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन को निर्धारित गति सीमा के भीतर चलाने में लोको पायलट की सहायता करता है और खराब मौसम में ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद करता है। भारतीय रेलवे 15,000 किलोमीटर को स्वचालित सिग्नलिंग में बदलने और 37,000 किलोमीटर को “कवच” से सुसज्जित करने की प्रक्रिया में है।

शहरित ऊर्जा परियोजनाएँ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय रेलवे को पर्यावरण-अनुकूल बनाने की एक पहल है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनना है।

सड़क क्षेत्र

भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जो 67 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। यह विशाल नेटवर्क देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है, क्योंकि 64.5% से ज्यादा माल का परिवहन सड़कों के जरिए होता है और कुल यात्री यातायात का 90% इसी नेटवर्क से आता है। देश के सड़क बुनियादी ढाँचे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पिछले नौ वर्षों में 59% तक बढ़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग, जो मुख्य धमनी नेटवर्क का निर्माण करते हैं, माल और यात्रियों की कुशल आवाजाही को संभव बनाकर और बाजार पहुँच में सुधार करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। अकेले इस नेटवर्क की लंबाई 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 1,46,145 किलोमीटर हो गई है।

भारत सरकार और उसकी कार्यान्वयन एजेंसियों, जैसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए कई पहल की हैं। ये पहल भारतमाला परियोजना, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) भी शामिल है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों द्वारा संचालित हैं। एसएआरडीपी-एनई का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर के सुदूर क्षेत्रों और उनके राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों के बीच सड़क संपर्क विकसित करना है, जिससे 88 जिला मुख्यालयों को उनके निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने में सुविधा होगी।

केंद्रीय बजट 2025-26 में, सरकार ने सड़क मंत्रालय के लिए ₹2.87 लाख करोड़ (US\$ 32.94 बिलियन) आवंटित करने का निर्णय लिया है, जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र से ₹35,000 करोड़ (US\$ 4.02 बिलियन) का

निवेश प्राप्त करना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का एक नेटवर्क विकसित करने की योजना है, जिसका कुल निवेश लगभग ₹46,000 करोड़ (US\$ 5.5 बिलियन) होगा, जो चालू होने के बाद लगभग 700 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने में सक्षम होंगे। इसमें से, 15 प्राथमिकता वाले स्थानों पर डडस्च लगभग ₹22,000 करोड़ (US\$ 2.6 बिलियन) के कुल निवेश से विकसित किए जाएँगे।

विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) शुरू किया गया था। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान केंद्र सरकार और राज्योर्ध्वकेंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न अवसंरचना और आर्थिक मंत्रालयोंधविभागों के ट्रंक और उपयोगिता अवसंरचना, चल रही और भविष्य की परियोजनाओं का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। यह डेटा जीआईएस-सक्षम पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है, जिससे एक ही पोर्टल पर अगली पीढ़ी की अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना, डिजाइनिंग और निगरानी की सुविधा मिलती है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप, सरकार ने चुनौतीपूर्ण इलाकों में दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आठ प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट किया है—सात रेल मंत्रालय से और एक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) से।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) का उद्देश्य पूर्वोत्तर के सुदूर क्षेत्रों को राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़क संपर्क प्रणाली विकसित करना है। इस सड़क विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से पूर्वोत्तर के राज्यों के 88 जिला मुख्यालयों को उनके निकटतम राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने में सुविधा होगी।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र

भारत वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी स्थान पर अपनी स्थिति बना रहा है, और इसका नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। महत्वाकांक्षी सरकारी लक्ष्यों, घटती तकनीकी लागत और ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक प्रयासों से प्रेरित होकर, यह देश हरित निवेश के लिए दुनिया के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक बन गया है। यह नेतृत्व स्थापित नवीकरणीय और सौर ऊर्जा क्षमता दोनों में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर होने से प्रमाणित होता है। भारतीय रेलवे जैसे प्रमुख घरेलू उपभोक्ता, 2030 तक ‘शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक’ बनने के मिशन पर आगे बढ़कर महत्वपूर्ण, केंद्रित मांग पैदा कर रहे हैं।

देश पहले ही अपने जलवायु लक्ष्यों को पार कर रहा है, 100 गीगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर चुका है और एक ऐसा ऊर्जा मिश्रण हासिल कर चुका है जिसका 47% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है। इस सफलता के आधार पर, भारत ने 2030 तक 500

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखते हुए, भविष्य के लिए आक्रामक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये निकट-अवधि के लक्ष्य, जिनमें 2030 तक 50% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना और आर्थिक कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना शामिल है, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुँचने की भारत की दीर्घकालिक रणनीति में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2026 तक 250 गीगावाट तक पहुँचने की उम्मीद है, जो एक मजबूत परियोजना पाइपलाइन द्वारा संचालित है।

भारत अगले दो दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग में 35% की वृद्धि को बढ़ावा देगा, और ऊर्जा उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्राकृतिक गैस, एलएनजी और हाइड्रोजन में निवेश करके अपने हरित ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ा रहा है। भारत का लक्ष्य वैश्विक पवन ऊर्जा केंद्र बनना है, नीतिगत समर्थन से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और 2030 तक वैश्विक पवन ऊर्जा मांग का 10% हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा और छतों पर सौर ऊर्जा के विस्तार हेतु प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसयूवाई) के लिए ₹20,000 करोड़ (2.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए गए हैं। इसमें ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए विधायी सुधार भी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री की कॉप26 घोषणा के अनुसार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2025-2030 में भारत में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली उत्पादन, तापीय ऊर्जा उत्पादन की तुलना में लागत-प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें कम करने में भारत वैश्विक औसत से आगे निकल गया है, और उत्सर्जन रिपोर्टिंग और कमी के प्रयासों के मामले में दुनिया भर में शीर्ष तीन देशों में शामिल है।

किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (एसएटीएटी) को एक संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और ऑटोमोटिव ईंधन में उपयोग के लिए बाजार में सीबीजी उपलब्ध कराने की पहल के रूप में शुरू किया गया है। 100 स्मार्ट सिटी परियोजना में नए निर्माण के लिए रूफ-टॉप सौर ऊर्जा का अनिवार्य प्रावधान और अंतिम ग्राहकों के लिए 10% नवीकरणीय ऊर्जा प्रावधान भी शामिल है। इस प्रकार, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की ओर एक केंद्र बिंदु बनाता है, जिसमें अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और दुनिया को समावेशी विकास की ओर ले जाने की क्षमता है।

कंपनी अवलोकन

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन), एक एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है, जिसकी रेलवे, राजमार्ग, पुल, प्लाईओवर, सुरंग, मेट्रो, रेलवे विद्युतीकरण, ईएचवी सब-स्टेशन, विद्युत और यांत्रिक कार्य, वाणिज्यिक और आवासीय भवन, रेलवे उत्पादन इकाइयों आदि सहित प्रमुख बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। यह विभिन्न बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए एकमुश्त टर्नकी, ईपीसी और मद-दर के आधार पर इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) सेवाएँ प्रदान करती है। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से कोयला निकासी को बढ़ावा देने के लिए, इरकॉन कोयला मंत्रालय के अंतर्गत अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ संयुक्त उद्यम में कोयला संपर्क परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अलावा, इरकॉन दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण हेतु कंपनी की वित्तीय क्षमता का लाभ उठाकर बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) मोड और हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन करता है।

देश की एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी, इरकॉन ने परिवहन अवसंरचना, विशेष रूप से रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में, एक अग्रणी कंपनी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। कंपनी अपने उच्च-गुणवत्तापूर्ण समाधानों, अटूट प्रतिबद्धता और निरंतर प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है।

पिछले 49 वर्षों में, इरकॉन ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कंपनी ने विविधीकरण की रणनीति को सक्रिय रूप से अपनाया है और विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक स्थानों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। हालाँकि इरकॉन ने सौर ऊर्जा विकास और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कदम रखा है, लेकिन इसका प्राथमिक ध्यान और मुख्य शक्ति हमेशा रेलवे क्षेत्र पर ही केंद्रित रही है।

कंपनी ने सरकार को लगातार लाभांश का भुगतान किया है, जो इसकी वित्तीय स्थिरता और सफलता को दर्शाता है और यह सार्वजनिक क्षेत्र की उन कुछ निर्माण कंपनियों में से एक है, जिसने देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

पिछले कुछ वर्षों में, इरकॉन ने अल्जीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, लाइबेरिया, मलेशिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तुर्की, ब्रिटेन और जाम्बिया जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपने कारोबार का विस्तार किया है। अब तक, कंपनी ने दुनिया भर के 25 देशों में 130 से ज्यादा परियोजनाएँ और भारत में 405 से ज्यादा परियोजनाएँ पूरी की हैं। घरेलू बाजार में, यह दुर्गम और अशांत क्षेत्रों में काम करने में माहिर है। इसके अलावा, यह प्रतिष्ठित राष्ट्र-निर्माण परियोजनाओं में भी सक्रिय रूप से शामिल है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

व्यावसायिक इकाइयाँ / प्रभाग

इरकॉन की प्रमुख व्यावसायिक इकाइयाँ / प्रभाग इस प्रकार हैं:

1. सिविल इंजीनियरिंग विभाग

इरकॉन ने खुद को देश में एक प्रमुख निर्माण संगठन के रूप में स्थापित किया है, जिसका सिविल इंजीनियरिंग विभाग कंपनी की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है और इसके राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न करता है। यह बड़े पैमाने की समग्र परियोजनाओं के सफल निष्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और नेतृत्व प्रदान करता है। इरकॉन को प्रदान की गई असंख्य परियोजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन के लिए विभाग की अंतर्दृष्टि और नेतृत्व आवश्यक है। इस विभाग का नेतृत्व एक अत्यधिक अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन दल द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और बिजनेस स्कूलों के पेशेवर शामिल हैं। उन्हें प्रेरित और कुशल सिविल इंजीनियरों के एक बड़े समूह का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से स्नातक किया है। 31 मार्च, 2025 तक, विभाग में 616 सिविल इंजीनियर हैं, जो कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग 52% है।

इरकॉन समय पर और लागत-प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं के निष्पादन में नवीनतम तकनीक को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने उच्च योग्य और अनुभवी कार्यबल के साथ, कंपनी ने निर्माण उद्योग में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। रेलवे, राजमार्ग, पुल, फ्लाईओवर, हवाई अड्डे, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवन, सुरंग, जल उपचार संयंत्र, आवासीय क्वार्टर, बहुक्रियाशील परिसर (एमएफसी) आदि सहित विभिन्न निर्माण क्षेत्रों में विकास और विस्तार का इसका एक प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड है। इरकॉन के सिविल इंजीनियर भारत और विदेश दोनों में, दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने में कुशल हैं, और प्राइमेरा, टीआईएलओएस और एमएस प्रोजेक्ट जैसे उन्नत परियोजना प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करते हैं। उन्हें नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों में भी प्रशिक्षित किया जाता है, जिनमें जीपीएस सर्वेक्षण, ड्रोन के साथ एरियल लिडार सर्वेक्षण और टोटल स्टेशन सर्वेक्षण शामिल हैं।

विभाग ने कई बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें इराक में समावा हाई स्पीड रेलवे लाइन परियोजना, बांग्लादेश में पहुंच रेल लाइनों के साथ दूसरे भैरब रेलवे ब्रिज का निर्माण, मलेशिया में सेरेम्बन और गेमास के बीच डबल ट्रैक परियोजना, श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में रेलवे लाइनों का उन्नयन, जम्मू-कश्मीर में काजीगुंड-बारामूला नई बीजी रेलवे लाइन का पूरा होना और जम्मू-कश्मीर में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग, 11.2 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल सुरंग का पूरा होना, पटना में सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल (चालू होने के समय भारत में) शामिल है। इरकॉन जम्मू-कश्मीर राज्य के घाटी क्षेत्र में रेल नेटवर्क को जोड़ने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का

उपक्रम (पीएसयू) है। इरकॉन ने 31 मार्च, 2024 को खुलना-मोंगला (65 किलोमीटर) रूट और ट्रैक लंबाई (91 किलोमीटर) से एक नई लाइन का काम भी शुरू किया है और बिना किसी दुर्घटना या असामान्यता के डीएलपी के तहत अप्रैल 2024 से मार्च 25 तक एक वर्ष के लिए इस खंड में 92 ट्रैक किलोमीटर का निवारक रखरखाव भी किया है। यह भारत सरकार द्वारा एलओसी फंड से बांग्लादेश में किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा शुरू किया गया अपनी तरह का पहला था। सीटीपी के तहत डीएफसीसीआईएल के लिए 186 किलोमीटर रूट डबल लाइन का ट्रैक लिफ्टिंग— वर्ष 2023-24 के दौरान 12 परियोजनाएं भी पूरी हो चुकी हैं और परियोजना को वर्ष 2023-24 के दौरान उधमपुर— श्रीनगर-बनिहाल सेक्शन में 38.262 किलोमीटर नई बीजी लाइन के यातायात संचालन के लिए चालू किया गया है। इरकॉन ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई इमारत का निर्माण करके हावड़ा में भीड़भाड़ कम करने के लिए संतरागाछी स्टेशन को भी सफलतापूर्वक चालू किया।

विभाग ने एनएटीएम जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके हिमालय में सुरंग निर्माण में विशेषज्ञता हासिल की है। 200 से ज्यादा प्रशिक्षित सुरंग इंजीनियरों के होने और हिमालय के चुनौतीपूर्ण भू-भाग में 100 किलोमीटर से ज्यादा सुरंग खनन सफलतापूर्वक पूरा करने पर हमें गर्व है। एक और महत्वपूर्ण सुरंग, यूएसबीआरएल परियोजना पर 12.75 किलोमीटर लंबी सुरंग, पूरी हो चुकी है, जो देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है।

सिक्किम को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए एक अन्य प्रतिष्ठित सुरंग परियोजना में, बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूविज्ञान में, एनएटीएम द्वारा 35 किलोमीटर की सुरंग बनाने का कार्य पूरा किया गया है।

अनुभवी सिविल इंजीनियरों के अपने व्यापक पूल और निचले हिमालय के चुनौतीपूर्ण भूविज्ञान (जैसे कि जम्मू और कश्मीर राज्य में यूएसबीआरएल और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सिवोक रंगपो) के माध्यम से सुरंग बनाने में अपनी उपलब्धियों के साथ, इरकॉन भारत में सुरंग निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में उभरा है।

2. डिजाइन और विकास अनुभाग

इरकॉन का डिजाइन एवं विकास प्रकोष्ठ (डी.डी. प्रकोष्ठ) आंतरिक सिविल डिजाइन विकसित करने और प्रासंगिक सीओडीएल प्रावधानों के अनुसार सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत डिजाइनों की समीक्षा करने, डिजाइन के मूल्य अभियांत्रिकी/अनुकूलन, विभिन्न बड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बोली के लिए मात्रा का आकलन करने और इरकॉन की अधिकांश परियोजनाओं के लिए अन्य सिविल इंजीनियरिंग समाधानों के लिए समर्पित है। कुशल सीएडी इंजीनियरों की सहायता से डिजाइन और संबंधित चित्र विकसित करने के लिए बेंटले पावर रेल ट्रैकओपन रेलओपन रोड्स (ट्रैक/रोड अलाइनमेंट डिजाइन के लिए), एसटीएएडी प्रो और एमआईडीएएस (स्ट्रक्चरल

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

डिजाइन और ब्रिज डिजाइन के लिए), आईआईटीपीएवीई और केजीपीबीएसीके (रोड पेवमेंट और ओवरले डिजाइन), एसएलआईडीई, एमआईडीएएस जीटीएस एनएक्स, आरएस2 आदि (जीटी विश्लेषण और समाधानों के लिए) जैसे परिष्कृत डिजाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है।

इन-हाउस डिजाइन टीम को संरक्षण डिजाइन, पुल डिजाइन, आरसीसी/स्टील संरचना डिजाइन, भवन डिजाइन, राजमार्ग फुटपाथ डिजाइन, भू-तकनीकी समाधान और जल विज्ञान अध्ययन आदि में व्यापक अनुभव है। इन-हाउस डिजाइन टीम में अनुभवी सिविल इंजीनियरों का एक विशेष समूह है, जो भारत के शीर्ष रैंकिंग इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे आईआईटी, एनआईटी और अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों से स्नातक हैं।

डी.डी.सेल के माध्यम से, इरकॉन निम्नलिखित कोड/मानक समितियों का सदस्य है और ज्ञान साझा करता है तथा कोड विकसित/संशोधित करने में योगदान देता है:

- आईएस कोडल समिति सीईडी54: कंक्रीट सुदृढीकरण अनुभागीय समिति: प्री-स्ट्रेसिंग स्टील सहित कंक्रीट के लिए सुदृढीकरण के क्षेत्र में मानकीकरण।
- ब्रिज गार्डरों का मानकीकरण: लंबी अवधि के स्टील आधारित सड़क पुलों का डिजाइन तैयार करना, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित।

इरकॉन डिजाइन टीम विभिन्न घरेलू परियोजनाओं के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के डिजाइन को अंतिम रूप देने में व्यापक रूप से शामिल रही है। सीईआरएल-2 उरगा-धरमजयगढ़ खंड, मोकामा वायाडक्ट परियोजना, एमसीआरएल परियोजना, शालीमार और संतरागाछी परियोजना में आरओबी, शिवपुर-कठौतिया रेल लाइन परियोजना (जेसीआरएल), अगरतला-अखौरा (भारत भाग) वायाडक्ट परियोजना, सीईडब्ल्यूआरएल गोवरा-पेंड्रा खंड, सिवोक रंगपो रेलवे लाइन परियोजना, श्रीलंका में माहो-ओमानथाई रेलवे लाइन परियोजना, गुडगांव-रेवाड़ी राजमार्ग परियोजना, डीएफसीसीआईएल सीटीपी-12, सीईआरएल धरमजयगढ़-खरसिया खंड जिसमें स्पर लाइन और फीडर लाइन आदि शामिल हैं। पहले की गई कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएं जिनमें डीडी सेल डिजाइन समाधान प्रदान करने में शामिल रही है, वे हैंरू बिहार में दीघा घाट पर गंगा नदी पर 2-स्तरीय सड़क सह रेलवे पुल, श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में रेलवे लिंक, जयनगर के रेलवे पुल-बर्दीबास रेलवे परियोजना (भारत और नेपाल), मलेशिया में सेरेम्बन-गोमास विद्युतीकृत डबल ट्रैक रेलवे परियोजना (एसजीईडीटी), मोजाम्बिक में बीरा रेल परियोजना जिसमें शक्तिशाली जम्बेजी नदी पर डोना एना ब्रिज शामिल है।

टीम परियोजनाओं के लिए बोली लगाने हेतु मात्रा आकलन में शामिल है, जैसे बिक्रमशिला-कटारिया खंड के बीच गंगा नदी पर

महत्वपूर्ण पुल, कोट्टावलसा-कोरापुट सुरंग परियोजना और आइजोल बाईपास सुरंग परियोजना – जिन्हें कंपनी ने हाल ही में बोली के माध्यम से हासिल किया है।

टीम विभिन्न अन्य प्रमुख रेल / सड़क परियोजनाओं जैसे बूंदी हवाई अड्डा परियोजना, भारतीय रेलवे ईपीसी परियोजनाएं, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में एनएच के 4-लेनिंग, लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी सुधमहादेव – द्रंगा सुरंग और चेनानी – सुधमहादेव – गोहा सड़क भाग पर इसकी पहुंच सड़कें, लगभग वैलू सुरंग की बोली लगाने (मात्रा अनुमान) में भी शामिल रही है। लंबाई सिंथन दर्रे के नीचे 10.00 किमी और गोहा-खेलानी-खानाबल सड़क भाग पर इसके पहुंच मार्ग, एचआरआईडीसी सी-4, सी23 परियोजना, हाई-स्पीड रेल परियोजना सी4, सी5, सी6 और सी7 पैकेज, गुडगांव-रेवाड़ी राजमार्ग परियोजना, डीएफसीसीआईएल सीटीपी 1, 2, 3, 3ए, 11, 12 पैकेज, वडोदरा-किम एक्सप्रेसवे पैकेज-II, कर्नाटक में देवनगिरी-हावेरी, शिवपुरी-गुना राजमार्ग परियोजना, यूएई में एतिहाद रेल, बांग्लादेश, मालदीव, ईरान, इथियोपिया, ओमान आदि में विभिन्न परियोजनाएं। हाल ही में क्षमता निर्माण को और बढ़ाने के लिए सुरंग डिजाइन के लिए एक नया वर्टिकल स्थापित किया गया है।

3. विद्युत विभाग

रेलवे क्षेत्र में अग्रणी तुर्की परियोजना निष्पादन कंपनी के रूप में, विद्युत विभाग ने विद्युत परियोजनाओं के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान किया है। विद्युत विभाग 25 केवी रेलवे विद्युतीकरण कार्यों, 400 केवी तक वोल्टेज श्रेणियों के एचटी ग्रिड और ट्रेक्शन सब-स्टेशन, अतिरिक्त उच्च दाब पारेषण लाइनों, अतिरिक्त उच्च दाब (ईएचवी) केबलिंग कार्यों, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र/बड़े औद्योगिक संयंत्रों/लोको शेडों के औद्योगिक विद्युतीकरण, शहरों/मेट्रो रेलवे (एसी और डीसी सिस्टम)/हवाई अड्डों के लिए विद्युत आपूर्ति वितरण नेटवर्क, सुरंग विद्युत आपूर्ति, वेंटिलेशन और विद्युतीकरण सहित मेट्रो रेलवे के लिए विद्युत आपूर्ति सब-स्टेशनों में विशेषज्ञता प्रदान करता है।

इरकॉन ने 1980 में दिल्ली-रिंग-रेलवे की अपनी पहली प्रमुख रेलवे विद्युतीकरण परियोजना शुरू की और 1982 में आयोजित एशियाई खेलों के दौरान यात्रियों को पर्यावरण-अनुकूल विद्युत कर्षण सेवाएं प्रदान कीं। इसके बाद, 4 दशकों की अपनी यात्रा में, कंपनी ने भारत और विदेशों में 11,395 टीकेएम से अधिक रेलवे विद्युतीकरण कार्यों को निष्पादित किया है और खुद को बाजार में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है।

इरकॉन ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय में भी प्रवेश किया है और एमएनआरई की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना के तहत 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को नवीनतम तकनीक वाले सौर मॉड्यूल, अत्याधुनिक ट्रैकर तकनीक और जलरहित रोबोटिक सफाई प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित कर रहा है,

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

जिसे देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सौर परियोजना में सौर संयंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है। दक्षिण पश्चिम रेलवे को बिजली की बिक्री के लिए 500 मेगावाट में से 225 मेगावाट की संचयी आंशिक क्षमता पहले ही दक्षिणी ग्रिड से जुड़ चुकी है। शेष क्षमता को सितंबर 2025 तक जोड़ने का लक्ष्य है। 500 मेगावाट के पूर्ण रूप से चालू होने पर, लगभग 1076 मिलियन यूनिट सालाना आपूर्ति की जाएगी, जिससे रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

इरकॉन ने भारत और विदेशों में 400 केवी तक के कई एच.टी. सब-स्टेशनों के निर्माण कार्य भी किए हैं। डीएमआरसी के तीनों चरणों में अधिकांश सब-स्टेशनों का निर्माण इरकॉन द्वारा किया जाता है। इरकॉन ने 220 केवी तक के गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस) और ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं के निर्माण की क्षमता भी हासिल कर ली है।

इरकॉन के पास सुरंग वेंटिलेशन, सुरक्षा और इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों के निष्पादन का व्यापक अनुभव है। 65 किलोमीटर रेलवे सुरंगों (टी-43, टी-44, टी 49, टी-50/51, टी-52, टी-53, टी-54, टी-55 और टी-80) का इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्य भी पूरा हो चुका है। यूएसबीआरएल परियोजना के अंतर्गत बनिहाल से सावलकोट तक 13 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग भी शामिल है। यह नेटवर्क कश्मीर घाटी को सभी मौसमों में रेल कनेक्टिविटी प्रदान करता है। पूर्ण टर्नकी ईएंडएम कार्य में विद्युत कार्यों (पूर्ण एचटी और एलटी कार्य), सुरंग वेंटिलेशन सिस्टम (टीवीएस), अग्निशमन प्रणाली, परिचालन प्रबंधन और नियंत्रण प्रणाली (एससीएडीए) के लिए डिजाइन, योजना, परियोजना प्रबंधन, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव सुविधा शामिल है।

इसके अलावा, सिवोक-रंगपो के रेलवे सुरंग टी -1 से टी -14 में लगभग 38.6 किलोमीटर इलेक्ट्रो मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य इरकॉन के पास उच्च ऊंचाई (एमएसएल से 1650 मीटर ऊपर) पर रेलवे विद्युतीकरण कार्य को निष्पादित करने का अनुभव है, जिसे बारामूला से बनिहाल (जेएंडके) के बीच भारतीय रेलवे में पहली बार लागू किया गया था - लचीली ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम (एफओसीएस) के साथ सुरंग टी -80 सहित 200 टीकेएम। इरकॉन ने बनिहाल से धरम (जेएंडके) खंड में लगभग 38 किलोमीटर की कठोर ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम (आरओसीएस) कार्यों को भी निष्पादित किया है, जिसे भारतीय रेलवे में पहली बार लागू किया गया है।

इसके अलावा, सिक्किम राज्य को भारत से जोड़ने वाली सिवोक-रंगपो रेल परियोजना की रेलवे सुरंगों टी-1 से टी-14 तक लगभग 38.6 किलोमीटर विद्युत-यांत्रिक (ईएंडएम) कार्य भी निष्पादन चरण में हैं। सिक्किम राज्य को भारत से जोड़ने वाली रेलवे सुरंगों टी-1 से टी-14 तक कठोर ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम (आरओसीएस) कार्य भी निष्पादन चरण में हैं।

इरकॉन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के लिए दिल्ली-मेरठ खंड (82 किमी) में भारत के पहले सेमी-हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के ट्रेक्शन और पावर सप्लाई कार्यों का भी क्रियान्वयन कर रहा है। इस कार्य में 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ अतिरिक्त उच्च वोल्टेज 220 केवी पावर केबलिंग, 05 रिसीविंग सब-स्टेशन (आरएसएस), 09 सहायक सब-स्टेशन (एसएसएस) और ओवरहेड उपकरण (ओएचई) शामिल हैं। सराय काले खां से मोदीपुरम तक का खंड, जिसमें दुहाई डिपो भी शामिल है, पहले ही चालू हो चुका है। चरण-1 (साहिबाबाद से दुहाई) और चरण-2 (दुहाई से मेरठ दक्षिण) का उद्घाटन पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और इसके बाद चरण-3ए (साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर) का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 05.01.2025 को किया गया।

रेल मंत्रालय (भारत सरकार) के प्रतिष्ठित श्मिशन 100% रेलवे विद्युतीकरण के लिए, इरकॉन विभिन्न रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं में 2700 आरकेएम से अधिक रेलवे विद्युतीकरण कार्य और 29 ट्रेक्शन सब-स्टेशन का निर्माण कार्य कर रहा है, जिनमें से 2670 आरकेएम से अधिक और 20 ट्रेक्शन सब-स्टेशन (टीएसएस) पहले ही चालू हो चुके हैं, साथ ही 135 किलोमीटर 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनें भी बिछाई जा चुकी हैं। हाल ही में, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने इरकॉन को दो ठेके दिए हैं, जिनमें लाइन-5 (13.025 किलोमीटर लंबी) और लाइन-6 (15.6 किलोमीटर लंबी) के लिए ट्रेक्शन एवं बिजली आपूर्ति प्रणाली, एससीएडीए और ईएंडएम कार्य शामिल हैं।

4. मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग

मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में अनुभवी विशेषज्ञों और युवा, गतिशील पेशेवरों का एक कुशल मिश्रण है। नई रोलिंग स्टॉक उत्पादन इकाइयों, कार्यशालाओं और डीजल शेडों के डिजाइन, स्थापना और कमीशनिंग में विशेषज्ञता के साथ, यह विभाग मौजूदा सुविधाओं के पुनर्निर्माण में भी कुशल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से उत्पादन और दक्षता में वृद्धि करना और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिणाम प्रदान करना है। यह टीम रोलिंग परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव में भी समान रूप से कुशल है।

हम एमएस प्रोजेक्ट, सिक्स सिग्मा और प्राइमावेरा जैसे उन्नत परियोजना प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करते हुए, वैश्विक भौतिक संसाधनों को प्रभावी ढंग से जुटाते हुए, त्वरित समयसीमा के तहत भी परियोजनाओं को लगातार समय पर पूरा करते हैं।

हमारी हालिया उपलब्धियों में से एक एनएचएसआरसीएल से प्रतिष्ठित एमएचएसआर-टी2 हाई स्पीड रेल परियोजना हासिल करना है। एनएचएसआरसीएल भारत सरकार की एक पहल है, जिसे जापानी

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

शिकानसेन विशेषज्ञों के तकनीकी मार्गदर्शन में क्रियान्वित किया गया है। जापानी सलाहकारों ने ट्रैक निर्माण के लिए जापानी इंजीनियरिंग पर आधारित जापान-निर्मित मशीनरी या उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य किया। मेक-इन-इंडिया पहल के तहत, इरकॉन की मैकेनिकल टीम ने जटिल तकनीकी और कार्यात्मक डिजाइन आवश्यकताओं पर भारतीय निर्माताओं का मार्गदर्शन करके इन महत्वपूर्ण मशीनों को घरेलू स्तर पर विकसित किया। परिणामस्वरूप, हमने न केवल जापानी डिजाइन मानकों का पालन किया, बल्कि स्थानीय स्तर पर निर्माण करके लागत में भी उल्लेखनीय कमी की। विकसित की गई कुछ मशीनों में ट्रैक स्लैब कार, रेल फीडर-कम-ड्रॉअर कार, ट्रैक मोटर कार, कंस्ट्रक्शन मोटर कार, ट्रॉलियां/वेगन और प्लैश बट वेल्डिंग मशीनें शामिल हैं। ये सभी कड़े जापानी विनिर्देशों को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं।

विभाग ने लक्ष्य से भी अधिक रिकॉर्ड समय में रायबरेली में अत्याधुनिक स्टेनलेस स्टील कोच निर्माण इकाइयाँ स्थापित की हैं। इसने डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों इंजनों के लिए डीजल शेडों का उन्नयन भी किया है।

रायबरेली उत्पादन सुविधा एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। यह एक पूर्णतः एकीकृत संयंत्र है जो रोलड स्टील शीट जैसे कच्चे माल को तैयार कोचों में बदलने में सक्षम है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में एक कोच/शेल फैब्रिकेशन लाइन, रोबोटिक वेल्डिंग-सक्षम बोगी शॉप, फिनिशिंग शॉप, व्हील शॉप, अत्याधुनिक पेंट शॉप, और स्वचालित सामग्री भंडारण और पुनर्प्राप्ति जैसी उच्च-तकनीकी प्रणालियाँ, एक पावर सबस्टेशन और 3 मेगावाट का सोलर पार्क शामिल हैं। यह परिसर आत्मनिर्भर है, जिसमें कर्मचारियों और प्रबंधन के लिए एक आवासीय कॉलोनी, 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल, एक क्रिकेट स्टेडियम, एथलेटिक ट्रैक, FIH-प्रमाणित हॉकी स्टेडियम और एक 18-होल गोल्फ कोर्स है।

यह विभाग इंजनों, मालगाड़ियों, यात्री डिब्बों और ट्रैक मशीनों के निर्यात, पट्टे और रखरखाव में भी उत्कृष्टता रखता है। यह रोलिंग स्टॉक परिसंपत्ति प्रबंधन के सभी पहलुओं में बुनियादी ढाँचे के विकास और परिसंपत्ति रखरखाव से लेकर व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्रचना तक पूरी विशेषज्ञता प्रदान करता है। ये क्षमताएँ भारत भर में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारों, बहुपक्षीय एजेंसियों और संगठनों के लिए सफल कार्यान्वयन में सिद्ध हुई हैं।

अतिरिक्त उल्लेखनीय परियोजनाओं में शामिल हैं:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के विभिन्न तकनीकी केंद्रों के लिए संयंत्र और मशीनरी की खरीद
- बोंडामुंडा एक्सचेंज यार्ड (एसईआर) में पृथक्करण-मुक्त रेल परीक्षण सुविधा
- रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला में व्हील शॉप की स्थापना

- विशाखापत्तनम में डीजल लोको शेड का विस्तार
- रॉयल रेलवे, कंबोडिया को 10 YDM4 (मीटर गेज) इंजनों की आपूर्ति
- श्रीलंकाई रेलवे को को-को बोगियों के साथ 6 2300 एचपी एसी/डीसी (ब्रॉड गेज) इंजनों की आपूर्ति
- केटीएमबी, मलेशिया के लिए डीजल इंजनों का पट्टे पर देना और रखरखाव, दो दशकों में 85% से अधिक परिसंपत्ति उपलब्धता प्राप्त करना – रोलिंग स्टॉक रखरखाव में इरकॉन की उत्कृष्टता का प्रमाण

5. सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग

1976 में अपनी स्थापना के बाद से, इरकॉन भारत और विदेशों में रेलवे के लिए टर्नकी सिग्नल और दूरसंचार (एस एंड टी) समाधान प्रदान कर रहा है। इरकॉन को विभिन्न देशों में सिग्नलिंग और दूरसंचार (एस एंड टी) परियोजनाओं को उनके स्थानीय कोड, मैनुअल और मानकों के अनुसार, इन-हाउस डिजाइन, निर्माण और परियोजना प्रबंधन क्षमताओं के साथ, सहमत समयसीमा पर निष्पादित करने का अनूठा गौरव प्राप्त है।

इरकॉन कई अत्याधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, जिनमें रिले इंटरलॉकिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई), स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी), केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण (सीटीसी) प्रणाली, एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली, सुरंग संचार प्रणाली शामिल हैं।

वर्ष 2024-25 में, इरकॉन ने नई लाइन, दोहरीकरण, ईआई के साथ मैकेनिकल सिग को बदलने, यार्ड परिवर्तनध्साइडिंग, आरई संशोधन के हिस्से के रूप में भारतीय रेलवे के 81 स्टेशनों पर सिग्नलिंग कार्य शुरू किया।

वर्ष 2024-25 में, इरकॉन ने यूएसबीआरएल परियोजना के हिस्से के रूप में जम्मू और कश्मीर में एकीकृत सुरंग संचार प्रणाली शुरू की, जिसमें 104 सुरंग किमी (60 किमी मुख्य सुरंग और 44 किमी एस्केप सुरंग) शामिल है, जिसमें 537 किमी 24 एफ / 48 एफ ओएफसी के साथ 1860 नेटवर्क स्विच और 4652 आईपी सक्षम डिवाइस जुड़ेगे। इस प्रणाली में 47 ऑप्टिकल मास्टर इकाइयाँ, 156 ऑप्टिकल रिमोट इकाइयों के साथ 208 किमी लीकी कोएक्सियल केबल पर वीएचएफ सुरंग संचार नेटवर्क भी शामिल है।

वर्ष 2024-25 में, छह प्रमुख चालू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं सभी दृष्टि से पूरी हो गईं, अर्थात:

- क) मुरादाबाद मंडल के 20 स्टेशनों पर ईआई के साथ मैकेनिकल इंटरलॉकिंग का प्रतिस्थापन
- ख) कटनी-सिंगरौली खंड की दोहरीकरण परियोजनाओं के हिस्से के रूप में 22 स्टेशनों और 6 आईबी पर नए ईआई कार्य

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

- ग) किउल-गया खंड पर दोहरीकरण परियोजना के हिस्से के रूप में 12 स्टेशनों और 2 आईबी पर नए ईआई कार्य
- घ) एमसीआरएल की कोयला लाइन परियोजना पर नया ईआई कार्य
- ड.) यूएसबीआरएल परियोजना में एस एंड टी कार्य
- च) एनएफआर के 3 डिवीजन में 25 केवी सी-फिट के लिए एसएंडटी कार्य

2024-25 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नया व्यवसाय विकास वर्टिकल स्थापित किया गया है, जिससे इरकॉन द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यों के लिए खुली ई-निविदा भागीदारी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नई प्रौद्योगिकी वर्टिकल में परियोजनाएं जीतने में सक्षम बनाया गया है, जैसे स्टेशन कवच कार्य, कवच के लिए दूरसंचार टावर, ऑटो सिग्नलिंग के साथ ईआई, सिग गियर का पूर्वानुमानित रखरखाव, एकीकृत सुरंग संचार।

इस प्रकार, इरकॉन एसएंडटी एसएंडटी कार्यों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है।

6. व्यवसाय विकास विभाग

इरकॉन के व्यवसाय विकास विभाग के पास ऑर्डर बुक बढ़ाने, बोली रणनीतियों को विकसित करने और उनका मूल्यांकन करने के साथ-साथ भारत के साथ-साथ विदेशी भौगोलिक क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते प्रतिस्पर्धी माहौल में कंपनी के भविष्य के व्यवसाय को उत्पन्न करने और पोषित करने के लिए नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने के लिए एक समर्पित टीम है।

इरकॉन का व्यवसाय विकास विभाग प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में, खासकर नामांकन-आधारित पुरस्कारों से दूर जाने के दौर में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निजी बुनियादी ढांचा फर्मों के साथ निविदाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सटीक बोली रणनीतियों और उद्योग की गहरी समझ की आवश्यकता होती है।

इरकॉन के व्यवसाय विकास विभाग ने रेलवे, राजमार्ग, सुरंग, मेट्रो, सौर ऊर्जा, विद्युत एवं यांत्रिकी, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार, भवन आदि जैसे विविध अवसररचना क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी बोली और नामांकन-आधारित पुरस्कारों के माध्यम से परियोजनाएँ हासिल करके निश्चित रूप से एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड स्थापित किया है। रेलवे बोर्ड ने अपनी नीति में बदलाव किया है और नामांकन के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों को कार्य देने की व्यवस्था बंद कर दी है। तदनुसार, इरकॉन अपने व्यवसाय विकास विभाग के माध्यम से अब भारत और विदेश में विभिन्न ग्राहकों द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेकर और प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कार्य हासिल करके इस क्षेत्र की निजी कंपनियों सहित अवसररचना कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। नीति में बदलाव के साथ, नामांकन-आधारित पुरस्कारों को समाप्त करते हुए, विभाग इस गति को बनाए रखने के लिए अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत कर रहा है।

वर्ष 2024-25 में, इरकॉन के व्यवसाय विकास विभाग ने निम्नलिखित 15 (पंद्रह) परियोजनाएँ हासिल की हैं:

- कोट्टावलसा-कोरापुट दोहरीकरण परियोजना: पूर्वी तट रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन की कोट्टावलसा कोरापुट दोहरीकरण परियोजना के संबंध में शिवलिंगपुरम स्टेशन से बोरिंगुहालु स्टेशन तक किमी 45.483 से किमी 72.550 तक निर्माण, कंबलिंग, छोटे पुल, नालियां, बैरिकेडिंग, सुरक्षा कार्य, खुले/भूमिगत उत्खनन सहित प्रमुख पुलों का निर्माण, रॉक बोल्ट और अन्य स्टील सपोर्ट, शॉटक्रीट, कंक्रीट कार्य, जल निकासी कार्य, गिट्टी रहित ट्रैक कार्यों का निष्पादन और आपूर्ति, निर्माण, ईएंडएम कार्यों के चालू करने के लिए परीक्षण आदि में मिट्टी संबंधी कार्य - ₹611.02 करोड़
- कहलगांव एसटीपीपी के लिए हुर्रा-सी खदानों को मौजूदा एमजीआर से जोड़ने के लिए एमजीआर के निर्माण हेतु पीएमसी अनुबंध - ₹6.35 करोड़
- दुलंगा साइडिंग के चालू होने के लिए एफआर, डीपीआर, ईएसपी, ओएचई कार्य, भूमि की आवश्यकता आदि तैयार करने के लिए परामर्श कार्य - ₹2.16 करोड़
- भारत के उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश और कर्णप्रयाग (125 किमी) के बीच नई बीजी लाइन के संबंध में चैनएज 6+015 (एफएलएस) से 125+200 (एफएलएस) के बीच ब्रॉड गेज बैलस्टेलेस ट्रैक (बीएलटी) का डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, बैलस्ट की आपूर्ति और बैलस्टेड ट्रैक की स्थापना (रेल और बैलस्टेड ट्रैक स्लीपरों की आपूर्ति को छोड़कर) - ₹450.49 करोड़
- परियोजना के संबंध में बैलेस्टिंग, रेग्युलेटिंग और टैपिंग कार्य: पेनियापन बकी केर्जा - ट्रांसफॉर्मसी केटीएमबी - इन्फ्रास्ट्रक्चर लैंडसन (1. प्रस्तावित पुनर्वास, रेलवे ट्रैक का उन्नयन और केपास बडू से पसिर गुडांग रेल स्टेशन, यार्ड और जोहोर पोर्ट लाइन, जोहोर तक संबंधित कार्य) - ₹19.46 करोड़
- एनएच-10 के किमी-8, किमी-33.650 और किमी-34.750 पर तीस्ता नदी में कटाव/बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़क/ढलान का जीर्णोद्धार कार्य - ₹11.22 करोड़
- कहलगांव एसटीपीपी के लिए एसएंडटी कार्यों और कहलगांव के मौजूदा एमजीआर सिस्टम के साथ इसकी कनेक्टिविटी सहित लालमटिया साइलो-3 ट्रैक के निर्माण के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और पीएमसी (परियोजना प्रबंधन निर्माण) अनुबंध - ₹2.76 करोड़
- जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जयपुर के संचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में रियायत समझौते की निगरानी के लिए स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति - ₹7.20 करोड़
- इम्फाल पूर्व प्रभाग (ईडी-2) के अंतर्गत चयनित सड़कों पर कठोर फुटपाथ और लाइनयुक्त नालियों का निर्माण-पैकेज 3: सड़क की कुल लंबाई-122.209 किमी- ₹164.11 करोड़

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

- राजमार्ग दक्षिण डिबीजन पैकेज 4 के तहत चयनित सड़कों के कठोर फुटपाथ और लाइन वाली नाली का निर्माण: कुल सड़क लंबाई 111.182 किमी— ₹138.29 करोड़।
- मध्य रेलवे पर कवच और अन्य संबंधित कार्यों के लिए टावरों का सर्वेक्षण, डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग — ₹194.46 करोड़।
- पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तिनसुकिया डिबीजन के नव-स्थापित ओएचई और पीएसआई परिसंपत्तियों के 11 ओएचई डिपो के अंतर्गत टीआरडी रखरखाव और ब्रेकडाउन ध्यान और संबंधित कार्यों की आउटसोर्सिंग — ₹39 करोड़।
- पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तिनसुकिया डिबीजन के नव-स्थापित ओएचई और पीएसआई परिसंपत्तियों के 11 ओएचई डिपो के अंतर्गत टीआरडी रखरखाव और ब्रेकडाउन ध्यान और संबंधित कार्यों की आउटसोर्सिंग — ₹39 करोड़।
- मेघालय के न्यू शिलांग शहर में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) आधार पर परिसर के बुनियादी ढांचे सहित नए सचिवालय परिसर का निर्माण — ₹285 करोड़।
- मध्य प्रदेश राज्य, भारत में क्रमशः पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल और भोपाल मंडल तथा पश्चिम मध्य रेलवे के मांगलियागांव (इंदौर) से बुदनी स्टेशनों (198 किमी) के बीच विद्युतीकृत नई बीजी रेलवे लाइन के निर्माण के संबंध में चनेज किमी 33+160 से किमी 34+400 तक सुरंग टी1 और चनेज किमी 57+400 से किमी 66+040 तक सुरंग 2 का निर्माण, गिट्टी रहित ट्रैक के साथ और ऐसी सुरंगों के पहुंच मार्गों पर निर्माण से संबंधित कार्य — ₹610.88 करोड़।

प्रतिस्पर्धी बने रहने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विविधीकरण महत्वपूर्ण है। विभाग रणनीतिक समझौता ज्ञापनों और गठबंधनों के निर्माण की प्रक्रिया में भी लगा हुआ है, जिससे कंपनी को मजबूत विकास क्षमता वाले नए बाजारों और उद्योगों में प्रवेश करने में मदद मिलेगी।

विभाग अल्जीरिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, युगांडा, अल्बानिया, आर्मेनिया, मोजाम्बिक, मध्य पूर्व देशों, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों आदि जैसे देशों में संभावित बुनियादी ढांचे के अवसरों की आक्रामक रूप से तलाश कर रहा है, जो आईआरसीओएन के भविष्य के विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

7. संपदा प्रबंधन विभाग

पिछले कुछ वर्षों में, बुनियादी ढांचे के संपूर्ण स्पेक्ट्रम में विविधीकरण से कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति भी एक निर्माण कंपनी से बदलकर एक परियोजना विकास और संचालन कंपनी बन गई है, जिसमें अन्य गतिविधियों के अलावा रियल एस्टेट और वाणिज्यिक संचालन भी शामिल हैं।

रियल एस्टेट व्यवसाय में मध्यम और दीर्घकालिक वृद्धि के उद्देश्य से, जैसे कि भूखंडों का विकास, भवनों का निर्माण, अचल संपत्तियों को पट्टे पर देना और/या बेचना, और संपत्ति से संबंधित अन्य मामले जैसे कर और कानूनी मामले, इरकॉन ने संपदा प्रबंधन विभाग की स्थापना की है। यह विभाग पेशेवर रूप से प्रबंधित है और इरकॉन की मौजूदा अचल संपत्ति का प्रबंधन करने और संपत्ति कर मामलों सहित अचल संपत्ति विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गठित किया गया है।

रियल एस्टेट परियोजनाओं में, इरकॉन ने भारत में कई वाणिज्यिक भवन, संस्थागत भवन, रेलवे स्टेशन और टाउनशिप आदि का निर्माण किया है जैसे कि नवी मुंबई में सिडको के लिए बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसर, भोपाल में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल, आइजोल में पशु चिकित्सा विज्ञान पशुपालन कॉलेज परिसर, रक्षा मंत्रालय के लिए झांसी, भोपाल और इलाहाबाद में तीन प्रमुख आवासीय टाउनशिप, पूसा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सीआईएफई, मुंबई, वाशी रेलवे स्टेशन, मल्टी-फंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी), कपूरथला के साथ-साथ रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री आदि से जुड़ी परियोजनाएं। इरकॉन ने अपना स्वयं का कॉर्पोरेट कार्यालय विकसित किया है जो एक आधुनिक और स्मार्ट कार्यालय है जिसमें ग्रीन बिल्डिंग के सभी तत्व शामिल हैं।

रियल एस्टेट क्षेत्र में विकास की उम्मीद करते हुए, इरकॉन ने वाणिज्यिक विकास के लिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलूर, नोएडा और गुरुग्राम आदि जैसे महानगरीय शहरों में रियल एस्टेट संपत्तियों और परिसंपत्तियों का एक बड़ा पोर्टफोलियो जमा किया है। कंपनी ने नोएडा में 90 साल के लिए लीजहोल्ड के आधार पर विभिन्न सेक्टरों में 8 प्लॉट हासिल किए और सेक्टर 1 में ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 43 में रिटेल मॉल और सेक्टर 48 में कमर्शियल कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स विकसित किया। कंपनी ने सेक्टर 32, गुरुग्राम, हरियाणा में भी एक संपत्ति विकसित की है और यह संपत्ति भारत में ट्रेडमार्क प्राधिकरणों के साथ इरकॉन इंटरनेशनल टॉवर के रूप में पंजीकृत है। ऑफिस स्पेस के अलावा, इरकॉन इंटरनेशनल टॉवर, सेक्टर -32, गुरुग्राम में अत्याधुनिक 250 सीटों वाला ऑडिटोरियम और नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र स्थित है।

वित्तीय प्रदर्शन (स्टैंडअलोन)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी की कुल आय पिछले वित्त वर्ष के ₹12,387.85 करोड़ की तुलना में ₹10,677.45 करोड़ रही। परिचालन कारोबार ₹10,193.14 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹11,950.40 करोड़) रहा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं से ₹339.10 करोड़ शामिल हैं।

कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर-पश्चात लाभ (पीएटी) क्रमशः ₹917.81

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹1,155.54 करोड़) और ₹737.59 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹862.90 करोड़) रहे, जो चालू परियोजनाओं में कम टर्नओवर और प्रावधान के प्रभाव को दर्शाते हैं।

आगामी वार्षिक आम बैठक में अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त, शेयरधारकों द्वारा विचारार्थ और घोषणा के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए घोषित और भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश और प्रस्तावित अंतिम लाभांश का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में “वित्तीय मुख्य अंश” के अंतर्गत दिया गया है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण परिवर्तनों (अर्थात्, प्रमुख वित्तीय

अनुपातों में वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 25% या उससे अधिक का परिवर्तन) का विवरण और उनका विस्तृत विवरण वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण (अर्थात् प्रमुख वित्तीय अनुपातों में वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 25% या उससे अधिक का परिवर्तन) विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	अनुपात का नाम	सूत्र	यूनिट	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	% बदलाव	25 प्रतिशत से अधिक बदलाव के कारण
1.	देनदारों का कारोबार अनुपात	शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत व्यापार प्राप्य	समय में	7.85	13.17	-40.39%	पिछले वर्ष की तुलना में व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से ऑर्डर बुक में नामांकन आधारित परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धी बोली की ओर परिवर्तन के साथ-साथ ग्राहक भुगतान शर्तों में परिवर्तन के कारण हुई है।
2.	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की लागत / औसत इन्वेंटरी	समय में	141.12	172.25	-18.07%	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात में गिरावट मुख्य रूप से बिक्री में कमी के कारण है, जिसके परिणामस्वरूप बेची गई वस्तुओं की लागत में भी कमी आई है।
3.	वर्तमान अनुपात	चालू संपत्तियां चालू दायित्व	समय में	1.59	1.59	-	-
4.	ऋण इक्विटी अनुपात	परिचालन लाभ मार्जिन	प्रतिशत	0.00054	0.00056	-3.57%	इरकॉन एक ऋण मुक्त कंपनी है, तथापि, इसके ऋण अनुपात में मामूली उतार-चढ़ाव कम मूल्य की पट्टा देनदारियों के कारण है।
5.	परिचालन लाभ मार्जिन	(पीबीआईटी-अन्य आय) / कारोबार	प्रतिशत	4.33%	6.09%	-28.90%	पिछले वर्ष की तुलना में अधिक प्रावधानों की बुकिंग और प्रतिस्पर्धी बोली में समग्र मार्जिन में कमी।
6.	निवल लाभ सीमा	शुद्ध लाभ / कुल आय	प्रतिशत	6.91%	6.97%	-0.86%	-
7.	नेट वर्थ पर रिटर्न	शुद्ध लाभ / औसत निवल संपत्ति	प्रतिशत	12.28	15.76	-22.08%	चालू परियोजनाओं में विवेकपूर्ण प्रावधान के कारण टर्नओवर और पीएटी में कमी का प्रभाव तथा प्रतिस्पर्धी बोली में समग्र मार्जिन में कमी।
8.	ब्याज कवरेज अनुपात*	-	-	लागू नहीं	लागू नहीं	-	-

* ब्याज कवरेज अनुपात लागू नहीं है क्योंकि कंपनी पर कोई ऋण नहीं है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने वित्तीय विवरण (एकल और समेकित) तैयार करते समय लेखांकन मानकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, और वित्तीय जानकारी की रिपोर्टिंग में कोई विचलन नहीं किया गया है।

परिचालन प्रदर्शन

क्षेत्रीय प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इरकॉन द्वारा अर्जित राजस्व का लगभग 80.97% रेलवे क्षेत्र से आया। इरकॉन का मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र रेलवे है, हालांकि, कंपनी राजमार्ग व्यवसाय पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे लगभग 18.36% राजस्व प्राप्त होता है और शेष राजस्व विद्युत और भवन निर्माण कार्यों जैसे अन्य क्षेत्रों से आता है।

क्षेत्रवार प्रदर्शन:

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2025		वित्तीय वर्ष 2024		वित्तीय वर्ष 2023	
	परिचालन आय	%	परिचालन आय	%	परिचालन आय	%
रेलवे	8,252.97	80.97	10,018.45	83.83	9,313.47	93.87
राजमार्ग	1,871.31	18.36	1,888.57	15.80	583.23	5.88
अन्य	68.86	0.67	43.38	0.37	24.50	0.25
कुल	10,193.14	100	11,950.40	100	9,921.20	100

खंडवार प्रदर्शन:

(करोड़ रुपये में)

सेक्टर	वित्तीय वर्ष 2025		वित्तीय वर्ष 2024		वित्तीय वर्ष 2023	
	कुल परिचालन आय	%	कुल परिचालन आय	%	कुल परिचालन आय	%
विदेशी	339.10	3.33	574.82	4.81	411.84	4.15
घरेलू	9,854.04	96.67	11,375.58	95.19	9,509.36	95.85
कुल	10,193.14	100	11,950.40	100	9,921.20	100

ऑर्डर बुक स्थिति

रेल मंत्रालय ने पहले रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों को नामांकन के आधार पर कार्य सौंपने की अपनी नीति में बदलाव किया था, रेलवे के कार्य रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों के बीच बोली प्रक्रिया द्वारा दिए जा रहे थे। बाद में, अक्टूबर 2021 में, रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा की इस नीति को रद्द कर दिया और रेलवे के कार्यों के लिए खुली निविदा प्रक्रिया शुरू की गई।

31 मार्च, 2025 तक इरकॉन की ऑर्डर बुक ₹20,346.65 करोड़ (लगभग) थी, जिसमें रेलवे क्षेत्र में ₹15,434.82 करोड़ मूल्य के कार्य और राजमार्ग क्षेत्र में ₹4,541.38 करोड़ मूल्य के कार्य शामिल थे।

कुल ऑर्डर बुक में से, ₹11,709.49 करोड़ मूल्य का कार्य प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से और ₹8,637.16 करोड़ मूल्य का कार्य नामांकन आधार पर प्राप्त हुआ।

स्वोट अनालिसिस

संख्या:

1. मजबूत वित्तीय प्रदर्शन:

कंपनी ने कारोबार के साथ-साथ लाभ के मामले में भी अच्छा वित्तीय प्रदर्शन किया है, जो इसकी वित्तीय मजबूती को दर्शाता है।

2. शून्य ऋण कंपनी:

इरकॉन एकल आधार पर ऋण मुक्त है, जिससे सभी व्यावसायिक चक्रों में इसकी लचीलापन बढ़ गया है।

3. मजबूत नकदी स्थिति:

31 मार्च, 2025 तक, इरकॉन के पास ₹4,124 करोड़ की नकदी और बैंक बैलेंस है, जिसमें से लगभग 21% उसकी अपनी नकदी

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

है। नकदी और बैंक बैलेंस कंपनी की कुल संपत्ति का लगभग 28% है, जो बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में दुर्लभ है।

4. व्यापक अनुभव:

40 से ज्यादा वर्षों के अनुभव के साथ, इरकॉन के पास भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने की जटिल बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी की मुख्य योग्यता जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता में निहित है।

5. अनुभवी जनशक्ति

तकनीकी जनशक्ति अपने-अपने क्षेत्रों में उच्च कौशल और अनुभव प्रदर्शित करती है। कंपनी का शीर्ष और मध्यम प्रबंधन, रेल मंत्रालय की विशेषज्ञता और परियोजना निष्पादन में मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड वाले अनुभवी पेशेवरों का एक बेहतरीन मिश्रण प्रस्तुत करता है।

6. विविध व्यावसायिक खंड:

कंपनी रेलवे, राजमार्ग, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विविध क्षेत्रों में कार्यरत है। यह विविधीकरण उद्योग-विशिष्ट और व्यावसायिक चक्र जोखिमों को कम करता है। कंपनी भारत और भारत के बाहर, मूल्य श्रृंखला, अर्थात् ईपीसी और पीपीपी परियोजनाओं में भी अपनी साख रखती है।

7. स्थापित अंतराष्ट्रीय पदचिह्न:

इरकॉन के पास चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में जटिल परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। वर्तमान में, कंपनी भारत के 20 से अधिक राज्यों में कार्यरत है और अल्जीरिया, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है।

8. अवधारणा से कमीशनिंग तक (सी2सी):

कंपनी संपूर्ण समाधान प्रदान करती है और परियोजनाओं को अवधारणा से लेकर कार्यान्वयन तक प्रबंधित करती है। कंपनी अपने ग्राहकों के लिए परियोजना के प्रत्येक चरण को संभालते हुए, टर्नकी समाधान प्रदान करती है।

9. मजबूत तकनीकी और निष्पादन क्षमताएं:

चार दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, इरकॉन के पास बड़ी और जटिल ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) परियोजनाओं को निष्पादित करने में गहन तकनीकी विशेषज्ञता है, जो अक्सर कठिन इलाकों में होती हैं।

कमियाँ

1. सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने की अंतर्निहित बाधकता:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसे उन विशिष्ट दिशानिर्देशों का

पालन करना होगा जो निजी क्षेत्र की कंपनियों पर लागू नहीं होते। निजी क्षेत्र की कंपनियों को अधिक लचीलापन मिलता है और कम कठोर प्रक्रियाओं के कारण वे अधिक तेजी से निर्णय ले सकती हैं।

2. भौगोलिक उपस्थिति के कारण भू-राजनीतिक जोखिम का जोखिम:

इरकॉन पाँच विदेशी देशों में कार्यरत है, जिससे उसे उन देशों की भू-राजनीतिक परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त होता है। इसके अलावा, जिन देशों में वह कार्यरत है, उनके साथ उसके राजनयिक संबंधों का भी उसे अनुभव है।

3. मार्जिन दबाव:

सरकारी निविदाओं के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माहौल में, लाभ मार्जिन कम हो सकता है। कम कीमतों पर अनुबंध जीतने का दबाव समग्र लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है।

अवसर

1. बुनियादी ढांचे पर सरकार का व्यापक जोर:

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), गति शक्ति मास्टर प्लान और भारतमाला परियोजना जैसी पहलों के माध्यम से बुनियादी ढांचे पर भारत सरकार का ध्यान विकास के लिए एक विशाल अवसर प्रस्तुत करता है।

2. सतत ऊर्जा पर सरकार का ध्यान:

सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और कई योजनाएँ शुरू कर रही हैं। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट की स्थापित क्षमता हासिल करना है। इरकॉन ने अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से बढ़ते हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने कार्यों का विस्तार किया है। नवीकरणीय ऊर्जा पर सरकार का ध्यान इरकॉन के लिए पर्याप्त अवसर प्रस्तुत करता है।

3. नए विकास क्षेत्रों में विविधीकरण:

इरकॉन अपने मुख्य ईपीसी कौशल का लाभ उठाकर संबंधित उच्च-विकास क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना, मेट्रो रेल परियोजनाएं, टक्कर रोधी प्रणाली (क्वच) और जल प्रबंधन परियोजनाओं में आगे बढ़ सकता है।

4. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी):

बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पीपीपी मॉडल को अपनाने में वृद्धि से इरकॉन को निजी कंपनियों के साथ रणनीतिक संयुक्त उद्यम बनाने की सुविधा मिलती है, जिससे वह बड़ी और अधिक जटिल परियोजनाओं के लिए बोली लगाने हेतु अपनी सरकारी विश्वसनीयता को निजी क्षेत्र की दक्षता के साथ जोड़ सकता है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

खतरे:

1. तीव्र प्रतिस्पर्धा:

क्षेत्रीय छोटे खिलाड़ियों की उपस्थिति के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि से उद्योग में तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई है, जिससे कंपनी के कारोबार और मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है।

2. सरकारी नीतियों और व्यय में परिवर्तन:

सरकार बदलने या आर्थिक प्राथमिकताओं में बदलाव से कार्य आदेश और लाभप्रदता में मंदी आ सकती है। इससे पहले, कंपनी रेल मंत्रालय से नामांकन के आधार पर भी ऑर्डर हासिल करती थी। हालाँकि, सरकार ने अपनी नीति बदल दी है और अब इरकॉन को ऑर्डर हासिल करने के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ-साथ निजी कंपनियों से भी प्रतिस्पर्धा करनी होगी। कंपनी पिछले कई वर्षों से प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से परियोजनाएँ हासिल कर रही है।

3. विनियामक और पर्यावरणीय विलंब:

बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं, पर्यावरणीय मंजूरीयों और स्थानीय राजनीतिक विरोध के कारण देरी होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ये बाहरी कारक अक्सर कंपनी के नियंत्रण से बाहर होते हैं और परियोजना की समय-सीमा और बजट को पटरी से उतार सकते हैं। हालाँकि, लगभग 50 वर्षों के अनुभव के साथ, सरकार समर्थित इरकॉन के पास सफलता प्राप्त करने के लिए सिद्ध विशेषज्ञता है।

4. कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता:

स्टील, सीमेंट और ईंधन जैसी प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव, विशेष रूप से निश्चित मूल्य वाले अनुबंधों के लिए, परियोजना लागत को काफी प्रभावित कर सकता है, जिससे मार्जिन कम हो सकता है। हालाँकि, कंपनी मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए अनुबंध समझौतों में मूल्य वृद्धि की धाराएँ शामिल करके इस समस्या का सक्रिय रूप से समाधान करती है।

भविष्य का दृष्टिकोण

इरकॉन को रेलवे परियोजनाओं में सिद्ध विशेषज्ञता के साथ परिवहन अवसंरचना उद्योग में अग्रणी कंपनियों में से एक के रूप में लंबे समय से प्रतिष्ठा प्राप्त है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम विकास के नए इंजनों के माध्यम से उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी रणनीति को और मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परियोजनाओं के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि बेहतर ऑर्डर बुक और लाभ मार्जिन प्राप्त किया जा सके। हालाँकि, हम रेलवे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं, पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से हमारा

उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों या परियोजनाओं में जोखिमों से बचाव करना और कंपनी को विशिष्ट उद्योग क्षेत्रों और सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में व्यावसायिक संकेंद्रण के परिणामस्वरूप होने वाले बाजार परिवर्तनों से बचाना है।

हालाँकि, कंपनी को कड़ी प्रतिस्पर्धा और कम मार्जिन के कारण ऑर्डर हासिल करने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार:

इरकॉन ने रणनीतिक रूप से एक विविधीकृत बुनियादी ढाँचा कंपनी में तब्दील होने पर ध्यान केंद्रित किया है, और क्षेत्रीय और भौगोलिक दोनों स्तरों पर विस्तार किया है। रेलवे क्षेत्र में पारंपरिक रूप से मजबूत होने के बावजूद, कंपनी ने परिवहन इंजीनियरिंग, सिविल और औद्योगिक निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में भी अपनी विशेषज्ञता का विस्तार किया है।

वर्तमान में, इरकॉन भारत के 23 राज्यों और पाँच अंतरराष्ट्रीय देशों में सक्रिय रूप से परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, जो विविध क्षेत्रों और नियामक परिवेशों में कार्य करने की इसकी क्षमता को दर्शाता है। भारतीय बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में अपनी सुस्थापित उपस्थिति के साथ, इरकॉन पहले से अप्रयुक्त घरेलू क्षेत्रों में प्रवेश करने की योजना बना रहा है, जिससे उसकी बाजार उपस्थिति और मजबूत होगी।

इरकॉन की विकास रणनीति पोर्टफोलियो विविधीकरण पर केंद्रित है – एक जानबूझकर उठाया गया कदम: क्षेत्र-विशिष्ट जोखिमों से बचाव, भौगोलिक निर्भरता को कम करना, और भारत सरकार की पहलों जैसे पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) आदि के साथ संरेखित उभरते अवसरों का लाभ उठाना। मजबूत प्रदर्शन, इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और बढ़ते संस्थागत अनुभव की विरासत के आधार पर, इरकॉन को निरंतर और टिकाऊ विकास हासिल करने की उम्मीद है – जिसका लक्ष्य निर्माण और अवसंरचना उद्योग में अग्रणी खिलाड़ियों के बराबर या उनसे अधिक की विस्तार दर हासिल करना है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विविधीकरण: इरकॉन अपने व्यवसाय में विविधीकरण के लिए नए उभरते क्षेत्रों की खोज कर रहा है। अपनी विविधीकरण रणनीति के तहत, कंपनी ने जल विद्युत क्षेत्र में प्रवेश किया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर सरकार के जोर के साथ, इस क्षेत्र में अपार अवसर हैं और कंपनी को इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी उम्मीद है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र नियमित राजस्व सुनिश्चित करेगा और इसकी लाभप्रदता को भी मजबूत करेगा।

राजस्व सृजन के पीपीपी तरीके: इरकॉन अब केवल व्यक्तिगत परियोजनाओं के माध्यम से आय अर्जित करने से आगे बढ़कर अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवी) के माध्यम से नियमित रूप से राजस्व और लाभ अर्जित करने लगा है। मौजूदा परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के निरंतर संचालन के कारण,

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

इरकॉन की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों द्वारा निरंतर आधार पर राजस्व और लाभ अर्जित करने की संभावना है। कंपनी का लक्ष्य एक निर्माण कंपनी से आगे बढ़कर एक विविध कंपनी बनना है, जिसके पास बीओटी, डीबीएफओटी, एचएएम, ईपीसी और अन्य अनुबंधों के साथ-साथ सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से परियोजना विकास और संचालन का पोर्टफोलियो हो।

नई परियोजनाओं पर सक्रिय फोकस: इरकॉन की व्यावसायिक वृद्धि मुख्य रूप से बोली गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित है, जो इसके मुख्य और संबद्ध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की खरीद को लक्षित करती है। अपनी दीर्घकालिक प्रतिष्ठा, गहन आंतरिक तकनीकी क्षमताओं और सिद्ध निष्पादन ट्रैक रिकॉर्ड का लाभ उठाते हुए, कंपनी उच्च-मूल्य वाली परियोजनाओं को हासिल करके अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करना जारी रखती है – विशेष रूप से टर्नकी रेलवे बुनियादी ढांचे के अपने विशिष्ट क्षेत्र में। इरकॉन विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए सक्रिय रूप से बोली लगाता है, जिनमें शामिल हैं टर्नकी रेलवे परियोजनाएं, सड़कें, सुरंगें, पुल, एलिवेटेड कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी), मेट्रो सिस्टम, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस), हाई-स्पीड रेलधुलेट ट्रेन ट्रैक, पनबिजली परियोजनाएं, विभिन्न राज्यों में संचालित औद्योगिक विकास निगम की परियोजनाएं, रेलवे से संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे वेयरहाउस, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल आदि शामिल हैं।

अनुकूल वित्तीय जोखिम प्रोफाइल: इरकॉन का परिचालन प्रदर्शन इसकी मजबूत लाभप्रदता और ठोस तरलता पर आधारित है। भविष्य को देखते हुए, कंपनी कम-लीवरेज पूंजी संरचना के लिए प्रतिबद्ध है, और राजस्व और लाभप्रदता में स्थिरता बनाए रखने के लिए ऋण को न्यूनतम बनाए रखेगी।

प्रतिभावान कर्मचारियों को आकर्षित और बनाए रखें: इरकॉन अपने प्रतिभाशाली कर्मचारियों के महत्व और कंपनी की सफलता में उनकी भूमिका को समझता है। यह आधुनिक निर्माण उपकरणों के संचालन, अपनी जटिल निर्माण परियोजनाओं के विभिन्न कार्यों को पूरा करने और अपने ग्राहकों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन प्रदान करने के लिए उन पर निर्भर करता है। एक कुशल मानव संसाधन प्रणाली के साथ, इरकॉन अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार पर निरंतर ध्यान केंद्रित करता है।

इरकॉन का उद्देश्य नियमित कार्यस्थल कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यबल को और मजबूत बनाना है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन का लक्ष्य अपनी महिला कर्मचारियों को एक अनुकूल और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। इन प्रयासों के अलावा, इरकॉन का लक्ष्य अपेक्षाकृत कम कर्मचारी पलायन दर बनाए रखना और अपने भविष्य के विस्तार के लिए अधिक कुशल कर्मचारियों को बनाए रखना भी है। यह बेहतर समग्र कार्य सुरक्षा और एक सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करके किया जाता है।

रणनीतिक समझौता ज्ञापन और गठबंधन

आपकी कंपनी समय-समय पर नए व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए विभिन्न रणनीतिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करती है। वित्त वर्ष 2024-25 में, इरकॉन ने भारत और विदेश में निर्माण कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम समझौते किए हैं।

तकनीकी प्रगति: कंपनी उन्नत तकनीक और निर्माण पद्धति अपनाती है जो प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त सुनिश्चित करती है। इससे परिचालन दक्षता में और सुधार होता है, विश्वसनीयता स्थापित होती है, ऑर्डर बुक वैल्यू बढ़ती है और ग्राहक संतुष्टि बढ़ती है। इसके अलावा, इरकॉन का लक्ष्य अपने कर्मचारियों को ट्रेडिंग तकनीकों से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षित करना है और वह नवीनतम तकनीक की आवश्यकता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी खोज कर रहा है। बोली लगाने और योजना बनाने से लेकर कार्यान्वयन और निगरानी तक, अपने संचालन के हर स्तर में तकनीक को एकीकृत करके, इरकॉन खुद को भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है।

जोखिम प्रबंधन

इरकॉन स्वीकार करता है कि निर्माण क्षेत्र में काम करने से कंपनी को अंतर्निहित अनिश्चितताओं और जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र की अस्थिरता विभिन्न बाहरी और आंतरिक जोखिमों को जन्म देती है जो वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व को समझते हुए, इरकॉन ने एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा स्थापित किया है।

इरकॉन में 2007 से एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू है, जिसकी जोखिम प्रबंधन नीति (आरएमपी) 2013 में तैयार की गई थी। समय के साथ, बदलते कारोबारी माहौल और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप आरएमपी में संशोधन किए गए हैं। आरएमपी के नवीनतम संशोधन को दिसंबर 2021 में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य पूरे संगठन में जोखिम जागरूकता के उच्च स्तर को बढ़ावा देना, व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और एक स्थायी जोखिम-जागरूक संस्कृति का विकास करना है।

ईआरएम ढांचे और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार, इरकॉन ने एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की स्थापना की है। यह समिति बोर्ड को रिपोर्ट करती है और अन्य जिम्मेदारियों के साथ-साथ जोखिम कारकों और शमन योजनाओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

आरएमसी के प्राथमिक कार्यों में प्रमुख जोखिम-वहन गतिविधियों की पहचान करना, सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं की तुलना में जोखिम क्षमता में अंतर का आकलन करना, वर्तमान व्यावसायिक प्रक्रियाओं

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

में उन कमियों की पहचान करना जो संभावित खतरों को अनदेखा कर सकती हैं, जोखिम मूल्यांकन नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित करना, रैपिड एक्शन ग्रुप (आरएजी) द्वारा संकलित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा करना, सुधार के लिए निर्देश प्रदान करना और संभावित जोखिमों के लिए इरकॉन की तैयारी सुनिश्चित करना शामिल है। आरएमसी आरएमपी को तैयार करने और उसकी समीक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें कंपनी के विशिष्ट आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान करने की रूपरेखा, जोखिम न्यूनीकरण और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के उपाय विकसित करना और कार्यान्वयन की निगरानी शामिल है।

जोखिम प्रबंधन नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, इरकॉन ने कार्यकारी निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक स्तर पर एक त्वरित कार्यवाई समूह, व्यावसायिक समूहों और आंतरिक लेखा परीक्षा टीमों के साथ, स्थापित किया है। जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ, और जोखिम प्रबंधन पर रिपोर्ट सहित एमआईएस रिपोर्ट प्रारूप, ईआरएम डॉके के अनुसार विकसित किए गए हैं। त्वरित कार्यवाई समूह की रिपोर्टें समीक्षा के लिए आरएमसी को प्रस्तुत की जाती हैं। अद्यतन जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरूप, गंभीर जोखिमों की पहचान, निगरानी, समीक्षा, शमन योजनाएँ और सुधारात्मक कार्यवाई अब एक ऑनलाइन वेब-आधारित जोखिम प्रबंधन आईटी टूल के माध्यम से की जाती है, जिसकी समीक्षा आरएमसी द्वारा संगठनात्मक जोखिम भंडार के लिए आरएजी के माध्यम से की जाती है।

भारतीय संदर्भ में, इरकॉन को परियोजना निष्पादन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि भार-मुक्त भूमि की अनुपलब्धता और रेखाचित्रों व अनुमानों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में देरी। इन कारकों के कारण समय और लागत में वृद्धि का जोखिम पैदा होता है, जिसकी भरपाई अक्सर ग्राहक द्वारा नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त, कंपनी को परियोजना राजस्व की भविष्यवाणी करने में अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विभिन्न कारकों के कारण इसमें उतार-चढ़ाव हो सकता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

परिचालन और वित्तीय नियंत्रण की एक सुव्यवस्थित और निरंतर लागू प्रणाली कंपनी के संसाधनों की सुरक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने, और प्रासंगिक कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, ऐसी प्रणाली गंभीर त्रुटियों और अनियमितताओं की संभावना को कम करने के साथ-साथ, घटित होने पर उनकी शीघ्र पहचान में भी सहायक होती है। इरकॉन ने अपने पैमाने और परिचालन क्षेत्र के अनुरूप एक आंतरिक नियंत्रण तंत्र और एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित की है, जिसका उद्देश्य परिचालन दक्षता को बढ़ाना

और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों, मानकों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, कंपनी ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्राधिकरण के आवंटन को अनुकूलित करने हेतु नीतियाँ और दिशानिर्देश स्थापित किए हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की गई हैं:

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी)

कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण (आईसीएफआर) बनाए रखती है, जिसका सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है। ये नियंत्रण लेखांकन अभिलेखों के सटीक रखरखाव, कंपनी की नीतियों के अनुसार व्यावसायिक संचालन के व्यवस्थित निष्पादन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, तथा वित्तीय और परिचालन संबंधी जानकारी की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।

आईसीएफआर को शामिल करते हुए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढाँचे का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। प्रबंधन सभी प्रासंगिक वित्तीय सूचनाओं का पारदर्शी प्रकटीकरण सुनिश्चित करता है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन की व्यापक जानकारी मिलती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा

कंपनी अपने आंतरिक लेखा-परीक्षण के लिए अनुभवी पेशेवर फर्मों को नियुक्त करती है, तथा लेखा-परीक्षण की आवृत्ति प्रत्येक परियोजना के टर्नओवर और पूर्णता की स्थिति के आधार पर निर्धारित होती है।

कंपनी ने अपने आंतरिक लेखापरीक्षा ढाँचे की स्थापना और अनुमोदन किया है, जो लेखापरीक्षा कवरेज के व्यापक दायरे को रेखांकित करता है। यह ढाँचा वित्तीय लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग, निविदा और संबद्ध मामलों, परियोजना निष्पादन, खरीद, उप-अनुबंध, वैधानिक अनुपालन आदि सहित विभिन्न पहलुओं को कवर करता है। प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति दोनों ही समय-समय पर आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा प्रणालियों की समीक्षा करते हैं, और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार सुधारात्मक उपाय करते हैं।

इसके अलावा, इरकॉन के पास एक संगठनात्मक चार्ट है, साथ ही शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक प्रणाली भी है जिसे वर्तमान संगठनात्मक संरचनाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एक संरचित

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

धोखाधड़ी रोकथाम, पहचान और नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) और एक व्हिसलब्लोअर नीति भी स्थापित की है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये नीतियाँ गोपनीय ई-शिकायतों के लिए चैनल स्थापित करती हैं, जिससे संगठन के भीतर ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

गुणवत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मानक

इरकॉन गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी है। कंपनी ने आईएसओ 9001:2015 के अनुसार एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है। इसने आईएसओ 14001:2015 के अनुसार एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 के अनुसार एक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली भी लागू की है।

गुणवत्ता

इरकॉन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन अपनाने वाला एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। 1996 में, जब कंपनी को समग्र रूप से टीयूवी एसयूडी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईएसओ 9002:1994 के लिए पहली बार प्रमाणित किया गया था, तब से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) को सफलतापूर्वक बनाए रखा गया है और इसमें निरंतर सुधार किया गया है। हमने गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के नवीनतम संस्करण, यानी आईएसओ 9001:2015 (प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के बाद आवधिक पुनः प्रमाणन ऑडिट द्वारा) के अनुसार प्रमाणन जारी रखा है और प्रणाली को बनाए रखा है। टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नवीनतम निगरानी ऑडिट जनवरी, 2025 में किया गया था और प्रमाणपत्र की वैधता मार्च, 2026 तक है।

विभाग ने दायरे के अनुसार विभिन्न विषयों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म (यानी गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आदि) को अपनाकर तकनीकी ज्ञान साझा करने की पहल जारी रखी और संगठन की मुख्य क्षमता यानी रेलवे, राजमार्ग, सुरंग और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में प्रचलित कई तकनीकी और तकनीकी समाधान भी साझा किए।

इसके अतिरिक्त, संगठन के प्रत्येक कर्मचारी की भागीदारी को आकर्षित करने हेतु एक नई पहल की गई है, और बेहतर उत्पाद वितरण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परियोजना पेशेवरों के साथ गुणवत्ता मंडल बैठक आयोजित की गई है। कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमारे परियोजना स्थलों पर RACI मैट्रिक्स को परिभाषित और कार्यान्वित किया गया है। परियोजना प्रक्रिया नियमावली (PPM) के मानकीकरण के साथ-साथ सामग्री परीक्षण योजना और प्रारूपों को कंपनी की आंतरिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ताकि जानकारी साझा की जा सके और परियोजना स्तर पर आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में परियोजनाओं की सहायता की जा सके।

परियोजनाओं की जटिल एवं विविध प्रकृति के बावजूद, गुणवत्ता प्रक्रियाओं के मानकीकरण हेतु इरकॉन की पहल संगठनात्मक ढाँचे के भीतर पूर्ण एकीकरण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए गुणवत्ता अधिकारियों को नामित करती है, ताकि वे अपनी-अपनी परियोजनाओं में गुणवत्ता प्रबंधन मानकों की निगरानी कर सकें, तथा इसे कार्य करते समय ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की सामान्य अनुबंध शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया जाता है।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। गुणवत्ता उद्देश्यों का मापन और समीक्षा कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना, दोनों स्तरों पर की जा रही है। आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षा और गुणवत्ता आश्वासन लेखापरीक्षा, परियोजना और कॉर्पोरेट कार्यालय के समन्वय में आयोजित की गई। इन लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट में न केवल लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई विसंगतियों का विवरण दिया गया है, बल्कि परियोजना की मुख्य विशेषताओं, जैसे प्रगति, सकारात्मक बिंदु (यदि कोई हों) और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का भी विवरण दिया गया है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की और अक्टूबर, 2011 में आईएसओ 45001:2004 के लिए प्रमाणित हुई। आईएसओ 45001:2018 के लिए नवीनतम पुनः प्रमाणन ऑडिट टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अक्टूबर 2024 के महीने में आयोजित किया गया था, और प्रमाण पत्र की वैधता दिसंबर, 2027 तक है।

कोविड-19 महामारी के दौरान, कंपनी समय-समय पर सरकार द्वारा जारी एहतियाती उपायों/निर्देशों का पालन करती है। साथ ही, कार्यस्थल पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए थर्मल स्कैनर, आरोग्यसेतु ऐप, स्वचालित सैनिटाइजेशन मशीन, पेपर डिसइंफेक्शन मशीन आदि जैसे निगरानी उपकरणों का उपयोग करके त्वरित पहल की जा रही है। कंपनी ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए एक सतर्क टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है।

कंपनी विभिन्न विषयों पर प्रतिष्ठित अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन कर रही है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए SHE अधिकारियों को नामित करती है ताकि वे संबंधित परियोजनाओं में SHE द्वारा वैधानिक कानूनों के अनुपालन की निगरानी कर सकें, और इसे कंपनी की अनुबंध की सामान्य शर्तों (GCC) में भी शामिल किया जाता है ताकि ठेकेदार द्वारा कार्य करते समय SHE प्रबंधन मानकों का कार्यान्वयन

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इरकॉन इंटरनेट पर सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी जाँच सूची जैसे दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

इरकॉन प्रतियोगिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए इरकॉन को निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी) द्वारा प्रतिष्ठित “निर्माण स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पुरस्कार 2024” से सम्मानित किया गया है।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)

कंपनी ने एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) स्थापित की और अक्टूबर 2011 में आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित हुई। आईएसओ 14001:2015 के लिए नवीनतम निगरानी ऑडिट टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अक्टूबर 2024 के महीने में आयोजित किया गया था, और प्रमाण पत्र की वैधता फरवरी, 2026 तक है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन मानकों (ईएमएस) और संबंधित परियोजनाओं में पर्यावरण कानूनों के अनुपालन की निगरानी हेतु पर्यावरण अधिकारियों को नामित करती है और इसे ठेकेदार द्वारा कार्य करते समय पर्यावरण प्रबंधन मानकों के कार्यान्वयन हेतु कंपनी की अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया गया है। सभी परियोजनाओं द्वारा पर्यावरण संबंधी जाँच सूचियाँ विकसित और अनुरक्षित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में सौर पैनल जैसे पर्यावरण-अनुकूल उपकरण लगाए गए हैं और लगाए जा रहे हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण किया जाता है और इसका उपयोग बागवानी कार्यों के लिए किया जाता है। नोएडा और गुरुग्राम स्थित इरकॉन्स भवनों में भी एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है।

बिजली और पानी की बचत के लिए, कॉर्पोरेट कार्यालयों में एलईडी लाइट्स, सेंसर लाइट्स और सेंसर टैप का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी के कार्यालयों/परियोजनाओं में विभिन्न पर्यावरण-अनुकूल कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे मिट्टी की ईंटों के बजाय फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग, वर्षा जल संचयन व्यवस्था, सेंसर-नियंत्रित क्रोमियम प्लेट (सीपी) फिटिंग, और भवन को टिकाऊ बनाने के लिए नवीनतम संस्करण के फसाड ग्लास (भवन में लगे कांच) का उपयोग। निर्माण स्थलों पर, जल उपयोग और अपशिष्ट जल, परिवेशी वायु गुणवत्ता और ध्वनि गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है।

पर्यावरण अनुकूल संगठन होने के नाते, इरकॉन अपने हितधारकों के बीच पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतियोगिताओं और बैनर प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों (अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस) में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

मानव संसाधन

इरकॉन का मानना है कि उसके कर्मचारी उसकी सफलता के मूल में हैं और संगठन के मूल्यों और संस्कृति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कंपनी अपने मानव संसाधनों के विकास में निवेश करके अपने संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों में प्रभावी योगदान देने के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएँ हैं। मानव संसाधन विकास में इरकॉन के प्रयास उद्योग मानकों के अनुरूप हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके कर्मचारी आवश्यक ज्ञान और विशेषज्ञता से सुसज्जित रहें। कंपनी एक सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने पर बहुत जोर देती है और इसे बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करती है। इरकॉन एक प्रेरक और संतोषजनक वातावरण बनाने का प्रयास करता है जहाँ कर्मचारियों को कंपनी के विकास और सफलता में बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कंपनी को अपने अत्यधिक प्रेरित और सक्षम मानव संसाधन और उनके योगदान पर गर्व है। 31 मार्च, 2025 तक हमारी कंपनी के कुल कर्मचारी 1,182 थे, जिनमें 834 नियमित कर्मचारी, 27 प्रतिनियुक्ति पर, 242 संविदा पर, 75 परामर्शदाता/हालकार और 4 निश्चित अवधि के आधार पर कार्यरत कर्मचारी शामिल थे। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर पिछले वर्ष के 6.10: की तुलना में 9.17: रही।

कर्मचारी उत्पादकता

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की कुल आ ₹10,677.45 करोड़ है और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति कर्मचारी कुल आय ₹9.03 करोड़ रही।

भर्ती

अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए, कंपनी सभी स्तरों पर शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विभिन्न माध्यमों से हासिल किया जाता है, जिसमें नए स्नातक इंजीनियरों, पेशेवरों और प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती शामिल है। कंपनी खुले बाजार से, अन्य सरकारी विभागों और रेलवे से प्रतिनियुक्ति या समावेशन के माध्यम से, साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति और तृतीय-पक्ष पेरोल सेवाओं का उपयोग करके अनुभवी कर्मियों को भी लाती है।

कंपनी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं सहित विविध पृष्ठभूमि के कर्मचारियों की उन्नति के लिए समान अवसर और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु सर्वोत्तम भर्ती प्रथाओं का पालन करती है। ये नीतियाँ प्रबंधन की समावेशी और दूरदर्शी मानसिकता को दर्शाती हैं, जिसमें ‘समान अवसर प्रदान करने वाले नियोजन’ होने पर विशेष बल दिया जाता है। कंपनी अपनी भर्ती रणनीतियों की निरंतर समीक्षा और

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

परिशोधन करती है ताकि उन्हें अपने व्यापक लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जा सके।

वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान, समावेशी रोजगार की नीति के तहत, 42 कर्मचारियों को पूर्णकालिक आधार पर और 63 को सेवा अनुबंध सहित संविदात्मक आधार पर भर्ती किया गया। पूर्णकालिक आधार पर भर्ती किए गए 24 कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के हैं और संविदात्मक आधार (सेवा अनुबंध को छोड़कर) पर भर्ती किए गए 19 कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के हैं। कंपनी ने 5 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी लागू किया है। कार्यकाल-आधारित नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

प्रतिनियुक्ति

प्रशिक्षित एवं अनुभवी जनशक्ति की निरंतर आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से परियोजना आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेलवे और अन्य सरकारी विभागों से अनुभवी एवं प्रशिक्षित जनशक्ति को निश्चित अवधि के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किया जाता है। वर्ष के दौरान, 4 कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किया गया, जिससे प्रतिनियुक्ति पर कुल जनशक्ति 27 हो गई।

प्रशिक्षण एवं विकास

इरकॉन सभी स्तरों पर कर्मचारियों का सक्षम पूल बनाने के उद्देश्य से एक सक्षमता-आधारित ढाँचे की ओर बढ़ रहा है। सक्षमता मानचित्रण के परिणामस्वरूप, वरिष्ठ और मध्यम-स्तरीय प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाएँ तैयार की जाती हैं। इसके आधार पर, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की जाती है और अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण और विकास को एक उच्च फोकस क्षेत्र मानते हुए, कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे अनुबंध प्रबंधन, मध्यस्थता, परियोजना प्रबंधन, ट्रैक कार्य, पुल और संरचनाएं, व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता जिम्मेदारी, जोखिम प्रबंधन आदि में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 1998 मानव-दिवसों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लगभग 595 कर्मचारियों को शामिल किया गया, जिसमें जीएसटी प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर के विशेष-विक्रेता विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल थे।

कार्यक्रम, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए, संबंधित पक्ष लेनदेन, श्रम कानून और औद्योगिक संबंध, मानवाधिकार, प्रत्यक्ष कर और श्रम उपकरण, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, पोश अधिनियम पर प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पहल, स्वास्थ्य

जागरूकता वार्ता, आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम और कई अन्य व्यावहारिक, तकनीकी, गैर-तकनीकी आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण, सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इसलिए, हमारी मानव पूंजी को मजबूत करना हमारे संचालन का मूल है। इरकॉन कर्मचारियों को उनके करियर में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कई पहल करता है। कनिष्ठ कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शन और कौशल विकास कार्यक्रम, और वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए विशेष नेतृत्व विकास कार्यक्रम जैसी प्रगतिशील नीतियों ने कार्यस्थल को अधिक कर्मचारी-अनुकूल बनाने की दिशा में काम किया है।

कैरिअर की प्रगति

कंपनी की पदोन्नति नीति सुस्थापित है और समय के साथ प्रभावी साबित हुई है। यह सुनिश्चित करती है कि योग्य कर्मचारियों को करियर में उन्नति के पर्याप्त अवसर मिलें और उत्तराधिकार नियोजन में सुविधा हो। पदोन्नति योग्यता, उपयुक्तता, प्रदर्शन और व्यावसायिक उपलब्धियों के आधार पर होती है जो संगठन की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं। 2024 की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) में, कार्यकारी श्रेणी में कुल 139 पदोन्नतियाँ प्रदान की गईं, जबकि गैर-कार्यकारी श्रेणी में 21 पदोन्नतियाँ प्रदान की गईं।

प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने एक आईटी-सक्षम प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली लागू की है जो प्रदर्शन-संबंधित वेतन (पीआरपी) प्रणाली से जुड़ी है। यह पीआरपी प्रणाली कंपनी के प्रदर्शन, टीम के प्रदर्शन और कंपनी के वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्तिगत योगदान सहित कर्मचारी प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी ढंग से समाहित करती है। टीम के प्रदर्शन पर जोर एक सहयोगात्मक और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है, जहाँ कर्मचारी टीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह दृष्टिकोण कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्यों, जैसे न्यूनतम वेतन और अन्य लाभों को बनाए रखना, की प्राप्ति में सहायक होता है।

सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग

आईटी विभाग ने रिकॉर्ड को डिजिटल प्रारूप में रखने और दैनिक कार्यों के लिए ई-ऑफिस लागू करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। कर्मचारी रिकॉर्ड, अवकाश रिकॉर्ड, कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस), वार्षिक संपत्ति रिटर्न, कर्मचारी नियोजन आदि जैसे मानव संसाधन कार्यों को ई-प्रारूप में रखा गया है, जिससे कागज का उपयोग कम हुआ है, पारदर्शिता और दक्षता आई है और गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

नीतियों और कार्यक्रमों को कर्मचारी स्वयं-सेवा पोर्टल और विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों के माध्यम से कर्मचारियों तक पहुंचाया जाता है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रेरणा, पुरस्कार और मान्यता

असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए, कर्मचारियों को समय-समय पर पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष में असाधारण प्रदर्शन करने वाले मेधावी कर्मचारी को सीएमडी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों को विभिन्न व्यक्तिगत और सामूहिक पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

कर्मचारी कल्याण

रोजगार के दौरान, कर्मचारियों को उदार भत्ते, सुविधाएँ और सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, जिनमें मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों तरह के लाभ शामिल हैं। इनमें परिवहन सहायता, आवास विकल्प, पट्टे पर आवास, रियायती भोजन और चिकित्सा सुविधाएँ शामिल हैं। कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपने कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, और इसीलिए, इसने उनके समग्र कल्याण में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं।

मातृत्व एवं दत्तक ग्रहण अवकाश, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, और कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति नकद पुरस्कार जैसे वैधानिक लाभों के अलावा, कंपनी कई कर्मचारी सहायता कार्यक्रम भी प्रदान करती है। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण, अग्रिम राशि, बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए आवास पट्टा नीति, और लंबी बीमारियों या घातक रोगों से पीड़ित कर्मचारियों के लिए सहायता शामिल है। कर्मचारियों में आत्मीयता की भावना को बढ़ावा देने और एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने के लिए समय-समय पर उपहार, जैसे सेवानिवृत्ति उपहार, विवाह उपहार, जन्मदिन उपहार, दिवाली उपहार और वार्षिक दिवस उपहार दिए जाते हैं।

कंपनी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना सहित उदार सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है, जो कर्मचारियों को प्रतिधारण उपकरण के रूप में काम करते हैं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

महिला विकास

कंपनी ने महिला कर्मचारियों के विकास और उन्नति के लिए समान अवसर और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू किया है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए लैंगिक मुद्दों, यौन उत्पीड़न की रोकथाम और अनुकूल कार्य परिस्थितियों पर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। महिला कर्मचारियों को बैठकों, परियोजना कार्यों और समितियों में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे लैंगिक पूर्वाग्रह के बिना समान अवसर को बढ़ावा मिलता है।

प्रबंधन हमेशा से ऐसी प्रथाओं को अपनाने में अग्रणी रहा है जिससे ऐसा माहौल बने जहाँ महिलाएँ सशक्त, आत्मविश्वासी और निर्णय लेने

में सक्षम महसूस करें। महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति का गठन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य एक सहायक ढाँचा प्रदान करना और यौन उत्पीड़न की किसी भी घटना से निपटना है।

शिकायत निवारण

कर्मचारियों की शिकायतों का तुरंत और निष्पक्ष रूप से समाधान करने के लिए, कंपनी में एक शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद है, जिसके माध्यम से कर्मचारी अपनी शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टल के माध्यम से रेल मंत्रालय को ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

व्हिसल ब्लोअर नीति

इरकॉन का एक अलग और सुव्यवस्थित सतर्कता विभाग है, जो कर्मचारियों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या कंपनी के साथ व्यापार करने वालों से जुड़ी धोखाधड़ी या संदिग्ध कदाचार से निपटता है। इसके अलावा, अनैतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति भी मौजूद है।

भारत सरकार की पहलों में योगदान

इरकॉन ने अपने कार्यों को भारत सरकार की प्रमुख पहलों के साथ सक्रिय रूप से जोड़ा है:

- कौशल भारत: प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल का कौशल विकास।
- स्वच्छ भारत मिशन: परियोजना स्थलों और कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना।
- स्टार्ट-अप इंडिया: परियोजना निष्पादन में नवाचार को प्रोत्साहित करना।
- मेक इन इंडिया: घरेलू सोर्सिंग और विनिर्माण को प्राथमिकता देना।
- डिजिटल इंडिया: डिजिटल परियोजना निगरानी उपकरणों का कार्यान्वयन।
- सौर पारिस्थितिकी तंत्र: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना।

एमएसएमई को बढ़ावा देना

एक सीपीएसई होने के नाते, कंपनी की खरीद नीति और प्रथाएं सीवीसी दिशानिर्देशों सहित चल रही सरकारी नीतियों और प्रथाओं द्वारा निर्देशित होती हैं। ये पारदर्शी खरीद तंत्र पर आधारित हैं जो स्थानीय और छोटे निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं आदि से खरीद को सक्षम बनाता है। इरकॉन सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई)

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

संशोधन आदेश, 2022 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर रहा है। तदनुसार, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) संशोधन आदेश, 2022 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में निर्धारित L1+15% के मूल्य बैंड के भीतर अपनी कीमत उद्धृत करने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को खरीद वरीयता दी जाती है। कंपनी ने भारतीय बोलीदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी निविदा प्रक्रिया भी अपनाई है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने वस्तुओं और सेवाओं के लिए ₹118.01 करोड़ (एमएसई के दायरे से बाहर की वस्तुओं की खरीद को छोड़कर) के व्यय के मुकाबले एमएसई विक्रेताओं से ₹31.34 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की खरीद की है, जिससे खरीद नीति के अनुसार 25% के लक्ष्य के मुकाबले एमएसई से 26.56% खरीद हासिल हुई है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चार विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विवरण इस प्रकार हैं—

- 12.12.2024 को इरकॉन कॉर्पोरेट कार्यालय में विशेष रूप से एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए “राष्ट्रीय स्तर – विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम” आयोजित किया गया।
- ईईपीसी इंडिया के सहयोग से 21.06.2024 को ऑनलाइन वी.सी. मोड के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर का विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (वी.डी.पी.)।
- राष्ट्रीय स्तर – विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए “विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम” 11.03.2025 को इरकॉन कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित किया गया।
- एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई डीएफओ, ओखला, नई दिल्ली द्वारा इरकॉन के सहयोग से 19 और 20 मार्च 2025 को लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में दो दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

कंपनी सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के माध्यम से खरीद पर सरकार के दिशानिर्देशों का व्यापक रूप से पालन कर रही है और भारत सरकार के “मेक इन इंडिया” निर्देशों को बढ़ावा देने के लिए निविदाओं में भी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है और सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 के अनुरूप राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 200 करोड़ रुपये तक की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

चेतावनी विवरण

कंपनी के उद्देश्य, अनुमानों, आकलनों, अपेक्षाओं का वर्णन करने वाले प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए वक्तव्य कंपनी के प्रबंधन की मान्यताओं के आधार पर लागू कानूनों और नियमों के अर्थ में अग्रगामी वक्तव्य हो सकते हैं। ऐसे वक्तव्य भविष्य की घटनाओं के संबंध में कंपनी के वर्तमान विचारों को दर्शाते हैं और जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। कई कारक वास्तविक परिणामों को इस रिपोर्ट में अनुमानित परिणामों से काफी अलग कर सकते हैं, जिनमें अन्य के अलावा, कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उसे प्रभावित करने वाली सामान्य आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों में बदलाव, व्यापार रणनीति में बदलाव, ब्याज दरों में बदलाव, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, विदेशी मुद्रा दरें, उद्योग में प्रतिस्पर्धा, सरकारी नियमों में बदलाव, कर कानून और अन्य कानून और अन्य आकस्मिक कारक शामिल हैं। कंपनी किसी भी अग्रगामी वक्तव्य को सार्वजनिक रूप से अपडेट करने का कोई दायित्व नहीं लेती है

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./-

(हरि मोहन गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
(डीआईएन: 08453476)

दिनांक : 21 अगस्त, 2025

स्थान : नई दिल्ली

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की 49वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट कंपनी के प्रदर्शन का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करती है, जिसमें वित्तीय परिणामों का सारांश और 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं।

वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन			समेकित		
	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	% आयु परिवर्तन	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	% आयु परिवर्तन
कुल आय / कारोबार	10,677.45	12,387.85	(13.81%)	11,131.03	12,870.52	(13.52%)
कुल परिचालन आय / कारोबार	10,193.14	11,950.40	(14.70%)	10,759.58	12,513.65	(14.02%)
ईबीआईटीडीए	963.47	1,201.36	(19.80%)	1,276.03	1,509.96	(15.49%)
कर-पूर्व लाभ	917.81	1,155.54	(20.57%)	939.02	1,261.13	(25.54%)
कर-पश्चात लाभ	737.59	862.90	(14.52%)	727.83	929.51	(21.70%)
कुल संपत्ति	6,237.43	5,771.76	8.07%	6,326.35	5,870.92	7.76%
विनियोजन						
लाभांश (अंतिम एवं अंतरिम)*	249.24	291.56	(14.52%)			
ईपीएस	7.84	9.17	(14.50%)	7.73	9.88	(21.76%)

टिप्पणियाँ: * इसमें प्रस्तावित अंतिम लाभांश शामिल है आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन।

वित्तीय विशेषताएं

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹10,677.45 करोड़ की कुल आय अर्जित की है। हालाँकि, यह वित्त वर्ष 2023-24 के ₹12,387.85 करोड़ की तुलना में मामूली वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए परिचालन कारोबार ₹10,193.14 करोड़ है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹11,950.40 करोड़ था। यह बदलाव मुख्यतः चालू वित्त वर्ष में कुछ प्रमुख परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूरा होने के कारण हुआ है। कंपनी और अधिक परियोजनाएँ हासिल करने और अपनी ऑर्डर बुक बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।

कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹917.81 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹1,155.54 करोड़) और कर-पश्चात लाभ (पीएटी) ₹737.59 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹862.90 करोड़) रहा, जो चालू परियोजनाओं में कम टर्नओवर और प्रावधान के प्रभाव को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी की कुल संपत्ति वित्त वर्ष 2024-25 में ₹6,237.43 करोड़ रही, जो वित्त वर्ष 2023-24 में ₹5,771.76 करोड़ से वृद्धि दर्शाती है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) ₹7.84 प्रति इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य ₹2) है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹9.17 थी।

लाभांश

कंपनी का मुख्य ध्यान शेयरधारक मूल्य में को बढ़ाने पर है। कंपनी को अपनी स्थापना के बाद से ही लाभांश भुगतान का एक निरंतर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में, निदेशक मंडल ने ₹2/- प्रति शेयर अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹1.65 का अंतरिम लाभांश घोषित और वितरित किया। यह लगभग ₹155.18 करोड़ (₹188.10 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी के 82.50% पर गणना)

बोर्ड की रिपोर्ट

था। यह अंतरिम लाभांश दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर घोषित किया गया था।

इसके अलावा, बोर्ड ने ₹2/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹1.00 का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो कुल मिलाकर ₹94.05 करोड़ (₹188.10 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी का 50%) होगा। यह अंतिम लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और यह कंपनी के वित्त वर्ष 2024-25 के मुनाफे पर आधारित है।

इन लाभांशों को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल लाभांश लगभग ₹249.24 करोड़ (₹2.65 प्रति शेयर) होगा। यह वित्त वर्ष 2024-25 के कर-पश्चात लाभ का 33.79% और 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की कुल संपत्ति का 4.01% है। प्रस्तावित अंतिम लाभांश के अनुमोदन और भुगतान के बाद, वित्त वर्ष 2024-25 तक शेयरधारकों को दिया जाने वाला संचयी लाभांश लगभग ₹3,197.42 करोड़ होगा।

लाभांश की घोषणा लाभांश वितरण नीति के अनुरूप है, जो संशोधित रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) के विनियम 43क और "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन" पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

शेयर पूंजी

31 मार्च, 2025 तक, कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹188.10 करोड़ थी, जिसमें ₹2/- अंकित मूल्य वाले 94,05,15,740 इक्विटी शेयर शामिल थे। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के प्रमोटर, यानी भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 65.17% थी। इरकॉन, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19क में निर्दिष्ट न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 में संशोधन के अनुसार, इरकॉन 31 दिसंबर, 2024 तक औसत बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में से एक है। 31 दिसंबर, 2024 तक, आपकी कंपनी का बाजार पूंजीकरण ₹22,737.83 करोड़ था।

शेयरों का डिमैटियरलाइजेशन

31 मार्च, 2025 तक, भौतिक रूप में 1074 शेयरों को छोड़कर सभी शेयर डिमैट रूप में रखे गए हैं और शेयरों के डिमैट रूप का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नंस रिपोर्ट में दिया गया है।

प्रतिधारित आय में स्थानांतरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिधारित आय हेतु विनियोजन ₹249.24 करोड़ के कुल लाभांश पर विचार करने के बाद ₹488.35 करोड़ था।

पूंजीगत व्यय और तरलता

वर्ष के दौरान, कंपनी ने एकल आधार पर घरेलू और विदेशी परियोजनाओं में पूंजीगत परियोजनाओं पर ₹378.94 करोड़ की राशि खर्च की जिसमें एक भवन के निर्माण के लिए ₹15.06 करोड़, संयंत्र और मशीनरी प्राप्त करने के लिए ₹59.92 करोड़, अन्य परिसंपत्तियों (अर्थात् कंप्यूटर, फर्नीचर, सॉफ्टवेयर और अन्य) के अधिग्रहण के लिए ₹12.34 करोड़, और एसपीवी में निवेश के लिए ₹291.62 करोड़ शामिल हैं।

31 मार्च, 2025 तक कंपनी की तरलता स्थिति ₹4,123.91 करोड़ थी, जिसमें ₹1,977.85 करोड़ नकद और नकद समकक्ष और ₹2,146.06 करोड़ अन्य बैंक शेष शामिल थे। ₹4,123.91 करोड़ में से, ग्राहक/परियोजना निधि की राशि ₹3,268.95 करोड़ थी।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी ने अब तक कुल मिलाकर ₹20,535 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने ₹831.06 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की है, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह ₹622.66 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय ₹660.42 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यह ₹553.23 करोड़ था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध विदेशी मुद्रा आय ₹170.64 करोड़ होगी।

इरकॉन समूह का प्रदर्शन

वर्ष के दौरान, इरकॉन और उसकी सहायक कंपनियों (समूह) ने ₹11,131.03 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹12,870.52 करोड़) का कुल समेकित कारोबार और ₹10,759.58 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹12,513.65 करोड़) का परिचालन कारोबार दर्ज किया। हालांकि यह पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कमी दर्शाता है, फिर भी समूह ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन बनाए रखा, ₹939.02 करोड़ का कर-पूर्व लाभ (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹1,261.13 करोड़) और ₹727.83 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24 में ₹929.51 करोड़) का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इरकॉन को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग प्रदान की गई है, जो एमओयू लक्ष्यों के अनुसार समूह के प्रदर्शन को मान्यता देता है।

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

रिपोर्ट की तिथि तक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान और उसके बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हैं।

वित्तीय विवरण (स्वतंत्र और समेकित)

कंपनी के निदेशक मंडल ने 21 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 (स्टैंडअलोन और समेकित) के लिए वित्तीय विवरणों को मंजूरी दे दी है।

बोर्ड की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने अपने समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए लाइन-बाय-लाइन पद्धति के अनुसार अर्थात् इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉनआईएसएल), इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉनपीबीटीएल), इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल), इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल), इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल), इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल), इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएसईएसएल), इरकॉन लुधियाना रुपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएलआरएचएल), इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल), और इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल) इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल), और (ख) इक्विटी पद्धति के अनुसार, सात संयुक्त उद्यम कंपनियों के लिए, अर्थात् इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल), भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) [चालू व्यवसाय के आधार पर नहीं], छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल), छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल), झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल), महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) और बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)। अनिगमित संयुक्त उद्यमों के खातों को वित्त वर्ष 2024-25 के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

परियोजनाओं का बंद होना

1. **आईआरएसडीसी:**— रेल मंत्रालय (एमओआर) ने दिनांक 18.10.2021 के पत्र के माध्यम से भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) को बंद करने और इसके व्यवसाय को आरएलडीए को हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। वित्त वर्ष 2024-25 में, संयुक्त उद्यम भागीदारों (इरकॉन, राइट्स और आरएलडीए) की सहमति से, आईआरएसडीसी की संपत्ति और देनदारियाँ (एसआईटीसीओ और गरुड़/एसएफएम में निवेश को छोड़कर) स्लम्प सेल के आधार पर आरएलडीए को हस्तांतरित कर दी गई। 9 अप्रैल 2025 को एक व्यवसाय हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 11 अप्रैल 2025 को ₹39.89 करोड़ प्राप्त हुए।

इससे पहले, आरएलडीए ने वित्त वर्ष 2023-24 में एसआईटीसीओ के लिए ₹6.30 करोड़ का भुगतान किया और जून 2025 में ₹12.49 करोड़ में गरुड़ में आईआरएसडीसी का हिस्सा खरीदा। 31 मार्च 2025 तक, समापन गतिविधियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं, और कंपनी के वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। आईबीसी के तहत एक परिसमापक की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। समूह लगातार घटनाक्रमों पर नजर रख रहा है और उसे कोई हानि जोखिम नहीं दिख रहा है, क्योंकि आईआरएसडीसी की निवल संपत्ति में उसकी हिस्सेदारी (₹61.76 करोड़, ₹237.52 करोड़ का 26%) बरकरार है।

2. **एमसीआरएल:**— एमसीआरएल परियोजना के चरण-I (अंगुल-बलराम, 14 किमी पहले से ही चालू) और चरण-II (बलराम-पुटगड़िया-तेनतुलोई, 54 किमी निर्माणाधीन) को रेल

मंत्रालय (एमओआर) को सौंपने का निर्णय लिया गया है। कानूनी औपचारिकताएँ, मूल्य निर्धारण और संबंधित तौर-तरीके प्रक्रियाधीन हैं और कंपनी को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की गिरावट की आशंका नहीं है।

3. **बीआरपीएल:**— रेल मंत्रालय (एमओआर) ने बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी, को बंद करने और उसकी परिसंपत्तियों व देनदारियों को रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। कानूनी औपचारिकताएँ, मूल्य निर्धारण और संबंधित प्रक्रियाएँ प्रक्रियाधीन हैं और कंपनी को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की हानि की आशंका नहीं है।

कंपनी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) और अपनी ग्यारह सहायक कंपनियों (इरकॉनआईएसएल, इरकॉनपीबीटीएल, इरकॉनएसजीटीएल, इरकॉनडीएचएचएल, इरकॉनवीकेईएल, इरकॉनजीआरएचएल, इरकॉनएसईएसएल, इरकॉनएलआरएचएल, इरकॉनबीएमईएल, इरकॉनएचबीएल और आईआरपीएल) के वित्तीय विवरण अपनी वेबसाइट (www.ircon.org) पर उपलब्ध कराएगी।

इसके अलावा, ग्यारह सहायक कंपनियों और सात संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण फॉर्म एओसी-1 में वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने कंपनियों को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, बोर्ड रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित वित्तीय विवरण केवल उन सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेजने की अनुमति दी थी, जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागी/डिपॉजिटरी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं, साथ ही अन्य पात्र व्यक्तियों को भी। एमसीए और सेबी द्वारा क्रमशः 19 सितंबर, 2024 और 3 अक्टूबर, 2024 को जारी परिपत्रों के अनुसार, इन छूटों को 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

इन छूटों को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के तहत, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित की जाएगी जिन्होंने अपने ईमेल पते पहले ही संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत करा लिए हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और स्टॉक एक्सचेंजों, जैसे बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) को भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

एलओडीआर विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों की अनुसूची-V के साथ विनियम 34 द्वारा अधिदेशित प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण (एमडीए) रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में शामिल किया गया है। इसे संदर्भ द्वारा सम्मिलित किया गया है और यह इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है। एमडीए रिपोर्ट वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग विश्लेषण और भविष्य के दृष्टिकोण, कंपनी अवलोकन, कानूनी स्थिति और स्वायत्तता, व्यावसायिक प्रभाग/इकाइयाँ, वित्तीय और

बोर्ड की रिपोर्ट

परिचालन प्रदर्शन, ऑर्डर बुक स्थिति, शक्तियाँ, कार्यक्षेत्र और अवसर, प्रमुख चिंताएँ, व्यावसायिक रणनीतियाँ, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता, गुणवत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मानक, मानव संसाधन में महत्वपूर्ण विकास, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न प्रमुख पहलुओं की व्यापक समीक्षा प्रदान करती है।

इसके अलावा, बोर्ड की रिपोर्ट में ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और उन्नयन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण दिया गया है।

समझौता ज्ञापन

“इरकॉन ने समझौता ज्ञापन में निर्धारित प्रदर्शन मापदंडों के आधार पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) से वित्त वर्ष 2023–24 के लिए “उत्कृष्ट” रेटिंग प्राप्त की है।

डीपीई, समझौता ज्ञापन 2024–25 में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष कंपनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा। स्व-मूल्यांकन के आधार पर, इरकॉन ने डीपीई द्वारा निर्धारित समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं।

क्र. सं.	पैरामीटर का नाम	लक्ष्य (2024–25)	उपलब्धि (2024–25)
1	परिचालन से राजस्व (करोड़ रुपये)	14,386	10,759.58
2	पूँजीगत व्यय (करोड़ रुपये)	608	1,906.03
3	निर्यात/विदेश से आय (करोड़ रुपये)	582	339.10
4	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए (%)	12.43%	11.46%
5	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (%)	15.30%	11.03%
6	परिसंपत्ति कारोबार अनुपात (%)	73.78%	57.02%
7	निर्दिष्ट समय के भीतर TReDS पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के चालानों की स्वीकृति/अस्वीकृति:		
i.	सभी संचालित टीआरईडीएस पोर्टलों पर सीपीएसई को शामिल करना (संख्या)	-	4.00
ii.	सीपीएसई के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) या विक्रेता इनवॉइस प्रबंधन (वीआईएम) प्रणाली का जीईएम पोर्टल के साथ एकीकरण (हाँ/नहीं)	हाँ	नहीं
iii.	एमएसई विक्रेताओं को नियत तिथि से 45 दिनों के भीतर समय पर भुगतान (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ
8	अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जेम से खरीद	100%	138.95%
9	परिचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के अनुसार व्यापार प्राप्य	45	45.06

अंतिम समझौता ज्ञापन निष्पादन मूल्यांकन डीपीई द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा तथा आज की तिथि तक लंबित रहेगा।

बाहरी वातावरण

व्यापक आर्थिक स्थितियाँ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2025) के अनुसार, वैश्विक विकास दर 2025 में 2.8% और 2026 में 3% तक गिरने का अनुमान है, जो ऐतिहासिक (2000–19) औसत 3.7% से काफी कम है।

उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, 2025 में विकास दर घटकर 3.7% और 2026 में 3.9% रहने का अनुमान है, जिसमें हालिया व्यापार उपायों से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की विकास दर में उल्लेखनीय गिरावट शामिल है। 2024 में उल्लेखनीय मंदी के बाद, उभरते और विकासशील एशिया में विकास दर और घटकर 2025 में 4.5% और 2026 में 4.6% रहने का अनुमान है।

भारत के लिए, 2025 में विकास दर अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है, जो निजी खपत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, द्वारा समर्थित है, लेकिन यह दर जनवरी 2025 की तुलना में 0.3% कम है, जैसा कि आईएमएफ के डब्ल्यूईओ अपडेट में बताया गया है, जो व्यापार तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के बढ़ते स्तर के कारण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा अपने राजकोषीय मॉनिटर (अप्रैल 2025) में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत का राजकोषीय घाटा 2023 के 7.9% से घटकर 2024 में 7.4% हो जाएगा, जिसके 2026 में 6.9% और कम होने की उम्मीद है।

बुनियादी ढांचा एवं निर्माण उद्योग – सरकारी पहल एवं उद्योग दृष्टिकोण

बुनियादी ढांचा भारत के औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति का एक आधारभूत इंजन है। इसी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने खुले प्रत्यक्ष

बोर्ड की रिपोर्ट

विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों, बड़े बजट आवंटन और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी लक्षित नीतियों के माध्यम से बुनियादी ढाँचे और निर्माण को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने गति शक्ति मास्टर प्लान भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न परिवहन साधनों को एकीकृत करके राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचे को गति प्रदान करना है।

भारत का लॉजिस्टिक्स बाजार 2024 में 317.26 अरब अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है और 8.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ते हुए 2029 तक 484.43 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5% है और लगभग 2.2 करोड़ भारतीयों को रोजगार प्रदान करता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों को काफी उदार बनाया गया है और ये विदेशी निवेशकों को उनके व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप विकल्प प्रदान कर सकते हैं। मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का बुनियादी ढाँचा निवेश वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.3% से वित्त वर्ष 2029 तक लगातार बढ़कर 6.5% हो जाएगा।

केंद्रीय बजट 2025–26 में, बुनियादी ढाँचे के लिए पूंजी निवेश परिव्यय को बढ़ाकर ₹11.21 लाख करोड़ (128.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर) कर दिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% होगा। बुनियादी ढाँचे में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढाँचा वित्त सचिवालय की स्थापना की गई है जो सभी हितधारकों को बुनियादी ढाँचे में और अधिक निजी निवेश के लिए सहायता प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग माल और यात्रियों की कुशल आवाजाही को सक्षम बनाकर और बाजार तक पहुँच में सुधार करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और इसके राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2004 में 65,569 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 1,46,145 किलोमीटर हो गई है, जो देश का प्राथमिक धमनी नेटवर्क है। भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें सम्मिलित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई), और कई अन्य चालू परियोजनाएँ शामिल हैं।

केंद्रीय बजट 2025–26 में, सरकार ने सड़क मंत्रालय के लिए ₹2.87 लाख करोड़ (US+ 32.94 बिलियन) आवंटित किए हैं, जिसका लक्ष्य निजी क्षेत्र में ₹35,000 करोड़ (US+ 4.02 बिलियन) निवेश करना है। भारतमाला परियोजना के तहत 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का एक नेटवर्क विकसित करने की योजना है, जिसका कुल निवेश लगभग ₹46,000 करोड़ (US+ 5.5 बिलियन) होगा, जो चालू होने के बाद लगभग 700 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को संभालने में सक्षम होंगे। इसमें से, 15 प्राथमिकता वाले स्थानों पर एमएमएलपी लगभग ₹22,000 करोड़ (US+ 2.6 बिलियन) के कुल निवेश से विकसित किए जाएंगे।

भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) – 2030 विकसित की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक रेलवे

प्रणाली को “भविष्य के लिए तैयार” बुनियादी ढाँचे में बदलना है। एनआरपी का उद्देश्य परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीतिगत पहलों, दोनों के आधार पर रणनीतियाँ तैयार करना है ताकि माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 45% तक बढ़ाई जा सके। इस योजना का उद्देश्य माँग से पहले क्षमता निर्माण करना है, जो 2050 तक माँग में भविष्य की वृद्धि को भी पूरा कर सके।

भारतीय रेलवे रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु निजी निवेश आकर्षित करने हेतु एक नए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विचार कर रहा है। इस मॉडल के तहत, निवेशकों को कुल परियोजना लागत का 40% तक व्यवहार्यता-अंतर निधि (वीजीएफ) के रूप में प्राप्त होगा और उन्हें प्लेटफार्मों और पटरियों के ऊपर के स्थान का व्यावसायिक उपयोग करने की अनुमति होगी। सरकार ने 2047 तक 100 शहरों में 5,000 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क की घोषणा की है। भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक अपने व्यापक ऊर्जा लक्ष्यों के तहत भारतीय रेलवे को शुद्ध-शून्य उत्सर्जक में बदलना है।

केंद्रीय बजट 2025–26 के तहत, सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड ₹2,65,200 करोड़ (US+31.43 बिलियन) का पूंजीगत व्यय आवंटित किया है। भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2026 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त कर लेगा, जिसका 97% से अधिक कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, और यह तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा को अपना रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री, सुश्री निर्मला सीतारमण ने अगले 10 वर्षों में 120 नए हवाई अड्डों को जोड़ने की योजना की घोषणा की, जिससे चार करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को लाभ होगा। भारत में 158 हवाई अड्डे चालू हैं और पिछले एक दशक में 84 हवाई अड्डों के निर्माण के साथ, भारत का विमानन नेटवर्क तेजी से विकसित हो रहा है और 13 मार्च, 2024 तक 1.36 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा कर चुके हैं।

भारत 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, 47% गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा और उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी के साथ जलवायु लक्ष्यों को पार कर रहा है। देश में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अपार विकास की संभावनाएँ हैं, क्योंकि इसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।

प्रधानमंत्री की कॉप26 घोषणा के अनुसार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। 2025–2030 में भारत में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली उत्पादन, तापीय ऊर्जा उत्पादन की तुलना में लागत-प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने और कम करने में भारत वैश्विक औसत से आगे निकल गया है, और उत्सर्जन रिपोर्टिंग और कमी के प्रयासों के मामले में दुनिया भर के शीर्ष तीन देशों में शामिल है। अनुमान है कि 2040 तक भारत के बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 49% होगा।

ये प्रयास आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी में सुधार लाने और विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। परिवहन के विभिन्न साधनों के एकीकरण से निश्चित रूप से अधिक कुशल रसद और तेज परियोजना कार्यान्वयन संभव हो सकता है।

बोर्ड की रिपोर्ट

ऑर्डर— बुक

कंपनी जिस उद्योग से संबंधित है, उसमें ऑर्डर बुक को भविष्य के प्रदर्शन का संकेतक माना जाता है क्योंकि यह अनुमानित भविष्य के राजस्व का एक हिस्सा दर्शाता है। कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है और प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए ऑर्डर प्राप्त करती है।

31 मार्च, 2025 तक ऑर्डर बुक ₹20,346.65 करोड़ है, जबकि 31 मार्च, 2024 तक यह ₹27,208 करोड़ थी। कड़ी प्रतिस्पर्धा और मार्जिन के कारण कंपनी को नए ऑर्डर हासिल करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, परिवहन अवसरचना क्षेत्र में वृद्धि को देखते हुए, हमें उम्मीद है कि आगे चलकर ऑर्डर बुक में वृद्धि होगी।

घरेलू परियोजनाएँ

निगमन के बाद से, कंपनी ने विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में विविधता लायी है और अब रेलवे और राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में एक स्थापित कंपनी है।

चल रही परियोजनाएँ

भारत में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की सूची परिशिष्ट—क में दी गई है।

वित्त वर्ष 2024–25 में, आपकी कंपनी का ध्यान कार्यान्वयन, तेज डिलीवरी और आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र रूप से सर्वोत्तम योगदान के लिए निर्धारित समय-सीमा को पूरा करने पर रहा है। यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री और माननीय रेल मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, इरकॉन ने निम्नलिखित घरेलू परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चालू किया है:

- समर्पित माल ढुलाई गलियारा परियोजना (पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा चरण-2 का वैतरणा-सचिन खंड), सिविल, भवन और ट्रैक कार्य, पैकेज— महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में सीटीपी 12, मार्ग की लंबाई—186 किमी, एनटीसी ट्रैक बिछाने—386 टीकेएम— ₹3,500 करोड़।
- किऊल गया दोहरीकरण परियोजना में, वित्त वर्ष 2024–25 में वारिस अलीगंज— नवादा खंड (19.5 किमी) 02.07.2024 को और नवादा— तिलैया खंड (17 किमी) 05.02.2025 को चालू किया गया, इसके साथ ही किऊल गया दोहरीकरण परियोजना (122.80 किमी) सफलतापूर्वक चालू कर दी गई है।
- उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के 20 स्टेशनों पर ईआईई द्वारा मैकेनिकल सिग्नलिंग का प्रतिस्थापन — ₹241.34 करोड़।
- नगरनार में 3.0 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए रेलवे ट्रैक (इन-प्लान्ट) पैकेज संख्या 50 — ₹52.95 करोड़

भारत में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की कुछ उपलब्धियाँ निम्नलिखित थीं:

1. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड, चरण— I (अंगुल—बलराम खंड—14 किमी) परियोजना के संबंध में, बलराम यार्ड में एस एंड टी कार्य

07.09.2024 को चालू कर दिया गया है और संचालन के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे को सौंप दिया गया है।

2. रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं में, इरकॉन ने 97 किलोमीटर तक फैली 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के साथ-साथ 12 ट्रेक्शन सब-स्टेशनों सहित 911 आरकेएम को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
3. 81 स्टेशनों पर नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआईई)/ईआईई या रूट रिले इंटरलॉकिंग (आरआरआई) में परिवर्तन के सिग्नलिंग कार्य शुरू किए गए।
4. कटनी—सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना में, विजयसोटा—ब्योहारी खंड (30 किलोमीटर) 22.04.2024 को और जोबा—मरवासग्राम खंड (8 किलोमीटर) 07.10.2024 को सफलतापूर्वक चालू हो गया।
5. कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास परियोजना में न्यू कटंगी खुर्द स्टेशन से न्यू मझगावां फाटक (16 किलोमीटर) के बीच कटनी यूपी ग्रेड सेपरेटर का ट्रायल रन 31.03.2025 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
6. अखौरा—अगरतला रेल लिंक परियोजना में, निश्चिंतपुर यार्ड—अगरतला खंड (4 किमी) नई लाइन 04.06.2024 को सफलतापूर्वक चालू कर दी गई। इसके साथ ही, 5.50 किमी ट्रांस-बांग्लादेश संपर्क का पूरा भारतीय भाग पूरा हो गया। अगरतला स्टेशन के पास नव विकसित निश्चिंतपुर यार्ड का भारतीय रेलवे नेटवर्क में एकीकरण 24.03.2025 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया।
7. यूएसबीआरएल परियोजना में, बसिन्दधार—सांगलदान खंड (17 किमी) नई लाइन 27.06.2024 को सफलतापूर्वक चालू कर दी गई। इस कमीशनिंग के साथ ही यूएसबीआरएल नई लाइन परियोजना में इरकॉन का संपूर्ण कार्यक्षेत्र पूरा हो गया है।
8. यूएसबीआरएल परियोजना में 54 आरकेएम और 108 सुरंग किलोमीटर में एकीकृत सुरंग संचार कार्य और वीएचएफ सुरंग रेडियो संचार प्रणाली चालू की गई, जो भारतीय रेलवे पर इस तरह का सबसे बड़ा नेटवर्क है।
9. झारखंड में कोयला रेल संपर्क परियोजना में, खुरहागोड़ा—कटकमसांडी खंड (2.6 किमी) नई लाइन 25.03.2025 को सफलतापूर्वक चालू की गई।
10. वडोदरा—मुंबई एक्सप्रेसवे (वीएमई) परियोजना के भोज मोरबे एक्सप्रेसवे परियोजना पैकेज—XVII में, प्रस्तावित 4.16 किलोमीटर लंबी दिवन—ट्यूब सुरंग की एलएचएस ट्यूब सफलतापूर्वक पार कर ली गई। मात्र 485 दिनों में पूरी हुई यह उपलब्धि, वीएमई परियोजनाओं में सबसे तेज सुरंग पार करने का प्रमाण है।
11. मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल में, पैकेज एमएचएसआर सी—708 संख्या में वाया डक्ट की कुल लंबाई का लगभग 18.20 किमी (कुल का एक तिहाई) क्रॉसिंग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
12. सिवोक—रंगपो नई रेल लाइन परियोजना में सुरंग टी6 (3943

बोर्ड की रिपोर्ट

मीटर) और सुरंग टी4 (3948 मीटर) का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया।

13. सिवोक-रंगपो नई रेल लाइन परियोजना में, पुल संख्या 6 के 2X69 ओपन वेब गर्डरों की लॉन्चिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। इसके साथ ही, 13 प्रमुख पुलों में से 7 की गर्डर लॉन्चिंग पूरी हो गई है। 985 मीट्रिक टन के संयुक्त भार वाले 3X76.20 मीटर के ओपन वेब गर्डरों की लॉन्चिंग, भूतल से 24 मीटर ऊपर, ट्रेस्टल्स पर की गई है। इस लॉन्चिंग के साथ, परियोजना में 8 प्रमुख पुलों की गर्डर स्थापना का काम पूरा हो गया है।
14. सौर परियोजना में, कर्नाटक के पावागडा में 150 मेगावाट सौर ऊर्जा (500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र में से) चालू की गई।
15. चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना में, परियोजना के चरण-II के प्राथमिकता वाले खंड का पूनमल्ली डिपो और मुलियाथोटम स्टेशन के बीच सफल परीक्षण किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ

वित्त वर्ष 2024-25 में, कुल राजस्व में अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का योगदान ₹339.10 करोड़ था, जो परिचालन कारोबार का 3.33% था। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में यह ₹574.82 करोड़ था, जो परिचालन कारोबार का 4.81% था।

चालू परियोजनाएँ

कंपनी विदेशों में निम्नलिखित परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है:

i. बांग्लादेश

कंपनी ने अगरतला (भारत) से अखौरा (बांग्लादेश) तक नई रेलवे लाइन के निर्माण हेतु तकनीकी सलाहकार सेवाएँ (टीएसएस) और बांग्लादेशी हिस्से में निर्माण हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएससी) प्रदान करने हेतु भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के निर्माण ठेकेदार की नियुक्ति बांग्लादेश रेलवे द्वारा 240.9 करोड़ टक्का (लगभग ₹209.47 करोड़ के बराबर) के अनुबंध मूल्य पर की गई है। यह कार्य 30 जून 2024 तक पूरा हो जाएगा और वर्तमान में 30 जून 2025 तक डीएलपी के अधीन है। इसका ट्रायल रन 30 अक्टूबर, 2023 को किया गया था और परियोजना का उद्घाटन 1 नवंबर, 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा किया गया था।

ii. अल्जीरिया

यह परियोजना अल्जीरिया सरकार के लोक निर्माण एवं निवेश मंत्रालय के अंतर्गत रेलवे निवेश की योजना एवं कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय एजेंसी, एएनईएसआरआईएफ द्वारा 1,628 करोड़ अल्जीरियाई दीनार (लगभग ₹1,003 करोड़ के बराबर) की लागत से नवंबर 2012 में पूरी होने के लिए प्रदान की गई थी। इस परियोजना में दूसरी लाइन का निर्माण और मौजूदा लाइनों का उन्नयन शामिल है, जिसमें अल्जीरियाई रेलवे के अल्जीयर्स-ओरान खंड में औएड स्ली स्टेशन से येलेल स्टेशन

तक रेलिजेन शहर के लिए 10 किलोमीटर का डायवर्जन शामिल है। दोहरी लाइन के निर्माण हेतु अतिरिक्त कार्य सहित अनुबंध का मूल्य संशोधित करके 3,241 करोड़ अल्जीरियाई दीनार (लगभग ₹2,395 करोड़ के बराबर) कर दिया गया है।

कुल 218 किलोमीटर में से 214 किलोमीटर ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है। शेष 4 किलोमीटर का काम क्लाइंट द्वारा दूर की जाने वाली बाधाओं के कारण लंबित है। मौजूदा लाइन पर भी काम शुरू हो चुका है और मौजूदा लाइन के 75 किलोमीटर में से कुल 74.8 किलोमीटर हिस्से, 7 में से 6 स्टेशन भवन सभी तरह से पूरे हो चुके हैं, और परियोजना के सभी 10 प्रमुख रेल पुल भी पूरे हो चुके हैं। इस परियोजना के दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

iii. श्रीलंका

(क) भारतीय ऋण सहायता के अंतर्गत माहो ओमानथाई से रेलवे लाइन का उन्नयन — ट्रैक पुनर्वास और सहायक कार्य।

यह परियोजना 29 अप्रैल 2019 को श्रीलंका सरकार के परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले श्रीलंकाई रेलवे द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 91.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹637.22 करोड़) की लागत से 36 महीनों की अवधि में पूरी करने के लिए आवंटित की गई थी, जो 29 नवंबर 2019 को अग्रिम भुगतान की प्राप्ति से शुरू होगी। इस परियोजना का वित्तपोषण भारतीय एक्जिम बैंक द्वारा भारतीय ऋण सहायता के अंतर्गत किया जा रहा है। अनुबंध की समाप्ति तिथि 28 नवंबर 2022 निर्धारित की गई है। हालाँकि, कोविड-19 महामारी, उसके बाद के आर्थिक संकट, राजनीतिक अशांति और श्रीलंका में विरोध प्रदर्शनों के कारण परियोजना में देरी हुई।

इस परियोजना में श्रीलंका रेलवे द्वारा दो चरणों में मेगा ट्रेफिक ब्लॉक में 128 किलोमीटर बीजी रेलवे लाइन का उन्नयन शामिल है।

पहले चरण में, अनुराधापुरा से ओमानथाई खंड (63.0 किमी) का उन्नयन जनवरी 2023 में शुरू हुआ और जुलाई 2023 में पूरा होकर चालू हो गया। दूसरे चरण में, माहो से अनुराधापुरा (65 किमी) का उन्नयन जनवरी 2024 में शुरू हुआ और सितंबर 2024 में पूरा होकर चालू हो गया। परिष्करण कार्य प्रगति पर है।

श्रीलंका में आर्थिक और ईंधन संकट तथा असामान्य वर्षा सहित अनेक चुनौतियों के बावजूद, इरकॉन ने असाधारण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए आवंटित यातायात ब्लॉकों के भीतर माहो से ओमानथाई तक रेलवे लाइन को सफलतापूर्वक पूरा किया और चालू किया।

इस उन्नयन से यात्रा अधिक सुरक्षित, आरामदायक और विश्वसनीय होगी। उन्नत ट्रैक श्रीलंका रेलवे के आधुनिकीकरण में योगदान देगा, यात्रा समय कम करेगा, पर्यटन को बढ़ावा देगा और भारत-श्रीलंका संबंधों को मजबूत करेगा।

माहो-ओमानथाई रेलवे लाइन का औपचारिक उद्घाटन 6

बोर्ड की रिपोर्ट

अप्रैल 2025 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा किया गया था।

(इ) भारतीय ऋण सहायता के अंतर्गत माहो जंक्शन (सहित) से अनुराधापुरा (छोड़कर) तक सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली की डिजाइन, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और प्रमाणन की खरीद:

यह परियोजना 4 दिसंबर 2022 को श्रीलंका सरकार के परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले श्रीलंकाई रेलवे द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 14.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹121.25 करोड़) की परियोजना लागत पर प्रदान की गई। अनुबंध समझौते पर 21 सितंबर 2023 को हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की पूर्णता अवधि मोबिलाइजेशन अग्रिम प्राप्त होने से 12 महीने है, जिसमें दोष दायित्व अवधि 12 महीने और वारंटी अवधि 36 महीने है। इस परियोजना का क्रियान्वयन भारत से प्राप्त अनुदान सहायता से किया जाएगा।

कार्य के दायरे में सात स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के साथ-साथ माहो से अनुराधापुरा रेलवे लाइन के लिए सिंगल-लाइन स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसमें सात स्टेशनों पर उपकरण कक्षों और 20 स्थानों पर गेट हट भवनों का निर्माण भी शामिल है।

नई उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली सुरक्षा, विश्वसनीयता, लाइन क्षमता और समकालिक रिसेशन को बढ़ाएगी, जिससे रेलगाड़ियों में देरी कम होगी और यात्रा का समय कम होगा।

इस परियोजना का शुभारंभ 6 अप्रैल 2025 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री अनुरा कुमारा दिसानायके द्वारा औपचारिक रूप से किया गया।

iv. नेपाल

नेपाल में कंपनी निम्नलिखित दो परियोजनाओं पर काम कर रही है:

(क) भारत-नेपाल सीमा पर जोगबनी (भारत)-विराटनगर (नेपाल) के बीच ब्रॉड गेज (बीजी) लाइन का निर्माण

इस परियोजना में बथनाहा (भारत), Ch. 0.00 किमी. से विराटनगर (नेपाल), Ch. 18.60 किमी. तक नई BG रेल लाइन का निर्माण शामिल है। भारतीय भाग (5.45 किमी.) में प्रस्तावित संरेखण उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के कटिहार मंडल के अंतर्गत बिहार राज्य के अररिया जिले में पड़ता है, जबकि नेपाल भाग (13.15 किमी.) में प्रस्तावित संरेखण नेपाल के मोरंग जिले में पड़ता है।

अनुबंध का संशोधित मूल्य ₹484.59 करोड़ विदेश मंत्रालय के अनुमोदनाधीन है।

बथनाहा (भारत) चैनल 0.00 किमी से नेपाल कस्टम यार्ड (नेपाल) चैनल 6.70 किमी तक का खंड 1 जून, 2023 को माल यातायात

के लिए चालू कर दिया गया है। शेष भाग में कार्य प्रगति पर है। परियोजना की समग्र प्रगति लगभग 86% है।

(ख) जयनगर (भारत) – बिजलपुरा (नेपाल) गेज परिवर्तन द्वारा बीजी लाइन का निर्माण, भारत नेपाल सीमा पर बर्दीबास तक विस्तार के साथ

इस परियोजना में जयनगर (भारत), चौधरी से एक नई बीजी रेल लाइन का निर्माण शामिल है। बिजलपुरा (नेपाल) च. से 0.00 कि.मी. बर्दीबास, च. तक विस्तार के साथ किमी 52.336। किमी 68.72. कुल प्रस्तावित संरेखण में से 2.975 किलोमीटर भारत में बिहार राज्य के मधुबनी जिले में और 65.745 किलोमीटर नेपाल के महोत्तरी जिले में पड़ता है।

907.59 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान विदेश मंत्रालय के अनुमोदनाधीन है।

भारत सरकार की ओर से आपकी कंपनी ने 22 अक्टूबर, 2021 को जयनगर (किमी 0.00) से कुर्था (किमी 34.90) तक नव-नियुक्त सीमा पार रेल खंड (खंड-1) नेपाल सरकार को सौंप दिया है, जिसका उद्घाटन 2 अप्रैल, 2022 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री और नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वर्चुअल मोड के माध्यम से किया गया। 34.9 किलोमीटर जयनगर (भारत) – कुर्था (नेपाल) खंड का पहला चरण 68.72 किलोमीटर जयनगर-बिजलपुरा-बरदीबास रेल लिंक का हिस्सा है, जिसका निर्माण भारत सरकार की 8.77 बिलियन नेपाली रुपये की अनुदान सहायता के तहत किया जा रहा है।

कुर्था-बिजलपुरा, किमी 34.900 से किमी 52.34 तक खंड-2 भी पूरा हो चुका है और 16 जुलाई 2023 को चालू हो जाएगा। बिजलपुरा-बरदीबास, किमी 52.34 से किमी 68.72 तक खंड-3 में, नेपाल सरकार द्वारा अभी भी बाधा मुक्त भूमि सौंपी जानी है। परियोजना की कुल प्रगति लगभग 74% है।

v. म्यांमार

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमएमटीटी परियोजना) के अंतर्गत पलेत्वा (म्यांमार) से जोरिनपुरई (मिजोरम) (कलादान रोड परियोजना) तक सड़क निर्माण के शेष कार्य के लिए विदेश मंत्रालय से ईपीसी मोड पर ₹1,780 करोड़ की एकमुश्त लागत से म्यांमार में एक परियोजना हासिल की है। इस परियोजना के निर्माण का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोलना और मिजोरम को जोरिनपुरई में म्यांमार के चिन राज्य से जोड़ना है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर 7 मार्च, 2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं और यह परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि से 40 महीनों के भीतर पूरी होनी है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 90 किलोमीटर के हिस्से (पलेत्वा छोर (म्यांमार) से 50 किलोमीटर और जोरिनपुरई छोर (भारत-म्यांमार सीमा) से 40 किलोमीटर) पर काम फिर से शुरू हुआ।

बोर्ड की रिपोर्ट

म्यांमार सेना और विद्रोही समूहों के बीच चल रहे सशस्त्र संघर्षों के कारण, पूरे मार्ग पर एक विद्रोही समूह का नियंत्रण है। कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान में, जीओएम से कार्य करने और जीओएम से सीमेंट, स्टील, सीमेंट आदि निर्माण सामग्री और मशीनरी के परिवहन की अनुमति नहीं है। सभी हितधारकों के साथ उचित संपर्क के माध्यम से जोरिनपुई की ओर से कार्य प्रगति पर है। 109 किलोमीटर लंबे पूरे मार्ग को घने जंगल से होकर गुजरने वाले एकल लेन मार्ग/कैरिजवे से जोड़ा गया है।

विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, इरकॉन ने काम जारी रखने के लिए अदम्य दृढ़ता और प्रतिबद्धता दिखाई है। परियोजना की कुल प्रगति 15% है।

कंपनियां, संयुक्त उद्यम कंपनियां और सहयोगी कंपनियां

इरकॉन की ग्यारह सहायक कंपनियों और सात संयुक्त उद्यम कंपनियों की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, उनके वित्तीय विवरण और प्रदर्शन का विवरण परिशिष्ट-बी में दिया गया है।

31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, "महत्वपूर्ण सहायक कंपनी" के निर्धारण पर कंपनी की नीति और एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सहायक कंपनी "महत्वपूर्ण सहायक कंपनी" नहीं है, अर्थात् जिसका कारोबार या निवल मूल्य इरकॉन और उसकी सहायक कंपनियों के समेकित कारोबार या निवल मूल्य के क्रमशः 10% से अधिक है, जो कि तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2024 में है।

राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन

आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति, रोजगार में एससीएसटी रोस्टर, वेतनमान 2017 में संशोधन आदि जैसे विभिन्न मामलों पर समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

राजभाषा

कंपनी कार्यालय में हिंदी के व्यापक प्रयोग के लिए कई नवीन और उत्साहवर्धक पहल कर रही है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: सभी कर्मचारियों द्वारा हर महीने के आखिरी सोमवार को पूर्णतः हिंदी में कार्य करने की शपथ।

- क. राजभाषा संगोष्ठी, हिंदी पखवाड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय में वार्षिक आधार पर आयोजित किया जा रहा है।
- ख. कर्मचारियों के जन्मदिन को प्रशंसा और प्रोत्साहन के संकेत के रूप में रिसेशन क्षेत्र में प्लाज्मा स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित त्रैमासिक बैठकें और हिंदी तकनीकी प्रणाली एवं राजभाषा के प्रभावी प्रयोग हेतु त्रैमासिक कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। नराकास के तत्वाधान में, इरकॉन द्वारा प्रतिवर्ष प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

इरकॉन कॉर्पोरेट कार्यालय, कर्मचारियों के बच्चों और परिवार के सदस्यों के लिए प्रतिवर्ष हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फोन के लिए द्विभाषी सुविधा शुरू की गई है। कर्मचारियों के उपयोग के लिए इरकॉन की आंतरिक वेबसाइट पर द्विभाषी प्रारूप उपलब्ध कराए गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, इरकॉन ने अपनी वेबसाइट पर अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी और क्षेत्रीय लोक सूचना अधिकारियों के नामों सहित अद्यतन जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। हमने प्राप्त प्रश्नों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर त्वरित उत्तर दिया है। ये प्रश्न मुख्यतः सेवा मामलों, भर्ती, वित्त, अनुबंध, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और परियोजनाओं से संबंधित थे। आरटीआई मामलों का विवरण केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर तिमाही और वार्षिक आधार पर नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता रहा है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, 143 आवेदन और 29 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं और वर्ष के प्रारंभ में 08 आवेदन और 05 अपीलें स्वीकार्य समय-सीमा के भीतर निपटान हेतु प्रक्रियाधीन थीं (अर्थात् वर्ष के दौरान कुल 151 आवेदन और 34 अपीलें)। इनमें से 142 आवेदन (08 आवेदनों के आरंभिक शेष सहित) और 26 प्रथम अपीलों का निपटारा किया गया। 31.03.2025 तक, 09 आवेदन और 03 अपीलें स्वीकार्य समय-सीमा के भीतर निपटान हेतु प्रक्रियाधीन थीं।

एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीतियों के कार्यान्वयन का अनुपालन और मेक इन इंडिया को प्राथमिकता

कंपनी ने जून 2012 से एक व्यापक खरीद वरीयता नीति लागू की है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 11 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) संशोधन आदेश, 2022 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप है। इरकॉन अपनी खरीद के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल का उपयोग करता है, जो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किसी भी वैधानिक निकाय के साथ पंजीकृत एमएसई फर्मों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

कंपनी ने हमेशा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को अपनी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है तथा प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें बढ़ावा भी दिया है।

इस दिशा में हमारे निरंतर प्रयास से छोटे स्थानीय खिलाड़ियों की भागीदारी में सुधार हुआ है तथा परिचालन स्थलों के आसपास के समुदायों का सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ है।

इरकॉन ने वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद हेतु निविदा दस्तावेजों में एमएसई नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु कई कदम उठाए हैं। इससे

बोर्ड की रिपोर्ट

लाभों में निविदा दस्तावेज शुल्क और बयाना राशि की छूट, तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति संशोधन आदेश, 2022 के अंतर्गत निर्धारित क्रय वरीयता नीति शामिल है।

कंपनी सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के माध्यम से खरीद पर सरकार के दिशानिर्देशों का व्यापक रूप से पालन कर रही है और भारत सरकार के “मेक इन इंडिया” निर्देशों को बढ़ावा देने के लिए निविदाओं में भी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें प्रथम श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है और सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 के अनुरूप राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 200 करोड़ रुपये तक की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, कंपनी ने सामग्री, भंडार और सेवा के लिए ₹118.01 करोड़ (एमएसई के दायरे से बाहर की वस्तुओं की खरीद को छोड़कर) के व्यय के मुकाबले एमएसई विक्रेताओं से ₹31.34 करोड़ मूल्य की वस्तुओं की खरीद की है, जिससे खरीद नीति के अनुसार 25% की अनुपालन आवश्यकता के मुकाबले एमएसई से 26.56% खरीद हासिल हुई है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान चार विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। विवरण इस प्रकार हैं—

1. “राष्ट्रीय स्तर – विशेष रूप से एससीएसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम” 12.12.2024 को इरकॉन कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित किया गया।
2. ईईपीसी इंडिया के सहयोग से 21.06.2024 को ऑनलाइन वी.सी. मोड के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर का विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (वी.डी.पी.)।
3. राष्ट्रीय स्तर – विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए “विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम” 11.03.2025 को इरकॉन कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित किया गया।
4. एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई डीएफओ, ओखला, नई दिल्ली द्वारा इरकॉन के सहयोग से 19 और 20 मार्च 2025 को लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में दो दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुपालन में, कंपनी ने 25 जनवरी, 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत सभी 4 ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्लेटफॉर्म को अपना लिया है, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण को उनकी प्राप्तियों में छूट देकर और नियत तिथि से पहले उनके भुगतान की वसूली करके सुगम बनाया जा सके। इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विक्रेताओं के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तों में एक खंड शामिल किया गया है।

मानव संसाधन विकास

इरकॉन का मानना है कि उसके कर्मचारी उसकी सफलता के मूल हैं और संगठन के मूल्यों और संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगठन का दृढ़ विश्वास है कि उसकी उपलब्धियाँ उसके कर्मचारियों के समन्वय और प्रदर्शन के साथ-साथ एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनाए रखने पर निर्भर करती हैं। यह एक सहयोगात्मक, समावेशी और प्रदर्शन-आधारित वातावरण स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो सीखने, विकास और समग्र कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा दे।

इरकॉन का मानव संसाधन (एचआर) दर्शन कर्मचारियों को सशक्त और पोषित करने, उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने, नवोन्मेषी विचारों को प्रोत्साहित करने और प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार प्रदान करने पर केंद्रित है। कंपनी की कार्य संस्कृति खुलेपन और गतिशीलता की विशेषता रखती है, जो कर्मचारियों को शीर्ष प्रबंधन के पूर्ण सहयोग से अपनी भूमिकाओं में पहल करने का अधिकार देती है।

इरकॉन में, मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) टीम सही लोगों की भर्ती, उन्हें बनाए रखने और विकसित करने के लिए समर्पित है। वे एक ऐसा इष्टतम कार्य वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं जो समावेशी, खुला, विविधतापूर्ण हो और सभी कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करे। कंपनी ने अपनी मानव संसाधन रणनीति, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ संरेखित किया है, और संगठनात्मक सफलता के लिए आवश्यक दक्षताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। यह रणनीति कर्मचारियों के लिए एक प्रेरक शक्ति का काम करती है, जो कंपनी की भविष्य की जरूरतों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच की खाई को पाटती है।

इरकॉन एक प्रदर्शन-उन्मुख संस्कृति को बनाए रखता है जहाँ प्रत्येक कर्मचारी के योगदान को मापा जाता है और उचित रूप से मान्यता दी जाती है। कंपनी ने एक मजबूत प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) लागू की है जो सभी स्तरों पर योग्यता को पुरस्कृत करने और मान्यता देने के उसके दर्शन के अनुरूप है। यह प्रणाली कंपनी की प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया में एकीकृत एक संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से अधिकारियों के व्यावसायिक विकास का समर्थन करती है। इरकॉन अपने अत्यधिक प्रेरित और सक्षम मानव संसाधनों पर गर्व करता है और उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है।

प्रमुख संख्या

इस दिशा में हमारे निरंतर प्रयास से छोटे स्थानीय खिलाड़ियों की भागीदारी में सुधार हुआ है तथा परिचालन स्थलों के आसपास के समुदायों का सामाजिक-आर्थिक विकास हुआ है। 31 मार्च, 2025 तक इरकॉन की कुल मानवशक्ति 1182 (पिछले वर्ष 1270) थी, जिसमें 834 नियमित कर्मचारी, 27 प्रतिनियुक्ति पर, 317 संविदा (सेवा अनुबंध सहित) पर और 4 निश्चित अवधि के आधार पर कार्यरत कर्मचारी शामिल थे। कंपनी के कुल कर्मचारियों में से 1140 भारतीय परियोजनाओं में और 42 अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में कार्यरत हैं। 1182 कर्मचारियों में से 1017 तकनीकी और व्यावसायिक रूप से योग्य हैं।

बोर्ड की रिपोर्ट

31 मार्च 2025 तक कुल 55 महिला कर्मचारी थीं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्रति कर्मचारी कुल आय ₹9.03 करोड़ रही, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह ₹9.75 करोड़ थी।

वर्ष के दौरान, कुल नव नियोजित कार्मिकों की संख्या 109 थी, जिनमें 42 नियमित कर्मचारी, 4 प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी तथा 63 अनुबंध (सेवा अनुबंध सहित) पर कर्मचारी शामिल थे।

रोजगार में आरक्षण

कंपनी अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांग श्रेणियों के उम्मीदवारों के रोजगार में आरक्षण से संबंधित मामलों में भारत सरकार की नीतियों और निर्देशों के कार्यान्वयन को सर्वोच्च महत्व देती रही है। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी में कुल 492 एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांग कर्मचारी थे।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, नियमित पदों पर भर्ती किए गए 42 कर्मचारियों में से 24 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित हैं। इसी प्रकार, संविदात्मक पदों (सेवा अनुबंध सहित) पर भर्ती किए गए 63 कर्मचारियों में से 19 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 595 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 238 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग से संबंधित हैं। इन कर्मचारी श्रेणियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने संपर्क अधिकारी नियुक्त किए हैं।

कंपनी का बुनियादी ढांचा दिव्यांग कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से बनाया गया है।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

इरकॉन कर्मचारियों के विकास और करियर में प्रगति पर विशेष ध्यान देता है। पूरे वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इरकॉन की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित संस्थानों/एजेंसियों द्वारा आयोजित व्यावसायिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों की सावधानीपूर्वक पहचान की गई और ऐसे कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त अधिकारियों को नामित किया गया।

कंपनी कार्यात्मक एवं सामान्य प्रबंधन क्षेत्रों, अनुबंध एवं मध्यस्थता, नेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी, आईएसओ मानकों की मूल बातों में प्रशिक्षण के माध्यम से अपने मानव संसाधन के क्षमता निर्माण हेतु निरंतर कदम उठा रही है। आवश्यकतानुसार, बाहरी संकाय की व्यवस्था की जाती है और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन हेतु अधिकारियों को नामित किया जाता है। कर्मचारी विकास हमेशा से कंपनी की प्राथमिकता रही है और समय-समय पर विभिन्न प्रशिक्षण एवं विकास योजनाएँ शुरू की गई हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के

दौरान, इरकॉन के अधिकारियों को कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, आंतरिक प्रशिक्षण और बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण के माध्यम से कुल 1998 मानव दिवसों का प्रशिक्षण दिया गया।

कर्मचारी कल्याण

कंपनी के पास कर्मचारियों के कल्याण के लिए पर्याप्त और सुदृढ़ योजनाएँ हैं। इनमें स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा योजना, सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा योजना, सेवानिवृत्ति-पश्चात पेंशन योजना, नियमित अंतराल पर आवधिक स्वास्थ्य जाँच, भत्ते, आवास के लिए स्व-पट्टा, कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक छात्रवृत्ति, व्यावसायिक डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमुश्त शैक्षिक अनुदान, कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार, दिवंगत कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक सहायता, गैर-कार्यकारी श्रेणियों में कर्मचारियों की बेटियों और आश्रित बहनों के विवाह के लिए सहायता, और डालमिया और स्टर्लिंग रिसोर्ट्स के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए रियायती दरों पर रिसोर्ट सुविधाएँ शामिल हैं। इरकॉन मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रकटीकरण

आपकी कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक सहायक और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए समर्पित है। कंपनी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक व्यापक नीति लागू की है, जो नियमित कर्मचारियों, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों, अस्थायी कर्मचारियों, तदर्थ कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और एजेंसियों या ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों सहित सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। इस नीति को, इसके विवरण सहित, कंपनी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसके अलावा, यह नीति इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर भी लागू होती है, जो विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में गठित की गई हैं।

आपकी कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक समिति (आईसी) के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया है। आईसी में पाँच सदस्य होते हैं, जिनमें कंपनी के चार अधिकारी और एक गैर-सरकारी संगठन का एक बाहरी सदस्य शामिल है। इसके अतिरिक्त, यौन उत्पीड़न निषेध से संबंधित प्रावधानों को इरकॉन के आचरण, अनुशासन और अपील नियमों में शामिल किया गया है।

इरकॉन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013। इसके अतिरिक्त, वांछित विवरण इस प्रकार हैं:

बोर्ड की रिपोर्ट

(क) वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	-	0
(ख) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	-	0
(ग) नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	-	0

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम 2021 के अनुसार, इरकॉन ने अपनी सीएसआर नीति को इरकॉन के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया है। सीएसआर अनिवार्य रूप से जिम्मेदारी से व्यवसाय करने का एक तरीका है और इरकॉन हर समय सामाजिक रूप से जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से अपने व्यावसायिक संचालन और गतिविधियों का संचालन करने का प्रयास करेगा। इरकॉन समाज के कमजोर वर्गों और देश के आकांक्षी जिलों के विकास पर जोर देते हुए समावेशी विकास और सतत विकास में योगदान देने का प्रयास करेगा। नीति के व्यापक उद्देश्यों के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों को परियोजना कार्यक्रम मोड में, अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के प्रमुख क्षेत्रों में, इरकॉन (स्थानीय क्षेत्र) के परियोजना क्षेत्रों की परिधि में कार्यान्वित किया जा रहा है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 10 दिसंबर, 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन और 15 मार्च, 2024 के अद्यतन के अनुसार, सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) को अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए विषय-आधारित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। कंपनी अपने वार्षिक सीएसआर बजट का कम से कम 60% विषयगत कार्यक्रमों के लिए आवंटित करती है और अपनी सीएसआर पहलों में आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, इन दिशानिर्देशों का पालन करके और चुने हुए विषय को अपनाकर, हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और अपने समुदायों की भलाई में योगदान देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।

पूरे वर्ष के दौरान, हमने नीति आयोग द्वारा सूचीबद्ध 15 आकांक्षी जिलों में अनेक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाएँ क्रियान्वित कीं। इन पहलों में ग्राम स्तर पर एम्बुलेंस की व्यवस्था, स्कूलों और अन्य सामुदायिक स्थलों पर पेयजल मशीनों और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, और वंचित छात्रों के लिए एक तकनीकी-उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन शामिल था। इसके अलावा, हमने जैविक खेती को बढ़ावा दिया, वंचित लड़कियों को वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और सौंदर्य एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया, यमुना नदी की स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने में योगदान दिया, और आत्मरक्षा प्रशिक्षण और व्हीलचेयर वितरण की पेशकश की।

वित्त वर्ष 2024-25 में, कंपनी ने आवंटित सीएसआर बजट ₹14.13 करोड़ के मुकाबले ₹14.15 करोड़ खर्च किए हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास के लिए पोषण संबंधी पूरक आहार उपलब्ध कराए, चशमों के वितरण के साथ गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जाँच और पोषण एवं नेत्र जाँच शिविर आयोजित किए, ओपीडी सेवाएँ और निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी की पेशकश की, और कई चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया।

सीएसआर नीति, जो सीएसआर गतिविधियों के संचालन हेतु व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है, हमारी कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुपालन में सीएसआर एवं सतत गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है, जो इसका एक अभिन्न अंग है।

गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

इरकॉन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित अपनाने वाला एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। 1996 में, जब कंपनी को समग्र रूप से टीयूवी एसयूडी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईएसओ 9002:1994 के लिए पहली बार प्रमाणित किया गया था, तब से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) को सफलतापूर्वक बनाए रखा गया है और इसमें निरंतर सुधार किया जा रहा है। इरकॉन ने गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के नवीनतम संस्करण, यानी आईएसओ 9001:2015 (प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के बाद आवधिक पुनः प्रमाणन ऑडिट द्वारा) के अनुसार प्रमाणन जारी रखा है और प्रणाली को बनाए रखा है। नवीनतम निगरानी ऑडिट टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जनवरी, 2025 में किया गया था, और प्रमाणपत्र की वैधता मार्च, 2026 तक है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की और अक्टूबर, 2011 में आईएसओ 45001:2004 के लिए प्रमाणित हुई। आईएसओ 45001:2018 के लिए नवीनतम पुनः प्रमाणन ऑडिट टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अक्टूबर, 2024 के महीने में आयोजित किया गया था और प्रमाण पत्र की वैधता दिसंबर, 2027 तक है।

पर्यावरण प्रबंधन

कंपनी ने एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) स्थापित की और अक्टूबर, 2011 में आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित हुई। आईएसओ 14001:2015 के लिए नवीनतम निगरानी ऑडिट टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अक्टूबर 2024 के महीने में आयोजित किया गया था, और प्रमाण पत्र की वैधता फरवरी 2026 तक है।

बोर्ड की रिपोर्ट

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और उन्नयन

इरकॉन पारंपरिक स्रोतों की सीमित प्रकृति और ऊर्जा संसाधनों के बुद्धिमानी से उपयोग के महत्व के प्रति सचेत है। कंपनी अपने कार्यालय परिसरों और विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा-कुशल उपकरणों के उपयोग पर निरंतर जोर देती रही है ताकि पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में, इरकॉन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- क) इरकॉन ने कॉर्पोरेट कार्यालय में कुल 200 किलोवाट का ग्रिड से जुड़ा रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है, जो ऊर्जा संरक्षण और हरित ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा लगभग 3,00,000 यूनिट वार्षिक होगी, जो विद्युत ग्रिड से ली जा रही ऊर्जा का लगभग 25% है। इरकॉन ने अपने इरकॉन टॉवर, गुरुग्राम में कुल 75 किलोवाट का रूफ टॉप ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट भी स्थापित किया है, जिससे ऊर्जा की खपत कम हुई है। साथ ही, पावर फैक्टर में सुधार के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय भवन में 600 केवीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंक और इरकॉन के गुरुग्राम भवन में 1600 केवीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं,
- ख) इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्यालय भवन की आंतरिक प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा-कुशल प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लाइटों का उपयोग किया गया है, जो सामान्य लाइटों की तुलना में काफी ऊर्जा बचत भी करती है।
- ग) एनसीआरटीसी परियोजना के दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए आरएसएस ऊर्जा संरक्षण हेतु इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर (आईजीबीटी) तकनीक से युक्त लगभग 10.7 एमवीएआर क्षमता के स्वचालित ध्वानामिक रिएक्टिव पावर फैक्टर (एपीएफ) सुधार/क्षतिपूर्ति पैनल डिजाइन किए गए हैं और रिसीविंग सबस्टेशनों (आरएसएस) पर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, आरएसएस नियंत्रण कक्ष भवन का निर्माण भी ऊर्जा संरक्षण हेतु भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) के उच्चतम मानकों के अनुसार किया गया है। इसके अलावा, कर्नाटक में 500 मेगावाट की सौर परियोजना में लगभग 135 एमवीएआर क्षमता के स्टैटिक वार जेनरेटर (एसवीजी) भी स्थापित किए जा रहे हैं ताकि डायनेमिक रिएक्टिव पावर क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सके, जिससे पावर फैक्टर और सिस्टम स्थिरता बनी रहे और ग्रिड में बिजली की गुणवत्ता में सुधार हो।
- घ) इरकॉन ने यूएसबीआरएल ईएंडएम सुरंग परियोजनाओं में 20,000 से अधिक एलईडी लाइटें लगाई हैं, जिससे ऊर्जा की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अलावा, इरकॉन ने ऊर्जा संरक्षण हेतु विभिन्न परियोजनाओं, जैसे बंडामुंडा स्थित लोको शेड, कटनी-सिंगरौली आरई परियोजना आदि में भी ऊर्जा की खपत कम करने हेतु ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटें लगाई हैं।

- ड.) यूएसबीआरएल आरई परियोजना के लिए बारामूला, काजीगुंड और बडगाम टीएसएस (जम्मू-कश्मीर) में 2400 केवीएआर क्षमता वाले कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, विभिन्न रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं के 12 टीएसएस में 5500 केवीएआर क्षमता वाले कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, सुरंग सबस्टेशनों के लिए जेट पंखों के कारण होने वाले प्रतिक्रियाशील विद्युत उत्पादन को नियंत्रित करने और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए कुल 16 एमवीएआर कैपेसिटर बैंक भी स्थापित किए गए हैं।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

कंपनी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में निम्नलिखित का उपयोग कर रही है:

- क) इरकॉन के कॉर्पोरेट कार्यालय में 200 किलोवाट के रूफ टॉप सौर संयंत्र की स्थापना के अलावा, इरकॉन ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए एक प्रमुख परियोजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है। इसके तहत कर्नाटक के पावागड़ा में 500 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी मोनोक्रिस्टलाइन पैसिवेटेड एमिटर और रियर सेल (पीईआरसी) बाई-फेशियल सोलर फोटो वोल्टेइक (एसपीवी) मॉड्यूल्स के साथ ट्रैकर प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक रोबोटिक क्लीनिंग का उपयोग किया जाएगा। इससे रेलवे को प्रति वर्ष लगभग 1,076 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति होगी।
- ख) इरकॉन, गुरुग्राम स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय और अपने परियोजना कार्यालयों में भी हरित भवन निर्माण जैसी सुविधाएँ प्रदान कर रहा है, जिससे जल, सामग्री, अपशिष्ट, ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन पर पर्यावरणीय प्रभाव कम हो रहे हैं। इरकॉन ने विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में सौर पैनल लगाए हैं साथ ही बिजली संरक्षण के लिए सेंसर लाइट और सेंसर नल भी लगाए हैं।
- ग) इरकॉन ने संगलदान (जम्मू-कश्मीर) स्थित अपने कार्यालय परिसर के लिए 110 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक पैनल भी स्थापित किए हैं।

ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

इरकॉन ने कॉर्पोरेट कार्यालय में मौजूदा हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन (एचवीएस) सिस्टम को नई तकनीक ऊर्जा कुशल इन्वर्टर प्रकार एयर कंडीशनिंग सिस्टम से बदलने के लिए लगभग ₹4.00 करोड़ का निवेश किया है, जिससे ऊर्जा की खपत 25-30% कम हो जाएगी।

इसके अलावा, पुराने रेफ्रिजरेट R-22 को नई प्रौद्योगिकी वाले रेफ्रिजरेट R-410A से प्रतिस्थापित किया गया है, जो पर्यावरण अनुकूल है और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, जो सतत विकास में सहायक है।

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रौद्योगिकी अवशोषण और उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास

कंपनी ने अहमदाबाद से मुंबई तक राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण मशीनरी मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के तहत विकसित की है और भारतीय निर्माताओं को ट्रैक मशीनों की तकनीकी डिजाइन और विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकताओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया है। इन मशीनों में रेल फीडर कार, ट्रैक स्लैब लेइंग कार, कैम इंजेक्शन कार, ट्रैक मोटर कार, ट्रॉली वेगन, पलैश बट वेल्डिंग मशीन आदि शामिल हैं। ये मशीनें जापानी तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष रूप से विकसित की गई हैं।

उपरोक्त के अलावा, हाई-स्पीड रेलवे ट्रैक के लिए गिट्टी रहित ट्रैक हेतु जे-स्लैब बनाने हेतु अत्याधुनिक कारखाना भी स्थापित किया गया है, जिसका निर्माण शिकानसेन तकनीक से किया जा रहा है। रेफरेंस पिन सर्वेक्षण का प्रतिगमन विश्लेषण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है, जिसे पहले जापानी फर्म मेसर्स कानेको द्वारा किए जाने की योजना थी। हाई-स्पीड ट्रैक के लिए कई घटक, जैसे रेफरेंस पिन, कैम बैग, सिंथेटिक रेजिन पैड, एडजस्टेबल पैड, जे-स्लैब के लिए इंसर्ट सी और डी, स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं, जिससे आयातित घटकों पर निर्भरता कम हुई है और विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ

इस प्रयास में, इरकॉन ने न केवल जापानी डिजाइन के अनुरूप भारतीय निर्माताओं को विकसित किया है, बल्कि जापान से इन मशीनों को खरीदने के बजाय भारत में ही इनका निर्माण करवाकर इरकॉन की महत्वपूर्ण लागत (₹100 करोड़ से अधिक) भी बचाई है। इसके अलावा, भारतीय फर्म द्वारा रेफरेंस पिन सर्वेक्षण के रिगेशन विश्लेषण से भी लगभग ₹30 करोड़ की बचत होगी।

आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) – एन.ए.

अनुसंधान और विकास

कंपनी मुख्य रूप से एक ईपीसी कंपनी होने के नाते कोई भी विशुद्ध अनुसंधान परियोजना नहीं करती है, बल्कि तकनीकी क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए, अपेक्षित गुणवत्ता के साथ, लागत प्रभावी तरीके से परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए तरीकों और तकनीकों को विकसित करने और नवाचार करने के लिए सलाहकारों और फर्मों की मदद लेती है।

सूचना प्रौद्योगिकी, ईआरपी और साइबर सुरक्षा

इरकॉन का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग परिचालन दक्षता और रणनीतिक विकास, दोनों के लिए आधारशिला का काम करता है। एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में कार्य करते हुए, आईटी विभाग पूरे संगठन में कर्मचारी उत्पादकता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाता है। डेटा नेटवर्क,

एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और आईटी अवसंरचना खरीद के प्रबंधन के अलावा, यह टीम उद्यम-व्यापी पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि SAP S/4HANA, टोल प्रबंधन प्रणाली और परियोजना प्रबंधन प्लेटफॉर्म आदि का कार्यान्वयन।

हमारी डिजिटल यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण SAP S/4HANA को हमारे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) की रीढ़ के रूप में अपनाना है। यह मजबूत प्रणाली हमारे वित्त, नियंत्रण और मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों को सुव्यवस्थित करती है, जिससे कंपनी-व्यापी सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता में वृद्धि और तेज निर्णय लेने में सहायता मिलती है। हमने एसएपी बिजनेस ऑब्जेक्ट्स (SAP BO) के साथ अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग को और बेहतर बनाया है, जो एक विश्लेषणात्मक उपकरण है जो SAP से रीयल-टाइम डेटा प्राप्त करके स्वचालित, ऑन-डिमांड रिपोर्ट प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। कर्मचारी स्व-सेवा पोर्टल, वित्त और एचसीएम मॉड्यूल पूरे संगठन में सफलतापूर्वक लागू किए जा चुके हैं, और प्रोजेक्ट सिस्टम वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर कार्यान्वयन के अधीन हैं।

कागज रहित वातावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हमने ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से अपना लिया है। यह पहल भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो अनुमोदनों, फाइल स्थानांतरण और आधिकारिक दस्तावेजों को डिजिटल बनाता है, जिससे भौतिक फाइल प्रणालियों की जगह बेहतर दक्षता और सुरक्षा मिलती है।

आईटी टीम हमारी प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं में राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणालियों (एचटीएमएस), टोल प्रबंधन प्रणालियों (टीएमएस), और वेट-इन-मोशन प्रणालियों के कार्यान्वयन, संचालन और प्रबंधन की देखरेख करती है। ये प्रणालियाँ हमारे राजमार्ग अवसंरचना के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

ई-ऑफिस जैसे हमारे मुख्य एंटरप्राइज एप्लिकेशन सुचारु रूप से चलें, यह सुनिश्चित करने के लिए, हमने हाल ही में अपने डेटा सेंटर के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया है, जिसमें अत्याधुनिक एचसीआई (हाइपर-कन्वर्ज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर) सिस्टम शामिल हैं। यह न केवल इन एप्लिकेशन के तेज, अधिक कुशल और सुरक्षित उपयोग की गारंटी देता है, बल्कि हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना स्थलों में कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाता है, जिससे हमारी आंतरिक आईटी प्रतिभा का अधिकतम उपयोग होता है। हमने एआई फेस-रीडर-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणालियाँ भी स्थापित की हैं और अधिक सटीक खरीद रिपोर्टिंग के लिए उन्हें SAP के साथ एकीकृत कर रहे हैं। खरीद में बेहतर दक्षता और पारदर्शिता के लिए, पूरे संगठन में सरकारी ई-मार्केट प्लेस (GeM) और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (CPP) पोर्टल के माध्यम से ई-खरीद को अपनाया गया है।

बदलते खतरों को समझते हुए, साइबर सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। हमने अपनी कंपनी की वेबसाइटों और वेब एप्लिकेशन को संभावित साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड-आधारित वेब एप्लिकेशन फायरवॉल (WAF) सिस्टम लागू किया है। हम अपने

बोर्ड की रिपोर्ट

कर्मचारियों को सूचित और कुशल बनाए रखने के लिए नियमित रूप से AI, साइबर सुरक्षा और मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों में कर्मचारी प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं।

हमारी समर्पित एआई-आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग परियोजना कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों, पदोन्नति साक्षात्कारों और अनुबंध संबंधी मुद्दों के प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे प्रभावी दूरस्थ सहयोग सुनिश्चित होता है।

कॉर्पोरेट शासन

कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं के पालन पर विशेष जोर देती है, और दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने और अल्पसंख्यक अधिकारों को बनाए रखने में उनके महत्व को पहचानती है। कंपनी के संचालन, प्रदर्शन, नेतृत्व और प्रशासन के बारे में समय पर और सटीक जानकारी प्रदान करना अपना मूलभूत दायित्व मानती है।

मई 2010 में जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर एलओडीआर विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के विनियमन 34 के अनुपालन में, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट, उपर्युक्त एलओडीआर विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों के अनुपालन प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

31 मार्च, 2025 तक कंपनी में छह निदेशक थे, जिनमें से चार पूर्णकालिक निदेशक [अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्य) और निदेशक (परियोजनाएं)] हैं और दो सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

कंपनी ने वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु रेल मंत्रालय से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार, निदेशक मंडल ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सभी पूर्णकालिक निदेशकों एवं कंपनी सचिव को कंपनी का प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नियुक्त किया है। कंपनी के सबसे वरिष्ठ वित्त अधिकारी को मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और केएमपी नियुक्त किया गया है।

31 मार्च, 2025 तक निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

31 मार्च, 2025 तक कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक थे, अर्थात् — श्री हरि मोहन गुप्ता (डीआईएन: 08453476), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ, श्रीमती रागिनी अडवाणी (डीआईएन: 09575213), निदेशक (वित्त), श्री पराग वर्मा (डीआईएन: 05272169), निदेशक (वर्कर्स), श्री आनंद कुमार सिंह (डीआईएन:

07918656), निदेशक (परियोजनाएं), अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक अर्थात् श्री आनंद भाटिया (डीआईएन: 10937265) और श्री अनुपम सिंह, (डीआईएन: 10637375), सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं।

सीईओ और पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा, 31 मार्च, 2025 तक अन्य केएमपी में श्री एलिन रॉय चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ और श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, कंपनी सचिव शामिल थे।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान और उसके बाद निदेशकों और केएमपी की नियुक्ति और समाप्ति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद में परिवर्तन

रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2023/ई(ओ)II/40/15 दिनांक 1 जुलाई, 2024 के अनुसार, श्री हरि मोहन गुप्ता (डीआईएन: 08453476) को कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अपर निदेशक) नियुक्त किया गया है। वे पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात् 30.06.2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्यरत रहेंगे। श्री हरि मोहन गुप्ता ने 1 जुलाई 2024 से सीएमडी का पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके अतिरिक्त, श्री हरि मोहन गुप्ता को 12 सितंबर 2024 को आयोजित कंपनी की अंतिम वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियमित किया गया।

रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2020/ई(ओ)II/40/2 दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के अनुसार, श्री आशीष बंसल, आईआरएसई, पीईडी/ट्र. (एम एंड एमसी), रेलवे बोर्ड [डीआईएन: 10328174] को 29 अप्रैल, 2024 से अपने स्वयं के कर्तव्यों के अतिरिक्त इस पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। परिणामस्वरूप, श्री बृजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सदस्य (सीई), रेलवे बोर्ड [डीआईएन: 10092756] ने 11 अप्रैल, 2024 से इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार त्याग दिया है। 29 अप्रैल, 2024 से प्रभावी और रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2022/पीएल/57/10 दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुसरण में, श्री बृजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सदस्य (सीई), रेलवे बोर्ड [डीआईएन: 10092756, को 29 अप्रैल, 2024 से कंपनी के सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

कार्यात्मक निदेशकों के पद में परिवर्तन

श्री पराग वर्मा (डीआईएन: 05272169), 30 अप्रैल 2025 से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर निदेशक (कार्य) के पद से मुक्त हो गए।

रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2021/ई(ओ)II/40/23 दिनांक 7 मई, 2025 के अनुसार, श्री नरेश चंद्र करमाली (डीआईएन: 09103211), आईआरएसई, पीईडी/जीएस, रेलवे बोर्ड को अपने स्वयं के पद के

बोर्ड की रिपोर्ट

अतिरिक्त, इरकॉन में निदेशक (कार्य) (अतिरिक्त निदेशक) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से और अगले आदेश तक प्रभावी है। इसके अलावा, श्री करमाली ने 9 मई, 2025 से निदेशक (कार्य) के पद का कार्यभार संभाल लिया है। तदनुसार, रेल मंत्रालय के अगले आदेश संख्या 2024/ई(ओ) सस/40/4 दिनांक 15 मई 2025 के अनुसार, श्री नरेश चंद्र करमाली ने 15 मई 2025 से इरकॉन में निदेशक (कार्य) के पद का अतिरिक्त प्रभार त्याग दिया है।

रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2024/ई(ओ)II/40/4 दिनांक 15 मई 2025 के अनुसार, श्री अजीत कुमार मिश्र (डीआईएन: 11108237) को निदेशक (कार्य) (अपर निदेशक) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है। श्री मिश्र ने 15 मई 2025 से निदेशक (कार्य) का पदभार ग्रहण कर लिया है। श्री अजीत कुमार मिश्र को कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक (कार्य) के रूप में नियमित करने का प्रस्ताव है।

अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक/सरकारी नामित निदेशक के पद में परिवर्तन

रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2022/PL/57/10 दिनांक 6 नवंबर, 2024 के अनुसार, श्री अनुपम सिंह (डीआईएन: 10637375), ED CE (B-S)-II, रेलवे बोर्ड, को 6 नवंबर, 2024 से कंपनी का सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक (अपर निदेशक) नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति ED CE (B-S)-II, रेलवे बोर्ड के पद पर बने रहने या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक रहेगी। श्री अनुपम सिंह को कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में नियमित करने का प्रस्ताव है।

रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार, श्री धनंजय सिंह (डीआईएन: 08955500), ईडी/जीएस (सिविल)-II, रेलवे बोर्ड, 6 नवंबर 2024 से कंपनी के सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक नहीं रहेंगे।

श्री बृजेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 10092756), अतिरिक्त सदस्य (सीई), रेलवे बोर्ड, 31 दिसंबर 2024 से सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक नहीं रहेंगे।

रेल मंत्रालय के दिनांक 28 जनवरी, 2025 के आदेश संख्या 2022/PL/51/10 के अनुसार, श्री आनंद भाटिया [डीआईएन: 10937265], अपर सदस्य (CE), रेलवे बोर्ड को 4 फरवरी, 2025 से रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य (CE) के पद पर बने रहने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी का सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक (अपर निदेशक) नियुक्त किया गया है। श्री आनंद भाटिया को कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में नियमित करने का प्रस्ताव है।

स्वतंत्र निर्देशकों में परिवर्तन

श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता [डीआईएन: 09398271], श्री अजय कुमार चौहान

[डीआईएन: 09394953] और श्रीमती रंजना उपाध्याय [डीआईएन: 07787711], 08 नवंबर, 2024 को अपने-अपने कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के स्वतंत्र [अंशकालिक (गैर-आधिकारिक)] निदेशक नहीं रहे और डॉ. कार्तिक चंदूलाल भट्ट (डीआईएन: 09453387), 28 दिसंबर, 2024 को अपने कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के स्वतंत्र [अंशकालिक (गैर-आधिकारिक)] निदेशक नहीं रहे।

रेल मंत्रालय के आदेश संख्या 2024/PL/57/38 Pt-1 दिनांक 13 मई, 2025 के अनुसार, श्री थंगावेल वरदराजन (डीआईएन: 08556664) को कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र खंडांशकालिक (गैर-सरकारी), निदेशक (अपर निदेशक) के रूप में तत्काल प्रभाव से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है। श्री थंगावेल वरदराजन की नियुक्ति 15.05.2025 अर्थात् भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान (IICA) के पास स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में नाम पंजीकरण की तिथि से प्रभावी है। श्री थंगावेल वरदराजन को कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में नियमित करने का प्रस्ताव है।

केएमपी में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, इरकॉन के मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, श्री मुगुन्थन बोजू गौड़ा, रेल मंत्रालय में प्रत्यावर्तन के कारण, 31 दिसंबर, 2024 से कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के पद से मुक्त हो गए। कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री एलिन रॉय चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) को 1 जनवरी, 2025 से इरकॉन का मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्त किया है।

निदेशकों द्वारा नियुक्ति/पद त्याग का पूरा विवरण तथा अन्य संबंधित विवरण कॉर्पोरेट गवर्नंस रिपोर्ट में दिए गए हैं, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और एलओडीआर विनियमनों के विनियम 16(1)(बी) और 25(8) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और उन्होंने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के डाटाबैंक के साथ खुद को पंजीकृत किया है। घोषणाओं को निदेशक मंडल द्वारा नोट किया गया है।

रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार, निदेशकों की चक्रानुक्रम सेवानिवृत्ति के प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों पर लागू नहीं होंगे। इसे देखते हुए, सभी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर) को चक्रानुक्रम सेवानिवृत्ति के लिए विचार किया जाता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक (परियोजनाएँ) श्री

बोर्ड की रिपोर्ट

आनंद कुमार सिंह कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में चक्रानुक्रम सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी हैं और पात्र होने के कारण, पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

आगामी वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्तिधनियुक्ति चाहने वाले ऐसे निदेशकों का विवरण कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक बुलाने के नोटिस में शामिल है।

बोर्ड और समिति की बैठकें

बोर्ड की बैठक:

बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नौ (9) बार बैठक की, 19 अप्रैल, 2024, 21 मई, 2024य 18 जुलाई, 2024, 8 अगस्त, 2024, 20 सितंबर, 2024, 7 नवंबर, 2024, 18 दिसंबर, 2024य 11 फरवरी, 2025, और 26 मार्च, 2025। बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों और एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड की सभी बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में, भौतिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की गईं।

समिति की बैठकरू

आपकी कंपनी के बोर्ड में निम्नलिखित समितियाँ हैं:

1. लेखा परीक्षा समिति
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
3. हितधारक संबंध समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति
6. परियोजना प्रगति समीक्षा समिति

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की सात (7) बार बैठक हुई, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की छह (6) बार बैठक हुई, हितधारक संबंध समिति की एक (1) बार बैठक हुई, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बार बैठक हुई, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता समिति की चार (4) बार बैठक हुई, और परियोजना प्रगति समीक्षा समिति की एक (1) बार बैठक हुई।

समितियों के गठन, उनके कार्यक्षेत्र तथा समितियों की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

एलओडीआर विनियमन के विनियमन 25(3), कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में, स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 08 नवंबर, 2024 को अन्य बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति के बिना आयोजित की गई थी।

नए निदेशकों का चयन और बोर्ड सदस्यता मानदंड

इरकॉन एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। निदेशकों की प्रमुख योग्यताएँ, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताएँ कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में शामिल हैं।

प्रदर्शन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान की है। इन प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि बोर्ड के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके को दर्शाने वाले विवरण से संबंधित धारा 134(3)(पी) उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी, जहाँ निदेशकों का मूल्यांकन उस मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है। इसके अलावा, एमसीए द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र ने सरकारी कंपनियों के लिए नियुक्ति, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) से भी छूट प्रदान की है।

इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची IV में संशोधन किया है, जिसके तहत उसने सरकारी कंपनियों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता के अनुपालन से छूट दी है और यदि संबंधित विभाग या मंत्रालयों ने आवश्यकताएँ निर्दिष्ट की हैं तो बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा।

इस संबंध में, डीपीई ने सभी कार्यात्मक निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक तंत्र पहले ही स्थापित कर दिया है। कार्यात्मक निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, रेल मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है, और उक्त मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से डीपीई को प्रस्तुत किया जाता है। एमओयू के लक्ष्यों को क्रमबद्ध किया जाता है और वे व्यक्तियों तथा टीम के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग बनते हैं। आंतरिक एमओयू में वित्तीय, गैर-वित्तीय और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन आदि सहित विभिन्न मानदंड शामिल होते हैं।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों का मूल्यांकन, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चूँकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए उनका मूल्यांकन भी रेल मंत्रालय और अंततः लोक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है।

बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए पारिश्रमिक नीति

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इरकॉन अपने कार्यात्मक निदेशकों,

बोर्ड की रिपोर्ट

वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करती है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(4) के अनुसार, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और कर्मचारियों के लिए अपनी पारिश्रमिक नीति की मुख्य विशेषताओं को अपनी वेबसाइट (www.ircon.org) पर मानव संसाधन प्रबंधन और करियर अनुभागों के अंतर्गत प्रकाशित किया है।

कंपनी की पारिश्रमिक नीति, साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाओं और नीतियों की समीक्षा की जाती है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा सिफारिश की जाती है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के तहत, सूचीबद्ध कंपनियों को बोर्ड की रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक का विशिष्ट विवरण देना आवश्यक है। हालाँकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या GSR 463(E) के अनुसार, इरकॉन सहित सरकारी कंपनियों को इस प्रावधान का पालन करने से छूट दी गई है।

इसलिए, इरकॉन की बोर्ड रिपोर्ट में इस तरह का विवरण शामिल नहीं है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का खुलासा कॉर्पोरेट गवर्नंस रिपोर्ट में किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मजबूत वित्तीय नियंत्रण लागू किए हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। ये नियंत्रण सटीक लेखा अभिलेखों के रखरखाव, कंपनी की नीतियों के अनुपालन में व्यावसायिक संचालन के व्यवस्थित संचालन को बढ़ावा देने, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों को रोकने और उनका पता लगाने, तथा वित्तीय एवं परिचालन संबंधी जानकारी की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं, की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।

इसके अलावा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में जानकारी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में पाई जा सकती है।

आंतरिक व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता

आपकी कंपनी ने सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के तहत आवश्यकता के अनुसार अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए प्रथाओं और प्रक्रियाओं के लिए नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल रिश्तेदारों द्वारा व्यापार को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए कंपनी की प्रतिभूतियों से

निपटने में अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए एक आंतरिक आचार संहिता (आचार संहिता) को अपनाया है। आचार संहिता का उद्देश्य है कि कंपनी के अंदरूनी सूत्र कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे या दूसरों को कंपनी के बारे में यूपीएसआई तक पहुंच और कब्जे से कोई लाभ प्राप्त करने में सहायता नहीं करेंगे जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार अंदरूनी जानकारी का गठन करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर निवेशक संबंध अनुभाग में संहिता एवं नीतियां शीर्षक के अंतर्गत पोस्ट किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पास एक विस्तृत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा है, जिसमें जोखिम की पहचान और उसके शमन के लिए जोखिम प्रबंधन नीति शामिल है।

एलओडीआर विनियमों के अनुसार, कंपनी में एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक निदेशक (कार्य) अध्यक्ष, निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजनाएँ) और श्री अनुपम सिंह, सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं। जोखिम प्रबंधन समिति का विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

व्हिसल ब्लोअर नीति / सतर्क तंत्रव्यवस्था एवं सतर्कता क्रियाकलाप

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के पास एक अलग सतर्कता विभाग है जो आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाता या कंपनी के साथ व्यापार करने वाले किसी अन्य पक्ष के कर्मचारियों/प्रतिनिधियों से जुड़े धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी से निपटता है। व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम और पता लगाने की नीतियों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कंपनी ने कर्मचारियों और निदेशकों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के लीक के मामलों के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। यदि कोई इस नीति के तहत कोई चिंता उठाता है, तो शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से प्रतिशोध या बदले की कार्रवाई (भेदभाव, प्रतिशोध, उत्पीड़न या प्रतिशोध सहित) का कोई खतरा नहीं होगा।

सतर्कता विभाग सतर्कता से संबंधित मामलों में शीर्ष प्रबंधन के लिए एक सलाहकारी भूमिका निभाता है। इसका नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है, जिसकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परामर्श से की जाती है।

बोर्ड की रिपोर्ट

विभाग निविदाओं और अनुबंधों की निवारक जाँच, कार्यों के निष्पादन और अन्य कार्यों के साथ-साथ शिकायतों की जाँच के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग ने उच्च-मूल्य वाली परियोजनाओं पर 01 औचक निरीक्षण और 05 आवधिक निरीक्षण किए हैं। औचक और आवधिक निरीक्षणों के अलावा, विभाग ने कॉर्पोरेट/परियोजना कार्यालय से जारी निविदाओं पर 05 निवारक जाँचें की हैं। मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (केंद्रीय सतर्कता आयोग की तकनीकी शाखा) ने भी 03 परियोजनाओं का निरीक्षण और व्यापक जाँच की है।

विभिन्न प्राधिकरणों (जैसे सीवीसीधरेलवे बोर्ड सतर्कता, सीबीआई, प्रधानमंत्री कार्यालय, आदि) द्वारा अधिकारियों और प्रक्रियाओं आदि के विरुद्ध उठाई गई शिकायतों और अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की उनके तार्किक निष्कर्ष तक जांच की गई।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग को कुल 24 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 2 शिकायतें पिछले वर्ष की थीं। पिछले वर्षों की शिकायतों सहित, वर्ष 2024-25 में कुल 22 शिकायतों का निपटारा किया गया। शिकायतों की प्रकृति में निविदा प्रक्रिया के दौरान अनियमितताएं, अनुबंध का निष्पादन, अनाम और छद्म नाम और गुणवत्ता संबंधी मुद्दे शामिल हैं। साथ ही, मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ) द्वारा उठाए गए अनुच्छेदों को बंद करने के लिए कदम उठाए गए। इसके अलावा, कर्मचारियों के अचल संपत्ति रिटर्न की जांच, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, वाद-विवाद, प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से नियमों/प्रक्रियाओं/निष्पादन में सामान्य अनियमितताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना विभाग की प्रमुख गतिविधियाँ रही हैं।

बेहतर पारदर्शिता के लिए 'प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने' की दिशा में एक कदम के रूप में, ऑनलाइन सेवाएँ कई वर्षों से कुशलतापूर्वक चल रही हैं, जैसे 2012-13 से अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना 1 अप्रैल, 2014 से इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सतर्कता मंजूरीय और दिसंबर 2012 से सतर्कता शिकायतें दर्ज करना। इसके अलावा, कार्य के सभी मूल्यों के लिए पारदर्शिता प्राप्त करने हेतु संगठन में 1 जुलाई, 2013 से व्यापक रूप से ई-प्रोक्वोरमेंट शुरू किया जा चुका है।

इरकॉन ने सभी भारतीय परियोजनाओं पर 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक अनुमानित मूल्य के कार्यों और आपूर्ति के लिए निविदाओं/अनुबंधों के लिए 24 जून 2014 को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा अनुशंसित सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) को अपनाया है।

सभी कार्यों के लिए आदर्श ई-खरीद दस्तावेजों की शर्तों में सत्यनिष्ठा संधि को एक अनिवार्य दस्तावेज बनाया गया है। इरकॉन ने इस सत्यनिष्ठा संधि को लागू किया है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विकसित एक उपकरण है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी कंपनी या सरकारी विभाग और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच सभी

गतिविधियाँ और लेन-देन निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त तरीके से हों।

सत्यनिष्ठा संधि के प्रावधानों और केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार, श्री वीरेंद्र कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त आईआरएस, को संशोधित एसओपी के अनुसार 24 दिसंबर, 2024 को स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम-3) के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता को 4 जुलाई, 2024 को 3 वर्षों के लिए स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम-2) के रूप में और श्री मधुसूदन प्रसाद, सेवानिवृत्त आईएस-1981 को 18.11.2023 को स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम-1) के रूप में नियुक्त किया गया है, जो बोलीदाताओं से किसी भी शिकायत को प्राप्त करेंगे और जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

सतर्कता अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए कदम उठाकर संगठन के कामकाज में निष्पक्ष, निडर और पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है।

संबंधित पक्षकार संव्यवहार

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 177 और 188 के प्रावधानों और एलओडीआर विनियमों के अनुसार, जहां भी लागू हो, संबंधित पक्ष लेनदेन की पूर्व स्वीकृति लेखा परीक्षा समिति / बोर्ड से ली जाती है। एक ओर इरकॉन या उसकी किसी सहायक कंपनी और दूसरी ओर इरकॉन या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष के बीच विभिन्न संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए वार्षिक आधार पर लेखा परीक्षा समिति की पूर्व सर्वव्यापी स्वीकृति भी प्राप्त की जाती है, जो सामान्य व्यवसाय के क्रम में एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक अनुबंध/समझौते / लेनदेन के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती है। यदि कोई लेनदेन, दी गई सर्वव्यापी स्वीकृति के अनुसरण में किया जाता है, तो उसे लेखा परीक्षा समिति के समक्ष तिमाही आधार पर रखा जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में, "कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण, जिसमें कुछ अप्रत्यक्ष लेनदेन भी शामिल हैं" फॉर्म एओसी-2 में प्रकट किया गया है और इसे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की संबंधित पार्टी लेनदेन नीति कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर निवेशक संबंध अनुभाग में कोड और नीतियां शीर्षक के अंतर्गत अपलोड की गई हैं।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है:

- वित्तीय विवरणों की तैयारी में, वार्षिक वित्तीय विवरणों में अन्यथा बताए गए को छोड़कर, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और कोई भौतिक विचलन नहीं हुआ है,

बोर्ड की रिपोर्ट

- ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के मामलों की स्थिति और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके,
- iii) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की गई है,
- iv) वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं
- v) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, और
- vi) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

एलओडीआर विनियमों के विनियम 34 के प्रावधानों के अनुपालन में, सेबी द्वारा निर्धारित प्रारूप में “व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थायित्व रिपोर्ट” (बीआरएसआर) इस रिपोर्ट का हिस्सा है। यह रिपोर्ट पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से इरकॉन द्वारा की गई पहलों का वर्णन करती है।

एमओयू रेटिंग / पुरस्कार

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुरूप, रेल मंत्रालय और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) प्रतिवर्ष एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करते हैं। यह एमओयू संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए चयनित मानदंडों और लक्ष्यों को निर्दिष्ट करता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर वर्ष के अंत में इरकॉन के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, इरकॉन को समझौता ज्ञापन मापदंडों के विरुद्ध इसके प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर “उत्कृष्ट” रेटिंग प्राप्त हुई।

अमेरिका के इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड (ईएनआर) के 2024 संस्करण के अनुसार, इरकॉन एकमात्र भारतीय सार्वजनिक उपक्रम है जो शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों के साथ-साथ शीर्ष 250 वैश्विक ठेकेदारों की सूची में भी जगह बना पाया है। इसके अलावा, मार्च 2025 में जारी बिजनेस स्टैंडर्ड बीएस 1000 वार्षिक पत्रिका में, इरकॉन को 2024 में कुल राजस्व के आधार पर 132वाँ स्थान दिया गया है, और “निर्माण एवं अवसंरचना” क्षेत्र में 8वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। फॉर्च्यून

इंडिया 500 की सूची में भी इरकॉन को 2024 में 192वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

इरकॉन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान जीते गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान नीचे दिए गए हैं:

- निर्माण स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण श्रेणी के लिए मोकामा रेल पुल परियोजना के लिए 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024
- “अनुबंध एवं निर्माण तथा तकनीकी परामर्श सेवाएं (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)” श्रेणी के लिए डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पुरस्कार।
- ईएनआर सर्वेक्षण 2024 द्वारा प्रकाशित शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों की सूची में 232वां स्थान।
- ईएनआर सर्वेक्षण 2024 द्वारा प्रकाशित शीर्ष 250 वैश्विक ठेकेदारों की सूची में 207वां स्थान।

सांवाधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने मेसर्स रमेश सी. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या 001770C) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का एकल वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है, सिवाय निम्नलिखित विदेशी परियोजनाओं के जिनके लिए सीएंडएजी ने निम्नलिखित को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी है:

अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षक

श्री कर्बल अथमाने	अल्जीरिया परियोजना
मैसर्स जयसिंघे एंड कंपनी	श्रीलंका परियोजना
मैसर्स तोहा खान जमान एंड कंपनी	बांग्लादेश परियोजना
माई एशिया कंसल्टिंग कंपनी लिमिटेड	म्यांमार परियोजना

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी के लागत अभिलेखों का रखरखाव किया है। निदेशक मंडल ने लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने हेतु मेसर्स बंटोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, लागत लेखाकार, (फर्म पंजीकरण संख्या 00041) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

बोर्ड की रिपोर्ट

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और एलओडीआर विनियमों के विनियमन 24ए के प्रावधानों के अनुसरण में, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का सचिवीय ऑडिट करने के लिए मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिस में कंपनी सचिव (प्रैक्टिस प्रमाणपत्र संख्या 13901) को सचिवीय ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है।

आंतरिक लेखा परीक्षक

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय और विदेशी परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है:

क्र. सं.	क्षेत्र/लेखा परीक्षा मंडल	आंतरिक लेखा परीक्षक
1.	कॉर्पोरेट कार्यालय क्षेत्र (विदेशी परियोजना अर्थात् अल्जीरिया परियोजना सहित)	मेसर्स ए.एम.ए.ए. एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
2.	उत्तरी क्षेत्र	मेसर्स ए.एम.ए.ए. एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
3.	पूर्वी क्षेत्र (विदेशी परियोजनाओं सहित, जैसे म्यांमार सड़क परियोजना, खुलना मोंगला बांग्लादेश, इशरुदी दरसाना बांग्लादेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और भैरब रेलवे ब्रिज (जेवी) परियोजना बांग्लादेश)	मेसर्स सेन एंड रे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
4.	मुंबई क्षेत्र (विदेशी परियोजना सहित, जैसे माहो से ओमनथाई, श्रीलंका तक रेलवे लाइन का उन्नयन)	मेसर्स जे. सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
5.	पटना क्षेत्र	मेसर्स गुप्ता सचदेवा एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
6.	जम्मू और कश्मीर क्षेत्र	मेसर्स बावेजा एंड कौल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

इरकॉन बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VI के साथ पठित धारा 186(11)(ए) के अनुसार धारा 186 [धारा 186 की उप-धारा (1) को छोड़कर] के सभी प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा अपनी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों को किए गए निवेश, दिए गए ऋण और दी गई गारंटी का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट्स का हिस्सा है।

जमा

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया।

अन्य खुलासे

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और 134(3)(ए) के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी का वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर निवेशक संबंध अनुभाग के अंतर्गत रखा गया है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF)

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी सचिव, IEPF प्राधिकरणों और उससे संबंधित अनुपालनों से निपटने के लिए नोडल अधिकारी हैं।

आईईपीएफ में स्थानांतरण हेतु कोई राशि देय नहीं है और 31 मार्च, 2025 तक के दावा न किए गए लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और इसका खुलासा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके अलावा, कंपनी के पास डीमैट सस्पेंस खाते/दावा न किए गए सस्पेंस खाते/दावा न किए गए लाभांश खाते में कोई शेयर नहीं हैं और इसका खुलासा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया गया है।

सचिवीय मानक

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन कर रही है।

नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश जो भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हैं विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की चालू स्थिति और भविष्य में इसके संचालन को प्रभावित करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत आपकी कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ/लंबित नहीं है, जिसका कंपनी के व्यवसाय पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ेगा।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

बोर्ड की रिपोर्ट

लाभांश वितरण नीति

एलओडीआर विनियमों के विनियम 43ए और दीपम द्वारा जारी “केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है और उसे अपनाया है। यह नीति कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर निवेशक संबंध अनुभाग में “कोड और नीतियाँ” शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन प्रतिक्रिया

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के तहत अपेक्षित फॉर्म एमआर-3 में सचिवीय लेखा परीक्षक से “सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट” कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के साथ पढ़ें, इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट में योग्यता और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरणों (एकल और समेकित दोनों वित्तीय विवरणों) पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से संलग्न हैं। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट में, मेसर्स रमेश सी. अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई भी कमी, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

सीएजी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर शून्य टिप्पणियाँ दी हैं और वे संलग्न हैं।

आभारोक्ति

कंपनी के निदेशक, रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग (MoRTH), विदेश मंत्रालय, वित्त, वाणिज्य, शहरी विकास जैसे विभिन्न मंत्रालयों, साथ ही अन्य मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों से प्राप्त अमूल्य सहायता और सहयोग के लिए हार्दिक आभार और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, कंपनी के बैंकरों, सांविधिक, शाखा, लागत, सचिवीय और आंतरिक लेखा परीक्षकों, विदेशों में भारतीय दूतावासों और मिशनो, भारत में विदेशी मिशनो और दूतावासों, एक्विजिशन बैंक, ईसीजीसी लिमिटेड, आब्रजन संरक्षक, पासपोर्ट प्राधिकरण, और भारत और विदेशों में हमारे सम्मानित ग्राहकों से प्राप्त समर्थन के लिए भी आभारी हैं क्योंकि उनके सक्रिय समर्थन के बिना, कंपनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाती।

हम कंपनी के हर स्तर पर कार्यरत सभी समर्पित कर्मचारियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनके अटूट प्रयासों, समर्पण, ईमानदारी और प्रतिबद्धता ने कंपनी के अब तक के सर्वोच्च प्रदर्शन को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./—

(हरि मोहन गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(डीआईएन: 08453476)

दिनांक: 21 अगस्त, 2025

स्थान: नई दिल्ली

बोर्ड की रिपोर्ट

परिशिष्ट-क

भारत में चल रही प्रमुख परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संशोधित अनुबंध मूल्य (करोड़ रुपये में)
रेलवे		
1.	उत्तर रेलवे के लिए कटरा-काजीगुंड खंड (आईआरसीओएन का हिस्सा), उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना	16,194
2.	उत्तर सीमांत रेलवे के लिए सिवोक-रंगपो नई रेल लाइन परियोजना	10,012
3.	मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, पैकेज एमएचएसआर-टी-2 राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल निगम लिमिटेड (NHSRCL) के लिए	5,118
4.	गेवरा रोड से पेंड्रा रोड के बीच लगभग 135 किलोमीटर पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर के कॉरिडोर-III का निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य में गेवरा रोड से पेंड्रा रोड के बीच पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर का व्यवहार्यता अध्ययन, छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के लिए	3,290
5.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में खरसिया से धरमजयगढ़ और स्पर लाइन के बीच पूर्वी कॉरिडोर के कॉरिडोर-I का निर्माण।	2,117
6.	सीईआरएल (सीईआरएल-II) के लिए धरमजयगढ़ से कोरबा (उरगा) के बीच नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन का निर्माण।	1,004
7.	पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कटनी-सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना	2,445
8.	एनएचएसआरसीएल के लिए मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (पैकेज संख्या एमएचएसआर सी-7) के निर्माण परियोजना के लिए गुजरात राज्य में एमएचएसआर किमी 489.467 और एमएचएसआर किमी 507.599 के बीच अहमदाबाद स्टेशन, साबरमती स्टेशन, वायडक्ट और पुल, क्रॉसिंग ब्रिज (स्टील ट्रस गर्डर्स के निर्माण और परिवहन को छोड़कर) और संबद्ध कार्यों को शामिल करते हुए डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए डिजाइन बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर परीक्षण और कमीशनिंग सहित सिविल और भवन निर्माण कार्यों का डिजाइन और निर्माण	1,714
9.	आरडीयूएम-ताल-आरजेओ (रामपुर डुमरा - ताल - राजेंद्रपुर दोहरीकरण गंगा पुल सहित) पूर्व मध्य रेलवे के लिए दोहरीकरण परियोजनाएं	1,957
10.	पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कटनी ग्रेड सेपरेटर / बाई पास लाइन (21.50 किमी) परियोजना।	1,248
11.	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के लिए विभिन्न चिह्नित रेल कोयला संपर्क परियोजनाओं का सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन और निर्माण	1,143
12.	उत्तर सीमांत रेलवे के लिए अखौरा-अगरतला रेल लिंक परियोजना (भारतीय भाग का निर्माण)	781
13.	कोट्टावलासा-कोरापुट दोहरीकरण परियोजना: निर्माण में मिट्टी-कार्य का निष्पादन, कंबलिंग, छोटे पुल, नालियां, बैरिकेडिंग, सुरक्षा कार्य, प्रमुख पुलों का निर्माण संख्या 164 (1x18.3 + 1x24.40 + 2x30.50 मीटर सीजी), ब्र. संख्या 169 (1x30.05 मीटर सीजी) ब्र. संख्या 176 (1x30.05 मीटर सीजी), ब्र. संख्या 197ए (1x30.50 मीटर सीजी), ब्र. संख्या 198 (2x24.40 मीटर सीजी), ब्र. संख्या 267 (1x18.30 + 2x30.50 मीटर सीजी), सुरंग संख्या टी8 और टी9 (710 मीटर), टी9ए (490 मीटर), टी9बी (500 मीटर), टी10 (720 मीटर), टी11 (730 मीटर), टी12 और टी13 (1080 मीटर), टी14 (620 मीटर), टी15 (380 मीटर), टी16 (750 मीटर), टी17 (580 मीटर), टी17ए (580 मीटर), टी18, टी19, टी20 (1420 मीटर), टी21 से टी27 (4220 मीटर), टी28 (360 मीटर), टी29 से टी36 (5210 मीटर), टी37, टी38, टी38ए (1360 मीटर) और टी38बी (350 मीटर) का निर्माण जिसमें खुला/भूमिगत उत्खनन, रॉक बोल्ट और अन्य स्टील सपोर्ट, शॉटक्रीट शामिल हैं। कंक्रीट कार्य, जल निकासी कार्य, बैलास्ट रहित ट्रैक कार्यों का निष्पादन और ई एंड एम कार्यों के कमीशन के लिए आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण आदि, पूर्वी तट रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन के कोट्टावलासा कोरापुट दोहरीकरण परियोजना के संबंध में शिवलिंगपुरम स्टेशन से बोर्नागुहालु स्टेशन तक किमी 45.483 से किमी 72.550 तक।	611

बोर्ड की रिपोर्ट

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संशोधित अनुबंध मूल्य (करोड़ रुपये में)
14.	मध्य प्रदेश राज्य, भारत में पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल और भोपाल मंडल तथा पश्चिम मध्य रेलवे के क्रमशः मांगलियागांव (इंदौर) से बुदनी स्टेशनों (198 किमी) के बीच विद्युतीकृत नई बीजी रेलवे लाइन के निर्माण के संबंध में चेनेज किमी 33+160 से किमी 34+400 तक सुरंग टी1 और चेनेज किमी 57+400 से किमी 66+040 तक सुरंग 2 का निर्माण गिद्धी रहित ट्रैक के साथ और ऐसी सुरंगों के पहुंच मार्गों पर निर्माण से संबंधित कार्य	611
रोड़		
1	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए भारतमाला परियोजना (चरण-II- पैकेज-XVII) के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 69.800 से किमी 79.783 (भोज से मोरवे सेक्शन-वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का एसपीयूआर) तक आठ लेन का एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण	1,436
2	एनएचएआई के लिए भारतमाला परियोजना (चरण II-पैकेज XIV) के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 3.000 से किमी 20.200 तक (शिरसाद से अकलोली खंड-वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का एसपीयूआर) आठ लेन का एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण	1,124
3	पंजाब राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर लुधियाना बाईपास के साथ खरड़ तक स्पर सहित मानेवाल (लुधियाना) के निकट NE-5 गांव के जंक्शन से भियोरा गांव (रूपनगर) के निकट NH-205 जंक्शन तक चार/छह लेन वाले ग्रीनफील्ड लुधियाना-रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-205K का निर्माण: पैकेज-3 (डिजाइन Ch. 66.440 से डिजाइन Ch. 90.500 तक और खरड़ तक स्पर, डिजाइन Ch. 0.000 से डिजाइन Ch. 19.200 तक, कुल लंबाई	1,107
4	43.26 किमी), एनएचएआई के लिए	789
5	एनएचएआई के लिए हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर हरियाणा राज्य में फीडर रूट के रूप में एनएच-352डब्ल्यू के गुडगांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड का उन्नयन	861
अन्य		
1	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरडीई) के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना) के अंतर्गत भारत में 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना (ट्रंच III)	1,960
2	दो परियोजनाएं अर्थात् रिसीविंग सब-स्टेशनों की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग (25 केवीएसी ट्रैक्शन सह 33 केवी सहायक मुख्य सब-स्टेशन सहित), अतिरिक्त उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज केबलिंग, 25 केवी ओवरहेड उपकरण (एफओसीएस/आरओसीएस), सहायक विद्युत आपूर्ति (सहायक सब-स्टेशन सहित), और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए दुहाई (ईपीई) से मोदीपुरम (मोदीपुरम डिपो सहित) तक वाया डक्ट और सुरंग पर संबद्ध कार्य (लॉट-पी19 एल1 और लॉट-पी19 एल2) एनसीआरटीसी के लिए	812
3	उत्तर सीमांत रेलवे के लिए बदरपुर-जिरीबाम, कटाखल-भैरबी और बदापुर-करीमगांव-सबरूम सहित करीमगांव-माईशासन, अगरतला-अकौरा और बराईग्राम-दुल्लाबचेरा के लिए रेलवे विद्युतीकरण कार्य	737
4	मिजोरम राज्य में एनएच-6 के सैरांग-फाइबॉक खंड पर ईपीसी मोड पर 2.5 किमी लंबी ट्विन ट्यूब एक-दिशात्मक आइजोल बाईपास सुरंग और किमी 10.600 से किमी 15.200 तक 2.1 किमी लंबे इसके पहुंच मार्ग का निर्माण (पैकेज-2)	631
5	रेलवे विद्युतीकरण कार्य लुमडिंग - डिब्रूगढ़ वाया तिनसुकिया और सिमालुगुरी - डिब्रूगढ़	653

बोर्ड की रिपोर्ट

परिशिष्ट—क

क. सहायक कंपनियां:

1. इस्कॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इस्कॉनएसजीटीएल)

इस्कॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इस्कॉनएसजीटीएल) इस्कॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 12 मई, 2015 को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में शामिल किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य एनएच-3 के शिवपुरी-गुना खंड को चार लेन का बनाना है, जो 236.000 किमी से 332.100 किमी तक के खंड को निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) आधार पर कवर करता है, जिसकी कुल लंबाई 97.70 किमी है।

इस्कॉन-एसजीटीएल ने 15 जून, 2015 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ एक रियायत समझौता किया। परियोजना की रियायत अवधि नियत तिथि से 20 वर्ष है और इसकी कुल परियोजना लागत ₹872.11 करोड़ है। परियोजना का वित्तीय समापन 77:23 के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ पूरा हुआ।

परियोजना दो चरणों में पूरी की गई। दोनों चरणों का निर्माण पूरा हो चुका है और पहले चरण के लिए टोल संग्रह जून 2018 में शुरू हुआ। एनएचएआई द्वारा अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र मई 2024 में जारी किया गया और इस्कॉन-एसजीटीएल अब 97.70 किलोमीटर की पूरी परियोजना लंबाई पर टोल राजस्व एकत्र कर रहा है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इस्कॉनएसजीटीएल ने कुल ₹173.65 करोड़ का कारोबार दर्ज किया।

2. इस्कॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इस्कॉनपीबीटीएल)

इस्कॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इस्कॉनपीबीटीएल को 30 सितंबर, 2014 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य में एनएच-15 पर मौजूदा बीकानेर और फलौदी खंड को 4.200 किमी से 55.250 किमी तक चार लेन और 55.250 किमी से 163.500 किमी तक पक्के कंधे के साथ दो लेन का चौड़ा और मजबूत करना है, जिसकी कुल लंबाई 159.17 किमी है। इस्कॉनपीबीटीएल ने 7 नवंबर, 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि नियत तिथि से 26 वर्ष है और कुल परियोजना लागत ₹844 करोड़ है। इस परियोजना का वित्तपोषण इस्कॉन ने स्वयं ऋण और इक्विटी के रूप में किया था।

राजस्थान के बीकानेर जिले के सालासर और नोखरा तथा जोधपुर जिले के खीरवा स्थित तीनों टोल प्लाजा पर टोल संचालन शुरू करने के लिए फरवरी 2019 में अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। पूरी परियोजना के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र सितंबर 2024 में जारी किया गया है और इस्कॉनपीबीटीएल अब 159.20 किलोमीटर की पूरी परियोजना अवधि में टोल राजस्व एकत्र कर रहा है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इस्कॉनपीबीटीएल ने कुल ₹40.55 करोड़ का कारोबार दर्ज किया।

3. इस्कॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड (इस्कॉनडीएचएचएल)

इस्कॉनडीएचएचएल, इस्कॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 11 मई, 2018 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य कर्नाटक राज्य में एनएच-48 (पुराना एनएच-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक दावणगेरे-हावेरी को छह लेन का बनाना है, जिसे एनएचडीपी चरण-V के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) के रूप में निष्पादित किया जाना है, जिसकी कुल लंबाई 78.923 किमी है।

इस्कॉनडीएचएचएल ने 19 जून, 2017 को एनएचएआई के साथ एक रियायत समझौता किया। इस रियायत में नियत तिथि से 912 दिन (30 महीने) की निर्माण अवधि और अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र से शुरू होकर 15 वर्षों की संचालन एवं रखरखाव अवधि शामिल है। बोली परियोजना की कुल लागत ₹1,177 करोड़ है, जिसमें प्रति वर्ष ₹10.00 करोड़ की वृद्धि और संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) लागत शामिल है। इस परियोजना का वित्तपोषण पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए ऋण सहित 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात से किया गया था।

मई 2021 में स्वतंत्र अभियंता (आईई) द्वारा 71.738 किलोमीटर के लिए अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र (पीसीसी) जारी किया गया था। शेष 7.185 किलोमीटर में से, 5.1 किलोमीटर से अधिक का निर्माण काफी हद तक पूरा हो चुका है और शेष कार्य जल्द ही पूरा होने वाला है, बशर्ते कि बाधा-मुक्त भूमि उपलब्ध हो।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इस्कॉनडीएचएचएल ने कुल ₹168.09 करोड़ का कारोबार दर्ज किया।

4. इस्कॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इस्कॉनवीकेईएल)

इस्कॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इस्कॉनवीकेईएल को 16 मई, 2018 को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में शामिल किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य गुजरात राज्य में एनएचडीपी चरण-VI के तहत हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) (चरण आईए- पैकेज II) पर डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर 32 किमी की कुल लंबाई के साथ 323.00 किमी से 355.00 किमी (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के सानपा से पादरा खंड) तक आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेसवे का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना है।

इस्कॉन-वीकेईएल ने 25 मई, 2018 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि और वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से शुरू होने वाली 15 वर्षों की संचालन अवधि शामिल है, जिसमें कुल बोली परियोजना लागत ₹1,865 करोड़ (संशोधित ₹2,153.99 करोड़) के साथ-साथ प्रति वर्ष ₹8.16 करोड़ की वृद्धि और ओ एंड एम लागत शामिल है।

इस परियोजना को बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण लेकर 80:20 के

बोर्ड की रिपोर्ट

ऋण-इक्विटी अनुपात से वित्तपोषित किया गया।

एनएचएआई ने अगस्त 2022 में 31.785 किलोमीटर के लिए अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया है और परियोजना का संचालन और रखरखाव चरण शुरू हो गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इरकॉनवीकेईएल ने कुल ₹137.68 करोड़ का कारोबार दर्ज किया।

5. इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल)

इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉनजीआरएचएल को 24 दिसंबर, 2020 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर फीडर रूट के रूप में एनएच-352डब्ल्यू के गुडगांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड को किमी 0.00 से किमी 43.87 (डिजाइन लंबाई 46.11 किमी) तक अपग्रेड करना है।

इरकॉन जीआरएचएल ने 20 जनवरी, 2021 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि और वाणिज्यिक संचालन तिथि से 15 वर्षों की संचालन अवधि शामिल है। कुल बोली परियोजना लागत ₹900 करोड़ है, जिसमें प्रति वर्ष ₹2.47 करोड़ की वृद्धि और संचालन एवं रखरखाव लागत शामिल है। इस परियोजना का वित्तपोषण 75:25 के ऋण-इक्विटी अनुपात और इंडियन ओवरसीज बैंक से लिए गए ऋण से किया गया था।

परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और इसके वित्त वर्ष 25-26 में पूरा होने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इरकॉनजीआरएचएल ने कुल ₹121.99 करोड़ का कारोबार दर्ज किया।

6. इरकॉन अकोलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएसईएल)

इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉनएसईएल को 23 दिसंबर, 2021 को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में शामिल किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई भारतमाला परियोजना (चरण II- पैकेज ग्ट) के तहत हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) मॉडल पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 3.000 से किमी 20.200 (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के शिरसाद से अकोलोली खंड-एसपीयूआर) तक आठ लेन का एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण करना है, जिसकी कुल लंबाई 17.20 किमी है।

इरकॉन-एसईएल ने 27 जनवरी, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 548 दिनों की निर्माण अवधि और वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से शुरू होकर 15 वर्षों की संचालन अवधि शामिल है। बोली परियोजना की लागत ₹1,124 करोड़ है, साथ ही ₹3.0 करोड़ प्रति वर्ष की वृद्धि और संचालन एवं रखरखाव लागत भी शामिल है।

इस परियोजना को बैंक ऑफ बडौदा से ऋण लेकर 80:20 के ऋण-इक्विटी अनुपात से वित्तपोषित किया गया।

यह परियोजना निर्माण चरण में है और वित्त वर्ष 25-26 के अंत तक पूरी हो जाने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इरकॉनएसईएल ने कुल ₹418.61 करोड़ का कारोबार दर्ज किया।

7. इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएलआरएचएल)

इरकॉनएलआरएचएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 24 दिसंबर, 2021 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पंजाब राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर लुधियाना बाईपास के साथ खरड तक स्पर सहित मानेवाल (लुधियाना) के पास एनई-5 गांव के जंक्शन से भियोरा गांव (रूपनगर) के पास एनएच 205 के जंक्शन तक चार/छह लेन ग्रीनफील्ड लुधियाना-रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच-205 के का निर्माण करना है। पैकेज-3 (डिजाइन Ch. 66.440 से डिजाइन Ch. 90.500 और खरड डिजाइन Ch. 0.000 से डिजाइन Ch. 19.200 तक स्पर, कुल लंबाई 43.26 किमी)

इरकॉनएलआरएचएल ने 25 मार्च, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि और सीओडी से शुरू होकर 15 वर्षों की संचालन अवधि शामिल है। कुल बोली परियोजना लागत ₹1,107 करोड़ है, साथ ही ₹3.0 करोड़ प्रति वर्ष की वृद्धि और संचालन एवं रखरखाव लागत भी शामिल है। इस परियोजना का वित्तपोषण बैंक ऑफ बडौदा से लिए गए ऋण और 80:20 के ऋण-इक्विटी अनुपात से किया गया है।

परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और इसके वित्त वर्ष 26-27 में पूरा होने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इरकॉनएलआरएचएल ने कुल ₹317.78 करोड़ का कारोबार दर्ज किया।

8. इरकॉन भोजमोर्बे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल)

इरकॉनबीएमईएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे 6 जनवरी, 2022 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतमाला परियोजना (चरण II - पैकेज XVII) के तहत हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर महाराष्ट्र राज्य में किमी 69.800 से किमी 79.783 (भोज से मोरबे खंड - वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का एसपीयूआर) तक आठ लेन का एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे का निर्माण करना है, जिसकी कुल लंबाई 9.983 किमी है।

इरकॉन-बीएमईएल ने 18.02.2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 910 दिनों की निर्माण अवधि और सीओडी से शुरू होकर 15 वर्षों की संचालन अवधि शामिल है। कुल बोली परियोजना लागत ₹1,436 करोड़ है, साथ ही ₹3.0 करोड़ प्रति वर्ष की वृद्धि और संचालन एवं रखरखाव लागत भी शामिल है। इस परियोजना का वित्तपोषण 80:20 के ऋण-इक्विटी अनुपात और बैंक ऑफ बडौदा से लिए गए ऋण से किया गया है।

बोर्ड की रिपोर्ट

परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और वित्त वर्ष 25–26 के अंत तक पूरी हो जाने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, इरकॉनबीएमईएल ने कुल ₹660.28 करोड़ का कारोबार दर्ज किया।

9. इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल)

इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉनएचबीएल को 13 जनवरी, 2022 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) के तहत उत्तराखंड राज्य में किमी 0000 (एनएच-58 के किमी 188+100) से किमी 15+100 (एनएच-74 के किमी 5100) तक हरिद्वार बाईपास पैकेज-1 का उन्नयन और चार लेन का निर्माण करना है, जिसकी कुल लंबाई 15.1 किमी है।

इरकॉनएचबीएल ने 8 मार्च, 2022 को एनएचएआई के साथ रियायत समझौता किया। परियोजना की रियायत अवधि में नियत तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि और सीओडी से शुरू होकर 15 वर्षों की संचालन अवधि शामिल है। कुल बोली परियोजना लागत ₹861 करोड़ है, साथ ही ₹2.0 करोड़ प्रति वर्ष की वृद्धि और संचालन एवं रखरखाव लागत भी शामिल है। इस परियोजना का वित्तपोषण 80:20 के ऋण-इक्विटी अनुपात और भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए ऋण से किया गया था।

परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और इसके वित्त वर्ष 25–26 में पूरा होने की संभावना है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, इरकॉनएचबीएल ने कुल ₹223 करोड़ का कारोबार दर्ज किया।

10. इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉनआईएसएल)

इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉनआईएसएल की स्थापना 30 सितंबर, 2009 को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बहु-कार्यात्मक परिसरों (एमएफसी) आदि के निर्माण के क्षेत्र में योजना, डिजाइन, विकास, सुधार आदि सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू करना, भारतीय रेलवे प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को सुविधाएं और सुख-सुविधाएं प्रदान करना और सभी प्रकार की चल और अचल संपत्तियों की किराया खरीद, पट्टे का व्यवसाय करना, रखरखाव, सहायता और सामाजिक कल्याण उपायों आदि सहित सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करने सहित सभी प्रकार की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श प्रदान करना है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, इरकॉनआईएसएल ने कॉनकॉर के लिए एमएमएलपी विजाग में डीसीटी क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र और सीसी फुटपाथ कार्य के विकास के साथ-साथ आरओएच सुविधा और वेयरहाउस के विकास के लिए सिक-लाइन शेड के निर्माण के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण की 01 नई परियोजना हासिल की है। (ii) सीईआरएल चरण-1 में खरसिया-धरमजयगढ़ मुख्य लाइन खंड, घरघोड़ा से भालूमुड़ा स्पर खंड, छाल और बरौद फीडर खंड का संचालन और रखरखाव – जुलाई, 2024 तक विस्तार।

उपरोक्त नई परियोजना के साथ, वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, निम्नलिखित चालू परियोजनाएं पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं:

- i. दुधोला, पलवल, हरियाणा में हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसयू) की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी)।
- ii. प्रौद्योगिकी भवन परिसर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली में एक नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए पीएमसी।
- iii. भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण (एलपीआई) के लिए आईसीपी, डावकी (मेघालय) में सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक आवास के निर्माण हेतु पीएमसी।
- iv. पारादीप (उड़ीसा) में कॉनकॉर के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण के लिए पीएमसी।
- v. नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऊंचाहार, उत्तर प्रदेश में स्टेज-1 (2x210 मेगावाट) के एमजीआर सिस्टम के सीएसटी-9 स्लीपरों को पीआरसी स्लीपरों से बदलने के लिए पीएमसी।
- vi. नागपुर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकादमी में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पीएमसी।
- vii. एमएमएलपी पारादीप पोर्ट, उड़ीसा में इफको के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण, कॉनकॉर द्वारा प्रदान किया गया।
- viii. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के लिए खरसिया-कोरीछापार नवनिर्मित बीजी सेक्शन के ट्रैक, सिविल इंजीनियरिंग, ओएचई और एसएंडटी परिसंपत्तियों का रखरखाव।
- ix. महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के लिए मध्य रेलवे के अंतर्गत महाराष्ट्र क्षेत्र में एलसी फाटकों के बदले विभिन्न स्थानों पर सड़क ऊपरी पुलों (आरओबी) के निर्माण के लिए बेयरिंग के निर्माण और स्थापना सहित रेलवे हिस्से के भीतर स्टील सुपरस्ट्रक्चर की असंबली और लॉन्चिंग के निरीक्षण, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कार्यों के लिए निरीक्षण एजेंसी।
- x. उत्तर पूर्वी रेलवे के लिए उत्तराखंड राज्य में टनकपुर से बागेश्वर (लगभग 154.58 किमी) तक नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए आधुनिक सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस)।
- xi. पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए मणिपुर में इम्फाल-मोरेह नई बीजी सिंगल लाइन परियोजना (कुल लगभग लंबाई 110 किमी) के संबंध में उपग्रह या लिडार इमेजरी से उत्पन्न डिजिटल टैरेन/एलिवेशन मॉडल (डीटीएम/डीईएम/डीएसएम) का उपयोग करके अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस), जमीन पर संरेखण का निर्धारण, भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय मानचित्रण आदि।
- xii. दक्षिण दिल्ली नगर निगम के लिए वाणिज्यिक परिसर के साथ बहुस्तरीय कार पार्किंग सुविधा के रूप में मादीपुर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली में सामुदायिक केंद्र में स्थित

बोर्ड की रिपोर्ट

एसडीएमसी के तहत भूमि पार्सल का विकास और मुद्रीकरण।

- xiii. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड द्वारा नवनिर्मित कोरिचापा से धरमजयगढ़ खंड और घरगोड़ा से भालूमुड़ा खंड में परियोजना परिसंपत्तियों का रखरखाव।
- xiv. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए सुविधा प्रबंधन सेवाएं तथा भवन संबंधी सेवाओं का वार्षिक संचालन सह व्यापक रखरखाव प्रदान करना।
- xv. नवोदय विद्यालय समिति के लिए जेएनवी साबरकांठा (गुजरात) में चरण-बी कार्य के निर्माण के लिए पीएमसी।
- xvi. छारोडी (गुजरात) में जीसीटी नीति के तहत मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण।
- xvii. किमी संख्या 273/27-274/1 भरथना-कोसाद, सूरत (केवल रेलवे भाग) पर लेवल क्रॉसिंग संख्या एलसी-148 'सी' के पास नए रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की परियोजना प्रबंधन परामर्श (पर्यवेक्षण/निरीक्षण)।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, पश्चिम बंगाल के पेट्रापोल में सुरक्षाकर्मियों के लिए बैरक आवास का निर्माण पूरा कर एलपीएआई को सौंप दिया गया है। इसका उद्घाटन माननीय गृह मंत्री द्वारा 16-12-2024 को वर्चुअल माध्यम से किया गया।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इरकॉनआईएसएल ने कुल ₹116.63 करोड़ का कारोबार दर्ज किया।

11. इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल)

आईआरपीएल, इरकॉन की एक सहायक कंपनी है जिसका गठन 13 जनवरी, 2022 को हुआ। आईआरपीएल को इरकॉन और अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड (अयाना) की क्रमशः 76:24 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) के रूप में शामिल किया गया है। आईआरपीएल का मुख्य उद्देश्य भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (इरेडा) (परियोजनाएं) द्वारा शुरू की गई 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण- II (सरकारी उत्पादक योजना) के अंतर्गत 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना है। इरकॉन और अयाना ने 13 दिसंबर, 2021 को शेयर अभिदान और शेयरधारकों का समझौता (एसएसएचए) किया है।

यह परियोजना इरेडा द्वारा इरकॉन को प्रदान की गई थी और इसका क्रियान्वयन आईआरपीएल द्वारा किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत ₹2,770.45 करोड़ है। परियोजना के लिए अंतिम व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) राशि ₹44,94,000 प्रति मेगावाट है, जिसकी गणना कुल ₹224.70 करोड़ होती है। यह राशि इरेडा द्वारा दो किस्तों में जारी की जाएगी, अर्थात् (क) बोलीदाता (इरकॉन) द्वारा ईपीसी ठेकेदार (इन-हाउस ईपीसी प्रभाग सहित) को अनुबंध प्रदान किए जाने पर 50%, जिसके लिए 16 दिसंबर, 2022 को केईसी इंटरनेशनल के साथ ईपीसी अनुबंध निष्पादित किया गया है, और (ख) शेष 50% परियोजना की पूर्ण क्षमता के सफल चालू होने पर।

इस परियोजना में भारत में निर्मित घरेलू सामग्री आवश्यकता (डीसीआर) अनुरूप सौर सेल और सौर मॉड्यूल का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है, ताकि भारतीय सौर उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके और मेक-इन-इंडिया पहल को लागू किया जा सके। इस परियोजना की स्थापना अत्याधुनिक ट्रैकर तकनीक और जलरहित रोबोटिक सफाई प्रणाली के उपयोग से की जा रही है, जिसका उपयोग देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सौर परियोजना में सौर संयंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

विस्तृत डिजाइन का काम पूरा हो चुका है और सभी आवश्यक वस्तुएँ साइट पर पहुँचा दी गई हैं। सौर मॉड्यूल का निर्माण कार्य जोरों पर है। कुल मिलाकर 500 मेगावाट में से 300 मेगावाट की आंशिक क्षमता को दक्षिण पश्चिम रेलवे को बिजली बेचने के लिए दक्षिणी ग्रिड से जोड़ा और सिंक्रनाइज किया जा चुका है। शेष क्षमता को सितंबर 2025 तक जोड़ने का लक्ष्य है। इसके अलावा, 220 केवी पूलिंग सबस्टेशन का निर्माण और कमीशनिंग कार्य पूरा हो चुका है और सभी 04 पावर ट्रांसफॉर्मर चालू कर दिए गए हैं। सोलर प्लांट पूलिंग सबस्टेशन (PSS) से 400/220 केवी पीजीसीआईएल पावगड़ा ग्रिड सबस्टेशन तक 05 किलोमीटर 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन और बे कार्यान्वयन का कार्य भी पूरा और चालू हो चुका है।

माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है, और तदनुसार, 500 मेगावाट क्षमता की यह सौर परियोजना सतत हरित ऊर्जा की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम और महत्वपूर्ण प्रगति है। यह पहल सालाना लगभग 1,200 किलोटन कार्बन उत्सर्जन की भी भरपाई करेगी।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, आईआरपीएल ने कुल कारोबार ₹19.58 करोड़ दर्ज किया।

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां:

1. इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)

आईएसटीपीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और निजी क्षेत्र की कंपनी सोमा एंटरप्राइज लिमिटेड (सोमा) द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसकी स्थापना 19 अप्रैल, 2005 को हुई थी। इसकी इक्विटी भागीदारी समान है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य में निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 (एनएच3) पर किमी 261+720 से किमी 379+878 तक मौजूदा 2 लेन सड़क का सुधार, संचालन और रखरखाव, पुनर्वास और सुदृढीकरण तथा 4 लेन विभाजित कैरिजवे का चौड़ीकरण करना है।

यह परियोजना 2010-11 में पूरी हुई थी और अप्रैल 2010 से कंपनी 118.158 किलोमीटर लंबे पूरे परियोजना क्षेत्र से टोल वसूल रही है। 20 वर्षों की रियायत अवधि मूल रूप से 27 मार्च 2026 को समाप्त होनी थी, हालाँकि, NHA से 25 दिनों का विस्तार प्राप्त हो गया है और रियायत अवधि अब 21 अप्रैल 2026 को समाप्त होगी।

बोर्ड की रिपोर्ट

बाद में सोमा ने एक शेयर को छोड़कर आईएसटीपीएल में अपनी पूरी शेयरधारिता अपनी सहयोगी कंपनी को हस्तांतरित कर दी।

31 मार्च 2025 तक, आईएसटीपीएल में इरकॉन के पास 50% और एसआरसीसी (प्रोजेक्ट्स) प्राइवेट लिमिटेड (एसपीपीएल-एसओएमए की सहयोगी) के पास 50% इक्विटी शेयर (एसओएमए के साथ एक शेयर सहित) हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, आईएसटीपीएल ने कुल कारोबार ₹366.51 करोड़ और कर पश्चात लाभ ₹194.89 करोड़ दर्ज किया।

2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)

आईआरएसडीसी, इरकॉन और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल, 2012 को हुई थी। आईआरएसडीसी ने 9 मई, 2012 को व्यवसाय प्रारंभ प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। आईआरएसडीसी का मुख्य उद्देश्य मौजूदा रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास करना है, जिसमें नए निर्माण/नवीनीकरण के माध्यम से यात्री सुविधाओं का उन्नत स्तर शामिल है, जिसमें मौजूदा स्टेशन भवनों, प्लेटफॉर्म सतहों, परिचालित क्षेत्र आदि का पुनर्विकास शामिल है, ताकि उनके मानकों में सुधार हो और ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान किया जा सके। वित्त वर्ष 2017-18 में, आईआरएसडीसी की 1% इक्विटी हिस्सेदारी इरकॉन द्वारा आरएलडीए को हस्तांतरित कर दी गई, और यह इरकॉन और आरएलडीए की 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी बन गई। वित्त वर्ष 2021-22 में, राइट्स को तीसरे रणनीतिक साझेदार/शेयरधारक के रूप में पेश किया गया था, और तब से, आरएलडीए, इरकॉन और राइट्स द्वारा धारित इक्विटी शेयरधारिता क्रमशः 50:26:24 के अनुपात में है।

रेल मंत्रालय ने 18 अक्टूबर, 2021 के अपने पत्र के माध्यम से आईआरएसडीसी को बंद करने और उससे संबंधित प्रक्रियात्मक औपचारिकताएँ शुरू करने का शसैद्धांतिक निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया की देखरेख और आईआरएसडीसी को बंद करने की प्रक्रिया में सहायता के लिए तकनीकी एवं कानूनी जानकारी प्रदान करने हेतु लेनदेन सलाहकार (मेसर्स आईडीबीआई कैप्स) नियुक्त किए गए हैं।

रेल मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर, निर्माणाधीन/योजनाबद्ध स्टेशनों के सभी जारी अनुबंधों/समझौतों का नवीनीकरण/हस्तांतरण रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को कर दिया गया है और सभी पाँच स्टेशन सुविधा प्रबंधन (अर्थात् पुणे, आनंद विहार, चंडीगढ़, सिकंदराबाद और बंगलुरु) 31.3.2022 तक संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को सौंप दिए गए हैं। आईआरएसडीसी के स्टेशन सुविधा प्रबंधन बकाया (आईआरसीटीसी बकाया को छोड़कर) संबंधित क्षेत्रीय रेलवे से प्राप्त हो गए हैं।

रेल मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर, सूरत एकीकृत परिवहन विकास निगम लिमिटेड (एसआईटीसीओ) में आईआरएसडीसी की शेयरधारिता मार्च 2023 में आरएलडीए को हस्तांतरित कर दी गई। रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में, गांधी नगर रेलवे और शहरी विकास निगम (जीएआरयूडी) में आईआरएसडीसी की

शेयरधारिता का आरएलडीए को हस्तांतरण जून 2025 में पूरा हो गया है। त्रिपक्षीय नवीकरण समझौते के माध्यम से जीएआरयूडी में आरएलडीए को अर्ध इक्विटी के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।

समापन गतिविधियों के एक भाग के रूप में, आईआरएसडीसी की सभी संपत्तियों और देनदारियों [इसके निवेशों/एसएफएम को छोड़कर, स्लम्प सेल के आधार पर आरएलडीए को हस्तांतरित कर दी गई। स्लम्प सेल के लिए व्यावसायिक हस्तांतरण समझौते पर 09.04.2025 को हस्ताक्षर किए गए और आरएलडीए से अनुमानित प्रतिफल 11.04.2025 को प्राप्त हुआ। अंतिम स्लम्प सेल जल्द ही पूरी होने की उम्मीद है।

आईआरएसडीसी के वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किए गए हैं। “आईबीसी के अंतर्गत आईआरएसडीसी के स्वैच्छिक परिसमापन” हेतु परिसमापक की नियुक्ति हेतु कार्यवाई शीघ्र ही की जाएगी।

3. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)

सीईआरएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), इरकॉन और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामित) की क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसकी स्थापना 12 मार्च, 2013 को हुई थी। सीईआरएल ने 07 मई, 2013 को कारोबार शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। सीईआरएल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला संपर्क गलियारे यानी पूर्वी गलियारे (लंबाई 180 किमी) का विकास करना है।

यह परियोजना पीपीपी परियोजनाओं के लिए निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण (बूट) मॉडल पर क्रियान्वित की जा रही है। एसईसीएल, इरकॉन और सीएसआईडीसी के बीच शेयरधारक समझौता 11 सितंबर, 2014 को हस्ताक्षरित किया गया था। यह परियोजना पीपीपी परियोजनाओं के लिए निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण (बूट) मॉडल पर क्रियान्वित की जा रही है। एसईसीएल, इरकॉन और सीएसआईडीसी के बीच शेयरधारक समझौता 11 सितंबर, 2014 को हस्ताक्षरित किया गया था।

इस परियोजना को आगे दो चरणों में विभाजित किया गया है:

- (क) **सीईआरएल चरण-I** — यह खरसिया से धरमजयगढ़ तक फैला है, जिसमें घरघोड़ा से डोंगा महुआ तक स्पर लाइन भी शामिल है। सीईआरएल चरण-I के लिए रियायत समझौते पर रेल मंत्रालय के साथ 12 जून, 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर 175 किलोमीटर की प्रभावी दूरी पर 60% की बढ़ी हुई माइलेज दर के साथ पाँच वर्षों की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। रेल मंत्रालय द्वारा इसे परियोजना की वांछित आईआरआर बनाए रखने हेतु समीक्षा और आगे विस्तार के अधीन, तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

विभिन्न अनुभागों को निम्नानुसार नियुक्त किया गया है:

- क. **सीईआरएल चरण-I** — का खरसिया से कोरीछापार (डीएन लाइन: 0-42.569 किमी) 12 अक्टूबर, 2019 को चालू किया गया है।

बोर्ड की रिपोर्ट

2. सीईआरएल चरण-I के कोरिचापार से धरमजयगढ़ (डीएन लाइनरू 42.569 किमी – 73.519 किमी) को 22 जून, 2021 को चालू कर दिया गया है।
3. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सीईआरएल चरण-I के अंतर्गत घरघोड़ा से भालूमुड़ा (सीएसबी किमी 34.090 – 13.873 किमी) तक 23.02.2022 को रेल लाइन खोलने की अनुमति दी है। इस खंड को 07.03.2022 को व्यावसायिक रूप से अधिसूचित किया गया है।
4. छल फेडर लाइन सीएसबी किमी 16.548 (फीडर लाइन के लिए सीएच. 0) – सीईआरएल सीमा, सीईआरएल चरण-I के किमी 8.429 (एफ/छल) को 23 जुलाई, 2022 को चालू कर दिया गया है।
5. सीईआरएल चरण-I के खरसिया से कोरिचापार (यूपी लाइनरू 0–42.569 किमी) को 12 सितंबर, 2022 को चालू कर दिया गया है।
6. बरौद फीडर लाइन सीएसबी किमी 42.569 (बरौद फीडर लाइन के लिए सीएच. 0) – सीईआरएल सीमा, सीईआरएल चरण-I के किमी 4.139 को 16 मार्च, 2023 को चालू किया गया है।
7. बरौद फ्रेट टर्मिनल 13 जून, 2023 को चालू किया गया और 26 जून, 2023 से लोडिंग शुरू हुई।

शेष कार्य स्पर लाइन के दूसरे ब्लॉक खंड और दुर्गापुर फीडर लाइन के निर्माण से संबंधित है। स्पर लाइन को दिसंबर, 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और दुर्गापुर फीडर लाइन का निर्माण दुर्गापुर खदान के एमडीओ को अंतिम रूप देने में देरी के कारण स्थगित कर दिया गया है। स्पर लाइन के जल्द ही पूरा होने की संभावना है। परियोजना लागत ₹3,055.15 करोड़ से संशोधित कर ₹3,407.09 करोड़ कर दी गई है। इसे 80:20 के ऋण इक्विटी अनुपात में वित्त पोषित किया गया है। सीईआरएल ऋण का पुनर्वित्त मार्च, 2025 में हुआ है। वर्तमान में, पीएफसी द्वारा ₹3,166.68 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से ₹2,409.61 करोड़ का लाभ उठाया जा चुका है। कंसोर्टियम ऋणदाता को मार्च, 2025 में ही पूर्व-भुगतान भी कर दिया गया है।

ख) सीईआरएल चरण-II – यह धर्मजयगढ़ से कोरबा तक फैला हुआ है। सीईआरएल चरण-II की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को 12 जून, 2018 को क्षेत्रीय रेलवे द्वारा संचालन के पहले पांच वर्षों के लिए 62.5 किमी की प्रभावी दूरी पर 60% की बढ़ी हुई माइलेज के साथ अनुमोदित किया गया है। सीईआरएल चरण-II के लिए रियायत समझौते पर 15 मार्च, 2022 को रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। सीईआरएल चरण-II परियोजना का वित्तीय समापन 28 अगस्त, 2023 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ ₹1,349.00 करोड़ की कुल ऋण आवश्यकता के लिए प्राप्त हुआ। 157.035 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए चरण-II वन मंजूरी 15 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई।

4. छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)

सीईडब्ल्यूआरएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), इरकॉन और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामित) की क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसकी स्थापना 25 मार्च, 2013 को हुई थी। सीईडब्ल्यूआरएल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला संपर्क गलियारे, यानी पूर्व-पश्चिम गलियारे (लंबाई 135 किलोमीटर) का विकास करना है। सीईडब्ल्यूआरएल ने 07 मई, 2013 को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। परियोजना की रियायत अवधि नियत तिथि से 30 वर्ष है, जिसमें 3 वर्ष और 6 महीने की निर्माण अवधि शामिल है। एसईसीएल, इरकॉन और सीएसआईडीसी के बीच शेरधारक समझौता 09 अप्रैल, 2021 को निष्पादित किया गया था।

बिलासपुर और कोरबा जिलों (छत्तीसगढ़) में फैली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना, ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरिडोर ने वित्त वर्ष 2024–25 में उल्लेखनीय प्रगति हासिल कर ली है। यह परियोजना अब निर्माण के उन्नत चरण में है, जिसके लिए प्रमुख ठेके दिए जा चुके हैं और तेजी से कार्यान्वयन हो रहा है।

सीईडब्ल्यूआरएल ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से 3,976 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए एक ऋण समझौता किया है, प्रमोटर्स (एसईसीएल और इरकॉन) से पूर्ण पूंजी प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है, जिससे 4,970.11 करोड़ रुपये की मूल परियोजना लागत को देखते हुए मजबूत वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हुई है।

परियोजना की संशोधित लागत ₹7,448.52 करोड़ हाल ही में स्वीकृत की गई है। परियोजना को 80:20 के ऋण: इक्विटी अनुपात पर वित्तपोषित करने का लक्ष्य है। ऋण में वृद्धि और मौजूदा ऋण के पुनर्वित्त की प्रक्रिया चल रही है।

5. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)

एमसीआरएल, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन और ओडिशा इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर की इक्विटी भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है

विकास निगम (ओआईडीसीएल) (ओडिशा सरकार का एक नामित) के साथ क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में, 31 अगस्त 2015 को निगमित किया गया था। एमसीआरएल का मुख्य उद्देश्य चिन्हित रेल कॉरिडोर परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है जो ओडिशा राज्य में खदानों से कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

एमसीआरएल ने 19 अप्रैल, 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और कार्यान्वयन के लिए अंगुल-बलराम-पुटागड़िया-झारपाड़ा-तेनतुलुई नए रेल कॉरिडोर (68 किमी) की पहचान की गई है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को क्षेत्रीय रेलवे, अर्थात् पूर्वी तट रेलवे द्वारा जनवरी 2018 में अनुमोदित किया गया है। रेल मंत्रालय ने 12 जून, 2018 को परियोजना की पूरी लंबाई के लिए

बोर्ड की रिपोर्ट

60% की बढ़ी हुई माइलेज को मंजूरी दी है। इस परियोजना को 23 अक्टूबर, 2018 को रेल मंत्रालय द्वारा एक विशेष रेलवे परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया है।

एमसीआरएल और रेल मंत्रालय के बीच रियायत समझौता 02 दिसंबर, 2021 को निष्पादित किया गया है।

एमसीआरएल के प्रथम चरण के रूप में अंगुल-बलराम खंड (14 किमी) 14 नवंबर, 2022 को चालू हो गया और द्वितीय चरण (54 किमी) के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा था। इस बीच, रेल मंत्रालय ने पूरी परियोजना को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है। परियोजना का प्रथम चरण 01.03.2024 को संचालन और रखरखाव के लिए पूर्व तटीय रेलवे को इस शर्त के साथ भौतिक रूप से सौंप दिया गया है कि संचालन और रखरखाव पर होने वाला व्यय एमसीआरएल को देय उपयोगकर्ता शुल्क से वहन किया जाएगा।

एमसीआरएल के चरण-I और चरण-II की सभी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा उनके मूल्यांकन पर विचार-विमर्श के लिए रेल मंत्रालय के साथ चर्चा चल रही है।

बंद करने की गतिविधियां रेल मंत्रालय की मंजूरी और अन्य संबंधित औपचारिकताओं के बाद शुरू होने की उम्मीद है।

6. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

जेसीआरएल, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), इरकॉन और झारखंड सरकार (जीओजे) की क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे 31 अगस्त, 2015 को शामिल किया गया था। जेसीआरएल का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में खदानों से कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण पहचाने गए रेल कॉरिडोर परियोजनाओं का निर्माण, निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है।

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹500.00 करोड़ है।

निम्नलिखित परियोजना को जेसीआरएल को सौंपा गया।

- शिवपुर-कठौतिया नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन परियोजना – 49.085 किमी
मूल परियोजना लागत— ₹1,799.64 करोड़
संशोधित परियोजना लागत— ₹2,564.34 करोड़
जेसीआरएल ने 28 मार्च, 2016 को इरकॉन के साथ एक परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कठौतिया (चेनेज 0.00) से शिवपुर (चेनेज 49.085) तक की कुल लंबाई 49.

085 किलोमीटर है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

जेसीआरएल ने 05 मई, 2022 को वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है। संशोधित परियोजना लागत के लिए ऋण और प्रमोटर इक्विटी की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

परियोजना प्रगति पर है और इसके पूरा होने की लक्षित तिथि वित्त वर्ष 2026-27 है। 31.03.2025 तक परियोजना का कुल CWIP ₹1,369.09 करोड़ (जीएसटी सहित) है।

7. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)

बीआरपीएल, एनएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी), इरकॉन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामित) की क्रमशः 43:26:21:10 के अनुपात में प्रारंभिक इक्विटी भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका गठन 5 मई, 2016 को हुआ था। बीआरपीएल के लिए शेरधारक समझौता 20 जनवरी, 2016 को किया गया था। बीआरपीएल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में रावघाट से जगदलपुर (नारायणपुर, कोंडागांव होते हुए) नई रेलवे लाइन का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है। संशोधित शेरधारक समझौता 25 मई, 2018 को किया गया था, जिसमें एनएमडीसी, इरकॉन, सेल और सीएमडीसी की शेरधारिता पैटर्न को क्रमशः 52:26:12:10 तक संशोधित किया गया था।

बीआरपीएल ने 19 जुलाई, 2017 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अक्टूबर 2017 में क्षेत्रीय रेलवे अर्थात दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) द्वारा अनुमोदित किया गया है। रेल मंत्रालय ने 12 जून, 2018 को परियोजना की पूरी लंबाई के लिए 50% की बढ़ी हुई माइलेज को मंजूरी दी थी। बीआरपीएल और रेल मंत्रालय के बीच रियायत समझौते को 27 सितंबर, 2018 को निष्पादित किया गया है।

रेल मंत्रालय (एमओआर) ने वित्त वर्ष 2022-23 में बीआरपीएल परियोजना के अधिग्रहण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। एमओआर ने कानूनी और वित्तीय देनदारियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है और बीआरपीएल परियोजना को एमओआर द्वारा अपने अधीन लेने हेतु सभी औपचारिकताओं पर सहमति बनाने के लिए चर्चा चल रही है। अतः, बीआरपीएल को बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

यह रिपोर्ट भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर), कंपनी अधिनियम, 2013 और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 (डीपीई दिशानिर्देश) के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन या कंपनी) की कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विवरण दिया गया है।

डीपीई ने 12 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से कंपनी को "नवरत्न" का दर्जा प्रदान किया है। अब, इरकॉन, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 15वीं नवरत्न कंपनी है। इरकॉन 28 सितंबर, 2018 को सूचीबद्ध हुई और इसने कॉर्पोरेट प्रशासन का एक सुदृढ़ ढाँचा स्थापित किया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का अनुप्रयोग, कानूनों का अनुपालन और नैतिक मानकों का पालन है, ताकि हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

हमारा मानना है कि कॉर्पोरेट प्रशासन का अर्थ सभी हितधारकों के साथ मूल्यवान संबंध और विश्वास बनाए रखना है, साथ ही उनके मूल्य को अधिकतम करने की प्रतिबद्धता भी। कॉर्पोरेट प्रशासन की अच्छी प्रथाओं का पालन करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पारदर्शिता, निष्पक्षता, विवेक, टीम वर्क, व्यावसायिकता और जवाबदेही पर आधारित है। यह सर्वोत्तम मानकों का पालन करने और हमारे हितधारकों के बीच विश्वास का निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।

1. शासन संहिता पर कंपनी के दर्शन पर वक्तव्य

इरकॉन सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में विश्वास करता है, तथा इसका आवश्यक चरित्र पारदर्शिता, विश्वास और निष्ठा, प्रदर्शन अभिविन्यास, जिम्मेदारी, जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक जवाबदेही और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के उच्च मानक द्वारा आकारित होता है।

इरकॉन हमेशा से ही संगठन में सर्वोत्तम नीतियों, प्रथाओं, संरचनाओं और नैतिकता का एक ढाँचा तैयार करने में विश्वास

करता रहा है। कॉर्पोरेट प्रशासन वास्तव में कई वर्षों से हमारे व्यवसाय संचालन का एक अभिन्न अंग रहा है। इरकॉन की टीम कॉर्पोरेट मूल्यों को मानती है और उन्हें नियमित रूप से अपने आचरण में आत्मसात करती है।

कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस संहिता है "कंपनी की गतिविधि के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ पेशेवर, लाभदायक, पारदर्शी और जवाबदेह होना।"

निदेशक मंडल द्वारा औपचारिक रूप से अपनाए गए कंपनी के प्रमुख मूल्य हैं:

- क. रचनात्मक दृष्टिकोण
- ख. टीम के रूप में कार्य करना
- ग. उत्कृष्ट प्रदर्शन
- घ. कार्य और व्यवहार में ईमानदारी
- ड. जिम्मेदार और जवाबदेह होना

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल, इरकॉन का सर्वोच्च शासी निकाय है। निदेशक मंडल में विविध क्षेत्रों से आए पेशेवर शामिल हैं, जिनके पास उद्योग और संबंधित क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और अनुभव है, जो कंपनी को रणनीतिक मार्गदर्शन और दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। इरकॉन में, हमारा मानना है कि कंपनी का बोर्ड सचेत रूप से एक नेतृत्व संस्कृति का निर्माण करता है ताकि शासन की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण और नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। बोर्ड के कार्य कंपनी के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप होते हैं। कंपनी ने बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों के लिए दिशानिर्देश और एक स्थापित ढाँचा निर्धारित किया है। ये दिशानिर्देश बोर्ड और समितियों की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को एक सूचित और कुशल तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, इरकॉन एक 'सरकारी कंपनी' है क्योंकि इसकी 65.17% चुकता शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार/भारत सरकार (जीओआई) के पास है और निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय यानी रेल मंत्रालय (एमओआर) के माध्यम से

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।

मार्च, 2025 तक, कंपनी में छह निदेशक हैं, जिनमें से चार पूर्णकालिक निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्य) और निदेशक (परियोजनाएँ)) और दो सरकारी नामित निदेशक हैं।

अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक होता है; इसलिए, बोर्ड में आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। चूंकि इरकॉन के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, इसलिए कंपनी समय-समय पर रेल मंत्रालय से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति का अनुरोध करती है।

वित्त वर्ष 2024–2025 के दौरान, कंपनी के पास कार्यकारी/

कार्यात्मक निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं था। इसके अलावा, 8 नवंबर, 2024 को तीन स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल समाप्त होने के कारण, कंपनी के पास केवल एक स्वतंत्र निदेशक था, जिसका कार्यकाल भी 28 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो गया। इसलिए 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के पास कोई स्वतंत्र निदेशक (स्वतंत्र महिला निदेशक सहित) नहीं था। 1 अप्रैल, 2025 तक, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की स्वीकृत संख्या के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) के पद के लिए छह रिक्तियां हैं, जिनके लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है। इसके बाद, प्रशासनिक मंत्रालय यानी रेल मंत्रालय द्वारा कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई

2.1 वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान निदेशकों की श्रेणी और नाम, पदनाम और कार्यकाल

श्रेणी, नाम और पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति या समाप्ति (वर्ष के दौरान, यदि कोई हो)
पूर्णकालिक (कार्यात्मक) निदेशक – कार्यकारी		
श्री हरि मोहन गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	08453476	01 जुलाई, 2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त
श्रीमती रागिनी अडवाणी निदेशक (वित्त)	09575213	
श्री आनंद कुमार सिंह निदेशक (परियोजनाएँ)	07918656	
श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)*	05272169	
श्री बृजेश कुमार गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार)	10092756	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से मुक्त और सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) के रूप में पुनः नामित निदेशक 29 अप्रैल, 2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से मुक्त
श्री आशीष बंसल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार)	10328174	29 अप्रैल, 2024 से और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से मुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से मुक्त और
सरकारी नामित [अंशकालिक (आधिकारिक)] निदेशक – गैर-कार्यकारी		
श्री अनुपम सिंह	10637375	6 नवंबर, 2024 से सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री धनंजय सिंह	08955500	6 नवंबर, 2024 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में कार्य समाप्त
श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता	10092756	31 दिसंबर, 2024 से सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक के रूप में कार्य समाप्त
श्री आनंद भाटिया	10937265	4 फरवरी, 2025 से सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक के रूप में नियुक्त
स्वतंत्र [अंशकालिक (गैर-आधिकारिक)] निदेशक – गैर-कार्यकारी		
श्री अजय कुमार चौहान	09394953	गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का पद समाप्त (8 नवंबर, 2024 से प्रभावी)
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	09398271	गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का पद समाप्त (8 नवंबर, 2024 से प्रभावी)
श्रीमती रंजना उपाध्याय	07787711	गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का पद समाप्त (8 नवंबर, 2024 से प्रभावी)
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	09453387	गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक का पद समाप्त (28 दिसंबर, 2024 से प्रभावी)

*श्री पराग वर्मा 30 अप्रैल, 2025 से निदेशक (कार्य) के पद से मुक्त हो गए हैं।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

श्री एन.सी. करमाली, आईआरएसई, पीईडी/जीएस रेलवे बोर्ड [डीआईएन: 09103211] को 9 मई, 2025 से अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा निदेशक (निर्माण) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा, रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार, श्री एनसी करमाली ने श्री अजीत कुमार मिश्रा [डीआईएन: 11108237] की नियुक्ति पर निदेशक (निर्माण) के अतिरिक्त प्रभार को त्याग दिया, जिन्होंने 15 मई, 2025 से पांच साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (निर्माण) के पद का कार्यभार संभाला।

श्री वरदराजन टी [डीआईएन: 08556664] को 15 मई, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, स्वतंत्र (गैर-आधिकारिक अंशकालिक) निदेशक नियुक्त किया गया है।

2.2 31 मार्च, 2025 तक बोर्ड संरचना, निदेशकों की श्रेणी, अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण और बोर्ड समिति(यों) में सदस्यता/अध्यक्षता

क्र. सं.	निदेशकों की श्रेणी एवं नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या एवं नाम ¹	अन्य कंपनियों में बोर्ड समिति(यों) की संख्या और नाम, जिनके निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं ²	धारित शेयरों की संख्या
----------	----------------------------	--	--	------------------------

कार्यात्मक निदेशक – कार्यकारी

1	श्री हरि मोहन गुप्ता	-	-	-
2	श्रीमती रागिनी अडवाणी	अंशकालिक (नामित) निदेशक: 1. छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड 2. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड 3. झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड 4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड 5. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	-	-
3	श्री पराग वर्मा	1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड – अध्यक्ष 2. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड – अध्यक्ष 3. इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड – अध्यक्ष 4. इरकॉन अकलोली-श्रीसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड – अध्यक्ष 5. इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड – अध्यक्ष अंशकालिक (नामित) निदेशक: 6. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड 7. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड 8. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड– लेखा परीक्षा समिति – अध्यक्ष	10,500
4	श्री आनंद कुमार सिंह	अंशकालिक (नामित) निदेशक: 1. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड 2. छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड 3. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	-	-

सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक – गैर-कार्यकारी

5	श्री अनुपम सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक: 1. असम रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	-
6	श्री आनंद भाटिया	शून्य	शून्य	शून्य

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

फूट नोट:

- निदेशक पदों की संख्या में विदेशी कंपनियां और धारा 8 कंपनियां (यदि कोई हों) शामिल नहीं हैं।
- इसमें अन्य कंपनियों में लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यता शामिल है।
- कंपनी का कोई भी निदेशक दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन सभी कंपनियों में पाँच (5) से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है जिनमें वह निदेशक है।
- बोर्ड का कोई भी निदेशक बीस (20) से अधिक कंपनियों/दस (10) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में एक ही समय में वैकल्पिक निदेशक पदों सहित निदेशक पद धारण नहीं करता है।
- कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद धारण नहीं करता है। इसके अलावा, कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है।
- कोई भी पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक किसी भी सूचीबद्ध संस्था में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है।
- निदेशकों के बीच कोई भी संबंध नहीं है। श्री अनुपम सिंह और श्री आनंद भाटिया रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं और इस प्रकार प्रमोटर से संबंधित हैं, हालाँकि उनके बीच या कंपनी के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है।

2.3 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकें और वार्षिक आम बैठक:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की नौ (9) बैठकें हुईं। बोर्ड की सदस्य संख्या और बोर्ड बैठकों में उपस्थित निदेशकों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है। कोई भी बोर्ड बैठक 120 दिनोंधनी महीने से अधिक के अंतराल पर आयोजित नहीं की गई।

बैठक की तिथि	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
19.04.2024	9	9
21.05.2024	10	8
18.07.2024	10	7
08.08.2024	10	10
20.09.2024	10	9
07.11.2024	10	9
18.12.2024	7	7
11.02.2025	6	6
26.03.2025	6	6

नीचे दी गई तालिका वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति दर्शाती है:

निदेशकों का नाम	बैठक की तिथि									कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बोर्ड बैठकें	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठक में उपस्थिति का %	क्या आपने 12.09.2024 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था?
	19.04.2024	21.05.2024	18.07.2024	08.08.2024	20.09.2024	07.11.2024	18.12.2024	11.02.2025	26.03.2025				
श्री हरि मोहन गुप्ता	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	7	7	100	हाँ
श्रीमती रागिनी अडवाणी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	9	9	100	हाँ
श्री पराग वर्मा	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	9	8	88.9	हाँ
श्री आनंद कुमार सिंह	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	9	8	88.9	हाँ
श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	7	5	71.4	हाँ
श्री आशीष बंसल	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	1	1	100	लागू नहीं
श्री अनुपम सिंह	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4	100	लागू नहीं

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

निदेशकों का नाम	बैठक की तिथि									कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बोर्ड बैठकें	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठक में उपस्थिति का %	क्या आपने 12.09.2024 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था?
	19.04.2024	21.05.2024	18.07.2024	08.08.2024	20.09.2024	07.11.2024	18.12.2024	11.02.2025	26.03.2025				
श्री आनंद भाटिया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	2	2	100	लागू नहीं
श्री धनंजय सिंह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	5	2	40	हाँ
श्री अजय कुमार चौहान	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6	6	100	हाँ
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6	6	100	हाँ
श्रीमती रंजना उपाध्याय	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6	6	100	हाँ
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7	7	100	हाँ
	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं				

2.4 बोर्ड सदस्यता मानदंड

इरकॉन एक इंजीनियरिंग एवं निर्माण कंपनी है, तथा बोर्ड द्वारा अपेक्षित प्रमुख योग्यताएं सिविल इंजीनियरिंग, वित्त, प्रौद्योगिकी, विपणन और वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में हैं।

इरकॉन के निदेशकों की प्रमुख योग्यताओं, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताओं का सारांश, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, रेल मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन, नीचे दिया गया है। निदेशकों की वांछित योग्यताएँ, विशेषज्ञता, कौशल आदि डीपीई/लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) और/या रेल मंत्रालय द्वारा संशोधन/परिवर्तन/परिवर्तन के अधीन हैं और स्वतंत्र निदेशकों की योग्यताएँ भी डीपीई द्वारा पहचान के अधीन हैं।

निदेशकों के लिए अपेक्षित अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता तालिका में शामिल हैं:

क्र. सं.	निदेशक की श्रेणी	आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता
1.	कार्यात्मक निदेशक – कार्यकारी	
	i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक, अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ-साथ किसी प्रतिष्ठित बड़े संगठन में प्रबंधन के वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक, अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ-साथ किसी प्रतिष्ठित बड़े संगठन में प्रबंधन के वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव। सिविल इंजीनियरिंग/तकनीकी/एमबीए योग्यता में डिग्री और वित्त/विपणन/परियोजनाओं का ज्ञान। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेष रूप से रेलवे परियोजनाओं, संगठनात्मक योजना की तकनीकों और रेलवे उद्योग में जनशक्ति विकास का अनुभव।
	ii) निदेशक (परियोजनाएं)	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक। रेलवे क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी/परिचालन/परियोजना प्रबंधन का अनुभव। वांछनीय: अधिमानतः एमबीए/तकनीकी योग्यता।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

क्र. सं.	निदेशक की श्रेणी	आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता
	iii) निदेशक (कार्य):	अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक। सड़क/राजमार्ग सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पर्याप्त तकनीकी/परिचालन/परियोजना प्रबंधन का अनुभव। वांछनीय: अधिमानतः एमबीए/तकनीकी योग्यता।
	iv) निदेशक (वित्त)	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या पूर्णकालिक एमबीए/पीजीडीएम (वित्त में विशेषज्ञता के साथ) पाठ्यक्रम, साथ ही किसी प्रतिष्ठित संगठन में वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव। (ii) उचित स्तर पर कार्यरत संगठित समूह 'ए' लेखा सेवा के अधिकारियों को (i) के अनुसार न्यूनतम योग्यता से छूट दी गई है। (iii) पर्याप्त और प्रासंगिक अनुभव वाले केंद्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को उपरोक्त (i) के अनुसार न्यूनतम योग्यता से छूट दी गई है। लागत, बजटीय नियंत्रण, संस्थागत वित्त, कार्यशील पूंजी प्रबंधन सहित कॉर्पोरेट वित्तीय प्रबंधन और लेखा में वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव।
2.	सरकारी नामिती [अंशकालिक (आधिकारिक)] निदेशक – गैर-कार्यकारी – (2 निदेशक)	जैसा कि भारत सरकार (एमओआर) द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
3.	स्वतंत्र निदेशक [अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक – गैर-कार्यकारी – (6 निदेशक)]	जैसा कि भारत सरकार (एमओआर) द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, सरकारी नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के पास पीईएसबी, भारत सरकार द्वारा तय किए गए अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताएं होंगी।

उद्योग क्षेत्र और अन्य प्रबंधकीय कौशल को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2025 तक, इरकॉन के निदेशकों के पास निम्नलिखित विशेषज्ञता और कौशल होंगे

निदेशकों का नाम	विशेषज्ञता और कौशल का क्षेत्र							
	उद्योग ज्ञान और अनुभव	वित्तीय प्रबंधन	कॉर्पोरेट योजना और प्रबंधन रणनीति	नेतृत्व	तकनीकी ज्ञान	बोर्ड की कार्यप्रणाली और शासन	व्यापार विकास	वैश्विक दृष्टिकोण

निदेशक:

श्री हरि मोहन गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्रीमती रागिनी अडवाणी, निदेशक (वित्त)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्री पराग वर्मा, निदेशक (कार्य)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्री आनन्द कुमार सिंह निदेशक (परियोजनाएं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

निदेशकों का नाम	विशेषज्ञता और कौशल का क्षेत्र							
	उद्योग ज्ञान और अनुभव	वित्तीय प्रबंधन	कॉर्पोरेट योजना और प्रबंधन रणनीति	नेतृत्व	तकनीकी ज्ञान	बोर्ड की कार्यप्रणाली और शासन	व्यापार विकास	वैश्विक दृष्टिकोण

सरकार द्वारा नामित निदेशक:

श्री अनुपम सिंह	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्री आनंद भाटिया	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

निदेशकों की विशेषज्ञता और कौशल कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध है।

2.5 निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली जानकारी:

प्रबंधन द्वारा बोर्ड को प्रदान की गई जानकारी की मात्रा और गुणवत्ता, समय-समय पर संशोधित सेबी एलओडीआर में निर्धारित आवश्यकताओं से कहीं अधिक है। बोर्ड को प्रदान की जा रही जानकारी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- कंपनी के तिमाही/अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- लेखा परीक्षा समिति की बैठकों, बोर्ड बैठकों और अन्य समिति बैठकों के कार्यवृत्त।
- सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त।
- पूँजी और राजस्व बजट, किसी भी परिवर्तन सहित।
- संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण।
- डूबत ऋणों को बट्टे खाते में डालना।
- निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की भौतिक प्रकृति की बिक्री।
- प्रमुख निवेशों, नई सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के निगमन, और रणनीतिक गठबंधनों के बारे में जानकारी।
- भौतिक लेखांकन नीतियों में कोई भी परिवर्तन।
- कंपनी द्वारा विभिन्न कानूनों का अनुपालन।
- प्रमुख ऑर्डर प्राप्त हुए और बोलियाँ खो गईं।
- निदेशकों द्वारा कंपनी के समक्ष हितों का प्रकटीकरण।
- बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।
- सेबी एलओडीआर के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत अनुपालनधरिपोर्ट।
- सूचना, अनुमोदन और समीक्षा के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली अन्य सभी सूचनाएं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नियुक्त/पुनर्नियुक्त नए निदेशक:

2.6 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान नियुक्त/पुनर्नियुक्त नए निदेशक:

- श्री आशीष बंसल [डीआईएन: 10328174]—(29 अप्रैल, 2024 से 1 जुलाई, 2024 तक)

54 वर्षीय श्री आशीष बंसल ने थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया है। वे 1989 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसई) के अधिकारी हैं।

इरकॉन में शामिल होने के समय, वे रेलवे बोर्ड में पीईडी/ट्र (एम एंड एमसी) के पद पर कार्यरत थे। रेलवे में उनका व्यापक और विविध अनुभव है। उन्होंने धनबाद में मंडल रेल प्रबंधक के रूप में कार्य किया है। उन्हें डीएमआरसी में भूमिगत निर्माण का अनुभव है।

श्री हरि मोहन गुप्ता [डीआईएन: 08453476]—(1 जुलाई, 2024 से आगे):

श्री हरि मोहन गुप्ता एक भारतीय रेलवे अधिकारी (IRSE-1989), IIT/रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वे लगभग 4 वर्षों तक DFCCIL के निदेशक (इन्फ्रा) के पद पर कार्यरत थे और इस कार्यकाल के दौरान, WDPC के स्वचालित सिग्नलिंग सहित 1404 रूट किलोमीटर (3173 ट्रेक किलोमीटर) दोहरी लाइन का विद्युतीकरण किया गया। उन्होंने 23 अप्रैल, 2019 से 12 अक्टूबर, 2020 तक MoR, रेलवे बोर्ड में ED/वर्क्स के रूप में भी कार्य किया।

कार्यपालक निदेशक/कार्यालय से पहले, उन्होंने डीएफसीसीआईएल में डब्ल्यूडीएफसी के रेवाड़ी-दादरी खंड के मुख्य परियोजना प्रबंधक के रूप में एक चुनौतीपूर्ण प्रतिष्ठित परियोजना पर प्रतिनियुक्ति पर 7 वर्षों तक कार्य किया और 7 प्रमुख जिलों (रेवाड़ी, अलवर, मेवात, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के जीबी नगर) में भूमि अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अरावली पहाड़ियों में सुरंग बनाकर अरावली पर्वतमाला से गुजरने की विशेष अनुमति सहित सभी जिलों में वानिकी मंजूरी सुनिश्चित की, नोएडा में फ्रीहोल्ड भूमि प्राप्त की और डीएफसी संरक्षण को समायोजित करने के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो संरक्षण में बदलाव करवाया। परियोजना घटकों के सभी डिजाइन और रेखाचित्र उनके कार्यकाल के दौरान अंतिम रूप दिए गए और संरक्षण के साथ-साथ निर्माण गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर शुरू हुईं।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

उन्हें ट्रैक रखरखाव, विशाल रेलवे ट्रैक मशीनों की मरम्मत/रखरखाव/ओवरहालिंग, क्षेत्रीय रेलवे की निविदा/अनुबंध को अंतिम रूप देने/मध्यस्थता/प्रशासन आदि का भी अनुभव है और कार्यकारी निदेशक/कार्य के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने परियोजना निगरानी, वित्तपोषण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में बहुत अनुभव प्राप्त किया है।

जुलाई 2024 में, उन्होंने सीएमडी/इरकॉन का कार्यभार संभाला और विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में परियोजनाओं को चालू करना सुनिश्चित किया जैसे कि जम्मू-कश्मीर की यूएसबीआरएल (जम्मू-कश्मीर) रेल परियोजना, किउल-गया रेल परियोजना का दोहरीकरण, कटनी-सिंगरौली रेल दोहरीकरण परियोजना, प्रतिष्ठित एमपी कटनी ग्रेड सेपरेटर परियोजना, उत्तर सीमांत रेलवे का बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण, उत्तर रेलवे के मैकेनिकल इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में परिवर्तित करना, श्रीलंका के माहो-उमंथाई रेल ट्रैक का उन्नयन, बांग्लादेश में खुलना-मोंगला नई रेल लाइन बिछाना, भारतीय रेलवे के लिए कर्नाटक में सौर ऊर्जा की कमीशनिंग, आधुनिक सुरंग संचार प्रणालियों की कमीशनिंग, सुरंगों में कठोर ओवरहेड कैटेनरी प्रणाली, रैपिड रेल एनसीआरटीसी परियोजना में ओवरहेड विद्युतीकरण, राजमार्ग परियोजनाओं का तेजी से निष्पादन आदि।

इसके अलावा, उन्होंने कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट विंग में अलग से इलेक्ट्रिकल और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भी विकसित किए। चूंकि किसी भी कंपनी का मानव संसाधन, कंपनी के विकास की मुख्य प्रेरक शक्ति होता है, इसलिए उन्होंने कर्मचारियों की संतुष्टि और स्वामित्व को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतिगत बदलाव सुनिश्चित किए।

कंपनी के लिए उनका दृष्टिकोण मजबूत अनुबंध प्रबंधन, कुशल निष्पादन, डिजाइन नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से कंपनी के लिए लाभदायक और टिकाऊ विकास हासिल करने के लिए व्यावसायिक शक्तियों, औद्योगिक ज्ञान और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के अनुभव का लाभ उठाना है।

एक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन के जिम्मेदार प्रमुख के रूप में, वह इरकॉन को एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी बनाने और व्यापक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक उच्च मानक स्थापित करने के अपने कर्तव्य को समझते हैं। उनका उद्देश्य परिचालन और वित्तीय नियंत्रणों की एक उचित रूप से डिजाइन की गई और लगातार लागू की जाने वाली प्रणाली स्थापित करना, संसाधनों की सुरक्षा करना, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना और सभी कानूनों और नियमों का पालन करना है।

वह एक बेहद लगनशील और मेहनती व्यक्ति हैं और नेतृत्व के प्रति उनका दृष्टिकोण हमेशा टीम के प्रत्येक सदस्य के

सुझावों को ध्यान में रखना, उनकी प्रेरणा को ऊँचा रखना और परियोजना को मिशन मोड पर आगे बढ़ाना रहा है। वह ईमानदारी, निष्ठा, दृढ़ता और एक संगठन में एक स्वस्थ कार्य संस्कृति की शक्ति में सच्चा विश्वास रखते हैं, इसलिए, उन्होंने हमेशा विभिन्न विभागों, वरिष्ठों और कनिष्ठों के साथ अच्छे पारस्परिक संबंध बनाए रखने का ध्यान रखा है।

इ. श्री अनुपम सिंह [डीआईएन: 10637375] – (06 नवंबर, 2024 से आगे):

श्री अनुपम सिंह, आयु 49 वर्ष, मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय (एमएनआरईसी), इलाहाबाद से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वे वर्तमान में भारत सरकार के रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (पुल एवं संरचना-II) के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने वरिष्ठ डीईएन, वरिष्ठ डीईएन/सी, उप मुख्य अभियंता/निर्माण, मुख्य अभियंता/निर्माण एवं एडीआरएम जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

ब. श्री आनंद भाटिया [डीआईएन: 10937265]— (04 फरवरी, 2025 से आगे):

श्री आनंद भाटिया 1988 बैच के भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा (आईआरएसई) के अधिकारी हैं और उन्होंने आईआईटी/दिल्ली से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। वे 16 जनवरी, 2025 से रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य (सिविल इंजीनियरिंग) के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें रेलवे में, विशेष रूप से वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, मंडल रेल प्रबंधक, अपर मंडल रेल प्रबंधक आदि विभिन्न पदों पर, रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन में, 35 वर्षों से अधिक का समृद्ध एवं विविध अनुभव है।

सभी मौजूदा निदेशकों का विस्तृत विवरण कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर देखा जा सकता है।

2.7 स्वतंत्र निदेशकों के इस्तीफे के कारणों का विवरण, यदि कोई हो:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा नहीं दिया या अपना पद नहीं छोड़ा। निम्नलिखित चार स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान समाप्त हो गया:

- श्री अजय कुमार चौहान (डीआईएन: 09394953), स्वतंत्र निदेशक, का कार्यकाल 08 नवंबर, 2024 को समाप्त हो रहा है,
- श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता (डीआईएन: 09398271), स्वतंत्र निदेशक, का कार्यकाल 08 नवंबर, 2024 को समाप्त हो रहा है,
- श्रीमती रंजना उपाध्याय (डीआईएन: 07787711), स्वतंत्र निदेशक, का कार्यकाल 08 नवंबर, 2024 को समाप्त हो रहा है,

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

- (iv) डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र (डीआईएन: 09453387), स्वतंत्र निदेशक, का कार्यकाल 28 दिसंबर, 2024 को समाप्त हो रहा है।

2.7 बोर्ड स्वतंत्रता

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, जिसे बोर्ड ने अपनी बैठक में रिकॉर्ड पर लिया है।

2.8 बोर्ड सदस्यों के लिए परिचय कार्यक्रम/प्रशिक्षण:

कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए एक प्रशिक्षण नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य नेतृत्व गुणों को निखारना और निदेशकों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। उन्हें कंपनी के बारे में दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाते हैं जिनमें कंपनी का प्रोफाइल, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, समझौता ज्ञापन के लक्ष्य और उपलब्धियाँ, “नैतिकता और शासन” पर एक पेपर – सीवीसी का एक दृष्टिकोण, और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ, बोर्ड की समितियों के संदर्भ की शर्तें शामिल हैं। इसके साथ ही, कंपनी सेबी एलओडीआर, डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 और आवश्यकतानुसार किसी भी अन्य कानून के तहत निदेशकों के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, अयोग्यता संबंधी प्रावधानों की जानकारी भी प्रदान करती है।

कंपनी विभिन्न कार्यक्रमों और प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी की गतिविधियों और कार्यप्रणाली तथा उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों, कंपनी द्वारा संचालित उद्योग की प्रकृति और व्यवसाय मॉडल आदि से परिचित कराती है। ऐसे परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट 'www.ircon.org' पर वेब लिंक <https://www.ircon.org/images/file/cosecy/FamiliarisationprogramsofDs.pdf> पर दिया गया है।

3. बोर्ड समिति

सेबी एलओडीआर के विनियमन 17, कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों और अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन में, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

- लेखा परीक्षा समिति
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- हितधारक संबंध समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति

- vi) परियोजना प्रगति समीक्षा समिति।

बोर्ड/समितियों के अध्यक्ष, कंपनी सचिव के परामर्श से बोर्ड/समितियों की बैठकों की आवृत्ति निर्धारित करते हैं। समितियों की सिफारिशें अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जाती हैं।

3.1 लेखा परीक्षा समिति

1. संदर्भ की शर्तें

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें सेबी एलओडीआर के विनियम 18 और 24(2) तथा सेबी (अंदरूनी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 (सेबी पीआईटी) के विनियम 9ए(4), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 के अनुरूप हैं। संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

क. वित्तीय विवरण:

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
- बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
 - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के अनुसार निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे,
 - लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण,
 - प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग पर आधारित अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ,
 - लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन,
 - वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन,
 - किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण,
 - ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में योग्यताएं/संशोधित राय, यदि कोई हो,
 - वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण की समीक्षा,
- अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय परिणामों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

4. प्रबंधन के साथ, किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण और सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना, सेबी एलओडीआर के विनियम 32(1) और (7) के अनुसार विचलन के विवरण की समीक्षा करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।
- ख. लेखापरीक्षक एवं आंतरिक नियंत्रण**
 5. कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश,
 6. वैधानिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन,
 7. आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा करना,
 8. प्रबंधन के साथ, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षक के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना, लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और लेखा परीक्षा प्रक्रिया के प्रदर्शन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना,
 9. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा, साथ ही लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा, ताकि चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाया जा सके।
 10. सांविधिक लेखा परीक्षकों/आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के बारे में समय-समय पर चर्चा करना, जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्रों की समीक्षा करना शामिल है।
 11. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखापरीक्षा का कवरेज और आवृत्ति शामिल है।
 12. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।
 13. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
14. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों/एजेंसियों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता का संदेह हो और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।
- ग. संबंधित पक्ष लेनदेन:**
 15. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन, तथा कंपनी की संबंधित पक्ष लेन-देन नीति के अनुसार अन्य अनुमोदन आवश्यक हैं।
- घ. सीएजी ऑडिट / कॉपी:**
 16. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) की लेखापरीक्षा तथा संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- ड. सहायक कंपनी:**
 17. सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित कम हो, से ऋण और/या अग्रिम के उपयोग की समीक्षा करना।
 18. वित्तीय विवरणों और विशेष रूप से गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा करना।
- च. अन्य:**
 19. अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच।
 20. जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।
 21. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में भारी चूक के कारणों की जांच करना।
 22. व्हिसल ब्लोअर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना तथा व्हिसल ब्लोअरों की सुरक्षा करना।
 23. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, सेबी पीआईटी के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करना ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।
 24. लेखापरीक्षा समिति को अपने संदर्भ की शर्तों के अंतर्गत किसी भी गतिविधि की जांच करने का अधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए किसी भी कर्मचारी से जानकारी

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

प्राप्त करने, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करने (निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन) और कंपनी के अभिलेखों में निहित जानकारी तक पूर्ण पहुंच होगी, यदि आवश्यक समझे तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी।

25. कोई अन्य कार्य जैसा कि बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, और जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 या डीपीई दिशानिर्देशों, या सेबी एलओडीआर या समय-समय पर बनाए गए किसी अन्य सेबी नियमों और विनियमों में किसी अन्य संशोधन के तहत आवश्यक हो सकता है।

2. स्थिति, बैठकें और उपस्थिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, कोरम, भूमिका, संदर्भ की शर्तें, कार्यक्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं, जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 और 7, सेबी एलओडीआर के विनियम 18 और 24(2) और समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 के साथ पढ़ा जाता है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	श्री अजय कुमार चौहान, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	18-11-2021	08-11-2024
2.	श्रीमती रंजना उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	18-11-2021	08-11-2024
3.	श्री धनंजय सिंह, शासकीय. नामांकित निदेशक	सदस्य	01-08-2022	06-11-2024
4.	डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	09-11-2024	28-12-2024
5.	श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता, शासकीय. नामांकित निदेशक	सदस्य	09-11-2024	31-12-2024
6.	श्री अनुपम सिंह, शासकीय. नामांकित निदेशक	सदस्य	09-11-2024	-
7.	श्री आनंद भाटिया, शासकीय. नामांकित निदेशक*	अध्यक्ष	04-02-2025	-
8.	श्री पराग वर्मा, निदेशक (कार्य)**	सदस्य	04-02-2025	-

* श्री आनंद भाटिया, समिति के अध्यक्ष थे (04.02.2025 से 15.05.2025 तक) और वे 15.05.2025 से लेखा परीक्षा समिति के सदस्य बने रहे।

** श्री पराग वर्मा, समिति के सदस्य थे (04.02.2025 से 30.04.2025 तक)

श्री एन. सी. करमाली, समिति के सदस्य थे (09.05.2025 से 15.05.2025 तक)।

श्री वरदराजन टी. को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया (15.05.2025 से)

श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, कंपनी सचिव समिति की सचिव हैं (21.05.2024 से)।

श्रीमती पूजा गुरवाला समिति की सचिव थीं (21.05.2024 तक)।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की सात (7) बैठकें हुईं। लेखा परीक्षा समिति द्वारा चर्चा/अनुमोदन की गई मदों में, अन्य बातों के अलावा, तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम/विवरण, पूंजीगत बजट, सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश, संबंधित पक्ष लेनदेन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, लेखा नीति में परिवर्तन, लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आंतरिक लेखा परीक्षा ढाँचा, सेबी पीआईटी के अंतर्गत रिपोर्ट, मध्यस्थता और मुकदमेबाजी मामलों की समीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुच्छेद आदि शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

सदस्य का नाम	बैठक की तिथि							कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
	21.05.2024	18.07.2024	08.08.2024	07.11.2024	18.12.2024	11.02.2025	26.03.2025		
श्री अजय कुमार चौहान	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4
श्रीमती रंजना उपाध्याय	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4
श्री धनंजय सिंह	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3	0
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1
श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1
श्री आनंद भाटिया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	2	2
श्री अनुपम सिंह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	3	3
श्री पराग वर्मा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	2	2

लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री अजय कुमार चौहान शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 12 सितंबर, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

लेखा परीक्षा समिति की उपरोक्त बैठकों में समिति के सचिव के रूप में कंपनी सचिव, स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक और लागत लेखा परीक्षक तथा कार्यात्मक प्रमुखों को भी उनकी आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया गया और वे लेखा परीक्षा समिति को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए बैठकों में उपस्थित रहे। लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकार कर लिया गया।

3.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

1 संदर्भ की शर्तें:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के संदर्भ की शर्तों में सेबी एलओडीआर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, समय-समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल हैं [निदेशकों से संबंधित मामलों को छोड़कर क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है और साथ ही सेबी द्वारा 02 अप्रैल, 2018 को इरकॉन को लिखे गए पत्र के माध्यम से]।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

- क. डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित सीमाओं के भीतर अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल/प्रदर्शन-संबंधित वेतन और नीति का निर्णय लेना और उसे अनुमोदित करना।

ख. डीपीई और अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के चयन और हटाने के लिए नीतियों की समीक्षा करना और बोर्ड को अनुमोदन के लिए सिफारिश करना।

ग. निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना, बोर्ड को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।

घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के लिए, किसी भी रूप में, पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश निदेशक मंडल को करना।

च. कंपनी अधिनियम 2013, या डीपीई दिशानिर्देश, या सेबी एलओडीआर के तहत शामिल किए गए किसी भी अन्य कार्य को पूरा करना।

स्पष्टीकरणरु वरिष्ठ प्रबंधन का तात्पर्य कंपनी के उन अधिकारियों/कार्मिकों से होगा जो पूर्णकालिक निदेशकों से एक स्तर नीचे प्रबंधन के सदस्य हैं और इसमें कार्यकारी निदेशकों या परियोजना निदेशकों (कार्यकारी निदेशक स्तर पर) के स्तर के कार्यात्मक प्रमुख शामिल हैं, जो सीधे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकों, मुख्य सतर्कता अधिकारी और निदेशक मंडल के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में पहचाने गए और नामित व्यक्तियों को रिपोर्ट करते हैं।

2 गठन, बैठक और उपस्थिति:

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और कार्यक्षेत्र समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान एनआरसी की संरचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	एनआरसी समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	श्री अजय कुमार चौहान, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	18-11-2021	08-11-2024
2.	श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	18-11-2021	08-11-2024
3.	श्री धनंजय सिंह, शासकीय. नामांकित निदेशक	सदस्य	01-08-2022	06-11-2024
4.	डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	09-11-2024	28-12-2024
5.	श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता, शासकीय, नामांकित निदेशक	सदस्य	09-11-2024	31-12-2024
6.	श्री अनुपम सिंह, शासकीय. नामांकित निदेशक	सदस्य	09-11-2024	-
7.	श्री आनंद भाटिया, सरकार द्वारा नामित निदेशक*	अध्यक्ष	07-03-2025	-
8.	श्री हरि मोहन गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**	सदस्य	07-03-2025	-

*श्री आनंद भाटिया समिति के अध्यक्ष थे (07-03-2025 से 15-05-2025 तक) और वे 15-05-2025 तक समिति के सदस्य बने रहे।

**श्री हरि मोहन गुप्ता, समिति के सदस्य थे (07-03-2025 से 15-05-2025 तक)।

श्री वरदराजन टी. को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया (15-05-2025 से)।

श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, कंपनी सचिव समिति की सचिव हैं (21-05-2024 तक)।

श्रीमती पूजा गुरवाला समिति की सचिव थीं (21-05-2024 तक)।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की छह (6) बैठकें आयोजित की गईं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एनआरसी की बैठकों की संख्या और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठक की तिथि						कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
	06.05.2024	20.05.2024	18.07.2024	08.08.2024	18.12.2024	26.03.2025		
श्री अजय कुमार चौहान	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	4	4
श्री धनंजय सिंह	हां	नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4	2
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	1	1
श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	लागू नहीं	1	1
श्री हरि मोहन गुप्ता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	1	0
श्री आनंद भाटिया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	1	1
श्री अनुपम सिंह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां	हां	2	2

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष श्री अजय कुमार चौहान शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 12 सितंबर, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

3 बोर्ड सदस्यों का प्रदर्शन मूल्यांकन:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान की है। इन प्रावधानों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान भी है कि बोर्ड के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके को दर्शाने वाले विवरण से संबंधित धारा 134(3)(i) उन सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी, जहाँ निदेशकों का मूल्यांकन उस मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है। इसके अलावा, एमसीए द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र ने सरकारी कंपनियों के लिए नियुक्ति, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप-धारा (2), (3) और (4) से भी छूट प्रदान की है।

इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची IV में संशोधन किया है, जिसके तहत उसने सरकारी कंपनियों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता के अनुपालन से छूट दी है और यदि संबंधित विभाग या मंत्रालयों ने इन आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया है तो बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशक के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा।

इस संबंध में, डीपीई ने पहले ही सभी कार्यात्मक निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र निर्धारित कर दिया है। कार्यात्मक निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, रेल मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन, रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है, और उक्त मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से डीपीई को प्रस्तुत किया जाता है। एमओयू के लक्ष्यों को क्रमबद्ध किया जाता है और वे व्यक्तियों तथा टीम के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग बनते हैं।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों का मूल्यांकन, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चूंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा

की जाती है, इसलिए उनका मूल्यांकन भी रेल मंत्रालय और अंततः डीपीई द्वारा किया जाता है।

3.3 हितधारक संबंध समिति:

1 संदर्भ की शर्तें

हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषयों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सेबी एलओडीआर के विनियमन 20 के तहत निर्दिष्ट निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं: शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य प्रतिभूति धारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना।

- क) कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों पर विचार करना और उनका समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करना और आम बैठकों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
- ख) शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।
- ग) रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।
- घ) दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।
- च) कंपनी अधिनियम 2013, या डीपीई दिशानिर्देश, या सेबी एलओडीआर या अन्य मामलों के तहत आवश्यक कोई अन्य कार्य करना, यदि कोई हो, जो समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अपेक्षित हो।

2 गठन, बैठक और उपस्थिति:

हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) की संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के अनुसार हैं।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान एसआरसी की संरचना इस प्रकार थी:

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

क्र.सं.	एसआरसी समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	श्री धनंजय सिंह, शासकीय. नामांकित निदेशक	अध्यक्ष	26-03-2021	06-11-2024
2.	डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	27-05-2022	28-12-2024
3.	श्रीमती रागिनी अडवाणी, निदेशक (वित्त)	सदस्य	27-05-2022	-
4.	श्री अनुपम सिंह, शासकीय. नामांकित निदेशक*	अध्यक्ष	09-11-2024	04-02-2025
		सदस्य	04-02-2025	-
5.	श्री आनंद भाटिया, शासकीय. नामांकित निदेशक	अध्यक्ष	04-02-2025	-

*श्री अनुपम सिंह समिति के सदस्य थे (15-05-2025 तक)

श्री वरदराजन टी. को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया (15-05-2025 से)

श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, कंपनी सचिव समिति की सचिव हैं (21-05-2024 तक)।

श्रीमती पूजा गुरवाला समिति की सचिव थीं (21-05-2024 तक)

3 बैठक और उपस्थिति:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, समिति की एक बार बैठक हुई। बैठक का विवरण और एसआरसी की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठक की तिथि 18.12.2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री धनंजय सिंह	लागू नहीं	0	0
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	हाँ	1	1
श्रीमती रागिनी अडवाणी	हाँ	1	1
श्री अनुपम सिंह	हाँ	1	1
श्री आनंद भाटिया	लागू नहीं	0	0

हितधारक एवं संबंध समिति के अध्यक्ष श्री धनंजय सिंह शेरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 12 सितंबर, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

4 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनामरू

श्रीमती पूजा गुरवाला को 28.11.2023 से कंपनी का कंपनी सचिव और केएमपी नियुक्त किया गया और 21.05.2024 से वे कंपनी सचिव पद से मुक्त हो गईं। इसके अतिरिक्त, श्री अंकित जैन (सदस्यता संख्या A35053) को सेबी विनियम, 2015 के अंतर्गत 28.11.2023 से कंपनी का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया और 11.02.2025 से वे कंपनी के अनुपालन अधिकारी पद से मुक्त हो गए।

इसके अलावा, श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल (सदस्यता संख्या F8874) को 21.05.2024 से कंपनी का कंपनी सचिव और केएमपी और 11.02.2025 से कंपनी का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया।

5 शेरधारकों की शिकायतों का विवरण

कंपनी के साथ-साथ रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ने निवेशकों की शिकायतों का शीघ्रता से समाधान किया है। वर्ष की शुरुआत में, यानी 1 अप्रैल, 2024 तक, कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी और वर्ष 2024-25 के दौरान शेरधारकों से कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुईं। सभी शिकायतों/परिवादों का शेरधारकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान किया गया। विवरण इस प्रकार है:

शिकायत का स्वरूप	लंबित शिकायतें (01.04.2024 तक)	प्राप्त किया	समाधान	लंबित (31.03.2025 तक)
सेबी	0	3	3	0
बीएसई	0	0	0	0
एनएसई	0	0	0	0
एनएसडीएल/सीडीएसएल	0	0	0	0
अन्य	0	0	0	0

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी एलओडीआर के अनुसार, कंपनी में जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के गठन की आवश्यकता 01 अप्रैल, 2019 से लागू हो गई है हालाँकि, कंपनी में 2014 से ही बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति मौजूद थी।

1 संदर्भ की शर्तें:

- जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल हैं:
- क) प्रमुख जोखिम वहन करने वाली गतिविधियों की पहचान।
 - ख) सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं की तुलना में जोखिम क्षमता के संबंध में अंतरालों का वर्गीकरण: मामूली, महत्वपूर्ण या गंभीर, पर्याप्त या प्रमुख।
 - ग) किसी भी अप्रकाशित संभावित खतरे के लिए वर्तमान व्यावसायिक प्रक्रिया में अंतरालों की पहचान करना।
 - घ) जोखिम मूल्यांकन नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना।
 - च) व्यवसाय संचालन प्रक्रियाओं के प्रारूपण/संशोधन तथा उनके दस्तावेजीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करना।
 - छ) रैपिड एक्शन ग्रुप द्वारा संकलित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा सुधार के लिए निर्देश देना और परिचालन क्षमताओं तथा संभावित व्यवसाय के लिए इरकॉन की तैयारी पर रैपिड एक्शन ग्रुप की रिपोर्ट पर फीडबैक प्रदान करना।
 - ज) एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: सूचीबद्ध इकाई द्वारा विशेष रूप से सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए एक रूपरेखा, जिसमें विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम शामिल हो सकते हैं। पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय व्यवसाय निरंतरता योजना।
 - झ) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हों।
 - ट) निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति और विषय-वस्तु के बारे में सूचित

रखना।

- ठ) मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा करना, जिसे कार्यालय आदेश जारी करके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- ड) जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन भी शामिल है।
- ढ) जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना, कम से कम दो वर्षों में एक बार, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है।
- त) बोर्ड द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करना, उदाहरण के लिए, जहां ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप हो।
- थ) किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

2 संरचना, बैठकें और उपस्थिति:

आरएमसी की संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और दायरा सेबी एलओडीआर की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप है।

कंपनी में एक जोखिम प्रबंधन समिति है जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक सहित चार बोर्ड सदस्य शामिल हैं। शीर्ष-स्तरीय प्रबंधन और व्यावसायिक इकाई प्रमुखों (परियोजना/कार्यात्मक प्रमुखों) से युक्त एक त्वरित कार्रवाई समूह भी मौजूद है और इस समूह का उद्देश्य व्यावसायिक प्रक्रिया में निहित प्रमुख जोखिमों को कम करना और उत्पादकता एवं दक्षता बनाए रखना है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान आरएमसी की संरचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	आरएमसी समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	श्री पराग वर्मा, निदेशक (कार्य)*	अध्यक्ष	11-11-2022	-
2.	श्रीमती रागिनी अडवाणी, निदेशक (वित्त)	सदस्य	27-05-2022	-
3.	श्री आनंद कुमार सिंह, निदेशक (परियोजनाएं)	सदस्य	07-07-2023	-
4.	डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	27-05-2022	28-12-2024
5.	श्री अनुपम सिंह, शासकीय, नामांकित निदेशक**	सदस्य	04-02-2025	-

* श्री पराग वर्मा समिति के अध्यक्ष के रूप में समाप्त हो गए (30-04-2025 से)

** श्री अनुपम सिंह समिति के सदस्य के रूप में समाप्त हो गए (15-05-2025 से)

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

श्री वरदराजन टी. को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया (15-05-2025 से प्रभावी) श्री अजीत कुमार मिश्रा को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया (15-05-2025 से प्रभावी)

श्री आनंद कुमार सिंह को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया (09-05-2025 से प्रभावी)

श्री एन. सी. करमाली समिति के सदस्य थे (09-05-2025 से 15-05-2025 तक)

- 3 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें आयोजित की गईं। आरएमसी की आयोजित बैठकों की संख्या और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठक की तिथि		कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
	02.05.2024	19.11.2024		
श्री पराग वर्मा	हाँ	हाँ	2	2
श्रीमती रागिनी अडवाणी	हाँ	हाँ	2	2
श्री आनंद कुमार सिंह	हाँ	हाँ	2	2
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	हाँ	हाँ	2	2
श्री अनुपम सिंह	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0

3.5 1.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता समिति (सीएसआर समिति)

- 1 सीएसआर समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं –
- क कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करना और कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता एजेंडे को वांछित दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने में बोर्ड की सहायता करना।
- ख. दिशानिर्देशों के अनुसार, जैसा उचित समझा जाए, सीएसआर के लिए एक नोडल अधिकारी, जो मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी से नीचे का न हो, तथा उसके अधिकारियों की टीम की नियुक्ति करना।
- ग. कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की सिफारिश करना तथा अनुमोदन/अनुसमर्थन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।

घ. न केवल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की शीघ्र पहचान करने के लिए तौर-तरीके विकसित करना, बल्कि पहचानी गई गतिविधियों को चलाने के लिए, तथा सुव्यवस्थित तरीके से समय पर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, आवश्यकतानुसार उचित स्तर और बोर्ड से आवश्यक मंजूरी भी प्राप्त करना।

2 संरचना, बैठकें और उपस्थिति

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता समिति (सीएसआर समिति) के संबंध में संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और अन्य मामले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अंतर्गत लागू नियमों तथा सीएसआर एवं स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देश, 2014 के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार हैं।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	सीएसआर समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	श्रीमती रंजना उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	18-11-2021	08-11-2024
2.	श्री धनंजय सिंह, शासकीय, नामांकित निदेशक	सदस्य	01-08-2022	06-11-2024
3.	श्री पराग वर्मा, निदेशक (कार्य)*	सदस्य	01-01-2023	-
4.	डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	09-11-2024	28-12-2024
5.	श्री अनुपम सिंह, शासकीय, नामांकित निदेशक	सदस्य	09-11-2024	-
6.	श्री आनंद भाटिया, शासकीय, नामांकित निदेशक**	अध्यक्ष	04-02-2025	-

*श्री पराग वर्मा समिति के सदस्य नहीं रहे (30-04-2025 तक)

** श्री आनंद भाटिया समिति के अध्यक्ष नहीं रहे (15-05-2025 से प्रभावी)

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

श्रीमती रागिनी अडवाणी को 09-05-2025 तक सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया और समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया (15-05-2025 तक)

श्री वरदराजन टी. को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया (15-05-2025 से)

श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, कंपनी सचिव समिति की सचिव हैं (21-05-2024 तक)।

श्रीमती पूजा गुरवाला समिति की सचिव थीं (21-05-2024 तक)।

कंपनी की सीएसआर एवं स्थिरता गतिविधियों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है तथा कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

3 बैठकें और उपस्थिति:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, समिति की चार (4) बैठकें हुईं। बैठक और सीएसआर समिति की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठक तिथि				कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
	07.06.2024	06.08.2024	10.02.2025	18.03.2025		
श्रीमती रंजना उपाध्याय	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	2	2
श्री धनंजय सिंह	नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	2	1
श्री पराग वर्मा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	4	4
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
श्री आनंद भाटिया	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	2	2
श्री अनुपम सिंह	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	2	2

1.5 परियोजना प्रगति समीक्षा समिति:

परियोजना प्रगति समीक्षा समिति (पीआरसी) का गठन निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की चालू परियोजनाओं (पीएमसी परियोजनाओं को छोड़कर) की भौतिक प्रगति और उससे संबंधित संबद्ध गतिविधियों की समीक्षा करने तथा परियोजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन में आने वाली संभावित बाधाओं का समाधान करने के लिए किया गया था।

1. संरचना, बैठकें और उपस्थिति:

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान पीआरसी की संरचना इस प्रकार थी:

क्र.सं.	पीआरसी समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	श्री धनंजय सिंह, शासकीय-नामांकित निदेशक	अध्यक्ष	01-08-2022	06-11-2024
2.	श्री पराग वर्मा, निदेशक (परियोजनाएं)*	सदस्य	21-09-2022	-
3.	श्री आनंद कुमार सिंह, निदेशक (परियोजनाएं)	सदस्य	07-07-2023	-
4.	श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	17-12-2021	08-11-2024
5.	श्री अनुपम सिंह, शासकीय. नामांकित निदेशक	अध्यक्ष	09-11-2024	-

*श्री पराग वर्मा समिति के सदस्य नहीं रहे (30-04-2025 तक)

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

श्री वर्धराजन टी. को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया (15-05-2025 से)।

श्री अजीत कुमार मिश्रा को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया (15-05-2025 तक)।

श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, कंपनी सचिव समिति की सचिव हैं (21-05-2024 तक)।

श्रीमती पूजा गुरवाला समिति की सचिव थीं (21-05-2024 तक)।

2. बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, समिति की एक बार बैठक हुई। बैठक का विवरण और पीआरसी की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठक की तिथि 06.11.2024	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री पराग वर्मा	नहीं	1	0
श्री आनंद कुमार सिंह	हाँ	1	1
श्री धनंजय सिंह	नहीं	1	0
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	हाँ	1	1
श्री अनुपम सिंह	लागू नहीं	0	0

1.6 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV, लागू सीमा तक सेबी एलओडीआर और 28 दिसंबर, 2012 (संशोधित) के डीपीई-ओएम के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक 08 नवंबर, 2024 को आयोजित की गई थी। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि उनकी रिपोर्ट में कोई सुझाव दिया गया था, कंपनी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई के लिए विधिवत विचार किया गया था।

बोर्ड में नामित व्यक्ति निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं और वे सरकारी अधिकारियों के रूप में भारत सरकार से केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के तहत अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

(स्वतंत्र (गैर-कार्यकारी) निदेशकों को बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को 11 सितंबर, 2024 तक बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए ₹30,000/- और बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए ₹20,000/- का बैठक शुल्क दिया गया था और उसके बाद 12 सितंबर, 2024 से, कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 55 के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा बैठक शुल्क को संशोधित कर बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए ₹40,000/- और बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए ₹30,000/- कर दिया गया।

1.7 निदेशकों का पारिश्रमिक:

सरकारी कंपनी होने के नाते, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और वे भारत सरकार द्वारा जारी नियमों और शर्तों पर भारत सरकार द्वारा पूर्व-निर्धारित औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमान के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

क. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम और पदनाम					
		श्री हरि मोहन गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ ¹	श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ ²	श्री आशीष बंसल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ ³	श्रीमती रागिनी अडवाणी, निदेशक (वित्त)	श्री आनंद कुमार सिंह निदेशक (परियोजनाएं)	श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य) ⁴
1	सकल वेतन						
क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	43,28,957	-	-	47,80,780	60,90,199	55,29,016
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	2,55,536	-	-	45,088	7,50,053	11,14,891

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

(₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम और पदनाम					
		श्री हरि मोहन गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ ¹	श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ ²	श्री आशीष बंसल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ ³	श्रीमती रागिनी अडवाणी, निदेशक (वित्त)	श्री आनंद कुमार सिंह निदेशक (परियोजनाएं)	श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य) ⁴
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ						
2	स्टॉक विकल्प						
3	स्वेट इक्विटी						
4	कमीशन						
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें:						
	— प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन	-	-	-	22,08,963	14,21,105	23,18,345
	— सेवानिवृत्ति लाभ	14,69,277			13,59,018	18,90,117	16,33,786
	कुल	60,53,770			83,93,849	1,01,51,474	1,05,96,038

¹ 07-2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त² 29-04-2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नहीं रहेंगे³ 29-04-2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त और 01-07-2024 से पद पर नहीं रहेंगे,⁴ 30-04-2025 से निदेशक (कार्य) के पद पर नहीं रहेंगे

ख. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों [अंशकालिक गैर-सरकारी] निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण:

(₹ में)

स्वतंत्र निदेशक / अंशकालिक (गैर-आधिकारिक निदेशक) का नाम	बैठने का शुल्क		कुल
	बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
श्री अजय कुमार चौहान	180000	160000	340000
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	180000	100000	280000
श्रीमती रंजना उपाध्याय	180000	120000	300000
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	210000	100000	310000

3.9 वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण¹ (31 मार्च, 2025 तक) जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हुए परिवर्तन शामिल हैं

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम
1.	श्री राजीव कुमार सिन्हा	कार्यकारी निदेशक
2.	श्री सीतेश कुमार सिंह	परियोजना निदेशक (31.12.2024 तक)
3.	श्री मोहिंदर सिंह	परियोजना निदेशक (08.03.2025 तक)
4.	श्री विनोद कुमार गुप्ता	कार्यकारी निदेशक
5.	श्री बी. मुगुथन	कार्यकारी निदेशक और सीएफओ (31.12.2024 तक)
6.	श्री नवीन बाबू	परियोजना निदेशक
7.	श्री सुरेंद्र सिंह	कार्यकारी निदेशक
8.	श्री जयशंकर वी.के.	परियोजना निदेशक

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम
9.	श्री देबज्योति कुमार	कार्यकारी निदेशक
10.	श्री एच डी डोड्डेया	परियोजना निदेशक (31.10.2024 तक)
11.	श्री सुभाष चंद	कार्यकारी निदेशक (31.05.2024 तक)
12.	श्री योगेश कुमार मिश्रा	कार्यकारी निदेशक
13.	श्री सुरेंद्र सिंह	मुख्य सतर्कता अधिकारी
14.	श्री नीरज गुप्ता	मुख्य महाप्रबंधक (08.08.2024 तक)
15.	श्री अभिजीत कुमार सिन्हा	मुख्य महाप्रबंधक (08.08.2024 तक)
16.	श्री पी वी श्रीकांत	मुख्य महाप्रबंधक (08.08.2024 तक)
17.	श्रीमती पूजा गुरवाला	कंपनी सचिव (21.05.2024 तक)
18.	श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल	कंपनी सचिव (w.e.f. 21.05.2024 तक)
19.	श्री विमल किशोर नागर	मुख्य महाप्रबंधक (30.05.2024 से प्रभावी 08.08.2024 तक)
20.	श्री विजय मुकुंद बोडेले	परियोजना निदेशक (14.10.2024 से प्रभावी)
21.	श्री एलिन रॉय चौधरी	मुख्य वित्तीय अधिकारी (01.01.2025 से प्रभावी)

* वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन की परिभाषा को 8 अगस्त, 2024 और 11 फरवरी, 2025 से संशोधित किया गया।

2. आम सभा की बैठकें

2.1 पिछले तीन वर्षों की वार्षिक एवं असाधारण आम सभा की बैठकों की तिथि, समय और स्थान:

वित्तीय वर्ष	बैठक आयोजित करने की तिथि	समय	स्थान/स्थल	विशेष प्रस्ताव पारित
2023-24 (48वीं एजीएम)	12 सितंबर, 2024	1230 घंटे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से (पंजीकृत कार्यालय को बैठक का स्थान माना गया)	कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में संशोधन
2022-23 (47वीं एजीएम)	12 सितंबर, 2023	1230 घंटे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से (पंजीकृत कार्यालय को बैठक का स्थान माना गया)	-
2021-22 (46वीं एजीएम)	16 सितंबर, 2022	1230 घंटे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से (पंजीकृत कार्यालय को बैठक का स्थान माना गया)	-

4.2 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव: शून्य

4.3 डाक मतपत्र के माध्यम से प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव
डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित कराने का प्रस्ताव नहीं है।

5. संचार के साधन

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठकों और अपनी वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरणों के माध्यम से अपने शेयरधारकों से संवाद करती है। कंपनी से संबंधित जानकारी, नवीनतम अपडेट और घोषणाएँ कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर देखी

जा सकती हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- त्रैमासिक / अर्धवार्षिक / वार्षिक वित्तीय परिणाम
 - तिमाही शेयरधारिता पैटर्न
 - त्रैमासिक कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट
 - विश्लेषकों के साथ सम्मेलनों के प्रतिलेख
 - समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचनाएं।
 - कंपनी की आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ, अन्य प्रेस कवरेज, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतियाँ।
- निवेशकों द्वारा शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से विशेष रूप से कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी और आरटीए की ईमेल

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

आईडी वेबसाइट पर “निवेशक संबंध => निवेशक संपर्क” शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित की गई है।

कंपनी अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ विश्लेषकों की ब्रीफिंग और व्यक्तिगत चर्चाओं के संयोजन के माध्यम से भी संवाद करती है, और समय-समय पर निवेशक सम्मेलनों में भी भाग लेती है। वित्तीय परिणामों पर प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद नियमित रूप से कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से चर्चा की जाती है।

वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक परिणाम निम्नानुसार प्रकाशित किए गए:

तिमाही	समाचार पत्र
तिमाही समाप्त 30.06.2024	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी)
30.09.2024 को समाप्त दूसरी और छमाही	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी)
ति3 और नौ महीने 31.12.2024 को समाप्त	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी)
ति4 और वर्ष 31.03.2025 को समाप्त	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी)

6. सामान्य शेयरधारक सूचना

6.1 चालू वर्ष की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से):

दिन एवं तिथि: गुरुवार, 18 सितंबर, 2025

समय: 12.30 PM (IST)

स्थान (मान्य): कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, सी-4, जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली- 110017

वार्षिक आम बैठक की सूचना: हमारी कंपनी, एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, अपने कार्यों और सेवाओं में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई “हरित पहल” का समर्थन करती है, जो शेयरधारकों को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत उनके ईमेल पत्तों पर दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को सक्षम बनाती है। वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम

बैठक की सूचना सभी सदस्यों को निर्धारित तरीके से या लागू कानूनों में निर्धारित तरीके से भेजी जा रही है।

नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 कंपनी की वेबसाइट (‘निवेशक संबंध’ अनुभाग के अंतर्गत) www.ircon.org और स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी देखी जा सकती है। यह नोटिस नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

6.2 वित्तीय वर्ष

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

6.3 रिकॉर्ड तिथि

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अंतिम लाभांश हेतु रिकॉर्ड तिथि गुरुवार, 11 सितंबर, 2025 तय की गई है।

6.3 लाभांश का भुगतान

कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹2/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹1.00 की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है [अर्थात्, ₹188.10 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी का 50%), जो ₹94.05 करोड़ होगा।

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने 11 फरवरी, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में ₹2/- अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹1.65 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश घोषित किया, जो कुल मिलाकर लगभग ₹155.18 करोड़ (अर्थात् ₹188.10 करोड़ की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 82.5%) था और इसका भुगतान 28 फरवरी, 2025 को किया गया।

इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान बुधवार, 01 अक्टूबर, 2025 से उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम भौतिक शेयरों के संबंध में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं और डीमैटेरियलाइज्ड शेयरों के संबंध में उन शेयरों के “लाभार्थी मालिकों” को जिनके नाम नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा गुरुवार, 11 सितंबर, 2025 को कारोबारी समय की समाप्ति पर प्रस्तुत लाभकारी स्वामित्व के विवरण में दिखाई देते हैं।

6.4 लाभांश इतिहास

पिछले दस वर्षों में इरकॉन द्वारा भुगतान किये गये लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

वर्ष	कुल चुकता पूँजी (करोड़ रुपये में)	कुल भुगतान की गई लाभांश राशि (करोड़ रुपये में)	बोर्ड बैठक* / वार्षिक आम बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	अंतरिम / अंतिम	लाभांश भुगतान की तिथि
2014-2015	19.796	182.12 (₹92 प्रति शेयर)	28.01.2015*	अंतरिम	24.02.2015
			22.12.2015	अंतिम	18.01.2016
2015-2016	19.796	168.26 (₹85 प्रति शेयर)	19.02.2016*	अंतरिम	14.03.2016
			28.09.2016	अंतिम	21.10.2016
2016-2017	19.796+79.184#	79.06	05.01.2017*	अंतरिम	14.02.2017
	19.796+79.184#	16.10	23.03.2017*	अतिरिक्त अंतरिम	27.03.2017
	19.796+79.184#	97.25	28.09.2017	अंतिम	24.10.2017
2017-2018	94.05	192.40 (₹20.46 प्रति शेयर)	20.03.2018*	अंतरिम	28.03.2018
			14.09.2018	अंतिम	10.10.2018
2018-2019	94.05	202.64 (₹21.54 प्रति शेयर)	07.02.2019*	अंतरिम	26.02.2019
			03.09.2019	अंतिम	18.09.2019
2019-2020	94.05	126.50 (₹13.45 प्रति शेयर)	11.02.2020*	अंतरिम	02.03.2020
	94.05	96.87 (₹2.06 प्रति शेयर)\$	29.09.2020	अंतिम	14.10.2020
2020-2021	94.05	61.13** (₹1.30 प्रति शेयर)	15.02.2021*	अंतरिम	03.03.2021
	188.10***	159.89** (₹1.70 प्रति शेयर)	24.09.2021	अंतिम	12.10.2021
2021-2022	188.10	42.33** (₹0.45 प्रति शेयर)	12.08.2021*	पहला अंतरिम	06.09.2021
	188.10	65.84** (₹0.70 प्रति शेयर)	12.11.2021*	दूसरा अंतरिम	07.12.2021
	188.10	65.84** (₹0.70 प्रति शेयर)	14.02.2022*	तीसरा अंतरिम	08.03.2022
	188.10	61.13** (₹0.65 प्रति शेयर)	16.09.2022	अंतिम	04.10.2022
2022-2023	188.10	169.29 (₹1.80 प्रति शेयर)	08.02.2023*	अंतरिम	28.02.2023
	188.10	₹112.86 (₹1.20 प्रति शेयर)	12.09.2023	अंतिम	27.09.2023
2023-2024	188.10	169.29 (₹1.80 प्रति शेयर)	08.02.2024*	अंतरिम	27.02.2024
	188.10	122.27 (₹1.30 प्रति शेयर)	12.09.2024	अंतिम	27.09.2024
2024-2025	188.10	155.18 (₹1.65 प्रति शेयर)	11.02.2025*	अंतरिम	28.02.2025
	188.10	94.05 (₹1.00 प्रति शेयर)	18.09.2025 (शेयरधारकों का अनुमोदन)	अंतिम	01.10.2025 की ओर

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

- * बोर्ड बैठक की तिथि जिसमें अंतरिम लाभांश घोषित किया गया था।
- ** अंकित मूल्य ₹2/- प्रत्येक।
- *** 1:1 के अनुपात में बोनस निर्गम के बाद, चुकता पूंजी 23.05.2021 से ₹94.05 करोड़ से बढ़कर ₹188.10 करोड़ हो गई।
- # अंतरिम, अतिरिक्त अंतरिम और अंतिम लाभांश ₹79.184 करोड़ की बोनस शेयर पूंजी पर भुगतान किया गया (05.01.2017 को आवंटित बोनस शेयरों पर आनुपातिक रूप से 70 दिनों के लिए)।
- \$ अंतरिम लाभांश ₹10 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹13.45 प्रति शेयर की दर से भुगतान किया गया तथा अंतिम लाभांश ₹2 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹2.06 प्रति शेयर की दर से भुगतान किया गया।

6.5 लाभांश वितरण नीति

जिम कंपनी के पास अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक लाभांश वितरण नीति है। इस नीति का उद्देश्य लाभांश घोषित करते समय विचार किए जाने वाले मानदंडों (बाह्य और आंतरिक कारकों) को व्यापक रूप से निर्दिष्ट करना है, साथ ही उन परिस्थितियों को भी स्पष्ट करना है जिनमें कंपनी के शेयरधारक लाभांश की अपेक्षा कर सकते हैं/नहीं कर सकते हैं और प्रतिधारित आय का उपयोग कैसे किया जाएगा। यह नीति कंपनी की वेबसाइट <https://ircon.org/images/file/cosecy/Dividend%20Distribution%20Policy.pdf> पर उपलब्ध है।

6.6 स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग:

कंपनी 28 सितंबर, 2018 को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हुई। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को कर दिया गया है। कंपनी का ISIN INE962Y01021 है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	बीएसई लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई- 400 051	फिरोज जीजीभांय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400 001
स्क्रिप कोड: इरकॉन	स्क्रिप कोड :541956

6.7 कंपनी की प्रतिभूतियों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान व्यापार से निलंबित नहीं किया गया है।

6.8 शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंट

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट निम्नानुसार थे:

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई

दिल्ली-110055 टेलीफोन नंबर: 011-42541234 / 23541234

ईमेल: rta@alankit.com Website: www.alankit.com

6.9 शेयर स्थानांतरण प्रणाली

वर्ष 2024-25 के दौरान, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, भौतिक और डीमैट शेयरों के लिए कंपनी का आरटीए है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों के साथ कंपनी का डिपॉजिटरी इंटरफेस भी है। निदेशक मंडल ने पूर्णकालिक निदेशक और कंपनी सचिव (या कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में किन्हीं दो पूर्णकालिक निदेशकों) में से किसी एक को शेयरों के पुनर्भौतिकीकरण/विभाजन/प्रतिलिपि के अनुरोध प्राप्त होने पर शेयर प्रमाणपत्र जारी करने और शेयर प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर/प्रतिलिपि हस्ताक्षर और सामान्य मुहर लगाने के लिए अधिकृत किया है।

समय-समय पर संशोधित सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 40(1) के अनुसार, प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, संचरण और स्थानांतरण केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा। 25 जनवरी, 2022 के सेबी परिपत्र के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियां शेयरधारकों से किसी भी सेवा अनुरोध जैसे डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, समर्थन, संचरण, स्थानांतरण आदि के प्रसंस्करण के लिए प्रतिभूतियों को केवल डीमैट रूप में जारी करेंगी। सेवा अनुरोध के प्रसंस्करण के बाद, एक पुष्टिकरण पत्र जारी किया जाएगा जो 120 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा, जिसके भीतर शेयरधारक डिपॉजिटरी प्रतिभागी से उन शेयरों को डीमैट करने का अनुरोध करेगा। ऐसा अनुरोध करने में विफलता की स्थिति में, उन शेयरों को कंपनी द्वारा रखे गए सस्पेंस एस्करो डीमैट खाते में जमा किया जाएगा, जिसके लिए शेयरधारक दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

विभिन्न सेबी परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी ने अपने विभिन्न संचारों अर्थात् ईमेल/पत्र/एजीएम नोटिस/समाचार पत्र विज्ञापनों के माध्यम से शेयरधारकों को कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के रिकॉर्ड में अपेक्षित विवरण अद्यतन करने के लिए सूचित किया है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

6.10 31 मार्च, 2025 तक शेयरधारिता का वितरण

क. 31 मार्च, 2025 तक होल्डिंग के आकार के अनुसार शेयरों का वितरणरू

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1 - 500	1191593	93.25	109095121	11.60
501 - 1000	50171	3.93	38354284	4.08
1001 - 2000	21267	1.67	31386102	3.34
2001 - 3000	6095	0.48	15421035	1.64
3001 - 4000	2622	0.20	9412833	1.00
4001 - 5000	1939	0.15	9102079	0.97
5001 - 10000	2584	0.20	18732725	1.99
10001 - 20000	903	0.07	12934417	1.37
20001 और उपरोक्त	646	0.05	696077144	74.01
कुल:	1277820	100.00	940515740	100.00

क. 31 मार्च, 2025 तक शेयरधारिता पैटर्न

श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की संख्या का %
प्रमोटर्स होल्डिंग		
भारत के राष्ट्रपति	61,29,28,392	65.17
उप-योग (1)	61,29,28,392	65.17
गैर-प्रवर्तक होल्डिंग		
म्यूचुअल फंड	23,38,723	0.25
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	3,86,82,857	4.11
घरेलू कंपनियाँ	93,75,572	1.00
बीमा कंपनियाँ	1,23,90,613	1.32
निवासी व्यक्ति	25,00,00,046	26.58
अनिवासी भारतीय (अनिवासी अप्रवासी सहित)	65,39,072	0.70
अन्य (एआईएफ, क्लियरिंग सदस्य, निदेशक एवं उनके रिश्तेदार, एचयूएफ, ट्रस्ट आदि)	82,60,465	0.88
उप-कुल (2)	32,75,87,348	34.83
कुल (1+2)	94,05,15,740	100.00

ग. कंपनी के 10% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारक

श्रेणी और शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2025 तक	
	मतदान शक्ति	धारित शेयरों की संख्या
प्रमोटर और प्रमोटर समूह		
भारत के राष्ट्रपति	65.17	61,29,28,392
गैर-प्रवर्तक (कॉर्पोरेट निकाय)		

श्रेणी और शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2025 तक	
	मतदान शक्ति	धारित शेयरों की संख्या
-	-	-

6.11 शेयरों का विभौतिकीकरण और तरलता

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में हैं और दोनों डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास स्वीकार किए जाते हैं।

कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा जारी कंपनी की शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया गया है।

31 मार्च 2025 तक डीमैट और फिजिकल मोड में रखे गए शेयरों की संख्या इस प्रकार है:

श्रेणी	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
डीमैट		
एनएसडीएल के साथ	77,09,71,589	81.97
सीडीएसएल के साथ	16,95,43,077	18.03
भौतिक	1,074	नगण्य
कुल	94,05,15,740	100

6.12 बकाया जीडीआर/एडीआर:

31 मार्च, 2025 तक कोई भी जी.डी.आर./ए.डी.आर./वारंट/परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

6.13 कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ:

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन में विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल होता

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

है और मुद्रा विनिमय से पहले विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तन हो सकता है। विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने या समाप्त करने के लिए, विनिमय दर में इन उतार-चढ़ावों पर निरंतर नजर रखी जाती है और उचित समय पर अधिशेष धनराशि का विनिमयभारत में प्रत्यावर्तन किया जाता है। हालाँकि, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का कोई जोखिम नहीं है।

6.14 संयंत्र स्थान/संचालन इकाइयाँ

कंपनी का मुख्यालय साकेत, नई दिल्ली में है और पूरे भारत में व्यावसायिक परिचालनों का समर्थन और प्रबंधन करने के लिए इसके 50 परियोजना कार्यालय और 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

इसके अलावा, कंपनी के श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, अल्जीरिया और म्यांमार में 6 प्रमुख विदेशी परियोजना कार्यालय हैं, जहां से व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।

परिचालन इकाइयों/कार्यालयों की सूची कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.15 पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्राचार के लिए पता

(इस रिपोर्ट में शामिल कॉर्पोरेट प्रशासन मामलों के संबंध में)
श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017, टेलीफोन:
91-11-26530456,
फैक्स: 91-11-26522000/26854000,
ईमेल: Email: investors@ircon.org, वेबसाइट:
www.ircon.org.

6.16 कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची:

रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न ऋण उपकरणों के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को दी गई क्रेडिट रेटिंग नीचे दी गई है:

साधन—दीर्घकालिक/अल्पकालिक बैंक सुविधाएं

रेटिंग एजेंसी— इन्फोमेक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड

रेटिंग— आईवीआर एए/स्थिर (आईवीआर ट्रिपल ए स्थिर आउटलुक के साथ)/ आईवीआर ए1+ (आईवीआर ए वन प्लस)

7. प्रकटीकरण

7.1 संबंधित पक्ष लेनदेन

कंपनी और निदेशकों, प्रबंधन, सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों के बीच कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन, वित्तीय लेनदेन या संबंध नहीं रहा है, सिवाय उनके जिनका खुलासा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में किया गया है और जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यकता के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में बताया गया है।

संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन सामान्य कारोबारी प्रक्रिया के तहत किया गया है और इसका खुलासा कंपनी अधिनियम, 2013 (अर्थात् फॉर्म एओसी-2), सेबी एलओडीआर और प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक (कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट्स में) की आवश्यकता के अनुसार किया गया है।

कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए भौतिकता सीमाएँ निर्धारित करने और अधिनियम तथा सेबी एलओडीआर के आधार पर कंपनी और उसके संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन से निपटने के तरीके निर्धारित करने के लिए एक संबंधित पक्ष लेनदेन (आरपीटी) नीति तैयार की है। आरपीटी नीति इस लिंक पर उपलब्ध है:

<https://www.ircon.org/images/file/cosecy/RPTPolicyFinal16012025.pdf>

7.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन, किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए दंड और प्रतिबंधों का विवरण।

किसी भी वैधानिक विनियमन या सरकारी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन का कोई मामला नहीं है, न ही कंपनी पर पूंजी बाजार और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध लगाया गया है, सिवाय सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट या इस रिपोर्ट में बताए गए।

7.3 आचार संहिता

कंपनी ने बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता और समग्र रूप से कंपनी के लिए प्रमुख मूल्य निर्धारित किए हैं। आचार संहिता और प्रमुख मूल्य दोनों 1 अप्रैल, 2005 से लागू हुए और कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध हैं। आचार संहिता पारदर्शिता, नैतिक आचरण, मैत्रीपूर्ण कार्यस्थल, कानूनी अनुपालन और कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा तथा सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करती है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्यों से आचार संहिता और प्रमुख मूल्यों के अनुपालन की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा **अनुबंध-1** के रूप में दी गई है।

7.4 अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु आचार संहिता

सेबी पीआईटी के अनुसरण में, इरकॉन के बोर्ड ने "इरकॉन की प्रतिभूतियों के लेन-देन में अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक संहिता" को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य यह है कि कंपनी के अंदरूनी लोग कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच और उसके कब्जे से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे या दूसरों को लाभ प्राप्त करने में सहायता नहीं

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

करेंगे, जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार अंदरूनी जानकारी का गठन करती है।

7.5 व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी अपने व्यवसाय का संचालन करने और अपने सभी हितधारकों, जिनमें कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और शेयरधारक शामिल हैं, के साथ व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानक को अपनाकर नैतिक और वैध तरीके से काम करने में विश्वास रखती है।

कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है जिसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों और निदेशकों के लिए एक तंत्र है, जिसके तहत वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या कंपनी की नीतियों और आचार संहिता के उल्लंघन, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के लीक होने के मामलों के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट कर सकते हैं।

नीति में इस प्रणाली का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत शिकायतें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को, या असाधारण मामलों में, अर्थात् ई-9 ग्रेड के किसी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत के संबंध में, या जहाँ शिकायतकर्ता को उत्पीड़न की आशंका हो, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को भेजी जाएँगी। बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें आगे की कार्यवाही के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय के सतर्कता निदेशालय को भेजी जाएँगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँच से वंचित नहीं किया गया है।

7.6 सेबी एलओडीआर का अनुपालन

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर सेबी (एलओडीआर) विनियमों का अनुपालन किया है:

- (क) 8 नवंबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में गैर-कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं होगी,
- (ख) पूरे वर्ष के दौरान अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक न होना,
- (ग) 1 जनवरी, 2025 से 3 फरवरी, 2025 तक की अवधि के दौरान अपेक्षित संख्या में निदेशक (छह निदेशकों से कम नहीं) न हों,
- (घ) 8 नवंबर, 2024 के बाद बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति,
- (च) 11 फरवरी, 2025 और 26 मार्च, 2025 को आयोजित बोर्ड बैठक में बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की कमी के कारण कोरम की आवश्यकता पूरी नहीं हुई,

- (छ) 8 नवंबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान लेखा परीक्षा समिति की संरचना और स्वतंत्र निदेशकों की कमी के कारण, 18 दिसंबर, 2024, 11 फरवरी, 2025 और 26 मार्च, 2025 को आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में कोरम की आवश्यकता पूरी नहीं हुई,
- (ज) 8 नवंबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना और स्वतंत्र निदेशकों की कमी के कारण, 26 मार्च, 2025 को आयोजित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में कोरम की आवश्यकता पूरी नहीं हुई,
- (झ) 8 नवंबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना।

चूँकि स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात्, रेल मंत्रालय) के माध्यम से की जाती है, इसलिए कंपनी की इसमें कोई भूमिका नहीं है और कंपनी नियमित रूप से रेल मंत्रालय से कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध करती रही है। इसके बाद, भारत सरकार द्वारा कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के बाद, बोर्ड समितियों का पुनर्गठन किया गया और बोर्ड की हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति 15 मई, 2025 से प्रभावी हो गई हैं।

7.7 वेबलिंग जहां “महत्वपूर्ण” सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति का खुलासा किया गया है:

<https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Policy-on-Material-SubsidiariesFinal15012025.pdf>

वर्तमान में, कंपनी की निम्नलिखित ग्यारह सहायक कंपनियां हैं जिनमें दस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां शामिल हैं:

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक:

- क. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉनआईएसएल)
- ख. रकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉनपीबीटीएल)
- ग. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल)
- घ. इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल)
- ङ. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल)
- च. इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल)
- छ. इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएलआरएचएल)
- ज. इरकॉन अक्लोल-श्रीसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएएसईएल)

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

झ. इरकॉन भोज-मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल)

ट. इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल)

सहायक—

ठ. इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (इरकॉनआरपीएल)
(76% शेयरधारिता)

भौतिक सहायक कंपनी: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए,
कंपनी की कोई भौतिक सहायक कंपनी नहीं थी।

7.8 वर्ष के दौरान, अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई गई है।

7.9 वैधानिक लेखा परीक्षक शुल्क:

इसमें कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को समेकित आधार पर भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क शामिल है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों को समेकित आधार पर किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शुल्क का विवरण	राशि
1	लेखा परीक्षा शुल्क	0.51
2	कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.14
3	तिमाही सीमित समीक्षा शुल्क	0.28
4	प्रमाणन शुल्क	0.16
5	जेब खर्च	0.09
	कुल	1.18

* इरकॉन और उसकी सहायक कंपनियों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त अलग-अलग सांविधिक लेखा परीक्षक हैं।

7.10 निदेशकों की अयोग्यता न होने का प्रमाण पत्र:

किसी कार्यरत कंपनी सचिव से यह प्रमाण पत्र कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है, अनुलग्नक-2 के रूप में दिया गया है।

7.11 वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
0	0	0

7.12 कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा "फर्मा" / कंपनियों को दिए गए ऋण और अग्रिमों का प्रकटीकरण, जिनमें निदेशकों की रुचि है, नाम और राशि के अनुसार":
कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों को दिए गए ऋण को छोड़कर, उन फर्मा / कंपनियों को ऋण के रूप में कोई ऋण और अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है जिनमें निदेशकों की रुचि हो।

7.13 कंपनी की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का विवरण जिसमें निगमन की तिथि और स्थान तथा ऐसी सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों के नाम और नियुक्ति की तिथि शामिल है।

लागू नहीं

7.14 कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों की अनुसूची V के उप-पैरा (2) से (10) की कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

7.15 सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन पर रेटिंग:
कंपनी ने सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समय के भीतर निर्दिष्ट प्रारूप में एमओआर और डीपीई को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

डीपीई ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए इरकॉन को "उत्कृष्ट" ग्रेडिंग प्रदान की है।

तब से इरकॉन ने स्व-मूल्यांकन के आधार पर '100%' का वार्षिक स्कोर हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए 'उत्कृष्ट' ग्रेड के अंतर्गत आता है।

7.16 पिछले तीन वर्षों के राष्ट्रपति के निर्देश

सेबी एलओडीआर और वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, भारत सरकार ने 03 मार्च, 2021 और 04 मार्च, 2021 को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी की 16% चुकता शेयर पूंजी (यानी 7,52,41,260 इक्विटी शेयर) का विनिवेश किया।

भारत सरकार ने दिसंबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से जनता (प्रात्र कर्मचारियों सहित) को 8.01% चुकता इक्विटी शेयर पूंजी भी बेच दी। विनिवेश के बाद, भारत सरकार की हिस्सेदारी घटकर 65.17% रह गई है।

7.17 लेखा पुस्तकों में डेबिट किए गए व्यय के मद, जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों के अलावा,

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

लेखा पुस्तकों में व्यय की कोई अन्य मद डेबिट नहीं की जाती है।

7.18 व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय तथा निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए व्यय

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा निदेशकों और शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो, सिवाय निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक के जो सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन और भत्तों के अनुसार है (इस रिपोर्ट के पैरा 3.8 में विवरण दिया गया है और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट संख्या 33 (बी) में भी खुलासा किया गया है)।

7.19 कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का विवरण, वित्तीय व्यय और वृद्धि के कारण।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुसार वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अन्य व्यय और बैंक एवं अन्य वित्त प्रभार नीचे दिए गए हैं:

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
अन्य व्यय (प्रशासनिक) (करोड़ रुपये में)	62.36	80.77
बैंक एवं अन्य वित्तीय शुल्क (करोड़ रुपये में)	7.41	9.61
कुल व्यय (करोड़ रुपये में)	9759.64	11232.31
प्रशासनिक व्यय/कुल व्यय (% में)	0.64	0.72
बैंक एवं वित्तीय शुल्क/कुल व्यय (% में)	0.08	0.09

7.20 सेबी एलओडीआर के विनियमन 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) और विनियमन 17 से 27 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का अनुपालन सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट या इस रिपोर्ट में बताए गए को छोड़कर किया गया है।

7.21 डीमैट सस्पेंस खाता/अदावाकृत सस्पेंस खाते के संबंध में प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के पास डीमैट सस्पेंस खाते या दावारहित सस्पेंस खाते में कोई शेयर नहीं होगा।

7.22 अदावित लाभांश

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की जानी है। इसके अलावा 31 मार्च 2025 तक दावा न किए गए लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर इस पथ पर उपलब्ध है: निवेशक संबंध>> सूचनाएं और अन्य घोषणाएँ>> लाभांश।

7.23 समितियों की सिफारिशों की स्वीकृति

बोर्ड द्वारा मामलों पर निर्णय लेते समय बोर्ड की समितियों की सिफारिशों पर विचार किया गया है।

7.24 सूचीबद्ध संस्थाओं को बाध्य करने वाले कुछ प्रकार के समझौतों का प्रकटीकरण

कंपनी को शेयरधारकों, प्रमोटरों, प्रमोटर समूह संस्थाओं, संबंधित पक्षों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, कंपनी या इसकी सहायक या सहयोगी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आपस में या कंपनी के साथ या किसी तीसरे पक्ष के साथ, अकेले या संयुक्त रूप से किए गए समझौतों (ऐसे समझौतों के किसी भी निरसन, संशोधन या परिवर्तन सहित) की जानकारी नहीं है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है या कंपनी पर कोई प्रतिबंध लगाना या कोई देयता बनाना है, चाहे कंपनी ऐसे समझौतों की पक्षकार हो या नहीं।

8. लेखापरीक्षा योग्यताओं

लेखापरीक्षा योग्यताओं के लिए, मेसर्स रमेश सी. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों पर प्रस्तुत स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का संदर्भ लिया जा सकता है। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अपरिवर्तित है।

9. विवेकाधीन आवश्यकताएँ:

9.1 बोर्ड— कंपनी का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष करता है।

9.2 अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों के लिए शेयरधारकों के अधिकार: 30 सितंबर, 2024 को समाप्त अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम 8 नवंबर, 2024 को फाइनैशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) में प्रकाशित किए गए और कंपनी की वेबसाइट पर भी डाले गए। हालाँकि, प्रत्येक शेयरधारक परिवार को अलग से अर्धवार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई है और कंपनी की वेबसाइट पर भी उनका खुलासा किया गया है।

10. सीईओ/सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र प्रमाणन

सेबी एलओडीआर के विनियमन 17 (8) के अनुसार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुपालन प्रमाणपत्र 21 मई, 2025 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के समक्ष रखा गया था और इसे इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-3 के रूप में रखा गया है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

11. अनुपालन

यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकट किए जाने वाले डेटा से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में एक कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-4 में संलग्न है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./-

(हरि मोहन गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(डीआईएन: 08453476)

दिनांक: 21 अगस्त, 2025

स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक —1

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता के अनुपालन की वार्षिक पुष्टि के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा।

मैं, हरि मोहन गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचरण और नैतिकता संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह./-

(हरि मोहन गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(डीआईएन: 08453476)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 07.05.2025

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

अनुलग्नक -2

निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा ग खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी")
प्लॉट संख्या सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली-110017

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या सी-4, जिला केंद्र साकेत, नई दिल्ली - 110017 में है (जिसे आगे शकंपनीश कहा जाएगा) के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रारों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरणों की जांच की है, जिन्हें कंपनी द्वारा इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गए सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण/अभ्यावेदनों के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए अनुसार कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की मूल तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	श्री हरि मोहन गुप्ता	08453476	01/07/2024	-
2.	सुश्री रागिनी अडवाणी	09575213	19/04/2022	-
3.	श्री आनंद कुमार सिंह	07918656	07/07/2023	-
4.	श्री आनंद भाटिया	10937265	04/02/2025	-
5.	श्री अनुपम सिंह	10637375	06/11/2024	-
6.	श्री पराग वर्मा	05272169	21/09/2022	30/04/2025

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर अपनी राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता का।

वीएपी और एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिवीय
एफआरएन: P2023UP098500
पीईईआर समीक्षा संख्या: 1083/2021

दिनांक: 04.07.2025
स्थान: गाजियाबाद

ह./-
पारुल जैन
प्रबंध भागीदार
सदस्य संख्या F8323
सी.पी. संख्या: 13901
यूडीआईएन: F008323G000714171

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

अनुलग्नक —3

जिनके लिए यह संबंधित है उसके लिए

दिनांक: 20-05-2025

हमने वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

- (क) (1) इन कथनों में कोई भी भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या कोई भी भौतिक तथ्य नहीं छूटा है या ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं,
- (2) ये विवरण मिलकर कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं।
- (ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी ऐसा लेन-देन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।
- (ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, के बारे में बताया है, जिनके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया है।
- (घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है:
- (1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन
 - (2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका खुलासा किया गया है, और
 - (3) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले जिनके बारे में हमें जानकारी मिली है और उनमें प्रबंधन या कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, तो सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ह./-

(एलिन रॉय चौधरी)
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

ह./-

(हरि मोहन गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीइओ
(डीआईएन: 08453476)

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

अनुलग्नक -4

कॉर्पोरेट शासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ('कंपनी')

प्लॉट संख्या सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियमन 46(2) के खंड (बी) से (आई) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') की अनुसूची ट के पैरा सी और डी और सार्वजनिक उद्यम विभाग ('डीपीई दिशानिर्देश') द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), 2010 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कोई लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय:

- बोर्ड की संरचना 08.11.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(1)(ए) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के तहत 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान आवश्यकताएँ पूरी नहीं की गईं। साथ ही, 31.12.2024 से 03.02.2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(1)(सी) का भी अनुपालन नहीं किया गया। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 11.02.2025 और 26.03.2025 को आयोजित बोर्ड की बैठकें सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(2ए) के तहत निर्धारित कोरम आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थीं।
- स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की अनुपस्थिति के कारण, दिनांक 08.11.2024 से 31.03.2025 तक सेबी (एलओडीआर) के विनियम 18(1) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया था। दिनांक 28.12.2024 से 31.03.2025 तक डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.2 का भी अनुपालन नहीं किया गया था। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 18.12.2024, 11.02.2025 और 26.03.2025 को आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकें सेबी एलओडीआर के विनियमन 18(2)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के तहत निर्धारित कोरम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाईं। 08.11.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का उचित गठन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप सेबी (एलओडीआर) के विनियम 19(1)(बी) और 19(1)(सी) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, 28.12.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) के विनियम 19(2) का अनुपालन नहीं हुआ। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 26.03.2025 को आयोजित एनआरसी बैठक, सेबी एलओडीआर के विनियम 19(2ए) के तहत निर्धारित कोरम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई।
- गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण 28.12.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20(2ए) के अनुपालन में हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया था।
- जोखिम प्रबंधन समिति 28.12.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21(2) का अनुपालन नहीं कर रही थी, क्योंकि निर्धारित संरचना को बनाए नहीं रखा जा सका।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता और प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

वीएपी और एसोसिएट्स के लिए

कंपनी सचिवीय

एफआरएन: P2023UP098500

पीईईआर समीक्षा संख्या: 1083/2021

ह./-

पारुल जैन

प्रबंध भागीदार

सदस्य संख्या F8323

सी.पी. संख्या: 13901

यूडीआईएन: F008323G000714655

दिनांक: 04.07.2025

स्थान: गाजियाबाद

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

अनुभाग क

सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L45203DL1976GOI008171
2.	सूचीबद्ध इकाई का नाम	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
3.	निगमन वर्ष	28.04.1976
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017
5.	कॉर्पोरेट पता	सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017
6.	ईमेल	investors@ircon.org
7.	टेलीफोन	011-26530266
8.	वेबसाइट	www.ircon.org
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2024-25
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहाँ शेयर सूचीबद्ध हैं	1) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) 2) बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
11.	प्रदत्त पूंजी	INR 1,88,10,31,480
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्री एस.वी.सत्यनारायण राव महाप्रबंधक (सिविल) +91 9560595089 svs.rao@ircon.org
13.	रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत किए गए उल्लेख एकल आधार पर किए गए हैं (अर्थात केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात इकाई और उसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली सभी संस्थाओं के लिए, एक साथ) इस रिपोर्ट के अंतर्गत किए गए उल्लेख एकल आधार पर हैं।	
14.	क्या कंपनी ने बीआरएसआर कोर का मूल्यांकन या आश्वासन दिया है? नहीं। कंपनी 31 मार्च 2024 तक एनएसई या बीएसई पर शीर्ष 250 सूचीबद्ध संस्थाओं में शामिल नहीं है।	
15.	मूल्यांकन या आश्वासन प्रदाता का नाम	लागू नहीं
16.	प्राप्त मूल्यांकन या आश्वासन का प्रकार	लागू नहीं

II. उत्पाद/सेवाएँ

17. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्र. सं.	मुख्य गतिविधियों का विवरण	व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण	इकाई के टर्नओवर का :
1.	निर्माण	सड़क, रेलवे और उपयोगिता परियोजनाएं	99.42%

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

18. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1.	रेलवे एवं रेल पुलों का निर्माण एवं रखरखाव।	42102	81.25%
2.	मोटरमार्गों, गलियों, सड़कों, अन्य वाहन एवं पैदल मार्गों, राजमार्गों, पुलों, सुरंगों और सबवे का निर्माण एवं रखरखाव।	42101	18.75%

III. संचालन

19. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या संचालन/कार्यालय स्थित हैं

क्र.सं.	संस्थान	पौधों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
1.	राष्ट्रीय	लागू नहीं	63	63
2.	अंतर्राष्ट्रीय	लागू नहीं	6	6

20. इकाई द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाले बाजार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	20
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	6

ख. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का योगदान प्रतिशत के रूप में क्या है?

3.33%

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी

इरकॉन मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को तुर्की आधार पर पूरा करता है, और इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मॉडल के तहत संचालित होता है। कंपनी व्यापक, संपूर्ण समाधान प्रदान करने में अपनी सशक्त क्षमता प्रदर्शित करती है। इरकॉन का भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उच्च-प्रभाव वाली विविध परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें गुणवत्ता, समय पर वितरण और हितधारक संतुष्टि के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता है।

भारत में, इसकी अधिकांश परियोजनाएँ प्रमुख सरकारी एजेंसियों, जैसे: रेल मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, के लिए क्रियान्वित की जा रही हैं। यह पोर्टफोलियो देश के बुनियादी ढाँचे के परिदृश्य को आकार देने में इरकॉन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इरकॉन की अल्जीरिया, श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया और म्यांमार में परियोजनाएँ चल रही हैं।

आज तक, इरकॉन ने रेलवे, राजमार्ग, पुल, सुरंग, विद्युत एवं यांत्रिक कार्य, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार, उत्पादन इकाइयाँ, स्टेशन निर्माण जैसे विविध क्षेत्रों में अनेक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी की हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में, तुर्की ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) परियोजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति इसकी निरंतर प्रतिबद्धता, तकनीकी उत्कृष्टता और एक मजबूत ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के लिए इसकी प्रतिष्ठा को रेखांकित करती है, जो इसके परिचालन दर्शन का केंद्रबिंदु बना हुआ है।

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

IV. कर्मचारी

21. वित्तीय वर्ष के अंत तक का विवरण

क. कर्मचारी एवं श्रमिक (दिव्यांगों सहित)

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख+क)	संख्या (ग)	% (ग+क)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	834	779	93.40%	55	6.59%
2.	स्थायी के अलावा (ई)	348	338	97.12%	10	2.87%
3.	कुल कर्मचारी (घ + ई)	1182	1117	94.50%	65	5.49%
श्रमिक						
4.	स्थायी (एफ)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा (जी)					
6.	कुल कर्मचारी (एफ + जी)					

ख. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक:

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख+क)	संख्या (ग)	% (ग+क)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थायी (घ)	6	5	83.33%	1	16.67%
2.	स्थायी के अलावा (ई)	0	0	0	0	0
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ + ई)	6	5	83.33%	1	16.67%
दिव्यांग श्रमिक						
4.	स्थायी (एफ)	लागू नहीं				
5.	स्थायी के अलावा (जी)					
6.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (एफ + जी)					

22. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व

विवरण	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	: (ख+क)
निदेशक मंडल	6	1	16.67%
प्रमुख प्रबंधन कर्मी	2	1	50%

23. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए कारोबार दर

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25 (चालू वित्त वर्ष में कारोबार दर)			वित्त वर्ष 2023-24 (पिछले वित्त वर्ष में कारोबार दर)			वित्तीय वर्ष 2022-23 (पिछले वित्तीय वर्ष से पहले के वर्ष में कारोबार दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	8.96%	0	8.40%	5.99%	8.13%	6.10%	8.78%	13.79%	9.06%
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं								

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

V. होल्डिंग्स, सहायक कंपनियां और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

24. क) होल्डिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी/कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (ए)	बताएं कि क्या होल्डिंग/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या स्तंभ 'क' में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
2	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
3	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
4	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
6	इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
7	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
8	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
9	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
10	इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं
11	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक	76%	नहीं
12	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	सहायक	26%	नहीं
13	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	सहायक	26%	नहीं
14	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	सहायक	26%	नहीं
15	झारखंड मध्य रेलवे लिमिटेड	सहायक	26%	नहीं
16	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	सहायक	26%	नहीं
17	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26%	नहीं
18	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50%	नहीं

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

VI. सीएसआर विवरण

25. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां/नहीं)

हां, सीएसआर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड पर लागू है।

वित्त वर्ष 2024-25

(ii) कारोबार (₹ में)

10193.14 करोड़

(iii) निवल संपत्ति (₹ में)

6237.43 करोड़

(iv) चालू वर्ष के लिए सीएसआर पर खर्च की गई कुल राशि (₹ में)

14.15 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

26. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें।

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हाँ/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हाँ https://pgportal.gov.in/cpgoffice/	78	0	-	117	0	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	-	-	-	-	-	-	-
शेयरधारकों	हाँ https://scores.sebi.gov.in/	3	0	-	5	0	-
कर्मचारी एवं श्रमिक	हाँ https://pgportal.gov.in/cpgoffice/ इरकॉन इंटरनेशनल शिकायत प्रणाली https://intranet.ircon.org/ Whistle blower Complaints	0 (सीपीजीआरए एमएस) 5 (आंतरिक शिकायत प्रणाली) 0	0	-	2	0	-
ग्राहकों	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हाँ https://samad-haan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/MSEFC_Welcome.aspx	0	0	0	11	0	5 शिकायतें बंद कर दी गई हैं तथा शेष 6 के लिए जवाब प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

27. इकाई के भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, उनकी पहचान करने का औचित्य, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके वित्तीय निहितार्थ भी बताएं।

क्र. सं.	भौतिक समस्या की पहचान की गई	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
1.	जलवायु परिवर्तन और कार्बन	जोखिम	जोखिम: चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति, बढ़ते समुद्र स्तर और बदलते नियामक परिदृश्यों को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन इरकॉन के लिए एक महत्वपूर्ण भौतिक जोखिम उत्पन्न करता है। ये कारक बुनियादी ढाँचे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे परिचालन में देरी, परियोजना लागत में वृद्धि और संभावित संपत्ति क्षति हो सकती है। इसके अलावा, आपूर्ति श्रृंखला और निर्माण समयसीमा में व्यवधान परियोजना के वितरण और वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। हितधारकों की बढ़ती अपेक्षाएँ और दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर सक्रिय जलवायु जोखिम प्रबंधन को और भी ज़रूरी बनाता है।	कार्यान्वयन ऊर्जा लेखा परीक्षा, ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियाँ अपनाना, और नियमित जोखिम मूल्यांकन करना। ऊर्जा लेखा परीक्षा, ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियाँ अपनाना,	नकारात्मक निहितार्थ
2.	जल प्रबंधन	जोखिम/अवसर	जोखिम: इरकॉन जल संकट से जुड़े भौतिक जोखिमों, जल उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और विकसित हो रहे नियामक ढाँचों का पालन करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। ये कारक परिचालन संबंधी व्यवधानों, लागत में वृद्धि और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों को जन्म दे सकते हैं, खासकर जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में जहाँ बुनियादी ढाँचे का विकास योजनाबद्ध है या चल रहा है। अवसर: ऑपरेशनों में जल उपयोग को अनुकूलित करना इरकॉन के लिए परिचालन लागत को कम करने और अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारी को मजबूत करने का एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है। जल से संबंधित नियमों के साथ सक्रिय अनुपालन यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि परियोजना का निर्बाध क्रियान्वयन हो, दण्ड या विलंब का जोखिम न्यूनतम हो, और इरकॉन के सतत् परियोजना वितरण दृष्टिकोण में हितधारकों का विश्वास मजबूत हो।	वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा जल का विवेकपूर्ण उपयोग एवं पुनः उपयोग सुनिश्चित करना।	सकारात्मक / नकारात्मक निहितार्थ

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	भौतिक समस्या की पहचान की गई	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएँ)
3.	कचरे का प्रबंधन	जोखिम/अवसर	जोखिम: इरकॉन अपशिष्ट प्रबंधन को एक प्रमुख पर्यावरणीय और परिचालन जोखिम मानता है, विशेष रूप से जिम्मेदारीपूर्ण निपटान, पुनर्चक्रण और पारिस्थितिक प्रभावों के शमन के संदर्भ में। अपशिष्ट प्रबंधन में लापरवाही या लागू नियमों का पालन न करने से परियोजना में देरी, कानूनी दायित्व और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। परिचालन निरंतरता और सामुदायिक विश्वास बनाए रखने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन मानकों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। अवसर: अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने से इरकॉन को नवाचार करने, अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करने और संसाधन दक्षता बढ़ाने का अवसर मिलता है। ये अभ्यास न केवल संगठन के स्थायित्व उद्देश्यों का समर्थन करते हैं, बल्कि जिम्मेदार बुनियादी ढाँचे के विकास में इसके नेतृत्व को भी सुदृढ़ करते हैं।	नियमित रिकॉर्ड रखने के साथ एक कुशल अपशिष्ट संग्रहण और निपटान तंत्र को शामिल करना।	सकारात्मक / नकारात्मक निहितार्थ
4.	पर्यावरण प्रबंधन और अनुपालन	जोखिम	जोखिम: इरकॉन स्वीकार करता है कि पर्यावरणीय नियमों का पालन न करने से एक बड़ा जोखिम पैदा होता है, जिसके परिणामस्वरूप नियामक दंड, परियोजना में देरी और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। पर्यावरणीय अनुपालन को बनाए रखना हितधारकों का विश्वास बनाए रखने, परिचालन निरंतरता सुनिश्चित करने और जिम्मेदार एवं टिकाऊ बुनियादी ढाँचे के विकास के प्रति इरकॉन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए अनिवार्य है। पर्यावरणीय मानकों का सक्रिय पालन परियोजनाओं के सुचारु निष्पादन को सक्षम बनाता है और नियामक निकायों और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास को मजबूत करता है।	सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें जब आवश्यकता हो और उनमें किए गए संबंधित परिवर्तनों	नकारात्मक निहितार्थ
5.	टिकाऊ निर्माण और तकनीकी नवाचार	अवसर	इरकॉन के लिए, टिकाऊ पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को अपने संचालन में एकीकृत करना ब्रांड की प्रतिष्ठा को बढ़ाने, पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहकों को आकर्षित करने, और पर्यावरणीय नुकसान को कम करने का एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है। इरकॉन के लिए, टिकाऊ प्रभाव। नवीन और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने से परिचालन दक्षता में सुधार, संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव होता है, और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में इरकॉन की प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत होती है।	लागू करने और अंतरालों को पाटने के लिए जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	सकारात्मक निहितार्थ

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	भौतिक समस्या की पहचान की गई	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएँ)
6.	टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला	अवसर/ जोखिम	जोखिम: इरकॉन मानता है कि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और गैर-अनुपालन करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के साथ जुड़ाव परियोजना की समयसीमा, लागत दक्षता और हितधारकों के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे जोखिम परिचालन संबंधी बाधाओं और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर यदि आपूर्तिकर्ता पर्यावरणीय या सामाजिक अनुपालन मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं। आपूर्तिकर्ताओं की उचित तत्परता को मजबूत करना और स्थिरता संबंधी अपेक्षाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करना, लचीले और जिम्मेदार परियोजना वितरण के लिए आवश्यक है। अवसर: स्थायी खरीद और आपूर्ति श्रृंखला प्रथाओं को बढ़ावा देने से इरकॉन को पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, नवाचार को बढ़ावा देने और ऐसे ग्राहकों और निवेशकों को आकर्षित करने का अवसर मिलता है जो जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण को प्राथमिकता देते हैं। समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ सहयोग करके और मूल्य श्रृंखला में स्थिरता को समाहित करके, इरकॉन उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं को आगे बढ़ा सकता है और स्थायी बुनियादी ढाँचे के विकास में एक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है।	प्रभाव नवीन और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने से परिचालन दक्षता में सुधार, संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव होता है, और बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में इरकॉन की प्रतिस्पर्धी स्थिति मजबूत होती है	सकारात्मक / नकारात्मक निहितार्थ
7.	स्वास्थ्य और सुरक्षा	अवसर/ जोखिम	जोखिम: इरकॉन मानता है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अपर्याप्त ध्यान देने से कार्यस्थल पर दुर्घटनाएँ, कानूनी दायित्व, परियोजना में देरी और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। ऐसी घटनाएँ न केवल संचालन में बाधा डालती हैं, बल्कि हितधारकों के विश्वास और संगठनात्मक विश्वसनीयता को भी कमजोर करती हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना परिचालन अखंडता को बनाए रखने और कार्यबल की भलाई की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।	सुरक्षा प्रोटोकॉल का सुचारु कार्य सुनिश्चित करना और आवश्यकतानुसार ISO45001 को अद्यतन करना।	सकारात्मक / नकारात्मक निहितार्थ

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	भौतिक समस्या की पहचान की गई	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएँ)
			अवसर: मजबूत स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं को प्राथमिकता देकर, इरकॉन एक सुरक्षित और सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा दे सकता है, दुर्घटनाओं को कम कर सकता है और कुशल पेशेवरों को आकर्षित कर सकता है। व्यावसायिक सुरक्षा नियमों का अनुपालन परिचालन दक्षता और हितधारकों के विश्वास को भी बढ़ाता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रणालियों में सक्रिय निवेश इरकॉन के दीर्घकालिक लचीलेपन और सतत विकास में योगदान देता है।		
8	मानवाधिकार, विविधता और समावेशन	जोखिम	जोखिम: यदि इरकॉन मानवाधिकारों, विविधता और समावेशन को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहता है, तो उसे प्रतिष्ठा को नुकसान, कानूनी चुनौतियों, कर्मचारी उत्पादकता में कमी और हितधारकों के साथ संबंधों में कमजोरी जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर, मानवाधिकारों, विविधता और समावेशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने से एक सकारात्मक कार्यस्थल संस्कृति का निर्माण होता है, कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इन सिद्धांतों को हमारे मूल मूल्यों और दैनिक कार्यों में समाहित करने से संगठनात्मक लचीलापन और स्थिरता मजबूत होती है, जो अंततः दीर्घकालिक सफलता में सहायक होती है।	प्रणाली में मानवाधिकार प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को शामिल करना। संगठन के भीतर मानवाधिकार मुद्दों के मूल्यांकन में सुधार लाने पर काम करना।	नकारात्मक निहितार्थ
9	कर्मचारी जुड़ाव और कल्याण	अवसर	अवसर: कर्मचारी जुड़ाव और कल्याण, इरकॉन के लिए बहुमूल्य अवसर प्रदान करते हैं। इन पहलुओं को प्राथमिकता देने से एक प्रेरित और प्रतिबद्ध कार्यबल का निर्माण होता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता, दक्षता और समग्र सफलता में वृद्धि होती है। कर्मचारी कल्याण का समर्थन करने से एक सकारात्मक कार्य वातावरण बनता है, कर्मचारियों का टर्नओवर कम होता है, और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे बेहतर प्रदर्शन और सुरक्षा में योगदान मिलता है।	-	सकारात्मक निहितार्थ

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	भौतिक समस्या की पहचान की गई	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएँ)
10.	सामुदायिक विकास	अवसर	अवसर: स्थानीय हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने से न केवल इरकॉन की प्रतिष्ठा बढ़ती है, बल्कि परियोजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन और दीर्घकालिक व्यावसायिक स्थिरता को भी बल मिलता है। ये पहल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये कंपनी की परिचालन सफलता और उसके संचालन के सामाजिक लाइसेंस, दोनों को सीधे प्रभावित करती हैं। सामुदायिक विकास और हितधारक जुड़ाव को प्राथमिकता देकर, इरकॉन अपनी रणनीति को प्रमुख भौतिक ईएसजी मुद्दों के साथ संरेखित करता है, जिससे हितधारक विश्वास मजबूत होता है और सतत विकास में योगदान मिलता है।	-	सकारात्मक निहितार्थ
11.	डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा	अवसर	अवसर: संवेदनशील डेटा की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना इरकॉन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में पहचाना गया है। ये कदम एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में इरकॉन की स्थिति को मजबूत करते हैं और ग्राहकों और हितधारकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देते हैं। डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करने से कानूनी जोखिम कम होते हैं और परिचालन दक्षता बढ़ती है।	-	सकारात्मक निहितार्थ
12.	जोखिम प्रबंधन	जोखिम/अवसर	जोखिम: अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन को इरकॉन के लिए एक गंभीर चिंता का विषय माना गया है, क्योंकि इससे परियोजना में देरी, लागत में वृद्धि और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। अपने महत्वपूर्ण मूल्यांकन के माध्यम से, इरकॉन यह मानता है कि जोखिम प्रबंधन के लिए एक सक्रिय और संरचित दृष्टिकोण खतरों को कम करने, अवसरों का लाभ उठाने और सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है। अवसर: जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करना इरकॉन के दीर्घकालिक लचीलेपन और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि इसके बीआरएसआर प्रकटीकरणों में उजागर किया गया है।	-	सकारात्मक निहितार्थ

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	भौतिक समस्या की पहचान की गई	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएँ)
13.	व्यावसायिक नैतिकता, जवाबदेही और पारदर्शिता	अवसर	अवसर: इरकॉन का भौतिकता मूल्यांकन इस बात पर जोर देता है कि नैतिक आचरण अपनाने से उसकी प्रतिष्ठा मजबूत होती है, हितधारकों का विश्वास बढ़ता है और सामाजिक रूप से जिम्मेदार ग्राहकों और निवेशकों को आकर्षित करता है। जवाबदेही और पारदर्शिता एक सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा देती है, जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाती है और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करती है। हितधारक उन संगठनों को महत्व देते हैं जो इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं और भविष्य के व्यावसायिक अवसरों को प्राप्त करते हैं।	-	सकारात्मक निहितार्थ
14.	आपदा प्रबंधन	जोखिम	जोखिम: प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के कारण होने वाले महत्वपूर्ण परिचालन, वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी प्रभावों के कारण, आपदा प्रबंधन को इरकॉन के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम माना गया है। महत्वपूर्णता मूल्यांकन इस बात पर प्रकाश डालता है कि अपर्याप्त तैयारी से परियोजना में देरी, लागत में वृद्धि और कर्मचारियों व समुदायों को संभावित नुकसान हो सकता है। इस जोखिम को पहचानकर, इरकॉन लचीलेपन, आकस्मिक योजना और सुरक्षा उपायों में निवेश को प्राथमिकता दे सकता है, जिससे व्यावसायिक निरंतरता बनी रहेगी और हितधारकों का विश्वास मजबूत होगा।	संगठनात्मक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के एक भाग के रूप में आपदा प्रबंधन रणनीति को शामिल करना।	नकारात्मक निहितार्थ
15	निगमित शासन	अवसर	अवसर: इरकॉन का भौतिकता मूल्यांकन कॉर्पोरेट प्रशासन को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में पहचानता है, क्योंकि यह परिचालन दक्षता को बढ़ाता है, हितधारकों के विश्वास को मजबूत करता है और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है। जवाबदेही और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देकर, इरकॉन दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता और स्थायी मूल्य सृजन का समर्थन करता है।	-	सकारात्मक निहितार्थ

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

अनुभाग ख

प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण:

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

क्र. सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं										
1.	क क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पॉलिसी के लिए लिंक: https://www.ircon.org/images/file/cosecy/SHEPOLICYENGLISH.jpg सीएसआरएवं स्थिरता नीति के लिए लिंक: http://ircon.org/images/file/cosecy/Revised_CSR_Policy_Oct_2022.pdf अन्य नीतियों के लिए लिंक: https://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=606&lang=en								
2.	क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हाँ/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	आपके निकाय द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट अलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे SA8000, OHSAS, ISO, BIS) के नाम	-	-	आईएसओ 45001: व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियाँ	-	-	आईएसओ 14001: पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियाँ	-	-	-
5.	इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य, परिभाषित समय-सीमा के साथ, यदि कोई हो	इरकॉन अपने बीआरएसआर ढांचे के एक भाग के रूप में, एनजीआरबीसी सिद्धांतों के अनुरूप स्पष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने अपनी पहलों को प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों और योजनाओं के साथ संरेखित किया है, विशेष रूप से ऊर्जा दक्षता, सामुदायिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्रों में। इरकॉन गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रबंधन और श्रमिक सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके आईएसओ प्रमाणपत्र (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001) संबंधित प्राधिकरणों द्वारा किए गए किसी भी परिवर्तन के अनुसार अद्यतन होते रहें। सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति यह समर्पण, जिम्मेदार निर्माण और सतत विकास में इरकॉन के नेतृत्व को सुदृढ़ करता है, जो निरंतर व्यावसायिक सफलता और एक सतत भविष्य के लिए सार्थक योगदान, दोनों का समर्थन करता है।								
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के प्रति इकाई का प्रदर्शन									

शासन, नेतृत्व और निगरानी

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
7.	व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया हो (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है)	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में, हमारा अटूट ध्यान ऐसे बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर रहता है जो न केवल मजबूत और भविष्य के लिए तैयार हो, बल्कि टिकाऊ और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के अनुरूप भी हो। राष्ट्रीय उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण दिशानिर्देशों (एनजीआरबीसी) द्वारा निर्देशित और वैश्विक ईएसजी ढाँचों के अनुरूप, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि परियोजना नियोजन और क्रियान्वयन से लेकर हितधारक जुड़ाव और मूल्य सृजन तक, हमारे व्यवसाय के सभी पहलुओं में स्थिरता अंतर्निहित हो। पिछले एक साल में, हमने अपने ईएसजी प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सार्थक प्रगति की है। इसमें हमारी पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करना, आईएसओ 45001—संरेखित प्रोटोकॉल के माध्यम से कार्यस्थल सुरक्षा को सुदृढ़ करना, हमारे संचालन में पारदर्शिता बढ़ाना और पूरे संगठन में विविधता और समावेशन को बढ़ावा देना शामिल है। हम राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को क्रियान्वित करते हुए ऊर्जा दक्षता, संसाधन संरक्षण और जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को प्राथमिकता देते रहेंगे। हम जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और सामाजिक असमानताओं से उत्पन्न होने वाले भौतिक जोखिमों को समझते हैं— और हम इनका सक्रिय रूप से समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही, हम ईएसजी एकीकरण को न केवल एक अनुपालन दायित्व के रूप में देखते हैं, बल्कि सभी हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य सृजित करने के एक रणनीतिक अवसर के रूप में भी देखते हैं। हमारी विकास यात्रा मजबूत शासन, हितधारकों के विश्वास और नैतिक नेतृत्व के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता पर आधारित है। अपनी परिचालन उत्कृष्टता को स्थिरता की अनिवार्यताओं के साथ जोड़कर, इरकॉन का लक्ष्य समावेशी और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार विकास के लिए उत्प्रेरक बनना है, जो भारत और उसके बाहर एक अधिक लचीले भविष्य में योगदान देगा।								
8.	व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	निदेशक (वित्त) श्रीमती। रागिनी अडवाणी नोडल अधिकारी – श्री एस.वी. सत्यनारायण राव, महाप्रबंधक (सिविल)								
9.	क्या संस्था के पास स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	हाँ, इरकॉन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता समिति के माध्यम से स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेता है। 31.03.2025 तक समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं: - अध्यक्ष: श्रीमती रागिनी अडवाणी, निदेशक (वित्त) - सदस्य: श्री वरदराजन टी., स्वतंत्र निदेशक - सदस्य: श्री अनुपम सिंह, सरकार द्वारा नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक								

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी

समीक्षा का विषय	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के अनुरूप निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	हाँ निदेशक/बोर्ड समिति द्वारा								
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, तथा किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)

समीक्षा का विषय	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के अनुरूप निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	आवश्यकतानुसार								
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, तथा किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	आवश्यकतानुसार								

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के क्रियान्वयन का किसी बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं)

यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
हाँ, वीएमसी मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा									

12. उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर “नहीं” है, अर्थात सभी सिद्धांत पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:

प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
इकाई इन सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)	लागू नहीं								
इकाई उस स्थिति में नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हाँ/नहीं)									
इकाई के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या/या मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हाँ/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया बताएँ)									

अनुभाग ग

सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को सिद्धांतों और मूल तत्वों को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में सहायता करना है। मांगी गई जानकारी को “आवश्यक” और “नेतृत्व” श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। हालाँकि इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अधिकृत प्रत्येक संस्था द्वारा आवश्यक संकेतकों का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है, लेकिन नेतृत्व संकेतकों का खुलासा उन संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार बनने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति करना चाहती हैं।

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी, नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना संचालन और संचालन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष में किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	3	1. निदेशक प्रमाणन मास्टर क्लास 2. आईपीडब्ल्यूई 2024 का अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सेमिनार 3. आईएनडी-एस के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर प्रशिक्षण।	50%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	5	1. कर गणना और वित्तीय मॉडलिंग के दौरान अपनाए गए कर बचत के तरीकों पर जोर देते हुए नवीकरणीय परियोजनाओं का परियोजना वित्तपोषण। 2. इंड-एस के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकताओं पर प्रशिक्षण। 3. कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत निवेश। 4. संबंधित पक्ष लेनदेन। 5. आंतरिक वित्त नियंत्रण।	100%

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	9	1. प्रबंधन में नैतिकता की अनिवार्यता 2. खरीद में लाल झंडे 3. निर्माण उद्योग में सतर्कता और सामान्य निरीक्षण 4. आंतरिक वित्त नियंत्रण 5. अंदरूनी व्यापार का निषेध 6. मानवाधिकार 7. वायु प्रदूषण और धूम्रपान निषेध पर स्वास्थ्य चर्चा 8. कार्य एगोर्नामिक्स पर स्वास्थ्य चर्चा 9. ISO:9001/14001/45001 की मूल बातें और गुणवत्ता एवं एसएचई से संबंधित सामग्री	29 प्रतिशत
श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही में (संस्था द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/दंड/अधिनिर्णय/शमन शुल्क/निपटान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में है।

(नोट: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हाँ/नहीं)
मुद्रा					
जुर्माना/दंड			शून्य		
निपटान					
कंपाउंडिंग शुल्क					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हाँ/नहीं)
गैर-मुद्रा					
कारावास					
सज़ा			शून्य		

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में की गई अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है।

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम
शून्य	

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार-विरोधी या रिश्वत-विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

इरकॉन व्यापक केंद्रीय सतर्कता नियमावली (सीवीएम) का पालन करता है, जो इरकॉन के भीतर ईमानदारी और नैतिक आचरण सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक ढाँचे का काम करती है। परिणामस्वरूप, हालाँकि इसकी कोई अलग रिश्वतखोरी-विरोधी या भ्रष्टाचार-विरोधी नीति नहीं है, फिर भी सीवीएम का पालन पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्ट आचरण के प्रति शून्य सहिष्णुता को बढ़ावा देकर इन सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से पालन करता है।

सीवीएम एक व्यापक मार्गदर्शिका है जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की रोकथाम और नियंत्रण के सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह इरकॉन के कर्मचारियों और अधिकारियों को भ्रष्टाचार से बचने, नैतिक आचरण सुनिश्चित करने और अनुशासनात्मक प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। यह मैन्युअल पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही पर केंद्रित है और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों और आंतरिक नियंत्रणों के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करता यह खरीद और वित्तीय प्रबंधन जैसे

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

विभिन्न जोखिम क्षेत्रों को कवर करता है। सीवीएम का पालन करके, इरकॉन का लक्ष्य एक मजबूत भ्रष्टाचार-विरोधी ढाँचा तैयार करना, जनता का विश्वास बढ़ाना और संगठन के भीतर ईमानदारी की संस्कृति को बनाए रखना है।

इसके अलावा, इरकॉन ने कर्मचारियों, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों या सलाहकारों द्वारा किसी भी संदिग्ध धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान नीति लागू की है। यह नीति इरकॉन के साथ व्यापार करने वाले सभी लोगों पर लागू होती है। कंपनी की एक व्हिसल ब्लोअर नीति भी है, जो कर्मचारियों को किसी भी नैतिक चिंता की सूचना देने की अनुमति देती है।

इरकॉन ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता भी अपनाई है। कंपनी नैतिक आचरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए एक औपचारिक रिश्वतखोरी-विरोधी नीति लागू करने पर विचार कर रही है।

एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में, इरकॉन सेबी विनियमों, कंपनी अधिनियम, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों और अन्य प्रासंगिक सरकारी निर्देशों द्वारा निर्धारित नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही नीतियों का अनुपालन करता है। ये नीतियाँ इरकॉन और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू होती हैं। इरकॉन से जुड़ी संयुक्त उद्यम कंपनियों के अपने सिद्धांत और प्रक्रियाएँ हैं, जो आम तौर पर सरकारी नीतियों के अनुरूप होती हैं।

प्रासंगिक वेब-लिंक:

- केन्द्रीय सतर्कता मैनुअल: <https://cvc.gov.in/vigilancemanual.html>
- धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान नीति: <https://www.ircon.org/images/file/cosecy/FPDC%20Policy%20CMD.pdf>
- हवाईट ब्लोअर नीति: <https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Whistle-Blower-Policy.pdf>

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।

	वित्त वर्ष 2024-25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2023-24 (चालू वित्तीय वर्ष)
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपीएस	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	2
श्रमिक	शून्य	शून्य

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण

	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)		वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या				
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या				

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं

8. देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते *365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
देय खातों के दिनों की संख्या	51	30

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

9. व्यापार का खुलापन:

व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
खरीद का संकेन्द्रण	क. व्यापारिक घरानों से खरीद, कुल खरीद के % के रूप में	-	-
	ख. उन व्यापारिक घरानों की संख्या जहाँ से खरीद की गई है	-	-
	ग. शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीद, व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में	-	-
बिक्री का संकेन्द्रण	क. डीलरों/वितरक को बिक्री, कुल बिक्री के % के रूप में	-	-
	ख. उन डीलरों/वितरक की संख्या जिन्हें बिक्री की गई है	-	-
	ग. शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को बिक्री, डीलरों/वितरक को कुल बिक्री के % के रूप में	-	-
आरपीटी का हिस्सा	क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)	0.09%	0.087%
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)	82.01%	83.13%
	ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम/कुल ऋण और अग्रिम)	98.67%	-
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल निवेश)	57.96%	29.72%

नेतृत्व संकेतक

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएँ मौजूद हैं? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो उसका विवरण प्रदान करें।

हाँ, इरकॉन ने बोर्ड सदस्यों के बीच हितों के टकराव से बचने और उन्हें प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं, जैसा कि बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता में उल्लिखित है। संहिता के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों को कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना होगा, ऐसी स्थितियों से बचना होगा जहाँ उनके व्यक्तिगत हित इरकॉन के हितों के साथ टकराव कर सकते हैं, किसी भी संभावित टकराव का खुलासा करना होगा, और अपने पद या कंपनी की जानकारी का निजी लाभ के लिए उपयोग करने से बचना होगा। ये उपाय बोर्ड स्तर पर पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिक निर्णय लेने को सुनिश्चित करते हैं।

वेबलिनक: https://www.ircon.org/images/file/cosecy/CODE_OF_BUSINESS_CONDUCT_AND_ETHICS_FOR_BOARD_MEMBERS_AND_SENIOR_MANAGEMENT.pdf

सिद्धांत 2: व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश में।

	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पूंजीगत व्यय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

2. क्या संस्था के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हाँ/नहीं)

नहीं

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए?

लागू नहीं

3. अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट।

क) प्लास्टिक अपशिष्ट	लागू नहीं
ख) ई-अपशिष्ट	लागू नहीं
ग) खतरनाक अपशिष्ट	लागू नहीं
घ) अन्य अपशिष्ट	लागू नहीं

4. क्या इकाई की गतिविधियों पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लागू है (हाँ/नहीं)? यदि हाँ, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एन आईसी कोड	उत्पाद / सेवा का नाम	कुल कारोबार का % योगदान	वह सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन किया गया था	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो वेब-लिक प्रदान करें।
-------------	----------------------	-------------------------	--	--	---

लागू नहीं

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम/चिंता का विवरण	कार्रवाई की
----------------------	----------------------	-------------

लागू नहीं

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में प्रयुक्त कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकृत या पुनःप्रयुक्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री के लिए पुनर्चक्रित या पुनःप्रयुक्त इनपुट सामग्री	
	वित्तीय वर्ष 24-25 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 23-24 पिछला वित्तीय वर्ष

लागू नहीं

4. उत्पादों के जीवन की समाप्ति पर पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग की मात्रा (मीट्रिक टन में) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और सुरक्षित रूप से निपटान की गई:

इनपुट सामग्री इंगित करें	वित्तीय वर्ष 24-25 वर्तमान वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 23-24 पिछला वित्तीय वर्ष		
	पुनः उपयोग किए	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से निपटारा गया	पुनः उपयोग किए	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से निपटारा गया
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं			लागू नहीं		
ई-कचरा						
खतरनाक कचरा						
अन्य अपशिष्ट						

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।

उत्पाद श्रेणी इंगित करें	संबंधित श्रेणी में बेचे गए कुल उत्पादों के : के रूप में पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
	लागू नहीं

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले श्रमिकों का %										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		स्वास्थ्य बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डेकेयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ई)	% (ई/क)	संख्या (एफ)	% (एफ/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	779	779	100%	779	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	779	100%	शून्य	शून्य
महिला	55	55	100%	55	100%	55	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
कुल	834	834	100%	834	100%	55	6.59%	779	93.40%	शून्य	शून्य
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	338	338	100%	338	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	0	100%	शून्य	शून्य
महिला	10	10	100%	10	100%	0	0%	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
कुल	348	348	100%	348	100%	0	0%	0	0%	शून्य	शून्य

ख. श्रमिकों के कल्याण के लिए उपायों का विवरण

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले श्रमिकों का %										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डेकेयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ई)	% (ई/क)	संख्या (एफ)	% (एफ/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	लागू नहीं										
महिला											
कुल											

ग. कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य सहित) के कल्याण के उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय —

	वित्तीय वर्ष 2024–25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
	पुनरुपयोग किए	पुनर्नवीनीकरण
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	0.107%	2.40%

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

2. चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

फायदे	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हाँ / नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हाँ / नहीं)
पीएफ	100%	लागू नहीं	हाँ	100%	लागू नहीं	हाँ
ग्रेज्युटी	100%	लागू नहीं	हाँ	100%	लागू नहीं	हाँ
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य: एनपीएस, मेडिकल आदि जैसे सेवानिवृत्ति लाभ।	100%	लागू नहीं	हाँ	100%	लागू नहीं	हाँ

3. कार्यस्थलों की पहुँच

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

हाँ, इरकॉन अपने कार्यालय स्थलों को दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुगम्यता और समावेशिता को बढ़ावा देने हेतु डिज़ाइन करके दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का अनुपालन करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कंपनी ने कई सुविधाएँ शुरू की हैं। निम्नलिखित उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं:

- सेंसर युक्त स्वचालित दरवाजे: इरकॉन ने सेंसर युक्त स्वचालित दरवाजे लगाए हैं, जिससे गतिशीलता संबंधी चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए प्रवेश आसान हो गया है। ये दरवाजे किसी व्यक्ति की उपस्थिति से स्वचालित रूप से खुल जाते हैं, जिससे सुविधा और सुगम प्रवेश सुनिश्चित होता है।
- लिफ्ट सुविधाएँ: ऊर्ध्वाधर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, इरकॉन ने पहुँच मानकों का पालन करने वाली लिफ्टें स्थापित की हैं। ये लिफ्टें गतिशीलता संबंधी सीमाओं वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को कार्यालय भवन की विभिन्न मंजिलों तक आसानी से पहुँचाने में सक्षम बनाती हैं, जिससे आवागमन में आसानी और सुविधा होती है।
- व्हीलचेयर का प्रावधान: इरकॉन उन कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध कराता है जिन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती है। ये व्हीलचेयर कार्यालय परिसर में उपलब्ध हैं और कार्यस्थल पर आराम से घूमने के लिए जिन लोगों को व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है, वे इनका उपयोग कर सकते हैं। यह प्रावधान समावेशिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि गतिशीलता संबंधी सीमितता वाले कर्मचारी कार्यालय के वातावरण में आसानी से घूम सकें। कर्मचारी की आवश्यकताओं के अनुसार परिसर में एक संपर्क अधिकारी की व्यवस्था की गई है।

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ, इरकॉन के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (इसके बाद के संशोधनों सहित) के अनुसार एक समर्पित समान अवसर नीति है। यह नीति यह गारंटी देती है कि सभी कर्मचारियों को, चाहे उनकी जाति, लिंग, आयु, विकलांगता, धर्म या कोई अन्य संरक्षित विशेषता कुछ भी हो; रोजगार के अवसरों, लाभों और करियर में उन्नति तक समान पहुँच प्रदान की जाती है। यह भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, मुआवज़ा और बर्खास्तगी सहित रोजगार के किसी भी पहलू में भेदभाव, उत्पीड़न या पक्षपात का सख्त निषेध करती है। यह नीति यह भी सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग कर्मचारियों को रोजगार के अवसरों तक पहुँचने और अपनी भूमिकाएँ प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक सुविधाएँ और सहायता मिले। इसके अतिरिक्त, संगठन के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा उठाई गई किसी भी भेदभाव संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है।

वेब लिंक - https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Equal_Opportunity_Policy_pdf.pdf

5. स्थायी कर्मचारियों और माता-पिता की छुट्टी लेने वाले श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
	कार्य पर वापसी दर	अवधारण दर	कार्य पर वापसी दर	अवधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों की शिकायतों को प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें। हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)

स्थायी श्रमिक	नहीं
स्थायी श्रमिकों के अलावा	नहीं
स्थायी कर्मचारी	हाँ, इरकॉन के पास कर्मचारियों और श्रमिकों की शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए मजबूत तंत्र मौजूद हैं। संगठन, जन शिकायतों के प्रभावी समाधान और ट्रेकिंग के लिए एक सरकारी पहल, सीपीजीआरएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) का उपयोग करता है। सीपीजीआरएमएस के माध्यम से प्रस्तुत प्रत्येक शिकायत की संबंधित विभाग द्वारा समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए गहन समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन अपने इंटरनेट पर एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है, जिसमें कर्मचारियों के लिए एक विशिष्ट लिंक और एक एस्केलेशन मैट्रिक्स शामिल है। यह आंतरिक प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को सीधे शिकायतें प्रस्तुत करने, उनकी शिकायतों की प्रगति की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि उनकी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए। ये प्रणालियाँ सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और त्वरित शिकायत समाधान के प्रति इरकॉन की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	हाँ, इरकॉन के पास कर्मचारियों और श्रमिकों की शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए मजबूत तंत्र मौजूद हैं। संगठन, जन शिकायतों के प्रभावी समाधान और ट्रेकिंग के लिए एक सरकारी पहल, सीपीजीआरएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) का उपयोग करता है। सीपीजीआरएमएस के माध्यम से प्रस्तुत प्रत्येक शिकायत की संबंधित विभाग द्वारा समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए गहन समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन अपने इंटरनेट पर एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है, जिसमें कर्मचारियों के लिए एक विशिष्ट लिंक और एक एस्केलेशन मैट्रिक्स शामिल है। यह आंतरिक प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को सीधे शिकायतें प्रस्तुत करने, उनकी शिकायतों की प्रगति की निगरानी किया करने और यह सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि उनकी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए। ये प्रणालियाँ सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और त्वरित शिकायत समाधान के प्रति इरकॉन की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता

श्रेणी	संबंधित श्रेणी (क) में कुल कर्मचारी/श्रमिक	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
		संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो संघ(संघों)/या यूनियन (ख) का हिस्सा हैं	% (ख/क)		संबंधित श्रेणी (सी) में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो संघ (संघों) या यूनियन (डी) का हिस्सा हैं	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी		लागू नहीं					
पुरुष							
महिला							
कुल स्थायी कर्मचारी							
पुरुष							
महिला							

8. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024—25					वित्तीय वर्ष 2023—24				
	कुल (क)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		कुल (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	% (ग/क)		संख्या (ई)	% (ई/घ)	संख्या (एफ)	% (एफ/घ)
जेएफईडी										
पुरुष	1117	94	8.41%	539	47%	813	63	7.75%	119	14.63%
महिला	65	32	49.23%	50	77%	48	12	25%	26	54.16%
कुल	1182	126	10.66%	589	49%	861	75	8.71%	145	16.84%
श्रमिक										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
कुल										

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	कुल (क)	संख्या(ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	संख्या (डी)	% (डी/सीसी)
कर्मचारी*						
पुरुष	779	485	62.25%	813	811	99.75%
महिला	55	35	63.63%	48	48	100.00%
कुल	834	520	62.35%	861	859	99.76%
श्रमिक						
पुरुष	लागू नहीं					
महिला						
कुल						

* इस डेटा में स्थायी कर्मचारी और पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं।

10. एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?

हाँ, इरकॉन ने ISO 45001:2018 के अनुरूप एक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओएचएस) प्रबंधन प्रणाली स्थापित और कार्यान्वित की है, जो 27.12.2027 तक मान्य है। संगठन ने आवश्यक प्रक्रियाओं और सभी कार्यों में उनके अनुप्रयोग की पहचान और परिभाषा की है, जिसमें प्रत्येक प्रक्रिया के लिए इनपुट और आउटपुट निर्धारित करना और उनके संबंधों को दर्शाने के लिए एक अंतर्संबंध मैट्रिक्स विकसित करना शामिल है। इन प्रक्रियाओं का क्रम और अंतःक्रिया स्थापित की गई है, और प्रभावी संचालन और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मानदंड और विधियाँ—जैसे निगरानी, मापन और प्रदर्शन संकेतक उपयोग किया जाता है। संसाधनों का आवंटन किया गया है, और भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। जोखिमों और अवसरों का व्यवस्थित रूप से समाधान किया जाता है, और प्रक्रियाओं का नियमित रूप से मूल्यांकन और सुधार किया जाता है ताकि उनके इच्छित परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इरकॉन प्रक्रिया संचालन का समर्थन करने के लिए प्रलेखित जानकारी रखता है और आईएसओ 45001:2018 के ISO मानकों के अनुरूप नियोजित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजीकरण को सुरक्षित रखता है।

ख. संस्था द्वारा कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा नियमित एवं गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं?

इरकॉन कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और नियमित तथा गैर-नियमित, दोनों प्रकार की गतिविधियों के लिए जोखिमों का आकलन करने हेतु एक संरचित दृष्टिकोण अपनाता है। यह एक सुस्पष्ट व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (ओएचएस) नियमावली के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त होता है, जो खतरों की पहचान और जोखिम मूल्यांकन के लिए व्यवस्थित प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इस मुख्य प्रक्रिया में खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए) शामिल है, जहाँ खतरों की नियमित रूप से पहचान, मूल्यांकन और उनके संभावित प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता तय की जाती है।

इसके अलावा, कार्यस्थल पर खतरों का सक्रिय रूप से पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए निर्धारित अंतराल पर सुरक्षा निरीक्षण किए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कर्मचारी और ठेकेदार संभावित जोखिमों और सुरक्षित कार्य पद्धतियों से अवगत हों, परियोजना स्थलों पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी प्रासंगिक कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है और यह जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।

इन प्रक्रियाओं की निरंतर निगरानी की जाती है और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सुधार किया जाता है, सभी प्रक्रियाएँ और नियंत्रण ओएचएस प्रबंधन प्रणाली द्वारा समर्थित हैं, जो 27.12.2027 तक वैध है।

ग. क्या आपके पास कर्मचारियों के लिए कार्य-संबंधी खतरों की सूचना देने और स्वयं को ऐसे जोखिमों से दूर रखने की प्रक्रियाएँ हैं? (हाँ/नहीं)

हाँ, श्रमिकों के लिए ऐसी समर्पित प्रक्रियाएँ मौजूद हैं। किसी भी घटना या दुर्घटना के बाद, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रभारी (पीएच/एसओ) उपठेकेदार के सुरक्षा अधिकारी और अन्य साइट कर्मचारियों के साथ मिलकर कारणों का पता लगाने और सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए जाँच शुरू करता है। घटना/दुर्घटना रिपोर्ट फॉर्म भर दिया जाता है, और पीएचएसओ आवश्यक सुधारात्मक कदमों की पहचान करता है। इसके बाद सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा समिति के समक्ष निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठक के दौरान रिपोर्ट भी साझा करता है।

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्राप्त है? (हाँ/नहीं)

हाँ, इरकॉन यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हों। कंपनी स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कर्मचारियों को व्यापक लाभ प्रदान करती है, जिसमें बाहरी और आंतरिक चिकित्सा उपचारों की प्रतिपूर्ति, चिकित्सा अग्रिमों की स्वीकृति, एम्बुलेंस शुल्क और संपूर्ण स्वास्थ्य जाँच लाभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इरकॉन ने विभिन्न परिस्थितियों में कर्मचारियों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए एक चिकित्सा ट्रस्ट की स्थापना की है।

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
खोया समय चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे काम)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	शून्य	शून्य
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	शून्य	शून्य
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	शून्य	शून्य
उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	शून्य	शून्य

*इरकॉन के पास कोई भी कर्मचारी वेतन पर नहीं है, हमारे पास केवल ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारी हैं।

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।

इरकॉन कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक व्यापक और संरचित दृष्टिकोण लागू करता है, जिसमें नियमित रूप से खतरों की पहचान, जोखिम आकलन और विभिन्न परिदृश्यों के लिए सुरक्षा अभ्यास आयोजित करना शामिल है। कर्मचारियों और श्रमिकों की सुरक्षा के लिए परियोजना स्थलों पर कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं, जिनमें सुरक्षा संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का कार्यान्वयन और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। निर्धारित चिकित्सा जाँच कर्मचारियों के स्वास्थ्य की निगरानी करती है, जबकि कंपनी औद्योगिक सुरक्षा पदानुक्रम का पालन करती है – जोखिमों को व्यवस्थित रूप से कम करने के लिए उन्मूलन, प्रतिस्थापन, इंजीनियरिंग नियंत्रण और प्रशासनिक नियंत्रणों को प्राथमिकता देती है। जहाँ तक संभव हो, खतरों को पहले समाप्त किया जाता है या सुरक्षित विकल्पों से प्रतिस्थापित किया जाता है; फिर इंजीनियरिंग और प्रशासनिक नियंत्रण लागू किए जाते हैं, और आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रदान किए जाते हैं। इन उपायों के निरंतर अनुप्रयोग के माध्यम से, इरकॉन सुरक्षा और उत्तरदायित्व की एक मजबूत संस्कृति को बढ़ावा देता है, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है, और अपने कर्मचारियों के दीर्घकालिक कल्याण का समर्थन करता है।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या

	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	लंबित समाधान वर्ष के अंत में	टिप्पणी
कार्य परिस्थितियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन

आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)	
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	90%
कार्यस्थल	90%

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का विवरण प्रदान करें।

सुरक्षा संबंधी घटनाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है:

- ढलान स्थिरीकरण और संरक्षण: पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान स्थिरीकरण उपायों को लागू किया गया ताकि श्रमिकों और मशीनों की आवाजाही के दौरान निष्पादन क्षेत्रों की सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाई जा सके। इससे मृत्यु दर का जोखिम काफी कम हुआ है और काम के घंटे सुरक्षित हुए हैं।
- जागरूकता और योग्यता संवर्धन: यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कार्मिक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं और सुरक्षित कार्य पद्धतियों के बारे में जागरूक हैं, लक्षित सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और योग्यता मानचित्रण/प्रशंसा सत्र आयोजित किए गए।
- सेंसर आधारित वैगन का उपयोग: गिट्टी की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए सेंसर आधारित वैगनों की शुरुआत की गई, जिससे मैनुअल हैंडलिंग को न्यूनतम किया गया और इन कार्यों के दौरान दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया गया।

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

- पाइल ड्राइविंग कार्यों के लिए स्टेजिंग: परियोजना स्थलों पर पाइल ड्राइविंग गतिविधियों के दौरान प्रत्येक लाइनर के चारों ओर स्टेजिंग को अपनाया और कार्यान्वित किया गया, जिससे प्रभावी रूप से गुफा-इन घटनाओं को रोका जा सके और पाइलिंग कार्य के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- स्वचालित ट्रैक मशीनों की तैनाती: स्वचालित रेल और स्लीपर बिछाने के लिए नई ट्रैक मशीनें तैनात की गईं, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप और संबंधित खतरों में कमी आई है, जिससे समग्र साइट सुरक्षा में सुधार हुआ है।
- पाइल्स का द्वि-दिशात्मक स्थैतिक भार परीक्षण: सुरक्षा और कार्य के निष्पादन से संबंधित साइट पर जोखिम को कम करने के लिए।

नेतृत्व संकेतक

- क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है?

क. कर्मचारी – हाँ

ख. श्रमिक – लागू नहीं

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, इकाई द्वारा किए गए उपायों को बताएं।

इरकॉन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई तंत्र स्थापित किए हैं कि भविष्य निधि (पीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और अन्य लागू शुल्क जैसे वैधानिक बकाया राशि की उचित कटौती और जमा किया जाए। प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

- लागू कानूनों के अनुसार, सविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) और सविदा की विशेष शर्तों (एससीसी) में वैधानिक बकाया राशि की कटौती सुनिश्चित करने के उपाय विधिवत रूप से शामिल किए गए हैं।
- श्रम संबंधी अनुपालन विवरण – जिसमें पीएफ, ईएसआई, सुरक्षा उपाय और कार्यबल विवरण शामिल हैं – श्रमिक कल्याण पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत और निगरानी की जाती है, जो वैधानिक अनुपालन की वास्तविक समय निगरानी और दस्तावेजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।
- इरकॉन आवधिक आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से लागू केंद्रीय और राज्य सरकार के वैधानिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या बताएँ जिन्हें कार्य से संबंधित गंभीर चोट/अस्वस्थता/ मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

	प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2024–25 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2023–24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

- क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

नहीं, इरकॉन के पास वर्तमान में कोई निर्दिष्ट संक्रमण सहायता कार्यक्रम नहीं है।

- मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

मूल्य श्रृंखला भागीदारों का : (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया	
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	100%
कार्यस्थल	100%

- मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए या चल रहे किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

इरकॉन में प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान की प्रक्रिया, उद्योग में कंपनी के उद्देश्य और भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से शुरू होती है। इसके बाद, आंतरिक और बाहरी, दोनों हितधारकों की पहचान उनके हितों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है। मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में कार्यरत, इरकॉन विविध प्रकार के हितधारकों के साथ जुड़ा है, जिनमें निवेशक, शेयरधारक, कर्मचारी, श्रमिक, ग्राहक, नियोक्ता, विक्रेता, उप-ठेकेदार, सलाहकार, समुदाय और बुनियादी ढाँचे के अंतिम उपयोगकर्ता शामिल हैं। ग्राहकों या नियोक्ताओं का चयन आमतौर पर व्यावसायिक हितों के आधार पर होता है, जबकि विक्रेताओं, उप-ठेकेदारों और सलाहकारों का चयन परियोजना की आवश्यकताओं और अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाता है। बुनियादी ढाँचे के अंतिम उपयोग की जिम्मेदारी आमतौर पर ग्राहक या नियोक्ता की होती है, जब तक कि अनुबंध में अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

इरकॉन निरंतर जुड़ाव, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक संबंध बनाने पर जोर देता है। हितधारकों की जरूरतों और चिंताओं को समझकर और उनका समाधान करके, इरकॉन विश्वास को बढ़ावा देने, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने, सरकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी सहयोग करने और शेयरधारकों व अन्य हितधारकों, दोनों के लिए मूल्य सृजन करने में सक्षम है, जिससे अंततः बेहतर परियोजना परिणाम प्राप्त होते हैं।

2. आपकी इकाई के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति बताएं।

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं हाशिए पर पड़े समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	संलग्नता की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा, जिसमें सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएं शामिल हैं
शेयरधारक	नहीं	- वार्षिक रिपोर्ट - प्रेस विज्ञप्तियाँ और शेयरधारक बैठकें - स्टॉक एक्सचेंज सूचनाएँ - ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, डाक सेवाएँ और वेबसाइट।	वार्षिक, आवधिक, त्रैमासिक	इसका ध्यान शेयरधारकों की संपत्ति बनाने पर है। मुख्य विषय: i) वित्तीय प्रदर्शन ii) लाभांश भुगतान iii) व्यावसायिक प्रदर्शन iv) कॉर्पोरेट प्रशासन
कर्मचारी	नहीं	- आंतरिक मानव संसाधन संचार, वेब पोर्टल, परिपत्र और कार्यालय आदेश - बैठकें, ईमेल, कॉल, सूचना पट्ट - प्रशिक्षण और मूल्यांकन - सांस्कृतिक कार्यक्रम	नियमित रूप से	मुख्य विषय: i) सूचना ii) कार्यक्रम, iii) प्रशिक्षण, iv) व्यवसायिक गतिविधियाँ
विक्रेता/ठेकेदार	नहीं	- बैठकें - खरीद पोर्टल - ईमेल	जब भी आवश्यकता हो	-
ग्राहकों	नहीं	- बैठकें - खरीद पोर्टल - ईमेल	आवश्यकता आधारित	व्यावसायिक गतिविधियाँ
समुदाय	हाँ	- ऑनसाइट सामुदायिक बैठकें - स्थानीय अभियान	आवश्यकता आधारित	फीटबैक

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

- कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें संस्था के मानवाधिकार मुद्दों और नीतियों पर प्रशिक्षण दिया गया है

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	कुल (क)	कर्मचारियों की संख्या / कवर किए गए श्रमिक (ख)	% (बी/क)	कुल (ग)	कर्मचारियों की संख्या / कवर किए गए श्रमिक (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
स्थायी	834	112	13.43%	861	861	100%
स्थायी के अलावा	348	3	0.86%	340	340	100%
कुल कर्मचारी	1182	115	9.73%	1201	1201	100%
श्रमिक						
स्थायी	लागू नहीं					
स्थायी के अलावा						
कुल कर्मचारी						

- कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण

श्रेणी	वित्त वर्ष 2024-25					वित्त वर्ष 2023-24				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन से अधिक		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ई)	% (ई/घ)	संख्या (एफ)	% (एफ/घ)
कर्मचारी										
स्थायी										
पुरुष	779	-	-	779	100%	813	-	-	813	100%
महिला	55	-	-	55	100%	48	-	-	48	100%
स्थायी के अलावा										
पुरुष	338	-	-	338	100%	328	-	-	328	100%
महिला	10	-	-	10	100%	12	-	-	12	100%
श्रमिक										
स्थायी										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
स्थायी के अलावा										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										

- पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

क. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीडीओ)	3	INR 7511304	1	INR 6989743
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	1	INR 5380533	1	INR 2477420
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	761	INR 1889518	53	INR 11811434
कर्मचारी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

*नोट:

- केएमपी में सीएस और सीएफओ (ईडी/वित्त) शामिल हैं।
- 31.03.2025 तक बीओडी में केवल सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं।

ख. संस्था द्वारा महिलाओं को दी गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में सकल मजदूरी, निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल मजदूरी के : के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन	5.69%	5.00%

- क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या उसमें योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ/नहीं)

हाँ कार्यकारी निदेशक (परियोजना/मासप्र) जिम्मेदार है।

- मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

इरकॉन ने अपनी समर्पित मानवाधिकार नीति और वैधानिक आवश्यकताओं के मार्गदर्शन में मानवाधिकार संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु सुदृढ़ तंत्र स्थापित किए हैं। कर्मचारी और हितधारक सीपीजीआरएमएस के माध्यम से या सीधे संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी को शिकायतें प्रस्तुत और ट्रैक कर सकते हैं। कंपनी भेदभाव, बाल या जबरन श्रम पर सख्त प्रतिबंध लगाती है और उचित भुगतान, संगठन की स्वतंत्रता और सुरक्षित, सुलभ कार्यस्थल सुनिश्चित करती है। यौन उत्पीड़न के लिए आंतरिक शिकायत समिति जैसी विशेष समितियाँ शिकायत निवारण में और सहायता प्रदान करती हैं। सभी शिकायतों का निपटारा गोपनीय रूप से किया जाता है, प्रतिशोध से सुरक्षा प्रदान की जाती है, और इरकॉन सम्मान, समावेशिता और जवाबदेही की संस्कृति को बनाए रखने के लिए इन प्रक्रियाओं की नियमित रूप से समीक्षा और सुधार करता है।

- कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
बाल श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
मजदूरी	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
मानवाधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज शिकायतें:

	वित्तीय वर्ष 2024-25 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) के अंतर्गत दर्ज की गई कुल शिकायतें	शून्य	शून्य
महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में पोश पर शिकायतें	शून्य	शून्य
POSH पर शिकायतों को सही ठहराया गया	शून्य	शून्य

- भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतों के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा के लिए, इरकॉन कई उपाय अपनाता है। इनमें शिकायतकर्ताओं की पहचान और विवरण की सख्त गोपनीयता बनाए रखना, कठोर प्रतिशोध-विरोधी नीतियों को लागू करना और गुमनाम रिपोर्टिंग के लिए व्हिसलब्लोअर सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। कंपनी स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच भी करती है, आवश्यकतानुसार शिकायतकर्ताओं के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई और सहायता प्रदान करती है, और निरंतर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बाहरी रिपोर्टिंग तंत्र उपलब्ध हैं और नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन किए जाते हैं। इन कदमों के माध्यम से, इरकॉन शिकायतों की रिपोर्टिंग के लिए एक

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

सुरक्षित और सहायक वातावरण सुनिश्चित करता है, समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान करता है और शिकायतकर्ताओं को प्रतिकूल परिणामों से बचाता है।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

हाँ

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का : जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
बाल श्रम	100%
जबरन/अनैच्छिक श्रम	100%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
मजदूरी	100%
अन्य – कृपया स्पष्ट करें	-

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्यवाई का विवरण प्रदान करें।

सामान्य अनुबंध शर्तों के अनुसार 'श्रम कानून के उल्लंघन के कारण दावा' के प्रावधान स्थापित किए गए हैं।

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण।

लागू नहीं

2. किसी भी मानवाधिकार संबंधी जांच के दायरे और कवरेज का विवरण।

लागू नहीं

- 3rd क्या संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का परिसर दिव्यांग आगंतुकों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (क)	340.13 जीजे	4775.29 जीजे
कुल ईंधन खपत (ख)		
अन्य स्रोतों से ऊर्जा खपत (ग)		
नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (क+ख+ग)	340.13 जीजे	4775.29 जीजे
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (घ)	35,807.51 जीजे	1,09,942.897 जीजे
कुल ईंधन खपत (ई)	5,67,552.23 जीजे	10,75,757.51 जीजे
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (एफ)	-	-
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (घ+ई+एफ)	6,03,359.74 जीजे	11,85,700.41 जीजे

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग+घ+ई+एफ)	6,03,699.87 जीजे	11,90,475.7 जीजे
प्रति रुपया कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व)	0.000006 जीजे/सीआर	0.0000099 GJ/सीआर
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार की ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत / परिचालन से राजस्व, पीपीपी के लिए समायोजित)	27654.03	52026.73
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता		
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक)—प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं
नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।		
किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई आश्वासन नहीं		

2. संस्था के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत निर्दिष्ट उपभोक्ता (डीसी) के रूप में चिन्हित कोई स्थल/सुविधाएँ हैं? (हाँ/ना) यदि हाँ, तो बताएँ कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो, तो बताएँ।

लागू नहीं, क्योंकि इरकॉन को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस), 2023 के अनुसार नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में नहीं पहचाना गया है।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण प्रदान करें

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	732396	134681.8
(ii) भूजल	3354520.8	2840520.18
(iii) तृतीय पक्ष जल	1463.6	4242.35
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	-	-
कुल जल निकासी मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	4088380.40	4188364.33
कुल जल उपभोग मात्रा (किलोलीटर में)	3834140.6	3350691.464
प्रति रुपया कारोबार पर जल तीव्रता (उपभोग किया गया जल / कारोबार)	0.0037 KL/mn INR	0.0029 KL/mn INR
जल तीव्रता (वैकल्पिक)—प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		
नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।		
किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई आश्वासन नहीं		

4. निस्सरित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल		
- कोई उपचार नहीं	1055	-
- उपचार के साथ — कृपया उपचार का स्तर बताएं	94969	-
(ii) भूजल		
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ — कृपया उपचार का स्तर बताएं	-	-
(iii) समुद्री जल		

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
- उपचार नहीं	23529	-
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर बताएँ	-	-
(iv) तृतीय-पक्ष को भेजा गया		
- उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर बताएँ	-	-
(v) अन्य		
- उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर बताएँ	-	-
कुल छोड़ा गया पानी (किलोलीटर में)	119553	670138.29

5. क्या संस्था ने शून्य द्रव निर्वहन हेतु कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

जी हाँ, इरकॉन ने नई दिल्ली स्थित अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेएलडी) प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली के तहत, उत्पन्न होने वाले सभी अपशिष्ट जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के माध्यम से उपचारित किया जाता है, और फिर फ्लशिंग और बागवानी कार्यों में इसका पुनः उपयोग किया जाता है।

6. कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें

पैरामीटर	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
एनओएक्सएक्सजी/एम3	µg/m ³	21.80	29.50
एसओएक्सएक्सजी/एम3	µg/m ³	13.26	25.10
कणिका पदार्थ (पीएम)	µg/m ³	101.95	103.42
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)		-	-
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)		-	-
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)		-	-
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें		-	-

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई आश्वासन नहीं

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें

पैरामीटर	यूनिट	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो GHG का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विभाजन)	मीट्रिक टन CO ₂ समतुल्य	52849.92	88232.94
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो ग्रीनहाउस गैसों का CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में विभाजन)	मीट्रिक टन CO ₂ समतुल्य	6744.06	21835.88
प्रति रुपये टर्नओवर पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन		0.0000006	0.0000009
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक)–प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		-	-
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता' (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व)		4933.75	4810.28
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता।		लागू नहीं	लागू नहीं

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

पैरामीटर	यूनिट	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
----------	-------	-----------------------	-----------------------

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई आश्वासन नहीं

8. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

इरकॉन विभिन्न नवीन तकनीकों, जैसे नई ट्रैक बिछाने और लिफ्टिंग मशीन आदि का उपयोग करके अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे समग्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। इसके अलावा, इरकॉन अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रहा है।

9. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)		
ई-अपशिष्ट (ख)	0.3	1
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (ग)		
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (घ)	9	0.56
बैटरी अपशिष्ट (ई)	0.26	0.43
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ)		
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो, तो कृपया बताएँ। (जी)		
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच)। यदि कोई हो, तो कृपया स्पष्ट करें। (संरचना के अनुसार अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों के अनुसार)	1.5	1.5
कागज़, कार्डबोर्ड अपशिष्ट प्लाइवुड	5	1.0
कुल (क+ख+ग+घ+ई+एफ+जी+एच)	16.06	4.49
प्रति रुपया कारोबार में अपशिष्ट तीव्रता (उत्पन्न कुल अपशिष्ट / परिचालन से राजस्व)	15.75 MT/Cr INR	3.575 MT/Cr INR
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)	0.656 MT/mn	0.196 MT/mn
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	-	-
अपशिष्ट तीव्रता (वैल्पिक)—प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण		
(ii) भूमिभरण	0.96	2.93
(iii) अन्य निपटान कार्य		
कुल	0.96	2.93
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण		
(ii) भूमिभरण	15.1	1.56
(iii) अन्य निपटान कार्य		
कुल	15.1	1.56

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।		
किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई आश्वासन नहीं		

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु अपनाई गई पद्धतियों का वर्णन कीजिए।

इरकॉन संसाधनों के इष्टतम उपयोग, अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण और खतरनाक पदार्थों के जिम्मेदारीपूर्ण निपटान पर केंद्रित प्रथाओं को अपनाकर पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने कॉर्पोरेट कार्यालय में एक पूर्णतः कार्यात्मक जल उपचार संयंत्र संचालित करती है ताकि अपशिष्ट जल का निर्वहन से पहले उचित उपचार सुनिश्चित किया जा सके। निरंतर सुधार और सख्त नियामक अनुपालन इरकॉन के दृष्टिकोण का केंद्रबिंदु हैं, जो स्थिरता और सुरक्षा के प्रति उसके समर्पण को दर्शाता है।

11. यदि इकाई का परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास है, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है

परिचालन/कार्यालयों का स्थान	संचालन के प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है तो क्या करें?
-----------------------------	------------------	--

लागू नहीं

12. चालू तीसरे वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना सं.	तारीख	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हाँ/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
------------------------------------	-------------------	-------	--	--	--------------------

इरकॉन को परियोजनाएँ सौंपने से पहले परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) किया गया है। निर्धारित आवृत्ति के अनुसार, कार्य निष्पादन के दौरान इरकॉन द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) से संबंधित निगरानी की गई है।

13. भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों, जैसे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों का अनुपालन करने वाली संस्था (हाँ/ना)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें।

उस कानून/नियम/दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका पालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई भी जुर्माना/दंड/कार्रवाई	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो
--	----------------------------------	---	--

शून्य

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।

हाँ, इरकॉन के पास अपने कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए एक मजबूत आपदा प्रबंधन योजना है, जो वैधानिक आवश्यकताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं (ISO 45001) के अनुरूप है। इस योजना में प्राकृतिक (बाढ़, भूकंप) और मानव निर्मित (आग, आतंकवाद) आपदाओं के लिए जोखिम मूल्यांकन, रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति शामिल है। इसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, निकासी –जिसमें सीमित गतिशीलता वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। संसाधन सूची और नियमित मॉक ड्रिल का विवरण दिया गया है। समन्वित कार्रवाई और न्यूनतम परिचालन व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए कमांड संरचनाएँ और संचार प्रोटोकॉल स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। उच्च तत्परता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रशिक्षण के साथ, योजना की समय-समय पर समीक्षा और अद्यतन किया जाता है।

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

सिद्धांत 7: व्यवसायों को सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करते समय, जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों से संबद्धता की संख्या

6

ख. उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिनकी संस्था सदस्य/संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (राज्य/राष्ट्रीय) की पहुंच
1	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) उत्तरी क्षेत्र	राष्ट्रीय
2	राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको)	राष्ट्रीय
3	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)	राष्ट्रीय
4	स्थायी सार्वजनिक उद्यम सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय
5	भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)	राष्ट्रीय
6	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माता महासंघ (एनएचबीएफआई)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
	शून्य	

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हाँ/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
------------------------------------	-----------------------	------------------	--	--	--------------------

इरकॉन को परियोजना सौंपने से पहले परियोजनाओं का एसआईए किया गया है।

2. उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है।

परियोजना का नाम जिसके लिए R-R चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) की संख्या	R-R द्वारा कवर किए गए PAF का %	वित्तीय वर्ष में परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि (रुपये में)
---	-------	------	---	--------------------------------	--

लागू नहीं

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें

सीपीजीआरएएमएस, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली, जन शिकायतों के कुशल समाधान के माध्यम से शासन में सुधार हेतु भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इरकॉन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग सामुदायिक शिकायतों का शीघ्र समाधान करने, उनकी स्थिति की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि संबंधित विभाग द्वारा प्रत्येक मामले की गहन समीक्षा की जाए। समस्याओं के समाधान के लिए समय पर और उचित कार्रवाई की जाती है, जो सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से उत्तरदायी और प्रभावी जन सहभागिता के प्रति इरकॉन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	26.56%	59.39%
जिले के भीतर और पड़ोसी जिले से सीधे प्राप्त	लागू नहीं	लागू नहीं

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों में नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या अस्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का उल्लेख कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें

स्थान	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2023-24
ग्रामीण	0%	0.5%
अर्ध-शहरी	0.08%	0.2%
शहरी	0.61%	5.70%
महानगरीय	1.38%	2.60%

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
लागू नहीं, क्योंकि परियोजनाओं का एसआईए इरकॉन को परियोजना सौंपने से पहले किया गया है।	

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (रूपये में)
1	असम	बारपेटा	3137000
2	छत्तीसगढ़	कोरबा	2832000
2	हरियाणा	मेवात	2256000
3	जम्मू एवं कश्मीर	कुपवाड़ा	2500000
5	जम्मू एवं कश्मीर	बारामूला	2000000
6	मध्य प्रदेश	छतरपुर	1500000
7	ओडिशा	कालाहांडी	3000000
8	ओडिशा	रायगढ़	2058000
9	राजस्थान	जैसलमेर	3701000
10	राजस्थान	करौली	876000
11	राजस्थान	धौलपुर	1800000
12	राजस्थान	बारां	1175000
13	उत्तर प्रदेश।	चित्रकूट	11951000
14	उत्तर प्रदेश।	बहरिख	1747000
15	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	5739000

3. क. क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके तहत आप हाशिए पर स्थित/कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)

हाँ

ख. आप किन हाशिए पर स्थित/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

खरीद एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से की जाती है।

ग. यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

3.67%

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में)

पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अधिग्रहित (हाँ/नहीं)	लाभ साझा किया गया (हाँ/नहीं)	लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार
--	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

लागू नहीं

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
------------------	--------------------------	---------------------------

लागू नहीं

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों के लाभार्थियों का %	
1	मेसर्स फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी द्वारा त्रिपुरा के धर्मनगर जिले में 113 एकल विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।	400	100.00%
2	मेसर्स गोधुली द्वारा नांगलोई, दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर लगभग 160 वंचित बच्चों की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देकर सहायता करना (1 वर्ष की गतिविधि)	160	100.00%
3	मेसर्स बीएसजीएसएस द्वारा खोरा कॉलोनी गाजियाबाद में 145 महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण (1 वर्ष की गतिविधि)	145	100.00%
4	मेसर्स कलिंगा द्वारा भुवनेश्वर, उड़ीसा के 150 आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। (1 वर्ष की गतिविधि)	150	100.00%
5	मेसर्स मातृभूमि विकास परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 80 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया	80	100.00%
6	मेसर्स कौशल्या फाउंडेशन द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले (मोतिहारी) में दो शेड का निर्माण	100	100.00%
7	मेसर्स भारतीय नवदीप समिति (बीएनएस) द्वारा बिहार के सुपौल जिले में 300 गरीब महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण / आय सृजन कार्यक्रम प्रदान करना	300	100.00%
8	चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार गरीब व्यक्तियों को 40 ठेला गाड़ी का वितरण	40	100.00%
9	उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के 4 सरकारी स्कूलों में 4 मिनी विज्ञान केंद्रों की स्थापना	687	100.00%
10	मेसर्स स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लीजर स्किल्स काउंसिल (एसपीईएफएल-एससी) द्वारा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में 500 लड़कियों को निर्भया रक्षा किट और टी-शर्ट के वितरण के साथ उन्हें सशक्त बनाने और आत्म-सुरक्षा के लिए आत्म-रक्षा प्रशिक्षण का प्रस्ताव।	500	100.00%
11	मेसर्स अनमोल मल्टीपर्पज एक्टिविटीज एंड सोशल सर्विसेज सोसाइटी द्वारा राजस्थान के रावतसर ब्लॉक में वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे 3 ट्रेडों में 110 वंचित लड़कियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया।	110	100.00%
12	मेसर्स केशव श्रुष्टि द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में नॉलेज ऑन व्हील्स कार्यक्रम (पुस्तकालय कार्यक्रम)।	813	100.00%

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों के लाभार्थियों का %
13	200 से अधिक बच्चों के नैतिक और शैक्षिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए परियोजना एनईईवी और मेसर्स ख्वाहिश द्वारा सीखने की जगह, स्मार्ट बोर्ड, फर्नीचर, कक्षाओं की स्थापना, किराया, परिवहन, भोजन, स्टेशनरी, एरोग्राम, विविध के लिए अनुरोध किया गया।	200 100.00%
14	मेसर्स गोधुली द्वारा नांगलोई, दिल्ली और अन्य समान स्थानों में लगभग 160 वंचित बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का समर्थन और प्रचार जारी रखना।	160 100.00%
15	मेसर्स प्रगति एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलपमेंट द्वारा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में कम से कम 200 बच्चों के समग्र विकास के लिए वंचित बच्चों को स्कूल के बाद 2 घंटे की शिक्षा प्रदान करना, एक सहायक और सीखने का माहौल प्रदान करना।	200 100.00%
16	मेसर्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (केआईएसएस) द्वारा भुवनेश्वर, उड़ीसा के 150 आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।	3958 100.00%
17	मेसर्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (केआईएसएस) द्वारा भुवनेश्वर, उड़ीसा के 150 आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।	150 100.00%
18	मेसर्स द्रौपदी द्वारा नई दिल्ली में विभिन्न प्रकार के नुक़ड नाटक, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके यमुना नदी की स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम का प्रस्ताव।	25000 100.00%
19	मेसर्स वाडर्स द्वारा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 5 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नवीनीकरण और बच्चों के लिए फर्नीचर, स्मार्ट बोर्ड और अन्य उपकरण उपलब्ध कराकर शिक्षा में सुधार का प्रस्ताव	3000 100.00%
20	प्रस्ताव – मेसर्स अखंडज्योति फाउंडेशन द्वारा पश्चिम चंपारण, बिहार में ग्रामीण 10,000 स्कूली बच्चों के लिए चलो स्कूल किट वितरण।	10,250 100.00%
21	मेसर्स श्री गणेशदीन शिक्षा समिति द्वारा नेवादा, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी, रसायन मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक जैविक खेती को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किसान जागरूकता कार्यक्रम का प्रस्ताव।	500 100.00%
22	मेसर्स बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान (बीएसजीएसएस) द्वारा खोरा कॉलोनी, जिला गाजियाबाद में महिलाओं के लिए इरकॉन समर्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।	290 100.00%
23	आई-हब फाउंडेशन फॉर रोबोटिक्स (आईएचएफसी) द्वारा आईआईटी दिल्ली सोनीपत शिविरों में सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत 100 वंचित छात्रों के लिए तकनीकी-उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम।	50 100.00%
24	मेसर्स द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन द्वारा गुडगांव, हरियाणा के वृद्धाश्रम में 20 केवीए के एक सौर संयंत्र के लिए अनुरोध।	1500 100.00%
25	राजीव गांधी अस्पताल शाहदरा, नई दिल्ली में 1 वॉक-इन फ्रीजर उपलब्ध कराया गया	मात्रात्मक नहीं मात्रात्मक नहीं
26	मेसर्स महिला बाल कल्याण एवं ग्रामीण विकास सोसाइटी द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले के 2 बालिका विद्यालयों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसिंग मशीन और भस्मक की स्थापना। (1 वर्ष की गतिविधि)	1900 100.00%
27	मेसर्स स्वाध्याय मंडल द्वारा वलसाड जिला गुजरात में 50 वंचित बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराया गया।	50 100.00%
28	मेसर्स दृष्टि द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में दृष्टिबाधित बालिकाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया।	2000 100.00%

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों के लाभार्थियों का %
29	मेसर्स महिला जाग्रति मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में जनजातीय स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम।	1000 100.00%
30	मेसर्स बीएसजीएसएस द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक जन आरोग्य केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव (1 वर्ष की गतिविधि)।	1000 100.00%
31	सामाजिक सेवाओं के लिए मेसर्स मैट्रिक्स सोसाइटी द्वारा बिहार के सिवान जिले में 4 आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास और पोषण संबंधी पूरक आहार उपलब्ध कराना।	5000 100.00%
32	मेसर्स फ्यूचर आइकॉन्स फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर का वितरण।	1500 100.00%
33	मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ह्यूमन रिसोर्स द्वारा असम के मोरीगांव जिले की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को प्राथमिक चिकित्सा कौशल प्रशिक्षण का वितरण और प्रशिक्षण।	350 100.00%
34	मेसर्स महिला उद्यमी संघ द्वारा बिहार के नालंदा जिले के हिलसा ब्लॉक के कपसियामा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का निर्माण।	700 100.00%
35	विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को कुपोषण और एनीमिया के बारे में जागरूकता प्रदान करना और मेसर्स पीपीएचएफ द्वारा किचन गार्डन का प्रावधान भी करना।	2000 100.00%
36	3000 लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना, 2500 लड़कियों को पोषण पूरक गोलियां वितरित करना और वंचित माताओं को 4000 शाल वितरित करना और मेसर्स वाइर्स द्वारा राजस्थान के धौलपुर जिले के 10 स्कूलों में 10 स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना।	1000 100.00%
37	मेसर्स बीएसजीएसएस द्वारा राजस्थान के भरतपुर संभाग के करौली जिले में जन आरोग्य सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा की स्थापना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।	1200 100.00%
38	मेसर्स गणेशदीन द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में 500 बच्चों को पूरक पोषण आहार वितरित करके और लड़कियों के लिए एनीमिया निवारण शिविर आयोजित करके स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।	500 100.00%
39	मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ह्यूमन रिसोर्स द्वारा आकांक्षी जिला बारपेटा, असम में एससी एसटी लोगों के लिए मोबाइल स्वास्थ्य और पोषण देखभाल इकाई का प्रस्ताव।	8250 100.00%
40	मेसर्स बीएसजीएसएस द्वारा कंवरसिखा गांव, जिला नूह, हरियाणा में जन आरोग्य केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव।	17856 100.00%
41	इस परियोजना के अंतर्गत विजन सेंटर (प्राथमिक नेत्र देखभाल सुविधा) का संचालन, जिसमें 8000 ओपीडी सेवाएं, 200 के लिए मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी और मेसर्स पीसीबी ट्रस्ट द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में छात्रों को 240 चश्मे वितरित किए गए।	8000 100.00%
42	मेसर्स आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा असम और त्रिपुरा राज्य में स्थित 2 केंद्रों में "आरोग्य संसाधन केंद्र और टेलीमेडिसिन (टीईए)" परियोजना का समर्थन करना।	30,000 100.00%
43	मेसर्स ग्रामीण एवं शहरी कल्याण संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले बहरीच के वंचित लोगों के लिए दवाओं के वितरण और स्वास्थ्य जांच के लिए 7 चिकित्सा शिविरों के आयोजन का अनुरोध।	7811 100.00%
44	निराश्रितों के लिए "आश्रय" गृह के स्वास्थ्य उन्मुख वित्तपोषण के लिए परियोजना, इनमें से अधिकांश महिलाएं विभिन्न प्रकार के पूंजीगत व्यय से मानसिक रूप से परेशान हैं, मेसर्स सिस्टर्स ऑफ द डेस्टिट्यूट मानव सेवा सोसाइटी द्वारा फारुखनगर गुड़गांव में।	40 100.00%

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों के लाभार्थियों का %
45	मेसर्स वर्ल्ड वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन द्वारा जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में 50 बालिका विद्यालयों (हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्तर) में सैनिटरी पैड वितरण और दवा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का प्रस्ताव।	7500 100.00%
46	मेसर्स जय घुश्मेश्वर लोक सेवा संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के 10 गांवों के लिए 5 चिकित्सा शिविर आयोजित करने का प्रस्ताव।	1000 100.00%
47	मेसर्स भारतीय नव निर्माण संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले चित्रकूट के दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/पिछड़े/गरीब वर्ग के 6000 लोगों को नेत्र जांच शिविर और चश्मे/आवश्यक दवाओं का वितरण।	6000 100.00%
48	मेसर्स भारतीय सर्व समाज महासंघ (बीएसएसएम इंडिया) द्वारा मंगोलपुरी, नई दिल्ली में 225 व्हीलचेयर के वितरण के लिए सीएसआर फंड उपलब्ध कराना	225 100.00%
49	मेसर्स पेसिफिक क्रिएटिव सोसाइटी द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 पेयजल मशीनों की स्थापना।	मात्रात्मक नहीं मात्रात्मक नहीं
50	गरीब लोगों को कैंसर, टीबी और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने और गंभीर रोगियों को एक एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से रेफरल सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर (स्वास्थ्य मेला) का प्रस्ताव। चित्रकूट, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, मेसर्स मातृभूमि विकास परिषद द्वारा।	500 100.00%
51	मेसर्स मिशन स्माइल द्वारा आकांक्षी जिले असम और मेघालय में बच्चों और युवा वयस्कों के लिए 100 क्लेपट सर्जरी के प्रायोजन द्वारा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।	100 100.00%
52	मेसर्स मानव विकास संस्था द्वारा जम्मू और कश्मीर के आकांक्षी जिले कुपवाड़ा के 25 सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए 25 सैनिटरी पैड और 25 वेंडिंग मशीन और इंसीनरेटर की स्थापना।	4000 100.00%
53	ऋषिकुमारों के स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास से संबंधित गतिविधियाँ शुरू करने का प्रस्ताव: मेसर्स स्वाध्याय मंडल द्वारा ऋषिकुमारों (छात्रों) के लिए भोजन व्यय।	100 100.00%
54	दिल्ली में शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से पिछड़े लोगों के पुनर्वास के लिए मेसर्स सोसायटी एसआरपीएम द्वारा ज्यादातर बीपीएल क्षेत्र के बच्चों के लिए सुविधाएँ प्रदान करने के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का प्रावधान।	400 100.00%
55	मेसर्स मनोरथ फाउंडेशन द्वारा ओडिशा के कालाहांडी के 5 स्कूलों में 5 सौर आर.ओ. वाटर कूलर स्थापित करने की आवश्यकता है।	1000 100.00%
56	मेसर्स सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट (एसएफटी) द्वारा दिल्ली/एनसीआर के वंचित समाजों की लगभग 300 महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर और पोषण संबंधी कमियों की जांच की गई।	300 100.00%
57	मेसर्स कैन सपोर्ट द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए घर पर ही उपचारात्मक देखभाल का प्रस्ताव।	235 100.00%
58	मेसर्स श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था द्वारा नालंदा जिला बिहार में लड़कों और लड़कियों के लिए हाई स्कूल शौचालय 8 मूत्रालय 2 डब्ल्यूसी शीट का निर्माण।	500 100.00%
59	मेसर्स राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) द्वारा सीएसआर पहल के अंतर्गत दिव्यांगजनों को 25 मोटर चालित ट्राइसाइकिलों का वितरण।	25 100.00%
60	उत्तर प्रदेश के मानिकपुर (चित्रकूट) के लिए "जनजातीय स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम" पर प्रस्ताव, जिसमें मेसर्स महिला जागृति मंडल द्वारा वंचित लड़कियों को प्रति वर्ष 200 साइकिलों का वितरण शामिल है।	200 100.00%

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों के लाभार्थियों का %	
61	मेसर्स नव अस्तित्व फाउंडेशन द्वारा बिहार के पटना जिले में स्कूल जाने वाली लड़कियों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने और वंचित समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए हंगर प्रोजेक्ट (साई की रसोई)।	500	100.00%
62	मेसर्स नव अस्तित्व फाउंडेशन द्वारा बिहार के पटना जिले में स्कूल जाने वाली लड़कियों को स्वस्थ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने और वंचित समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए हंगर प्रोजेक्ट (साई की रसोई)।	200	100.00%
63	स्वच्छ, किफायती सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था करके ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। उपरोक्त बुनियादी ढाँचे और कच्चे माल तथा मजदूरी के प्रावधानों के साथ, एजेंसी मेसर्स वात्सल्य फाउंडेशन द्वारा जम्मू और कश्मीर के बारामूला में प्रति माह औसतन 40,000 नैपकिन बनाती है।	1000	100.00%
64	मेसर्स परिचय फाउंडेशन द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में जरूरतमंद महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता और पौष्टिक भोजन के वितरण का प्रस्ताव।	1,50,000	100.00%
65	सिवोक रंगपो कार्यालय द्वारा राम्बी, कलिम्पोंग में ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य इकाई की स्थापना।	मात्रात्मक नहीं	मात्रात्मक नहीं

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ ज़िम्मेदारी से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

- उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।

लागू नहीं

- उन सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/या सेवाओं का टर्नओवर, जिनके बारे में जानकारी होती है।

	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	शून्य
सुरक्षित और ज़िम्मेदार उपयोग	शून्य
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	शून्य

- उपभोक्ता शिकायतों की संख्या

	वित्त वर्ष 2024-25			वित्त वर्ष 2023-24		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
डेटा गोपनीयता	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
विज्ञापन	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
साइबर सुरक्षा	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
अनुचित व्यापार व्यवहार	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
अन्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण

	संख्या	वापस बुलाने के कारण	वापस बुलाने के कारण
स्वैच्छिक वापसी	शून्य	शून्य	
जबरन वापस बुलाना	शून्य	शून्य	

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हाँ, इरकॉन के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढाँचा और एक समर्पित नीति है। यह नीति साइबर घटनाओं की विभिन्न श्रेणियों को रेखांकित करती है, संबंधित भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ निर्धारित करती है, और महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाली दुर्भावनापूर्ण साइबर घटनाओं की पहचान, उनके बारे में सूचनाओं के आदान-प्रदान, उनका जवाब देने और उनका समाधान करने की प्रक्रियाएँ स्थापित करती है। यह ढाँचा साइबर सुरक्षा घटनाओं और उल्लंघनों से निपटने के लिए एक समन्वित और गहन दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देता है।

इरकॉन की नीति भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीईआरटी-इन द्वारा विकसित 'साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना' पर आधारित है। यह योजना साइबर खतरों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखती है, जिसमें नई कमजोरियों का उभरना भी शामिल है, जिनके लिए नियमित नीतिगत अद्यतन और प्रतिक्रिया रणनीतियों की आवश्यकता होती है। इसमें महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों और सेवाओं के लिए खतरों और जोखिमों का नियमित मूल्यांकन शामिल है, और तदनुसार उपयुक्त प्रतिक्रिया और शमन उपायों का निर्धारण किया जाता है। यह नीति इरकॉन के सभी संगठनात्मक इकाइयों, जैसे कॉर्पोरेट कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और परियोजना कार्यालयों को कवर करती है, और वित्त, लेखा, मानव संसाधन, संचालन, खरीद, संयंत्र रखरखाव, अनुबंध प्रबंधन और आईटी जैसे प्रमुख व्यावसायिक कार्यों तक विस्तारित है।

इसके अतिरिक्त, इरकॉन अपने साइबर सुरक्षा ढाँचे को और मजबूत करने के लिए रेलवे बोर्ड की आईटी सुरक्षा नीति का पालन करता है।

अधिक जानकारी के लिए पॉलिसी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

https://www.ircon.org/images/file/cosecy/IRCON-Data_Privacy_Policy_V2.pdf

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई / जुर्माना।

- विज्ञापन से संबंधित मुद्दे – शून्य
- आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी – लागू नहीं
- ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता – शून्य
- उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति – लागू नहीं
- उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा लगाया गया जुर्माना/कार्रवाई – शून्य

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क. डेटा उल्लंघनों की संख्या	शून्य
ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत	शून्य
ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो	शून्य

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./—

(हरि मोहन गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(डीआईएन: 08453476)

दिनांक: 21 अगस्त, 2025

स्थान: नई दिल्ली

सीएसआर और स्थिरता पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर एवं स्थिरता नीति की संक्षिप्त रूपरेखा।

कंपनी ने एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति (सीएसआर नीति) अपनाई है जो इसके कॉर्पोरेट दृष्टिकोण और लागू नियामक ढांचे के अनुरूप है। यह नीति सीएसआर गतिविधियों की योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के सिद्धांतों, संरचनाओं और प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 10 दिसंबर, 2018 के कार्यालय ज्ञापन और 15 मार्च, 2024 के अद्यतन के अनुसार, सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को सीएसआर के लिए एक विषय-आधारित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक सीएसआर बजट का कम से कम 60% चिन्हित सामान्य विषय-वस्तु के लिए आवंटित किया जाना है, जिसमें नीति आयोग द्वारा अधिसूचित आकांक्षी जिलों में परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, डीपीई ने "स्वास्थ्य एवं पोषण" को सीएसआर गतिविधियों के लिए सामान्य विषय के रूप में नामित किया। निर्देश के अनुपालन में, कंपनी ने अपने कुल सीएसआर व्यय का 64% इस विषय से जुड़ी गतिविधियों के लिए आवंटित किया।

बोर्ड की सीएसआर समिति, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू)-स्तरीय सीएसआर समितियों द्वारा प्रस्तुत सीएसआर प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है। ये परियोजनाएँ पात्र गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के साथ पंजीकृत हैं और जिनके पास वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार वैध सीएसआर पंजीकरण संख्या है।

पीआईयू स्तर की समितियाँ भी परियोजना-स्तरीय निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल हैं और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अद्यतन जानकारी प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, जहाँ भी लागू हो, कंपनी ने संशोधित कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसार प्रभाव मूल्यांकन

अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र बाहरी एजेंसियों को नियुक्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी ने ₹14.13 करोड़ के आवंटित बजट के मुकाबले सीएसआर गतिविधियों पर कुल ₹14.15 करोड़ खर्च किए, जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत दायित्वों को पूरा किया गया।

15 आकांक्षी जिलों में सीएसआर गतिविधियाँ संचालित की गईं, जिनमें निम्नलिखित सहित कई प्रकार के हस्तक्षेप शामिल थे:

- ग्राम स्तर पर एम्बुलेंस का प्रावधान
 - स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल सुविधाओं और सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना
 - आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी-उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
 - जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना
 - वेब डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग और सौंदर्य एवं कल्याण जैसे क्षेत्रों में वंचित लड़कियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम
 - यमुना नदी की स्वच्छता पर जागरूकता अभियान
 - आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रावधान और व्हीलचेयर का वितरण
- इसके अलावा, स्वास्थ्य और पोषण विषय के अंतर्गत, कंपनी ने निम्नलिखित प्रमुख पहल कीं:

- सरकारी स्कूलों में किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन का वितरण
- आंगनवाड़ी केंद्रों को पूरक पोषण आहार की आपूर्ति
- गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जांच शिविरों का आयोजन, पोषण और नेत्र स्वास्थ्य जांच, तथा चश्मों का वितरण
- निःशुल्क ओपीडी सेवाएं, मोतियाबिंद सर्जरी और अन्य चिकित्सा शिविरों का आयोजन

कंपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, वैधानिक प्रावधानों और हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप मापनीय सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने वाली सीएसआर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएसआर और स्थिरता पर वार्षिक रिपोर्ट

2. सीएसआर समिति का गठन:

क्र. सं.	सीएसआर समिति सदस्यों के नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	श्रीमती रंजना उपाध्याय	अध्यक्ष	18-11-2021	08-11-2024
2.	श्री धनंजय सिंह	सदस्य	01-08-2022	06-11-2024
3.	श्री पराग वर्मा*	सदस्य	01-01-2023	-
4.	श्री कार्तिक चंदूलाल भद्र	अध्यक्ष	09-11-2024	28-12-2024
5.	श्री अनुपम सिंह	सदस्य	09-11-2024	-
6.	श्री आनंद भाटिया**	अध्यक्ष	04-02-2025	-

*श्री पराग वर्मा समिति के सदस्य नहीं रहे (30-04-2025 तक)

**श्री आनंद भाटिया समिति के अध्यक्ष नहीं रहे (15-05-2025 से)

श्रीमती रागिनी अडवाणी को 09-05-2025 तक सीएसआर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया और समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया (15-05-2025 तक)

श्री टी. वरदराजन को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया (15-05-2025 से)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति ने सीएसआर प्रस्तावों की समीक्षा, मूल्यांकन और अनुमोदन तथा चल रही पहलों की निगरानी के लिए चार बैठकों कीं। ये बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईं:-

- 7 जून, 2024
- 6 अगस्त, 2024
- 10 फरवरी, 2025 और
- 18 मार्च, 2025

उपरोक्त बैठकों में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तिथि				अद्वितीय बैठकों में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:	उपस्थित बैठकों की संख्या
	7 जून, 2024	6 अगस्त, 2024	10 फरवरी, 2025	18 मार्च, 2025		
श्रीमती रंजना उपाध्याय	हाँ	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	2	2
शि धनंजय सिंह	नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	2	1
श्री पराग वर्मा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	4	4
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
श्री अनुपम सिंह	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	2	2
श्री आनंद भाटिया	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	2	2

- वेब-लिक जहाँ सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं।

इन्हें निम्नलिखित वेब लिंक पर देखा जा सकता है:

- सीएसआर समिति: https://ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=604&lang=en
- सीएसआर नीति: <https://ircon.org/images/file/cosecy/UpdatedCSRPolicyjune2024.pdf>
- सीएसआर परियोजनाएं: <https://ircon.org/images/file/cosecy/Qarter2result1.pdf>

- नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का वेब-लिक सहित निष्पादन सारांश, यदि लागू हो।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई सीएसआर परियोजना नहीं है जिसका परियोजना एक करोड़ रुपये या उससे अधिक हो और जो प्रभाव अध्ययन शुरू होने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हुई हो।

- (क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: **₹7,06,27,39,783/-**

(ख) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: **₹14,12,54,796/-**

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:

सीएसआर और स्थिरता पर वार्षिक रिपोर्ट

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)-(घ)]: **₹14,12,54,796/-**

6.

(₹ में)

(क) सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय राशि (चालू परियोजनाओं और चालू परियोजनाओं के अलावा दोनों):	13,92,23,804
(ख) प्रशासनिक उपरिव्ययों में व्यय राशि:	23,00,740
(ग) प्रभाव आकलन पर व्यय राशि, यदि लागू हो:	शून्य
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [(क)+(ख)+ग):	14,15,24,544

(ई) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि।		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
11,90,21,777	2,25,02,767	24-04-2025	शून्य	शून्य	शून्य

(ई) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

(₹ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	14,12,54,796
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	14,15,24,544
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	2,69,748
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	2,69,748*

*वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपलब्ध सीएसआर के बजट से ₹2,69,748 की राशि की कटौती नहीं की जा रही है।

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण: शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाई गई हैं या अर्जित की गई हैं?

हाँ ☒ नहीं

यदि हां, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें: — 10 निर्मित परिसंपत्तियों की संख्या।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों तथा वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि से संबंधित विवरण **अनुलग्नक-1** में संलग्न हैं।

9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं: लागू नहीं

ह./-

श्री हरि मोहन गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 08453476)

ह./-

श्रीमती रागिनी अडवाणी
निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष,
सीएसआर और स्थिरता समिति
(डीआईएन 09575213)

दिनांक: 6 अगस्त, 2025

स्थान: नई दिल्ली

सीएसआर और स्थिरता पर वार्षिक रिपोर्ट

अनुलानक - 1

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का पिनकोड	निर्माण की तारीख	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाखों में)	पंजीकृत स्वामी की संस्था / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण	
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	पंजीकृत पता
1	मेसर्स द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन द्वारा गुडगांव, हरियाणा के वृद्ध श्रम में 20 केवीए के एक सौर संयंत्र के लिए अनुसंधान।	110029	31.03.2025	12.50	मेसर्स द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन	बी9, ताज अपार्टमेंट, सफरदरजंग अस्पताल के पास, रिंग रोड, नई दिल्ली, डीएल07, डीएल, 110029
2	राजीव गांधी अस्पताल शाहदरा, नई दिल्ली में 1 वॉक-इन फ्रीजर उपलब्ध कराया गया।	110093	27.03.2025	29.90	राजीव गांधी अस्पताल शाहदरा, नई दिल्ली	राजीव गांधी अस्पताल शाहदरा, ताहिरपुर, नई दिल्ली-110093
3	मेसर्स महिला उद्यमी संघ द्वारा बिहार के नालंदा जिले के हिलसा ब्लॉक के कपसियामा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का निर्माण।	801302	27.11.2024	11.58	मेसर्स महिला उद्यमी संघ	16-20, कस्तूरी देवी नगर, पोगाथोटा नेल्लोर, एपी08, एपी, 524001
4	मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ह्यूमन रिसोर्स द्वारा आकाशी जिला बारपेटा, असम में एससी एसटी लोगों के लिए मोबाइल स्वास्थ्य और पोषण देखभाल इकाई का प्रस्ताव।	781301	21.11.2024	31.37	मेसर्स उत्तर पूर्वी विकास मानव संसाधन परिषद	एनआईजेड डंडुआ, पी.ओ. डंडुआ, मोरीगांव, असम-782105
5	निराश्रितों के लिए "आश्रय" गृह के स्वास्थ्य उन्मुख वित्तपोषण के लिए परियोजना, जिनमें से अधिकांश महिलाएं विभिन्न प्रकार के पूंजीगत व्यय के कारण मानसिक रूप से परेशान हैं, मेसर्स सिस्टर्स ऑफ द डेस्टिट्यूट मानव सेवा सोसाइटी द्वारा फारुखनगर गुडगांव में स्थापित की गई है।	110029	04.02.2025	20.01	मेसर्स सिस्टर्स ऑफ द डेस्टिट्यूट मानव सेवा सोसाइटी	द्वितीय तल, एसी-7, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली, वरु09, वरु, 110027
6	मेसर्स पेंसिविफिक क्रिएटिव सोसाइटी द्वारा उत्तराखंड के देहरादून में 2 पेयजल मशीनों की स्थापना।	248001	20.02.2025	12.30	मेसर्स पेंसिविफिक क्रिएटिव सोसाइटी	बी-2/23 सफरदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
7	गरीब लोगों को कैसर, टीबी और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने और गंभीर रोगियों को एक एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से रेफरल सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर (स्वास्थ्य मेला) का प्रस्ताव। चित्रकूट, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, मेसर्स मातृभूमि विकास परिषद द्वारा।	210204	14.11.2025	30.00	मेसर्स मातृभूमि विकास परिषद	ग्राम एवं पोस्ट-महिला, कौशाबी, यूपी-212216
8	मेसर्स मनोरथ फाउंडेशन द्वारा ओडिशा के कालाहांडी के 5 स्कूलों में 5 सौर आर.ओ. वाटर कूलर स्थापित करने की आवश्यकता है।	766001	20.03.2025	30.00	मेसर्स मनोरथ सोसाइटी	ए-4/119, द्वितीय तल, आशा पार्क, शिव मंदिर, मंडावली, डीएल02, डीएल, 110092
9	मेसर्स श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्था द्वारा नालंदा जिला बिहार में लड़कों और लड़कियों के लिए हाई स्कूल शौचालय 8 मृनालय 2WC शीट का निर्माण।	803111	10.03.2025	33.60	मेसर्स श्री ज्ञान गंगोत्री विकास संस्थान	बी-70, मधु विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
10	मेसर्स राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) द्वारा सीएसआर पहल के अंतर्गत दिव्यांगजनों को 25 मोटर चालित ट्राइसाइकिलों का वितरण।	180004 / 390020	17.02.2025	16.50	मेसर्स नेशनल दिव्यांगजन फाइनैस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनडीएफडीसी)	(U/S.25), रेड क्रॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद, हरियाणा, 121007
				227.76	कुल	

फार्म एमआर-3**सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु**

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवा में

सदस्यगण,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी")

प्लॉट सी-4, जिला केंद्र साकेत,

नई दिल्ली – 110017।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएन: L45203DL1976GOI008171) (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस प्रकार किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

क. कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 (ऑडिट अवधि) को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

ख. हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, जहां तक लागू हो, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार के संबंध में;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश, जहां तक लागू हों:

- क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और उसके संशोधन;
- ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम 2018, जहाँ तक लागू हो;
- ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 2011 और उसका संशोधन;
- घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 और उसका संशोधन (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);
- ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);
- च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);
- छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 और उसका संशोधन;
- ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);

- झ) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018 के विनियम 76 की सीमा तक;
- ट) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियमन, 1993 कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में और जारी की गई प्रतिभूतियों की सीमा तक ग्राहक के साथ व्यवहार करना।
- (vi) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी ('डीपीई दिशानिर्देश')।
- (vii) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, प्रबंधन द्वारा पहचाने गए कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू कानूनों के लिए कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के तहत आवधिक प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापित किया जा रहा है।
- ग. हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:
- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और आम बैठकों (एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानक ('एसएस')।
- (ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते।
- घ. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने सामान्यतः निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:
- i) बोर्ड की संरचना 08.11.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 149(1), सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1)(ए), और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के तहत आवश्यकताओं को 01.04.2024 से 31.03.2025 तक पूरा नहीं किया गया। साथ ही, 31.12.2024 से 03.02.2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1)(सी) का भी अनुपालन नहीं किया गया।
- ii) स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 11.02.2025 और 26.03.2025 को आयोजित बोर्ड बैठकें सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(2ए) के तहत निर्धारित कोरम आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थीं।
- iii) स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव के कारण, 08.11.2024 से 31.03.2025 तक अधिनियम की धारा 177(2), सेबी (एलओडीआर) के विनियम 18(1) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया था। 28.12.2024 से 31.03.2025 तक डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.2 का भी अनुपालन नहीं किया गया।
- iv) स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 18.12.2024, 11.02.2025 और 26.03.2025 को आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकें सेबी एलओडीआर के विनियमन 18(2)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के तहत निर्धारित कोरम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाईं।
- v) 08.11.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का उचित रूप से गठन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 178(1), सेबी (एलओडीआर) के विनियम 19(1)(बी) और 19(1)(सी) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ। इसके अलावा, 28.12.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) के विनियम 19(2) का अनुपालन नहीं किया गया। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 26.03.2025 को आयोजित एनआरसी बैठक, सेबी एलओडीआर के विनियम 19(2ए) के तहत निर्धारित कोरम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई।
- vi) गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, 28.12.2024 से 31.03.2025 की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20(2ए) के अनुपालन में हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया।
- vii) जोखिम प्रबंधन समिति 28.12.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21(2) का अनुपालन नहीं कर पाई, क्योंकि निर्धारित संरचना को बनाए नहीं रखा जा सका।
- viii) बोर्ड में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 28.12.2024 से 31.03.2025 तक, अधिनियम की धारा 135(1) की आवश्यकताओं के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन नहीं किया गया।
- प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय ('प्रशासनिक मंत्रालय') द्वारा की जाती है। कंपनी नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध कर रही है।

च. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

- i) कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों और गैर-कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है, सिवाय स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में ऊपर पैरा डी(i) में उल्लिखित के। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
 - ii) बोर्ड की बैठकों के कार्यक्रम के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, इसके अलावा बोर्ड बैठक के कुछ मामलों में निदेशक मंडल की सहमति से नोटिस और एजेंडा को कम समय के नोटिस पर प्रसारित किया जाता है, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
 - iii) बोर्ड बैठकों और समिति बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है, जैसा भी मामला हो।
- छ. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उपलब्ध कराई गई जानकारी और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर ली गई अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।
- ज. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई विशेष प्रभाव डालने वाली कोई विशेष घटना/कार्रवाई नहीं हुई।

नोट:

इस रिपोर्ट को हमारे सम तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है, जो "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

वीएपी और एसोसिएट्स के लिए

कंपनी सचिवीय

एफआरएन: P2023UP098500

पीईईआर समीक्षा संख्या: 1083/2021

ह./-

पारुल जैन

प्रबंध भागीदार

सदस्य संख्या F8323

सी.पी. संख्या: 13901

यूडीआईएन: F008323G000714886

दिनांक: 04.07.2025

स्थान: गाजियाबाद

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

अनुबंध-क

सेवा में

सदस्यगण,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

इस पत्र के साथ हमारी सम तिथि की रिपोर्ट भी पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य प्रतिबिंबित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और पद्धतियाँ हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच केवल परीक्षण जाँच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
4. हमारी लेखापरीक्षा जाँच केवल कंपनी द्वारा लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है, हमने इससे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जाँच नहीं की है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता के साथ-साथ कंपनी द्वारा निर्दिष्ट कानूनों के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रकटीकरणों और रिटर्न में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की सत्यता का सत्यापन नहीं किया है, हालाँकि हमने कुछ हद तक ऐसे रिटर्न में दी गई जानकारी पर भरोसा किया है।
6. इस ऑडिट में कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि ये वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन रहे हैं और इस रिपोर्ट की सामग्री को कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखा परीक्षक/एजेंसी/प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट(ओं) में की गई टिप्पणियों, यदि कोई हों, के साथ पढ़ा जाना है, न कि उनसे अलग करके।
7. आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों सहित ऑडिट की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत बयानों या भौतिक गैर-अनुपालन का पता नहीं चल सकता है, भले ही ऑडिट ठीक से योजनाबद्ध हो और ऑडिट प्रथाओं के अनुसार किया गया हो।
8. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
9. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

वीएपी और एसोसिएट्स के लिए कंपनी सचिवीय

एफआरएन: P2023UP098500

पीईईआर समीक्षा संख्या: 1083/2021

ह./-

पारुल जैन

प्रबंध भागीदार

दिनांक: 04.07.2025

स्थान: गाजियाबाद

सदस्य संख्या F8323, सी.पी. संख्या: 13901

यूडीआईएन: F008323G000714886

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों के उत्तर और वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन

क्र. सं.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2024-25 में निहित टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
1.	बोर्ड की संरचना 08.11.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 149(1), सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(1)(ए) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के तहत 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया। साथ ही, 31.12.2024 से 03.02.2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(1)(सी) का भी अनुपालन नहीं किया गया।	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के प्रावधानों के अनुसार एक सरकारी कंपनी है। इरकॉन के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के बोर्ड में निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशकों सहित) की नियुक्ति का अधिकार है। इरकॉन के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय, रेल मंत्रालय (एमओआर) के माध्यम से की जाती है; इसलिए, सरकार द्वारा नामित किए जाने तक किसी भी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक/महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति में इरकॉन की कोई भूमिका नहीं है।

क्र. सं.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2024-25 में निहित टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
	स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 11.02.2025 और 26.03.2025 को आयोजित बोर्ड की बैठकें सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(2ए) के तहत निर्धारित कोरम आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थीं।	निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, इरकॉन नियमित रूप से रेलवे मंत्रालय से इरकॉन के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति का अनुरोध करता रहा है ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। चूँकि इरकॉन के अध्यक्ष कार्यकारी हैं, कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों के स्वीकृत पदों को ध्यान में रखते हुए, इरकॉन के बोर्ड की संरचना की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए 6 स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता है। कंपनी के बोर्ड में तीन स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति के कारण, 8 नवंबर, 2024 को एक स्वतंत्र निदेशक और 28 दिसंबर, 2024 को एक स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति के बाद, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इसके बाद, रेल मंत्रालय द्वारा नामांकन के बाद, 15 मई, 2025 से एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई और तदनुसार, बोर्ड ने कानूनी आवश्यकता के अनुसार, उक्त स्वतंत्र निदेशक को शामिल करके अपनी समितियों का पुनर्गठन किया है। इसलिए, निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित गैर-अनुपालन भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण हुआ और इस मामले में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है।
2.	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव के कारण, 08.11.2024 से 31.03.2025 तक अधिनियम की धारा 177(2), सेबी (एलओडीआर) के विनियम 18(1) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.1 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया। 28.12.2024 से 31.03.2025 तक डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.1.2 का भी अनुपालन नहीं किया गया। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 18.12.2024, 11.02.2025 और 26.03.2025 को आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकें सेबी एलओडीआर के विनियमन 18 (2) (बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के तहत निर्धारित कोरम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई।	8 नवंबर, 2024 तक, लेखा परीक्षा समिति में दो स्वतंत्र निदेशक थे और इस प्रकार यह अनुपालन में था। हालाँकि, 8 नवंबर, 2024 को तीन स्वतंत्र निदेशकों और 28 दिसंबर, 2024 को एक स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप, कंपनी के निदेशक मंडल में उपलब्ध निदेशकों के साथ लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण, 31 मार्च, 2025 तक लेखा परीक्षा समिति में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। निदेशक मंडल और इसकी समितियों की संरचना से संबंधित वैधानिक और विनियामक आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, इरकॉन नियमित रूप से रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करता रहा है कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इरकॉन के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति की जाए।
3.	08.11.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का उचित गठन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 178(1), सेबी (एलओडीआर) के विनियम 19(1)(बी) और 19(1)(सी) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, 28.12.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) के विनियम 19(2) का भी अनुपालन नहीं हुआ। स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 26.03.2025 को आयोजित एनआरसी बैठक, सेबी एलओडीआर के विनियम 19(2ए) के तहत निर्धारित कोरम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई।	8 नवंबर, 2024 तक, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) में दो स्वतंत्र निदेशकों सहित तीन अंशकालिक निदेशक थे और यह नियमों के अनुरूप था। हालाँकि, 8 नवंबर, 2024 को तीन स्वतंत्र निदेशकों और 28 दिसंबर, 2024 को एक स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप, कंपनी के निदेशक मंडल में उपलब्ध निदेशकों के साथ नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च, 2025 तक, एनआरसी में तीन गैर-कार्यकारी निदेशक थे और भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण, इसमें कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। निदेशक मंडल और इसकी समितियों की संरचना से संबंधित वैधानिक और विनियामक आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, इरकॉन नियमित रूप से रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करता रहा है कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इरकॉन के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति की जाए।

क्र. सं.	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2024-25 में निहित टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
4.	गैर-कार्यकारी/स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण 28.12.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20(2ए) के अनुपालन में हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया था।	28 दिसंबर, 2024 तक, हितधारक संबंध समिति में एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन निदेशक थे और यह नियमों के अनुरूप था। हालाँकि, 28 दिसंबर, 2024 को शेष एक स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप, कंपनी के निदेशक मंडल में उपलब्ध निदेशकों के साथ हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च, 2025 तक, हितधारक संबंध समिति में तीन निदेशक थे और भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण, इसमें कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। निदेशक मंडल और इसकी समितियों की संरचना से संबंधित वैधानिक और विनियामक आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, इरकॉन नियमित रूप से रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करता रहा है कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इरकॉन के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति की जाए।
5.	जोखिम प्रबंधन समिति 28.12.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21(2) का अनुपालन नहीं कर रही थी, क्योंकि निर्धारित संरचना को बनाए नहीं रखा जा सका।	28 दिसंबर, 2024 तक, जोखिम प्रबंधन समिति में एक स्वतंत्र निदेशक सहित 4 निदेशक थे और यह नियमों के अनुरूप था। हालाँकि, 28 दिसंबर, 2024 को शेष एक स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप, कंपनी के निदेशक मंडल में उपलब्ध निदेशकों के साथ जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च, 2025 तक, जोखिम प्रबंधन समिति में चार निदेशक थे और भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण, इसमें कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। निदेशक मंडल और इसकी समितियों की संरचना से संबंधित वैधानिक और विनियामक आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, इरकॉन नियमित रूप से रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करता रहा है कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इरकॉन के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति की जाए।
6.	बोर्ड में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, 28.12.2024 से 31.03.2025 तक अधिनियम की धारा 135(1) की आवश्यकताओं के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन नहीं किया गया था।	28 दिसंबर, 2024 तक, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन निदेशक थे और यह नियमों के अनुरूप थी। हालाँकि, 28 दिसंबर, 2024 को शेष एक स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने के परिणामस्वरूप, कंपनी के निदेशक मंडल में उपलब्ध निदेशकों के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च, 2025 तक, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में तीन निदेशक थे और भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण, इसमें कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। निदेशक मंडल और इसकी समितियों की संरचना से संबंधित वैधानिक और विनियामक आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, इरकॉन नियमित रूप से रेलवे मंत्रालय से अनुरोध करता रहा है कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इरकॉन के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति की जाए।

सादर शुभकामनाएं

ह./—

(हरि मोहन गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(डीआईएन: 08453476)

दिनांक: 21 अगस्त, 2025

स्थान: नई दिल्ली

फार्म सं- एओसी-2

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण हेतु प्रपत्र, जिसमें चौथे प्रावधान के अंतर्गत कुछ दूरस्थ लेन-देन भी शामिल हैं।

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार]

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण जो कि दूरी के आधार पर नहीं है : शून्य
2. भौतिक अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विस्तृत विवरण : निम्नलिखित अनुसार

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) और संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों की प्रकृति / व्यवस्थाएँ / लेन-देन	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें वास्तविक/अपेक्षित संविदात्मक राशि शामिल है	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	इरकॉन द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त/भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
1.	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (सीआईएन: U45400DL 2015GOI280017)	मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-46 के शिवपुरी-गुना खंड को किमी 236.000 से किमी 332.100 तक चार लेन का बनाने के लिए इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी) समझौता प्रदान किया जाना – चरण-II का कार्यान्वयन एनएचडीपी चरण-IV (चरण-II) के अंतर्गत इरकॉनएसजीटीएल द्वारा इरकॉन को डीएफबीओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) पर किया जाएगा। इसके अलावा, परियोजना राजमार्ग के प्रमुख रखरखाव (बिटुमिनस ओवरले) और तीन साल के नियमित रखरखाव का निष्पादन भी किया जाएगा।	दिनांक: ईपीसी समझौता दिनांक 30.11.2015 और परिशिष्ट-I दिनांक 18.03.2016 और परिशिष्ट-II दिनांक 22.07.2016. रखरखाव के लिए – एलओए दिनांक 22.06.2023। अवधि: अवार्ड पत्र या साइट सौंपने से 12 महीने तक, जो भी बाद में हो। रखरखाव के लिए – प्रमुख रखरखाव के लिए 12 महीने और नियमित रखरखाव के लिए 3 वर्ष। प्रमुख रखरखाव के लिए 30.06.2025 तक बढ़ाया गया।	विचारणीय: वास्तविक लागत प्लस 5% आधार। रखरखाव के लिए: ₹152.12 करोड़.	लागू नहीं	अग्रिम राशि प्राप्त – शून्य अग्रिम राशि की वापसी – ₹20.07 करोड़
2.	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (सीआईएन: U45500DL 2017GOI317401)	कर्नाटक राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनएच-48 (पुराना एनएच-4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक दावणगेरे हावेरी राजमार्ग परियोजना के इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी) अनुबंध को इरकॉन को प्रदान करना। कर्नाटक राज्य में दावणगेरे-हावेरी खंड का अल्पकालिक नियमित रखरखाव और इंजीनियरिंग सुधार।	दिनांक: ईपीसी समझौता दिनांक 04.01.2018. रखरखाव के लिए – LOA दिनांक 22.12.2023 और समझौता दिनांक 07.03.2024। अवधि: पूर्ण होने की अवधि नियत तिथि से 30 महीने या इरकॉनडीएचएचएल द्वारा भूमि हस्तांतरण की तिथि तक है, जो भी बाद में हो। इसके अलावा, इरकॉनडीएचएचएल के दिनांक 16.06.2023 के पत्र के अनुसार, 31.10.2024 तक ईओटी प्रदान किया गया है।	विचारणीय राशि: ₹916.93 करोड़, जीएसटी रखरखाव हेतु – ₹8.08 करोड़, 5: वास्तविक व्यय और जीएसटी।	लागू नहीं	शून्य

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) और संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों की प्रकृति / व्यवस्थाएँ / लेन-देन	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की अवधि	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें वास्तविक / अपेक्षित संविदात्मक राशि शामिल है	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	इरकॉन द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त / भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
			इसके अतिरिक्त, बाधित भूमि पर शेष कार्य अभी पूरा होना बाकी है, जिसके लिए प्राधिकरण/एनएचएआई से विस्तार का अनुरोध किया गया है। तदनुसार, इरकॉन को ईओटी, ईपीसी समझौते की शर्तों के अनुसार, बैक-टू-बैक आधार पर प्रदान किया जाएगा।			
3.	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (सीआईएन: U74999DL 2018GOI334028)	गुजरात राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इरकॉन-आईवीकेईएल से इरकॉन को 323+000 किमी से 355+000 किमी तक आठ लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध। वडोदरा किम एक्सप्रेसवे परियोजना में पीसीओडी (दिनांक 25.08.2022) के बाद प्रारंभिक 04 वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव कार्यों का निष्पादन।	दिनांक: ईपीसी समझौता दिनांक 09.11.2018 जैसा कि परिशिष्ट 1 दिनांक 10.08.2019 और परिशिष्ट 2 दिनांक 03.01.2020 द्वारा संशोधित किया गया। रखरखाव के लिए – एलओए दिनांक 15.05.2023। अवधि: नियत तिथि से 730 दिन की गणना करते हुए पूर्णता अवधि है। इसके अलावा, इरकॉनवीकेईएल पत्र दिनांक 27.05.2022 द्वारा 30.05.2022 तक बढ़ा दिया गया। परियोजना की अवधि को एनएचएआई और एसपीवी के बीच दिनांक 31.10.2023 को हस्ताक्षरित समझौता समझौते की शर्तों के अनुसार आगे बढ़ाया गया। बाद में, सीओडी 09.01.2024 को प्राप्त कर लिया गया। रखरखाव के लिए – पीसीओडी की तिथि से 04 वर्ष, 26.08. 2022 से प्रभावी।	प्रतिफल: ₹1,543 करोड़ जीएसटी (मूल) ₹1,760 करोड़ जीएसटी (संशोधित) रखरखाव के लिए – चार वर्षों के लिए जीएसटी और वृद्धि सहित ₹43.29 करोड़	लागू नहीं	शून्य

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) और संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों की प्रकृति / व्यवस्थाएँ / लेन-देन	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की अवधि	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें वास्तविक / अपेक्षित संविदात्मक राशि शामिल है	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	इरकॉन द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त / भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
4.	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजी आरएचएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (सीआईएन: U45309DL 2020GOI374941)	हरियाणा राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत फीडर रूट के रूप में एनएच-352 डब्ल्यू (डिजाइन लंबाई 46.110 किमी) के गुड़गांव-पटौदी-रेवाड़ी खंड के उन्नयन के कार्य के लिए इरकॉनजीआरएचएल द्वारा इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी) अनुबंध इरकॉनजीआरएचएल को प्रदान किया जाना।	दिनांक: ईपीसी समझौता दिनांक 30.06.2021 और पूरक समझौता संख्या 1 दिनांक 17.08.2022 और पूरक समझौता संख्या 2 दिनांक 30.03.2023। पूरक समझौता संख्या 3 दिनांक 14.07.2023। अवधि: नियत तिथि से 730 दिनों की अवधि में कार्य पूर्ण होगा। 4-लेन खंड के पूर्ण होने हेतु NHAI द्वारा 31.12.2025 तक की EOT स्वीकृत (15.03.2025 तक की देरी को ध्यान में रखते हुए) प्राधिकरण के साथ समझौता समझौते पर हस्ताक्षर के अधीन है। तदनुसार, NHAI और इरकॉन-जीआरएचएल (SPV) के बीच समझौता समझौता शीघ्र ही निष्पादित होने की संभावना है।	विचारणीय राशि: ₹606.054 करोड़ प्लस जीएसटी	लागू नहीं	₹46.06 करोड़ का अग्रिम प्राप्त हुआ अग्रिम की अदायगी- ₹25.51 करोड़
5.	इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन एसईएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (सीआईएन: U45309DL 2021GOI391629)	भारतमाला परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में इरकॉन-एसईएल द्वारा इरकॉन को वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के शिरसाद से अकलोली सेक्शन-एसपीयूआर में किमी 3,000 से किमी 20,200 तक आठ लेन वाले एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी) अनुबंध प्रदान किया जाना।	दिनांक: ईपीसी समझौता दिनांक 02.09.2022। अवधि नियत तिथि से 548 दिन की अवधि मानी जाएगी। 416 दिनों के लिए ईओटी स्वीकृत किया गया और 26.12.2024 को निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। संशोधित निर्धारित समापन तिथि 30.06.2025 है।	विचारणीय राशि: ₹106 0.23 करोड़ प्लस जीएसटी	लागू नहीं	अग्रिम प्राप्त हुई शून्य अग्रिम ₹26.35 करोड़ का पुर्नभुगतान

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) और संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों की प्रकृति / व्यवस्थाएँ / लेन-देन	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की अवधि	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें वास्तविक / अपेक्षित संविदात्मक राशि शामिल है	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	इरकॉन द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त / भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
6.	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएल आरएचएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (सीआईएन: U45309DL 2021GOI391675)	पंजाब राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लुधियाना बाईपास के साथ खरड़ तक जाने वाले स्पर सहित, लुधियाना-रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 250K के चार/छह लेन वाले ग्रीनफील्ड / ग्रीनफील्ड (ईपीसी) ठेका प्रदान करना। मानेवाल (लुधियाना) के निकट उत्तर पूर्व-5 गाँव के जंक्शन से भियोरा गाँव (रूपनगर) के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-205 के जंक्शन तक; पैकेज-3 (डिज़ाइन अध्याय 66+440 से डिज़ाइन अध्याय 90+500 और खरड़ तक जाने वाले स्पर डिज़ाइन अध्याय 0+000 से डिज़ाइन अध्याय 19+200 तक – कुल लंबाई = 43.26 किमी) इरकॉनएलआरएचएल से इरकॉन तक।	दिनांक: ईपीसी समझौता दिनांक 02.09.2022 अवधि: पूर्ण होने की अवधि नियत तिथि से 730 दिन मानी जाएगी। आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।	विचारणीय राशि: ₹99 3.86 करोड़ प्लस जीएसटी	लागू नहीं	शून्य
7.	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन बीएमईएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	महाराष्ट्र राज्य में भारतमाला परियोजना (चरण-II- पैकेज-XVII) के अंतर्गत इरकॉन-बीएमईएल द्वारा इरकॉन को वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे के भोज से मोरबे खंड – स्पर (SPUR) में किमी 69.800 से किमी 79.783 तक आठ लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी) अनुबंध प्रदान किया जाना।	दिनांक: ईपीसी समझौता दिनांक 02.09.2022 अवधि: नियत तिथि से 910 दिन की अवधि मानी जाएगी। आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। वर्तमान समापन तिथि: 15.10. 2025 (90 दिनों की छूट अवधि सहित)	विचारणीय राशि: ₹132 1.25 करोड़ प्लस जीएसटी	लागू नहीं	अग्रिम प्राप्त ₹15.94 करोड़ अग्रिम की अदायगी- ₹19.20 करोड़

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) और संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों की प्रकृति / व्यवस्थाएँ / लेन-देन	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की अवधि	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें वास्तविक / अपेक्षित संविदात्मक राशि शामिल है	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	इरकॉन द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त / भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
8.	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉन एचबीएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (सीआईएन: U45209DL 2022GOI392406)	उत्तराखंड राज्य में इरकॉनएचबीएल द्वारा इरकॉन को हरिद्वार बाईपास पैकेज-1 के किमी 0+000 (राष्ट्रीय राजमार्ग-58 के किमी 188+100) से किमी 15+100 (राष्ट्रीय राजमार्ग-74 के किमी 5+100) तक उन्नयन और चार लेनिंग के लिए इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी) अनुबंध प्रदान करना।	दिनांक: ईपीसी समझौता दिनांक 02.09.2022 अवधि: नियत तिथि से 730 दिन की अवधि पूरी होने की अवधि मानी जाएगी। 296 दिनों की ईओटी बिना किसी क्षति के स्वीकृत होगी, जिसमें पहले तीन माइलस्टोन शामिल होंगे। निपटान समझौते पर 15.10.2024 को हस्ताक्षर किए जाएंगे। संशोधित समापन तिथि: 19.11.2025 (90 दिनों की छूट अवधि सहित निपटान समझौते की शर्तों के अनुसार)	विचारणीय राशि: ₹78 4.58 करोड़ प्लस जीएसटी	लागू नहीं	अग्रिम प्राप्त – ₹4 करोड़ अग्रिम की अदायगी – ₹18.35 करोड़
9.	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी (सीआईएन: U45203CT 2013GOI000729)	छत्तीसगढ़ में पूर्वी कॉरिडोर रेल परियोजना के निष्पादन का कार्य सीईआरएल द्वारा इरकॉन को सौंपा गया	दिनांक: परियोजना निष्पादन समझौता दिनांक 18.01.2014 अवधि: रियायत समझौते के अनुरूप रेलवे कॉरिडोर के चालू होने तक।	इरकॉन को कार्य की वास्तविक लागत के साथ-साथ ओवरहेड्स और लाभ के लिए अनुबंध में निर्धारित प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	₹18.05 करोड़ का अग्रिम प्राप्त हुआ अग्रिम राशि का पुनर्भुगतान ₹5.34 करोड़
10.	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यू आरएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी (सीआईएन: U45203CT 2013GOI000768)	छत्तीसगढ़ में ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर रेल परियोजना के निष्पादन का कार्य CEWRL द्वारा इरकॉन को सौंपा गया	दिनांक: परियोजना निष्पादन समझौता दिनांक 05.04.2014 अवधि: रियायत समझौते के अनुरूप रेलवे कॉरिडोर के चालू होने तक।	इरकॉन को कार्य की वास्तविक लागत के साथ-साथ ओवरहेड्स और लाभ के लिए अनुबंध में निर्धारित प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	अग्रिम प्राप्त ₹311.54 अग्रिम करोड़ अग्रिम की अदायगी ₹292.51 करोड़
11.	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी (सीआईएन: U60100OR 2015GOI019349)	व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डिज़ाइन और चिन्हित परियोजना लाइनों और साइडिंग के निर्माण हेतु एमसीआरएल द्वारा इरकॉन को कार्य सौंपना।	दिनांक: परियोजना निष्पादन समझौता दिनांक 19.04.2016 अवधि: रियायत समझौते के अनुरूप रेलवे कॉरिडोर के चालू होने तक।	इरकॉन को एफआर एवं डीपीआर के लिए परियोजना की लागत का एक प्रतिशत तथा कार्य की वास्तविक लागत के साथ-साथ निर्माण के लिए ओवरहेड्स और लाभ के लिए अनुबंध में निर्धारित प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	शून्य

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) और संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	अनुबंधों की प्रकृति / व्यवस्थाएँ / लेन-देन	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की अवधि	अनुबंधों / व्यवस्थाओं / लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें वास्तविक / अपेक्षित संविदात्मक राशि शामिल है	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	इरकॉन द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त / भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
12.	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (रेसीआरएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी (सीआईएन: U45201JH 2015GOI003139)	व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डिज़ाइन और चिन्हित परियोजना लाइनों और साइडिंग के निर्माण हेतु कार्य का आवंटन, जेसीआरएल द्वारा इरकॉन को	दिनांक: परियोजना निष्पादन समझौता दिनांक 28.03.2016 अवधि: रियायत समझौते के अनुरूप रेलवे कॉरिडोर के चालू होने तक।	इरकॉन को एफआर एवं डीपीआर के लिए परियोजना की लागत का एक प्रतिशत तथा कार्य की वास्तविक लागत के साथ-साथ निर्माण के लिए ओवरहेड्स और लाभ के लिए अनुबंध में निर्धारित प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	अग्रिम प्राप्त ₹456.52 करोड़ अग्रिम की वापसी ₹394.86 करोड़
13.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी (सीआईएन: U74900CT 2016PTC007251)	व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डिज़ाइन और चिन्हित परियोजना लाइनों और साइडिंग के निर्माण हेतु बीआरपीएल द्वारा इरकॉन को कार्य सौंपना।	दिनांक: परियोजना निष्पादन समझौता 19.07.2017 को दर्ज किया गया। अवधि: रियायत समझौते के अनुरूप रेलवे कॉरिडोर के चालू होने तक।	इरकॉन को एफआर एवं डीपीआर के लिए परियोजना की लागत का एक प्रतिशत तथा कार्य की वास्तविक लागत के साथ-साथ निर्माण के लिए ओवरहेड्स और लाभ के लिए अनुबंध में निर्धारित प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	शून्य

नोट:

- उपरोक्त सभी लेन-देन इरकॉन की लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।
- उपर्युक्त लेन-देन के अलावा, एक ओर इरकॉन या उसकी किसी सहायक कंपनी और दूसरी ओर इरकॉन या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष के बीच सामान्य कारोबारी क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रत्येक अनुबंध/समझौते/लेनदेन के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित अन्य लेन-देन और व्यवस्थाएँ इस प्रकार हैं (i) मशीनरी, जनशक्ति और अन्य संसाधनों के लिए बाजार दरों पर सेवाएँ प्रदान करना या प्राप्त करना; (ii) दूरी के आधार पर स्थान को पट्टे पर देना/किराए पर लेना; और/या (iii) माल या सामग्री की बिक्री/खरीद के अप्रत्याशित लेनदेन में प्रवेश करना या दूरी के आधार पर सेवाएँ प्राप्त करना या प्रदान करना।
- उपरोक्त लेन-देन के अतिरिक्त, मध्यस्थता दावों के लिए ISTPL से प्राप्त अग्रिम राशि के रूप में ₹45 करोड़ बकाया हैं। हालाँकि, अग्रिम राशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान उचित रूप से समायोजित किया जाएगा।
- सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों आदि को दिए गए ऋण, उनमें किए गए निवेश और ऋण के संबंध में प्रदान की गई गारंटी। सदस्य वित्तीय विवरणों का संदर्भ ले सकते हैं जो IND AS-24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण और वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन को निर्धारित करते हैं।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./—

(हरि मोहन गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ

(डीआईएन: 08453476)

दिनांक: 21 अगस्त, 2025

स्थान: नई दिल्ली

स्टेंडएलोन
वित्तीय विवरण
2024-25

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2025 को बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है। और भौतिक लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों के नोट्स जिसमें उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्न शामिल हैं, अल्जीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित (इसके बाद स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित)।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण एएफ रिका, मलेशिया और श्रीलंका (भारतीय भाग) में स्थित तीन (3) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। हालांकि, हमने किसी भी विदेशी शाखा का दौरा नहीं किया है और कॉर्पोरेट स्तर पर प्रबंधन द्वारा हमें ऑडिट उद्देश्य के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान की गई थी।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित जानकारी को अपेक्षित तरीके से देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (इंड एस) और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

मूलभूत आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों (एसएसएस) के अनुसार स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों

की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा नीचे दिए गए अन्य मामले पैराग्राफ में संदर्भित अपनी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त ऑडिट साक्ष्य स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों पर जोर

स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8.1 के फुटनोट संख्या (ii) (ख) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में से एक अर्थात् भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) के वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किए गए हैं और कंपनी को आईआरएसडीसी में उसके द्वारा रखे गए निवेश के मूल्य में कोई हानि होने की उम्मीद नहीं है।

उक्त मामले के संबंध में हमारा विचार संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज़ के हमारे ऑडिट के रूप में वित्तीय विवरणों के रूप में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारे लेखापरीक्षा ने इस मामले को कैसे संबोधित किया
ग्राहकों के साथ अनुबंधों से इंड एस 115 राजस्व के संदर्भ में राजस्व मान्यता राजस्व पर लेखा मानक जो पांच चरणों के राजस्व मान्यता मॉडल को निर्धारित करता है। कंपनी प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का अनुमान लगाने के बाद समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को मान्यता देती है। राजस्व की मान्यता के लिए कार्य क्षेत्र, दावों (मुआवजा, छूट आदि) में परिवर्तन पर किए जाने वाले आकलन और निर्णय की आवश्यकता होती है। और प्रदर्शन दायित्व की सीमा तक अन्य भुगतान संतुष्ट हैं। कंपनी इनपुट विधि लागू करके प्रदर्शन दायित्व को मापता है। उन अनुबंधों में जहां प्रदर्शन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा मापा नहीं जा सकता है, आउटपुट विधि लागू की जाती है, जो प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी के प्रदर्शन को ईमानदारी से दर्शाती है। आदेश की पूर्ति के दौरान, संविदात्मक दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, परिवर्तन आदेशों या रद्दीकरण पर विचार किया जाना चाहिए। नतीजतन, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो सकती है और इसलिए अपेक्षित नुकसान की तत्काल मान्यता की आवश्यकता होती है। इंड एस 115 के लिए संस्थाओं को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। राजस्व लेखांकन मानक के आवेदन में निम्नलिखित से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं – - विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान; - पहचाने गए प्रदर्शन दायित्वों के लेनदेन मूल्य का निर्धारण; - समय पर या समय के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता। इसके अतिरिक्त, राजस्व लेखांकन मानक में प्रकटन शामिल हैं जिसमें अलग-अलग राजस्व और अवधि के संबंध में जानकारी का मिलान शामिल है, जिसमें शेष निष्पादन दायित्वों को तुलना-पत्र की तारीख के बाद पूरा किया जाएगा। इन निर्णयों से राजस्व मान्यता को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना गया था और लेखापरीक्षा प्रयास की उच्च सीमा की आवश्यकता थी। नोट सं. 39 स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए।	– हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व मान्यता लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखांकन मानकों के संदर्भ में नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल है। हमने पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। हमने अनुबंधों का एक नमूना चुना, और विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान और प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने नमूने के आधार पर डब्ल्यूआईपी बैलेंस के भीतर शामिल लागतों की भी जांच की और अनुमानित लागत के साथ समझौतों के अनुसार शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों की तुलना करके उनकी वसूली का परीक्षण किया। – हमने इस बात पर विशेष ध्यान देने के साथ राजस्व मान्यता पर निम्नलिखित ठोस प्रक्रियाओं का पालन किया कि क्या अनुबंध में एकल प्रदर्शन दायित्व या कई प्रदर्शन दायित्व हैं और क्या प्रदर्शन दायित्व समय की अवधि में या समय पर संतुष्ट हो रहा है: - इन अनुबंधों में अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों को पढ़ना, विश्लेषण और पहचाना। - इन प्रदर्शन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचाने गए और दर्ज किए गए दायित्वों के साथ की। - अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों को आवंटित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने के लिए अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया गया। - जांच की गई कि क्या प्रदर्शन दायित्व समय की अवधि में या एक समय में संतुष्ट हो रहा है। - प्रकट राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारे लेखापरीक्षा ने इस मामले को कैसे संबोधित किया
वर्तमान देयताएं कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता होती है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन निर्णय की एक महत्वपूर्ण डिग्री शामिल है। नोट सं. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में से 37, लेखांकन नीति संख्या के साथ पढ़ें 2.2.16.	हमने आकस्मिक देयताओं के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: - कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक विकास की समीक्षा। - सक्षम अधिकारियों से हाल के आदेशों और/या विभिन्न प्राधिकरणों, न्यायिक मंचों से प्राप्त संचार और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना। - चर्चाओं के माध्यम से कंपनी की सामग्री के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय वस्तु के विवरण का संग्रह, उन मुद्दों पर संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह।
सिस्टम पर्यावरण और आंतरिक नियंत्रण कंपनी के पास एसएपी प्रणाली है और पूरे संगठन में केवल एफआईसी-सीओ, पेरोल, वित्तीय नियंत्रण, मानव पूंजी प्रबंधन, कर्मचारी स्वयं सेवा/प्रबंधक स्वयं सेवा (ईएस/एमएसएस) आदि मॉड्यूल उपयोग में हैं। हालांकि, परियोजना प्रणाली (पीएस), सामग्री प्रबंधन (एमएम) और दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और कॉर्पोरेट कार्यालय सहित 07 परियोजना स्थानों पर शुरू किए गए हैं। अन्य स्थानों पर रोलआउट लागू किया जा रहा है। एसडी मॉड्यूल कॉन्फिगर किया गया है और चालान के लिए उन्नत चरण में है। कंपनी में आईटी प्रणाली पूरी तरह से स्वचालित नहीं है और वित्तीय विवरणों की तैयारी और रिपोर्टिंग में मैन्युअल हस्तक्षेप मौजूद हैं। इसके लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य और लेखापरीक्षा प्रयास की उच्च सीमा के मूल्यांकन में उच्च स्तर के लेखा परीक्षक निर्णय की आवश्यकता थी।	हमारी प्रक्रियाओं में शामिल थे लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: - आईटी वातावरण पर प्रबंधन और आईटी विभाग के साथ चर्चा करना और यह समझने के लिए प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर विचार करना कि आईटी सिस्टम वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अभिन्न अंग कहां थे। - कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों से संबंधित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के डिजाइन का परीक्षण करना। - हमने सिस्टम इंटरफेस के आसपास कंपनी के नियंत्रण का भी परीक्षण किया। - हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं लागू कीं कि जिन क्षेत्रों में मैन्युअल नियंत्रण हैं वे प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। - हमारी लेखा परीक्षा योजना और प्रक्रियाओं में विभिन्न रिपोर्ट भी शामिल हैं जो सिस्टम उत्पन्न करता है और जिसके बिना हमारे लिए बैलेंस शीट के विभिन्न प्रमुखों का डेटा एकत्र करना मुश्किल है।

स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है, और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों या हमारे दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ

भौतिक रूप से असंगत है ऑडिट या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई भौतिक त्रुटि है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन जिम्मेदारियां और शासन के लिए जिम्मेदार लोग

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, अन्य व्यापक आय सहित वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एसएस सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत कथन से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, जैसा लागू हो, चालू चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं जब तक कि निदेशक मंडल या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाएगा। गलती धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और महत्वपूर्ण मानी जाती है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप में, इनसे वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित होने यथोचित अपेक्षा हो।

लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा में हम पेशेवर निर्णयों का उपयोग करते हैं और पूरे परीक्षण के दौरान पेशेवर संशयात्मकता बनाए रखते हैं।

- स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। त्रुटि के कारण हुई गलतबयानी की अपेक्षा धोखाधड़ी से की गई गलतबयानी का पता नहीं चल पाने का जोखिम अधिक

होता है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठगांठ, जालसाजी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चूक, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण के उल्लंघन की आशंका रहती है।

- ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के क्रम में जो परिस्थितियों के अनुसार समुचित हों लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के चालू चिंता के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की निरंतर चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा प्रमाणों पर आधारित होता है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी को चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस तरह से करते हैं जो उचित प्रस्तुति प्राप्त करता है।

भौतिकता स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत बयानों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन से जुड़े लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

हम उन्हें एक वक्तव्य भी प्रदान करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है और उनके साथ ऐसे संबंधों और अन्य मुद्दों के बारे में संवाद किया है, जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी।

शासन से जुड़े मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले

- हमने कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण में शामिल चार (4) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी रुपये की कुल संपत्ति को दर्शाती है। 923.62 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु. 831.76 करोड़) 31 मार्च, 2025 तक, कुल राजस्व रु. 357.35 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु. 548.44 करोड़) और कुल पीबीटी रु. 74.63 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 112.41 करोड़), उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का ऑडिट शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी राय जहां तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से रिपोर्ट पर आधारित है। ऐसी शाखा लेखा परीक्षक।
- वित्तीय विवरणों में 0.08 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष (-) 0.08 करोड़ रुपये) का लाभ/(हानि), दो (2) एकीकृत संयुक्त संचालन (अनिगमित) खातों में कंपनी का हिस्सा शामिल है, जिनमें से अन्य फर्मों द्वारा लेखापरीक्षा किया गया है। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और लाभ / (हानि) 0.45 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु. 0.90 करोड़) एक (1) संयुक्त संचालन खातों में कंपनी का हिस्सा जिसमें से 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- संदर्भ नोट संख्या के लिए आमंत्रित किया जाता है। इंडएएस-116 और इंडएएस-117 में किए गए संशोधनों के संबंध में स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में से 46। जैसा कि प्रबंधन द्वारा बताया गया है, ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्र

सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा आवश्यक है, हम अनुबंध क में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं। आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में लागू सीमा तक।

- अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
- हमारी राय में, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित किताबें रखी गई हैं और हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त किया गया है।
- शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत ऑडिट की गई कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा ठीक से निपटा गया है।
- इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण खाते की पुस्तकों के अनुरूप है।
- हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस का अनुपालन करते हैं।
- एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164 (2) का प्रावधान अधिसूचना संख्या के अनुसार लागू नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जारी जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 5 जून 2015।
- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध ख में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 197 का प्रावधान अधिसूचना संख्या के माध्यम से लागू नहीं है। जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया।
- कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

- i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का उल्लेख किया है, जो स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों को नोट नंबर 37 का संदर्भ देते हैं।
- ii. कंपनी ने प्रावधान किया है, जैसा कि दीर्घकालिक अनुबंधों पर सामग्री के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक है, यदि कोई हो, तो स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए नोट नंबर 19.2 देखें। कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं था।

कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरण के लिए कोई राशि अपेक्षित नहीं है।

- iv. क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि नोट संख्या में उल्लेख किया गया है। 45 खातों के लिए, कंपनी द्वारा विदेशी इकाई (मध्यस्थ) सहित किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को या उसमें कोई धन अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार) नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करेगा।

ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार जैसा कि नोट संख्या में खुलासा किया गया है। 45 खातों में, विदेशी इकाई (फंडिंग पार्टियां) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कंपनी द्वारा कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उधार देगी या निवेश करेगी। फंडिंग पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करें।

ग) उन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है जिसने हमें यह विश्वास दिलाया है कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भौतिक गलत कथन शामिल है।

- v. जैसा कि लेखांकन नीति संख्या में कहा गया है। 2.2. 15 स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए

क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार लागू सीमा तक है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू सीमा तक है।

- vi. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, जिसमें टेस्ट चेक शामिल थे, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा की रिकॉर्डिंग की विशेषता है और यह पूरे वर्ष संचालित होता है। सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई उदाहरण नहीं मिला।

रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

क्र.सं	निदेश	लेखा परीक्षक के उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की सत्यनिष्ठा पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताएं।	कंपनी भारत में स्थित अपनी सभी परियोजनाओं और अपनी विदेशी शाखाओं में भी एसएपी एस/4 हना प्रणाली का उपयोग कर रही है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय बिलिंग को छोड़कर आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया गया है जिसके लिए कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं देखा गया था।
2.	क्या कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधारों/ब्याज आदि को माफ/बढ़े खाते में डालने का मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभावों का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का उचित रूप से हिसाब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	नहीं, कंपनी के पास मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बढ़े खाते में डालने के मामलों का कोई मामला नहीं है। कंपनी को ऋणदाता द्वारा बनाया गया। हालांकि, आईपीबीटीएल ऋण चुकौती अनुसूची को संशोधित किया गया है, जो ब्याज के साथ मूल राशि के अपेक्षित पुनर्भुगतान को दर्शाता है। वित्तीय विवरण में उपयुक्त लेखांकन समायोजन शामिल किया गया है।
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई धन प्राप्त/प्राप्त नहीं किया गया है।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 001770C

ह0/—

सीए मोनिका अग्रवाल

(भागीदार)

सदस्यता संख्या: 093769

यूडीआईएन: 25093769BNLMNE5949

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21 मई, 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक क

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं अनुभाग पर रिपोर्ट के तहत खंड 1 में संदर्भित) समकालीन तारीख)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और लेखा के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांचे गए खातों और अभिलेखों की पुस्तकों के अनुसार, हमने कहा कि:

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, आरओयू और निवेश संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखे हैं।

ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया था। सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक / पट्टा विलेख (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए जाते हैं) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत शामिल वित्तीय विवरण में खुलासा कंपनी के नाम पर बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार किया जाता है। हालांकि, कुछ मामलों में जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टे के समझौतों को कंपनी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया जाता है, जैसा कि नोट नंबर 07 राइट-ऑफ-यूज एसेट्स के अतिरिक्त प्रकटीकरण में खुलासा किया गया है।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ई) बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii) क) इन्वेंट्री (तीसरे पक्ष के साथ पड़े स्टॉक को छोड़कर) को वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री के संबंध में, उनके द्वारा इनकी काफी पुष्टि की गई है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन का कवरेज और

प्रक्रिया उचित है। बुक रिकॉर्ड के साथ भौतिक सत्यापन की तुलना पर इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं।

ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ii) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षा प्रदान करने में कोई निवेश नहीं किया है, सिवाय कंपनी की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश के।

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों और अन्य पार्टियों को ऋण की प्रकृति में गारंटी, असुरक्षित ऋण और अग्रिम प्रदान किया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान फर्मों, सीमित देयता भागीदारी को ऋण की प्रकृति में गारंटी या ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

क) (क) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को ऋण और गारंटी की प्रकृति में निम्नानुसार ऋण, अग्रिम दिए हैं:

(करोड़ रुपए में)

	गारंटी	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि			
—सहायक कंपनियां*	0.15	18.57	150.62
—संयुक्त उद्यम*	शून्य	शून्य	63.96
तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया शेष			
—सहायक कंपनियां	1452.97	271.90	837.45
—संयुक्त उद्यम	1712.10	शून्य	309.29

* कंपनी अधिनियम के अनुसार

(ख) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अन्य पक्षों को ऋण की प्रकृति में निम्नानुसार अग्रिम दिए हैं:

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

(₹ करोड़ में)

	ऋण धारक की प्रकृति में अग्रिम भूमिका
वर्ष के दौरान दी गई/ प्रदान की गई कुल राशि — अन्य पक्ष	0.25
तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया शेष — अन्य पक्ष	0.59

- ख) हमारी राय में किए गए निवेश और प्रदान की गई गारंटी और वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के अनुदान के नियम और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।
- ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, कंपनियों और कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के मामले में, पुनर्भुगतान की अनुसूची मूलधन और ब्याज की प्राप्ति निर्धारित की गई है और इसकी सहायक कंपनी इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) के मामले को छोड़कर चुकौती या रसीदें निर्धारित के अनुसार नियमित हैं जहां ऋण चुकौती अनुसूची को संशोधित किया गया है।
- घ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में, तुलन पत्र की तारीख के अनुसार 90 दिनों से अधिक बकाया राशि नहीं है।
- ई) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम जो वर्ष के दौरान देय हो गया है, उसे नवीनीकृत या विस्तारित नहीं किया गया है या समान पक्षों को दिए गए

मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नए ऋण दिए गए हैं।

- च) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी नियम या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना या तो मांग पर चुकाने योग्य ऋणों की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए खंड 3(iii)(एफ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- (v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
- (vi) कंपनी की सड़क एवं अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों के रखरखाव का उल्लेख किया गया है। हमने अभिलेखों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मानना है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और अभिलेख बनाए और अनुरक्षित किए गए हैं। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए अभिलेखों की कोई विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।
- (vii) क) कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य लागू वैधानिक देय राशियों सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं होता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31.03.2025 तक कोई भी अविवादित वैधानिक बकाया नहीं है जो देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया हो।

क्र. सं.	मूर्ति का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (करोड़)*	वह अवधि जिससे संबंधित राशियाँ	फोरम जहां विवाद लंबित है
1	बिक्री कर	बिक्री कर—एजीआरपी	0.39	2007-08 से 2012-13	यूपी वाणिज्यिक कर, अपीलीय न्यायाधिकरण—II, गाजियाबाद
2	बिक्री कर	प्रवेश कर— एजीआरपी	0.01	2008-09 से 2013-14	यूपी वाणिज्यिक कर, अपीलीय न्यायाधिकरण—II, गाजियाबाद
3	बिक्री कर	यूपी व्यापार कर यूपी-01	3.89	2004-05 से 2007-08	उपायुक्त वाणिज्यिक कर (मूल्यांकन प्राधिकरण), खंड-9 बरेली, यूपी
4	बिक्री कर	यूपीटीटी —यूपी-01 (प्रवेश कर)	0.16	2007-08	उपायुक्त वाणिज्यिक कर (मूल्यांकन प्राधिकरण), खंड-9 बरेली, यूपी
5	बिक्री कर	यूपीवेट एक्ट—यूपी —01	3.41	2007-08 और 2008-09	उपायुक्त वाणिज्यिक कर (मूल्यांकन प्राधिकरण), खंड-9 बरेली, यूपी
6	बिक्री कर	यूपीवेट एक्ट—यूपी-01 (प्रवेश कर)	0.15	2007-08 से 2009-10	उपायुक्त वाणिज्यिक कर (मूल्यांकन प्राधिकरण), खंड-9 बरेली, यूपी

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

क्र. सं.	मूर्ति का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (करोड़)*	वह अवधि जिससे संबंधित राशियाँ	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
7	बिक्री कर	यूपीवेट एक्ट-यूपी -01	0.01	2010-11	उपायुक्त वाणिज्यिक कर (मूल्यांकन प्राधिकरण), खंड-9 बरेली, यूपी
8	बिक्री कर	बिक्री कर-बीई-08	0.26	2007-08 से 2009-10	अतिरिक्त आयुक्त अपील, नोएडा
9	बिक्री कर	बिक्री कर-बीई-08 प्रवेश कर	0.003	2014-15	अतिरिक्त आयुक्त अपील, नोएडा
10	बिक्री कर	यूपीटीटी -05	1.31	2006-07 से 2007-08	अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम अपील), झांसी, यूपी
11	बिक्री कर	यूपीटीटी-05	0.01	2005-06	उच्च न्यायालय इलाहाबाद
12	बिक्री कर	यूपीवेट एक्ट-यूपी -05	3.27	2007-08 से 2009-10	अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम अपील), झांसी, यूपी
13	बिक्री कर	बिक्री कर 2010-11 की बढ़त	0.05	2010-11	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मार्गोआ, गोवा
14	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए बढ़ी मांग	0.08	1982-83 और 1989-90	अपीलीय प्राधिकरण, उपायुक्त, झांसी, यूपी
15	बिक्री कर	बिक्री कर जीईडी गोवा	0.50	2011-12 से 2014-15	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मार्गोआ, गोवा
16	बिक्री कर	मांग बढ़ी	1.19	2006-07	वाणिज्यिक कर अपीलीय न्यायाधिकरण चंडीगढ़
17	सेवा कर	सेवा कर मांग	0.55	2015-16 to 2017-18	सीईएसटीएटी इलाहाबाद
18	सेवा कर	सेवा कर मांग	0.56	2015-16	आयुक्त अपील, जोधपुर 342003, राजस्थान
19	उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948	अप बिक्री कर - धारा 3 केएचए	1.24	2005-06 और 2006-07	वाणिज्यिक कर अपीलीय न्यायाधिकरण, कानपुर बेंच, यूपी के समक्ष लंबित अपील
20	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008	यूपी वैट (नियमित) धारा 28(2)	0.12	2015-16 से 2017-18	निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत समायोजन पत्र- उपायुक्त वाणिज्यिक कर, नोएडा उत्तर प्रदेश
21	उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948	यूपी एंटी टैक्स जीबी नगर	0.05	2002-03 और 2003-04	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
24	जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	14.36	1999-00 से 2005-06	जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू और उपायुक्त वाणिज्यिक बिक्री कर (अपील), श्रीनगर
25	बिक्री कर एमआरओ	बिक्री कर एमआरओ	3.51	1995-96 और 1996-97	बॉम्बे उच्च न्यायालय
26	बिक्री कर-एमआरओ	बिक्री कर एमआरओ	3.97	2010-11 और 2011-12	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर अपील, मुंबई
30	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	ब्रैकेट / कैटिलीवर विधानसभाओं पर उत्पाद शुल्क लगाना	0.66	1998-99	सीईएसटीएटी (विभाग) अपील)

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

क्र. सं.	मूर्ति का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (करोड़)*	वह अवधि जिससे संबंधित राशियाँ	फोरम जहां विवाद लंबित है
31	डीजीएफटी मामले एफडीटीआर अधिनियम, 1992	ड्यूटी ड्राबैक	2.89	1991-1992	दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील
32	सीजीएसटी अधिनियम	जीएसटी जुर्माना	0.19	2017-18 से 2020-21	आयुक्त अपील (ii), केंद्रीय माल और सेवा कर, जनकपुरी नई दिल्ली
33	सेवा कर	एजेंसी फीस पर सेवा कर	12.91	2010-11 से 2014-15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
34	सेवा कर	एजेंसी फीस पर सेवा कर	5.60	2009-10 से 2013-14	भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली
35	सेवा कर	एजेंसी फीस पर सेवा कर	2.06	2016-17 से 2017-18	सीईएसटीएटी, कोलकाता
36	बिहार वैट अधिनियम	वैट टीडीएस	3.98	2005-06 और 2006-07	वाणिज्यिक कर (अपील) केंद्रीय प्रभाग पटना के संयुक्त आयुक्त का कार्यालय
37	बिहार वैट अधिनियम	वैट	0.003	2010-11	वाणिज्यिक कर (अपील) केंद्रीय प्रभाग पटना के संयुक्त आयुक्त का कार्यालय
38	बिहार वैट अधिनियम	वैट	29.20	2012-13	संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील) केंद्रीय प्रभाग पटना का कार्यालय और पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका
39	बिहार वैट अधिनियम	बिहार वैट	33.46	2013-14	पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर
40	बिहार वैट अधिनियम	बिहार वैट	25.54	2014-15	पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर
41	सेवा कर	सेवा कर	2.16	2015-16	सीईएसटीएटी, कोलकाता
42	बिहार वैट अधिनियम 2005	धारा 31 के अधीन नियमित निर्धारण	0.92	2015-16	संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील) केंद्रीय प्रभाग पटना का कार्यालय और पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका
43	सेवा कर	सेवा कर जगदलपुर	2.84	2016-17 से 2017-18	केंद्रीय और सीमा शुल्क अपील आयुक्त, छत्तीसगढ़ के समक्ष दायर अपील
44	बिहार वैट अधिनियम 2005	धारा 31 के अधीन नियमित निर्धारण	19.63	2016-17	संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (अपील) केंद्रीय प्रभाग पटना का कार्यालय और पटना उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका
45	यूपी वैट	यूपी वैट (नियमित) धारा 28(2)	0.54	2012-13	उपायुक्त, रायबरेली सेक-2, यूपी
46	यूपी वैट	यूपी वैट (नियमित) धारा 28(2)	19.35	2013-14	उपायुक्त, रायबरेली सेक-2, यूपी
47	यूपी वैट	यूपी वैट (नियमित) धारा 28(2)	1.85	2017-18	उपायुक्त, रायबरेली सेक-2, यूपी
48	आयकर अधिनियम	मांग के निशान	0.03	2007-08 से 2024-25	टीडीएस सीपीसी, आयकर भवन, सेक-3 वैशाली, गाजियाबाद

*जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है और हमारे द्वारा भरोसा किया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

- (viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं किया गया था या आय के रूप में प्रकट किया गया था।
- (ix) क) कंपनी ने ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या किसी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- ख) कंपनी को किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- ग) कंपनी के पास कोई सावधि ऋण नहीं था जिसका उपयोग वर्ष के दौरान बकाया था और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (x) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- घ) कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच करने पर, हमने बताया कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक निधि नहीं जुटाई है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- ई) कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के दायित्वों के कारण या पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।
- च) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यम कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों की प्रतिज्ञा पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (x) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xi) क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।
- ग) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते हुए वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त विसलब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।
- (xii) कंपनी निधि नियम, 2014 में निर्दिष्ट निधि कंपनी नहीं है। इस प्रकार, आदेश के पैरा 3 (xii) (क), (ख) और (ग) के तहत आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और वित्तीय विवरणों आदि के नोटों में विवरण का खुलासा किया गया हो, जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।
- (xiv) क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।
- ख) हमने लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान हमारी राय में कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- (xvi) क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xvi) (क) लागू नहीं हैं।
- ख) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां नहीं की हैं।
- ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3 (xvi) (सी) लागू नहीं है।
- घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार समूह के एक भाग के रूप में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित किया गया है), इसलिए, खंड 3 (xvi) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। (डी) आदेश लागू नहीं है।
- (xvii) कंपनी को वर्तमान में और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है। इसलिए, आदेश का खंड 3 (xviii) लागू नहीं है।
- (xix) वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान के आधार पर और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं। हालांकि, हम यह सूचित करते हैं कि यह कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन नहीं है। इसके अलावा, हम सूचित करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम इस बात की कोई गारंटी या आश्वासन नहीं देते हैं कि तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताएं, उनके देय होने पर कंपनी द्वारा पूरे किए जाएंगे।

(xx) क) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे

परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता वाली चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अखर्च राशि नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3 (xx) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) चल रही परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों की अवधि के भीतर तुलन पत्र की तारीख के अनुसार अव्ययित सीएसआर राशि को एक विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिया है।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 001770C

ह0/—

सीए मोनिका अग्रवाल

(भागीदार)

सदस्यता संख्या: 093769

यूडीआईएन: 25093769BNLMNE5949

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21 मई, 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के
खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2025 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए। इन मानक एवं मार्ग-दर्शननोट की अपेक्षा के अनुसार हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और इस बारे में औचित्य पूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाते हैं एवं लेखा परीक्षण करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गये हैं तथा उसे बनाये रखा गया है या नहीं, और यदि ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित किए गये हों।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त

करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिसमें नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी वजह से वित्तीय गलतियां हो जाने जैसी घटना घट जाए और उसका पता नहीं भी लग सकता है। इसके अलावा, भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव का कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

के स्तर के कारण क्षीण हो सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। 31 मार्च, 2025, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर। हालांकि, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2025 को पहचाने गए निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

कंपनी के पास एक एकीकृत ईआरपी प्रणाली है जिसका उपयोग उसकी पूर्ण क्षमता पर नहीं किया गया था। इसके अलावा, परियोजना

प्रणाली (पीएस), सामग्री प्रबंधन (एमएम) और दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और कॉर्पोरेट कार्यालय सहित 07 परियोजना स्थानों पर शुरू किए गए हैं। अन्य स्थानों पर रोलआउट लागू किया जा रहा है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (प) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह शाखाओं से संबंधित है, अन्य लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में पहचाने गए क्षेत्रों पर विचार किया है और ये क्षेत्र कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 001770C

ह0/-

सीए मोनिका अग्रवाल

(भागीदार)

सदस्यता संख्या: 093769

यूडीआईएन: 25093769BNLMNE5949

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21 मई, 2025

स्टैंडएलोन तुलन पत्र

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
I. संपत्ति			
1 गैर-तात्कालिक परिसंपत्ति			
(क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	3	209.22	185.21
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	33.66	6.56
(ग) संपत्ति में निवेश करे	5	541.98	543.07
(घ) अमूर्त संपत्ति	6	8.27	8.90
(ङ.) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	6	-	-
(च) उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ	7	6.28	6.59
(छ) वित्तीय पूंजी	8		
(i) निवेश	8.1	2,444.31	2,275.88
(ii) ऋण	8.2	246.16	279.10
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8.3	36.69	39.38
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	9	141.15	123.33
(झ) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10	273.62	347.87
कुल गैर – मौजूदा संपत्तियाँ		3,941.34	3,815.90
2 वर्तमान संपत्ति			
(क) सूची	11	90.51	42.64
(ख) वित्तीय पूंजी	12		
(i) निवेश	12.1	410.70	563.51
(ii) व्यापार प्राप्त	12.2	1,649.31	946.46
(iii) नकद और नकद समकक्ष	12.3	1,977.85	1,828.88
(iv) अन्य बैंक बैलेंस	12.4	2,146.06	2,600.25
(v) ऋण	12.5	27.54	35.80
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12.6	2,152.70	1,837.27
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	13	89.09	50.47
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	2,015.84	2,362.96
		10,559.60	10,268.24
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियाँ	15	-	-
कुल मौजूदा संपत्तियाँ		10,559.60	10,268.24
कुल संपत्ति		14,500.94	14,084.13
II. इक्विटी और देयता			
1 हिस्सेदारी			
क इक्विटी शेयर पूंजी	16	188.10	188.10
ख अन्य इक्विटी	17	6,049.33	5,583.66
कुल इक्विटी		6,237.43	5,771.76

स्टैंडएलोन तुलन पत्र

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
2 देयताएं			
(i) गैर मौजूदा देनदारियां			
क वित्तीय देनदारियाँ	18		
(i) पट्टा देयताएं	18.1	2.51	2.52
(ii) व्यापार प्राप्य	18.2		
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		-	-
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18.3	561.49	758.29
ख प्रावधानों	19	204.78	142.37
ग अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	20	862.39	940.48
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		1,631.17	1,843.66
(ii) वर्तमान देनदारियां			
क वित्तीय देनदारिया	21		
(i) पट्टा देयताएं	21.1	0.88	0.72
(i) व्यापार देयताएं	21.2		
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		33.71	3.73
- सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		1,191.18	850.64
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	21.3	2,737.21	2,792.81
ख अन्य वर्तमान देनदारियां	22	2,396.69	2,500.76
ग प्रावधानों	19	264.17	261.20
घ वर्तमान कर देयता (शुद्ध)	23	8.50	58.85
कुल वर्तमान दायित्व		6,632.34	6,468.71
कुल शेयर और देनदारियां		14,500.94	14,084.13
III. सामग्री लेखांकन नीतियों की जानकारी का सारांश	2		
IV. वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स	1 - 48		

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 001770C

ह0/-
मोनिका अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 093769

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई 2025

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-
रागिनी अडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09575213

ह0/-
एलिन रॉय चौधरी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-
हरि मोहन गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डीआईएन-08453476

ह0/-
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 8874

स्टेंडएलोन लाभ और हानि विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
I. आय :			
परिचालन से राजस्व	24	10,193.14	11,950.40
II. अन्य कमाई	25	484.31	437.45
III. कुल आय (I + II)		10,677.45	12,387.85
IV. खर्च:			
उपभोग की गई सामग्री और भंडार	26 (i)	663.39	531.55
(वृद्धि / WIP में कमी	26 (ii)	-	49.76
परियोजना व्यय	26 (iii)	8,731.99	10,217.32
कर्मचारी लाभ व्यय	27	256.24	307.09
वित्त लागत	28	7.41	9.61
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	29	38.25	36.21
अन्य खर्चों	26 (iii)	62.36	80.77
कुल व्यय (IV)		9,759.64	11,232.31
V. असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III-IV)		917.81	1,155.54
VI. असाधारण वस्तुएँ		-	-
VII. कर से पहले लाभ (v+vi)		917.81	1,155.54
VIII. कर व्यय:			
(1) वर्तमान कर	9		
- अवधि के लिए		222.35	298.77
- पिछले वर्षों के लिए (शुद्ध)		(24.32)	2.60
(2) आस्थगित कर (शुद्ध)		(17.81)	(8.73)
कुल कर व्यय		180.22	292.64
IX सतत संचालन से वर्ष के लिए लाभ (VII-VIII)		737.59	862.90
X अन्य व्यापक आय	30		
क) (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		0.09	1.77
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(0.02)	(0.45)
ख) (i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		7.31	(2.44)
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(1.84)	0.61
		5.54	(0.51)
XI वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (वर्ष के लिए लाभ/अन्य वृहत आय, कर का निवल)		743.13	862.39
XII प्रति इक्विटी शेयर आय:			
(निरंतर प्रचालन हेतु)			
(1) मूल (₹ में)	35	7.84	9.17
(2) विलयित (₹ में)		7.84	9.17
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (? में)		2.00	2.00
XIII सामग्री लेखांकन नीतियों की जानकारी का सारांश	2		
XIV वस्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स	1 - 48		

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 001770C

ह0/-

मोनिका अग्रवाल

भागीदार

सदस्यता संख्या: 093769

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 21 मई 2025

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-

रागिनी अडवाणी

निदेशक (वित्त)

डीआईएन-09575213

ह0/-

एलिन रॉय चौधरी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-

हरि मोहन गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

और सीईओ

डीआईएन-08453476

ह0/-

प्रतिभा अग्रवाल

कंपनी सचिव

एफसीएस नं. 8874

स्टैंडएलोन रोकड प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर से पहले का लाभ		917.81	1,155.54
इसके लिए समायोजन:			
वित्तीय साधनों के समापन पर ब्याज (शुद्ध)		(16.26)	(16.31)
वित्तीय साधनों का परिशोधन (शुद्ध)		(0.37)	(0.02)
मूल्यहास, परिशोधन और हानि		38.25	36.21
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)		(0.04)	(0.37)
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ		(49.25)	(27.64)
वित्तीय लागत		5.70	8.57
म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ/हानि		(1.01)	(2.71)
ब्याज आय		(263.38)	(231.20)
सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनी से प्राप्त लाभांश		(111.33)	(72.00)
विनिमय लाभ/हानि का लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकरण		-	13.04
विदेशी मुद्रा नकदी और नकद समकक्षों के अनुवाद पर विनिमय अंतर का प्रभाव		(21.66)	14.42
चालू/गैर-चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों से पहले परिचालन लाभ	(1)	498.46	877.53
इसके लिए समायोजन:			
दापार प्राप्ति में कमी / (वृद्धि)		(702.85)	(77.73)
इन्वेंटरी में कमी / (वृद्धि)		(47.88)	40.11
ऋण, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों में (कमी) / वृद्धि		101.90	(163.99)
व्यापार देयताओं में (कमी) / वृद्धि		370.52	42.95
अन्य देनदारियों, वित्तीय देनदारियों और प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि		(391.49)	(14.92)
	(2)	(669.80)	(173.58)
परिचालन से उत्पन्न नकदी	(1+2)	(171.34)	703.95
भुगतान किया गया आयकर		(270.25)	(419.37)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(क)	(441.59)	284.58
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद		(71.30)	(33.92)
अमूर्त परिसंपत्तियों और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण		(3.71)	(0.85)
निवेश संपत्ति की खरीद/आय		(11.28)	(2.58)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की बिक्री		0.96	0.86
म्यूचुअल फंड की बिक्री		10,631.21	7,975.66
म्यूचुअल फंड की खरीद		(10,304.45)	(8,507.31)
सरकारी सुरक्षा की खरीद		-	(1.51)
सरकारी सुरक्षा की बिक्री		1.51	-
सहायक कंपनियों को ऋण		(16.63)	-
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से ऋण की चुकोती		74.58	52.24
प्राप्त ब्याज		275.85	220.05
सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनी से प्राप्त लाभांश		111.33	72.00
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश		(293.57)	(242.39)
बांडों का मोचन		-	100.00
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा बैंक बैलेंस		454.20	42.14
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(ख)	848.70	(325.61)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
पट्टा देनदारियों का भुगतान		(1.00)	(0.87)
भुगतान की गई वित्तीय लागत		(1.34)	(1.06)
अंतिम लाभांश का भुगतान		(122.27)	(112.86)
अंतरिम लाभांश का भुगतान		(155.19)	(169.29)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(ग)	(279.80)	(284.08)
विदेशी मुद्रा नकदी और नकद समकक्षों के अनुवाद पर विनिमय अंतर का प्रभाव	(घ)	21.66	(14.42)
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि	(क+ख+ग+घ)	148.97	(339.53)

स्टैंडएलोन रोकड प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
नकद और नकद समकक्ष (प्रारम्भिक) (नोट 2, 5 देखें)	(ई)	1,828.88	2,168.41
नकद और नकद समकक्ष (समापन) (नोट 22, 5 देखें)	(एफ)	1,977.85	1,828.88
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(एफ-ई)	148.97	(339.53)

टिप्पणी:

- उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण नकदी प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) – 7 में निर्धारित "अप्रत्यक्ष विधि" के तहत तैयार किया गया है।
- उपरोक्त स्टैंडएलोन नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समकक्षों तथा नकदी और नकदी समकक्षों के घटकों का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
मेरे पास नकदी है	0.05	0.05
पारगमन में धन प्रेषण	-	-
बैंकों के पास शेष:		
— चालू खातों पर	592.75	567.56
— फ्लेक्सी खाते	212.41	376.80
— 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	1,172.64	884.47
तुलन-पत्र और नकदी प्रवाह के स्टैंडएलोन विवरण के अनुसार कुल नकदी और नकदी समकक्ष	1,977.85	1,828.88

- वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए बैलेंस शीट में आरंभिक और समापन शेष के बीच समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पट्टा देयताएं
1 अप्रैल, 2023 तक	0.51
(क) वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(0.87)
(ख) गैर नकद परिवर्तन के कारण:	
— पट्टा देयता में वृद्धि	3.32
— पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत	0.28
31 मार्च, 2024 तक	3.24
(क) वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(1.00)
(ख) गैर नकद परिवर्तन के कारण:	
— पट्टा देयता में वृद्धि	0.88
— पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत	0.27
31 मार्च, 2025 तक	3.39

- पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है तथा जहां भी लागू हो, पुनः प्रस्तुत किया गया है।
- निर्धारित एवं प्रतिबंधित शेष राशि का उल्लेख नोट 12.3 एवं 12.4 में किया गया है।
- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी के बहिर्वाह को दर्शाते हैं।

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 001770C

ह0/—

मोनिका अग्रवाल

भागीदार

सदस्यता संख्या: 093769

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 21 मई 2025

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह0/—

रागिनी अडवाणी

निदेशक (वित्त)

डीआईएन-09575213

ह0/—

एलिन रॉय चौधरी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/—

हरि मोहन गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

और सीईओ

डीआईएन-08453476

ह0/—

प्रतिभा अग्रवाल

कंपनी सचिव

एफसीएस नं. 8874

स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	मात्रा
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	188.10
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	188.10
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	188.10

बी. अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	भंडार और अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन रिजर्व	किसी विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	3,333.71	1,642.52	4.93	9.21	4,990.37
वर्ष के लिए लाभ	-	862.90	-	-	862.90
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	1.32	-	-	1.32
विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर	-	-	-	(1.82)	(1.82)
विनिमय हानि को लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया गया	-	-	-	13.04	13.04
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	864.22	-	11.22	875.44
लाभांश भुगतान	-	(282.15)	-	-	(282.15)
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	3,333.71	2,224.59	4.93	20.43	5,583.66

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	भंडार और अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन रिजर्व	किसी विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	3,333.71	2,224.59	4.93	20.43	5,583.66
वर्ष के लिए लाभ	-	737.59	-	-	737.59
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	0.07	-	-	0.07
विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर	-	-	-	5.47	5.47
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	737.66	-	5.47	743.13
लाभांश भुगतान	-	(277.46)	-	-	(277.46)
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	3,333.71	2,684.79	4.93	25.90	6,049.33

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 001770C

ह0/-

मोनिका अग्रवाल

भागीदार

सदस्यता संख्या: 093769

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 21 मई 2025

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-

रागिनी अडवाणी

निदेशक (वित्त)

डीआईएन-09575213

ह0/-

एलिन रॉय चौधरी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-

हरि मोहन गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

और सीईओ

डीआईएन-08453476

ह0/-

प्रतिभा अग्रवाल

कंपनी सचिव

एफसीएस नं. 8874

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

1. कॉर्पोरेट जानकारी

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है, जिसका मुख्य ध्यान अधोसंरचना परियोजनाओं पर केंद्रित है। यह कंपनी भारत में पंजीकृत (सीआईएन: L45203DL1976GOI008171) है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित की गई है। कंपनी रेलवे परियोजनाओं के टर्नकी आधार पर तथा अन्य प्रकार से क्रियान्वयन में विशेषज्ञता रखती है। रेलवे निर्माण कंपनी के रूप में व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद, कंपनी ने क्रमशः सड़कों, भवनों, विद्युत उपकेंद्र एवं वितरण प्रणाली, हवाई अड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मेट्रो रेल कार्यों में विविधीकरण किया है। कंपनी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों को सेवा प्रदान करती है। यह कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाणित है; एक अनुसूची 'क' सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और नवरत्न कंपनी के रूप में दर्ज है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 में स्थित है तथा इसके शेयर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।

कंपनी की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है। वित्तीय विवरणों में आंकड़े करोड़ में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन्हें दो दशमलव तक गोल किया गया है (शेयर प्रति आंकड़े और अन्य निर्दिष्ट अपवादों को छोड़कर)।

स्वतंत्र वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक में 21 मई 2025 को निर्गम हेतु स्वीकृत किया गया है।

2 सामग्री लेखांकन नीतियां सूचना

2.1 तैयारी का आधार

(i) अनुपालन का विवरण

कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भव प्रणाली का अनुसरण करते हुए और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार जारी व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) शामिल हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए (समय-समय पर संशोधित) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन II की प्रस्तुति आवश्यकताएं, (इंड एस अनुसूची III का अनुपालन करती हैं), जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होता है।

(ii) माप का आधार

निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है, ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

- प्रावधान, जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है
- उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां
- परिभाषित लाभ योजनाएं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.2 भौतिक लेखांकन नीतियों की जानकारी का सारांश

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सुसंगत रूप से लागू किया गया है।

2.2.1 चालू बनाम गैर-चालू वर्गीकरण

प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद और नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच शामिल समय के आधार पर, कंपनी ने तुलन पत्र में वर्तमान और गैर-वर्तमान के रूप में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र के रूप में बारह महीने का निर्धारण किया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शुरू में उनकी लागत पर बताए गए हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत में शामिल हैं:

- क) व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद करों सहित इसकी खरीद मूल्य;
- ख) परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लागत, जो परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में खर्च होती है।
- ग) निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को अप्रत्यक्ष निर्माण लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस हद तक व्यय सीधे निर्माण से संबंधित है या इसके लिए आकस्मिक है।
- घ) वस्तुओं को नष्ट करने और हटाने और साइट को मूल स्थिति में बहाल करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, जिस पर यह स्थित है यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

फ्रीहोल्ड भूमि को ऐतिहासिक लागत पर ले जाया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को बाद में संचित मूल्यह्रास और

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

संचित हानि हानि, यदि कोई हो, के शुद्ध लागत पर मापा जाता है। बाद की लागतों को राशि ले जाने वाली परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है या एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि उचित है, केवल तभी जब यह संभव हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। यदि मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है तो प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, दीर्घकालिक निर्माण परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत को पूंजीकृत किया जाता है।

मूल्यहास की गणना संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं की लागत पर उनके अनुमानित अवशिष्ट मूल्यों को कम करके की जाती है और लाभ और हानि के विवरण पर शुल्क लगाया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर संपत्ति पर मूल्यहास, संयंत्र और उपकरण, स्थायी पट्टे पर अधिग्रहित फ्रीहोल्ड भूमि और लीजहोल्ड भूमि को छोड़कर, सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है। हालांकि, कुछ वर्ग की परिसंपत्तियों के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित जीवन की तुलना में विभिन्न उपयोगी जीवन का उपयोग करती है। उपयोगी जीवन का मूल्यांकन तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया गया है, संपत्ति के उन वर्गों की प्रकृति, संपत्ति से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग को ध्यान में रखते हुए। कंपनी अधिनियम, 2013 की तकनीकी मूल्यांकन अर्थात् अनुसूची II के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन का खुलासा नोट्स टू अकाउंट्स में किया गया है। अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्तियों की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के प्रत्येक हिस्से का अलग से मूल्यहास किया जाता है यदि वस्तु की कुल लागत के संबंध में भाग की लागत महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है।

अवधि के दौरान अर्जित संपत्ति संयंत्र और उपकरण, व्यक्तिगत रूप से ₹5000/- तक की लागत का आरई रखकर पूरी तरह से मूल्यहास किया जाता है। पहचान के लिए टोकन मूल्य के रूप में। हालांकि, कर्मचारियों को प्रदान किए गए मोबाइल फोन को इसके मूल्य के बावजूद लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास के तरीकों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

निपटान पर लाभ और हानि वहन राशि के साथ आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के भीतर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर है

“संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो रिपोर्टिंग तिथि पर अपने

इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, उन्हें “प्रगति में पूंजीगत कार्य” के रूप में प्रकट किया जाता है।” प्रगति में पूंजी कार्य कम संचित हानि हानि, यदि कोई हो, की लागत पर किया जाता है। लागत में प्रत्यक्ष लागत और संबंधित आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

2.2.4 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्ति में पूर्ण संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति शामिल है। निवेश संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। बाद में निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यहास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, पर कहा जाता है। यदि मान्यता मानदंड पूरा हो जाता है तो बाद की लागत जोड़ी जाती है। कंपनी मूल खरीद/निर्माण पूरा होने की तारीख से 60 वर्षों में सीधी रेखा के आधार पर निवेश संपत्ति के भवन घटक का मूल्यहास करती है। शाश्वत पट्टे पर ली गई पट्टा भूमि को परिशोधित नहीं किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यहास विधियों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

हालांकि कंपनी लागत-आधारित माप का उपयोग करके निवेश संपत्ति का माप करती है, निवेश संपत्ति का उचित मूल्य नोटों में प्रकट किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल लागू करने वाले एक मान्यता प्राप्त बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित उचित मूल्य।

निपटान पर लाभ और हानि वहन राशि के साथ आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के भीतर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

2.2.5 अमूर्त संपत्ति

अमूर्त परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है। तुलन पत्र की तारीख को आशयित उपयोग के लिए तैयार न की गई अमूर्त आस्तियों का प्रकटन अमूर्त आस्तियों के रूप में किया जाता है।

इसके बाद, अमूर्त संपत्ति कम संचित परिशोधन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, की लागत पर की जाती है। प्रत्येक मामले में ₹1 लाख तक की सॉफ्टवेयर लागत को पहचान के लिए ₹1 को टोकन मूल्य के रूप में रखकर खरीद की अवधि में पूरी तरह से परिशोधित किया जाता है।

पूंजीकृत सॉफ्टवेयर की लागत को इसके अधिग्रहण की तारीख से 36 महीने की अवधि में परिशोधित किया जाता है। अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्तियों की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

निपटान पर लाभ और हानि वहन राशि के साथ आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के भीतर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

2.2.6 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है कि क्या हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि हानि की सीमा (यदि कोई हो) निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

यदि ऐसी परिसंपत्तियों को बिगड़ा हुआ माना जाता है, तो लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा संपत्ति का वहन मूल्य परिसंपत्ति की अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है।

2.2.7 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी उपकरणों में निवेश

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी लिखतों में निवेश इंड एस 27 अलग-अलग वित्तीय विवरणों के अनुसार लागत पर बताया गया है। जहां किसी निवेश की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, यह वसूली के लिए मूल्यांकन किया जाता है और हानि के लिए स्थायी कमी के मामले में लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है। निवेश के निपटान पर, शुद्ध निपटान आय और निवेश की वहन राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

संयुक्त प्रचालनों में हित

एक संयुक्त ऑपरेटर के रूप में कंपनी संयुक्त संचालन में अपने हित के संबंध में, संयुक्त व्यवस्था के अन्य पक्षों के साथ संयुक्त रूप से रखी गई/खर्च की गई संपत्तियों/देनदारियों में अपने हिस्से को पहचानती है। संयुक्त संचालन द्वारा उत्पादन की बिक्री से राजस्व के अपने हिस्से के लिए राजस्व को मान्यता दी जाती है। संयुक्त व्यवस्था के हिस्से के रूप में अन्य पक्षों के साथ संयुक्त रूप से किए गए खर्चों के अपने हिस्से के लिए खर्चों को मान्यता दी जाती है।

2.2.8 इन्वेंट्री

इन्वेंट्री का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत पहली बार (एफआईएफओ) आधार पर निर्धारित की जाती है।

भविष्य की अनुबंध गतिविधियों के लिए किए गए निर्माण लागत को संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि उन्हें अनुबंध अवधि के दौरान वसूल किया जाएगा और इन्वेंट्री के तहत निर्माण कार्य प्रगति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। खरीद की अवधि में ढीले उपकरण खर्च किए जाते हैं।

2.2.9 राजस्व मान्यता

कंपनी निर्माण उद्योग में काम करती है और यह मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय से राजस्व अर्जित करती है। ग्राहकों के साथ अनुबंध रेलवे के निर्माण, सड़कों और राजमार्गों के निर्माण, वाणिज्यिक और

आवासीय भवनों के निर्माण, विद्युतीकरण कार्य और अन्य के हैं। इन अनुबंधों में कार्य के प्रकार में भू-तकनीकी जांच, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, संसाधन-योजना, डीपीआर तैयार करना, निर्माण, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, सामग्री की आपूर्ति, प्रणाली का पुनर्विकास, स्थापना, परियोजना प्रबंधन, संचालन और प्रबंधन आदि शामिल हैं। (एक साथ निर्माण से संबंधित सेवाओं के रूप में कहा जाता है)। कंपनी इन निर्माण सेवाओं को एक निश्चित राशि टर्नकी के आधार पर और साथ ही लागत प्लस आधार पर प्रदान करती है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब माल या सेवाओं ("प्रदर्शन दायित्व") का नियंत्रण ग्राहक को उस राशि पर स्थानांतरित किया जाता है जो उस विचार को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है ("लेनदेन मूल्य")।

क) निर्माण संबंधी सेवाओं से राजस्व

निर्माण से संबंधित सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ कंपनी के अनुबंधों को एकल प्रदर्शन दायित्व के रूप में माना जाता है क्योंकि अनुबंध को एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है और इसमें निर्माण और रखरखाव सेवाओं का जटिल एकीकरण शामिल होता है।

इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है (अर्थात् प्रतिशत-से-पूर्णता विधि) जो ग्राहक को नियंत्रण के हस्तांतरण के अनुरूप है क्योंकि कंपनी के प्रयास (यानी, खर्च की गई लागत) और ग्राहक को सेवा के हस्तांतरण के बीच सीधा संबंध है। इनपुट पद्धति के तहत, अनुबंध राजस्व को रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पूरा होने के चरण के संदर्भ में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। पूर्णता के चरण को आज तक की वास्तविक लागत के अनुपात के संदर्भ में मापा जाता है, जो प्रदर्शन दायित्व के कारण कुल अनुमानित लागत है। कुल अनुमानित अनुबंध लागत में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें अनुबंध स्तर पर मूल्यांकन के रूप में निर्धारित किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां इनपुट विधि प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने की दिशा में प्रगति को विश्वसनीय रूप से चित्रित नहीं करती है, तो आउटपुट विधि का उपयोग राजस्व को पहचानने के लिए किया जाता है।

प्रगति पर अनुबंधों पर किसी भी अपेक्षित नुकसान को लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है, कुल मिलाकर, उस अवधि में नुकसान की पहचान की जाती है।

राजस्व को लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जो प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और परिवर्तनीय विचारों के लिए समायोजित किया जाता है। लेन-देन मूल्य में परिवर्तनशीलता मुख्य रूप से परिसमाप्त क्षति,

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

मूल्य भिन्नता खंड, प्रोत्साहन, यदि कोई हो, के कारण उत्पन्न होती है। कंपनी परिवर्तनीय प्रतिफल के लिए राजस्व को मान्यता देती है जब यह संभव है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व में एक महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। कंपनी सबसे संभावित राशि विधि का उपयोग करके परिवर्तनीय प्रतिफल पर मान्यता प्राप्त होने वाले राजस्व की राशि का अनुमान लगाती है। नतीजतन, एक संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है, या राजस्व में कमी के रूप में, उस अवधि में जिसमें लेनदेन मूल्य बदलता है।

कंपनी अनुबंध को पूरा करने के लिए खर्च की गई लागत से संपत्ति को मान्यता देती है जैसे कि मोबिलाइजेशन के लिए नई परियोजनाओं पर प्रारंभिक अनुबंध व्यय जिसका उपयोग अनुबंध को संतुष्ट करने में किया जाएगा और वसूल किए जाने की उम्मीद है। परिसंपत्ति को एक व्यवस्थित आधार पर अनुबंध कार्यकाल पर परिशोधित किया जाता है जो उस माल या सेवाओं के ग्राहक को नियंत्रण के हस्तांतरण के अनुरूप है, जिससे परिसंपत्ति संबंधित है, यानी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध के पूरा होने का चरण। साइट मोबिलाइजेशन व्यय उस सीमा तक जिस सीमा तक लागत पर मूल्यांकित नहीं किया गया है।

अनुबंध संशोधनों का हिसाब तब लगाया जाता है जब परिवर्धन, विलोपन या परिवर्तन या तो अनुबंध दायरे या अनुबंध मूल्य के लिए अनुमोदित होते हैं। अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर है। जो सेवाएं अलग नहीं हैं, उन्हें संचयी कैच-अप आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जबकि जो अलग-अलग हैं, उन्हें संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है, या तो एक अलग अनुबंध के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर होती है, या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति के रूप में और एक नए अनुबंध का निर्माण यदि स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर नहीं किया जाता है।

ख) अनुबंध शेष

- अनुबंध परिसंपत्तियां: यदि कंपनी ग्राहक को विचार का भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित विचार के लिए मान्यता दी जाती है जो सशर्त है। अंतिम अनुबंध निपटान तक ग्राहक द्वारा बनाए गए भुगतान के हिस्से को एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य आमतौर पर ग्राहक को अनुबंध के तहत निर्दिष्ट कंपनी के शेष

प्रदर्शन के लिए सुरक्षा का एक रूप प्रदान करना होता है, जो उद्योग अभ्यास के अनुरूप है।

- व्यापार प्राप्य: एक प्राप्य कंपनी के विचार की राशि के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शर्त है (यानी, विचार के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)। व्यापार प्राप्तियों को शुरू में लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है क्योंकि उनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होते हैं। कंपनी संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने के उद्देश्य से व्यापार प्राप्य रखती है और इसलिए प्रभावी ब्याज दर विधि कम हानि भत्ता, यदि कोई हो, का उपयोग करके उन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापता है।
- अनुबंध देयताएं: यदि कोई ग्राहक ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने से पहले विचार का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने पर, या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है। अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है।

ग) अन्य परिचालन आय

- कंपनी की किराये की आय मुख्य रूप से मशीनरी, अप्रयुक्त कार्यालय स्थान और निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से उत्पन्न होती है। इन किराये की आय को पट्टे की शर्तों पर सीधी रेखा के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- अन्य परिचालन आय व्यवसाय के लिए आकस्मिक गतिविधियों से अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करती है और जब प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है तो इसे मान्यता दी जाती है।

घ) अन्य आय

- लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।
- विविध आय को तब मान्यता दी जाती है जब प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.2.10 ऋण लागत

ऋण लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागत शामिल हैं जो कंपनी धन ऋण लेने के संबंध में खर्च करती है और उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज की जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं, सिवाय इसके कि जब यह

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

पूँजीकरण के लिए मानदंडों को पूरा करता है। इंड एस 23 के अनुसार योग्य संपत्ति।

2.2.11 कर

कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

क) वर्तमान आयकर

वर्तमान कर को अवधि के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसकी गणना संबंधित कर विनियमों के अनुसार की जाती है। वर्तमान आयकर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह प्रो. टी या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है। प्रबंधन समय-समय पर कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन उन स्थितियों के संबंध में करता है जिनमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करते हैं।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों की भरपाई की जाती है जहां इकाई के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और या तो शुद्ध आधार पर समझौता करने का इरादा रखता है, या परिसंपत्ति की वसूली करने और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा रखता है।

ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयता विधि का उपयोग करके परिसंपत्तियों / देनदारियों के कर आधार और लेखांकन आधार के अंतर पर उत्पन्न होने वाले अस्थायी कर योग्य / कटौती योग्य अंतर के लिए प्रदान किया जाता है और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित कर दरों या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों पर मापा जाता है।

आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे मान्यता दी जाती है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या कुछ हिस्से को उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर फिर से मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य के कर योग्य लाभ आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की अनुमति देगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की भरपाई

तब की जाती है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और जब आस्थगित कर शेष उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

2.2.12 विदेशी मुद्राएं

कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा भारतीय रुपये हैं।

लेन-देन और शेष

विदेशी मुद्रा लेनदेन को कार्यात्मक मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर दर्ज किया जाता है, लेनदेन की तारीख पर कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को लागू करके।

रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को अंतिम दर (देनदारियों के लिए अंतिम बिक्री दर और परिसंपत्तियों के लिए अंतिम खरीद दर का उपयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में रिपोर्ट किया जाता है)। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीत गैर-मौद्रिक वस्तुएं जो ऐतिहासिक लागत पर की जाती हैं, उनका पुनः अनुवाद नहीं किया जाता है और लेनदेन की तारीख में विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं और शुद्ध आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं।

विदेशी परिचालन

विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण जिनकी कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये से अलग है, का भारतीय रुपये में अनुवाद निम्नानुसार किया जाता है:

- क) परिसंपत्तियों और देनदारियों (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों) का अनुवाद बैलेंस शीट की तारीख में समापन दर पर किया जाता है;
- ख) आय और व्यय का अनुवाद रिपोर्टिंग अवधि के लिए औसत विनिमय दर पर किया जाता है, जब तक कि अवधि के दौरान विनिमय दर में काफी उतार-चढ़ाव नहीं होता है, जिस स्थिति में, लेनदेन की तारीखों पर विनिमय दरों का उपयोग किया जाता है; तथा
- ग) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और ऐसे विदेशी परिचालनों के निपटान पर लाभ और हानि के विवरण के बाद के पुनर्वर्गीकरण के लिए विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व के रूप में इक्विटी में जमा किया जाता है।

2.2.13 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ जैसे मजदूरी और वेतन, अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, और सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

भीतर पूरी तरह से देय प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे लाभों की अघोषित राशि लाभ और हानि के विवरण में खर्च की जाती है। जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

ख) रोजगार के बाद के लाभ

परिभाषित योगदान योजना: कंपनी ने योगदान योजनाओं को परिभाषित किया है जिसमें एक कर्मचारी पेंशन योजना और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना शामिल है।

पेंशन योजना को शुरू में एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया गया था, इरकॉन ने अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना 2009 ट्रस्ट को परिभाषित किया था, और बाद में इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना एक ट्रस्ट फंड (आईआरसीओएन मेडिकल ट्रस्ट) के माध्यम से प्रशासित की जाती है, जिसमें कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार योगदान देती है।

इन परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें योगदान देय हो जाता है। ऐसी योजनाओं/ट्रस्ट को योगदान दिए जाने के बाद कंपनी के पास कोई और भुगतान दायित्व नहीं है।

परिभाषित लाभ योजना: ग्रेच्युटी और भविष्य निधि के प्रति कंपनी की देयता परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति में है।

ग्रेच्युटी कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (आईआरसीओएन कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट) द्वारा किया जाता है। इस अवधि के लिए ग्रेच्युटी ट्रस्ट में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है। कंपनी एक अलग ट्रस्ट (आईआरसीओएन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट) को पूर्व निर्धारित दरों पर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। इस अवधि के लिए निधि में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है। कंपनी का दायित्व इस तरह के निश्चित योगदान देना और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों को रिटर्न की न्यूनतम दर सुनिश्चित करना है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्वों के भारित औसत परिपक्वता प्रोफाइल के बराबर

परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार उपज के आधार पर छूट दर का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर प्रत्येक योजना के लिए अलग से मापा जाता है। योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य शुद्ध आधार पर दायित्व को मान्यता देने के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत सकल दायित्व से कम हो जाता है।

गणना अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा की जाती है और यदि परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि ट्रस्ट सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दरों को कवर करने के लिए पर्याप्त रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

पुनर्माप, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या संपत्ति पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और बरकरार रखी गई आय में परिलक्षित होता है और यह लाभ और हानि के विवरण के लिए पुनर्वर्गीकृत होने के लिए पात्र नहीं है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी बारह महीने से अधिक आगे ले जाने की उम्मीद छोटी नकदीकरण का इलाज करती है और माप उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में यात्रा रियायत छोड़ देती है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त दायित्व को अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दायित्व के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागत जिसमें वर्तमान सेवा लागत, ब्याज लागत और कटौती और निपटान पर लाभ या हानि, बीमांकिक लाभ और हानि सहित पुनः माप को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.2.14 नकद और नकद समकक्ष

नकद के विवरण में प्रस्तुति के उद्देश्य से, नकद और नकद समकक्षों में तीन महीने और उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अप्रतिबंधित नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी के लिए परिवर्तनीय हैं और जो एक तुच्छ जोखिम के अधीन हैं मूल्य में परिवर्तन।

2.2.15 लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को अनुमोदित किया जाता है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है। देय लाभांश को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

स्टैंडालोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक संपत्ति और आकस्मिक देनदारियां

प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास एक पिछली घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक को शामिल करने वाले संसाधनों का एक आउटवू आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है दायित्व की राशि का।

कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रावधानों में रखरखाव, विमुद्रीकरण, कानूनी मामलों, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर), कठिन अनुबंध और अन्य के प्रावधान शामिल हैं।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर, जोखिम दायित्व के लिए विशिष्ट है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

इन प्रावधानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को फिर से समायोजित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

दुर्गम संविदा

यदि कंपनी के पास एक अनुबंध है जो कठोर है, तो अनुबंध के तहत वर्तमान दायित्व को एक प्रावधान के रूप में मान्यता दी जाती है और मापा जाता है। हालांकि, एक कठिन अनुबंध के लिए एक अलग प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध को समर्पित परिसंपत्तियों पर हुई किसी भी हानि हानि को पहचानती है।

इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को फिर से समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होते हैं जो शायद आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है या ऐसे दायित्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। जब संभव दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को फिर से समायोजित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, हालांकि

खुलासा किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का प्रवाह संभावित है।

2.2.17 पट्टे

यदि अनुबंध विचार के बदले में एक अवधि के लिए पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो इसे पट्टे के रूप में माना जाता है।

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी बारह महीने या उससे कम (अल्पकालिक पट्टे) की अवधि वाले पट्टों को छोड़कर और कम मूल्य की अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए पट्टों को छोड़कर, सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देती है।

i) उपयोग का अधिकार संपत्ति

कंपनी पट्टे की शुरुआत की तारीख (यानी, अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख) पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति को मान्यता देती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान को कम करता है, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनः माप के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टा देनदारियों की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए पट्टे के भुगतान शामिल हैं, जो प्राप्त किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को कम करते हैं। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को पट्टे की अवधि के छोटे और परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है। यदि पट्टे की अवधि के अंत में कंपनी को पट्टे पर दी गई संपत्ति के हस्तांतरण का स्वामित्व या लागत खरीद विकल्प के अभ्यास को दर्शाती है, तो मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन का उपयोग करके की जाती है।

उपयोग की जाने वाली संपत्ति भी हानि के अधीन है।

ii) पट्टा देयताएं

पट्टे की प्रारंभ तिथि पर, कंपनी पट्टा अवधि में किए जाने वाले पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देनदारियों को मान्यता देती है। पट्टा भुगतान में निश्चित भुगतान (पदार्थ निश्चित भुगतान सहित) शामिल हैं, जो प्राप्य किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को कम करते हैं, परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, और अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि।

पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य की गणना करने

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

में, कंपनी पट्टे की शुरुआत की तारीख पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं होती है। प्रारंभ तिथि के बाद, ब्याज की वृद्धि को प्रतिबिंबित करने और किए गए पट्टे के भुगतान के लिए कम करने के लिए लीज देनदारियों की राशि में वृद्धि की जाती है। इसके अलावा, पट्टे की देनदारियों की वहन राशि को फिर से मापा जाता है यदि कोई संशोधन, पट्टे की अवधि में परिवर्तन, पट्टे के भुगतान में परिवर्तन (उदाहरण के लिए, सूचकांक में परिवर्तन या इस तरह के पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली दर के परिणामस्वरूप भविष्य के भुगतान में परिवर्तन) या अंतर्निहित संपत्ति खरीदने के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन कंपनी की पट्टा देयताएं वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती हैं।

iii) अल्पावधि पट्टा और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे

कंपनी आवासीय परिसरों और कार्यालयों के पट्टे सहित अपने अल्पकालिक पट्टों के अनुबंधों पर अल्पकालिक पट्टा मान्यता छूट लागू करती है (यानी, उन पट्टों की पट्टा अवधि शुरू होने की तारीख से 12 महीने या उससे कम है और इसमें खरीद विकल्प नहीं है)। यह कार्यालय उपकरणों के पट्टों पर कम मूल्य की संपत्ति मान्यता छूट के पट्टे को भी लागू करता है जिन्हें कम मूल्य का माना जाता है। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों पर पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) पट्टेदार के रूप में कंपनी

जिन पट्टों में कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किराए पर होने वाली आय को पट्टे की शर्तों पर सीधी रेखा के आधार पर हिसाब में लिया जाता है और इसकी परिचालन प्रकृति के कारण लाभ या हानि के विवरण में राजस्व में शामिल किया जाता है। परिचालन पट्टे पर बातचीत करने और व्यवस्थित करने में होने वाली प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को पट्टे पर दी गई संपत्ति की वहन राशि में जोड़ा जाता है और किराये की आय के समान आधार पर पट्टे की अवधि में मान्यता दी जाती है।

2.2.18 वित्तीय साधन

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को पहचानती है जब वह साधन के संविदात्मक प्रावधानों का पक्षकार बन जाती है।

क) वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार प्राप्तियों को छोड़कर जिसमें एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं है, लेनदेन मूल्य पर मापा जा रहा है) को शुरू में उचित मूल्य और लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो सीधे वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होते हैं। लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत लाभ और हानि के विवरण में खर्च की जाती है।

बाद में मापन

बाद के माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को कंपनी के व्यवसाय मॉडल और परिसंपत्ति की नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर नीचे की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

• परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक माप के बाद, संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी गई वित्तीय संपत्तियां जहां वे नकदी प्रवाह केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय अन्य आय में शामिल है।

• अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

एक वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इसे एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि करती हैं। नकदी प्रवाह जो पूरी तरह से बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान है।

• लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली परिसंपत्तियों को लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। एफवीटीपीएल श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय आस्तियों की हानि

कंपनी एफवीटीओसीआई में मापी गई परिशोधित लागत या वित्तीय परिसंपत्तियों पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि हानि को पहचानने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानि हानि हानि भत्ते की मान्यता के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्तियां; और
- इंड एस 116 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप सभी पट्टा प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ते को मान्यता दी जाती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम जोखिम पर हानि हानि की पहचान के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 महीने के ईसीएल का उपयोग हानि हानि प्रदान करने के लिए किया जाता है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन पर सभी संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप अपेक्षित क्रेडिट नुकसान हैं। 12 महीने का ईसीएल आजीवन ईसीएल का एक हिस्सा है जो डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने के भीतर संभव होते हैं।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल हानि हानि भत्ता (या रिवर्सल) को लाभ और हानि के विवरण में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए हानि की तुलना पत्र प्रस्तुति नीचे वर्णित है:

- परिशोधित लागत, संविदात्मक राजस्व प्राप्य और पट्टा प्राप्य के रूप में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां: ईसीएल को भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हानि भत्ता निवल वहन राशि को कम करता है। जब तक परिसंपत्ति राइट-ऑफ मानदंडों को पूरा नहीं करती है, कंपनी सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं और वित्तीय गारंटी अनुबंध: ईसीएल को बैलेंस शीट में एक प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात् देयता के रूप में।
- एफवीटीओसीआई में मापे गए ऋण उपकरण: एफवीटीओसीआई में मापे गए ऋण उपकरणों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट नुकसान तुलना पत्र में वहन राशि को कम नहीं करता है, जो उचित मूल्य पर रहता है।

इसके बजाय, भत्ते के बराबर राशि को अन्य व्यापक आय में संचित हानि राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय आस्तियों की अमान्यता

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति को मान्यता नहीं देती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देता है और हस्तांतरण इंड एस 109 के तहत मान्यता रद्द करने के लिए योग्य हो जाता है।

वहन राशि और प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और, उधार और देय के मामले में, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत का शुद्ध। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार देय, उधार और अन्य वित्तीय देनदारियां आदि शामिल हैं।

बाद में मापन

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है—

- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं।

कंपनी ने एफवीटीपीएल में कोई वित्तीय देयता नामित नहीं की है।

- परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

ऋण, व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक माप के बाद, संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों, जहाँ ये नकदी प्रवाह केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (SPPI) के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, को प्रभावी ब्याज दर (EIR) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज आय को अन्य आय में शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की अमान्यता

एक वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का एक हिस्सा) को कंपनी की तुलना पत्र से मान्यता नहीं दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

ग) वित्तीय गारंटी अनुबंध

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिनके लिए धारक को होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण साधन की शर्तों के अनुसार देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरू में उचित मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है, जो लेनदेन लागत के लिए समायोजित किया जाता है जो सीधे गारंटी जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद, देयता को इंड एस 109 की हानि आवश्यकताओं और कम संचयी परिशोधन की पहचान की गई राशि के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि से अधिक पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का समायोजन किया जाता है, तथा शुद्ध राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है, यदि मान्यता प्राप्त राशियों का समायोजन करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य संविदात्मक कानूनी अधिकार मौजूद है और परिसंपत्तियों की वसूली और देनदारियों का एक साथ निपटान करने के लिए शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है।

2.2.19 उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों का मापन करती है।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार सहभागियों को परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार सहभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं।

सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है और वित्तीय विवरणों में तदनुसार खुलासा किया जाता है।

बाहरी मूल्यांकनकर्ता महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों और देनदारियों, यदि कोई हो, के मूल्यांकन के लिए शामिल हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यों में आंदोलनों का विश्लेषण करती है जिन्हें कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनर्मापा या पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है।

2.2.20 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय निर्धारित करने में, कंपनी इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले शुद्ध लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए जाने वाले शेयरों की संख्या अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है।

प्रति शेयर कम आय निर्धारित करने में, इक्विटी शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के पास कोई कमजोर संभावित इक्विटी शेयर नहीं हैं।

2.2.21 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्ति

गैर-चालू संपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाती है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तभी माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी, और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद है। बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकृत निपटान समूहों को बिक्री की लागत घटाकर रखाव राशि और उचित मूल्य के निचले स्तर पर बताया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त संपत्ति का मूल्यहास या परिशोधन नहीं किया जाता है, एक बार बिक्री के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिक्री / वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

अगर इंड एस 105 "विक्रय के लिए रखी गई गैर-मौजूदा संपत्तियाँ" द्वारा निर्धारित मानदंड अब पूरा नहीं होता है, तो उस निपटान समूह को अब विक्रय के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसी गैर-मौजूदा संपत्तियाँ जिन्हें अब विक्रय के लिए वर्गीकृत नहीं किया गया है, उनका मूल्यांकन निम्न में से जो कम हो, उस पर किया जाएगा:

- उस संपत्ति की वह पुस्तकीय कीमत जो विक्रय के लिए वर्गीकृत किए जाने से पहले थी, समायोजित की गई उस मूल्यहास के लिए जो उस संपत्ति पर लगाया जाता यदि उसे विक्रय के लिए वर्गीकृत नहीं किया गया होता;
- वह वसूली योग्य राशि जो उस तारीख पर होती जब निपटान समूह को विक्रय के लिए वर्गीकृत करना बंद कर दिया गया।
- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त संपत्तियों से संबंधित मूल्यहास समायोजन को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में चार्ज किया जाता है, जब गैर-मौजूदा संपत्तियों के विक्रय के लिए निर्धारित मानदंड अब पूर्ण नहीं होते।

2.2.22 पूर्व अवधि समायोजन

पूर्ववर्ती अवधियों से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों/चूक को महत्वहीन माना जाएगा और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, यदि ऐसी सभी त्रुटियाँ और चूक

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

कुल मिलाकर कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक न हों।

2.2.23 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और निर्णय

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, लेखांकन अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा, और साथ के प्रकटीकरण और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। इन मान्यताओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि के लिए भौतिक समायोजन की आवश्यकता होती है।

यह नीति उन क्षेत्रों का अवलोकन प्रदान करती है जिनमें उच्च स्तर का निर्णय या जटिलता शामिल है, और उन वस्तुओं का जो मूल रूप से मूल्यांकन किए गए अनुमानों और मान्यताओं की तुलना में भिन्न होने के कारण भौतिक रूप से समायोजित होने की अधिक संभावना रखते हैं।

संबंधित लेखांकन नीतियों में बताए गए अनुमान और निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार हैं:

असंगृहीत व्यापार प्राप्य के लिए भत्ते

व्यापार प्राप्य ब्याज नहीं लेते हैं और उनके नाममात्र मूल्यों पर बताए जाते हैं क्योंकि अनुमानित अपरिवर्तनीय राशि के लिए उचित भत्ते कम हो जाते हैं, प्राप्य शेष और ऐतिहासिक अनुभवों की उम्र बढ़ने पर आधारित होते हैं। व्यक्तिगत व्यापार प्राप्य को तब बढ़े खाते में डाला जाता है जब प्रबंधन सामूहिक नहीं लगता है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

सेवानिवृत्ति के बाद लाभ दायित्व की लागत बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य के वेतन में वृद्धि, मृत्यु दर और भविष्य की पेंशन वृद्धि का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओं की समीक्षा की जाती है।

आकस्मिकताएं

व्यवसाय के सामान्य क्रम में, कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ दायित्व हैं जो प्रबंधन ने सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि भुगतान की संभावना नहीं है या विश्वसनीय रूप से मात्रा निर्धारित करना

मुश्किल नहीं है और ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना जाता है और नोटों में खुलासा किया जाता है।

वित्तीय आस्तियों की हानि

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित है। कंपनी इन धारणाओं को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अग्रेषित अनुमानों के आधार पर हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

कर

जटिल कर नियमों की व्याख्या, कर कानूनों में बदलाव, और भविष्य में कर योग्य आय की राशि और समय के संबंध में अनिश्चितताएँ मौजूद हैं। वास्तविक परिणामों और की गई मान्यताओं के बीच उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक अंतरों, या ऐसी मान्यताओं में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए, पहले से दर्ज कर आय और व्यय में भविष्य में समायोजन आवश्यक हो सकता है। कंपनी उचित अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित करती है। ऐसे प्रावधानों की राशि विभिन्न कारकों पर आधारित होती है, जैसे कि पिछले कर लेखापरीक्षा का अनुभव और कर योग्य इकाई और उत्तरदायी कर प्राधिकरण द्वारा कर नियमों की अलग-अलग व्याख्याएँ। व्याख्या के ऐसे अंतर विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर उत्पन्न हो सकते हैं, जो कंपनियों के संबंधित निवास स्थान में प्रचलित परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ नुकसान का उपयोग किया जा सकता है। भविष्य की कर योजना रणनीतियों के साथ-साथ संभावित समय और भविष्य के कर योग्य मुनाफे के स्तर के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

इकाई प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करती है कि क्या यह संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को बिगाड़ा जा सकता है। परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का निर्धारण निर्णायक है और इसमें महत्वपूर्ण अनुमानों और मान्यताओं का उपयोग शामिल है। अनुमान उचित मानी जाने वाली मान्यताओं पर आधारित हैं, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से अनिश्चित और अप्रत्याशित हैं और अप्रत्याशित घटनाओं और परिस्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं जो हो सकती हैं।

बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्ति

गैर-चालू संपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

की जाती है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तभी माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी, और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद है।

पट्टे – वृद्धिशील ऋण दर का अनुमान लगाना

कंपनी पट्टे में निहित ब्याज दर को आसानी से निर्धारित नहीं कर सकती है, इसलिए, यह पट्टे की देनदारियों को मापने के लिए अपनी वृद्धिशील उधार दर (आईबीआर) का उपयोग करता है। आईबीआर ब्याज की दर है जिसे कंपनी को समान अवधि में ऋण लेने के लिए भुगतान करना होगा, और इसी तरह की सुरक्षा के साथ, समान आर्थिक वातावरण में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के समान मूल्य की संपत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि ऋण लेने के लिए चुकानी होगी।

पट्टेदार के रूप में नवीनीकरण और समाप्ति विकल्प कंपनी के साथ अनुबंधों की पट्टा अवधि का निर्धारण करना

कंपनी पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर-रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है, साथ ही पट्टे को बढ़ाने के विकल्प द्वारा कवर की गई किसी भी अवधि के साथ यदि इसका प्रयोग किया जाना यथोचित है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई कोई भी अवधि, यदि यह यथोचित रूप से निश्चित है कि इसका प्रयोग नहीं किया जाना है।

कंपनी इस बात का आकलन करने में विवेक का उपयोग करती है कि क्या पट्टे को नवीनीकरण या समाप्त करने का विकल्प प्रयोग करना यथोचित रूप से निश्चित है या नहीं। आरंभ तिथि के बाद, यदि कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों

में ऐसा बदलाव होता है जो कंपनी के नियंत्रण में है और कंपनी की इस विकल्प को प्रयोग करने या न करने की क्षमता को प्रभावित करता है (जैसे कि पट्टे पर लिए गए संपत्ति में महत्वपूर्ण सुधार या उस पर विशेष अनुरूपण), तो कंपनी पट्टे की अवधि का पुनः मूल्यांकन करती है।

राजस्व मान्यता

कंपनी की राजस्व मान्यता नीति इस बात का केंद्र है कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य को कैसे महत्व देती है।

इन नीतियों के लिए अनुबंधों के परिणामों से किए जाने वाले पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है, जिसके लिए काम के दायरे और दावों और भिन्नताओं में परिवर्तन पर किए जाने वाले आकलन और निर्णय की आवश्यकता होती है।

कई दीर्घकालिक और जटिल परियोजनाएं हैं जहां कंपनी ने संविदात्मक पात्रता पर महत्वपूर्ण निर्णय शामिल किए हैं। संभावित परिणामों की सीमा के परिणामस्वरूप अंतर्निहित लाभप्रदता और नकदी प्रवाह में भौतिक रूप से सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन हो सकता है।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित पहलुओं के संबंध में अनुमानों की भी आवश्यकता है:

- पूरा होने के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्णता तिथि का अनुमान
- प्रावधान हानियों के लिए उपबंध
- दावों और विविधताओं सहित अनुमानित कुल राजस्व और अनुमानित कुल लागत।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

3. सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

विवरण		पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग /प्लैट –आवासीय	फ्रीहोल्ड भवन/प्लैट- गैर-आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण (i)	फर्नीचर और फिक्स्चर (ii)	कारवां, शिपिंग और अस्थायी शेड	वाहनों	कुल
सकल वहन राशि (लागत पर)												
1 अप्रैल, 2023 तक		42.69	6.55	44.10	184.17	3.01	7.98	5.45	6.60	3.12	3.44	307.11
परिवर्धन		-	-	-	23.62 (2.18)	0.97 (0.02)	0.97 (0.39)	0.40 (0.04)	1.08 (0.06)	0.32	-	27.36 (2.69)
निपटान/समायोजन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति से स्थानांतरण (iv)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय लाभ/(हानि) (iii)		-	-	(0.49)	(0.22)	0.01	-	0.01	-	0.01	0.02	(0.66)
31 मार्च, 2024 तक		42.69	6.55	43.61	205.39	3.97	8.56	5.82	7.62	3.45	3.46	331.12
परिवर्धन (अ)		-	-	8.77	27.74 (0.81)	- (0.18)	1.87 (0.93)	0.90 (0.57)	4.70 (0.26)	0.24	-	44.22 (2.75)
निपटान/समायोजन		-	-	-	-	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.10	3.17
विनिमय लाभ/(हानि) (iii)		-	-	0.81	2.13	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.10	3.17
31 मार्च, 2025 को		42.69	6.55	53.19	234.45	3.81	9.53	6.18	12.09	3.71	3.56	375.76
मूल्यह्रास और हानि												
1 अप्रैल, 2023 तक		-	4.56	22.04	83.46	1.07	5.88	3.68	2.77	2.80	2.20	128.46
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		-	0.06	1.49	15.66 (1.83)	0.28 (0.01)	1.03 (0.32)	0.47 (0.02)	0.60 (0.02)	0.12	0.32	20.03 (2.20)
निपटान/समायोजन		-	-	-	(0.15)	-	-	0.01	-	0.01	0.02	(0.38)
विनिमय लाभ/(हानि) (iii)		-	-	(0.27)	(0.15)	-	-	0.01	-	0.01	0.02	(0.38)
31 मार्च, 2024 तक		-	4.62	23.26	97.14	1.34	6.59	4.14	3.35	2.93	2.54	145.91
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		-	0.05	1.55	15.35 (0.20)	0.34 (0.15)	1.05 (0.85)	0.48 (0.51)	1.00 (0.13)	0.19	0.33	20.34 (1.84)
निपटान/समायोजन		-	-	-	-	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.08	2.13
विनिमय लाभ/(हानि) (iii)		-	-	0.47	1.50	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.08	2.13
31 मार्च, 2025 को		-	4.67	25.28	113.79	1.54	6.80	4.14	4.24	3.13	2.95	166.54
कुल पुस्तक मूल्य												
31 मार्च, 2025 को		42.69	1.88	27.91	120.66	2.27	2.73	2.04	7.85	0.58	0.61	209.22
31 मार्च, 2024 को		42.69	1.93	20.35	108.25	2.63	1.97	1.68	4.27	0.52	0.92	185.21

फुटनोट:

- कार्यालय उपकरण में विद्युत उपकरण और एयर कंडीशनर शामिल हैं।
- फर्नीचर और फिक्स्चर में फर्निशिंग शामिल है।
- वहन राशि में कार्यात्मक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (सीपीई) अनुवाद के कारण विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) शामिल है।
- संयंत्र एवं मशीनरी – उत्तरी क्षेत्र में बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों से संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (सीपीई) में स्थानांतरित किया जाता है।
- फ्रीहोल्ड भवन/प्लैट – गैर-आवासीय तथा संयंत्र एवं मशीनरी को प्रगतितर पूंजीगत कार्य से पूंजीकृत किया गया है।
- मूल्यह्रास उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो व्यवसाय के विशिष्ट उपयोग, परिसंपत्तियों के उपयोग पैटर्न और समान परिसंपत्तियों के पिछले प्रदर्शन पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यंकन द्वारा समर्थित होता है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

परिसंपत्तियों का वर्ग	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों में)	तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अपनाया गया उपयोगी जीवन (वर्षों में)
आवासीय / गैर आवासीय भवन / फ्लैट*	60	8-60
संयंत्र और मशीनरी*	8-15	1-15
सर्वेक्षण उपकरण	10	10
कंप्यूटर	3-6	3-6
कार्यालय उपकरण	5-10	5-10
फर्निचर व फिक्सचर	10	10
कारवां, शिविर और अस्थायी शेड	3-5	3-5
वाहनों	8-10	8-10

* तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के निर्धारण के लिए परिसंपत्ति के प्रत्येक महत्वपूर्ण घटक पर विचार किया गया है।

(vii) प्लांट और समकक्ष (पीपीई) संपत्ति की मेटेरियल लेखांकन पॉलिसी सूचना के लिए नोट-2.2.2 को देखें।

4. पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(₹ करोड़ में)

विवरण	मात्रा
1 अप्रैल 2023 तक	-
परिवर्धन (बाद का व्यय)	6.56
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-
31 मार्च 2024 तक	6.56
परिवर्धन (बाद का व्यय)	33.66
वर्ष के दौरान समायोजन	(0.10)
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(6.46)
31 मार्च, 2025 तक	33.66
कुल पुस्तक मूल्य	
31 मार्च, 2025 को	33.66
31 मार्च, 2024 को	6.56

31 मार्च 2025 और मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति की आयु निर्धारण अनुसूची निम्नानुसार है।

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2025 तक					
प्रगति पर परियोजनाएँ	33.66	-	-	-	33.66
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	33.66	-	-	-	33.66
31 मार्च, 2024 तक					
प्रगति पर परियोजनाएँ	6.56	-	-	-	6.56
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	6.56	-	-	-	6.56

टिप्पणी:

- ऐसी कोई परियोजना नहीं है जहां गतिविधि स्थगित कर दी गई हो।
- नीचे उन परियोजनाओं के लिए आयु का विवरण दिया गया है जिनके पूरा होने में देरी हो चुकी है या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है:

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च, 2025 तक कोई भी परियोजना अतिदेय नहीं है या अनुमानित लागत से अधिक नहीं है। 31 मार्च, 2024 तक एक परियोजना अतिदेय थी जिसकी कुल लागत ? 7.30 करोड़ थी।

पूँजीगत कार्य प्रगति पर	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2025 तक प्रगति पर परियोजनाएँ				
31 मार्च, 2024 तक प्रगति पर परियोजनाएँ कॉर्पोरेट कार्यालय भवन का नवीनीकरण — फॉल्स सीलिंग और एचवीएसी	1.68	-	-	-

5. संपत्ति में निवेश करे

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरुग्राम			बैंगलोर	कुल
	भूमि	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	इमारत	भूमि	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	इमारत	भूमि और भवन	
1 अप्रैल, 2023 तक	327.20	0.57	156.77	2.23	-	95.36	3.04	585.17
परिवर्धन (बाद का व्यय)	-	0.57	0.85	-	1.48	-	-	2.90
वर्ष के दौरान मान्यता रद्द कर दी गई	-	-	-	-	-	(0.32)	-	(0.32)
वर्ष के दौरान पूँजीकृत	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	327.20	1.14	157.61	2.23	1.48	95.03	3.04	587.75
परिवर्धन (बाद का व्यय)	-	0.72	1.08	-	8.97	0.51	-	11.28
वर्ष के दौरान मान्यता रद्द कर दी गई	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 तक	327.20	1.86	158.70	2.23	10.44	95.54	3.04	599.02
मूल्यह्रास और हानि								
1 अप्रैल, 2023 तक	-	-	24.73	-	-	6.83	1.30	32.86
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	8.12	-	-	3.61	0.09	11.82
31 मार्च, 2024 तक	-	-	32.85	-	-	10.44	1.39	44.68
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	8.66	-	-	3.62	0.09	12.37
समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 तक	-	-	41.51	-	-	14.06	1.48	57.04
नेट ब्लॉक								
31 मार्च, 2025 को	327.20	1.86	117.19	2.23	10.44	81.48	1.56	541.98
31 मार्च, 2024 को	327.20	1.14	124.76	2.23	1.48	84.59	1.65	543.07

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

निवेश संपत्ति की आय और व्यय के बारे में जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025
निवेश संपत्तियों से किराये की आय*	23.80	16.28
वर्ष के दौरान किराये की आय उत्पन्न करने वाली निवेश संपत्ति से उत्पन्न प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित)	5.63	2.32
प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित) निवेश संपत्ति से उत्पन्न होते हैं, जिससे वर्ष के दौरान किराये की आय उत्पन्न नहीं हुई	-	-
मूल्यहास और अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से उत्पन्न लाभ	18.17	13.96
घटाएँ: वर्ष के दौरान मूल्यहास	(12.37)	(11.82)
अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से उत्पन्न लाभ	5.80	2.14

* इसमें संपत्तियों से प्राप्त रखरखाव आय भी शामिल है।

उचित मूल्य का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरुग्राम			बैंगलोर	कुल
	भूमि	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	इमारत	भूमि	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	इमारत	भूमि और भवन	
1 अप्रैल, 2023 को आरंभिक शेष राशि	262.43	-	121.44	125.16	-	85.22	9.57	603.82
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य अंतर	67.60	-	7.48	(50.66)	-	1.18	0.94	26.55
31 मार्च, 2024 को समापन शेष	330.03	-	128.92	74.50	-	86.40	10.51	630.37
परिवर्धन	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए उचित मूल्य अंतर	29.38	-	(0.81)	9.10	-	5.76	1.23	44.65
31 मार्च, 2025 को समापन शेष	359.41	-	128.11	83.60	-	92.16	11.74	675.02
टिप्पणी:—								
स्वनिर्मित निवेश संपत्ति	359.41	-	128.11	83.60	-	92.16	11.74	675.02

टिप्पणी:

- ये मूल्यांकन, कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता एवं मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के अंतर्गत परिभाषित, एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करते हैं। उचित मूल्य आय/लागत/बाजार मूल्य दृष्टिकोण पर आधारित हैं।
- उचित मूल्य माप को स्तर में वर्गीकृत किया गया है 3 उचित मूल्य पदानुक्रम का।
- नोएडा में निवेश संपत्ति तीन स्थानों पर स्थित है, जिसकी लीज अवधि 90 वर्ष है। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम और बैंगलोर में स्थित संपत्तियाँ एक ही स्थान पर स्थित हैं और फ्रीहोल्ड हैं।
- नोएडा प्राधिकरण के साथ विवाद के लंबित समाधान के कारण सेक्टर 125, नोएडा संपत्ति के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में प्रगति पर पूँजीगत कार्य के लिए 0.57 करोड़ रुपये की राशि के अन्य प्रावधान किए गए हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

6. अमूर्त संपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

विवरण	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ (साफ्टवेयर)	अन्य अमूर्त (साफ्टवेयर)
सकल ब्लॉक		
1 अप्रैल, 2023 तक	2.59	11.65
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.84	3.44
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	(3.43)	-
31 मार्च, 2024 तक	-	(0.24)
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	14.85
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	3.72
31 मार्च, 2025 तक	-	(0.01)
	-	18.56
परिशोधन और हानि		
1 अप्रैल, 2023 तक	-	2.96
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	3.23
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.24)
31 मार्च, 2024 तक	-	5.95
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	4.34
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2025 तक	-	10.29
कुल पुस्तक मूल्य		
31 मार्च, 2025 को	-	8.27
31 मार्च, 2024 को	-	8.90

टिप्पणी:—

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची निम्नानुसार है:

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2025 तक					
प्रगति पर परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक					
प्रगति पर परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

(ii) ऐसी कोई परियोजना नहीं है जहाँ गतिविधि स्थगित कर दी गई हो।

(iii) नीचे उन परियोजनाओं के लिए आयु का विवरण दिया गया है जिनके पूरा होने में देरी हो चुकी है या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है:

31 मार्च, 2025 तक, कोई भी परियोजना अतिदेय नहीं है या अनुमानित लागत से अधिक नहीं है, क्योंकि मूल योजना पर पुनर्विचार और संशोधन किया गया है। 31 मार्च, 2024 तक, एक परियोजना अतिदेय थी जिसकी कुल लागत ₹23.56 करोड़ थी।

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2025 तक				
प्रगति पर परियोजनाएँ				
31 मार्च, 2024 तक				
प्रगति पर परियोजनाएँ				
एसएपी एस-4 एचएएनए - एसएपी/ईआरपी	7.25	3.79	-	-

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

7. उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	भूमि (i)	भवन (ii)	वाहनों	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल, 2023 तक	1.60	5.21	0.04	6.84
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.29	3.03	-	3.32
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	1.89	8.23	0.04	10.16
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.90	-	-	0.90
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 तक	2.79	8.23	0.04	11.06
1 अप्रैल, 2023 तक	0.22	2.18	0.04	2.44
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	0.24	0.89	-	1.13
हानि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक	0.46	3.07	0.04	3.57
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	0.28	0.93	-	1.21
हानि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च, 2025 तक	0.74	4.00	0.04	4.78
कुल पुस्तक मूल्य				
31 मार्च, 2025 को	2.05	4.23	-	6.28
31 मार्च, 2024 को	1.43	5.16	-	6.59

टिप्पणी:-

- लीजहोल्ड भूमि में कंपनी द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय निरीक्षण प्रकोष्ठ (सीआईसी) के निर्माण हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) की भूमि शामिल है (कुल मूल्य ₹0.76 करोड़)। भवन निर्माण हेतु समय विस्तार हेतु अनुरोध उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है।
- इसमें सैन मार्टिन मार्ग, नई दिल्ली; पाली हिल, मुंबई और मेट्रो रेलवे सर्विस बिल्डिंग, कोलकाता में रेलवे की भूमि पर 30 वर्ष के पट्टे पर ली गई बिल्डिंग शामिल है, जिसके लिए समझौते को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ – पट्टा संपत्ति	उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ – पट्टा संपत्ति	सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण (यदि विवाद हो तो यह भी बताएं)
आवासीय भवन के उपयोग का अधिकार	पाली हिल, बांद्रा फ्लैट नंबर 401 मुंबई	0.21	पश्चिमी रेलवे	लागू नहीं	14 अगस्त, 2002	फ्लैटों का निर्माण रेलवे की भूमि पर किया गया है और इस संबंध में जारी निर्देशों के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा इन्हें 30 वर्ष की अवधि के लिए इरकॉन को पट्टे पर दिया गया है।
आवासीय भवन के उपयोग का अधिकार	सैन मार्टिन, नई दिल्ली में फ्लैट्स	2.26	उत्तर रेलवे	लागू नहीं	16 सितंबर, 2004	
गैर-आवासीय भवन के उपयोग का अधिकार	मेट्रो रेल सेवा भवन, कोलकाता	0.75	मेट्रो रेल, कोलकाता	लागू नहीं	3 मार्च, 2000	मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा रेलवे की भूमि पर कार्यालय आवास का निर्माण किया गया है तथा इस संबंध में जारी निर्देश के अनुसार इसे 30 वर्ष की अवधि के लिए इरकॉन को पट्टे पर दिया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

8. गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ**8.1 गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ – निवेश**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
1. इक्विटी उपकरणों में निवेश (पूरी तरह से चुकता, उद्धृत नहीं, लागत पर)		
क) सहायक कंपनियाँ		
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024 : 6,50,00,000)	65.00	65.00
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड ₹10 प्रति शेयर के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: 16,50,00,000) {नोट (i) ' देखें}	227.60	225.75
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: 15,00,00,000) {नोट (i) ख देखें}	150.19	150.19
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: 1,00,00,000 इक्विटी शेयर) {नोट (i) ग देखें}	205.98	205.98
इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के 17,30,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: 17,30,00,000 इक्विटी शेयर) {नोट (i) घ देखें}	187.69	187.69
इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड ₹ 10 प्रति शेयर के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: 50,000 इक्विटी शेयर) {नोट (i) ड. देखें}	88.58	88.47
इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड ₹ 10 प्रति शेयर के 43,40,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: 50,000 इक्विटी शेयर) {नोट (i) च देखें}	109.50	56.05
इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड ₹ 10 प्रति शेयर के 1,11,10,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: इक्विटी शेयर 36,20,000 इक्विटी शेयर) {नोट (i) छ देखें}	111.26	58.21
इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के 1,06,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: ₹ 10 प्रत्येक के 52,00,000 इक्विटी शेयर) {नोट (i) ज देखें}	92.15	56.74
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड ₹ 10 प्रति शेयर के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: ₹ 10 प्रति शेयर के 50,000 इक्विटी शेयर) {नोट (i) झ देखें}	82.66	82.64
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड ₹10 प्रति शेयर के 38,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: 38,00,000 इक्विटी शेयर) {नोट (i) ज देखें}	111.82	92.04
कुल (क) – सहायक कंपनियों में निवेश	1,432.43	1,268.76
ख) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ		
इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल) ₹ 10 प्रति शेयर के 6,38,70,000 इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए। (31 मार्च, 2024: 6,38,70,000) {नोट (ii) , देखें}	64.15	64.15
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड ₹10 प्रति शेयर के 5,19,99,699 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: 5,19,99,699 इक्विटी शेयर) {नोट (ii) ख देखें}	52.00	52.00
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड ₹ 10 प्रति शेयर के 7,63,37,300 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: 7,63,37,300 इक्विटी शेयर) {नोट (ii) ग देखें}	76.34	76.34
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड ₹ 10 प्रति शेयर के 2,62,56,438 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: 2,62,56,438) {नोट (ii) घ देखें}	140.37	140.37
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ₹ 10 प्रति शेयर के 2,60,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: 2,60,00,000 इक्विटी शेयर) {नोट (ii) ड. देखें}	110.50	110.50
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड ₹ 10 प्रति शेयर के 19,78,55,700 इक्विटी शेयर पूर्णतः भुगतान किए गए। (31 मार्च, 2024 : 19,78,55,700 इक्विटी शेयर) {नोट (ii) च देखें}	244.05	228.46

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड ₹ 10 प्रति शेयर के 19,39,91,200 इक्विटी शेयर पूर्णतः भुगतान किए गए। (31 मार्च, 2024: 19,39,91,200 इक्विटी शेयर) {नोट (ii) छ देखें}	258.47	210.11
कुल (ख) – संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश	945.88	881.93
2. बांड में निवेश (उद्धृत, परिशोधित लागत पर)		
7.15% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बांड— शून्य (31 मार्च, 2024: ₹ 10,00,000 प्रत्येक की 250 इकाइयाँ)	-	24.99
7.07% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बांड — शून्य (31 मार्च, 2024: ₹1,000 प्रत्येक की 3,02,000 इकाइयाँ)	-	30.20
7.14% कर मुक्त एनएचएआई बांड — शून्य (31 मार्च, 2024: ₹ 1,000 प्रत्येक की 1,99,989 इकाइयाँ)	-	20.00
7.02% कर मुक्त एनएचएआई बांड — शून्य (31 मार्च, 2024: ₹ 10,00,000 प्रत्येक की 500 इकाइयाँ)	-	50.00
कुल (2) – बांड में निवेश (उद्धृत)	-	125.19
3. वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश (उद्धृत नहीं, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर)		
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड के 14% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) – ₹ 10 प्रत्येक की 6,60,00,000 इकाई (31 मार्च, 2024 – शून्य) {नोट (i) j देखें}	66.00	-
कुल (3) – वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश (उद्धृत)	66.00	-
कुल गैर-वर्तमान निवेश (1+2+3)	2,444.31	2,275.88
उद्धृत निवेशों का कुल बही मूल्य	-	125.19
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	-	130.43
अउद्धृत निवेशों का कुल बही मूल्य (1(ए)+1(बी)+3)	2,444.31	2,150.69
निवेश के मूल्य में कुल हानि की राशि	-	-

टिप्पणी:

- (i) (क) कंपनी ने 12 अगस्त, 2021 को अपने बोर्ड अनुमोदन द्वारा इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को दिए गए ऋण पर 1 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए ब्याज माफ कर दिया है और मूलधन की अदायगी तक शेष ब्याज को स्थगित कर दिया है। उक्त छूट को भारतीय लेखा मानक (इंड एएएस) के प्रावधान के अनुसार कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में निवेश माना गया है। तदनुसार, ₹62.60 करोड़ (31 मार्च, 2024: ₹60.75 करोड़) को उपरोक्त में शामिल किया गया है।
- (ख) इसमें इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) की ओर से और उसके द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में इरकॉन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को जारी की गई ₹ 0.19 करोड़ (31 मार्च, 2024 ₹ 0.19 करोड़) की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है।
- (ग) निदेशक मंडल ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आईवीकेईएल) में ₹10.00 करोड़ से अधिक नहीं की इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने आईवीकेईएल के लिए ₹195.74 करोड़ से अधिक नहीं के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसका भुगतान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें आईवीकेईएल द्वारा प्राप्त सावधि ऋण सुविधा के संबंध में इरकॉन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को जारी की गई ₹0.24 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य भी शामिल है।
- (घ) इसमें इरकॉन द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को जारी की गई ₹0.83 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक ₹0.83 करोड़) की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है, जो इरकॉन दावणगरे हावेरी हाईवे लिमिटेड (आईडीएचएचएल), पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने आईडीएचएचएल के लिए ₹13.86 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत नहीं किया है, जिसका भुगतान कर दिया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

- (ड.) निदेशक मंडल ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (आईजीआरएचएल) में ₹5 लाख से अधिक नहीं की इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्धता) को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आईजीआरएचएल के लिए ₹103.18 करोड़ से अधिक नहीं के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹88.35 करोड़ (31 मार्च, 2024: ₹88.35 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, इसमें आईजीआरएचएल द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में और उसकी ओर से इरकॉन द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक को जारी की गई ₹0.18 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य भी शामिल है।
- (च) निदेशक मंडल ने ₹17.16 करोड़ से अधिक नहीं की इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्धता) को मंजूरी दी है, जिसमें से 4.34 करोड़ इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आईएएसईएल) को भुगतान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने आईएएसईएल के लिए ₹171.54 करोड़ से अधिक नहीं के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹104.98 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक ₹51.54 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, इसमें आईएएसईएल द्वारा प्राप्त सावधि ऋण सुविधा के संबंध में इरकॉन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को जारी की गई ₹0.19 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य भी शामिल है।
- (छ) निदेशक मंडल ने ₹14.27 करोड़ से अनधिक की इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्धता) को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹11.11 करोड़ इरकॉन लुधियाना रुपनगर हाईवे लिमिटेड (आईएलआरएचएल) को भुगतान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने आईएलआरएचएल के लिए ₹128.43 करोड़ से अनधिक के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹99.97 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक ₹54.42 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, इसमें आईएलआरएचएल द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में और उसकी ओर से इरकॉन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को जारी की गई ₹0.19 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य भी शामिल है।
- (ज) निदेशक मंडल ने ₹20.58 करोड़ से अनधिक की इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्धता) को मंजूरी दी है, जिसमें से 10.60 करोड़ इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आईबीएमईएल) को भुगतान किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने आईबीएमईएल के लिए ₹185.27 करोड़ से अनधिक के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹81.42 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक ₹51.42 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, इसमें आईबीएमईएल की ओर से और उसके द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में इरकॉन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को जारी की गई ₹0.14 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य भी शामिल है।
- (झ) निदेशक मंडल ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (आईएचबीएलएड) के लिए ₹5 लाख से अधिक नहीं की इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्धता) को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आईएचबीएल के लिए ₹111.85 करोड़ से अधिक नहीं के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹82.37 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक ₹82.37 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, इसमें आईएचबीएल की ओर से और उसके द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में इरकॉन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को जारी की गई ₹0.24 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य भी शामिल है।
- (ञ) निदेशक मंडल ने इरकॉन रिन्यूअल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल) में ₹3.80 करोड़ से अधिक नहीं की इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्धता) को मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने आईआरपीएल में ₹108.03 करोड़ से अधिक नहीं के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹108.03 करोड़ (31 मार्च, 2024: ₹88.24 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने ₹88.89 करोड़ के ब्याज-असर वाले वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹66.00 करोड़ (31 मार्च, 2024: शून्य) का भुगतान किया जा चुका है।
- (ii) (क) इसमें आईएसटीपीएल द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में और उसकी ओर से इरकॉन द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को जारी की गई ₹0.28 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है। 31 मार्च, 2025 तक बकाया ऋण शून्य है (31 मार्च, 2024 तक शून्य)।
- (ख) "रेल मंत्रालय" (एमओआर) ने अपने पत्र संख्या 2011/एलएमबी/22/1/39 दिनांक 18.10.2021 के माध्यम से भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी), एक संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने और इसके व्यवसाय को आरएलडीए/एमओआर को हस्तांतरित/हस्तांतरित करने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सभी संयुक्त उद्यम भागीदारों अर्थात् इरकॉन, राइट्स और आरएलडीए की सहमति से, आईआरडीएससी (एसआईटीसीओ और गरुड़/स्टेशन सुविधा प्रबंधन (एसएफएम) में निवेश को छोड़कर) की परिसंपत्तियों और देनदारियों को 31.12.2024 तक के बुक वैल्यू पर स्लम्प सेल के आधार पर आरएलडीए को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है (अर्थात् विस्तृत कार्यप्रणाली + / - 5% के आधार पर लगभग 39.89 करोड़ रुपये)। इसके बाद, 09 अप्रैल 2025 को बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए और आईआरएसडीसी को 11 अप्रैल 2025 को आरएलडीए से 39.89 करोड़ रुपये का प्रतिफल प्राप्त हुआ। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में 6.30 करोड़ रुपये के उनके हिस्से के लिए आरएलडीए से एसआईटीसीओ के खिलाफ प्रतिफल भी प्राप्त हुआ है। बैलेंस शीट की तारीख यानी 31 मार्च 2025 तक, वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई क्लोजर संबंधी गतिविधियां अभी पूरी होनी बाकी हैं और इन गतिविधियों के पूरा होने और आरएलडीए/एमओआर को परिसंपत्तियों और देनदारियों को सौंपने के बाद परिसमापन प्रक्रिया शुरू होगी। आईआरएसडीसी का वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किया गया है और स्लम्प सेल आय का वितरण और देनदारियों का निपटान परिसमापक की नियुक्ति और स्वैच्छिक समापन के तहत परिसमापन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद किया जाएगा। समूह लगातार घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है और रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की गिरावट की आशंका नहीं है, क्योंकि आईआरएसडीसी की रिपोर्ट की गई निवल संपत्ति में समूह का हिस्सा 61.76 करोड़ रुपये है, जो 237.52 करोड़ रुपये का 26% है।
- (ग) रेल मंत्रालय (एमओआर) ने बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने और उसकी परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। कानूनी औपचारिकताएँ, मूल्य निर्धारण और संबंधित प्रक्रियाएँ प्रक्रियाधीन हैं और कंपनी को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की हानि की आशंका नहीं है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

- (घ) निदेशक मंडल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के पक्ष में ₹ 114.11 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें से ₹ 114.11 करोड़ (31 मार्च, 2024: ₹ 114.11 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है।
- (ङ) निदेशक मंडल ने महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के पक्ष में ₹84.50 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक ₹84.50 करोड़) का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है, जिसका भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा, एमसीआरएल परियोजना के चरण-I (अंगुल – बलराम, 14 किमी पहले से ही चालू) और चरण-II (बलराम-पुपुटगडिया-तेनतुलोई, 54 किमी निर्माणाधीन) को रेल मंत्रालय (एमओआर) को सौंपने का निर्णय लिया गया है। कानूनी औपचारिकताएँ, मूल्य निर्धारण और संबंधित तौर-तरीके प्रक्रियाधीन हैं और कंपनी को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की गिरावट की आशंका नहीं है।
- (च) निदेशक मंडल ने छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के पक्ष में ₹ 64.27 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें से ₹ 46.20 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक 30.60 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है।
- (छ) निदेशक मंडल ने छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के पक्ष में ₹ 193.36 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें से ₹ 64.48 करोड़ (₹ 16.12 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है।
- (iii) (निदेशक मंडल ने छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के पक्ष में ₹ 193.36 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें से ₹ 64.48 करोड़ (₹ 16.12 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है।

8.2 गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
A. अच्छा माना गया : सुरक्षित		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	-	0.02
बी. अच्छा माना जाता है: असुरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों को ऋण:		
सहायक		
– इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	18.57	-
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड {नोट (i) देखें}	180.20	162.59
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	-	68.96
– इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	47.13	47.13
(ii) अन्य:		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	0.26	0.40
कुल	246.16	279.10

टिप्पणी:

- i) कंपनी ने 12 अगस्त, 2021 को अपने बोर्ड अनुमोदन के माध्यम से 1 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को दिए गए अपने ऋण पर ब्याज माफ कर दिया है। उक्त छूट को कंपनी द्वारा इंड एस के प्रावधान के अनुसार सहायक कंपनी में निवेश के रूप में माना गया है। {नोट 8.1 (i) ए देखें}

संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम

उधारकर्ता का प्रकार	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	बकाया ऋण के रूप में ऋण या अग्रिम राशि [*]	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का % [^]	बकाया ऋण के रूप में ऋण या अग्रिम राशि [*]	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का % [^]
प्रमोटरों को ऋण	-	-	-	-
निदेशकों को ऋण	-	-	-	-
केएमपी को ऋण	-	-	-	-
संबंधित पक्षों को ऋण	245.90	99.89%	278.68	99.85%
कुल	245.90	99.89%	278.68	99.85%

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम का प्रतिनिधित्व करता है

[^] ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत दर्शाता है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

8.3 गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ—अन्य वित्तीय परिसम्पत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अच्छा माना जाता है		
सुरक्षा जमा		
— सरकारी विभाग	0.56	0.25
— अन्य	0.05	0.08
अनुबंध परिसंपत्ति:		
— ग्राहक के पास धन प्रतिधारण	31.28	14.75
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा {नोट (i) देखें}	—	0.01
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज#	0.22	0.27
संबंधित पक्ष को ऋण पर अर्जित ब्याज — इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	—	9.02
संबंधित पक्ष को वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर पर अर्जित ब्याज— इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	4.58	—
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य	—	15.00
कुल	36.69	39.38

निदेशक को अग्रिम पर अर्जित ब्याज शून्य (निल) है।

टिप्पणी:

(i) इसमें ग्रहणाधिकार के अंतर्गत एफडीआर शामिल हैं शून्य (31 मार्च, 2024 तक: ₹ 0.01 करोड़)।

9. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)

(क) 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1	लाभ और हानि विवरण अनुभाग		
	वर्तमान आयकर :		
	वर्तमान आयकर प्रभार	222.35	298.77
	पिछले वर्ष के वर्तमान कर के संबंध में समायोजन	(24.32)	2.60
	आस्थगित कर :		
	अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण से संबंधित	(17.81)	(8.73)
	लाभ और हानि विवरण अनुभाग में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	180.22	292.64
2	अन्य व्यापक आय (ओसीआई) अनुभाग		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आयकर:		
	परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर शुद्ध हानि/(लाभ)	0.02	0.45
	विनिमय लाभ/हानि पर शुद्ध हानि/(लाभ)	1.84	(0.61)
	ओसीआई अनुभाग में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	1.86	(0.16)

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 के लिए भारत की घरेलू कर दर से गुणा किए गए कर व्यय और लेखा लाभ का मिलान:
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1	आयकर से पहले लेखांकन लाभ	917.81	1,155.55
2	लेखांकन लाभ पर कर	230.99	290.83
3	कर समायोजन पर प्रभाव:		
(i)	पिछले वर्षों के वर्तमान आयकर के संबंध में समायोजन	(24.32)	2.60
(ii)	पहले से अज्ञात कर घाटे का उपयोग	-	-
	— गैर कर योग्य वस्तुएँ	(35.71)	(37.46)
	—अन्य	0.33	15.24
(iii)	कर से मुक्त आय पर कर	-	-
(iv)	कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती योग्य व्यय:		
	— अन्य देश अतिरिक्त कर	4.91	14.77
	— अन्य गैर-कटौती योग्य व्यय	5.88	6.50
(v)	विभिन्न अन्य वस्तुओं का कर प्रभाव	-	-
		182.08	292.48
4	लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	182.08	292.48
5	प्रभावी कर की दर	19.84%	25.31%

(ग) तुलन पत्र और लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देयताओं) के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	तुलन पत्र		लाभ या हानि का विवरण	
		31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त) सहित: पुस्तक मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(22.82)	(21.44)	1.39	1.20
2	प्रावधानों	122.46	98.76	(23.70)	(16.45)
3	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव, लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	41.51	46.01	4.50	6.53
	शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (शुद्ध)	141.15	123.33	(17.81)	(8.72)

(घ) तुलन पत्र में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	163.96	144.77
2	विलम्बित टैक्स देयता	(22.82)	(21.44)
	आस्थगित कर (देयताएं) / परिसंपत्ति (शुद्ध)	141.14	123.33

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(ई) आस्थगित कर (देयताओं)/ परिसंपत्तियों का समाधान:

31 मार्च 2025 तक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि (शुद्ध)	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31 मार्च, 2025 तक शेष राशि (शुद्ध)
1	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त सहित): पुस्तक मूल्यहास और आयकर मूल्यहास में अंतर	(21.45)	(1.38)	-	(22.83)
2	प्रावधानों	98.77	23.70	-	122.47
3	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव, लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	46.00	(4.50)	-	41.50
	शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / (देयताएँ)	123.32	17.82	-	141.14

31 मार्च 2024 तक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि (शुद्ध)	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31 मार्च, 2024 तक शेष राशि (शुद्ध)
1	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त सहित): पुस्तक मूल्यहास और आयकर मूल्यहास में अंतर	(20.25)	(1.19)	-	(21.44)
2	प्रावधानों	82.32	16.45	-	98.77
3	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव, लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	52.54	(6.53)	-	46.01
	शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / (देयताएँ)	114.61	8.73	-	123.34

10. अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अच्छा माना जाता है		
पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के बदले ठेकेदारों को अग्रिम राशि	36.67	62.82
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	182.02	222.12
कर विभागों के पास जमा राशि	0.55	-
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज	7.05	5.98
परियोजना निर्माण लागत	47.25	56.90
उचित मूल्यांकन समायोजन	0.08	0.05
कुल	273.62	347.87

11. सूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कच्चा माल (मूल्य) लागत या एनआरवी जो भी कम हो, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)		
– हाथ में	5.91	19.33
– तीसरे पक्ष के साथ	1.93	12.02
– पारगमन में	82.67	10.98
अन्य (ट्रैक और निर्माण सामग्री)	-	0.31
कुल	90.51	42.64

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

12. वर्तमान परिसंपत्तियाँ – वित्तीय परिसंपत्तियाँ

12.1 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
1. बांड में निवेश (उद्धृत, परिशोधित लागत पर)		
7.15% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बॉन्ड, ₹ 10,00,000 प्रत्येक की 250 इकाइयाँ (31 मार्च, 2024 : शून्य)	25.00	-
7.07% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बॉन्ड, ₹1,000 प्रत्येक की 3,02,000 इकाइयाँ (31 मार्च, 2024 : शून्य)	30.20	-
7.14% कर मुक्त एनएचआई बॉन्ड, ₹ 1,000 प्रति यूनिट की 1,99,989 इकाइयाँ (31 मार्च, 2024 : शून्य)	20.00	-
7.02% कर मुक्त एनएचआई बांड, ₹ 10,00,000 प्रत्येक की 500 इकाइयाँ (31 मार्च, 2024 : शून्य)	50.00	-
7.35% भारत सरकार (जीओआई) बॉन्ड 2024 शून्य (31 मार्च, 2024 : अंकित मूल्य ₹ 1,50,40,000)	-	1.51
2. लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर म्यूचुअल फंड (उद्धृत) में निवेश		
यूनियन लिक्विड फंड, इकाइयों की संख्या – शून्य (31 मार्च, 2024: इकाइयों की संख्या – 2,27,140.24)	-	52.89
एक्सिस लिक्विड फंड, यूनिटों की संख्या – 3,66,150.89 (31 मार्च, 2024: यूनिटों की संख्या – 2,69,473.15)	105.58	72.39
एक्सिस ओवरनाइट फंड यूनिटों की संख्या – 59,334.56 (31 मार्च, 2024: यूनिटों की संख्या – शून्य)	8.02	-
केनरा रोबेको लिक्विड फंड यूनिटों की संख्या – 5,53,057.70 (31 मार्च, 2024: यूनिटों की संख्या – शून्य)	171.90	-
बंधन लिक्विड फंड, यूनिटों की संख्या – शून्य (31 मार्च, 2024: यूनिटों की संख्या – 2,27,140.24)	-	166.10
निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड, यूनिटों की संख्या – शून्य (31 मार्च, 2024: यूनिटों की संख्या – 3,16,143.76)	-	186.81
एलआईसी म्यूचुअल फंड, यूनिटों की संख्या – शून्य (31 मार्च, 2024: यूनिटों की संख्या – 1,91,133.26)	-	83.81
कुल	410.70	563.51
उद्धृत निवेशों का कुल बही मूल्य	410.70	563.51
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	413.58	563.50
अउद्धृत निवेशों का कुल बही मूल्य	-	-
निवेश के मूल्य में कुल हानि की राशि	-	-

12.2 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ – व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1,709.16	992.26
व्यापार प्राप्य राशियाँ जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	6.37	7.14
	1,715.53	999.40
क्षति भत्ता (अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता)		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	(59.85)	(45.80)
व्यापार प्राप्य जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	(6.37)	(7.14)
कुल	1,649.31	946.46

* संबंधित पक्षों से प्राप्तियां शामिल हैं ₹ 1,163.74 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक: ₹ 585.09 करोड़) और नोट: 33 (सी) 5.1 में खुलासा किया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल वाला	देय नहीं	भुगतान की नियत तिथि से 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने — 1 वर्ष	1—2 वर्ष	2—3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	-	1,096.23	202.54	169.05	114.78	45.62	80.94	1,709.16
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य को अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य — जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य — ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	6.37	6.37
कुल	-	1,096.23	202.54	169.05	114.78	45.62	87.31	1,715.53
विकलांगता भत्ता								(66.22)
कुल								1,649.31

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल वाला	देय नहीं	भुगतान की नियत तिथि से 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने — 1 वर्ष	1—2 वर्ष	2—3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	-	548.04	169.69	50.94	135.55	73.84	14.20	992.26
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य को अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य — जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य — ऋण हानि	-	-	-	-	-	-	7.14	7.14
कुल	-	548.04	169.69	50.94	135.55	73.84	21.34	999.40
विकलांगता भत्ता								(52.94)
कुल								946.46

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

12.3 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ – नकद और नकद समकक्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	पाद लेख	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
हाथ में नकदी		0.05	0.05
पारगमन में धन प्रेषण		-	-
बैंकों के पास शेष:			
– चालू खातों पर		592.75	567.56
– फ्लेक्सी खाते	(i) & (ii)	212.41	376.80
– 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(i) & (ii)	1,172.64	884.47
कुल		1,977.85	1,828.88

12.4 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ – अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	पाद लेख	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अन्य बैंक बैलेंस			
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(i) & (ii)	2,145.13	2,599.61
निर्धारित शेष:			
सीएसआर बैंक खाता		0.17	0.17
लाभांश वितरण खाता		0.76	0.47
कुल		2,146.06	2,600.25

12.3 और 12.4 के लिए नोट:

- (i) इसमें ग्राहकों का फंड शामिल है ₹1,893.60 करोड़ (31 मार्च, 2024: ₹ 2,898.36 करोड़) जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है।
(ii) इसमें परियोजना निधि शामिल है ₹ 1,375.35 करोड़ (31 मार्च, 2024: ₹ 716.24 करोड़)

12.5 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
क. अच्छा माना गया : सुरक्षित		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	0.01	0.02
ख. अच्छा माना जाता है: असुरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों को ऋण:		
सहायक		
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	26.00	34.92
(ii) अन्य:		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	1.53	0.86
कुल	27.54	35.80

संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण या अग्रिम राशि:

उधारकर्ता का प्रकार	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	बकाया ऋण के रूप में ऋण या अग्रिम राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का % [^]	बकाया ऋण के रूप में ऋण या अग्रिम राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का % [^]
प्रमोटरों को ऋण	-	-	-	-
निदेशकों को ऋण	-	-	-	-
केएमपी को ऋण	-	-	-	-
संबंधित पक्षों को ऋण	26.00	94.41%	34.92	97.54%
कुल	26.00	94.41%	34.92	97.54%

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम का प्रतिनिधित्व करता है

[^] ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत दर्शाता है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए****12.6 वर्तमान परिसंपत्तियाँ – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

(₹ करोड़ में)

विवरण	पाद लेख	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अच्छा माना जाता है			
सुरक्षा जमा			
– सरकारी विभाग		11.58	5.36
– अन्य		69.23	126.18
बयाना राशि		0.90	0.90
अर्जित ब्याज:			
– स्टाफ को अग्रिम	(i)	0.09	0.07
– संबंधित पक्षों को ऋण		22.11	14.55
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम		10.88	9.56
– बैंकों में जमा		50.04	65.62
– बांड और सरकारी प्रतिभूतियाँ		7.62	7.63
अनुबंध परिसंपत्ति :			
– बिल योग्य राजस्व/देय नहीं प्राप्य	(ii) (क) & (ख)	359.52	268.59
– निर्माण कार्य प्रगति पर (प्राप्ति योग्य मूल्य पर)	(ii) (ख)	1,088.73	873.48
– ग्राहक के पास धन प्रतिधारण	(iii)	131.88	133.53
– ग्राहक द्वारा रोकी गई धनराशि	(iii)	356.39	276.26
		1,936.52	1,551.86
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित :			
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड – ₹10 प्रति शेयर के 301 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2024: 301 शेयर) {नोट संख्या 8.1 देखें}		-	-
अन्य वसूली योग्य:			
(क) संबंधित पक्षों (संयुक्त उद्यम) से			
– इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्स्ट्रक्टर		3.58	3.53
– मेट्रो टनलिंग ग्रुप		0.75	1.76
– इरकॉन – एएफसीओएन जेवी		-	0.42
– छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड		0.65	0.39
– बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		0.02	0.02
– महानदी कोल रेलवे लिमिटेड		3.81	3.35
– झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		0.10	0.08
एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम		3.08	2.64
(ख) संबंधित पक्षों (सहायक कंपनियों) से			
– इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड		0.08	0.06
– इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड		6.66	6.83
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड		0.34	0.33
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड		0.07	0.15
– दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड		0.30	0.11
– इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड		0.36	0.15
– इरकॉन अक्लोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड		0.63	0.33
– इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड		0.10	0.05
– इरकॉन भोज मोरवे हाईवे लिमिटेड		0.50	0.53
– इरकॉन हरिद्वार हाईवे लिमिटेड		0.22	0.03
– इरकॉन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड		0.03	0.01

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	पाद लेख	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(ग) रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य		4.64	4.64
(घ) ग्राहकों से वसूले जाने योग्य दावे		14.33	20.37
(ई) अग्रिम पट्टा किराया		0.12	0.14
(च) अन्य		3.36	9.62
संदिग्ध माना गया			
सुरक्षा जमा			
— सरकारी विभाग		0.01	0.01
— अन्य		0.05	0.13
बयाना राशि		0.16	0.16
अनुबंध परिसंपत्ति :			
— ग्राहक के पास धन प्रतिधारण		4.28	4.28
— ग्राहक द्वारा रोकੀ गई धनराशि		2.10	2.67
इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड से वसूली योग्य		0.05	0.05
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य		25.81	25.81
ग्राहक से वसूली योग्य दावा संदिग्ध		3.13	2.59
घटाएँ: संदिग्ध अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि भत्ता		(35.59)	(35.70)
कुल		2,152.70	1,837.27

फुटनोट:

- कंपनी, फर्म जिसमें कोई निदेशक भागीदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, के अधिकारियों द्वारा देय ऋण संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों को छोड़कर शून्य हैं (31 मार्च, 2024: शून्य)। इसके अतिरिक्त, निदेशक को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज शून्य है।
- (क) इसमें कार्य का मूल्य शामिल है ₹ 275.30 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक ₹ 201.20 करोड़) ग्राहक द्वारा प्रमाणित, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि तक बिल नहीं किया गया। (ख) संबंधित पक्षों से प्राप्तियां शामिल हैं ₹ 413.33 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक: ₹ 270.96 करोड़) और नोट: 33 (सी) 5.2 (क) में प्रकट किए गए हैं
- संबंधित पक्षों से प्राप्तियां शामिल हैं ₹ 106.24 करोड़ (31 मार्च, 2024 तक: ₹ 84.81 करोड़) और नोट: 33 (ग) 5.2 (ख) में प्रकट किए गए हैं

13. चालू परिसंपत्तियाँ – चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
टीडीएस और अग्रिम कर सहित भुगतान किए गए कर (कर के लिए प्रावधान का शुद्ध)	89.09	50.47
कुल	89.09	50.47

14. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अच्छा माना जाता है		
पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के बदले ठेकेदारों को अग्रिम राशि	139.00	106.00
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	771.39	1,081.49
अग्रिम राशि निम्नलिखित से वसूली योग्य:		
— बिक्री कर (टीडीएस सहित)	320.17	320.23
कम : विरोध के तहत जमा किया गया	(217.05)	(217.05)

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
— मूल्य वर्धित कर	68.40	69.53
— वस्तु एवं सेवा कर	782.30	846.88
— सेवा कर इनपुट क्रेडिट	—	—
सुरक्षा जमा	45.07	45.08
आस्थगित परियोजना गतिशीलता लागत	10.35	12.39
परियोजना निर्माण लागत	29.93	22.63
श्रम/भवन उपकर प्राप्त	0.02	—
अर्जित ब्याज:		
— ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास जमा और अग्रिम	62.88	66.42
प्रीपेड खर्च	3.34	9.33
उचित मूल्यांकन समायोजन	0.04	0.03
संदिग्ध माना गया		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	16.99	16.99
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	30.00	30.00
मूल्य वर्धित कर	9.87	9.87
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए क्षति भत्ता	(56.86)	(56.86)
कुल	2,015.84	2,362.96

15. बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
निपटान के लिए रखी गई संपत्तियां	—	—
कुल	—	—

- (i) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत संपत्ति संयंत्र और उपकरण को पुनर्वर्गीकरण के समय उनकी वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर जो भी कम हो, उस पर मापा गया। तदनुसार, शून्य (वित्त वर्ष 2023–24: शून्य) की हानि का प्रावधान किया गया है।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, उत्तरी क्षेत्र में दो मशीनरी को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय लेखा मानक 105 "बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्ति" द्वारा बताए गए मानदंड अब पूरे नहीं होते हैं।

16. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अधिकृत शेयर पूंजी		
₹2 प्रति शेयर के 200,00,00,000 इक्विटी शेयर		
31 मार्च, 2024 तक ₹2 प्रति शेयर के 200,00,00,000 इक्विटी शेयर	400.00	400.00
	400.00	400.00
जारी/अभिदत्त और चुकता पूंजी		
₹2 प्रति शेयर के 94,05,15,740 इक्विटी शेयर — पूर्ण भुगतान		
₹2 प्रति शेयर के 94,05,15,740 इक्विटी शेयर — 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण भुगतान किए गए	188.10	188.10
	188.10	188.10

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(क) 5% से अधिक पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	कक्षा में : होल्डिंग	शेयरों की संख्या	कक्षा में : होल्डिंग
भारत के राष्ट्रपति और सरकारी मनोनीत व्यक्तियों के नाम पर भारत सरकार	612,928,392	65.17%	612,928,392	65.17%

(ख) प्रमोटर द्वारा धारित शेयरों का विवरण

प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2025 तक प्रमोटर द्वारा धारित शेयर			31 मार्च, 2024 तक प्रमोटर द्वारा धारित शेयर		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का :	वर्ष के दौरान : परिवर्तन	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का :	वर्ष के दौरान : परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति और सरकारी मनोनीत व्यक्तियों के नाम पर भारत सरकार	612,928,392	65.17%	0.00%	612,928,392	65.17%	8.01%

* वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रमोटर ने कंपनी में 7,53,73,258 इक्विटी शेयरों के "बिक्री प्रस्ताव" के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश किया है, जो कंपनी की जारी/अभिदत्त और चुकता पूंजी का 8.01% है।

(ग) रिपोर्टिंग तिथि से ठीक पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों, नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए शेयरों और वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
नकदी के अलावा आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयरों के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयर	-	-	-	470,257,870	-	-
इक्विटी शेयर बायबैक	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	470,257,870	-	-

(घ) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार:

(i) मतदान

कंपनी के पास केवल एक ही प्रकार के इक्विटी शेयर हैं जिनका सममूल्य ₹2 प्रति शेयर है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है।

(ii) परिसमापन

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(ई) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	₹ करोड़ में	शेयरों की संख्या	₹ करोड़ में
वर्ष के आरंभ में जारी/अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी बकाया	940,515,740	188.10	940,515,740	188.10
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी बकाया	940,515,740	188.10	940,515,740	188.10

17. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
प्रतिधारित कमाई	2,684.79	2,224.59
सामान्य रिजर्व	3,333.71	3,333.71
पूंजी मोचन रिजर्व	4.93	4.93
अन्य व्यापक आय	25.90	20.43
कुल	6,049.33	5,583.66
i) नीचे दिए अनुसार आंदोलन:		
(क) प्रतिधारित आय		
प्रारंभिक जमा	2,224.59	1,642.52
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण	737.59	862.90
वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया लाभांश	(122.27)	(112.86)
अंतरिम लाभांश	(155.19)	(169.29)
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन (कर के बाद)	0.07	1.32
जमा शेष	2,684.79	2,224.59
(ख) सामान्य रिजर्व		
आरंभिक और समापन शेष	3,333.71	3,333.71
(ग) पूंजी मोचन रिजर्व		
आरंभिक और समापन शेष	4.93	4.93
(घ) अन्य व्यापक आय		
प्रारंभिक जमा	20.43	9.21
विनिमय हानि को लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया गया	-	13.04
वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व (कर के बाद शुद्ध)	5.47	(1.82)
जमा शेष	25.90	20.43
कुल योग (क+ख+ग+घ)	6,049.33	5,583.66

ii) अन्य रिजर्वों की प्रकृति और उद्देश्य:**(क) प्रतिधारित आय**

प्रतिधारित आय कंपनी के अवितरित लाभ को दर्शाती है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) सामान्य रिजर्व

(₹ करोड़ में)

सामान्य आरक्षित निधि वैधानिक आरक्षित निधि का प्रतिनिधित्व करती है, यह कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का एक हिस्सा सामान्य आरक्षित निधि में विभाजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सामान्य आरक्षित निधि में किसी भी राशि का हस्तांतरण कंपनी के विवेक पर निर्भर है।

(ग) पूंजी मोचन रिजर्व

कंपनी ने 26 मार्च 2017 को शेयरों की पुनर्खरीद के बाद प्राप्त लाभ से पूंजी मोचन रिजर्व बनाया है।

(घ) अन्य व्यापक आय की मदें

अन्य व्यापक आय विदेशी परिचालनों के हस्तांतरण पर विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न शेष राशि को दर्शाती है।

iii) लाभांश वितरण

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
घोषित/भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश:		
वित्त वर्ष 2023-24 का अंतिम लाभांश 2024-25 के दौरान भुगतान किया जाएगा: 1.30 रुपये प्रति शेयर (वित्त वर्ष 2022-23 का अंतिम लाभांश 2023-24 के दौरान भुगतान किया जाएगा: 1.20 रुपये प्रति शेयर)	122.27	112.86
2024-25 के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश: 1.65 रुपये प्रति शेयर (वित्त वर्ष 2023-24: 1.80 रुपये प्रति शेयर)	155.19	169.29
कुल	277.46	282.15

iv) रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में मान्यता प्राप्त नहीं किए गए लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, सुनिश्चित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2025 के लिए लाभांश: 1 रुपये प्रति शेयर (31 मार्च, 2024: 1.30 रुपये प्रति शेयर)	94.05	122.27
कुल	94.05	122.27

18. गैर-वर्तमान देयताएँ – वित्तीय देयताएँ

18.1 गैर-चालू वित्तीय देयताएँ – पट्टा देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
पट्टा देयता	2.51	2.52
कुल	2.51	2.52

18.2 गैर-चालू वित्तीय देयताएँ – व्यापार देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	-	-
(i) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	-	-
कुल	-	-

18.3 गैर-चालू देयताएँ – अन्य वित्तीय देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
जमा और प्रतिधारण धन	561.35	757.83
वित्तीय गारंटी अनुबंध	0.14	0.46
कुल	561.49	758.29

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

19. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	फूट नोट	31 मार्च 2025 को	31 मार्च, 2025 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	19.1	141.28	156.88
अन्य प्रावधान	19.2	327.67	246.69
कुल		468.95	403.57
चालू		264.17	261.20
गैर चालू		204.78	142.37

19.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान:

- क) ये प्रावधान अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, कार्यनिष्पादन आधारित वेतन और अवकाश यात्रा रियायत के प्रयोजनार्थ बनाए गए हैं।
- ख) भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार 'कर्मचारी लाभ' का प्रकटीकरण नोट में दिया गया है।
- ग) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानों के वहन मूल्य में परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

विवरण	अवकाश वेतन*	सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	निष्पादन संबंधी वेतन	अवकाश यात्रा रियायत	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	कुल
31 मार्च, 2024 तक	72.18	1.13	5.17	52.80	0.20	25.41	156.89
चालू	8.61	0.13	5.17	52.80	0.02	25.41	92.14
गैर चालू	63.57	1.00	-	-	0.18	-	64.75
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	16.98	0.16	5.02	28.50	0.01	-	50.67
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग	(11.70)	(0.02)	(5.17)	(29.28)	-	(6.58)	(52.75)
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस लिखें	-	-	-	(13.65)	-	-	(13.65)
एक्यूरियल लाभ/हानि	-	(0.11)	-	-	-	-	(0.11)
(विनिमय लाभ) / हानि	0.23	-	-	-	-	-	0.23
31 मार्च, 2025 तक	77.69	1.16	5.02	38.37	0.21	18.83	141.28
चालू	9.96	0.15	5.02	38.37	0.03	18.83	72.36
गैर-चालू	67.73	1.01	-	-	0.18	-	68.92

* इसमें विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए ₹ 0.55 करोड़ शामिल हैं, जिनके लिए वास्तविक आधार पर अवकाश वेतन का प्रावधान किया गया है।

19.2 अन्य प्रावधान :

प्रावधानों की प्रकृति और प्रावधानों में उतार-चढ़ाव के संबंध में भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(क) विमुद्रीकरण प्रावधान

कंपनी ने विदेशी परियोजनाओं के संबंध में जनशक्ति तथा संयंत्र एवं उपकरणों की छंटनी पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए छंटनी का प्रावधान किया है।

(ख) रखरखाव प्रावधान

लागत प्लस अनुबंध में, रखरखाव के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य है।

मद दर और एकमुश्त टर्नकी अनुबंधों में, अनुबंध संबंधी दायित्वों, उप-ठेकेदार के दायित्वों, परिचालन टर्नओवर और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए दोष दायित्व अवधि के दौरान कंपनी के दायित्व को कवर करने के लिए रखरखाव का प्रावधान किया जाता है।

(ग) कठिन अनुबंध

कंपनी के पास एक ऐसा अनुबंध है जिसमें कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक है। ऐसी स्थिति में भारतीय लेखा मानक 115 और भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार कंपनी को इन घाटे के लिए प्रावधान करना होगा। यह प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान पर आधारित है।

घ) कानूनी मामले

कानूनी मामलों के लिए प्रावधान उन देनदारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो न्यायालयों, मध्यस्थता और अपील के मामलों के संबंध में होने की उम्मीद है।

ड.) अन्य व्ययों के लिए प्रावधान

अन्य व्ययों के लिए प्रावधान अप्रत्यक्ष करों और अन्य के संबंध में अपेक्षित देनदारियों को दर्शाता है

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	वियोजनर	रखरखाव	जटिल अनुबंध	कानूनी मामले	अन्य व्यय	कुल
31 मार्च, 2024 को	15.02	65.60	68.99	59.49	37.58	246.68
चालू	13.52	42.38	16.09	59.49	37.58	169.06
गैर चालू	1.50	23.22	52.90	-	-	77.62
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.57	17.39	188.69	7.05	37.73	254.67
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग	-	(12.87)	(141.80)	(1.47)	(3.29)	(159.43)
घटाएँ: वर्ष के दौरान राइट बैक (विनिमय लाभ)/हानि	(0.64)	(8.28)	(0.18)	(1.65)	(3.04)	(17.03)
	0.49	0.80	-	-	0.15	1.44
छूट का समापन	0.02	1.32	-	-	-	1.34
31 मार्च, 2025 को	15.46	63.96	115.70	63.42	69.13	327.67
चालू	13.35	26.62	19.28	63.42	69.13	191.81
गैर चालू	2.11	37.34	96.42	-	-	135.86

20. अन्य गैर चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
अनुबंध देयताएं		
ग्राहकों से अग्रिम राशि	854.03	930.32
ख) अन्य		
अन्य	2.84	2.54
पट्टा समकारी देयता	5.52	7.62
कुल	862.39	940.48

नोट :

नियम एवं शर्तें तथा संबंधित पक्षों के साथ अन्य शेष राशि का उल्लेख नोट 33 में किया गया है।

21. चालू देयताएं – वित्तीय देयताएं

21.1 चालू वित्तीय देयताएँ – पट्टा देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
पट्टा देयताएँ	0.88	0.72
कुल	0.88	0.72

21.2 वर्तमान वित्तीय देयताएँ – पट्टा देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	33.71	3.73
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा		
(i) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	1,184.41	845.01
(ii) संबंधित पक्ष	6.77	5.63
कुल	1,224.89	854.37

नोट:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमडी) के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नोट 43 में दिए गए हैं।

ख) नियम एवं शर्तें तथा संबंधित पक्षों के साथ अन्य शेष राशि का खुलासा नोट 33 में किया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देयता आयु निर्धारण अनुसूची (₹ करोड़ में)

विवरण	अदावित	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	1 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	14.08	17.29	2.34	-	-	-	33.71
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	452.09	250.23	469.74	3.24	4.12	11.64	1,191.07
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	0.11	0.11
कुल	466.17	267.52	472.08	3.24	4.12	11.75	1,224.89

विवरण	अदावित	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	1 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	2.73	-	1.00	0.01	-	-	3.73
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	436.01	94.55	289.90	5.31	13.32	11.50	850.59
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	0.02	-	-	-	-	0.02	0.04
कुल	438.76	94.55	290.89	5.32	13.32	11.53	854.37

21.3 चालू देयताएँ – अन्य वित्तीय देयताएँ (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
देय ग्रेज्युटी	4.64	3.81
जमा, प्रतिधारण राशि और रोकी गई राशि	1,689.48	1,677.16
वित्तीय गारंटी अनुबंध	0.47	0.47
ग्राहक को देय राशि	614.93	628.23
ग्राहक को देय लाभांश	5.31	4.01
ग्राहक से अग्रिम राशि पर देय ब्याज	270.56	337.90
अन्य देय राशियाँ (कर्मचारी देय राशि सहित)	151.82	141.23
कुल	2,737.21	2,792.81

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

22. अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
क) अनुबंध देयताएं		
ग्राहकों से अग्रिम राशि	1,808.11	1,943.92
कम: विरोध के तहत जमा	(217.05)	(217.05)
अग्रिम अनुबंध रसीदें	441.11	391.42
ख) अन्य		
सांविधानिक बकाया '	360.17	378.16
सीएसआर देयताएं	2.25	-
पट्टा समकारी देयता	2.10	4.31
कुल	2,396.69	2,500.76

नोट :

*सांवाधिक बकाया में माल एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सान्वाधिक बकाया शामिल हैं।

23. चालू कर देयता (शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
कर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर के बाद)	8.50	58.85
कुल	8.50	58.85

24. प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ?
अनुबंध राजस्व	10,134.48	11,918.94
एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) में कंपनी का टर्नओवर हिस्सा	0.96	0.95
मशीनरी किराया शुल्क	3.67	0.20
अन्य परिचालन राजस्व	54.03	30.31
कुल	10,193.14	11,950.40

25. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ?
ब्याज आय :		
कर मुक्त बांड और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	8.88	15.28
आयकर वापसी पर ब्याज	12.49	26.93
कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज	0.05	0.06
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज '	11.30	14.15
अन्य अग्रिमों/दावों पर ब्याज	44.69	83.63
घटाएँ:- ग्राहकों को दिया गया अन्य ब्याज	(7.31)	(29.17)
वित्तीय साधनों को समाप्त करने पर ब्याज आय'	16.26	16.31

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ?
आईआरपीएल के डिबेंचर पर ब्याज	5.09	-
बैंक ब्याज सकल	235.34	267.98
घटाएँ:- ग्राहकों को दिया गया बैंक ब्याज	(34.65)	(66.21)
वित्तीय साधनों का परिशोधन	0.47	0.02
अन्य :		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.49	0.52
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	53.63	37.14
घटाएँ:-ग्राहकों को दिए गए म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	(4.39)	(9.50)
विविध आय ²	10.61	5.59
घटाएँ:-ग्राहकों को दिए गए बीमा दावे	(2.64)	-
विनिमय उतार-चढ़ाव लाभ (शुद्ध)	21.66	-
सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनी से लाभांश	111.33	72.00
म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ/हानि	1.01	2.71
कुल	484.31	437.45

1 इसमें इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के ऋण के उचित मूल्य के कारण ₹16.17 करोड़ (31 मार्च, 2024 ₹16.31 करोड़) शामिल हैं।

2 इसमें जेसीई की अन्य आय के कंपनी शेयर ₹0.14 करोड़ (31 मार्च, 2024 ₹0.17 करोड़) शामिल हैं।

*संबंधित पक्षों से ऋण पर ब्याज और लाभांश आय:

संबंधित पक्षों से ऋण पर ब्याज:

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ?
- छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	-	0.29
- छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	1.51	0.78
- इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	0.86	-
- इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	4.27	4.15
- इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	4.16	5.63
- महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	0.50	3.30
	11.30	14.15

संबंधित पक्षों का विवरण

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ?
- इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	8.83	2.50
- इरकॉन - सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	102.50	69.50
कुल	111.33	72.00

26. (i) प्रयुक्त सामग्री और भंडारण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ?
प्रारंभिक शेष	31.65	33.22
जोड़ें: वर्ष के दौरान खरीदारी (प)	639.58	529.98
	671.23	563.20
घटाएँ: अंतिम शेष	(7.84)	(31.65)
कुल	663.39	531.55

(i) इसमें ₹0.17 करोड़ के लिए भारतीय लेखा मानक का विनिमय लाभ/(हानि) शामिल है (31 मार्च, 2024: ₹0.03 करोड़)।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

26. (ii) डब्ल्यूआईपी में कमी/(वृद्धि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ?
प्रारंभिक जमा	-	49.52
जोड़ें: विनिमय लाभ/(हानि) के लिए वर्ष के दौरान समायोजन	-	0.23
घटाएँ: अंतिम शेष	-	49.75
	-	49.76
कुल	-	49.76

26. (iii) परियोजना और अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्य व्यय	8,469.50	9,982.29	-	-
डिजाइन, ड्राइंग, व्यवसाय विकास और परामर्श शुल्क	32.54	10.94	-	-
निरीक्षण, भू-तकनीकी जांच एवं सर्वेक्षण अनुभव आदि।	21.29	30.65	-	-
मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव	4.93	7.40	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार	8.13	14.75	-	-
विनिमय उतार-चढ़ाव हानि (शुद्ध)	-	-	-	14.42
इक्विटी से लाभ और हानि में विनिमय हानि का पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	13.04
किराया - गैर-आवासीय	7.98	5.94	0.52	0.65
दरें और कर	15.55	23.73	0.62	0.59
वाहन संचालन एवं रखरखाव	14.38	16.74	2.18	2.30
मरम्मत और रखरखाव				
- इमारत	0.09	0.30	0.35	0.21
- कार्यालय एवं अन्य	5.36	5.62	9.56	9.61
बिजली, विद्युत और जल शुल्क	4.06	6.01	2.16	2.02
बीमा	6.98	10.43	0.44	0.38
यात्रा और परिवहन	13.65	12.32	3.48	3.50
मुद्रण और स्टेशनरी	0.93	0.99	0.67	0.38
डाक, टेलीफोन और टेलेक्स	1.05	1.09	0.87	0.38
बैंक शुल्क और कमीशन	6.01	10.96	1.94	0.84
कानूनी और पेशेवर शुल्क	20.52	5.34	13.49	10.96
सुरक्षा सेवाएँ	2.59	2.14	0.69	0.94
सूचीबद्ध व्यय	-	-	0.07	0.06
व्यापार संवर्धन	0.40	0.38	1.11	0.58
बड़े खाते में डालना:				
ऋण	-	0.62	-	-
संपत्तियों/भंडारों की बिक्री पर घाटा	-	-	0.45	0.15
निदेशक बैठने की फीस	-	-	0.18	0.17

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (iii)	-	-	0.93	0.72
विज्ञापन और प्रचार	-	-	1.64	1.55
प्रशिक्षण और भर्ती	-	-	0.49	0.46
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट 44 देखें)	-	-	14.15	11.65
विविध व्यय	4.62	4.08	6.37	5.21
एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) में व्यय का आनुपातिक हिस्सा	0.06	0.31	-	-
प्रावधान (अतिरिक्त - लिखित विवरण) (i)	250.86	82.68	-	-
उपयोग किए गए प्रावधान (ii)	(159.49)	(18.39)	-	-
कुल	8,731.99	10,217.32	62.36	80.77

फुट नोट:

- (i) इसमें प्रावधान संवर्धन के विरुद्ध ₹13.24 करोड़ (वित्त वर्ष - 2023-24 ₹20.69 करोड़) शामिल हैं - संदिग्ध अग्रिम और ऋणों के लिए वापस लिखें।
- (ii) इसमें संदिग्ध अग्रिम और ऋण के विरुद्ध ₹0.08 करोड़ (वित्त वर्ष - 2023-24 ₹0.62 करोड़) शामिल हैं।

(iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.38	0.36
(ख) कर लेखा परीक्षा शुल्क - चालू वर्ष	0.11	0.11
(ग) त्रैमासिक सीमित समीक्षा के लिए शुल्क	0.21	0.19
(घ) प्रमाणन शुल्क	0.15	0.05
(ङ.) यात्रा एवं जेब से होने वाला खचरू		
- यात्रा खर्च	0.05	-
- कर्मचारी द्वारा किया गया खर्चा	0.03	0.01
कुल	0.93	0.72

27. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		
	परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल	परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल
वेतन, मजदूरी और बोनस (i)	155.16	49.40	204.56	160.47	70.82	231.29
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	9.56	4.03	13.59	9.94	28.19	38.13
विदेश सेवा योगदान	-	2.07	2.07	-	2.10	2.10
सेवानिवृत्ति लाभ	18.64	15.47	34.11	20.99	12.38	33.37
कर्मचारी कल्याण	1.25	0.66	1.91	1.78	0.42	2.20
कुल	184.61	71.63	256.24	193.18	113.91	307.09

फुट नोट :

- (i) गैर-मौद्रिक भत्तों पर आयकर शामिल है ₹0.56 करोड़ (31 मार्च, 2024 ₹0.53 करोड़)।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

28. वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज व्यय (i)	4.36	9.59
घटाएँ रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को दिए गए अग्रिम पर ब्याज	-	(2.07)
अन्य ऋण लागत		
— बैंक गारंटी और अन्य शुल्क	1.34	1.05
वित्तीय साधनों के समापन पर ब्याज	-	-
पट्टा देयता पर ब्याज लागत	0.27	0.28
वित्तीय साधनों का परिशोधन	0.10	-
प्रावधानों पर छूट की समाप्ति	1.34	0.76
कुल	7.41	9.61

फुट नोट :

(i) आयकर पर ब्याज शामिल है ₹0.0004 करोड़ (31 मार्च, 2024: ₹0.02 करोड़)।

29. मूल्यहास, परिशोधन एवं हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यहास	20.32	20.03
उपयोग के अधिकार का मूल्यहास — पट्टा संपत्ति	1.22	1.13
अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन	4.34	3.23
निवेश संपत्ति का मूल्यहास	12.37	11.82
कुल	38.25	36.21

30. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के घटक

इक्विटी में प्रत्येक प्रकार के रिजर्व द्वारा ओसीआई में परिवर्तन का विभाजन नीचे दर्शाया गया है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)	0.09	1.78
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(0.02)	(0.45)
कुल	0.07	1.33

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
विदेशी मुद्रा अंतर	7.31	(2.44)
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	(1.84)	0.61
कुल	5.47	(1.83)
कुल योग	5.54	(0.50)

31 क. उचित मूल्य माप

(i) वित्तीय साधनों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में समूहीकृत किया जाता है। माप के लिए महत्वपूर्ण इनपुट की अवलोकनीयता के आधार पर तीन स्तरों को परिभाषित किया गया है, इस प्रकार:

स्तर 1 — समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 — स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं।

स्तर 3 — परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रमाणित इनपुट।

क) 31 मार्च, 2025 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं:*

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य			
	वहन मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ ('एफवीटीपीएल')				
म्युचुअल फंड में निवेश	285.50	285.50	-	-
कुल	285.50	285.50	-	-
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड में निवेश	125.20	-	-	125.20
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	-	-	-	-
(ii) ऋण	273.70	-	-	273.70
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2,189.39	-	-	2,189.39
कुल	2,588.29	-	-	2,588.29

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य			
	वहन मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	-	-	-	-
(ii) पट्टा देयता	3.39	-	-	3.39
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,298.70	-	-	3,298.70
कुल	3,302.09	-	-	3,302.09

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

ख) 31 मार्च, 2024 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं:*

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य			
	वहन मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ ('एफवीटीपीएल')				
म्यूचुअल फंड में निवेश	562.00	562.00	-	-
कुल	562.00	562.00	-	-
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड में निवेश	125.19	-	-	125.19
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.51	-	-	1.51
(ii) ऋण	314.90	-	-	314.90
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1,876.65	-	-	1,876.65
कुल	2,318.25	-	-	2,318.25

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य			
	वहन मूल्य	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	-	-	-	-
(ii) पट्टा देयता	3.24	-	-	3.24
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तिया	3,551.10	-	-	3,551.10
कुल	3,554.34	-	-	3,554.34

प्रबंधन ने यह आकलन किया कि नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार प्राप्त्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देयताएं, इन लिखतों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण, उनकी वहन राशि के लगभग बराबर हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि पर शामिल किया जाता है जिस पर साधन को इच्छुक पक्षों के बीच चालू लेनदेन में बदला जा सकता है। उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया:

- म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य ('एनएवी') पर आधारित है, जैसा कि इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा तुलन पत्र की तारीख पर प्रकाशित बयानों में बताया गया है। एनएवी उस कीमत को दर्शाता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और वह कीमत जिस पर जारीकर्ता निवेशकों से ऐसी इकाइयाँ जो आवश्यक हो।
- सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को इक्विटी निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे ऐतिहासिक लागत पर हिसाब में लिया गया है। चूंकि माप के प्रयोजनों के लिए ये भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे से बाहर हैं, इसलिए इन्हें उपरोक्त तालिकाओं में प्रकट नहीं किया गया है।

*वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2023-24 के दौरान स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 उचित मूल्य माप के बीच कोई स्थानांतरण नहीं हुआ।

31 ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की मुख्य वित्तीय देनदारियों में उधार, व्यापार, पट्टा देयता और अन्य देय शामिल हैं। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्तियाँ, और नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी म्यूचुअल फंड, कर मुक्त बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में भी निवेश रखती है। कंपनी की गतिविधियाँ इसे कुछ वित्तीय जोखिमों के प्रति उल्लेखबाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए****क) बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह का उचित मूल्य बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव करेगा। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में उधार, व्यापार प्राप्त्य, व्यापार देय और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

‘कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है और विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियाँ और भुगतान आम तौर पर मेल खाते हैं) के प्रति संवेदनशील है, मुख्य रूप से यूएसडी, ईयूआरओ, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, जेपीवाई, एमएमके और जेडएआर के संबंध में। समूह के महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हैं। 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 तक, संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 5% की वृद्धि या कमी से हमारे कर-पूर्व लाभ पर क्रमशः लगभग ₹28.96 करोड़ और ₹2.45 करोड़ का प्रभाव पड़ेगा।’

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2025 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेपीवाई	एमएमके	जेडएआर	कुल
संपत्ति										
व्यापार प्राप्त्य	11.23	87.20	21.10	-	-	3.32	4.94	-	-	127.78
नकद और बैंक शेष	38.30	0.12	52.14	1.92	3.05	7.45	13.10	0.13	65.17	181.38
ठेकेदारों को अग्रिम राशि	-	-	-	2.55	-	-	77.95	83.07	-	163.57
अन्य संपत्ति	16.50	3.35	60.16	-	1.28	-	6.23	9.44	-	96.96
कुल	66.03	90.66	133.40	4.47	4.33	10.77	102.22	92.64	65.17	569.69
देयताएँ										
व्यापार देयताएँ	2.14	13.05	46.47	0.73	12.34	0.14	5.52	26.88	-	107.27
ग्राहक से अग्रिम राशि	30.08	-	-	-	-	0.23	746.13	-	-	776.44
अन्य देयताएँ	37.16	11.29	195.05	-	5.03	0.16	16.47	-	-	265.16
कुल	69.38	24.34	241.52	0.73	17.37	0.53	768.13	26.88	-	1,148.87

31 मार्च, 2025 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेपीवाई	एमएमके	जेडएआर	कुल
संपत्तियाँ										
व्यापार प्राप्त्य	22.85	75.12	46.64	-	-	-	47.27	-	-	191.88
नकद और बैंक शेष	184.32	237.44	60.99	2.07	3.95	5.09	60.17	0.34	78.56	632.93
ठेकेदारों को अग्रिम	0.14	-	-	5.16	-	-	32.92	76.95	-	115.17
अन्य संपत्तियाँ	7.89	5.35	68.08	-	6.74	-	9.92	-	-	97.98
कुल	215.20	317.91	175.71	7.23	10.69	5.09	150.28	77.29	78.56	1,037.96
देनदारियाँ										
व्यापार देय	3.02	30.79	11.24	2.63	23.36	-	-	5.97	-	77.01
ग्राहक से अग्रिम	55.80	-	-	-	-	-	541.55	-	-	597.35
अन्य देयताएँ	25.68	8.02	261.54	-	4.85	-	14.27	0.19	-	314.55
कुल	84.50	38.81	272.78	2.63	28.21	-	555.82	6.16	-	988.91

ख) (ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव करेगा। कंपनी अपने ब्याज जोखिम को कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार प्रबंधित करती है। ब्याज

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में कर मुक्त बांड, सरकारी प्रतिभूतियाँ और बैंकों में जमा राशि शामिल हैं। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर जोखिम बहुत कम है क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर तय होती है। साथ ही, कंपनी को ऋणउधार पर कोई ब्याज जोखिम नहीं है क्योंकि यह ब्याज की निश्चित दर वहन करती है।

ख) ऋण जोखिम

“कंपनी के ग्राहक प्रोफाइल में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, भारत और विदेशों में राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियाँ शामिल हैं। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन एडवांस, 45 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी की जाने वाली कुछ प्रतिधारण राशि शामिल है। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक ः कॉर्पोरेट गारंटी के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की विस्तृत समीक्षा प्रणाली है ताकि वसूली के लिए उचित ध्यान और ध्यान केंद्रित किया जा सके। कंपनी दी गई गारंटियों के लिए ऋण जोखिम के संपर्क में है। इस संबंध में कंपनी का अधिकतम जोखिम वह अधिकतम राशि है जो कंपनी को गारंटी की मांग किए जाने पर चुकानी पड़ सकती है (नोट 37 देखें)। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपेक्षाओं के आधार पर, कंपनी मानती है कि यह अधिक संभावना है कि व्यवस्था के तहत ऐसी राशि देय नहीं होगी।”

कंपनी दी गई गारंटी के लिए क्रेडिट जोखिम के संपर्क में है। इस संबंध में कंपनी का अधिकतम जोखिम वह अधिकतम राशि है जो कंपनी को गारंटी मांगे जाने पर चुकानी पड़ सकती है (नोट 37 देखें)। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपेक्षाओं के आधार पर, कंपनी मानती है कि इस व्यवस्था के तहत ऐसी राशि का भुगतान न किए जाने की संभावना अधिक है।

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां

कंपनी का क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और देश का डिफॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक काम करता है, क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन पर भी प्रभाव डालता है।

ऋण जोखिम की संभावना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए भत्ते को आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (एलईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर चालू निवेश	2,444.31	2,275.88
गैर चालू ऋण	246.16	279.10
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	5.41	24.63
चालू निवेश	410.70	563.51
नकद और नकद समकक्ष	1,977.85	1,828.88
अन्य बैंक शेष	2,146.06	2,600.25
चालू ऋण	27.54	35.80
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	245.39	314.16
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए भत्ते को सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्तियां	1,715.53	999.40
अनुबंध परिसंपत्तियां	1,974.18	1,573.56

सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके मापी गई हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक भत्ते	59.90	40.17
वर्ष के दौरान प्रदान किया गया	14.50	20.35
वर्ष के दौरान उपयोग	-	(0.62)
बढ़े खाते में डाली गई राशि	(1.79)	-
समापन भत्ते	72.61	59.90

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹14.50 करोड़ (31 मार्च, 2024 : ₹20.35 करोड़) की हानि भत्ता मान्यता दी है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके मापी गई हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक भत्ते	28.74	28.40
वर्ष के दौरान प्रदान किया गया	0.53	0.35
वर्ष के दौरान उपयोग	(0.08)	(0.01)
बड़े खाते में डाली गई राशि	-	-
(विनिमय लाभ) ६ हानि	-	(0.01)
समापन भत्ते	29.19	28.73

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹0.53 करोड़ (31 मार्च, 2024 ₹0.35 करोड़) की हानि भत्ता मान्यता दी है।

ग) तरलता जोखिम

कंपनी पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखने और पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच बनाकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। ट्रेजरी विभाग नियमित रूप से अनुमानों के मुकाबले नकदी और नकदी समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन और तुलना पत्र तरलता अनुपात के रखरखाव पर विचार किया जाता है।

कंपनी की निवेश नीति और रणनीति पूंजी के संरक्षण और कंपनी की तरलता आवश्यकताओं का समर्थन करने पर केंद्रित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इसकी निवेश रणनीति की देखरेख करता है और इसके निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करता है। कंपनी आमतौर पर भारत सरकार के ऋण बांड और म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। नीति के अनुसार निवेश आमतौर पर निवेश ग्रेड का होना चाहिए, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मूलधन हानि के संभावित जोखिम को कम करना है।

एनएचएआई बांड पर ब्याज की दर निश्चित होती है, इसलिए वे बांड प्राप्ति दरों में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते हैं और म्यूचुअल फंड अत्यधिक तरल परिसंपत्तियां हैं, जिनका भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है तथा पुनः निवेश किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों के बारे में विवरण प्रदान करती है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष या उससे अधिक
ऋण	-	-	-
व्यापार देयताएँ	1,224.89	-	-
पट्टा देयताएँ	0.88	0.88	1.63
अन्य वित्तीय देयताएँ	2,737.21	561.49	-

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष या उससे अधिक
ऋण	-	-	-
व्यापार देयताएँ	854.37	-	-
पट्टा देयताएँ	0.72	0.66	1.86
अन्य वित्तीय देयताएँ	2,792.81	758.29	-

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

संकेन्द्रण तब उत्पन्न होता है जब कई प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों में लगे होते हैं, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएँ ऐसी होती हैं कि आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों से संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता समान रूप से प्रभावित होती है। संकेन्द्रण किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों के प्रति कंपनी के प्रदर्शन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाता है।

जोखिम के अत्यधिक संकेन्द्रण से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के पहचाने गए संकेन्द्रणों को नियंत्रित किया जाता है और तदनुसार प्रबंधित किया जाता है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व का विवरण देती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व	5,095.81	5,453.28
	5,095.81	5,453.28

31 ग. पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह से करना है कि यह सुनिश्चित हो सके और कंपनी की क्षमता बनी रहे ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम लाभ दे सके और अन्य हितधारकों को लाभ पहुंचा सके। कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है:-

लाभांश :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
लाभांश भुगतान	277.46	282.15
कुल	277.46	282.15

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹2/- अंकित मूल्य पर ₹1 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। यह ₹2/- अंकित मूल्य पर 1.65 प्रति इक्विटी शेयर की दर से दिए गए अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

इसके अलावा, कंपनी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के मद्देनजर समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

32. कर्मचारी लाभ

भारतीय लेखा मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ – सामान्य विवरण

(i) पेंशन

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2009 से आईडीए स्केल में वेतन पाने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए इरकॉन परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 यानी 01 अप्रैल, 2009 को लागू किया है, चाहे उनकी सेवा की अवधि कुछ भी हो, सिवाय उन कर्मचारियों के जो 01 जनवरी, 2017 से पहले शामिल हुए थे, लेकिन 15 साल की सेवा पूरी करने से पहले 01 जनवरी, 2017 के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे/इस्तीफा दे देंगे, ऐसे मामले में पेंशन के लिए नियोक्ता का अंशदान 01 जनवरी, 2017 से ही प्रभावी होगा। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2015-16 में गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया गया था और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 में, निदेशक मंडल ने 11 मई, 2023 को आयोजित अपनी 286वीं बैठक में एलआईसी के साथ बनाए गए इरकॉन परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एनपीएस में कंपनी का योगदान ₹9.44 करोड़ (एनपीएस के लिए ₹4.72 करोड़ और पेंशन ट्रस्ट के लिए ₹4.63 करोड़) है।

(ii) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)

कंपनी ने स्वैच्छिक कल्याण उपाय के रूप में सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के जीवनसाथी को वार्षिकी, चिकित्सा और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2000-01 के दौरान ₹12.00 करोड़ के प्रारंभिक एकमुश्त योगदान द्वारा एक अपरिवर्तनीय ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसके लिए कंपनी अपने कर्मचारियों को ऐसे लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा, कंपनी अपने कर्मचारियों (और जीवनसाथी) को चिकित्सा लाभ प्रदान करती है जो कंपनी से सेवानिवृत्त होते हैं। कंपनी ने सेवानिवृत्ति लाभों पर डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर ₹5.02 करोड़ (₹5.17 करोड़) का योगदान दिया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्त वर्ष 2024-23 के समापन के बाद, निदेशक मंडल ने 11 मई, 2025 को आयोजित अपनी 286वीं बैठक में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संचालित इरकॉन परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है।)।

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ – सामान्य विवरण

(i) भविष्य निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कंटीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट) को पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि का निश्चित अंशदान देती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। ट्रस्ट को ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना आवश्यक है। ट्रस्ट को आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेश से प्राप्त रिटर्न और अधिसूचित ब्याज दर के आधार पर ब्याज भुगतान के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करे।

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने भविष्य निधि के लिए नियोक्ता के अंशदान के रूप में ट्रस्ट को ₹19.86 करोड़ (₹15.78 करोड़) का योगदान दिया है, जिसमें निवेश पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए ₹6.58 करोड़ शामिल हैं।

(ii) ग्रेच्युटी

कंपनी ने इरकॉन कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना लागू की है, जो कंपनी के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उनके सेवा समाप्ति के उपरांत कृपया कि सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के मामलों में कृतार्थिक सहायता प्रदान करने हेतु संचालित की जाती है। इस उद्देश्य के लिए एक पृथक ट्रस्ट वर्ष 2015-16 में गठित किया गया, जिसे आयकर प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। इस ट्रस्ट की निधियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समायोजित की गई लेखांकन पुस्तकों के अनुसार, ₹ 4.64 करोड़ (₹ 3.81 करोड़) की देयता गणनात्मक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है।

(iii) अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – सामान्य विवरण

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में गृह नगर में या उस स्थान पर बसना शामिल है जहाँ वह या उसका परिवार भारत में बसना चाहता है, जिसमें सामान भत्ता भी शामिल है। इस खाते पर देयता को एकचुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। 31 मार्च, 2025 तक लाभ और हानि विवरण और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न कर्मचारी लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

i) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	448.60	453.76	79.30	90.19	1.15	1.15
वर्तमान सेवा लागत	40.03	41.21	4.01	3.75	0.07	0.07
पिछली सेवा लागत	-	-	0.36	1.18	-	-
ब्याज लागत	25.26	35.18	5.73	6.60	0.08	0.08
भुगतान किए गए लाभ	(100.44)	(84.61)	(14.14)	(20.23)	(0.02)	(0.03)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि/ (लाभ)	(1.23)	3.06	(0.67)	(2.19)	(0.10)	(0.13)
अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	412.22	448.60	74.59	79.30	1.18	1.15

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

ii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	423.20	450.30	75.49	83.03	-	-
नियोक्ता एवं कर्मचारी द्वारा योगदान	40.03	41.21	3.81	7.17	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(100.44)	(84.61)	(14.14)	(20.23)	-	-
ब्याज आय	45.23	37.57	4.79	5.73	-	-
तुलन पत्र के अनुसार आरंभिक समायोजन	-	1.59	-	-	-	-
नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए वित्त वर्ष 22-23 के लिए ब्याज में कमी	-	2.46	-	-	-	-
तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	-	(25.32)	-	-	-	-
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर रिटर्न	-	-	-	-	-	-
एलआईसी मृत्यु दर शुल्क	-	-	(0.00)	(0.21)	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	408.02	423.20	69.95	75.49	-	-

iii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ दायित्व का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	408.02	423.20	69.95	75.49	-	-
परिभाषित लाभ दायित्व	412.22	448.60	74.59	79.30	1.18	1.15
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	(4.20)	(25.40)	(4.64)	(3.81)	(1.18)	(1.15)

iii) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान सेवा लागत	13.26	13.19	4.01	3.75	0.07	0.07
पिछली सेवा लागत	-	-	0.36	1.18	-	-
शुद्ध ब्याज व्यय	-	-	0.27	0.52	0.08	0.08
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि	13.26	13.19	4.64	5.45	0.15	0.15

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

v) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	0.08	0.03	(2.32)	(0.45)	0.02	0.01
अनुभव समायोजन	(1.31)	3.04	2.99	2.64	(0.12)	(0.14)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	(19.98)	(2.39)	(0.67)	(0.55)	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि	(21.21)	0.68	-	1.64	(0.10)	(0.13)

vi) कुल योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	58.30%	52.05%	-	-	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-
केंद्र और राज्य गारंटीकृत बांड	-	-	-	-	-	-
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	33.94%	36.73%	-	-	-	-
पीएसयू बॉन्ड	-	-	-	-	-	-
पीएसयू बेसल III टियर I बॉन्ड	-	-	-	-	-	-
डेट म्यूचुअल फंड	0.03%	0.78%	-	-	-	-
इटीएफ/इंडेक्स/इक्विटी म्यूचुअल फंड	7.41%	4.51%	-	-	-	-
विशेष जमा	-	5.03%	-	-	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	-	-	100.00%	100.00%	-	-
बैंक शेष	0.32%	0.90%	-	-	-	-
कुल	100%	100%	100%	100%	-	-

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

vii) कंपनी की योजनाओं के लिए पीएफ/ग्रेच्युटी/सेवानिवृत्ति भत्ता देयता निर्धारित करने में प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं नीचे दर्शाई गई हैं:

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	ग्रेच्युटी 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	सेवानिवृत्ति भत्ता 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	सेवानिवृत्ति भत्ता 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट की दर	6.79%	7.23%	6.79%	7.23%	6.79%	7.23%
भावी वेतन वृद्धि / अपेक्षित वैधानिक ब्याज दर	8.25%	8.25%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)

viii) 31 मार्च तक ऊपर दर्शाई गई महत्वपूर्ण धारणा के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीएफ योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		ग्रेच्युटी योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		सेवानिवृत्ति भत्ता (डीबीओ पर प्रभाव)	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	412.22	448.60	74.59	79.30	1.18	1.15
छूट दर	6.79%	7.23%	6.79%	7.23%	6.79%	7.23%
0.50% की वृद्धि	(0.09)	(0.07)	(2.63)	(2.43)	(0.05)	(0.04)
0.50% की कमी	0.09	0.07	2.84	2.62	0.05	0.05
भावी वेतन वृद्धि / अपेक्षित वैधानिक ब्याज दर	8.25%	8.25%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
0.50% की वृद्धि	-	-	1.01	1.04	0.05	0.05
0.50% की कमी	-	-	(1.10)	(1.09)	(0.05)	(0.04)

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऊपर दर्शाई गई प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव का अनुमान लगाता है।

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं नगण्य हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती।

ix) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

242 अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए परिभाषित लाभ योजना में अपेक्षित योगदान ₹16.98 करोड़ (₹18.48 करोड़) है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

x) परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व अवधि की अवधि (वर्षों में)	भविष्य निधि	ग्रेच्युटी	सेवानिवृत्ति भत्ता
1	61.64	13.29	0.17
2	110.72	7.34	0.11
3		7.44	0.10
4		5.60	0.07
5		4.22	0.07
6	239.85	3.00	0.05
6 वर्ष आगे		33.70	0.61
कुल	412.21	74.59	1.18

जोखिम विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना में कंपनी को कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जोखिम, और इन जोखिमों के प्रभाव के बारे में प्रबंधन का अनुमान इस प्रकार है:

(क) ब्याज जोखिम

योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज दर में कमी से योजना देयता में वृद्धि होगी।

दीर्घायु जोखिम/जीवन प्रत्याशा

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य रोजगार के दौरान और उसके अंत में योजना प्रतिभागियों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना देयता में वृद्धि होगी।

वेतन वृद्धि जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना देयता में वृद्धि होगी।

33. संबंधित पार्टी लेनदेन

भारतीय लेखा मानक 24 'संबंधित पक्ष प्रकटीकरण' के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क) संबंधित पक्षों की सूची**(i) सहायक कंपनियाँ**

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
 इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
 इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
 इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड
 इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
 इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड
 इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड
 इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड
 इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड
 इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड
 इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ

इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड

(iii) असंबद्ध संयुक्त उद्यम (संयुक्त संचालन)

संयुक्त परिचालन चल रहा है

एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम

एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम

इरकॉन-पारस-पीसीएम जेवी

इरकॉन-डीआरए जेवी

एएमआरआईएल-इरकॉन जेवी

बीआरसी-इरकॉन जेवी

इरकॉन-एसएसएनआर जेवी

समाप्त संयुक्त प्रचालन
इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर
मेट्रो टनलिंग ग्रुप
इरकॉन-एएफसीओएनएस

वित्तीय रूप से बंद संयुक्त प्रचालन

इरकॉन-कोबरा-लूप

इरकॉन-श्री भवानी बिल्डर्स

इरकॉन-एसएमजे प्रोजेक्ट जेवी

इरकॉन-गैनन डंकल

इरकॉन-आरसीएस-पीएफएलइडरर

इरकॉन-एसपीएससीपीएल

रिर्कॉन

(iv) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक (केएमपी)

पूर्णकालिक निदेशक

नाम	पदनाम
श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता ¹	सीएमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) (29.04.2024 से समाप्त)
श्री आशीष बंसल ²	सीएमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) (01.07.2024 से समाप्त)
श्री हरि मोहन गुप्ता ³	सीएमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
श्रीमती रागिनी अडवाणी	निदेशक (वित्त)
श्री आनंद कुमार सिंह	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री पराग वर्मा	निदेशक (निर्माण) (सेवानिवृत्ति के कारण 30.04.2025 से सेवामुक्त)
श्री नरेश चन्द्र कर्माली ⁴	निदेशक (कार्य) (15.05.2025 से समाप्त)
श्री अजीत कुमार मिश्रा ⁵	निर्देशक (कार्य)

1. श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 10092756) ने दिनांक 29 अप्रैल 2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है, अतः वह कंपनी के सीएमडी एवं सीईओ नहीं रहे हैं।
2. श्री आशीष बंसल, आईआरएसई, पीईडी/ट्र. (एमएंडएमसी), रेलवे बोर्ड [डीआईएन:10328174] ने 01 जुलाई, 2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है, इसलिए वे कंपनी के सीएमडी और सीईओ नहीं रहेंगे।
3. श्री हरि मोहन गुप्ता [डीआईएन:08453476] ने 01 जुलाई, 2024 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक, यानी 30.06.2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।
4. श्री नरेश चंद्र कर्माली (डीआईएन: 09103211), IRSE, PED/GS, रेलवे बोर्ड, को दिनांक 09.05.2025 (AN) से रेलवे मंत्रालय के अगले आदेश तक IRCON में निदेशक (कार्य) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। श्री नरेश चंद्र कर्माली ने दिनांक 15.05.2025 (FN) से निदेशक (कार्य), IRCON (अतिरिक्त प्रभार) के पद का त्याग कर दिया है, अतः वह कंपनी के निदेशक (कार्य) नहीं रहे हैं।
5. श्री अजीत कुमार मिश्रा (डीआईएन:11108237) को दिनांक 15.05.2025 (AN) से निदेशक (कार्य) के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 5 वर्षों की अवधि के लिए या रेलवे मंत्रालय के अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक प्रभावी रहेगा।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

कंपनी सचिव एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

नाम	पदनाम
श्री एलिन रॉय चौधरी	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (01.01.2025 से नियुक्त)
श्री बी. मुगुंथन	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (31.12.2024 से समाप्त)
श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल	कंपनी सचिव (21.05.2024 से नियुक्त)
श्रीमती पूजा गुरवाल	कंपनी सचिव (28.11.2023 से नियुक्त) (21.05.2024 से समाप्त)

अन्य निदेशक

सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक

नाम	पदनाम
श्री अनुपम सिंह	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (6.11.2024 से नियुक्त)
श्री आनंद भाटिया	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (04.02.2025 से नियुक्त)
श्री धनंजय सिंह	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (6.11.2024 से समाप्त)
श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (29.04.2024 से समाप्त)
श्री अजय कुमार चौहान	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक (8.11.2024 से समाप्त)
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक (8.11.2024 से समाप्त)
श्रीमती रंजना उपाध्याय	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक (8.11.2024 से समाप्त)
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक (28.12.2024 से समाप्त)
श्री टी. वरदराजन	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर-आधिकारिक) निदेशक (15.05.2025 से नियुक्त)

(v) रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ

इरकॉन ग्रेच्युटी ट्रस्ट

इरकॉन कर्मचारी अंशदायी पीएफ ट्रस्ट

इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट

इरकॉन परिभाषित अंशदान सुपरएनुएशन पेंशन योजना, 2009 ट्रस्ट

(vi) सरकार से संबंधित संस्थाएँ

कंपनी रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। कंपनी भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है, जिसके पास 31 मार्च, 2025 तक भारत के राष्ट्रपति के नाम पर 65.17: इक्विटी शेयर हैं। भारतीय लेखा मानक 24 के पैरा 25 और 26 के अनुसार, जिन संस्थाओं पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पार्टियों के साथ लेन-देन बाजार की शर्तों पर आर्म लेंथ आधार पर किए जाते हैं। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित उल्लेख किए हैं।

कंपनी का निम्नलिखित सरकारी संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन है:

निकाय का नाम	संबंध
रेल मंत्रालय	नियंत्रक इकाई
रेल भूमि विकास प्राधिकरण	रेल मंत्रालय के अधीन वैधानिक प्राधिकरण
भारतीय रेलवे वित्त निगम	रेलवे पीएसयू

(vii) अन्य संबंधित पक्ष:

संयुक्त उद्यम कंपनियों के सहयोगी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

b) कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के साथ लेन-देन इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1	अल्पावधि रोजगार लाभ (i)	3.57	2.28
2	रोजगार के बाद के लाभ	0.57	0.39
3	अन्य दीर्घकालिक रोजगार लाभ	0.19	0.07
4	बैठक शुल्क	0.18	0.18
	कुल	4.51	2.92

नोट: (i) वित्तीय वर्ष 2024-25 के आकड़ों में पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अनंतिम आधार पर वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹0.59 करोड़ के पीआरपी शामिल है। (वित्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों में पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनंतिम आधार पर वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ₹0.31 करोड़ के पीआरपी शामिल है)

(ii) उन निदेशकों से, जिन्हें कंपनी आवास और कार प्रदान की गई है, लागू होने पर वसूली की गई है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

अन्य संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंधित पक्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री				
1.1	अनुबंध राजस्व	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.94	0.23
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	67.83	45.70
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	94.91	114.55
		इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	14.50	23.92
		इरकॉन अक्लोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	99.85	217.29
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	373.41	311.86
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	318.04	450.64
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	566.29	392.08
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	240.10	206.31
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	13.76	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	130.16	40.50
		छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	972.34	619.56
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	11.10	15.62
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	363.37	333.48
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	4.41	3.34
		इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	5,088.52	7,161.46
1.2	किराये की आय	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.69	0.62
		इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.04	0.04
		इरकॉन अक्लोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.04	0.04
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	0.09	0.10

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन—देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंधित पक्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
2	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	5.81	9.39
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	1.93	—
3	प्रतिनियुक्ति स्टाफ व्यय, किराया और अन्य विविध व्यय (आय) की प्रतिपूर्ति	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	2.21	2.98
		इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.28	0.30
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.50	0.54
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.27	0.39
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.23	0.38
		इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.62	0.50
		इरकॉन अक्लोली—शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.61	0.21
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.41	0.19
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.41	0.43
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.19	0.16
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.13	0.01
		इरकॉन—सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.64	0.92
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.52	0.33
		छत्तीसगढ़ ईस्ट—वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	—	0.64
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.42	0.42
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.46	0.35
		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.16	0.06
4	ब्याज आय				
4.1	ऋण पोअर ब्याज आय	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	16.17	16.31
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.86	—
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	4.27	4.15
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	4.16	5.63
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	—	0.29
		छत्तीसगढ़ ईस्ट—वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	1.51	0.78
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.50	3.30

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन—देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंधित पक्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
4.2	अग्रिम पर ब्याज आय	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएं	-	2.07
4.3	बांड पर ब्याज आय	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार से संबंधित संस्थाएं	3.92	10.85
4.4	डिबेंचर पर ब्याज आय	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	5.09	-
4.5	लाभांश आय	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड इरकॉन—सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	8.83 102.50	2.50 69.50
5	निवेश की बिक्री पर लाभांश / लाभ				
5.1	लाभांश संवितरण	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएं	180.82	206.48
5.2	निवेश की बिक्री पर लाभ आगे बढ़ाया गया	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएं	4.18	9.50
6	ब्याज व्यय				
6.1	अग्रिम पर ब्याज व्यय	इरकॉन अक्लोल्ली—शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ	3.19 1.16 0.33	4.92 2.45 0.65
6.2	ब्याज व्यय आगे बढ़ाया गया	रेल मंत्रालय महानदी कोल रेलवे लिमिटेड महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएं संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	29.13 0.19 1.14	60.90 0.20 1.28
6.3	ऋण पर ब्याज व्यय	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार से संबंधित संस्थाएं	-	2.07
7	इक्विटी शेयरों में निवेश	इरकॉन अक्लोल्ली—शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ	- 7.49 5.40	4.29 3.57 5.15
8	ब्याज मुक्त ऋण / मानित इक्विटी दी गई	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड इरकॉन अक्लोल्ली—शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड छत्तीसगढ़ ईस्ट—वेस्ट रेलवे लिमिटेड महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	1.85 - 53.44 45.54 30.00 - 19.79 15.60 48.36 -	(4.87) 17.00 0.10 53.53 44.69 0.20 50.24 15.00 16.12 32.50

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन—देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंधित पक्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
8.1	वित्तीय गारंटी अनुबंध	इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड इरकॉन अक्लोली—शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ	0.11 0.01 0.01 0.01 0.01	0.07 0.18 0.18 0.13 0.22
8.2	डिबेंचर	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियों	66.00	—
9	दिए गए ऋण	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	18.57	—
10	ऋण की वसूली	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों सहायक कंपनियों	5.62 68.96	52.24 —
11	अग्रिम राशि की वसूली	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएं	—	615.31
12	ऋण की अदायगी	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार से संबंधित संस्थाएं	—	615.31
13	प्राप्त अग्रिम राशि	इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड छत्तीसगढ़ पूर्व—पश्चिम रेलवे लिमिटेड झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड रेल भूमि विकास प्राधिकरण रेल मंत्रालय	सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ सरकार से संबंधित संस्थाएँ सरकार से संबंधित संस्थाएं	46.06 15.94 4.00 — 18.05 311.54 456.52 108.13 4,336.16	29.34 21.63 — 17.50 0.74 65.54 405.61 90.00 6,046.42
14	अग्रिम राशि का पुनर्भुगतान	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड इरकॉन अक्लोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड छत्तीसगढ़ ईस्ट—वेस्ट रेलवे लिमिटेड झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड रेल मंत्रालय रेल भूमि विकास प्राधिकरण रेल मंत्रालय	सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ सहायक कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ सरकार से संबंधित संस्थाएँ सरकार से संबंधित संस्थाएँ सरकार से संबंधित संस्थाएँ	20.70 25.51 19.20 26.35 18.35 5.34 292.51 394.86 108.66 4,934.15	— — — — 4.16 0.08 86.59 403.76 140.76 5,643.10

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन—देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंधित पक्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
15	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ				
15.1	वर्ष के दौरान किया गया योगदान	इरकॉन ग्रैच्युइटी ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	4.64	5.45
		इरकॉन कर्मचारी अंशदायी पीएफ ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	44.40	42.54
		इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	5.02	5.17
		इरकॉन परिभाषित अंशदान सुपरएनुएशन पेंशन योजना, 2009 ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	-	5.74

नोट:

- (i) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों और संयुक्त परिचालनों के साथ गारंटी और अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए नोट 37 देखें।
(ii) रेल मंत्रालय से की गई खरीद विषम प्रकृति की है, इसलिए महत्वहीन है। इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

ग) संबंधित पक्षों के पास बकाया शेष राशि इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेन—देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
1	इक्विटी निवेश (मान्य सहित)	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियों	65.00	65.00
		इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	227.60	225.74
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	150.19	150.19
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	187.69	187.69
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	205.98	205.98
		इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	88.58	88.47
		इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	109.50	56.05
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	111.26	58.21
		इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	92.15	56.74
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियों	82.66	82.65
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियों	111.83	92.04
		इरकॉन—सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	64.15	64.15
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	244.05	228.46
		छत्तीसगढ़ ईस्ट—वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	258.47	210.11
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	110.50	110.50
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	140.37	140.37
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	76.34	76.34
		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	52.00	52.00

स्टैंडालोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
2	बांड में निवेश	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार से संबंधित संस्थाएं	55.20	55.20
3	डिबेंचर में निवेश	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियों	66.00	-
4	स्वीकृत ऋणों के लिए वसूली योग्य राशि	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	206.20	197.51
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	18.57	-
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	47.13	47.13
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	-	68.96
5	ऋण के अलावा वसूली योग्य राशि				
5.1	व्यापार प्राप्तियां	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियों	0.01	0.01
		इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	15.35	15.35
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	10.43	50.85
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	29.87	8.53
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	1.17	4.66
		इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	10.49	6.14
		इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	52.91	67.22
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	10.97	98.37
		इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	234.11	122.24
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियों	44.98	37.62
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियों	8.82	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	14.08	21.85
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	69.24	25.43
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.93	0.77
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.10	-
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	13.85	14.09
		महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	Associate of Joint Venture	0.77	0.82
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएं	645.65	111.14
5.2	अनुबंध परिसंपत्तियां				
(a)	बिल योग्य राजस्व अर्ह प्राप्ति और वसूली योग्य मूल्य पर सी.डब्ल्यू.आई.पी.	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	11.60	17.30
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	14.21	21.38
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियों	43.83	7.16

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	-	2.84
		इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	7.71	18.58
		इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	-	3.27
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	14.29	-
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियों	9.00	4.24
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	55.70	32.76
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	88.90	25.15
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	9.41	9.41
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	26.29	4.23
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएं	132.40	124.64
(b)	प्रतिधारण धन और रोका गया धन	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	3.34	3.38
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	12.88	3.41
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	3.18	2.29
		इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	13.14	5.68
		इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	2.08	3.30
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	24.03	2.37
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियों	-	5.97
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.83	3.21
		छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	16.66	18.34
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.06	7.59
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	1.32	1.83
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएं	22.72	27.44
5.3	अग्रिम और वसूली योग्य दावे	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियों	6.66	6.83
		इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	0.34	0.33
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	0.08	0.06
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	0.30	0.11
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	0.07	0.15
		इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	0.36	0.15

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
		इरकॉन अक्लोल्ली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	0.63	0.33
		इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	0.50	0.53
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	0.10	0.05
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियों	0.22	0.03
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियों	0.03	0.01
		इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.05	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.65	0.39
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.81	3.35
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.10	0.08
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.02	0.02
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएं	4.64	19.64
5.4	ऋण पर अर्जित ब्याज	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	5.76	9.02
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	12.93	11.57
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.42	2.97
5.5	अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएं	10.88	9.56
5.6	बांड पर अर्जित ब्याज	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार से संबंधित संस्थाएं	2.70	7.63
5.7	डिबेंचर पर अर्जित ब्याज	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियों	4.58	-
5.8	ट्रस्ट से वसूली योग्य	इरकॉन ग्रैच्युइटी ट्रस्ट	Post Employment Benefit Plans	0.72	7.16
6	ऋण	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार से संबंधित संस्थाएं	-	-
7	देय राशि				
7.1	व्यापार देयताएँ	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियों	7.73	5.63
7.2	अनुबंध देयताएं (अग्रिम और अग्रिम अनुबंध प्राप्तियाँ)	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएं	496.28	839.87
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	-	0.30
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	-	20.70
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	0.15	-
		इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	46.89	28.92
		इरकॉन अक्लोल्ली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	26.44	40.74

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	27.41	65.70
		इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	121.07	70.90
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियों	6.26	20.62
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	27.10	9.05
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	114.99	104.01
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	83.32	21.65
7.3	ग्राहक को देय अन्य	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.61	0.61
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	2.98
		महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	19.35	25.60
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएं	590.41	593.35
7.4	ऋण पर देय ब्याज	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार से संबंधित संस्थाएं	-	-
7.5	अग्रिम राशि पर देय ब्याज	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियों	0.02	0.17
		इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियों	2.74	3.99
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.67	-
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.20	-
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.14	1.12
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.01	0.62
		महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.40	1.59
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएं	210.60	284.83
7.6	ट्रस्ट को देय	इरकॉन ग्रैचुइटी ट्रस्ट	पूर्व कार्मिक के लिए हित लाभ योजना	4.64	3.81

घ) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें और नियम

- संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन उन शर्तों के समतुल्य किए जाते हैं जो कि दूरस्थ लेन-देन में प्रचलित होती हैं।
- वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया राशि असुरक्षित होती है और इसका निपटान बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से होता है। ऋण और ब्याज वाले अग्रिमों के अलावा ये शेष राशि ब्याज मुक्त होती है।
- प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को दिए जाने वाले ऋण उन्हीं शर्तों व नियमों पर लागू होते हैं जो अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

34. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संयुक्त परिचालनों में रुचि

क 'भारतीय लेखा मानक 27 'पृथक वित्तीय विवरण' के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

निम्नलिखित सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों और संयुक्त परिचालन में निवेश को लागत में शामिल किया जाता है।

संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का मुख्य स्थान और निगमन का देश	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
2	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
3	इरकॉन शिवपुरीगुना टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
4	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
6	इरकॉन गुड़गांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
7	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	भारत	76.00	76.00	76.00	76.00
8	इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
9	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
10	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
11	इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00

संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का मुख्य स्थान और निगमन का देश	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
1	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
2	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	25.31	26.00	25.31	26.00
3	छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	ओडिशा, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	झारखंड, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
7	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	दिल्ली एनसीआर, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00

संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का मुख्य स्थान और निगमन का देश	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
i)	परिचालन में परियोजनाओं के लिए					
	एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम	गुजरात और महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
	एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम	महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
	इरकॉन-पारस-पीसीएम जेवी	उत्तराखंड, भारत	60.00	60.00	0.00	0.00
	इरकॉन-डीआरए जेवी	ओडिशा, भारत	51.00	51.00	0.00	0.00
	एमरिल-इरकॉन जे.वी	मणिपुर, भारत	26.00	26.00	0.00	0.00
	बीआरसी-इरकॉन जेवी	मेघालय, भारत	26.00	26.00	0.00	0.00
	इरकॉन-एसएसएनआर जेवी	मध्य प्रदेश, भारत	70.00	70.00	0.00	0.00
ii)	संयुक्त संचालन पूरा हुआ					
	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	मेट्रो टनलिंग ग्रुप	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	इरकॉन-एएफसीओएनएस	बांग्लादेश	53.00	53.00	53.00	53.00
iii)	वित्तीय रूप से बंद संयुक्त संचालन					
	इरकॉन-कोबरा-एलिओप	दिल्ली एनसीआर, भारत	61.22	61.22	61.22	61.22
	इरकॉन- श्री भवानी बिल्डर्स	चेन्नई, भारत	24.21	24.21	24.21	24.21
	इरकॉन-एसएमजे प्रोजेक्ट जेवी	तमिलनाडु, भारत	55.00	55.00	55.00	55.00
	इरकॉन-गैनन डंकरली	उत्तर प्रदेश, भारत	55.70	55.70	55.70	55.70
	इरकॉन-आरसीएस-पीएफएलइडरर	जम्मू एवं कश्मीर, भारत	65.08	65.08	65.08	65.08
	इरकॉन-एसपीएससीपीएल	जम्मू एवं कश्मीर, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
	रिकॉन	दिल्ली एनसीआर, भारत	49.00	49.00	49.00	49.00

संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

ख संयुक्त परिचालन में वित्तीय हित (कंपनी के हिस्से की सीमा तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त संयुक्त प्रचालन के नाम											
		इरकॉन एफकॉन		एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम		इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्स्ट्रक्टर		मेट्रो टनलिंग ग्रुप		इरकॉन-पारस- पीसीएम संयुक्त उद्यम		कुल	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
	वर्ष के अंत तक:												
1	संपत्तियाँ												
	पीपीई			-	-					0.01	-	0.01	-
	प्रगति में पूंजीगत कार्य			-	-					-	-	-	-
	अन्य संपत्तियाँ	-	0.42	-	-	4.51	4.46	0.85	1.87	1.01	-	6.37	6.75
2	देयताएँ												
	प्रावधान	-	-	-	-	0.03	0.02	0.07	0.08	-	-	0.10	0.10
	अन्य देयताएँ	-	-	-	-	0.90	0.91	0.02	0.03	1.02	-	1.94	0.94
	वर्ष के अंत के लिए:												
3	कुल आय	-	-	1.59	1.65	0.08	0.07	0.07	0.10	-	-	1.74	1.82
4	कुल व्यय	-	0.05	0.68	0.17	0.00	0.01	0.02	0.02	-	-	0.70	0.25
5	कुल कर			0.46	0.53	0.03	0.02	0.02	0.20	-	-	0.51	0.75
6	कर पश्चात् लाभ	-	(0.05)	0.45	0.95	0.05	0.04	0.03	(0.12)	-	-	0.53	0.82
7	अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कुल व्यापक आय	-	(0.05)	0.45	0.95	0.05	0.04	0.03	(0.12)	-	-	0.53	0.82

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

- संयुक्त परिचालन से संबंधित आकस्मिक देयताओं का खुलासा नोट 37 में किया गया है।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित नए संयुक्त परिचालन गठित किए जाएंगे जिनमें कोई वित्तीय लेनदेन नहीं होगा—
 - इरकॉन-डीआरए जेवी
 - एमरिल-इरकॉन जेवी
 - बीआरसी-इरकॉन जेवी
 - इरकॉन-एसएसएनआर जेवी

35. प्रति शेयर आय

भारतीय लेखा मानक 33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण

मूल ईपीएस की गणना इक्विटी धारकों को वर्ष के लिए मिलने वाले लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

तनुकृत ईपीएस की गणना, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तनुकरण के प्रभाव पर विचार करने के बाद इक्विटी धारकों को दिए जाने वाले वर्ष के लाभ को विभाजित करके की जाती है, साथ ही सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों में रूपांतरित करने पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को भी इसमें जोड़ा जाता है।

(i) प्रति शेयर मूल एवं तनु आय (₹. में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी धारकों को देय लाभ (करोड़ रुपए में)	(ii)	737.59	862.90
बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या में)*	(iii)	94,05,15,740	94,05,15,740
प्रति शेयर आय (मूल)		7.84	9.17
प्रति शेयर आय (पतला)		7.84	9.17
प्रति शेयर अंकित मूल्य		2.00	2.00

* वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रमोटर ने कंपनी में 7,53,73,258 इक्विटी शेयरों की 'बिक्री के लिए प्रस्ताव' के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, जो कंपनी की जारी/अभिदत्त और चुकता पूंजी का 8.01% है।

(ii) प्रति शेयर मूल एवं तनु आय (₹. में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ	737.59	862.90
ईपीएस की गणना के लिए कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ का उपयोग किया जाता है:	737.59	862.90

(iii) प्रति शेयर मूल एवं तनु आय (₹. में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक शेष	94,05,15,740	94,05,15,740
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर	-	-
शेयर विभाजन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्धि	-	-
बोनस शेयर जारी	-	-
बेसिक ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94,05,15,740	94,05,15,740
कमजोरीकरण प्रभाव:		
जोड़ें: वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	-	-
तनुकृत ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94,05,15,740	94,05,15,740

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

36. परिसंपत्तियों की क्षति

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक 36, “परिसंपत्तियों की हानि” के अनुसार शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और वहन लागत के निम्नतर आधार पर वसूली योग्य राशि की गणना करके व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि पर मूल्यांकन किया है, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पढ़ा गया है। तदनुसार, शून्य (शून्य) की हानि की हानि का प्रावधान किया गया है।”

37. प्रावधान, आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(i) प्रावधान

वर्ष के दौरान भारतीय लेखा मानक 37 ‘प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां’ के अनुसार प्रदान किए गए प्रावधानों की प्रकृति और प्रावधानों में परिवर्तन का खुलासा नोट 19 में किया गया है।

(ii) आकस्मिक देयताएं

भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण ‘प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां’ निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	फूट नोट	31 मार्च 2024 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निपटाए गए/ भुगतान किए गए दावे	31 मार्च 2025 तक
क)	कंपनी के अलावा दावे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए:					
	विवादित प्रत्यक्ष कर मांगें					
	(i) कंपनी के संबंध में	1	46.77	0.03	(2.08)	44.72
	(ii) संयुक्त अभियान के संबंध में		-	0.01	-	0.01
	विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगें					
	(i) कंपनी के संबंध में	2	248.51	21.93	(67.60)	202.84
	(ii) संयुक्त अभियान के संबंध में	3	3.07			3.07
	कानूनी मामले					
	(i) कंपनी के संबंध में	4	552.55	6.56	(31.09)	528.02
	(ii) संयुक्त अभियान के संबंध में	5	0.02			0.02
	कर्मचारियों द्वारा दावे	6	-			-
ख)	कंपनी की ओर से जारी की गई गारंटी (वित्तीय गारंटी को छोड़कर)					
	सहायक कंपनियां	7 (i) (ii)	1,577.32	733.14	(50.26)	2,260.20
ग)	अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है					
	ग्राहकों द्वारा समय विस्तार के लिए आवेदन के निपटान तक परिसमाप्त क्षतिपूर्ति		9.27	-	-	9.27
	कुल		2,437.51	761.67	(151.03)	3,048.15

फुट नोट :

- आयकर प्राधिकरण ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों से संबंधित विभिन्न अमान्यताओं के आधार पर माँगें उठाई हैं। इन मामलों में से कई कंपनी के पक्ष में तय किए जा चुके हैं, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा उच्च अधिकारियों के समक्ष चुनौती दी गई है। कंपनी इन माँगों को चुनौती दे रही है, जो विभिन्न अपीलीय स्तरों पर लंबित हैं। स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह और अपीलों में हुई प्रगति के आधार पर, प्रबंधन को पूरा विश्वास है कि अपीलीय कार्यवाही के पूर्ण होने पर माँगी गई अतिरिक्त कर राशि बरकरार नहीं रहेगी। अतः, अपीलीय अधिकारियों के निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए, इन वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- कंपनी के विरुद्ध उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, वैट आदि से संबंधित विभिन्न विवाद संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। संबंधित

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

प्राधिकरणों द्वारा उठाई गई माँगों को कंपनी चुनौती दे रही है और ये माँगें विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष विचाराधीन हैं। अपील के आधारों और स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, प्रबंधन को विश्वास है कि विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष कंपनी के सफल होने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। उपर्युक्त मामलों पर अंतिम निर्णय लंबित रहने के कारण, इन वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। उपर्युक्त विवादित अप्रत्यक्ष कर माँगों में **₹144.85 करोड़** की वह राशि भी शामिल है, जो ग्राहकों से पुनर्भरणीय है।

- 3 इंटरनेशनल मेट्रो सिविल ठेकेदार, जो कंपनी का एक संयुक्त कार्य संचालन है, के मामले में बिक्री कर प्राधिकरणों के समक्ष **₹3.07 करोड़** की विवादित माँग लंबित है, जो श्रम व्यय की अस्वीकृति के कारण उत्पन्न हुई है। संयुक्त कार्य संचालन ने उक्त माँग के विरुद्ध उचित अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष अपीलें दाखिल की हैं। निर्णय अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है, अतः वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 4 कंपनी निर्माण अनुबंध की शर्तों से संबंधित विवादों के कई कानूनी मामलों में पक्षकार है, जो भारत और विदेशों में विभिन्न न्यायालयों तथा मध्यस्थता कार्यवाहियों में विचाराधीन हैं। कुछ ठेकेदारों ने कंपनी के विरुद्ध अनुबंध मूल्य में वृद्धि, कार्य अनुसूची में संशोधन के साथ मूल्य वृद्धि, कार्य की अवधि बढ़ने के कारण मुआवजा, निष्क्रियता शुल्क आदि की माँग करते हुए दावा दायर किया है। इन दावों को कंपनी अनुबंध के संबंधित प्रावधानों के अनुसार ग्राह्य न मानते हुए चुनौती दे रही है। कुल **₹592.33 करोड़** (₹613.53 करोड़) के दावों के विरुद्ध **₹64.30 करोड़** (₹60.99 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा शेष **₹528.02 करोड़** (₹552.54 करोड़) को संभावित देयता के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों के विरुद्ध **₹255.02 करोड़** (₹222.44 करोड़) के प्रत्युत्तर दावे भी किए हैं। दावों पर ब्याज को अनिश्चित होने के कारण विचार में नहीं लिया गया है।
- 5 एक ठेकेदार, एमधएस साईं इंजीनियर्स ने अनुबंध की शर्तों से संबंधित विवाद के कारण **₹0.02 करोड़** (₹0.02 करोड़) की राशि के लिए इंटरनेशनल मेट्रो सिविल ठेकेदार के विरुद्ध वाद दायर किया है। यह मामला अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है और अतः वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 7 (i) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी, इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड की ओर से **₹2.05 करोड़** (₹2.05 करोड़) की प्रदर्शन गारंटी के लिए ग्राहक को प्रस्तुत किए गए पत्र के समर्थन में एक आश्वासन पत्र दिया है।
(ii) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के लिए ऋण सुविधा के संबंध में विभिन्न बैंकों के पक्ष में **₹3,841.63 करोड़** (₹3,841.63 करोड़) की कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है। 31.03.2025 की स्थिति में सहायक कंपनियों द्वारा प्राप्त (भुगतान के बाद की शुद्ध राशि) टर्म लोन **₹2,258.15 करोड़** (₹1,575.27 करोड़) है।

(iii) आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ' के अनुसार आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

- क) कंपनी द्वारा अपने कुछ ग्राहकों पर उठाए गए दावे और मध्यस्थों द्वारा कंपनी के पक्ष में दिए गए फैसले, जिसके खिलाफ ग्राहक अदालत गए हैं, को प्राप्य के रूप में नहीं गिना गया है, मध्यस्थता पुरस्कार के अनुसार 31.03.2025 तक की गणना किए गए ब्याज सहित **₹454.60 करोड़** (₹461.40 करोड़) हैं।
- ख) कंपनी द्वारा उप-ठेकेदारों पर उठाए गए प्रतिदावे और मध्यस्थों द्वारा कंपनी के पक्ष में दिए गए फैसले, जिसके खिलाफ उप-ठेकेदार अदालत गए हैं, को प्राप्य के रूप में नहीं गिना गया है, जो **₹15.36 करोड़** (₹14.16 करोड़) है।
- ग) 0.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर (यूएसडी 0.95 मिलियन) और 1.34 मिलियन इथियोपियन बिरर (Birr 1.34 मिलियन) का बीमा दावा, जो 31.03.2025 तक की गणना वाले ब्याज सहित 8.16 करोड़ रुपये (8.03 करोड़ रुपये) के बराबर है, इथियोपिया के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कंपनी के पक्ष में दिया गया, जिसका इथियोपिया के उच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन आदेश लंबित होने के कारण हिसाब नहीं किया गया है।

(iii) प्रतिबद्धताएँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	फुटनोट	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
क	पूँजी प्रतिबद्धताएँ			
	पूँजी खाते पर निष्पादित किये जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिम को घटाकर) और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया हैरु	1	53.09	38.71
ख	अन्य प्रतिबद्धताएँ			
(i)	सहायक कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से वित्त पोषण	2	340.53	462.09
(ii)	संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से वित्त पोषण	3	194.50	113.98
(iii)	सहायक कंपनियों के लिए काउंटर बैंक गारंटी	4	245.62	286.88

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	विवरण	फुटनोट	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(iv)	सहायक कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गारंटी	5	1,452.97	2,186.11
(v)	संयुक्त उद्यम की ओर से प्रायोजक का समर्थन समझौता	6 (i) (ii) (iii)	1,712.10	1,712.10
(vi)	सहायक कंपनियों के लिए ऋण प्रतिबद्धता	7	500.00	500.00
(vii)	सहायक कंपनी के लिए वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) के लिए प्रतिबद्धता	9	22.99	-
	कुल		4,521.80	5,299.87

फुटनोट:

(₹ करोड़ में)

1.	क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 तक
	1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	42.95	21.72
	2	निवेश संपत्ति पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	0.99	5.95
	3	विकासधीन अमूर्त परिसंपत्तियों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	9.15	11.04
		कुल	53.09	38.71

2. सहायक कंपनियों की ओर से अन्य प्रतिबद्धताएँ:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
		तक	तक	तक	तक
1	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	-	-	-	-
2	इरकॉन शिवपुरीगुना टोलवे लिमिटेड	-	-	-	-
3	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	44.05	4.33	44.05	4.33
4	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	-	-	-	-
5	इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	-	14.83	-	14.83
6	इरकॉन अकोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	12.82	66.56	12.82	102.89
7	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	3.16	28.47	10.65	74.01
8	इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	9.98	103.86	15.38	133.86
9	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	-	29.48	-	29.48
10	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (नोट 9 देखें)	-	22.99	-	19.79
	कुल	70.01	270.52	82.90	379.19

* वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर

3. संयुक्त उद्यमों की ओर से अन्य प्रतिबद्धताएँ:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
		इक्विटी	ऋण / ओसीडी*	इक्विटी	ऋण
1	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	0.07	18.07	-	18.14
2	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	0.01	128.88	0.01	48.36
3	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-	-
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-	22.13	-	22.13
5	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	0.01	25.33	0.01	25.33
6	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	-	-	-	-
	कुल	0.09	194.41	0.02	113.96

* कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने 26 मार्च, 2025 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड को ऋण प्रतिबद्धता में 128.88 करोड़ की वृद्धि की गई है। तदनुसार, प्रतिबद्धताओं के मूल्यों का खुलासा किया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

- 4 सहायक कंपनियों को बैंक गारंटी जारी करने के लिए कंपनी की गैर-निधि आधारित सीमा **₹747.95 करोड़** (₹747.95 करोड़) है। उक्त सीमा में से, 31.03.2025 तक **₹245.62 करोड़** (₹461.07 करोड़) की सीमा तक बैंक गारंटी का उपयोग किया जा चुका है। इसलिए, बैंक गारंटी जारी करने की शेष सीमा **₹502.33 करोड़** (₹286.88 करोड़) है।
- 5 कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के लिए टर्म लोन सुविधा के संबंध में विभिन्न बैंकों को **₹3841.63 करोड़** (₹3841.63 करोड़) की कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान की है। सहायक कंपनियों ने 31 मार्च 2025 तक **₹2388.66 करोड़** (₹1655.52 करोड़) का टर्म लोन प्राप्त किया है। इन टर्म लोन के विरुद्ध सहायक कंपनियों द्वारा **₹130.51 करोड़** (₹80.25 करोड़) की राशि का पुनर्भुगतान किया गया है, और 31 मार्च 2025 को टर्म लोन की शेष राशि **₹2258.15 करोड़** (₹1575.27 करोड़) है।
- 6 (i) कंपनी ने SECL (प्रायोजक) के साथ मिलकर अपनी संयुक्त उद्यम इकाई, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (CEWRL) की ओर से प्रायोजक सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त होने से पूर्व उधारकर्ता की गलती के कारण रियायत समझौते की समाप्ति होती है, तो प्रायोजक उधारकर्ता की ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को, ऋणदाताओं की संतुष्टि के अनुसार, बिना उधारकर्ता और/या परियोजना पर कोई अधिकार जताए, पूरा करेंगे। दिए गए रुपये टर्म लोन के अनुसार IRCON का हिस्सा **₹1033.76 करोड़** है (कुल ऋण ₹3976 करोड़ का 26%) जो 31 मार्च 2025 को (31 मार्च 2024 को भी ₹1033.76 करोड़) है।
(ii) कंपनी ने सीसीएल (प्रायोजक) के साथ मिलकर अपनी संयुक्त उद्यम इकाई, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (श्रवस्) की ओर से प्रायोजक सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि वाणिज्यिक संचालन तिथि प्राप्त होने से पूर्व उधारकर्ता की गलती के कारण रियायत समझौते की समाप्ति होती है, तो प्रायोजक उधारकर्ता की ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को, ऋणदाताओं की संतुष्टि के अनुसार, बिना उधारकर्ता और/या परियोजना पर कोई अधिकार जताए, पूरा करेंगे। दिए गए रुपये टर्म लोन के अनुसार इरकॉन का हिस्सा **₹327.60 करोड़** है (कुल ऋण ₹1259.75 करोड़ का 26%) जो 31 मार्च 2025 को (31 मार्च 2024 को भी ₹327.60 करोड़) है।
(iii) कंपनी ने एससीएल और सीएसआईडीसीएल (प्रायोजकों) के साथ मिलकर अपने संयुक्त उद्यम, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल फेज-II) की ओर से प्रायोजक समर्थन समझौता निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि वाणिज्यिक संचालन तिथि की प्राप्ति से पहले उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना के कारण रियायत समझौते की समाप्ति के मामले में प्रायोजक उधारकर्ता और/या परियोजना का सहारा लिए बिना, ऋणदाताओं की संतुष्टि के लिए उधारकर्ता के ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करेंगे। रुपया अवधि ऋण की दी गई राशि के अनुसार इरकॉन का हिस्सा 31 मार्च 2025 तक **₹350.74 करोड़** (कुल ऋण ₹1,349.00 करोड़ का 26%) है (31 मार्च, 2024 : ₹350.74 करोड़)।
- 7 कंपनी ने एनएचआई की सड़क/राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) के रूप में गठित विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) को किसी भी समय कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपये तक का ऋण (असुरक्षित ब्याज मुक्त/असुरक्षित ब्याज सहित) देने की प्रतिबद्धता जताई है, जो निदेशक मंडल द्वारा पहले से स्वीकृत सीमा के अतिरिक्त है।
- 8 31 मार्च, 2025 तक **₹135.86 करोड़** (31 मार्च, 2024 तक ₹3.42 करोड़) की राशि का बकाया साख पत्र है।
- 9 कंपनी ने 12.11.2021 को आयोजित अपनी 273वीं बोर्ड बैठक में इरकॉन और अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड के बीच शेयरधारक समझौते को मंजूरी दी। एसएसएचए के पैरा 5.2.1 के अनुसार, हाइब्रिड सिक्योरिटीज के रूप में आईआरपीएल में 370.80 करोड़ रुपये की पूंजी डाली जानी है। इन सिक्योरिटीज में कंपनी का हिस्सा 88.99 करोड़ रुपये है, यानी हाइब्रिड सिक्योरिटीज का 24% हिस्सा। एसएसएचए की अनुसूची 10 के अनुसार, हाइब्रिड प्रतिभूतियाँ:-
(क) वीजीएफ की दूसरी किस्त प्राप्त होने के बाद किसी भी समय धारक के विकल्प पर कंपनी के इक्विटी शेयरों में वैकल्पिक रूप से परिवर्तित की जाएंगी या
(ख) जारी होने की तारीख से 20 (बीस) वर्ष के अंत में प्रतिदेय होंगी, जिसे (लागू कानूनों के अधीन) उस तारीख तक बढ़ाया जा सकता है जिस दिन किसी भी वरिष्ठ ऋण, जो निश्चित अवधि के अंत में बकाया थे, का पुनर्भुगतान किया जाता है।
इसके अलावा, हाइब्रिड सिक्योरिटीज के धारकों को अपने पास मौजूद किसी भी औरध्या सभी हाइब्रिड सिक्योरिटीज को इक्विटी शेयरों में बदलने का अधिकार होगा, लेकिन यह बाध्यता नहीं होगी। यह एसएसएचए में निर्धारित अनुपात के अनुसार एक या अधिक किस्तों में वीजीएफ की दूसरी किस्त प्राप्त होने के बाद कभी भी किया जा सकता है। एसएसएचए के अनुरूप, आईआरपीएल के निदेशक मंडल ने वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) के रूप में हाइब्रिड सिक्योरिटीज जारी करने को मंजूरी दे दी है। ओसीडी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
i) ओ.सी.डी. की अवधि 20 वर्ष होगी
ii) ब्याज दर 14% प्रति वर्ष होगी और ब्याज केवल तभी देय होगा जब आईआरपीएल. के पास वितरण योग्य लाभ होगा, अन्यथा ब्याज

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

संचित हो जाएगा

- iii) देय ब्याज वरिष्ठ ऋणों के ब्याज और मूलधन भुगतान के अधीन रहेगा
- iv) ओ.सी.डी. असुरक्षित होगा
- v) हाइब्रिड प्रतिभूतियों के धारकों को वी.जी.एफ. की दूसरी किश्त प्राप्त होने के बाद किसी भी समय हाइब्रिड प्रतिभूतियों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने का अधिकार होगा, लेकिन दायित्व नहीं होगा।

वित्त वर्ष 24-25 के दौरान, आई.आर.पी.एल. द्वारा निजी प्लेसमेंट पर आई.आर.सी.ओ.एन. ने पहले ही उपरोक्त ओ.सी.डी. में 66.00 करोड़ रुपये की सदस्यता ले ली है और 31.03.2025 तक आई.आर.सी.ओ.एन. की बकाया प्रतिबद्धता ₹22.99 करोड़ है।

10 कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण के लिए ऋणदाताओं के पक्ष में निम्नानुसार प्रायोजक समर्थन वचनबद्धता निष्पादित की है:-

- (i) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
- (ii) इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड
- (iii) इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
- (iv) इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड
- (v) इरकॉन अक्लोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड
- (vi) इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड
- (vii) इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड
- (viii) इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड
- (ix) इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड

38. खंड रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक 108 'परिचालन खंड' के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क. सामान्य जानकारी

प्रचालन सेगमेंटों को उपक्रम के उस घटक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे लिए विशिष्ट वित्तीय सूचना उपलब्ध है जिसकी मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, यह निर्णय लेने के लिए कि संसाधनों का आवंटन और निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाए। कंपनी की निदेशक मंडल मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक है। प्रचालन क्षेत्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वे मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप हो।

कंपनी ने रिपोर्ट योग्य परिचालन खंडों को भौगोलिक दृष्टिकोण से निर्धारित किया है।

ख. रिपोर्ट योग्य खंडों की जानकारी तथा वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों से उनके मिलान का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
खंड राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	339.10	574.82	9,854.04	11,375.58	10,193.14	11,950.40
कुल परिचालन राजस्व	339.10	574.82	9,854.04	11,375.58	10,193.14	11,950.40
ब्याज आय	26.18	43.11	266.43	285.88	292.61	328.99
अन्य आय	17.61	1.11	174.09	107.35	191.70	108.46
अंतर-खंड	-	-	-	-	-	-
कुल राजस्व	382.89	619.04	10,294.56	11,768.81	10,677.45	12,387.85

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
खंड परिणाम						
प्रावधान, मूल्यहास, ब्याज और असाधारण मद और कर से पहले लाभ	97.26	201.20	1,115.73	1,081.79	1,212.99	1,282.99
घटाएँ: प्रावधान और राइट बैक	(4.54)	(3.11)	(246.32)	(79.57)	(250.86)	(82.68)
घटाएँ: मूल्यहास, परिशोधन और हानि	(2.07)	(2.18)	(36.18)	(34.03)	(38.25)	(36.21)
घटाएँ: ब्याज	(0.33)	0.59	(5.74)	(9.15)	(6.07)	(8.56)
कर से पहले लाभ	90.32	196.50	827.49	959.04	917.81	1,155.54
घटाएँ: कर व्यय	(7.29)	(43.06)	(172.93)	(249.58)	(180.22)	(292.64)
कर के बाद लाभ	83.03	153.44	654.56	709.46	737.59	862.90

ग. अन्य जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल संपत्ति	1,052.66	1,034.39	13,448.28	13,049.74	14,500.94	14,084.13
कुल देनदारियों	831.08	857.38	7,432.42	7,454.99	8,263.50	8,312.37
संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखा इक्विटी पद्धति से किया जाता है	-	-	-	-	-	-
वित्तीय साधनों, आस्थगित कर परिसंपत्तियों, शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों के अलावा गैर चालू परिसंपत्ति	92.56	90.10	980.45	951.20	1,073.01	1,041.30
समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त संपत्तियां, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां और उपयोग का अधिकार)	1.26	0.09	92.51	40.90	87.32	40.99

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना:

समाप्त वर्ष 31 मार्च 2025 के दौरान लगभग 51.64 प्रतिशत परिचालन राजस्व (62.96 प्रतिशत)

39. राजस्व**1. राजस्व का विभाजन**

नीचे ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का परिचालन खंड और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार के आधार पर विभाजन दिया गया है:

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए						लाभ और हानि विवरण / खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व			प्रदर्शन दायित्व मापने की विधि		अन्य राजस्व	
	घरेलू	अंतरराष्ट्रीय	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	7,933.00	300.77	8,233.77	8,233.77	-	19.20	8,252.97
राजमार्ग	1,843.31	27.85	1,871.16	1,871.16	-	0.15	1,871.31
विद्युत			-	-	-		-
भवन			-	-	-		-
अन्य	23.04	6.51	29.55	29.55	-	39.31	68.86
कुल	9,799.35	335.13	10,134.48	10,134.48	-	58.66	10,193.14

वर्ष के दौरान भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कुल राजस्व में से ₹10,193.14 करोड़ की मान्यता समयावधि में तथा शून्य की मान्यता समय-बिंदु पर दी गई।

(₹ करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए						लाभ और हानि विवरण / खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व			प्रदर्शन दायित्व मापने की विधि		अन्य राजस्व	
	घरेलू	अंतरराष्ट्रीय	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	9,569.36	449.09	10,018.45	10,018.45	-	-	10,018.45
राजमार्ग	1,763.09	125.48	1,888.57	1,888.57	-	-	1,888.57
विद्युत	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	11.91	-	11.91	11.91	-	31.46	43.37
कुल	11,344.36	574.57	11,918.93	11,918.93	-	31.46	11,950.39

वर्ष के दौरान भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कुल राजस्व में से ₹11,950.39 करोड़ की मान्यता समयावधि में तथा शून्य की मान्यता समय-बिंदु पर दी गई।

ख) संविदा शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
व्यापार प्राप्य (नोट 12.2)	1,649.31	946.46
अनुबंध परिसंपत्तियाँ (नोट 8.3 और 12.6)	1,967.80	1,566.61
अनुबंध देयताएं (नोट 20 और 22)	2,886.20	3,048.61

- (i) व्यापार देनदारियाँ बिना ब्याज वाली होती हैं और ग्राहक प्रोफाइल में भारतीय रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ, भारत और विदेशों में स्थित राज्य स्वामित्व वाली कंपनियाँ शामिल हैं। कंपनी की औसत परियोजना निष्पादन अवधि लगभग 24 से 36 महीनों की होती है। सामान्य भुगतान शर्तों में अग्रिम भुगतान (मोबिलाइजेशन एडवांस), मासिक प्रगति के आधार पर भुगतान, तथा 45 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि शामिल होती है।
- (ii) अनुबंध परिसंपत्तियाँ उस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त की जाती हैं जिसमें सेवाओं का निष्पादन किया जाता है, ताकि कंपनी द्वारा ग्राहक को हस्तांतरित की गई वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने वाले प्रतिफल के अधिकार को दर्शाया जा सके। इसमें निर्माण अनुबंधों के अंतर्गत ग्राहकों से प्राप्त शेष राशियाँ शामिल होती हैं, जो तब उत्पन्न होती हैं जब कंपनी अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, जबकि राजस्व इनपुट विधि के आधार पर अवधि के अनुसार मान्यता प्राप्त होता है। पूर्व में अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी राशि, उस शर्त की पूर्ति पर व्यापार देनदारियों में पुनर्वर्गीकृत कर दी जाती है, अर्थात् वह भविष्य की सेवा जो बिलिंग माइलस्टोन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

वर्ष के दौरान अनुबंध शेष राशियों में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध परिसंपत्ति	1,566.61	1,250.49
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	1,967.80	1,566.61
शुद्ध वृद्धि / (कमी)	401.19	316.12

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹401.19 करोड़ और ₹316.12 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण इनपुट विधि के आधार पर राजस्व की मान्यता है, जबकि कार्य निष्पादन के लिए बिल अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रमाणित किए जाते हैं। वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त होने के दौरान, ₹687.43 करोड़ (1 अप्रैल 2024 को) और ₹903.90 करोड़ (1 अप्रैल 2023 को) की अनुबंध परिसंपत्तियाँ ग्राहकों को माइलस्टोन पूर्ण होने पर बिलिंग किए जाने के पश्चात व्यापार देनदारियों में पुनर्वर्गीकृत की गई हैं।

- iii. निर्माण अनुबंधों से संबंधित अनुबंध दायित्व वे शेष राशियाँ होती हैं जो ग्राहकों को देय होती हैं। ये तब उत्पन्न होती हैं जब किसी विशेष माइलस्टोन भुगतान की राशि, इनपुट विधि के तहत अब तक मान्यता प्राप्त राजस्व से अधिक होती है, और दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों में प्राप्त अग्रिम राशि निर्माण अवधि के दौरान ग्राहक को चालान जारी किए जाने पर समायोजित की जाती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध दायित्वों की स्थिति	3,048.61	3,531.78
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं	2,886.20	3,048.61
शुद्ध वृद्धि / (कमी)	(162.41)	(483.17)

वर्ष 2024-25 और 2023-24 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹(162.41) करोड़ और ₹(483.17) करोड़ की शुद्ध कमी दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम भुगतान को निष्पादित कार्यों के विरुद्ध समायोजित करना है।

ग) नीचे निम्नलिखित से प्राप्त राजस्व की राशि दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अनुबंध दायित्वों में शामिल राशि	1,343.93	2,912.29
पिछले वर्षों में पूर्ण की गई प्रदर्शन बाध्यता	-	-

घ अनुबंध प्राप्त करने की लागत

31 मार्च, 2025 तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त राशि शून्य है (31 मार्च, 2024 तक: शून्य)

वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त परिशोधन की राशि शून्य है (वित्त वर्ष 2023-24: शून्य)

ड.. अनुबंध पूरा करने की लागत

31 मार्च, 2025 तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त राशि **₹87.53 करोड़** है (31 मार्च, 2024 तक: ₹91.92 करोड़)वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त परिशोधन राशि **₹2.04 करोड़** (वित्त वर्ष 2023-24: ₹9.92 करोड़) है।

च. प्रदर्शन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दायित्वों के बारे में जानकारी नीचे संक्षेप में दी गई है:

31 मार्च तक शेष निष्पादन दायित्वों (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के भीतर	9,500	10,400
एक वर्ष से अधिक से 2 वर्ष तक	8,300	9,800
2 वर्ष से अधिक	2,547	7,008
कुल	20,347	27,208

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

40. पट्टा

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

“कंपनी ने पट्टेदार के रूप में विभिन्न पट्टा अनुबंधों में प्रवेश किया है, जिसमें भूमि, कार्यालय स्थान, गेस्ट हाउस और वाहनों का पट्टा शामिल है। कंपनी के पास कुछ कार्यालयों और गेस्ट हाउस के ऐसे पट्टे हैं जिनकी अवधि 12 महीनों या उससे कम है। कंपनी इन पट्टों के लिए ‘अल्पकालिक पट्टा’ की मान्यता छूट लागू करती है।”

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों की मान्यता प्राप्त वहन राशि और वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों का उल्लेख नोट 7 में किया गया है।

पट्टा देयताएं

नीचे उन पट्टा दायित्वों की वहन राशि और वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों को प्रस्तुत किया गया है जिन्हें मान्यता दी गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभिक शेष राशि	3.24	0.51
पट्टा देयता में वृद्धि	0.88	3.32
रुचि का प्रमाणन	0.27	0.28
भुगतान	(1.00)	(0.87)
31 मार्च 2025 को शेष राशि	3.39	3.24
चालू	0.88	0.72
गैर-चालू	2.51	2.52

पट्टा दायित्व का परिपक्वता विश्लेषण नोट – 31 श्वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियों के अंतर्गत श्वित्तीय दायित्वों की परिपक्वताएँ में शामिल किया गया है।

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
उपयोग-अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यहास व्यय (नोट 29 देखें)	1.22	1.13
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय (नोट 28 देखें)	0.27	0.28
अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय (नोट 26 (iii) देखें)	8.50	6.59
कुल	9.99	8.00

कंपनी के पास कई ऐसे पट्टा अनुबंध हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति के विकल्प शामिल हैं। ये विकल्प प्रबंधन द्वारा कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार बातचीत के माध्यम से तय किए जाते हैं। यह निर्धारण करने में कि इन विकल्पों का प्रयोग किए जाने की संभावना पर्याप्त रूप से निश्चित है या नहीं, प्रबंधन महत्वपूर्ण निर्णयात्मक विवेक का उपयोग करता है।

विस्तार और समाप्ति विकल्पों की प्रयोग तिथि के बाद की अवधि से संबंधित बिना छूट वाले संभावित भावी किराये के भुगतान निम्नलिखित हैं, जो पट्टे की अवधि में शामिल नहीं हैं:

(₹ करोड़ में)

	पांच वर्षों के अधीन	पांच वर्षों से अधिक	कुल
विस्तार विकल्पों का प्रयोग न किए जाने की उम्मीद	-	-	-
समाप्ति विकल्पों का प्रयोग किए जाने की उम्मीद है	-	-	-
	-	-	-

ख. पट्टादाता के रूप में कंपनी

(i) कंपनी ने परिचालन पट्टे के तहत इमारतें दी हैं। पट्टा व्यवस्था के अनुसार लाभ और हानि विवरण में कुल ₹28.08 करोड़ (₹23.21 करोड़) पट्टा आय (किराया और सेवा शुल्क) को मान्यता दी गई है।

(ii) कंपनी ने मशीनरी को परिचालन पट्टे पर दिया है। पट्टा व्यवस्था के अनुसार लाभ और हानि विवरण में कुल ₹3.67 करोड़ (₹0.20 करोड़) की पट्टा आय को मान्यता दी गई है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पद्धतों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भविष्य के न्यूनतम किराये निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
Within one year	16.70	4.41
After one year but not more than five years	45.90	28.37
More than five years	26.89	34.50
	89.48	67.29

41. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के अनुसार प्रकटीकरण:

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 34(3) के अनुपालन में, आवश्यक जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

(₹ करोड़ में)

	कंपनी का नाम	बकाया शेष राशि		समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क	ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम:				
	सहायक कंपनियों को				
	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	206.20	197.51	209.55	228.56
	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	18.57	-	18.57	-
	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	47.13	47.13	47.13	47.13
	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	-	68.96	68.96	68.96
	संयुक्त उद्यम कंपनियों को				
	छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड	-	-	-	-
	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड				
ख	ऋणदाता द्वारा कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के शेयरों में निवेश (जैसा कि ऊपर बताया गया है)	-	-	-	-

फुट नोट :

- उपर्युक्त खुलासा के अलावा, सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों/फर्मों/अन्य को ऋण और अग्रिम का कोई लेन-देन नहीं है, जिसमें निदेशकों की रुचि हो।

42. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-186 के अनुसार प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	लेन-देन की प्रकृति (दिया गया ऋण/किया गया निवेश/दी गई गारंटी)	वह उद्देश्य जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण/गारंटी/सुरक्षा का उपयोग प्रस्तावित है	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	ऋण और अग्रिम			
	सहायक कंपनी			
	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	Project funding	18.57	-
	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	Project funding	206.20	197.51
	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	Project funding	-	68.96
	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	Project funding	47.13	47.13
	कुल		271.90	313.60
(ख)	गारंटी		नोट संख्या 37 देखें	
(ग)	पूर्णतः भुगतान किये गये इक्विटी शेयरों और मान्य इक्विटी में निवेश		नोट संख्या 8.1 देखें	

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

43. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदा न की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय मूल राशि उपरोक्त पर देय ब्याज	33.71 -	3.73 -
2	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि*	-	9.24
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि	-	-
5	आगामी वर्षों में भी बकाया और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त अनुसार ब्याज देय राशि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान नहीं कर दी जाती।	-	-

* वर्ष के दौरान दावों का पूर्ण एवं अंतिम निपटान किया गया है।

44. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

क सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली कुल राशि	14.13	11.64
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	14.13	11.64

ख सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु		
	नकद भुगतान	अभी तक भुगतान नहीं किया गया	कुल	नकद भुगतान	अभी तक भुगतान नहीं किया गया	कुल
क. किसी भी परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर*						
(i) चालू गतिविधियों के लिए	0.08					
(ii) चल रही गतिविधियों के अलावा	2.20		2.28	3.89	-	3.89

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु		
	नकद भुगतान	अभी तक भुगतान नहीं किया गया	कुल	नकद भुगतान	अभी तक भुगतान नहीं किया गया	कुल
ख. उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर		-				
(i) चालू गतिविधियों के लिए	2.17					
(ii) चल रही गतिविधियों के अलावा	9.70	11.87	11.87	7.76	-	7.76
कुल (कख)		14.15	-	11.65	-	11.65

* परिसंपत्तियां खरीदी गईं और संबंधित संगठन को सौंप दी गईं तथा कंपनी द्वारा धारण नहीं की जा रही हैं।

ग प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में योगदान	-	0.67
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	9.05	6.39
विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेषकर बच्चों में व्यवसाय कौशल को बढ़ाना।	4.47	4.33
पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना	0.12	0.10
महिलाओं और अनाथों के लिए गृह और छात्रावास स्थापित करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना।	-	-
खेल	0.28	-
अन्य (अन्य प्रशासनिक लागत सहित)	0.23	0.16
कुल	14.15	11.65

घ अव्ययित दायित्वों से संबंधित विवरण:

(₹ करोड़ में)

Particulars	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित के संबंध में अप्रयुक्त राशि:		
- चालू परियोजना (#)*	2.25	-
- चल रहे परियोजनाओं के अलावा (##)	-	-

चालू परियोजना:

(₹ करोड़ में)

आरंभिक जमा		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		जमा शेष	
कंपनी के साथ	पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते से	कंपनी के साथ	पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते में
-	-	2.25	-	-	-	2.25

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

- * कंपनी ने धारा 135(5) के अनुसार चालू सीएसआर गतिविधियों के अलावा अन्य के लिए ₹11.90 करोड़ की राशि खर्च की है और धारा 135(6) के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में ₹2.25 करोड़ स्थानांतरित किए गए हैं। इसके अलावा, सीएसआर की विशिष्ट चालू परियोजना के लिए ₹0.17 करोड़ (₹0.17 करोड़) की राशि निर्धारित की गई है।

चालू परियोजना के अलावा:

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक जमा	अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	जमा शेष
-	-	-	-	-

घ अव्ययित दायित्वों से संबंधित विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा	-	-
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली कुल राशि (उपर्युक्त (क) के अनुसार)	14.13	11.64
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि (उपर्युक्त (ख) के अनुसार)	14.15	11.65
कंपनी द्वारा खर्च की गई कमी / (अधिक) राशि	(0.02)	(0.01)

- * सीएसआर व्यय के संबंध में कोई संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं हुआ है।

ड. अन्य प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रासंगिक लेखा मानक (1) के अनुसार, जैसे कि कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के अंतर्गत दिए गए योगदान का संबंधित पक्ष लेन-देन के रूप में विवरण नीचे दिया गया है:	लागू नहीं	लागू नहीं
जहाँ किसी अनुबंधीय दायित्व में प्रविष्ट होने के कारण कोई देयता उत्पन्न होती है और उसके लिए प्रावधान किया गया है, वहाँ उस प्रावधान में वर्ष के दौरान होने वाली गतियों का विवरण निम्नलिखित होता है:	लागू नहीं	लागू नहीं

45. अन्य विनियामक प्रकटीकरण

क) अनुपातों का प्रकटीकरण

विवरण	मीटर	भाजक	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	% परिवर्तन	परिवर्तन का कारण 25% से अधिक
वर्तमान अनुपात	चालू संपत्ति	चालू देयताएं	1.59	1.59	-	
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	0.00054	0.00056	-3.57%	
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए आय = कर्जों के बाद शुद्ध लाभ गैर-नकद परिचालन व्यय, ब्याज	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान मूलधन चुकौती	183.44	114.30	60.49%	टिप्पणी देखें (iii)

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	मीटर	भाजक	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024	% परिवर्तन	परिवर्तन का कारण 25% से अधिक
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	कर के बाद शुद्ध लाभ – वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक इक्विटी	12.28%	15.76%	-22.08%	
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंट्री	141.12	172.25	-18.07%	
व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	शुद्ध ऋण बिक्री = सकल ऋण बिक्री – बिक्री रिटर्न	औसत व्यापार प्राप्य	7.85	13.17	-40.39%	टिप्पणी देखें (ii)
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध क्रेडिट खरीद = सकल क्रेडिट खरीद – खरीद रिटर्न	औसत व्यापार देयताएं	9.04	12.97	-30.30%	टिप्पणी देखें (iii)
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री – बिक्री रिटर्न	कार्यशील पूंजी = वर्तमान परिसंपत्तियां – वर्तमान देनदारियां	2.60	3.15	-17.46%	
शुद्ध लाभ अनुपात	निवल लाभ	शुद्ध बिक्री = कुल बिक्री – बिक्री रिटर्न	6.91%	6.97%	-0.86%	
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल संपत्ति, कुल ऋण, आस्थगित कर देयता	14.82%	20.19%	-26.60%	टिप्पणी देखें (iv)
निवेश पर प्रतिफल	ब्याज (वित्त आय)	निवेश	7.18%	8.04%	-10.70%	

टिप्पणियां :

- अनुपात की गणना में, ब्याज की भरपाई की गई है, तथा तुलना सुनिश्चित करने के लिए, मूल ऋण चुकौती को भी समायोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रावधानों और बड़े खाते में डाले गए खराब ऋणों सहित गैर-नकद परिचालन मदों को भी अंश में समायोजित किया गया है। अनुपात में परिवर्तन मुख्य रूप से इन समायोजनों के कारण हुआ है।
- पिछले वर्ष की तुलना में औसत व्यापार प्राप्य में वृद्धि हुई है।
- पिछले वर्ष की तुलना में औसत व्यापार देय में वृद्धि हुई है।
- कर-पूर्व लाभ पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है।
- कंपनी का चालू वर्ष और पिछले वर्ष में बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है।
- कंपनी के पास वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष में वैधानिक अवधि के बाद कोई भी शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।
- कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्था) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ चालू वर्ष और पिछले वर्ष में
 - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण या निवेश करेगा (परम लाभार्थी) या
 - परम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।
- कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधि देने वाली पार्टी) शामिल हैं) से इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं की है (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी चालू वर्ष और पिछले वर्ष में:
 - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से निधि देने वाली पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या
 - अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

- (छ) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे बाद में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत चालू वर्ष और पिछले वर्ष में चल रहे कर निर्धारण (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के भाग के रूप में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।
- (ज) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां चालू वर्ष और पिछले वर्ष में किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।
- (झ) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा चालू वर्ष या पिछले वर्ष में जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (ट) कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

46. हालिया घोषणा

- क) कंपनी ने 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी कुछ नए लेखांकन मानकों और संशोधनों को अपनाया है। भारतीय मानक ब्यूरो 117, बीमा अनुबंध, जो भारतीय मानक ब्यूरो 104 की जगह लेता है, बीमा अनुबंधों की पहचान, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। हालांकि, इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि कंपनी ने कोई बीमा अनुबंध नहीं किया है।
- ख) इसके अलावा, भारतीय लेखा मानक 116, लीज में संशोधन, बिक्री और लीजबैक लेनदेन से उत्पन्न होने वाली लीज देनदारियों से संबंधित, को भी अधिसूचित किया गया। चूंकि कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है, इसलिए संशोधन से उसके वित्तीय विवरणों पर कोई असर नहीं पड़ा।

47. भारतीय लेखा मानक 8 'लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों' के अनुसार प्रकटीकरण

चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने मेडिकल ट्रस्ट फंड में किए गए योगदान की वर्गीकरण एवं प्रकटीकरण से संबंधित अपनी लेखांकन नीति में संशोधन किया है। सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ के संबंध में देयता का प्रावधान अब डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है, जबकि पूर्व में किया गया एक्चुअरियल मूल्यांकन अब वित्तीय वर्ष 2024-25 से बंद कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी ने अब मेडिकल ट्रस्ट को किए गए योगदान को परिभाषित अंशदान योजना के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है, जबकि पिछले वर्ष में इसे परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत प्रकटीकरण किया गया था। इन योगदानों के लेखांकन उपचार, मान्यता या मूल्यांकन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यह संशोधन केवल वित्तीय विवरणों में प्रस्तुति एवं प्रकटीकरण से संबंधित है।

तदनुसार, इस परिवर्तन का लाभ और हानि विवरण, बैलेंस शीट या नकदी प्रवाह विवरण में पहले से रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

47. अन्य प्रकटीकरण

- क) (i) कंपनी ने आकलन वर्ष 2000-01 से 2019-20 तक आयकर अधिनियम की धारा 80-IA के अंतर्गत कटौती का दावा किया है। यह कटौती आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) द्वारा स्वीकृत की गई है। हालांकि, आकलन वर्ष 2000-01 के लिए ITAT के आदेश के विरुद्ध आयकर विभाग ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। इसके अतिरिक्त, आकलन वर्ष 2019-20 तक कंपनी ने वैश्विक आय को भारत में कर के लिए प्रस्तुत किया है, जिसमें विदेशी देशों से अर्जित आय को DTAA (द्विपक्षीय कर अपवंचन निरोधक समझौते) के अनुसार वैश्विक आय से बाहर रखा गया है। कंपनी को आकलन वर्ष 2005-06 तक बहिष्करण विधि की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद विभाग द्वारा वैश्विक आय पर गणना किए गए कर से विदेशी देशों में चुकाए गए करों के विरुद्ध कर क्रेडिट की अनुमति दी गई। नियत कर का भुगतान करने के बाद, कंपनी ने इस मुद्दे को अपीलों के माध्यम से चुनौती दी है। यह मुद्दा ITAT द्वारा कंपनी के पक्ष में स्वीकृत किया गया है।
- (ii) पूर्व वर्षों से संबंधित आयकर प्रावधान को वापस लिया गया है / आयकर व्यय को पलटा गया है, जिसकी राशि ₹24.32 करोड़ (₹NIL) है, जो आयकर प्राधिकरणों से प्राप्त अनुकूल आदेशों के कारण है।
- ख) कुछ अन्य मामले कंपनी के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों और अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित हैं, जो कुछ ठेकेदारों द्वारा लागत-समेत परियोजनाओं में किए गए दावों से संबंधित हैं। ऐसे मामलों में कंपनी को अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से पूरी राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त होने की आशा है और किसी आर्थिक संसाधन के बहिर्गमन की अपेक्षा नहीं की जाती। इस संदर्भ में ₹1,779.99 करोड़ (₹1,702.41 करोड़) की कुल दावा राशि विवादाधीन है, जिसके लिए कोई प्रावधान (₹NIL) नहीं किया गया है और यह राशि ग्राहक द्वारा प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। कंपनी ने ठेकेदारों के विरुद्ध ₹112.83 करोड़ (₹120.64 करोड़) के प्रत्युत्तर दावे भी किए हैं। दावों पर ब्याज को अनिश्चित होने के कारण विचार में नहीं लिया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

- ग) माननीय उच्च न्यायालय ने एनएचएआई के खिलाफ यूपी-05, उरई राजमार्ग परियोजना के लिए ₹97.96 करोड़ की राशि के मध्यस्थता पुरस्कार को जारी करने की अनुमति दी है, जिसके लिए समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी है। कंपनी ने न्यायालय के अंतिम निर्णय तक समतुल्य राशि की देयता प्रदान की है।
- घ) कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है। जहाँ तक व्यापार/अन्य देय और ऋण और अग्रिम का सवाल है, पार्टियों को शेष राशि की पुष्टि के पत्र भेजे गए थे। कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देय राशियों के शेष की पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। समाधान निरंतर आधार पर किए जाते हैं। हालाँकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टि/समाधान से कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।
- ड.) प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा गैर-चालू निवेशों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली जाने पर, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर इनका उल्लेख तुलन पत्र में किया गया है।
- च) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलना को बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण और पुनर्रचना की गई है। इन पुनर्वर्गीकरणों का परिचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- छ) पिछले वर्ष के आंकड़े वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से अलग करने के लिए कोष्ठक () के अंतर्गत दर्शाए गए हैं।

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

एफआरएन: 001770C

ह0/-

मोनिका अग्रवाल

भागीदार

सदस्यता संख्या: 093769

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 21 मई 2025

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-

रागिनी अडवाणी

निदेशक (वित्त)

डीआईएन-09575213

ह0/-

एलिन रॉय चौधरी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-

हरि मोहन गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

और सीईओ

डीआईएन-08453476

ह0/-

प्रतिभा अग्रवाल

कंपनी सचिव

एफसीएस नं. 8874

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। 21 मई 2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उन्होंने ऐसा किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ज्ञान में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक उत्पन्न हो।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह./—

तेज सिंह

प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक

रेलवे वाणिज्य

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21.08.2025

**समेकित
वित्तीय विवरण
2024-25**

फार्म एओसी-1

दिनांक 31.03.2025 तक सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं शामिल करने वाला विवरण (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 की धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

भाग— “क” : सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	सहायक कंपनी का नाम	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)	इरकॉन देवांगेरे हवेली हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल)	इरकॉन गुडगांव रेवाडी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन जीआरएचएल)
1	सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025
2	वह तारीख जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया	12.05.2015	30.09.2014	11.05.2017	30.09.2009	16.05.2018	24.12.2020
3	रिपोर्टिंग मुद्रा	₹	₹	₹	₹	₹	₹
4	शेयर पूंजी (आबंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)	150.00	165.00	173.00	65.00	10.00	0.05
5	अन्य इक्विटी/रिजर्व एवं अधिशेष (जैसा लागू हो)	(131.61)	(55.31)	97.94	120.12	372.75	99.47
6	देयताएं	585.73	280.24	357.11	162.83	562.99	275.03
7	कुल इक्विटी और देयता	604.12	389.93	628.05	347.95	945.74	374.55
8	कुल संपत्ति	604.12	389.93	628.05	347.95	945.74	374.55
9	निवेश	-	-	-	-	-	-
10	कारोबार	173.65	40.55	168.09	116.63	137.68	121.99
11	कराधान से पहले लाभ	(22.58)	(31.60)	31.93	11.74	62.43	4.47
12	कराधान के लिए प्रावधान	-	-	8.16	(5.63)	16.01	1.15
13	कराधान के बाद लाभ	(22.58)	(31.60)	23.77	17.37	46.42	3.31
14	अंतरिम लाभांश — इक्विटी	-	-	-	2.50	-	-
15	अंतरिम लाभांश — वरीयता	-	-	-	-	-	-
16	प्रस्तावित लाभांश — इक्विटी	-	-	-	4.91	-	-
17	प्रस्तावित लाभांश — वरीयता	-	-	-	-	-	-
	शेयर होल्डिंग का %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 001770C

ह0/-
मोनिका अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 093769

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई 2025

कृते निदेशक मंडल की ओर से
ह0/-
रागिनी अडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09575213

ह0/-
एलिन रॉय चौधरी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-
हरि मोहन गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डीआईएन-08453476

ह0/-
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 8874

फार्म एओसी-1

दिनांक: 31.03.2025 तक सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं शामिल करने वाला विवरण (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

भाग— “क” : सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (इरकॉन आरपीएल)	इरकॉन अकोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएकेईएल)	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉन एलआरएचएल)	इरकॉन भोज-मारबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन बीएमईएल)	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉन एचबीएल)
1	सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025
2	वह तारीख जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया	13.01.2022	23.12.2021	24.12.2021	06.01.2022	13.01.2022
3	रिपोर्टिंग मुद्रा	₹	₹	₹	₹	₹
4	शेयर पूंजी (आबंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)	5.00	4.34	11.11	10.60	0.05
5	अन्य इक्विटी/रिजर्व एवं अधिशेष (जैसा लागू हो)	142.59	118.26	107.92	103.60	87.17
6	देयताएं	1,938.22	425.50	500.25	573.50	267.47
7	कुल इक्विटी और देयता	2,085.81	548.10	619.28	687.70	354.69
8	कुल संपत्ति	2,085.81	548.10	619.28	687.70	354.69
9	निवेश	-	-	-	-	-
10	कारोबार	19.58	418.61	317.78	660.28	223.00
11	कराधान से पहले लाभ	3.70	8.12	8.80	15.41	1.77
12	कराधान के लिए प्रावधान	2.65	2.04	2.21	3.93	0.45
13	कराधान के बाद लाभ	1.05	6.08	6.59	11.48	1.32
14	अंतरिम लाभांश - इक्विटी	-	-	-	-	-
15	अंतरिम लाभांश - वरीयता	-	-	-	-	-
16	प्रस्तावित लाभांश - इक्विटी	-	-	-	-	-
17	प्रस्तावित लाभांश - वरीयता	-	-	-	-	-
	शेयर होल्डिंग का %	76%	100%	100%	100%	100%

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 001770C

ह0/-
मोनिका अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 093769

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई 2025

कृते निदेशक मंडल की ओर से
ह0/-
रागिनी अडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09575213

ह0/-
एलिन रॉय चौधरी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-
हरि मोहन गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डीआईएन-08453476

ह0/-
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 8874

भाग-ख : संयुक्त उपक्रम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	संयुक्त उद्यम का नाम	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र दिनांक	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2025
2	वह तिथि जब सहायक या संयुक्त उद्यम संबद्ध या अधिग्रहित किया गया	5 मई 16	3 मार्च 2013	3 मार्च 13	4 अप्रैल 5	31 अगस्त 2025	31 अगस्त 2025	12 अप्रैल 2025
	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर %	26.00%	26.00%	26.00%	50.00%	26.00%	26.00%	26.00%
	धारित शेयरों की संख्या	7,63,37,300	19,78,55,700	19,39,91,200	6,38,70,000	2,62,56,438	2,60,00,000	5,19,99,699
	संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (नीचे नोट 2)(₹ में)	76,33,73,000	1,97,85,57,000	1,93,99,12,000	63,87,00,000	26,25,64,380	26,00,00,000	51,99,96,990
	कुल शेयरों की संख्या	29,36,05,000	78,15,78,074	72,15,13,000	12,77,40,000	10,09,86,300	9,00,05,000	19,99,99,400
	होल्डिंग की सीमा (%)	26.00%	25.31%	26.89%	50%	26.00%	28.89%	26.00%
3	इसका वर्णन कि किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है	नोट संख्या 1 (नीचे)						
4	संयुक्त उद्यम को समेकित न किये जाने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन तत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल संपत्ति (करोड़ रुपए में)	76.23	144.79	233.29	74.72	144.91	99.40	82.25
6	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (करोड़ रुपए में)	(0.75)	(161.38)	(0.20)	194.89	4.78	2.74	5.63
	(i) समेकन में विचारित (₹ करोड़ में)	(0.20)	(40.85)	(0.05)	97.45	1.24	0.71	1.46
	(ii) समेकन में विचार नहीं किया गया (₹ करोड़ में)	(0.55)	(120.53)	(0.15)	97.45	3.54	2.03	4.17

नोट

- निवेशिती की 20% या उससे अधिक मतदान शक्ति रखने से महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित होता है।
- संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 001770C

ह0/-
मोनिका अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 093769

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई 2025

कृते निदेशक मंडल की ओर से
ह0/-
रागिनी अडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09575213

ह0/-
एलिन रॉय चौधरी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-
हरि मोहन गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डीआईएन-08453476

ह0/-
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 8874

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट

राय

हमने आईआरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इसके बाद “होलिडिंग कंपनी” कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (होलिडिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को सामूहिक रूप से “समूह” कहा गया है) एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संलग्न समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य समग्र आय सहित), समेकित इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियाँ, साथ ही प्रमुख लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद “समेकित इंड एस वित्तीय विवरण” कहा गया है) सम्मिलित हैं।

हमने दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और श्रीलंका (भारतीय भाग) में स्थित तीन (3) विदेशी शाखाओं के 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है। हालांकि, हमने किसी भी विदेशी शाखा का दौरा नहीं किया और लेखापरीक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक जानकारी हमें कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई थी।

हमारी राय में, और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान तथा हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उपर्युक्त समेकित इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) द्वारा अपेक्षित जानकारी उस रूप में प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के साथ पढ़ा गया है (“इंड एस”) और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, समूह एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित लाभ, समेकित समग्र आय, समेकित इक्विटी में परिवर्तन एवं 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का सच्चा और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

मूलभूत राय

हमने समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (“एसए”) के अनुसार

किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारे लेखापरीक्षा रिपोर्ट के “समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी” अनुभाग में विस्तृत रूप से वर्णित की गई हैं। हम समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से स्वतंत्र हैं, जैसा कि भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे ऑडिट से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित है, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, जैसा कि “अन्य विषय” अनुच्छेद में उल्लिखित है, समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करता है।

विषय पर बल

समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 9 के फुटनोट संख्या (i) का संदर्भ दिया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में से एक, अर्थात् इंडियन रेलवे स्टेशन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसी) के वित्तीय विवरणों को परिसमापन के आधार पर तैयार किया गया है और यह भी दर्शाया गया है कि समूह को आईआरएसडीसी में रखे गए निवेश के मूल्य में किसी प्रकार की गिरावट की आशंका नहीं है।

उपरोक्त विषय के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और इस पर अपनी राय बनाते हुए, हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते हैं। ‘अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग’ पर लेखापरीक्षा मानक (एस ए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नीचे दिए गए प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों को होलिडिंग कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्टों से पुनः प्रस्तुत किया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारे ऑडिट ने इस मामले को कैसे संबोधित किया
राजस्व पर लेखांकन मानक जो पांच चरणों वाला राजस्व मान्यता मॉडल निर्धारित करता है। होलिडिंग कंपनी, निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी की प्रगति का आकलन करने के बाद, समय के साथ पूरी हुई निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व की पहचान करती है। राजस्व की पहचान के लिए, कार्य क्षेत्र में परिवर्तनों, दावों (मुआवजा, छूट आदि) और अन्य भुगतानों का मूल्यांकन और निर्णय करना आवश्यक है, जहाँ तक निष्पादन दायित्व की संतुष्टि की बात है। कंपनी इनपुट विधि का उपयोग करके निष्पादन दायित्व का मापन करती है। जिन अनुबंधों में निष्पादन दायित्व का मापन इनपुट विधि द्वारा नहीं किया जा सकता, वहाँ आउटपुट विधि का उपयोग किया जाता है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के प्रदर्शन को सटीक रूप से दर्शाती है। आदेश पूर्ति के दौरान, संविदात्मक दायित्वों की पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तन आदेशों या रद्दीकरणों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना की कुल अनुमानित लागतें कुल संविदा राजस्व से अधिक हो सकती हैं और इसलिए अपेक्षित हानि की तत्काल मान्यता की आवश्यकता होती है। इंड एस 115 के अंतर्गत, संस्थाओं को प्रत्येक चरण को ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंधों पर लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में निम्नलिखित से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं: - विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान; - पहचाने गए निष्पादन दायित्वों के लेन-देन मूल्य का निर्धारण; - किसी समय बिंदु पर या समय के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए प्रयुक्त आधार की उपयुक्तता। इसके अतिरिक्त, राजस्व लेखांकन मानक में ऐसे प्रकटीकरण शामिल हैं जिनमें अलग-अलग राजस्व और तुलन पत्र की तारीख के बाद शेष निष्पादन दायित्वों की पूर्ति की अवधि से संबंधित सूचनाओं का संकलन शामिल है। इन निर्णयों से राजस्व की पहचान एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में की गई थी और इसके लिए उच्च स्तर के लेखापरीक्षा प्रयासों की आवश्यकता थी। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 43 देखें।	— हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व मान्यता लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखांकन मानकों के संदर्भ में नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था। हमने सूचना की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया, जो पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमने अनुबंधों का एक नमूना चुना और विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान और निष्पादन दायित्वों की पूर्ति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने नमूना आधार पर डब्ल्यूआईपी शेषों में शामिल लागतों की भी जाँच की और अनुबंधों के अनुसार शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्यों की तुलना अनुमानित लागत से करके उनकी वसूली क्षमता का परीक्षण किया। — हमने राजस्व मान्यता पर निम्नलिखित मूलभूत प्रक्रियाओं का पालन किया, जिसमें विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया कि क्या अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व है या एकाधिक निष्पादन दायित्व हैं और क्या निष्पादन दायित्व समयावधि में या किसी समय बिंदु पर पूरा हो रहा है: - इन अनुबंधों में अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों को पढ़ा, विश्लेषित किया और पहचाना। - इन प्रदर्शन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचाने और दर्ज किए गए प्रदर्शन दायित्वों से की गई। - अनुबंधों की शर्तों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग प्रदर्शन दायित्वों को आवंटित करने के लिए प्रयुक्त लेन-देन मूल्य को सत्यापित किया गया। - यह जाँचा गया कि प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट किया जा रहा है या किसी विशिष्ट समय पर। - प्रकटीकरण किए गए राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ अपनाई गईं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारे ऑडिट ने इस मामले को कैसे संबोधित किया
आकस्मिक देयताएं कंपनी के विरुद्ध विभिन्न मंचों पर कई वाद-विवाद लंबित हैं, और प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता होती है ताकि संभावित दायित्व के रूप में प्रकटीकरण की जाने वाली राशि का अनुमान लगाया जा सके। हमने इस विषय को एक प्रमुख ऑडिट मुद्दे के रूप में पहचाना है, क्योंकि जिन अनुमानों के आधार पर ये राशि तय की जाती हैं, वे मामलों की व्याख्या में प्रबंधन के निर्णय पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। लेखांकन नीति संख्या 2.2.16 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरण की नोट संख्या 40 देखें।	हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त कर ली है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: - कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की समीक्षा करना। - सक्षम प्राधिकरणों द्वारा जारी हालिया आदेशों तथा विभिन्न प्राधिकरणों, न्यायिक मंचों से प्राप्त संप्रेषणों और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना। - विचाराधीन विषय की जानकारी एकत्र कर, चर्चाओं के माध्यम से कंपनी की दलीलों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण करना, संभावित निष्कर्षों तथा उन मुद्दों पर संभावित व्यय का आकलन करना।
पर्यावरण प्रणाली एवं आंतरिक नियंत्रण कंपनी के पास एसएपी प्रणाली है और पूरे संगठन में केवल एफआई-सीओ, पेरोल, वित्तीय नियंत्रण, मानव पूंजी प्रबंधन, कर्मचारी स्वयं सेवा/प्रबंधक स्वयं सेवा (ईएस/एमएसएस) आदि मॉड्यूल उपयोग में हैं। हालांकि, परियोजना प्रणाली (पीएस), सामग्री प्रबंधन (एमएम) और दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और कॉर्पोरेट कार्यालय सहित 07 परियोजना स्थानों पर शुरू किए गए हैं। अन्य स्थानों पर रोलआउट लागू किया जा रहा है। एसडी मॉड्यूल कॉन्फिगर किया गया है और चालान के लिए उन्नत चरण में है। कंपनी में आईटी प्रणाली पूरी तरह से स्वचालित नहीं है और वित्तीय विवरणों की तैयारी और रिपोर्टिंग में मैनुअल हस्तक्षेप मौजूद हैं। इसके लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य और लेखापरीक्षा प्रयास की उच्च सीमा के मूल्यांकन में उच्च स्तर के लेखा परीक्षक निर्णय की आवश्यकता थी।	पर्यावरण प्रणाली एवं आंतरिक नियंत्रण - कंपनी के पास एसएपी प्रणाली है और पूरे संगठन में केवल एफआई-सीओ, पेरोल, वित्तीय नियंत्रण, मानव पूंजी प्रबंधन, कर्मचारी स्वयं सेवा/प्रबंधक स्वयं सेवा (ईएस/एमएसएस) आदि मॉड्यूल उपयोग में हैं। हालांकि, परियोजना प्रणाली (पीएस), सामग्री प्रबंधन (एमएम) और दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और कॉर्पोरेट कार्यालय सहित 07 परियोजना स्थानों पर शुरू किए गए हैं। अन्य स्थानों पर रोलआउट लागू किया जा रहा है। एसडी मॉड्यूल कॉन्फिगर किया गया है और चालान के लिए उन्नत चरण में है। - कंपनी में आईटी प्रणाली पूरी तरह से स्वचालित नहीं है और वित्तीय विवरणों की तैयारी और रिपोर्टिंग में मैनुअल हस्तक्षेप मौजूद हैं। इसके लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य और लेखापरीक्षा प्रयास की उच्च सीमा के मूल्यांकन में उच्च स्तर के लेखा परीक्षक निर्णय की आवश्यकता थी।

स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित

भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत जानकारी दी गई है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित भारतीय लेखा मानक

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

समूह में शामिल कंपनियों तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडलों की यह जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण करें, ताकि समूह की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान की जा सके; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग करें; ऐसे निर्णय एवं अनुमान प्रस्तुत करें जो यथोचित और विवेकपूर्ण हों; और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करें, उनका क्रियान्वयन करें तथा अनुरक्षण करें, जो प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हों और लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करते हों, जो समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित हैं और जो सच्चा एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा किसी भी भौतिक चूक (चाहे वह धोखाधड़ी से हो या गलती से) से मुक्त होते हैं— जिन्हें होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु उपयोग में लाया गया है।

समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के दौरान, समूह में शामिल कंपनियों तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडलों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सतत संचालन क्षमता का मूल्यांकन करें, और जहाँ लागू हो, सतत संचालन से संबंधित विषयों का प्रकटीकरण करें तथा लेखांकन के लिए संचालन क्षमता के आधार का उपयोग करें, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल या तो संस्थाओं को परिसमाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थ विकल्प उपलब्ध न हो।

समूह में शामिल कंपनियों तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरण समग्र रूप से किसी भौतिक चूक (चाहे वह धोखाधड़ी से हो या त्रुटि से) से मुक्त हैं या नहीं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त किया जाए और हमारी राय सहित एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी की जाए। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि ऑडिटिंग मानकों (SAs) के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा उस भौतिक चूक का पता लगा

पाएगा जब वह अस्तित्व में हो। चूकें धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि वे अकेले या समग्र रूप से उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को, जो इन समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए जाते हैं, यथोचित रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

एसएस के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- समेकित भारतीय लेखा मानक (IAS) वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करना और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ डिज़ाइन की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियाँ और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयाँ, जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित भारतीय लेखा मानक (आईएसएस) वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

- प्रकटीकरणों सहित समेकित भारतीय लेखा मानक (आईएसएस) वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, और यह भी देखें कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक (आईएसएस) वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के तरीके से प्रस्तुत करते हैं।
- समेकित भारतीय लेखा मानक (AS) वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के अंतर्गत संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त और उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक अपने द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार बने रहेंगे। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बने रहेंगे।

भौतिकता समेकित भारतीय लेखा मानक (AS) वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इस बात की संभावना पैदा करती है कि समेकित भारतीय लेखा मानक (IAS) वित्तीय विवरणों के किसी भी जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) समेकित भारतीय लेखा मानक (IAS) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करने की बात करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी करते हैं।

शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन

अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगा दे या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

अन्य मामले

- हमने कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरण में शामिल चार (4) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2025 तक 923.62 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 831.78 करोड़ रुपये) की कुल संपत्ति, 357.35 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 548.44 करोड़ रुपये) का कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 74.63 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 112.41 करोड़ रुपये) का कुल पीबीटी दर्शाते हैं, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना जाता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-जोखा उन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।
- वित्तीय विवरणों में 0.08 करोड़ रुपये का लाभ/(हानि) (पिछले वर्ष 0.08 करोड़ रुपये), दो (2) एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) खातों में कंपनी का हिस्सा शामिल है, जिनका लेखा-जोखा चार्टर्ड एकाउंटेंट की अन्य फर्मों द्वारा किया गया है और 0.45 करोड़ रुपये का लाभ/(हानि) (पिछले वर्ष 0.90 करोड़ रुपये) एक (1) संयुक्त परिचालन खाते में कंपनी का हिस्सा शामिल है, जिसे 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- हमने ग्यारह (11) सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का लेखा-जोखा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में कुल संपत्ति ₹2,000 करोड़ (₹1,000 करोड़) दिखाई गई है। 31 मार्च, 2025 तक 7585.92 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5603.36 करोड़ रुपये), कुल राजस्व 2397.84 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2457.13 करोड़ रुपये) और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह में शुद्ध वृद्धि/(कमी) 48.80 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 172.38 करोड़ रुपये) थी, जैसा कि समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों में माना जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में पांच (5) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लाभ (शुद्ध) 58.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 44.22 करोड़ रुपये) का समूह का हिस्सा भी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की अन्य फर्म द्वारा ऑडिट किया गया है, और इसमें समूह का हिस्सा भी शामिल है। दो (2) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में इक्विटी पद्धति

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

का उपयोग करते हुए 1.26 करोड़ (पिछले वर्ष 2.00 करोड़ रुपये) का लाभ (शुद्ध) अर्जित किया है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का उनके लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है, लेकिन प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित भारतीय लेखा मानक (IAS) वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

- चै-116 और IDS-117 में किए गए संशोधनों के संबंध में समेकित चै वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 46 का संदर्भ आमंत्रित है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है, ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित की गई है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है और समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह पूर्वोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित है, भौतिकता सहित 'अन्य लेखा परीक्षक के काम का उपयोग करने' पर लेखा परीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता पर विचार करने के बाद पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, तथा नीचे अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम "अनुलग्नक क" में आदेश के खंड 3 (xxi) में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य मामले खण्ड में उल्लेखित सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं
 - क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
 - ख) हमारी राय में, समूह और उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा बनाए गए विधि द्वारा अपेक्षित उचित

लेखा-बही, जिनमें उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख शामिल हैं, जहाँ तक उन पुस्तकों की हमारी जाँच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है, रखी गई हैं।

- ग) होल्डिंग कंपनी के शाखा कार्यालयों, उसकी सहायक कंपनियों और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखा-जोखा पर रिपोर्ट, जिनकी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत उनके लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, हमें भेज दी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उनका उचित ढंग से उपयोग किया गया है।
- घ) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित बैलेंस शीट, लाभ-हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से रखी गई प्रासंगिक लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
- ड) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करते हैं।
- च) भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों का कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2025 तक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है। हमें सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों पर अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जो सरकारी कंपनियां हैं।
- छ) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- ज) हमें सूचित किया जाता है कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं, जो एक सरकारी कंपनी हैं। भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, वर्ष के दौरान

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

संयुक्त उद्यमों द्वारा अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है।

- झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- (i) समेकित भारतीय लेखा मानक (इंडियाना अकाउंटेंट) वित्तीय विवरण समूह और उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं। समेकित भारतीय लेखा मानक (इंडियाना अकाउंटेंट) वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 40 देखें।
- (ii) समूह और उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो संभावित भौतिक हानियों के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान किए हैं। समेकित भारतीय लेखा मानक (इंडियाना अकाउंटेंट) वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 21.2 देखें। समूह और उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के पास कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न अनुबंध नहीं थे।
- (iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे होल्लिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और भारत में निगमित उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
- (iv) क) होल्लिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के अन्य लेखा परीक्षकों को क्रमशः बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट संख्या 45 में बताए गए के अलावा, उनमें से किसी ने भी विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को या उसमें (उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) अग्रिम या ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, होल्लिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम

लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

ख) होल्लिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अंतर्गत ऑडिट किया गया है, के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट संख्या 45 में प्रकट किए गए विवरण के अलावा, होल्लिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("निधिकरण पक्ष") शामिल हैं, से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि होल्लिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ, जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अंतर्गत ऑडिट किया गया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देंगी या निवेश करेंगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेंगी।

ग) हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और भारत में निगमित सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, हमारे या अन्य लेखापरीक्षकों के ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें या अन्य लेखापरीक्षकों को यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।

(v) जैसा कि लेखांकन नीति संख्या में कहा गया है। 2.2. 15 स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों के लिए

क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभंश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार लागू सीमा तक है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभंश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभंश का प्रस्ताव किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

प्रस्तावित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू सीमा तक है।

- (vi) हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, जिसमें टेस्ट चेक शामिल थे, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा की रिकॉर्डिंग की विशेषता है और यह पूरे वर्ष संचालित होता है। सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट

ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई उदाहरण नहीं मिला। रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है

3. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हमारी समीक्षा तथा सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

S. No	funsz'k	लेखा परीक्षक के उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की सत्यनिष्ठा पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताएं।	कंपनी भारत में स्थित अपनी सभी परियोजनाओं और अपनी विदेशी शाखाओं में भी एसएपी एस/4 हना प्रणाली का उपयोग कर रही है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय बिलिंग को छोड़कर आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया गया है जिसके लिए कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं देखा गया था।
2.	क्या कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधारों/ब्याज आदि को माफ/बढ़े खाते में डालने का मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों का उचित रूप से हिसाब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	नहीं, कंपनी के पास मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बढ़े खाते में डालने के मामलों का कोई मामला नहीं है। कंपनी को ऋणदाता द्वारा बनाया गया। हालांकि, आईपीबीटीएल ऋण चुकौती अनुसूची को संशोधित किया गया है, जो ब्याज के साथ मूल राशि के अपेक्षित पुनर्भुगतान को दर्शाता है। वित्तीय विवरण में उपयुक्त लेखांकन समायोजन शामिल किया गया है।
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की जांच के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई धन प्राप्त/प्राप्त नहीं किया गया है।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 001770C

ह0/—

सीए मोनिका अग्रवाल

(भागीदार)

सदस्यता संख्या: 093769

यूडीआईएन: 25093769BNLMNF6382

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21 मई, 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

“परिशिष्ट—अ” स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (इसी दिनांक की) के साथ संलग्न
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर

हमारे द्वारा माँगी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, हम यह कहते हैं कि:

3(एक्सएक्सआई) कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ2020) के संदर्भ में, होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों, जो समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित हैं, के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियाँ दी गई हैं:

क्र. सं.	समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित कंपनी का नाम	कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	होल्डिंग कंपनी / सहायक / सहयोगी / संयुक्त उपक्रम	उस कंपनी की सीएआरओ रिपोर्ट की धारा संख्या, जिसमें आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी की गई है
1.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000729	संयुक्त उपक्रम	धारा सं. 3(एक्सवीआईआई)
2.	छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000768	संयुक्त उपक्रम	धारा सं. 3 (आई)(सी)
3.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	L45203DL1976GOI008171	होल्डिंग कंपनी	धारा सं. 3 (आई)(सी)

निम्नलिखित दो (2) संयुक्त उपक्रम कंपनियों की रिपोर्ट, जो समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में सम्मिलित हैं, हमारे इंड एस समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक संबंधित लेखापरीक्षक द्वारा जारी नहीं की गई है:

क्र. सं.	समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित कंपनी का नाम	कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
1.	इंडियन रेलवे स्टेशन डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	U45204DL2012GOI234292
2.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	U74900CT2016PTC007251

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 001770C

ह0 /—

सीए मोनिका अग्रवाल

(भागीदार)

सदस्यता संख्या: 093769

यूडीआईएन: 25093769BNLMNF6382

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21 मई, 2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध ख

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2025 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए। इन मानक एवं मार्ग-दर्शननोट की अपेक्षा के अनुसार हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और इस बारे में औचित्य पूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाते हैं एवं लेखा परीक्षण करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गये हैं तथा उसे बनाये रखा गया है या नहीं, और यदि ये नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से परिचालित किए गये हों।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और

मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिसमें नियंत्रण पर अनुचित प्रबंधन की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी वजह से वित्तीय गलतियां हो जाने जैसी घटना घट जाए और उसका पता नहीं भी लग सकता है। इसके अलावा, भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव का कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर के कारण क्षीण हो सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। 31 मार्च, 2025, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट**इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए**

की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर। हालांकि, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च 2025 को पहचाने गए निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

कंपनी के पास एक एकीकृत ईआरपी प्रणाली है जिसका उपयोग उसकी पूर्ण क्षमता पर नहीं किया गया था। इसके अलावा, परियोजना प्रणाली (पीएस), सामग्री प्रबंधन (एमएम) और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) मॉड्यूल विकसित किए गए हैं और कॉर्पोरेट कार्यालय सहित 07 परियोजना स्थानों पर शुरू किए गए हैं। अन्य स्थानों पर रोलआउट लागू किया जा रहा है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (प) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह शाखाओं से संबंधित है, अन्य लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में पहचाने गए क्षेत्रों पर विचार किया है और ये क्षेत्र कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या: 001770C

ह0 / -

सीए मोनिका अग्रवाल

(भागीदार)

सदस्यता संख्या: 093769

यूडीआईएन: 25093769BNLMNF6382

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21 मई, 2025

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
I. संपत्ति			
1 गैर तात्कालिक परिसंपत्ति			
(क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	3	963.10	209.01
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4	975.86	548.91
(ग) संपत्ति में निवेश करे	5	541.98	543.07
(घ) अमूर्त संपत्ति	6	908.08	977.53
(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	-	-
(च) उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ	8	39.64	6.59
(छ) इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निवेश का लेखा-जोखा	9	885.72	864.50
(ज) वित्तीय पूंजी	10		
(i) निवेश	10.1	-	125.19
(ii) ऋण	10.2	0.28	0.45
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10.3	3,091.13	2,247.79
(झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	11	144.51	119.52
(ट) अन्य गैर - चालू परिसंपत्ति	12	499.48	663.47
कुल गैर - मौजूदा संपत्तियाँ		8,049.78	6,306.03
2 चालू संपत्ति			
(क) सूची	13	90.83	47.71
(ख) वित्तीय पूंजी	14		
(i) निवेश	14.1	410.70	563.51
(ii) व्यापार प्राप्त्य	14.2	1,328.25	803.33
(iii) नकद और नकद समकक्ष	14.3	2,279.84	2,179.78
(iv) अन्य बैंक शेष	14.4	2,501.79	2,804.55
(v) ऋण	14.5	1.57	0.92
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14.6	2,342.21	2,010.65
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	15	108.46	72.54
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	16	2,407.85	2,663.13
		11,471.50	11,146.12
बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ	17	-	-
कुल मौजूदा संपत्तियाँ		11,471.50	11,146.12
कुल संपत्ति		19,521.28	17,452.15
II. इक्विटी और देयता			
1 हिस्सेदारी			
क इक्विटी शेयर पूंजी	18	188.10	188.10
ख अन्य इक्विटी	19	6,138.25	5,682.82
मूल कंपनी के मालिकों को देय इक्विटी		6,326.35	5,870.92
गैर-नियंत्रक हित	19A	35.60	35.18
कुल इक्विटी		6,361.95	5,906.10

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
2 देयताएं			
(i) गैर मौजूदा देनदारियां			
(क) वित्तीय देयताएं	20		
(i) उधार	20.1	4,134.64	2,456.68
(ii) पट्टा देयताएं	20.2	31.92	2.52
(iii) व्यापार देयताएं	20.3		
— सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		—	—
— सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		—	—
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	20.4	584.62	777.42
(ख) प्रावधानों	21	258.58	221.96
(ग) अन्य गैर-चालू देयताएं	22	923.28	1,069.66
कुल गैर-चालू देयताएं		5,933.04	4,528.24
(ii) चालू देनदारियां			
(a) वित्तीय देयताएं	23		
(i) उधार	23.1	129.68	110.48
(ii) पट्टा देयताएं	23.2	2.91	0.72
(iii) व्यापार देयताएं	23.3		
— सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		34.39	6.36
— सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		1,222.91	887.74
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	23.4	3,023.13	3,087.56
(ख) अन्य चालू देनदारियां	24	2,495.61	2,549.67
(ग) प्रावधानों	21	301.79	308.72
(घ) चालू कर देयता (शुद्ध)	25	15.87	66.56
कुल चालू दायित्व		7,226.29	7,017.81
कुल शेयर और देनदारियां		19,521.28	17,452.15
III. सामग्री लेखांकन नीतियों की जानकारी का सारांश	2		
IV. वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स	1 – 49		

साथ संलग्न हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001770C

ह0/—
मोनिका अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 093769

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई 2025

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह0/—
रागिनी अडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09575213

ह0/—
एलिन रॉय चौधरी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/—
हरि मोहन गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डीआईएन-08453476

ह0/—
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 8874

समेकित लाभ और हानि विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		टिप्पण संख्या	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	आय :			
	परिचालन से राजस्व	26	10,759.58	12,513.65
II.	अन्य कमाई	27	371.45	356.87
III.	कुल आय (I + II)		11,131.03	12,870.52
IV.	खर्च			
	उपभोग की गई सामग्री और भंडार	28 (i)	668.16	533.61
	(वृद्धि) / डब्ल्यूआईपी में कमी	28 (ii)	-	49.76
	परियोजना व्यय	28 (iii)	8,892.58	10,401.23
	कर्मचारी लाभ व्यय	29	275.71	326.80
	वित्त लागत	30	219.13	148.40
	मूल्यहास, परिशोधन और क्षति	31	117.88	100.43
	अन्य खर्च	28 (iii)	78.32	95.38
	कुल व्यय (IV)		10,251.78	11,655.61
V.	असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III - IV)		879.25	1,214.91
VI.	असाधारण वस्तुएं		-	-
VII.	संयुक्त उद्यमों के लाभ/(हानि) में हिस्सेदारी का लेखा इक्विटी पद्धति का उपयोग करके किया जाता है		59.77	46.22
VIII.	कर पूर्व लाभ (V + VI + VII)		939.02	1,261.13
IX	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	11		
	— अवधि के लिए		261.28	339.19
	— पिछले वर्षों के लिए (शुद्ध)		(25.10)	2.55
	(2) आस्थगित कर (शुद्ध)		(24.99)	(10.12)
	कुल कर व्यय		211.19	331.62
X	सतत परिचालन से वर्ष के लिए लाभ (VIII - IX)		727.83	929.51
XI	अन्य व्यापक आय	32		
	क. वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(i) परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि)		0.05	1.75
	परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) से संबंधित आयकर		(0.01)	(0.44)
	(ii) संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा, जिसका लेखा इक्विटी पद्धति (कर पश्चात् निवल) का उपयोग करके किया गया हो		(0.01)	(0.01)

समेकित लाभ और हानि विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	टिप्पण संख्या	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ख. वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
(i) विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के अनुसार में विनिमय अंतर		7.30	(2.44)
विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के अनुसार में विनिमय अंतर से संबंधित आयकर		(1.84)	0.61
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(व्यय), आयकर से मुक्त			
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(व्यय), आयकर से मुक्त		5.49	(0.53)
XII वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (X + XI) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय सहित)		733.32	928.98
XIII लाभ का कारण:			
माता-पिता के मालिक		727.41	929.57
गैर-नियंत्रक हित		0.42	(0.06)
XIV अन्य व्यापक आय जिसके कारण:			
माता-पिता के मालिक		5.49	(0.53)
गैर-नियंत्रक हित		-	-
XV कुल व्यापक आय			
माता-पिता के मालिक		732.90	929.04
गैर-नियंत्रक हित		0.42	(0.06)
XVI मूल कंपनी के मालिकों को देय प्रति इक्विटी शेयर आय: (निरंतर संचालन के लिए)			
(1) मूल (रु. में)	38	7.73	9.88
(2) थिन (रु. में)		7.73	9.88
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रु. में)		2.00	2.00
XVII सामग्री लेखांकन नीतियों की जानकारी का सारांश	2		
XVIII वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट्स	1 - 49		

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 001770C

ह0/-

मोनिका अग्रवाल

भागीदार

सदस्यता संख्या: 093769

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 21 मई 2025

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-

रागिनी अडवाणी

निदेशक (वित्त)

डीआईएन-09575213

ह0/-

एलिन रॉय चौधरी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-

हरि मोहन गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

और सीईओ

डीआईएन-08453476

ह0/-

प्रतिभा अग्रवाल

कंपनी सचिव

एफसीएस नं. 8874

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह			
कर-पूर्व शुद्ध लाभ		939.02	1,261.13
समायोजन:			
वित्तीय साधनों के समापन पर ब्याज (शुद्ध)		(0.09)	-
वित्तीय साधनों का परिशोधन (शुद्ध)		0.10	-
वित्तीय लागत		216.63	145.09
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि		117.88	100.43
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)		(0.04)	(0.33)
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ		(49.25)	(27.64)
संयुक्त उद्यम के लाभ/(हानि) में हिस्सा		(59.77)	(46.22)
ब्याज आय		(405.91)	(422.46)
म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन से लाभ		(1.01)	(2.71)
विनिमय लाभ/हानि का लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकरण		-	13.04
विदेशी मुद्रा नकदी और नकदी समकक्षों के अनुसार पर विनिमय अंतर का प्रभाव		(21.65)	14.39
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ			
समायोजनरू	(1)	735.91	1,034.72
व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि)		(524.92)	60.50
इन्वेंटरी में कमी / (वृद्धि)		(43.11)	141.25
ऋण, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		(851.72)	(1,122.98)
व्यापार देयताओं में (कमी) / वृद्धि		363.20	38.70
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं एवं प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि		(482.16)	243.13
	(2)	(1,538.71)	(639.40)
परिचालन से उत्पन्न नकदी	(1+2)	(802.80)	395.32
आयकर का भुगतान		(306.73)	(473.87)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(A)	(1,109.53)	(78.55)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद		(1,048.36)	(844.59)
व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण प्राप्त हुआ		-	112.35
अमूर्त परिसंपत्तियों और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण		(3.71)	(3.71)
निवेश संपत्ति की खरीद / आय		(11.28)	(2.58)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री		0.98	40.07
म्यूचुअल फंड की बिक्री		10,631.21	7,975.66
म्यूचुअल फंड की खरीद		(10,304.45)	(8,507.31)
सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद		1.51	(1.51)
प्राप्त ब्याज		421.72	418.17
संयुक्त उद्यम कंपनियों से प्राप्त लाभांश		102.50	69.50
संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश		(63.96)	(63.62)
बांडों का मोचन		-	100.00
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा बैंक शेष		305.76	2.08
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(B)	31.92	(705.49)
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
भुगतान (को)/गैर-नियंत्रित हित से (शुद्ध)		-	22.11
गैर-चालू ऋण से प्राप्त आय		2,156.00	1,132.06
गैर-चालू ऋण का पुनर्भुगतान		(458.85)	(69.09)
पट्टा देयताओं का भुगतान		(1.83)	(0.87)
अंतिम लाभांश का भुगतान		(122.27)	(112.86)
अंतरिम लाभांश का भुगतान		(155.19)	(169.29)
वित्त भुगतान की गई लागत		(261.82)	(161.45)
शेयर जारी करने / अधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए भुगतान		(0.02)	(0.51)
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी	(C)	1,156.02	640.10
विदेशी मुद्रा नकदी और नकदी समकक्षों के अनुसार पर विनिमय अंतर का प्रभाव	(D)	21.65	(14.39)
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	(A+B+C+D)	100.06	(158.33)
नकद और नकद समकक्ष (प्रारंभिक) (नीचे नोट 2, 4, 5 देखें)	(E)	2,179.78	2,338.11
नकद और नकद समकक्ष (समापन) (नीचे नोट 2, 4, 5 देखें)	(F)	2,279.84	2,179.78
नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	(F - E)	100.06	(158.33)

समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट:

- उपरोक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखा मानक (इंड एस)-7 में निर्धारित 'अप्रत्यक्ष विधि' के तहत तैयार किया गया है।
- उपरोक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समकक्षों तथा नकदी और नकदी समकक्षों के घटकों का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
मेरे पास नकदी है	0.05	0.05
चेक/ड्राफ्ट हाथ में	-	-
पारगमन में धन प्रेषण	-	-
बैंकों में शेष राशि:		
— चालू खातों पर	673.35	619.78
— फ्लेक्सी अकाउंट	303.46	514.44
— 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियाँ	1,302.98	1,045.51
तुलन पत्र और नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के अनुसार कुल नकदी और नकदी समकक्ष	2,279.84	2,179.78

- वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए तुलन पत्र में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण*	पट्टा देयताएं
1 अप्रैल 2023 तक	1,504.36	0.51
(क) वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	1,062.97	(0.87)
(ख) गैर नकद परिवर्तन के कारणरू		
पट्टा देयताओं में वृद्धि	-	3.32
पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत	-	0.28
ऋण पर अर्जित ब्याज (भुगतान किए गए ब्याज का शुद्ध योग)	0.08	-
31 मार्च 2024 तक	2,567.41	3.24
(क) वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	1,697.15	(1.83)
(ख) गैर नकद परिवर्तन के कारणरू		
पट्टा देयताओं में वृद्धि	-	31.66
पट्टा देयताओं पर ब्याज लागत	-	1.76
ऋण पर अर्जित ब्याज (भुगतान किए गए ब्याज का शुद्ध योग)	15.37	-
31 मार्च 2025 तक	4,279.93	34.83

* इसमें गैर-चालू ऋणों की वर्तमान परिपक्वता और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है, नोट 20.1, नोट 23.1 और नोट 23.4 देखें

- पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है तथा जहां भी लागू हो, पुनः प्रस्तुत किया गया है।
- नोट 14.3 और 14.4 में निर्धारित और प्रतिबंधित शेष राशि का उल्लेख किया गया है।
- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी के बहिर्वाह को दर्शाते हैं।

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 001770C

ह0/-

मोनिका अग्रवाल

भागीदार

सदस्यता संख्या: 093769

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 21 मई 2025

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-

रागिनी अडवाणी

निदेशक (वित्त)

डीआईएन-09575213

ह0/-

एलिन रॉय चौधरी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-

हरि मोहन गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

और सीईओ

डीआईएन-08453476

ह0/-

प्रतिभा अग्रवाल

कंपनी सचिव

एफसीएस नं. 8874

समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	188.10
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	188.10
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	188.10

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	भंडार एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	पूँजी मोचन रिजर्व		
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	3,284.64	1,724.62	4.93	9.20	5,023.39
वर्ष का लाभ	-	929.57	-	-	929.57
अन्य व्यापक आय					
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा इक्विटी पद्धति का उपयोग करके हिसाब में लिया गया	-	1.31 (0.01)	-	-	1.31 (0.01)
विदेशी मुद्रा में अंतर	-	-	-	(1.82)	(1.82)
विनिमय हानि को लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया गया	-	-	-	13.04	13.04
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	930.87	-	11.22	942.09
अधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क का भुगतान	-	(0.51)	-	-	(0.51)
लाभांश का भुगतान	-	(282.15)	-	-	(282.15)
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	3,284.64	2,372.83	4.93	20.42	5,682.82

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु

(₹ करोड़ में)

विवरण	भंडार एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय	पूँजी मोचन रिजर्व		
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	3,284.64	2,372.83	4.93	20.42	5,682.82
वर्ष का लाभ	-	727.41	-	-	727.41
अन्य व्यापक आय					
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा इक्विटी पद्धति का उपयोग करके हिसाब में लिया गया	-	0.04 (0.01)	-	-	0.04 (0.01)
विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर	-	-	-	5.47	5.47
विनिमय हानि को लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया गया	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	727.44	-	5.47	732.91
शेयर जारी करने का खर्च	-	(0.02)	-	-	(0.02)
लाभांश का भुगतान	-	(277.46)	-	-	(277.46)
31 मार्च 2025 तक शेष राशि	3,284.64	2,822.79	4.93	25.89	6,138.25

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 001770C

ह0/-

मोनिका अग्रवाल

भागीदार

सदस्यता संख्या: 093769

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह0/-

रागिनी अडवाणी

निदेशक (वित्त)

डीआईएन-09575213

ह0/-

एलिन रॉय चौधरी

मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/-

हरि मोहन गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

और सीईओ

डीआईएन-08453476

ह0/-

प्रतिभा अग्रवाल

कंपनी सचिव

एफसीएस नं. 8874

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

1 समूह सूचना

समेकित वित्तीय विवरण में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी" या "होलिडिंग कंपनी") और इसकी सहायक कंपनियों (सामूहिक रूप से "समूह" के रूप में संदर्भित) तथा संयुक्त नियंत्रण वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरण शामिल हैं, जो 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं। होलिडिंग कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है, जो अधोसंरचना परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देती है, भारत में स्थित है (सीआईएन: L45203DL1976GOI008171), और कंपनियों अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। यह कंपनी रेलवे परियोजनाओं को टर्नकी आधार पर एवं अन्य रूपों में क्रियान्वित करने में विशेषज्ञता रखती है। रेलवे निर्माण समूह के रूप में व्यवसाय प्रारंभ करने के बाद, इसने अपनी सहायक कंपनियों ("समूह") और संयुक्त उपक्रमों के साथ मिलकर क्रमशः सड़कों, इमारतों, विद्युत उप-स्टेशन और वितरण, हवाई अड्डा निर्माण, व्यावसायिक परिसरों एवं मेट्रो रेल कार्यों की ओर विविधीकरण किया। समूह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों को सेवाएं प्रदान करता है। होलिडिंग कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ प्रमाणित कंपनी है; एक अनुसूची 'क' सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और एक नवरत्न कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, भारत में स्थित है और इसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।

समूह की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (आईएनआर) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़े करोड़ में प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रति शेयर डेटा को छोड़कर दो दशमलव तक राउंड ऑफ करके और अन्यथा कहा गया है।

21 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में होलिडिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अनुमोदित हैं।

2 सामग्री लेखांकन नीतियों की सूचना

2.1 तैयारी का आधार

(i) अनुपालन का विवरण

समूह के समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भव प्रणाली के बाद और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एसएस) शामिल हैं। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 (समय-समय पर संशोधित) और कंपनी अधिनियम, 2013 (इंड एसएस अनुपालन अनुसूची III) की अनुसूची III के डिवीजन II की

प्रस्तुति आवश्यकताएं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू होता है।

(ii) अनुपालन का विवरण

निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है, ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं:

- प्रावधान, जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव सामग्री है, वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है
- उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां
- परिभाषित लाभ योजनाएं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

समेकन का आधार

क) समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 तक समूह के वित्तीय विवरण शामिल हैं। नियंत्रण तब प्राप्त किया जाता है जब समूह के पास होता है:

- निवेशिती पर शक्ति (यानी, मौजूदा अधिकार जो इसे निवेशिती की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की वर्तमान क्षमता देते हैं)
- निवेशिती के साथ इसकी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न के लिए एक्सपोजर, या अधिकार, और
- अपने रिटर्न को प्रभावित करने के लिए निवेशिती पर अपनी शक्ति का उपयोग करने की क्षमता

ख) समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में लेनदेन और अन्य घटनाओं की तरह समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। यदि समूह की एक सहायक कंपनी समान परिस्थितियों में लेनदेन और घटनाओं की तरह समेकित वित्तीय विवरणों में अपनाए गए लेखांकन नीतियों के अलावा अन्य लेखांकन नीतियों का उपयोग करती है, तो समूह एस लेखांकन नीतियों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में उस समूह के सदस्य के वित्तीय विवरणों में उचित समायोजन किया जाता है।

ग) समेकन के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरण होलिडिंग कंपनी के समान रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं, अर्थात्, 31 मार्च को समाप्त वर्ष तक।

घ) के लिए समेकित प्रक्रिया:

i) सहायक कंपनियां

- माता-पिता की परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की वस्तुओं को उसकी सहायक कंपनियों के साथ जोड़ें। इस प्रयोजन के लिए, सहायक कंपनी की आय और व्यय अधिग्रहण तिथि पर समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा पर आधारित होते हैं।
- प्रत्येक सहायक कंपनी में माता-पिता के निवेश की वहन राशि और

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी के माता-पिता के हिस्से को ऑफसेट (समाप्त) करें।

- समूह की संस्थाओं के बीच लेनदेन से संबंधित पूर्ण इंटरग्रॉप परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को समाप्त करें (इंटरग्रॉप लेनदेन से उत्पन्न लाभ या हानि जो परिसंपत्तियों में मान्यता प्राप्त हैं, जैसे इन्वेंट्री और अचल संपत्ति, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं)। इंटरग्रॉप नुकसान एक हानि का संकेत दे सकता है जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता की आवश्यकता होती है।
- लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के प्रत्येक घटक को समूह के माता-पिता के इक्विटी धारकों और गैर-नियंत्रित हितों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, भले ही इसके परिणामस्वरूप घाटे का संतुलन न हो। जब आवश्यक हो, तो उनकी लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप लाने के लिए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है। समूह के सदस्यों के बीच लेनदेन से संबंधित सभी इंटर-ग्रुप परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को समेकन पर पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है।
- एक सहायक कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन, नियंत्रण के नुकसान के बिना, एक इक्विटी लेनदेन के रूप में जिम्मेदार है।

ii) संयुक्त व्यवस्था

इंड एस 111 संयुक्त व्यवस्था के तहत, संयुक्त व्यवस्था में निवेश को संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की कानूनी संरचना के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है। होल्लिंडिंग कंपनी के पास संयुक्त संचालन और संयुक्त उद्यम दोनों हैं।

- संयुक्त परिचालन:** समूह संयुक्त परिचालनों की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों और संयुक्त रूप से धारित या उपगत परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों के अपने हिस्से के अपने प्रत्यक्ष अधिकार को मान्यता देता है। इन्हें उपयुक्त शीर्षकों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।
- संयुक्त उद्यम:** वित्तीय स्थिति के समेकित विवरण में लागत पर पहचाने जाने के बाद शुरू में इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों में हितों का हिसाब लगाया जाता है।

इ. इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेश को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद लाभ और हानि में निवेशिती के अधिग्रहण के बाद के मुनाफे या नुकसान के समूह के हिस्से और अन्य व्यापक आय में निवेशिती की अन्य व्यापक आय के समूह के हिस्से को मान्यता देने के लिए समायोजित किया जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य

लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

- जब किसी इक्विटी-लेखा वाले निवेश में नुकसान का समूह का हिस्सा किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य सहित इकाई में अपने हित के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, तो समूह आगे के नुकसान को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि उसने दायित्वों को पूरा नहीं किया है या भुगतान नहीं किया है। अन्य इकाई। यदि निवेशिती बाद में मुनाफे की रिपोर्ट करता है, तो समूह उन मुनाफे के अपने हिस्से को तभी पहचानना शुरू करता है जब लाभ का हिस्सा मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले नुकसान के हिस्से के बराबर होता है।
- इक्विटी लेखांकित निवेश की वहन राशि को हानि की नीति के अनुसार हानि के लिए परीक्षण किया जाता है।

2.2 भौतिक लेखांकन नीतियों की जानकारी का सारांश

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू भौतिक लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। ये लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लगातार लागू की गई हैं।

2.2.1 वर्तमान बनाम गैर-वर्तमान वर्गीकरण

प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकद और नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच शामिल समय के आधार पर, समूह ने बैलेंस शीट में वर्तमान और गैर-वर्तमान के रूप में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र के रूप में बारह महीने निर्धारित किए हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शुरू में उनकी लागत पर बताए गए हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की लागत में शामिल हैं:

क) व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद, आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद करों सहित इसकी खरीद मूल्य।

ख) परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लागत जो परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में खर्च की जाती है।

ग) निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को अप्रत्यक्ष निर्माण लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जिस हद तक व्यय सीधे निर्माण से संबंधित है या इसके लिए आकस्मिक है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

घ) वस्तुओं को नष्ट करने और हटाने और साइट को मूल स्थिति में बहाल करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य, जिस पर यह स्थित है यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

स्वामित्वयुक्त भूमि को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को बाद में संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, के शुद्ध लागत पर मापा जाता है। बाद की लागतों को राशि ले जाने वाली परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है या एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि उचित है, केवल तभी जब यह संभव हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। यदि मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है तो प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, दीर्घकालिक निर्माण परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत को पूंजीकृत किया जाता है।

ह्रास की गणना संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की लागत से उनके अनुमानित शेष मूल्य को घटाकर की जाती है, और इसे लाभ एवं हानि विवरण में आरोपित किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों पर ह्रास को सीधे रेखीय विधि से उनके अनुमानित उपयोगी जीवन की अवधि के आधार पर लगाया जाता है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के भाग C में निर्दिष्ट किया गया है, सिवाय स्वामित्वयुक्त भूमि और स्थायी पट्टे पर अधिग्रहीत पट्टे की भूमि के। हालांकि, कुछ विशेष वर्गों की संपत्तियों के मामलों में समूह द्वारा अनुसूची-II में निर्दिष्ट जीवन अवधि से भिन्न उपयोगी जीवन अपनाई जाती है। यह उपयोगी जीवन तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर आकलित की गई है, जिसमें उन संपत्तियों की प्रकृति, उनके अनुमानित उपयोग और प्रबंधन द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के सर्वोत्तम आकलन को ध्यान में रखा गया है। अनुसूची-II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन की तुलना में तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार आकलित उपयोगी जीवन को लेखा टिप्पणियों में प्रकटीकरण किया गया है। शेष मूल्य मूल लागत के 5% से अधिक नहीं है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के प्रत्येक हिस्से का अलग से मूल्यह्रास किया जाता है यदि वस्तु की कुल लागत के संबंध में भाग की लागत महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है। आवधिक अवधि के दौरान अधिग्रहीत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों में से ₹5000/- तक की व्यक्तिगत लागत वाली मदों को पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है, और उनकी पहचान हेतु ₹1/- को प्रतीकात्मक मूल्य के रूप में रखा जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास के तरीकों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

निपटान पर लाभ और हानि वहन राशि के साथ आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के भीतर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर है

“संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो रिपोर्टिंग तिथि पर अपने इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, उन्हें “प्रगति में पूंजीगत कार्य” के रूप में प्रकट किया जाता है।” प्रगति में पूंजी कार्य कम संचित हानि हानि, यदि कोई हो, की लागत पर किया जाता है। लागत में प्रत्यक्ष लागत और संबंधित आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

2.2.4 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्ति में पूर्ण निर्माण की गई संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति, और पट्टे पर ली गई संपत्ति शामिल होती है। इन संपत्तियों का प्रारंभिक मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है, जिसमें लेन-देन से संबंधित लागत भी शामिल होती है। बाद में, निवेश संपत्तियों को लागत से संचित मूल्यह्रास और संचित ह्रास क्षति (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है। कोई भी आगामी लागत तभी संपत्ति में जोड़ी जाती है जब वह मान्यता के मानदंडों को पूरा करती है।

समूह निवेश संपत्ति के भवन घटक का मूल्यह्रास सीधे रेखा के आधार पर 60 वर्षों की अवधि में, मूल खरीद / निर्माण पूर्ण होने की तिथि से शुरू होकर किया जाता है। स्थायी पट्टे पर प्राप्त पट्टे की भूमि का अमूर्तिकरण नहीं किया जाता है। मूल्यह्रास की विधियाँ और उपयोगी आयु को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पुनरीक्षित किया जाता है।

यद्यपि समूह निवेश संपत्तियों का मूल्यांकन लागत-आधारित मापन विधि से करता है, तथापि उनकी न्यायसंगत मूल्य वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रकटीकरण के रूप में दी जाती है। न्यायसंगत मूल्य का निर्धारण एक प्रमाणित बाह्य स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा प्रतिवर्ष किए गए मूल्यांकन पर आधारित होता है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

निपटान पर लाभ और हानि वहन राशि के साथ आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के भीतर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

2.2.5 अमूर्त संपत्ति

अमूर्त परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है। तुलन पत्र की तारीख को आशयित उपयोग के लिए तैयार न की गई अमूर्त आस्तियों का प्रकटन अमूर्त आस्तियों के रूप में किया जाता है।

इसके बाद, अमूर्त संपत्ति कम संचित परिशोधन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, की लागत पर की जाती है। प्रत्येक मामले में ₹1 लाख तक की सॉफ्टवेयर लागत को पहचान के

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

लिए ₹1 को टोकन मूल्य के रूप में रखकर खरीद की अवधि में पूरी तरह से परिशोधित किया जाता है।

पूँजीकृत सॉफ्टवेयर की लागत का अमूर्तिकरण अधिग्रहण की तिथि से 36 महीनों की अवधि में किया जाता है। शेष मूल्य मूल लागत का 5% से अधिक नहीं होता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

निपटान पर लाभ और हानि वहन राशि के साथ आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के भीतर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

टोल संग्रह अधिकार (टोल रोड सर्विस रियायत व्यवस्था)

सेवा रियायत व्यवस्था (एससीए) में निर्माण या उन्नयन सेवाएं प्रदान करने के लिए विचार में प्राप्त टोल संग्रह अधिकार, समूह द्वारा किए गए बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर ("बीओटी") परियोजना के संबंध में रियायत अवधि के दौरान टोल राजस्व एकत्र करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर टोल संग्रह अधिकारों को लागत पर मापा जाता है (जो वितरित निर्माण सेवाओं के लिए प्राप्त विचार का उचित मूल्य है) व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) का शुद्ध।

टोल संग्रह अधिकारों को सभी प्रकार से परियोजना के पूरा होने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में पूँजीकृत किया जाता है और जब समूह को संचयी निर्माण लागत पर रियायत समझौते में निर्दिष्ट प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र (अंतिम या अंतिम) प्राप्त होता है। परियोजना के पूरा होने तक, इसे विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के तहत मान्यता दी जाती है।

इसके बाद, टोल संग्रह अधिकार कम संचित परिशोधन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, की लागत पर किए जाते हैं।

सेवा रियायत व्यवस्था में एक अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन वह अवधि है जहां से समूह रियायत अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता से शुल्क लेने में सक्षम है।

टोल संग्रह अधिकारों को जोड़ने की तारीख से या रियायत अवधि की समाप्ति तक सेवा में लाए गए अधिकार की तारीख से यथानुपात आधार पर सीधी रेखा विधि का उपयोग करके परिशोधित किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्ति के वहन मूल्य की समीक्षा बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा सालाना या अधिक बार हानि के लिए की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य वसूली योग्य नहीं हो सकता है।

निपटान पर लाभ और हानि वहन राशि के साथ आय की तुलना

करके निर्धारित की जाती है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के भीतर लाभ या हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

2.2.6 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, समूह यह निर्धारित करने के लिए अपनी गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करता है कि क्या हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसी कोई संभावना प्रतीत होती है तो, क्षत नुकसान (यदि कोई हो तो) की सीमा के परिनिर्धारण के लिए उस परिसंपत्ति का प्राप्ययोग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

यदि ऐसी परिसंपत्तियों को बिगड़ा हुआ माना जाता है, तो लाभ और हानि के विवरण में पहचानी जाने वाली हानि को उस राशि से मापा जाता है जिसके द्वारा संपत्ति का वहन मूल्य परिसंपत्ति की अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है।

2.2.7 इन्वेंट्री

इन्वेंट्री का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत पहली बार (एफआईएफओ) आधार पर निर्धारित की जाती है।

भविष्य की अनुबंध गतिविधियों के लिए किए गए निर्माण लागत को संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि उन्हें अनुबंध अवधि के दौरान वसूल किया जाएगा और इन्वेंट्री के तहत निर्माण कार्य प्रगति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

खरीद की अवधि में ढीले उपकरण खर्च किए जाते हैं।

2.2.8 राजस्व मान्यता

समूह निर्माण उद्योग में कार्यरत है और इसका मुख्य राजस्व इंजीनियरिंग, खरीद तथा निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय से प्राप्त होता है। ग्राहकों के साथ अनुबंधों में रेलवे निर्माण, सड़क एवं राजमार्ग निर्माण, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों का निर्माण, विद्युतीकरण कार्य तथा अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं। इन अनुबंधों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में भू-तकनीकी परीक्षण, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, संसाधन-योजना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी, निर्माण कार्य, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, सामग्री की आपूर्ति, प्रणाली का पुनर्विकास, स्थापना, परियोजना प्रबंधन, संचालन एवं रख-रखाव इत्यादि सम्मिलित हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से "निर्माण संबंधी सेवाएँ" कहा गया है। समूह ये निर्माण सेवाएँ नियत राशि वाले टर्नकी आधार तथा लागत प्लस आधार पर प्रदान करता है। समूह का राजस्व सौर ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत की बिक्री से भी प्राप्त होता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व की मान्यता तब की जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ("प्रदर्शन दायित्व") ग्राहक को हस्तांतरित कर दिया जाता है, उस राशि पर जो उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले समूह को मिलने की अपेक्षा की जाती है ("लेन-देन मूल्य")।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क) निर्माण संबंधी सेवाओं से राजस्व

निर्माण से संबंधित सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ समूह के अनुबंधों को एकल प्रदर्शन दायित्व के रूप में माना जाता है क्योंकि अनुबंध को एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है और इसमें निर्माण और रखरखाव सेवाओं का जटिल एकीकरण शामिल होता है।

इनपुट विधि का उपयोग करके समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है (अर्थात् प्रतिशत-से-पूर्णता विधि) जो ग्राहक को नियंत्रण के हस्तांतरण के अनुरूप है क्योंकि समूह के प्रयास (यानी, खर्च की गई लागत) और ग्राहक को सेवा के हस्तांतरण के बीच सीधा संबंध है। इनपुट पद्धति के तहत, अनुबंध राजस्व को रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पूरा होने के चरण के संदर्भ में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। पूर्णता के चरण को आज तक की वास्तविक लागत के अनुपात के संदर्भ में मापा जाता है, जो प्रदर्शन दायित्व के कारण कुल अनुमानित लागत है। हालांकि, जहां समूह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को यथोचित रूप से मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन समूह प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में खर्च की गई लागत की वसूली की उम्मीद करता है, समूह केवल उस समय तक खर्च की गई लागत की सीमा तक राजस्व को पहचानता है कि यह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को यथोचित रूप से माप सकता है। एक संचयी कैच-अप समायोजन को उस अवधि में मान्यता दी जाएगी जिसमें समूह अपनी प्रगति को यथोचित रूप से मापने में सक्षम है। कुल अनुमानित अनुबंध लागत में परिवर्तन, यदि कोई हो, को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें अनुबंध स्तर पर मूल्यांकन के रूप में निर्धारित किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां इनपुट विधि प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने की दिशा में प्रगति को वास्तव में चित्रित नहीं करती है, तो आउटपुट विधि का उपयोग राजस्व को पहचानने के लिए किया जाता है।

प्रगति पर अनुबंधों पर किसी भी अपेक्षित नुकसान को लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है, कुल मिलाकर, उस अवधि में नुकसान की पहचान की जाती है।

राजस्व को लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जो प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और परिवर्तनीय विचारों के लिए समायोजित किया जाता है। लेन-देन मूल्य में परिवर्तनशीलता मुख्य रूप से परिसमाप्त क्षति, मूल्य भिन्नता खंड, प्रोत्साहन, यदि कोई हो, के कारण उत्पन्न होती है। समूह परिवर्तनीय प्रतिफल के लिए राजस्व को मान्यता देता है जब यह संभव है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। समूह सबसे संभावित राशि विधि का उपयोग करके परिवर्तनीय विचार पर मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि का

अनुमान लगाता है। नतीजतन, एक संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है, या राजस्व में कमी के रूप में, उस अवधि में जिसमें लेनदेन मूल्य बदलता है।

समूह अनुबंध को पूरा करने के लिए खर्च की गई लागत से संपत्ति को मान्यता देता है जैसे कि मोबिलाइजेशन के लिए नई परियोजनाओं पर प्रारंभिक अनुबंध व्यय जिसका उपयोग अनुबंध को संतुष्ट करने में किया जाएगा और वसूल किए जाने की उम्मीद है। परिसंपत्ति को एक व्यवस्थित आधार पर अनुबंध कार्यकाल पर परिशोधित किया जाता है जो उस माल या सेवाओं के ग्राहक को नियंत्रण के हस्तांतरण के अनुरूप है, जिससे परिसंपत्ति संबंधित है, यानी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध के पूरा होने का चरण। साइट मोबिलाइजेशन व्यय उस सीमा तक जिस सीमा तक लागत पर मूल्यांकित नहीं किया गया है।

अनुबंध संशोधनों का हिसाब तब लगाया जाता है जब परिवर्तन, विलोपन या परिवर्तन या तो अनुबंध दायरे या अनुबंध मूल्य के लिए अनुमोदित होते हैं। अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर है। जो सेवाएं अलग नहीं हैं, उन्हें संचयी कैच-अप आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जबकि जो अलग-अलग हैं, उन्हें संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है, या तो एक अलग अनुबंध के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर होती है, या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति के रूप में और एक नए अनुबंध का निर्माण यदि स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर नहीं किया जाता है।

ख) सेवा रियायत व्यवस्था

सेवा रियायत व्यवस्था के तहत वित्तीय परिसंपत्ति (ग्राहकों के साथ अनुबंधों से इंड एस 115 – राजस्व के लिए परिशिष्ट ग)

समूह किसी वित्तीय परिसंपत्ति को इस सीमा तक मान्यता देता है कि उसे निर्माण सेवाओं और संचालन और रखरखाव सेवाओं के लिए अनुदानकर्ता (एनएचएआई) से या उसके निर्देश पर नकद या कोई अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त संविदात्मक अधिकार है। इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर और बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। समूह एक ही ग्राहक के साथ एक ही समय में या उसके पास दर्ज किए गए दो या दो से अधिक अनुबंधों को जोड़ता है और एक ही अनुबंध के रूप में अनुबंधों के लिए खाता है यदि अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है या एक अनुबंध में भुगतान

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

की जाने वाली प्रतिफल राशि निर्भर करती है। अनुबंध में वादा किए गए अन्य अनुबंध या वस्तुओं या सेवाओं की कीमत या प्रदर्शन एकल प्रदर्शन दायित्व है।

सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति (ग्राहकों के साथ अनुबंधों से इंड एस 115— राजस्व के लिए परिशिष्ट ग)

सार्वजनिक से निजी व्यवस्था (पीपीए) के संबंध में, बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर, अमूर्त संपत्ति यानी टोल/टैरिफ एकत्र करने के अधिकार को तब मान्यता दी जाती है जब समूह को ऐसी सार्वजनिक सेवाओं के उपयोगकर्ताओं से टोल/टैरिफ चार्ज करने का अधिकार दिया गया है।

टोल संग्रह टोल / उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह की अवधि में मान्यता प्राप्त है जो बुनियादी ढांचे (सड़क) के उपयोग के साथ मेल खाता है अर्थात् समय के बिंदु पर अनुबंध राजस्व में अनुबंध में सहमत प्रारंभिक राशि और अनुबंध कार्य में किसी भी भिन्नता को इस हद तक शामिल किया गया है कि यह संभव है कि उनके परिणामस्वरूप राजस्व होगा और विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। समूह की ओर से टोल एकत्र करने के लिए समूह के पास तीसरे पक्ष के साथ एक निश्चित अनुबंध है। औसत मासिक सहमत प्रेषण के साथ तुलना करते समय पहचानी गई कमी के कारण तीसरे पक्ष से ली गई किसी भी वसूली को निश्चित भाग के ऊपर और ऊपर परिवर्तनीय विचार के रूप में माना जाता है और राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह अत्यधिक संभावना होती है कि इसके परिणामस्वरूप राजस्व होगा।

ग) बिजली की बिक्री

बिजली की बिक्री के लिए ग्राहकों के साथ समूह एस अनुबंधों में आम तौर पर एक प्रदर्शन दायित्व शामिल होता है। बिजली की बिक्री से राजस्व को बिजली खरीद समझौते (पीपीए) में परिभाषित सहमत टैरिफ दर पर वितरित बिजली की प्रत्येक इकाई के लिए समय के साथ अनुमानित छूट और अन्य समान भत्तों का शुद्ध माना जाता है जो ग्राहक को नियंत्रण के हस्तांतरण के अनुरूप है।

घ) संविदा शेष

अनुबंध परिसंपत्तियां: यदि समूह ग्राहक को विचार का भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करता है, तो एक अनुबंध परिसंपत्ति को अर्जित विचार के लिए मान्यता दी जाती है जो सशर्त है। अंतिम अनुबंध निपटान तक ग्राहक द्वारा बनाए गए भुगतान के हिस्से को

एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य आमतौर पर ग्राहक को अनुबंध के तहत निर्दिष्ट समूह एस शेष प्रदर्शन के लिए सुरक्षा का एक रूप प्रदान करना होता है, जो उद्योग अभ्यास के अनुरूप है।

व्यापार प्राप्य: एक प्राप्य समूह के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शर्त है (यानी, विचार के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)। व्यापार प्राप्तियों को शुरू में लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है क्योंकि उनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होते हैं। समूह संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने के उद्देश्य से व्यापार प्राप्य रखता है और इसलिए प्रभावी व्याज दर विधि कम हानि भत्ता, यदि कोई हो, का उपयोग करके उन्हें बाद में परिशोधित लागत पर मापता है।

अनुबंध देयताएं: यदि कोई ग्राहक समूह द्वारा ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करने से पहले विचार का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने पर अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है, या भुगतान देय होता है (जो भी पहले हो)। अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जब समूह अनुबंध के तहत प्रदर्शन करता है।

ई) अन्य परिचालन आय

समूह की किराये की आय मुख्य रूप से मशीनरी, अप्रयुक्त कार्यालय स्थान और निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से उत्पन्न होती है। इन किराये की आय को पट्टे की शर्तों पर सीधी रेखा के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

सेवा रियायत व्यवस्था (एससीए) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के शेष वार्षिकी भुगतान पर व्याज आय अन्य परिचालन आय के तहत प्रस्तुत की जाती है।

अन्य परिचालन आय व्यवसाय के लिए आकस्मिक गतिविधियों से अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करती है और जब प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है तो इसे मान्यता दी जाती है।

च) अन्य आय

- लाभांश आय की पहचान तब की जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- व्याज आय को प्रभावी व्याज दर पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है।
- विविध आय को तब मान्यता दी जाती है जब प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

2.2.9 सरकारी अनुदान

सरकार से अनुदान उनके उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है जहां एक उचित आश्वासन है कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा और समूह सभी संलग्न शर्तों का पालन करेगा। मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान की राशि के लिए परिसंपत्ति की वहन राशि समायोजित की जाती है।

2.2.10 ऋण लागत

ऋण लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो समूह धन उधार लेने के संबंध में खर्च करता है और उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं, अलावा इसके कि जब यह पूंजीकरण के लिए मानदंडों को पूरा करता है। इंड एस 23 के अनुसार योग्य संपत्ति।

2.2.11 कर

क) वर्तमान आयकर

चालू कर को अवधि के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसकी गणना संबंधित कर विनियमों के अनुसार की जाती है। वर्तमान आयकर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है। प्रबंधन समय-समय पर कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन उन स्थितियों के संबंध में करता है जिनमें लागू कर नियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करते हैं।

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों की भरपाई की जाती है जहां समूह के पास ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और या तो शुद्ध आधार पर समझौता करने का इरादा रखता है, या संपत्ति की वसूली करने और देयता को एक साथ निपटाने का इरादा रखता है।

ख) आस्थगित कर

स्थगित कर उन अस्थायी कर योग्य / कर कटौती योग्य अंतर के लिए प्रदान किया जाता है, जो संपत्तियों / देयताओं के कर आधार और लेखा आधार में अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं। यह दायित्व विधि का उपयोग करके आकलित किया जाता है, और रिपोर्टिंग तिथि पर प्रवर्तित या वस्तुतः प्रवर्तित कर दरों पर मापा जाता है।

स्थगित कर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उन स्थितियों के जब यह उन मदों से संबंधित होता है जिनकी मान्यता लाभ और हानि विवरण के बाहर की गई हो। ऐसे मामलों में, इसे या तो अन्य समग्र आय में या इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

स्थगित कर संपत्तियों की वहन राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनरीक्षित की जाती है, और यदि यह संभावना नहीं रह जाती कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे संपत्ति का पूरा या आंशिक उपयोग किया जा सके, तो उसे घटा दिया जाता है। अमान्यता प्राप्त स्थगित कर संपत्तियों का भी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, और यदि यह संभावित हो जाता है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिससे संपत्ति की पुनर्प्राप्ति संभव है, तो उन्हें मान्यता दी जाती है।

स्थगित कर संपत्तियों और देयताओं का समायोजन तब किया जाता है जब वर्तमान कर संपत्तियों और देयताओं के समायोजन का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो, और जब स्थगित कर शेषराशियाँ समान कर प्राधिकरण से संबंधित हों।

2.2.12 विदेशी मुद्राएं

• कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

समूह की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा भारतीय रुपये है।

• लेन-देन और शेष

विदेशी मुद्रा लेनदेन को कार्यात्मक मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर दर्ज किया जाता है, लेनदेन की तारीख पर कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को लागू करके। रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं को अंतिम दर (देनदारियों के लिए अंतिम बिक्री दर और परिसंपत्तियों के लिए अंतिम खरीद दर का उपयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में रिपोर्ट किया जाता है)। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुएं जो ऐतिहासिक लागत पर की जाती हैं, उनका पुनः अनुवाद नहीं किया जाता है और लेनदेन की तारीख में विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है।

मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं और शुद्ध आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं।

• विदेशी परिचालन

विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण जिनकी कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये से अलग है, का भारतीय रुपये में अनुवाद निम्नानुसार किया जाता है:

क) परिसंपत्तियों और देनदारियों (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों) का तुलन पत्र की तारीख में समापन दर पर किया जाता है;

ख) आय और व्यय का अनुवाद रिपोर्टिंग अवधि के लिए औसत विनिमय दर पर किया जाता है, जब तक कि अवधि के दौरान विनिमय दर में काफी उतार-चढ़ाव

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

नहीं होता है, जिस स्थिति में, लेनदेन की तारीखों पर विनिमय दरों का उपयोग किया जाता है; तथा

- ग) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और ऐसे विदेशी परिचालनों के निपटान पर लाभ और हानि के विवरण के बाद के पुनर्वर्गीकरण के लिए विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व के रूप में इक्विटी में जमा किया जाता है।

2.2.13 कर्मचारी हितलाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी लाभ जैसे मजदूरी और वेतन, अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, और सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे लाभों की अधोषित राशि लाभ और हानि के विवरण में खर्च की जाती है। जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

ख) रोजगार के बाद के लाभ

परिभाषित योगदान योजना: समूह ने योगदान योजनाओं को परिभाषित किया है जिसमें एक कर्मचारी पेंशन योजना और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना शामिल है। पेंशन योजना को शुरू में एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया गया था, इरकॉन ने अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना 2009 ट्रस्ट को परिभाषित किया था, और बाद में इसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना एक ट्रस्ट फंड (इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट) के माध्यम से प्रशासित की जाती है, जिसमें समूह सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार योगदान देता है।

इन परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें योगदान देय हो जाता है। ऐसी योजनाओं/ट्रस्ट को योगदान दिए जाने के बाद समूह के पास कोई और भुगतान दायित्व नहीं है।

परिभाषित लाभ योजना: ग्रेच्युटी और भविष्य निधि के प्रति समूह की देयता परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति में है।

ग्रेच्युटी को समूह द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट) द्वारा किया जाता है। इस अवधि के लिए ग्रेच्युटी ट्रस्ट में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है। समूह एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट) को पूर्व निर्धारित दरों पर मान्यता प्राप्त भविष्य

निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करता है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। इस अवधि के लिए निधि में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ और हानि के विवरणों पर शुल्क लगाया जाता है। समूह का दायित्व इस तरह के निश्चित योगदान देना और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों को रिटर्न की न्यूनतम दर सुनिश्चित करना है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में समूह एस शुद्ध दायित्व को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्वों के भारित औसत परिपक्वता प्रोफाइल के बराबर परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार उपज के आधार पर छूट दर का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर प्रत्येक योजना के लिए अलग से मापा जाता है। योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य शुद्ध आधार पर दायित्व को मान्यता देने के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत सकल दायित्व से कम हो जाता है।

गणना अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा की जाती है और यदि परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि ट्रस्ट सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दरों को कवर करने के लिए पर्याप्त रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

पुनर्माप, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल हैं, योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या संपत्ति पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और बरकरार रखी गई आय में परिलक्षित होता है और यह लाभ और हानि के विवरण के लिए पुनर्वर्गीकृत होने के लिए पात्र नहीं है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

समूह बारह महीने से अधिक आगे ले जाने की उम्मीद छोड़ी नकदीकरण का इलाज करता है और माप उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में यात्रा रियायत छोड़ देता है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त दायित्व को अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दायित्व के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागत जिसमें वर्तमान सेवा लागत, ब्याज लागत और कटौती और निपटान पर लाभ या हानि, बीमांकिक लाभ और हानि सहित पुनः माप को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.2.14 नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य से, नकदी

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

और नकदी समकक्ष में अप्रतिबंधित नकदी और तीन माह या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमा राशि शामिल होती है, जो जाने-पहचाने नकदी मूल्यों में आसानी से परिवर्तनीय होती हैं और जिनमें मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

2.2.15 लाभांश

समूह के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को अनुमोदित किया जाता है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है। देय लाभांश को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक संपत्ति और आकस्मिक देनदारियां

क) प्रावधान

प्रावधान तब मान्यता प्राप्त करते हैं, जब समूह को किसी पूर्व घटित घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी अथवा निर्माणात्मक) हो, यह संभावित हो कि दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ युक्त संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, और उस दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके।

समूह द्वारा मान्यता प्राप्त प्रावधानों में सौर ऊर्जा, कानूनी मामलों, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर), कठिन अनुबंधों और अन्य के मामले में रखरखाव, विमुद्रीकरण, अपघटन लागत के प्रावधान शामिल हैं।

इन प्रावधानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को फिर से समायोजित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) दुर्गम संविदा

यदि समूह के पास एक अनुबंध है जो कठोर है, तो अनुबंध के तहत वर्तमान दायित्व को एक प्रावधान के रूप में मान्यता दी जाती है और मापा जाता है। हालांकि, एक कठिन अनुबंध के लिए एक अलग प्रावधान स्थापित होने से पहले, समूह उस अनुबंध को समर्पित परिसंपत्तियों पर हुई किसी भी हानि को पहचानता है।

इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को फिर से समायोजित किया जाता है।

ग) आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होते हैं जो शायद आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है या ऐसे दायित्व की राशि को

विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। जब संभव दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को फिर से समायोजित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

घ आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, हालांकि खुलासा किया जाता है, जहां आर्थिक लाभों का प्रवाह संभावित है।

2.2.17 पट्टे

यदि अनुबंध विचार के बदले में एक अवधि के लिए पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो इसे पट्टे के रूप में माना जाता है।

क) पट्टेदार के रूप में समूह

समूह बारह महीने या उससे कम (अल्पकालिक पट्टे) की अवधि वाले पट्टों को छोड़कर और कम मूल्य की अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लिए पट्टों को छोड़कर, सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है।

ii) उपयोग का अधिकार संपत्ति

समूह पट्टे की शुरुआत की तारीख (यानी, अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तारीख) पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति को मान्यता देता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान को कम करता है, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनः माप के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत में मानी गई पट्टे की देनदारियों की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, और प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए पट्टे के भुगतान में से कोई भी पट्टा प्रोत्साहन प्राप्त होता है। उपयोगाधिकार वाली परिसंपत्तियों का पट्टा अवधि के कम होने और परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है।

यदि पट्टे की अवधि के अंत में समूह को पट्टे पर दी गई संपत्ति का स्वामित्व या लागत खरीद विकल्प के अभ्यास को दर्शाती है, तो मूल्यह्रास की गणना परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन का उपयोग करके की जाती है।

उपयोग की जाने वाली संपत्ति भी हानि के अधीन है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

ii) पट्टा देयताएं

पट्टे की शुरुआत की तारीख में, समूह पट्टा अवधि में किए जाने वाले पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देनदारियों को निर्धारित करता है। पट्टे के भुगतान में निश्चित भुगतान (प्रमुखतः भुगतान सहित) शामिल हैं, जिसमें कोई भी प्राप्य पट्टा प्रोत्साहन, परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, और अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली राशि शामिल है।

पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य की गणना करने में, समूह पट्टे की शुरुआत की तारीख पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करता है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं होती है। प्रारंभ तिथि के बाद, पट्टे की देनदारियों की राशि ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए बढ़ा दी जाती है और पट्टे के भुगतान के लिए कम कर दी जाती है। इसके अलावा, पट्टे की देनदारियों की वहन राशि को फिर से मापा जाता है यदि कोई संशोधन, पट्टे की अवधि में परिवर्तन, पट्टे के भुगतान में परिवर्तन (उदाहरण के लिए, सूचकांक में परिवर्तन या इस तरह के पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली दर के परिणामस्वरूप भविष्य के भुगतान में परिवर्तन) या अंतर्निहित संपत्ति खरीदने के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन।

समूह की पट्टा देनदारियां वित्तीय देनदारियों में शामिल हैं।

iii) कम मूल्य की परिसंपत्तियों का अल्पकालिक पट्टा और पट्टा

समूह अपने अल्पकालिक पट्टों अनुबंधों पर अल्पकालिक पट्टा मान्यता छूट लागू करता है जिसमें आवासीय परिसर और कार्यालयों का पट्टा शामिल है (यानी, उन पट्टों की पट्टा अवधि शुरू होने की तारीख से 12 महीने या उससे कम है और इसमें खरीद विकल्प नहीं है)। यह कार्यालय उपकरणों के पट्टों पर कम मूल्य की संपत्ति मान्यता छूट के पट्टे को भी लागू करता है जिन्हें कम मूल्य का माना जाता है। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों पर पट्टा भुगतान को पट्टा अवधि के दौरान सीधी-रेखा के आधार पर व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

ख) पट्टेदार के रूप में समूह

ऐसे पट्टे जिनमें समूह किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किराए पर होने वाली आय को पट्टे की शर्तों पर सीधी रेखा के आधार पर हिसाब में लिया जाता है और इसकी परिचालन प्रकृति के कारण लाभ या हानि के विवरण में राजस्व में शामिल किया जाता है। परिचालन

पट्टे पर बातचीत करने और व्यवस्थित करने में होने वाली प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को पट्टे पर दी गई संपत्ति की वहन राशि में जोड़ा जाता है और किराये की आय के समान आधार पर पट्टे की अवधि में मान्यता दी जाती है।

2.2.18 वित्तीय साधन

समूह वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता देता है जब यह साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाता है।

क) वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार प्राप्तियों को छोड़कर जिसमें एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं है, लेनदेन मूल्य पर मापा जा रहा है) को शुरू में उचित मूल्य और लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो सीधे वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होते हैं। लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत लाभ और हानि के विवरण में खर्च की जाती है।

बाद के माप

बाद के माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को समूह के व्यवसाय मॉडल और परिसंपत्ति की नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर नीचे की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक माप के बाद, संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी गई वित्तीय संपत्तियां जहां वे नकदी प्रवाह केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय अन्य आय में शामिल है।

अन्य व्यापक आय (एफवीटीपीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

एक वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इसे एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि करती हैं। नकदी प्रवाह जो पूरी तरह से बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां:

परिशोधित लागत या एफवीटीपीएल के मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली परिसंपत्तियों को लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। एफवीटीपीएल श्रेणी के भीतर शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

समूह एफवीटीपीएल में मापी गई परिशोधित लागत या वित्तीय परिसंपत्तियों पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि हानि को पहचानने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करता है।

समूह निम्नलिखित पर हानि हानि हानि भत्ते की मान्यता के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन करता है:

- ट्रेड प्राप्तियां अथवा संविदात्मक राजस्व प्राप्तियां, और
- इंड एस 116 के दायरे में लेनदेन के परिणामस्वरूप सभी पट्टा प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ते को मान्यता दी जाती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम जोखिम पर हानि हानि की पहचान के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि ऋण जोखिम में अधिक वृद्धि नहीं हुई है, तो 12 माह के ईसीएल का उपयोग क्षति हानि उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन पर सभी संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप अपेक्षित क्रेडिट नुकसान हैं। 12 महीने का ईसीएल आजीवन ईसीएल का एक हिस्सा है जो डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीने के भीतर संभव होते हैं।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल हानि हानि भत्ता (या रिवर्सल) को लाभ और हानि के विवरण में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए हानि की बैलेंस शीट प्रस्तुति नीचे वर्णित है:

- परिशोधित लागत, संविदात्मक राजस्व प्राप्य और पट्टा प्राप्य के रूप में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां: ईसीएल को भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हानि भत्ता निवल वहन राशि को कम करता है। जब तक

परिसंपत्ति बड़े खाते में डालने के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तब तक समूह सकल लागत राशि से हानि भत्ता कम नहीं करता है।

- ऋण प्रतिबद्धताएं और वित्तीय गारंटी अनुबंध: ईसीएल को तुलन पत्र में एक प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात्, देयता के रूप में।
- एफवीटीपीएल में मापे गए ऋण उपकरण: एफवीटीपीएल में मापे गए ऋण उपकरणों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट नुकसान तुलन पत्र में वहन राशि को कम नहीं करता है, जो उचित मूल्य पर रहता है। इसके बजाय, भत्ते के बराबर राशि को अन्य व्यापक आय में संचित हानि राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

समूह एक वित्तीय परिसंपत्ति को मान्यता देता है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देता है और हस्तांतरण इंड एस 109 के तहत मान्यता रद्द करने के लिए योग्य होता है।

वहन राशि और प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और, ऋण और देय के मामले में, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत का शुद्ध।

समूह की वित्तीय देनदारियों में व्यापार देय, ऋण और अन्य वित्तीय देनदारियां आदि शामिल हैं।

बाद के माप

वित्तीय देनदारियों की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है, जैसा कि नीचे वर्णित है—

- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं।
- समूह ने एफवीटीपीएल में किसी भी वित्तीय देनदारियों को नामित नहीं किया है।
- परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

ऋण, व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, उधार ली गई राशि, व्यापार देयताएं एवं अन्य वित्तीय दायित्वों को प्रभावी व्याज

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

दर विधि का प्रयोग करते हुए अमूर्त लागत पर मापा जाता है।

अमूर्त लागत की गणना अधिग्रहण पर प्राप्त किसी डिस्काउंट या प्रीमियम तथा उन शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखकर की जाती है, जो प्रभावी व्याज दर का अभिन्न भाग होती हैं। ईआईआर के अनुसार की गई अमूर्त लागत की परिकल्पना को वित्तीय लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

वित्तीय देयताओं की अमान्यता

एक वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता का एक हिस्सा) को समूह की बैलेंस शीट से मान्यता नहीं दी जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ग) वित्तीय गारंटी अनुबंध

समूह द्वारा जारी वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिनके लिए धारक को होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण साधन की शर्तों के अनुसार देय होने पर भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरु में उचित मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है, जो लेनदेन लागत के लिए समायोजित किया जाता है जो सीधे गारंटी जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद, देयता को इंड एस 109 की हानि आवश्यकताओं और कम संचयी परिशोधन की पहचान की गई राशि के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि से अधिक पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय दस्तावेज का समायोजन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की भरपाई की जाती है, और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है यदि मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई के लिए वर्तमान में लागू संविदात्मक कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने का इरादा है, संपत्ति की वसूली और देनदारियों का निपटान एक साथ करना।

2.2.19 उचित मूल्य मापन

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों को मापता है।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस धारणा का उपयोग यह मानते हुए कर किया जाता है कि बाजार के सहभागियों ने अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं, बाजार के सहभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग करेंगे।

सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए वित्तीय विवरणों

में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है और वित्तीय विवरणों में तदनुसार उल्लेख किया जाता है।

बाहरी मूल्यांकनकर्ता महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों और देनदारियों, यदि कोई हो, के मूल्यांकन के लिए शामिल हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, समूह परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यों में आंदोलनों का विश्लेषण करता है जिन्हें समूह की लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनर्मापा या पुनर्मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

2.2.20 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय निर्धारित करने में, समूह इक्विटी शेयरधारकों के कारण होने वाले शुद्ध लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए जाने वाले शेयरों की संख्या, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है।

प्रति शेयर कम की गई आय का निर्धारण करने में, इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार निवल लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किये गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। समूह के पास कोई कमजोर संभावित इक्विटी शेयर नहीं हैं।

2.2.21 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्ति

गैर-चालू संपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाती है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तभी माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी, और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद है। बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकृत निपटान समूहों को बिक्री की लागत घटाकर रखाव राशि और उचित मूल्य के निचले स्तर पर बताया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त संपत्ति का मूल्यहास या परिशोधन नहीं किया जाता है, एक बार बिक्री के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बिक्री / वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि बिक्री के लिए रखी गई 105 गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों द्वारा बताए गए मानदंड अब पूरा नहीं होते हैं, तो निपटान समूह को बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत करना बंद कर देता है। गैर-चालू परिसंपत्ति जिसे बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करना बंद कर दिया जाता है, को (i) परिसंपत्ति से पहले इसकी वहन राशि को बिक्री के लिए आयोजित के रूप

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

में वर्गीकृत किया गया था, मूल्यहास के लिए समायोजित किया गया था जिसे मान्यता दी गई होती यदि परिसंपत्ति को बिक्री के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, और (ii) उस तारीख पर इसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह को बिक्री के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत करना बंद कर देता है। मूल्यहास रिवर्सल समायोजन से संबंधित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त संपत्ति को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है जब बिक्री मानदंड के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्ति अब पूरी नहीं होती है।

2.2.22 पूर्व अवधि समायोजन

पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजी गई त्रुटियों/चूक को अभौतिक माना जाता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाता है, यदि समूह के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियाँ और चूक कुल परिचालन राजस्व के 0.50% से अधिक नहीं होती है।

2.2.23 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और निर्णय

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, लेखांकन अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और समूहीकरण प्रकटीकरण और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। इन अनुमानों और पूर्वानुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जिनके लिए भावी अवधियों में प्रभावित परिसंपत्तियों या देनदारियों की लागत राशि के लिए एक भौतिक समायोजन करना होता है।

यह नीति उन क्षेत्रों का अवलोकन प्रदान करती है जिनमें उच्च स्तर का निर्णय या जटिलता शामिल है, और उन वस्तुओं का जो मूल रूप से मूल्यांकन किए गए अनुमानों और मान्यताओं की तुलना में भिन्न होने के कारण भौतिक रूप से समायोजित होने की अधिक संभावना रखते हैं।

संबंधित लेखांकन नीतियों में बताए गए अनुमान और निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार हैं:

क. असंगृहीत व्यापार प्राप्य के लिए भत्ते

व्यापार प्राप्य ब्याज नहीं लेते हैं और उनके नाममात्र मूल्यों पर बताए जाते हैं क्योंकि अनुमानित अपरिवर्तनीय राशि के लिए उचित भत्ते कम हो जाते हैं, प्राप्य शेष और ऐतिहासिक अनुभवों की उम्र बढ़ने पर आधारित होते हैं। व्यक्तिगत व्यापार प्राप्य को तब बट्टे खाते में डाला जाता है जब प्रबंधन सामूहिक नहीं लगता है।

ख. परिभाषित लाभ योजनाएं

सेवानिवृत्ति के बाद लाभ दायित्व की लागत बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। एक

बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य के वेतन में वृद्धि, मृत्यु दर और भविष्य की पेंशन वृद्धि का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओं की समीक्षा की जाती है।

ग. आकस्मिक व्यय

व्यवसाय के सामान्य क्रम में, समूह के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देनदारियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ दायित्व हैं जो प्रबंधन ने सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि भुगतान की संभावना नहीं है या विश्वसनीय रूप से मात्रा निर्धारित करना मुश्किल नहीं है और ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना जाता है और नोटों में खुलासा किया जाता है।

घ. वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित है। समूह इन धारणाओं को बनाने और समूह के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में दूरदेशी अनुमानों के आधार पर हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करता है।

ड. कर

जटिल कर नियमों की व्याख्या, कर कानूनों में बदलाव, और भविष्य में कर योग्य आय की राशि और समय के संबंध में अनिश्चितताएँ मौजूद हैं। वास्तविक परिणामों और की गई मान्यताओं के बीच उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक अंतरों, या ऐसी मान्यताओं में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए, पहले से दर्ज कर आय और व्यय में भविष्य में समायोजन आवश्यक हो सकता है। समूह उचित अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित करता है। ऐसे प्रावधानों की राशि विभिन्न कारकों पर आधारित होती है, जैसे कि पिछले कर लेखापरीक्षा का अनुभव और कर योग्य इकाई और उत्तरदायी कर प्राधिकरण द्वारा कर नियमों की अलग-अलग व्याख्याएँ। समूह कंपनियों के संबंधित अधिवास में प्रचलित परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या के ऐसे अंतर विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध हानियों का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

भविष्य के कर योग्य लाभों के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के आधार पर, मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

च. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकलन करता है कि क्या यह संकेत है कि किसी परिसंपत्ति को बिगाड़ा जा सकता है। परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का निर्धारण निर्णायक है और इसमें महत्वपूर्ण अनुमानों और मान्यताओं का उपयोग शामिल है। अनुमान उचित मानी जाने वाली मान्यताओं पर आधारित हैं, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से अनिश्चित और अप्रत्याशित हैं और अप्रत्याशित घटनाओं और परिस्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं जो हो सकती हैं।

छ. बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्ति

गैर-चालू संपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाती है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तभी माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी, और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद है।

ज. पट्टे — वृद्धिशील ऋण दर का अनुमान लगाना

समूह पट्टे में निहित ब्याज दर का आसानी से निर्धारण नहीं कर सकता, इसलिए वह पट्टा देनदारियों को मापने के लिए अपनी वृद्धिशील उधार दर (आईबीआर) का उपयोग करता है। आईबीआर वह ब्याज दर है जो समूह को समान अवधि के लिए, समान प्रतिभूति के साथ, समान आर्थिक परिवेश में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के समान मूल्य की परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि ऋण लेने के लिए चुकानी होगी।

पट्टेदार के रूप में नवीनीकरण और समाप्ति विकल्प समूह के साथ अनुबंधों की पट्टा अवधि का निर्धारण करना

समूह पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर-रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करता है, साथ ही पट्टे को बढ़ाने के विकल्प द्वारा कवर की गई किसी भी अवधि के साथ यदि

इसका प्रयोग किया जाना यथोचित है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई कोई भी अवधि, यदि यह यथोचित रूप से निश्चित है कि इसका प्रयोग नहीं किया जाना है।

समूह पट्टे को नवीनीकृत करने या समाप्त करने के विकल्प को प्रयोग करने या न करने के विषय में निर्णय लेते समय युक्तिसंगत रूप से निश्चित होने के स्तर का विवेकपूर्वक आकलन करता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात, यदि कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थिति में परिवर्तन होता है जो समूह के नियंत्रण में है, और उसका प्रभाव इस विकल्प को प्रयोग करने या न करने की क्षमता पर पड़ता है, तो समूह पट्टे की अवधि का पुनः मूल्यांकन करता है।

i. राजस्व मान्यता

समूह की राजस्व मान्यता नीति इस बात का केंद्र है कि समूह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किए गए कार्य को कैसे महत्व देता है।

इन नीतियों के लिए अनुबंधों के परिणामों से किए जाने वाले पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है, जिसके लिए काम के दायरे और दावों और भिन्नताओं में परिवर्तन पर किए जाने वाले आकलन और निर्णय की आवश्यकता होती है।

कई दीर्घकालिक और जटिल परियोजनाएं हैं जहां समूह ने संविदात्मक पात्रता पर महत्वपूर्ण निर्णय शामिल किए हैं। संभावित परिणामों की सीमा के परिणामस्वरूप अंतर्निहित लाभप्रदता और नकदी प्रवाह में भौतिक रूप से सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन हो सकता है।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित पहलुओं के संबंध में अनुमानों की भी आवश्यकता है:

- पूरा होने के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्णता तिथि का अनुमान
- भावी हानियों के लिए उपबंध
- दावों और विविधताओं सहित अनुमानित कुल राजस्व और अनुमानित कुल लागत।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	फ्रीहोल्ड बिल्डिंगधलैट- आवासीय	फ्रीहोल्ड बिल्डिंगधलैट -गैर-आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	कारवां, शिविर और अस्थायी शेड	वाहनों	कुल
							(i)	(ii)			(₹ करोड़ में)
फुटनोट											
सकल वहन राशि (लागत पर)											
1 अप्रैल 2023 तक	42.69	6.55	44.10	216.60	3.01	8.54	5.86	6.84	3.13	4.19	341.51
परिवर्धन	1.46	-	-	26.10	0.97	1.08	0.40	1.09	0.31	0.09	31.50
निपटानसमायोजन	-	-	-	(2.18)	(0.02)	(0.46)	(0.09)	(0.06)	-	0.01	(2.80)
बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियों से स्थानांतरण (नोट-v देखें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय लाभ / (हानि) (नोट-iii देखें)	-	-	(0.49)	(0.23)	0.01	-	0.01	-	0.01	0.03	(0.66)
31 मार्च 2024 तक	44.15	6.55	43.61	240.29	3.97	9.16	6.18	7.87	3.45	4.32	369.55
अतिरिक्त विवरण (नोट-iv देखें)	1.37	-	13.15	762.54	-	2.02	0.95	4.76	0.24	-	785.03
निपटान / समायोजन	-	-	-	(0.81)	(0.19)	(1.01)	(0.57)	(0.26)	-	-	(2.84)
विनिमय लाभ / (हानि) (नोट-iii देखें)	-	-	0.81	2.14	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.10	3.17
31 मार्च 2025 तक	45.52	6.55	57.57	1,004.16	3.80	10.20	6.59	12.39	3.71	4.42	1,154.91
मूल्यहास और क्षति											
1 अप्रैल 2023 तक	-	4.56	22.04	94.41	1.08	6.30	3.87	2.84	2.81	2.60	140.51
वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	-	0.06	1.49	18.09	0.28	1.11	0.52	0.63	0.12	0.41	22.71
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान / समायोजन	-	-	-	(1.79)	(0.01)	(0.37)	(0.08)	(0.06)	(0.01)	-	(2.32)
विनिमय लाभ / (हानि) (नोट-iii देखें)	-	-	(0.26)	(0.15)	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	(0.36)
31 मार्च 2024 तक	-	4.62	23.27	110.56	1.35	7.04	4.32	3.42	2.93	3.03	160.54
वर्ष के लिए मूल्यहास प्रभार	-	0.05	1.61	25.75	0.34	1.13	0.52	1.02	0.19	0.43	31.04
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान / समायोजन	-	-	-	(0.20)	(0.13)	(0.91)	(0.51)	(0.14)	-	-	(1.89)
विनिमय लाभ / (हानि) (नोट-iii देखें)	-	-	0.46	1.50	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.08	2.12

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

इरकोन

विवरण	पूर्ण स्वाभित्व वाली भूमि	फ्रीहोल्ड बिल्डिंगधलैट- आवासीय	फ्रीहोल्ड बिल्डिंगधलैट- गैर-आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	कारवां, शिविर और अस्थायी शेड	वाहनों	कुल
31 मार्च 2025 तक	-	4.67	25.34	137.61	1.57	7.27	4.36	4.32	3.13	3.54	191.81
कुल पुस्तक मूल्य											
31 मार्च 2025 को	45.52	1.88	32.23	866.55	2.23	2.93	2.23	8.07	0.58	0.88	963.10
31 मार्च 2024 को	44.15	1.93	20.34	129.73	2.62	2.12	1.86	4.45	0.52	1.29	209.01

फुट नोट -

- कार्यालय उपकरण में विद्युत उपकरण और एयर कंडीशनर शामिल हैं।
- फर्नीचर और फिक्सचर में फर्निशिंग शामिल है।
- वहन राशि में कार्यात्मक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अनुवाद के कारण विदेशी मुद्रा लाभ / (हानि) शामिल है।
- फ्रीहोल्ड भवन / प्लैट - गैर-आवासीय और संयंत्र एवं मशीनरी को प्रगतित पूंजीगत कार्य से पूंजीकृत किया गया है।
- संयंत्र एवं मशीनरी - उत्तरी क्षेत्र में बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों से संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) में स्थानांतरित किया गया।
- मूल्यह्रास उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो व्यवसाय विशिष्ट उपयोग, परिसंपत्तियों के उपयोग पैटर्न और समान परिसंपत्तियों के पिछले प्रदर्शन पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन द्वारा समर्थित होता है।

परिसंपत्तियों का वर्ग	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों में)	तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अपनाया गया उपयोगी जीवन (वर्षों में)
भवनधलैट आवासीय और आवासीय	60	8-60
संयंत्र और मशीनरी	8-40	1-30
सर्वेक्षण उपकरण	10	10
कंप्यूटर	3-6	3-6
कार्यालय उपकरण	5-10	5-10
फर्नीचर व फिक्सचर	10	10
कारवां, शिविर और अस्थायी शेड	3-5	3-5
वाहनों	8-10	8-10

* तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के निर्धारण के लिए परिसंपत्ति के प्रत्येक महत्वपूर्ण घटक पर विचार किया गया है।

(vii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की सामग्री लेखांकन नीति जानकारी के लिए नोट 2.2.2 देखें।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

4. पूंजीगत चालू कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2023 तक	8.47
परिवर्धन (बाद का व्यय)	540.48
समायोजन	(0.04)
हानि	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-
31 मार्च 2024 तक	548.91
परिवर्धन (बाद का व्यय)	1,240.12
समायोजन	(67.51)
हानि	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(745.66)
31 मार्च 2025 तक	975.86
कुल पुस्तक मूल्य	
31 मार्च 2025 को	975.86
31 मार्च 2024 को	548.91

(i) पूंजी निर्माण का कार्य प्रगति पर

31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रगति में पूंजीगत कार्य की आयु निर्धारण अनुसूची निम्नानुसार है: (₹ करोड़ में)

विवरण	अवधि के लिए प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि				
	1 वर्ष से कम	1—2 वर्ष	2—3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2025 तक					
प्रगति पर परियोजनाएं (नोट iv देखें)	963.61	12.25	-	-	975.86
परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित	-	-	-	-	-
	963.61	12.25	-	-	975.86
31 मार्च 2024 तक					
प्रगति पर परियोजनाएं (नोट iv देखें)	540.41	8.50	-	-	548.91
परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित	-	-	-	-	-
	540.41	8.50	-	-	548.91

(ii) ऐसी कोई परियोजना नहीं है जहां गतिविधि स्थगित कर दी गई हो।

(iii) नीचे उन परियोजनाओं की आयु का विवरण दिया गया है जिनके पूरा होने में देरी हो चुकी है या जिनकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो चुकी है:

31 मार्च, 2025 तक कोई भी परियोजना अतिदेय नहीं है या अनुमानित लागत से अधिक नहीं है। 31 मार्च, 2024 तक एक परियोजना अतिदेय थी जिसकी कुल लागत ₹7.30 करोड़ थी।

पूंजीगत कार्य प्रगति पर	निर्धारित वर्ष में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1—2 वर्ष	2—3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च 2025 तक				
प्रगति पर परियोजनाएं				
कॉर्पोरेट कार्यालय भवन का नवीनीकरण — फॉल्स सीलिंग और एचवीएसी	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक				
प्रगति पर परियोजनाएं				
कॉर्पोरेट कार्यालय भवन का नवीनीकरण — फॉल्स सीलिंग और एचवीएसी	1.68	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

- (iv) इसमें इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड, एक सहायक कंपनी द्वारा निर्माणाधीन 500 मेगावाट का सौर संयंत्र शामिल है। 31 मार्च 2025 को सौर ऊर्जा संयंत्र (पूँजी-कार्य-प्रगति में) सुविधा की वहन राशि थी ₹942.20 करोड़ (31 मार्च 2024 ₹542.35 करोड़) और आनुपातिक रूप से व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) की राशि ₹67.41 करोड़ वित्त वर्ष 2024-25 में पूँजीगत कार्य-प्रगति और अप्रयुक्त वीजीएफ शेष के विरुद्ध समायोजित किया गया है ₹44.94 करोड़ नोट 22 में दर्शाया गया है (नोट 22 के फुट नोट (i) देखें)। 31 मार्च 2025 तक वर्ष के दौरान प्रगति पर पूँजीगत कार्य में जोड़ी गई ऋण लागत (₹0.60 करोड़ की ब्याज आय का शुद्ध) की राशि थी ₹90.99 करोड़ (31 मार्च 2024 ₹4.33 करोड़) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, सरकारी अनुदान पर अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज राशि ₹0.76 करोड़ को सीडब्ल्यूआईपी के अलावा समायोजित किया जाता है।
- (v) चालू वर्ष के दौरान, समूह ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण शीर्ष के अंतर्गत सीडब्ल्यूआईपी को पूँजीकृत किया है। ₹745.66 करोड़

5. निवेश परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरुग्राम			बंगलुरु	
	भूमि	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	इमारत	भूमि	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	इमारत	भूमि और भवन	कुल
1 अप्रैल 2023 तक	327.20	0.57	156.77	2.23	-	95.36	3.04	585.17
परिवर्धन (बाद का व्यय)	-	0.57	0.85	-	1.48	-	-	2.90
वर्ष के दौरान अमान्य घोषित	-	-	-	-	-	(0.32)	-	(0.32)
वर्ष के दौरान पूँजीकृत	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	327.20	1.14	157.62	2.23	1.48	95.04	3.04	587.75
परिवर्धन (बाद का व्यय)	-	0.72	1.08	-	8.97	0.51	-	11.28
वर्ष के दौरान अमान्य घोषित	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान पूँजीकृत	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	327.20	1.86	158.70	2.23	10.45	95.55	3.04	599.03
मूल्यहास और क्षति								
1 अप्रैल 2023 तक	-	-	24.73	-	-	6.83	1.30	32.86
वर्ष के दौरान मूल्यहास	-	-	8.12	-	-	3.61	0.09	11.82
31 मार्च 2024 तक	-	-	32.85	-	-	10.44	1.39	44.68
वर्ष के दौरान मूल्यहास	-	-	8.66	-	-	3.62	0.09	12.37
31 मार्च 2025 तक	-	-	41.51	-	-	14.06	1.48	57.05
नेट ब्लॉक								
31 मार्च 2025 को	327.20	1.86	117.19	2.23	10.45	81.49	1.56	541.98
31 मार्च 2024 को	327.20	1.14	124.77	2.23	1.48	84.60	1.65	543.07

निवेश संपत्ति की आय और व्यय के बारे में जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
निवेश संपत्तियों से प्राप्त किराया आय	23.80	16.28
वर्ष के दौरान किराये की आय उत्पन्न करने वाली निवेश संपत्ति से उत्पन्न प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित)	5.63	2.32
निवेश संपत्ति से उत्पन्न प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित) जिससे वर्ष के दौरान किराये की आय उत्पन्न नहीं हुई	-	-
मूल्यहास और अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से उत्पन्न लाभ	18.17	13.96
घटाएँ: वर्ष के दौरान मूल्यहास	(12.37)	(11.82)
अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से होने वाला लाभ	5.80	2.14

* संपत्तियों से रखरखाव आय शामिल है

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

उचित मूल्य का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरुग्राम			बंगलुरु	
	भूमि	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	इमारत	भूमि	पूँजीगत कार्य प्रगति पर	इमारत	भूमि और भवन	कुल
1 अप्रैल 2023 तक	262.43	-	121.44	125.16	-	85.22	9.57	603.82
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए उचित मूल्य अंतर	67.60	-	7.48	(50.66)	-	1.18	0.94	26.55
31 मार्च 2024 तक	330.03	-	128.92	74.50	-	86.40	10.51	630.37
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए उचित मूल्य अंतर	29.38	-	(0.81)	9.10	-	5.76	1.23	44.65
31 मार्च 2025 तक	359.41	-	128.11	83.60	-	92.16	11.74	675.02
टिप्पणी:-								
निवेश संपत्ति अर्जित	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेश संपत्ति स्वयं निर्मित	359.41	-	128.11	83.60	-	92.16	11.74	675.02
	359.41	-	128.11	83.60	-	92.16	11.74	675.02

- (i) ये मूल्यांकन पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित हैं, जैसा कि कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करता है। उचित मूल्य आयधलागतधबाजार मूल्य दृष्टिकोण पर आधारित हैं।
- (ii) उचित मूल्य माप को उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत किया गया है।
- (iii) नोएडा में निवेश संपत्ति तीन स्थानों पर है, जिनकी पट्टा अवधि 90 वर्ष है, गुरुग्राम और बंगलोर में संपत्ति केवल एक स्थान पर है, जो फ्रीहोल्ड है।
- (iv) अन्य प्रावधान 0.57 करोड़ रुपये के हैं। नोएडा प्राधिकरण के साथ विवाद के लंबित समाधान के कारण सेक्टर 125, नोएडा संपत्ति के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में प्रगति पर पूंजीगत कार्य के लिए यह राशि बनाई गई है।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	अमूर्त संपत्ति (सॉफ्टवेयर/पट्टा अधिकार/टोल रोड)			
	सॉफ्टवेयर	पट्टा अधिकार	टोल रोड	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल 2023 तक	11.65	72.34	1,294.94	1,378.93
वर्ष के दौरान वृद्धि	3.44	-	10.67	14.11
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	(0.24)	-	(39.24)	(39.47)
31 मार्च 2024 तक	14.85	72.34	1,266.37	1,353.57
वर्ष के दौरान वृद्धि	3.72	-	-	3.72
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	(0.01)	-	-	(0.01)
31 मार्च 2025 तक	18.56	72.34	1,266.37	1,357.27
परिशोधन और हानि				
1 अप्रैल 2023 तक	2.96	12.23	296.32	311.51
वर्ष के दौरान परिशोधन	3.23	1.64	59.89	64.77
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	(0.24)	-	-	(0.24)
31 मार्च 2024 तक	5.95	13.87	356.21	376.04
वर्ष के दौरान परिशोधन	4.34	1.64	67.17	73.16
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	10.29	15.52	423.38	449.19
कुल पुस्तक मूल्य				
31 मार्च 2025 को	8.27	56.82	842.99	908.08
31 मार्च 2024 को	8.90	58.47	910.16	977.53

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

फुटनोट:

सॉफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर में सेप एस4 / हेना ईआरपी सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किया गया पूंजीगत व्यय शामिल है।

पट्टा अधिकार: इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी) बनाने के लिए आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) के साथ समझौता किया है। यह भूमि रेलवे की है और कंपनी ने इस पर इमारतें बनाई हैं और एमएफसी के शुरू होने की तारीख से 45 साल के लिए पट्टे के अधिकार (वाणिज्यिक अधिकार) हैं। संबंधित परियोजना के वाणिज्यिक संचालन में आने की तारीख से पट्टे की अवधि के दौरान पट्टे के अधिकारों का परिशोधन किया गया है। वर्ष के दौरान परिशोधित राशि इस प्रकार है **₹1.64 करोड़** (वित्त वर्ष 2023-24 ₹. 1.64 करोड़)

टोल रोड : टोल रोड में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर के साथ-साथ टोल रोड के लिए आवश्यक कुछ छोटी चल संपत्तियों का मूल्य भी शामिल है और टोल रोड के ईपीसी कार्यों के साथ बंडल किया गया है। इसे अलग से मापा नहीं जा सकता है और यह संपत्ति का एक अभिन्न अंग है।

7. विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		
	सॉफ्टवेयर	टोल रोड	कुल
सकल ब्लॉक			
1 अप्रैल 2023 तक	2.59	7.81	10.40
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.84	2.86	3.70
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(3.43)	(10.67)	(14.10)
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	-
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल 2023 तक	-	-	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-	-
हानि	-	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	-	-	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-	-
हानि	-	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	-	-	-
कुल पुस्तक मूल्य			
31 मार्च 2025 को	-	-	-
31 मार्च 2024 को	-	-	-

फुटनोट :

- (विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ सॉफ्टवेयर में सेप एस4 / हेना ईआरपी सॉफ्टवेयर और टोल रोड के अधिग्रहण के लिए किए गए पूंजीगत व्यय को दर्शाती हैं।
- 31 मार्च 2025 और मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त आस्तियों की राशि एक निश्चित अवधि के लिए			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च 2025 तक				
प्रगति पर परियोजनाएं				
एसएपी एस-4 हाना एसएपी/ईआरपी	-	-	-	-
टोल रोड	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित	-	-	-	-
	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक				
प्रगति पर परियोजनाएं				
एसएपी एस-4 हाना एसएपी/ईआरपी	-	-	-	-
टोल रोड	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित	-	-	-	-
	-	-	-	-

- 31 मार्च, 2025 तक कोई भी परियोजना अतिदेय नहीं है या अनुमानित लागत से अधिक नहीं है, क्योंकि मूल योजना पर पुनर्विचार किया गया है और उसे संशोधित किया गया है। 31 मार्च, 2024 तक एक परियोजना अतिदेय थी जिसकी कुल लागत 23.56 करोड़ रुपये थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त आस्तियों की राशि एक निश्चित अवधि के लिए				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2025 तक					
प्रगति पर परियोजनाएं					
एसएपी एस-4 हाना एसएपी/ईआरपी टोल रोड	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक					
प्रगति पर परियोजनाएं					
एसएपी एस-4 हाना एसएपी/ईआरपी टोल रोड	7.25	3.79	-	-	11.04
परियोजनाएं अस्थायी रूप से स्थगित	-	-	-	-	-
	7.25	3.79	-	-	11.04

8. उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल 2023 तक	1.60	5.20	0.04	6.84
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.29	3.03	-	3.32
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	1.89	8.23	0.04	10.16
वर्ष के दौरान वृद्धि	34.93	-	-	34.93
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	36.82	8.23	0.04	45.09
मूल्यहास और क्षति				
1 अप्रैल 2023 तक	0.22	2.18	0.04	2.44
वर्ष के दौरान मूल्यहास	0.24	0.89	-	1.13
वर्ष के दौरान हानि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक	0.46	3.07	0.04	3.57
वर्ष के दौरान मूल्यहास	0.95	0.93	-	1.88
वर्ष के दौरान हानि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2025 तक	1.41	4.00	0.04	5.45
कुल पुस्तक मूल्य				
31 मार्च 2025 को	35.41	4.23	-	39.64
31 मार्च 2024 को	1.43	5.16	-	6.59

फुटनोट :

- इसमें सैन मार्टिन मार्ग, नई दिल्ली और पाली हिल, मुम्बई तथा मेट्रो रेलवे सर्विस बिल्डिंग, कोलकाता में रेलवे की भूमि पर 30 वर्ष के पट्टे पर ली गई बिल्डिंग शामिल है, जिसके लिए समझौते को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
- पट्टे पर दी गई भूमि में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) की भूमि शामिल है, जिसका निर्माण होल्डिंग कंपनी द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय निरीक्षण कक्ष (सीआईसी) के निर्माण के लिए किया जाएगा (कुल मूल्य 0.76 करोड़ रुपये)। भवन निर्माण के लिए समय विस्तार का अनुरोध उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है। पट्टे पर दी गई भूमि में इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड, एक सहायक कंपनी के मामले में विभिन्न भूस्वामियों के साथ भूमि के लिए पट्टे की व्यवस्था भी शामिल है और इन पट्टे की शर्तों पर स्थानीय स्तर पर बातचीत की जाती है और ये स्थानीय नियमों और विनियमों के अधीन होती हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण (यदि विवाद हो तो उसका भी उल्लेख करें)
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां	पाली हिल, बांद्रा फ्लैट नंबर 401 मुंबई	0.21	पश्चिमी रेलवे	ना	14 अगस्त, 2002	फ्लैटों का निर्माण रेलवे की भूमि पर किया गया है और इस संबंध में जारी अनुदेश के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिए होल्डिंग कंपनी को पट्टे पर दिया गया है।
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां	सेंट मार्टिन, नई दिल्ली में फ्लैट्स	2.26	उत्तरी रेलवे	ना	16 सितम्बर, 2004	
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां	मेट्रो रेल सेवा भवन, कोलकाता	0.75	मेट्रो रेल, कोलकाता	ना	3 मार्च, 2000	मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा रेलवे की भूमि पर कार्यालय आवास का निर्माण किया गया है तथा इस संबंध में जारी निर्देश के अनुसार इसे 30 वर्ष की अवधि के लिए होल्डिंग कंपनी को पट्टे पर दिया गया है।

9. इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निवेश का लेखा-जोखा

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
इक्विटी उपकरणों में निवेश (पूरी तरह से चुकता, अनकोटेड, इक्विटी पद्धति का उपयोग करके) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ		
इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड 10 रुपये प्रति शेयर के 6,38,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2024 : 6,38,70,000)	74.72	79.78
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड 10 रुपये प्रति शेयर के 5,19,99,699 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2024: 5,19,99,699) (फुट नोट (i) देखें)	61.35	59.89
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 7,63,37,300 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2024 : 7,63,37,300) (फुट नोट (ii) देखें)	76.23	76.42
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड 10 रुपये प्रति शेयर के 2,62,56,438 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2024: 2,62,56,438) (फुट नोट (iii) देखें)	144.38	143.14
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड 10 रुपये प्रति शेयर के 2,60,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2024 : 2,60,00,000) (फुट नोट (iv) देखें)	110.44	109.73
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 19,78,55,700 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2024 : 19,78,55,700) (फुट नोट (v) देखें)	160.62	185.87
छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड 10 रुपये प्रति शेयर के 19,39,91,200 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2024 : 19,39,91,200) (फुट नोट (vi) देखें)	257.98	209.67
कुल	885.72	864.50
अनकोटेड निवेशों का कुल बही मूल्य	885.72	864.50
निवेश के मूल्य में कुल हानि की राशि	-	-

फुटनोट :

- i) "रेल मंत्रालय" (एमओआर) ने अपने पत्र संख्या 2011/एलएमबी/22/1/39 दिनांक 18.10.2021 के माध्यम से भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी), एक संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने और इसके व्यवसाय को आरएलडीए/एमओआर को हस्तांतरित करने/हस्तांतरित करने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की सूचना दी थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सभी संयुक्त उद्यम भागीदारों यानी इरकॉन, राइट्स और आरएलडीए की सहमति से, आईआरडीएससी (एसआईटीसीओ और गरुड़/स्टेशन सुविधा प्रबंधन (एसएफएम) में निवेश को छोड़कर) की परिसंपत्तियों और देनदारियों को 31.12.2024 तक बुक वैल्यू पर स्लॉप सेल के आधार पर आरएलडीए को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है (यानी विस्तृत कार्य + / - 5: के आधार पर लगभग 39.89 करोड़ रुपये)। इसके बाद, 09 अप्रैल 2025 को व्यवसाय हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और 11 अप्रैल 2025 को आईआरएसडीसी को आरएलडीए से 39.89 करोड़ रुपये का प्रतिफल प्राप्त हुआ। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में 6.30 करोड़ रुपये के उनके हिस्से के लिए आरएलडीए से एसआईटीसीओ के खिलाफ प्रतिफल भी प्राप्त हुआ है। बैलेंस शीट की तारीख यानी 31 मार्च 2025 तक, वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई क्लोजर संबंधी गतिविधियां अभी पूरी होनी बाकी हैं और इन गतिविधियों के पूरा होने और आरएलडीए/एमओआर को परिसंपत्तियों और देनदारियों को सौंपने के बाद परिसमापन प्रक्रिया शुरू होगी। आईआरएसडीसी का वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

किया गया है और स्लॉप सेल आय का वितरण और देनदारियों का निपटान परिसमापक की नियुक्ति और स्वैच्छिक समापन के तहत परिसमापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। समूह लगातार घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है और रिपोर्टिंग तिथि पर निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की गिरावट की आशंका नहीं है, क्योंकि आईआरएसडीसी की रिपोर्ट की गई निवल संपत्ति में समूह का हिस्सा 61.76 करोड़ रुपये है, जो 237.52 करोड़ रुपये का 26% है।

- ii) रेल मंत्रालय (एमओआर) ने बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने और इसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों को एमओआर को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कानूनी औपचारिकताएं, मूल्य निर्धारण और संबंधित तौर-तरीके प्रक्रिया में हैं और समूह को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं दिखती है।
- iii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के पक्ष में 114.11 करोड़ रुपये (31 मार्च 2024: 114.11 करोड़ रुपये) का ब्याज मुक्त अग्रिम स्वीकृत किया है, जिसमें से 114.11 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2024: 114.11 करोड़ रुपये) का भुगतान किया जा चुका है। ऋण का भुगतान केवल परियोजना के समापन या रियायत अवधि के अंत में किया जाएगा, जो भी बाद में हो।
- iv) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के पक्ष में 84.50 करोड़ रुपये (31 मार्च 2024: 84.50 करोड़ रुपये) का ब्याज मुक्त अग्रिम स्वीकृत किया है, जिसका भुगतान कर दिया गया है। ऋण केवल परियोजना के समापन या रियायत अवधि के अंत में ही चुकाया जाएगा, जो भी बाद में हो। इसके अलावा, एमसीआरएल परियोजना के चरण- I (अंगुल - बलराम, 14 किमी पहले से ही चालू है) और चरण- II (बलराम-पुटगाडिया-टेंदुलुई, 54 किमी निर्माणाधीन) को रेल मंत्रालय (MoR) को सौंपने का निर्णय लिया गया है। कानूनी औपचारिकताएं, मूल्य निर्धारण और संबंधित तौर-तरीके प्रक्रिया में हैं और समूह को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं दिखती है।
- v) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के पक्ष में 64.27 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम स्वीकृत किया है, जिसमें से 46.20 करोड़ रुपये (31 मार्च 2024: 30.60 करोड़ रुपये) का भुगतान किया जा चुका है। ऋण का भुगतान परियोजना के समापन या रियायत अवधि के अंत में ही किया जाएगा, जो भी बाद में हो।
- vi) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (CEWRL) के पक्ष में 193.36 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम स्वीकृत किया है, जिसमें से 64.48 करोड़ रुपये (31 मार्च 2024: 16.12 करोड़ रुपये) का भुगतान किया जा चुका है। ऋण का भुगतान परियोजना के समापन या रियायत अवधि के अंत में ही किया जाएगा, जो भी बाद में हो।

10. गैर-चालू परिसंपत्तियाँ – गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

10.1 गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
बांड में निवेश (उद्धृत, परिशोधित लागत पर)		
7.15% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बांड, शून्य (31 मार्च 2024: 10,00,000 रुपये प्रत्येक की 250 इकाइयाँ)	-	24.99
7.07% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बांड, शून्य (31 मार्च 2024: 1,000 रुपये प्रत्येक की 3,02,000 इकाइयाँ)	-	30.20
7.14% कर मुक्त एनएचआई बांड, शून्य (31 मार्च 2024: 1,000 रुपये प्रत्येक की 1,99,989 इकाइयाँ)	-	20.00
7.02% कर मुक्त एनएचआई बांड, शून्य (31 मार्च 2024: 10,00,000 रुपये प्रत्येक की 500 इकाइयाँ)	-	50.00
कुल	-	125.19
उद्धृत निवेशों का कुल बही मूल्य	-	125.19
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	-	130.43
अनकोटेड निवेशों का कुल बही मूल्य	-	-
निवेश के मूल्य में कुल हानि की राशि	-	-

10.2 गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
क. अच्छा माना गया: सुरक्षित		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	-	0.02
ख. अच्छा माना जाता है: असुरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों को ऋण:	-	-
(ii) अन्य:		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	0.28	0.43
कुल	0.28	0.45

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

फुटनोट :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को		31 मार्च 2024 को	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का % [^]	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का % [^]
प्रमोटरों को ऋण	-	-	-	-
निदेशकों को ऋण	-	-	-	-
केएमपी को ऋण	-	-	-	-
संबंधित पक्षों को ऋण	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि को दर्शाता है

[^] ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत दर्शाता है

8.3 गैर-चालू परिसंपत्तियाँ – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अच्छा माना जाता है:		
सुरक्षा जमा		
— सरकारी विभाग	1.32	0.64
— अन्य	0.24	0.60
अनुबंध परिसंपत्तियाँ		
— ग्राहक के पास पैसे रखना	31.28	14.75
— एस.सी.ए. के अनुसार निर्माण लागत [फुट नोट (i) देखें]	3,058.01	2,216.47
12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा [फुट नोट (ii) देखें]	-	0.01
12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा (बैंक गारंटी) [फुट नोट (iii) देखें]	0.05	0.04
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज [फुट नोट (iv) देखें]	0.23	0.28
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य	-	15.00
कुल	3,091.13	2,247.79

फुट नोट :

(i) निर्माण लागत समूह द्वारा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत बनाए जा रहे राजमार्ग से संबंधित है।

(ii) ग्रहणाधिकार के अंतर्गत एफडीआर शामिल हैं शून्य (31 मार्च 2024 : ₹. 0.01 करोड़)

(iii) 0.05 करोड़ रुपये 31 मार्च 2025 तक (31 मार्च 2024: 0.04 करोड़ रुपये) इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, एक सहायक कंपनी के मामले में चल रही परियोजनाओं के अलावा सान्त्विक प्राधिकरणों/अन्य पक्षों को गिरवी रखी गई सावधि जमा को दर्शाता है।

(iv) निदेशकों से देय राशि का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
निदेशकों से देय राशि स्टाफ ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज में शामिल है	-	-
कुल	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

11. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

भारतीय लेखा मानक 12 "आयकर" के अनुसार प्रकटीकरण

क) 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1	चालू आयकर :		
	चालू आयकर प्रभार		
	पिछले वर्ष के चालू कर के संबंध में समायोजन	261.28	339.19
	आस्थगित कर :	(25.10)	2.55
	अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण से संबंधित		
	लाभ और हानि अनुभाग में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	(24.99)	(10.12)
	अन्य व्यापक आय (ओसीआई) अनुभाग	211.19	331.62
2	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आयकर:		
	परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन पर शुद्ध हानि/(लाभ)		
	विदेशी परिचालन अनुवाद पर शुद्ध हानि/(लाभ)	0.01	0.45
	ओसीआई अनुभाग में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	1.84	(0.61)
	ओसीआई अनुभाग में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	1.85	(0.16)

ख) 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 के लिए भारत की घरेलू कर दर से गुणा किए गए कर व्यय और लेखा लाभ का मिलान:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1	आयकर से पहले लेखा लाभ	946.37	1260.44
2	लेखा लाभ पर कर	268.33	328.11
3	कर समायोजन का प्रभाव:		
(i)	पिछले वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	(25.10)	2.55
(ii)	पहले से अज्ञात कर घाटे का उपयोग	(35.40)	(37.46)
(iii)	दर अंतर का प्रभाव	0.49	-
(iv)	कर से मुक्त आय पर कर	-	-
(v)	कर उद्देश्यों के लिए गैर-कटौती योग्य व्यय:		
	—अन्य देश अतिरिक्त कर	4.91	14.77
	—अन्य गैर-कटौती योग्य व्यय	6.73	6.87
(vi)	विभिन्न अन्य वस्तुओं पर कर प्रभाव	(6.92)	16.62
4	लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	213.04	331.46
5	प्रभावी कर की दर	22.51%	26.30%

ग) तुलन पत्र और लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देयताओं) के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	तुलनपत्र		लाभ और हानि का विवरण	
		31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त सहित):	(229.73)	(200.86)	28.87	6.88
	पुस्तक मूल्यहास और आयकर मूल्यहास में अंतर				
2	प्रावधानों	156.82	139.75	(17.07)	(22.61)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत वस्तुएं	0.04	0.05	0.01	0.02
4	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण में लगाए गए व्यय का प्रभाव, लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य है	41.51	46.01	4.50	6.52
5	व्यावसायिक घाटा	173.52	131.71	(41.81)	(0.75)
6	प्रारंभिक व्यय और अन्य	2.35	2.86	0.51	(0.18)

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	विवरण	तुलनपत्र		लाभ और हानि का विवरण	
		31 मार्च 2025	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
	शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देनदारियां)	144.51	119.52	(24.99)	(10.12)

घ) तुलन पत्र और लाभ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2025	31 मार्च 2024
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	374.24	320.38
2	आस्थगित कर देयता	(229.73)	(200.86)
	आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताएं) (शुद्ध)	144.51	119.52

टिप्पणी: आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को समायोजित कर दिया गया है, क्योंकि वे एक ही शासकीय कानून से संबंधित हैं।

ड.) आस्थगित कर (देनदारियों) / परिसंपत्तियों का समाधान:

31 मार्च 2025 तक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल 2024 तक शेष राशि (शुद्ध)	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	शेष राशि 31 मार्च, 2025 तक (शुद्ध)
1	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त सहित): पुस्तक मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(200.86)	(28.87)	-	(229.73)
2	प्रावधानों	139.75	17.07	-	156.82
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत वस्तुएं	0.05	(0.01)	-	0.04
4	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण में लगाए गए व्यय का प्रभाव, लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य है	46.01	(4.50)	-	41.51
5	व्यावसायिक घाटा	131.71	41.81	-	173.52
6	प्रारंभिक व्यय और अन्य	2.86	(0.51)	-	2.35
	शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देनदारियां	119.52	24.99	-	144.51

31 मार्च 2024 तक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल 2023 तक शेष राशि (शुद्ध)	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	31 मार्च, 2024 तक शेष राशि (शुद्ध)
1	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (अमूर्त सहित): पुस्तक मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(193.98)	(6.88)	-	(200.86)
2	प्रावधानों	117.14	22.61	-	139.75
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के अंतर्गत अस्वीकृत वस्तुएं	0.07	(0.02)	-	0.05
4	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण में लगाए गए व्यय का प्रभाव, लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य है	52.53	(6.52)	-	46.01
5	व्यावसायिक घाटा	130.96	0.75	-	131.71
6	प्रारंभिक व्यय और अन्य	2.68	0.18	-	2.86
	शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देनदारियां)	109.40	10.12	-	119.52

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

12. आस्थिगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अच्छा माना जाता है		
क) पूंजी अग्रिम		
ठेकेदार को पूंजी अग्रिम	225.85	315.41
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के बदले ठेकेदारों को अग्रिम राशि	36.68	62.82
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम राशि	182.02	222.13
कर विभागों के पास जमा राशि	0.55	-
ख) अन्य		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज	7.05	5.98
परियोजना निर्माण लागत	47.25	56.90
प्रीपेड खर्च	-	0.18
उचित मूल्यांकन समायोजन	0.08	0.05
कुल	499.48	663.47

12. सूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कच्चा माल (मूल्य लागत या एनआरवी जो भी कम हो, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)		
- हाथ में	6.23	24.41
- तीसरे पक्ष के साथ	1.93	12.02
- पारगमन में	82.67	10.98
अन्य (ट्रैक और निर्माण सामग्री)	-	0.30
कुल	90.83	47.71

14. चालू परिसंपत्तियाँ – चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

14.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
1. बांड में निवेश (उद्धृत, परिशोधित लागत पर)		
7.15% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बांड, ₹ 10,00,000 प्रत्येक की 250 इकाइयाँ (31 मार्च, 2024: शून्य)	25.00	-
7.07% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बांड, ₹1,000 प्रत्येक की 3,02,000 इकाइयाँ (31 मार्च, 2024: शून्य)	30.20	-
7.14% कर मुक्त एनएचएआई बांड, 1,000 रुपये प्रत्येक की 1,99,989 इकाइयाँ (31 मार्च 2024 : शून्य)	20.00	-
7.02% कर मुक्त एनएचएआई बांड, 10,00,000 रुपये प्रत्येक की 500 यूनिट (31 मार्च 2024 : शून्य)	50.00	-

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
7.35: भारत सरकार (जीओआई) बांड 2024: शून्य (31 मार्च, 2024: अंकित मूल्य 1,50,40,000 रुपये)	-	1.51
2. म्यूचुअल फंड में निवेश (लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर उद्धृत)		
यूनियन लिक्विड फंड इकाइयों की संख्या – शून्य (31 मार्च, 2024: 2,27,140.24)	-	52.89
एक्सिस लिक्विड फंड यूनिटों की संख्या – 3,66,150.89 (31 मार्च, 2024 : 2,69,473.15)	105.58	72.39
एक्सिस ओवरनाइट फंड इकाइयों की संख्या – 59,334.56 (31 मार्च, 2024 : इकाइयों की संख्या – शून्य)	8.02	-
केनरा रोबेको लिक्विड फंड इकाइयों की संख्या – 5,53,057.70 (31 मार्च, 2024 : इकाइयों की संख्या – शून्य)	171.90	-
बंधन लिक्विड फंड यूनिटों की संख्या – शून्य (31 मार्च, 2024 : 2,27,140.24)	-	166.10
निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड यूनिटों की संख्या – शून्य (31 मार्च, 2024 : 3,16,143.76)	-	186.81
एलआईसी म्यूचुअल फंड यूनिटों की संख्या – शून्य (31 मार्च, 2024: 1,91,133.26)	-	83.81
कुल	410.70	563.51
उद्धृत निवेशों का कुल बही मूल्य	410.70	563.51
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	413.58	563.50
अनकोटेड निवेशों का कुल बही मूल्य	-	-
निवेश के मूल्य में कुल हानि की राशि	-	-

14.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	14.07	13.55
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है (फुट नोट (i) देखें)	1,374.03	832.32
व्यापार प्राप्य जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	2.37	2.54
व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	50.44	42.72
हानि भत्ता (खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता):		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	(59.85)	(42.54)
व्यापार प्राप्य जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	(2.37)	(2.54)
व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	(50.44)	(42.72)
कुल	1,328.25	803.33

फुट नोट

- संबंधित पक्षों से प्राप्तियां शामिल हैं ₹755.29 करोड़ (31 मार्च 2024 तक: 191.94 करोड़ रुपये) और नोट 37 (ग) 4.1 में उल्लेख किया गया है।
- 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल वाला	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	757.20	193.09	182.37	132.39	51.56	69.50	1,386.11
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	2.37	2.37
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य को अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	1.99	1.99
विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	0.14	0.08	0.27	4.71	45.24	50.44
	-	757.20	193.23	182.45	132.66	56.27	119.10	1,440.91
क्षति भत्ता								(112.66)
कुल								1,328.25

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल वाला	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	203.25	373.26	72.25	122.86	62.67	9.59	843.88
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	0.03	-	0.13	0.03	2.35	2.54
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य को अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	1.99	1.99
विवादित व्यापार प्राप्य – जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित व्यापार प्राप्य – ऋण हानि	-	-	-	0.25	4.11	5.75	32.61	42.72
	-	203.25	373.29	72.50	127.10	68.45	46.54	891.13
क्षति भत्ता								(87.80)
कुल								803.33

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

14.3 वित्तीय परिसंपत्तियाँ – नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
मेरे पास नकदी है		0.05	0.05
बैंकों में शेष राशि:			
– चालू खातों पर	(ii), (iii), (iv), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii) (xiv) & (xv)	673.35	619.78
– फ्लेक्सी अकाउंट	(i) (ii) (iii), (iv), (ix) & (xv)	303.46	514.44
– 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियाँ	(i), (ii), (iv), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii), (xiv) & (xv)	1,302.98	1,045.51
कुल		2,279.84	2,179.78

14.4 चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अन्य तुलन पत्र			
– 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियाँ	(i), (iii), (v), (vi), (vii) & (xv)	2,499.81	2,802.85
निर्धारित शेष राशि:			
– एनएचएआई द्वारा लगाए गए जुर्माने के कारण ग्रहणाधिकार		1.06	1.06
– सीएसआर बैंक खाता		0.17	0.17
– लाभांश वितरण खाता		0.75	0.47
कुल		2,501.79	2,804.55

फुटनोट (नोट 14.3 और 14.4) :-

- इसमें ग्राहकों का फंड शामिल है ₹. **1,893.60 करोड़** (31 मार्च 2024 तक : 2,898.36 करोड़ रुपये) जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है। इसमें व्यापार देय के विरुद्ध परियोजना निधि भी शामिल है: 1,375.35 करोड़ (31 मार्च 2024 : 716.24 करोड़ रुपये)
- इसमें शामिल है ₹. **5.56 करोड़** (31 मार्च 2024 तक : 16.53 करोड़ रुपये) शेष राशि एस्करो खाते, फ्लेक्सी लिंकड खातों और जमा से संबंधित है, जो इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि हैं।
- इसमें शामिल है **60.97 करोड़ रुपये** (31 मार्च 2024 तक : 115.72 करोड़ रुपये) शेष राशि एस्करो खाते और फ्लेक्सी लिंकड खातों से संबंधित है, जो इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है। इसके अलावा, ₹. **46.67 करोड़** अन्य बैंक शेष के अंतर्गत जमा में (31 मार्च 2024 तक : फ्लेक्सी खातों में 46.67 करोड़ रुपये) एसबीआई के साथ ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार प्रमुख रखरखाव रिजर्व खाते (रखरखाव कार्य हेतु उपयोग हेतु उपलब्ध) के लिए ग्रहणाधिकार के रूप में निर्धारित राशि शामिल है।
- इसमें ग्राहकों का फंड शामिल है ₹. **11.19 करोड़** (31 मार्च 2024 तक : 21.58 करोड़ रुपये) इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में, जिस पर ब्याज उन्हें दिया गया है।
- इसमें ग्राहक निधि शामिल है ₹. **47.99 करोड़** (31 मार्च 2024 तक : 57.02 करोड़ रुपये) और इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में बैंक में बीजी के विरुद्ध स्वयं के कोष से 0.10 करोड़ रुपए की सावधि जमा है, जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है।
- इसमें जमा राशि शामिल है **26.46 करोड़ रुपये** (31 मार्च 2024 तक : 26.46 करोड़ रुपये) इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड का जो पंजाब नेशनल बैंक के अधीन है और **96.31 करोड़ रुपये** (31 मार्च 2024 तक : 27.30 करोड़ रुपये) एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित धनराशि है।
- इसमें शामिल है **51.44 करोड़ रुपये** (31 मार्च 2024 तक : 31.21 करोड़ रुपये) जमा के रूप में रखे गए हैं जो इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि हैं।
- इसमें शामिल है ₹. **10.74 करोड़** (31 मार्च 2024 तक : 12.58 करोड़ रुपये) शेष राशि एस्करो खाते और जमा से संबंधित है जो इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**

- (ix) इसमें शामिल है **19.48 करोड़ रुपये** (31 मार्च 2024 तक : 86.23 करोड़ रुपये) शेष राशि चालू एस्करो खाते और जमा से संबंधित है जो इरकॉन गुडगांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।
- (x) इसमें शामिल है **रु. 13.68 करोड़** (31 मार्च 2024 तक : 41.82 करोड़ रुपये) शेष राशि एस्करो खाते और जमा से संबंधित है जो इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।
- (xi) इसमें शामिल है **67.41 करोड़ रुपये** (31 मार्च 2024 तक : एस्करो खाते में 31.03 करोड़ रुपये) शेष राशि एस्करो खाते और जमा से संबंधित है जो इरकॉन अकलोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।
- (xii) इसमें शामिल है **15.86 करोड़ रुपये** (31 मार्च 2024 तक : एस्करो खाते में 4.58 करोड़ रुपये) शेष राशि एस्करो खाते और जमा से संबंधित है जो इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।
- (xiii) इसमें शामिल है **रु. 44.89 करोड़** (31 मार्च 2024 तक : 5.23 करोड़ रुपये) शेष राशि एस्करो खाते और जमा से संबंधित है, जो इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।
- (xiv) इसमें शामिल है **रु. 10.83 करोड़** (31 मार्च 2024 तक : 2.16 करोड़ रुपये) शेष राशि एस्करो खाते और जमा से संबंधित है जो इरकॉन लुधियाना रुपनगर हाईवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।
- (xv) इसमें शामिल है **53.06 करोड़ रुपये** (31 मार्च 2024 तक : 9.41 करोड़ रुपये) इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड के संबंध में एस्करो कम ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट, पलेक्सी खाते और एस्करो कम ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट से जुड़े जमा।

14.5 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
क. अच्छा माना गया: सुरक्षित		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	0.01	0.02
ख. अच्छा माना जाता है: असुरक्षित		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	1.56	0.90
कुल	1.57	0.92

फुटनोट

- (i) संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण या अग्रिम राशि:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का % [^]	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का % [^]
प्रमोटरों को ऋण	-	-	-	-
निदेशकों को ऋण	-	-	-	-
केएमपी को ऋण	-	-	-	-
संबंधित पक्षों को ऋण	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि को दर्शाता है

[^] ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत दर्शाता है

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

14.4 चालू परिसंपत्तियाँ – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अच्छा माना जाता है:			
सुरक्षा जमा			
– सरकारी विभाग		11.63	5.41
– अन्य		70.25	126.21
अनुबंध परिसंपत्ति:			
– बिल योग्य राजस्व / प्राप्य देय नहीं	(i) (a) & (b)	343.81	246.80
– निर्माण कार्य प्रगति पर (प्राप्ति योग्य मूल्य पर)	(i) (b)	1,088.73	873.48
– एससीए के संदर्भ में निर्माण लागत	(ii)	172.66	99.59
– ग्राहक के पास पैसे रखना	(iii)	134.69	136.66
ग्राहक द्वारा रोका गया पैसा	(iii)	346.62	319.22
बयाना राशि		1.05	1.11
12 महीने से कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	(iv)	0.32	3.31
अर्जित ब्याज:			
– स्टाफ को अग्रिम	(v)	0.09	0.07
– संबंधित पक्षों को ऋण		16.35	14.54
– रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम राशि		10.88	9.56
– बैंकों में जमा राशि		58.45	73.21
– बांड और सरकारी प्रतिभूतियाँ		7.62	7.63
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित:			
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड – 10 रुपये प्रति शेयर के 301 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2024 : 301)		–	–
अन्य वसूली योग्य:			
(क) संबंधित पक्षों (संयुक्त उद्यम) से वसूली योग्य			
– इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर		3.58	3.53
– मेट्रो टनलिंग ग्रुप		0.75	1.76
– इरकॉन – एएफसीओएन जेवी		–	0.42
– छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड		0.65	0.39
– बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		0.02	0.02
– महानदी कोल रेलवे लिमिटेड		3.81	3.35
– झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		0.10	0.08
– एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम		3.08	2.64
(ख) रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य		4.64	4.64
(ग) ग्राहकों से वसूले जाने योग्य दावे		29.68	35.71
(घ) अग्रिम पट्टा किराया		0.12	0.14
(ड.) एससीए के तहत वित्तीय परिसंपत्ति पर वसूली योग्य ब्याज		28.69	30.94
(च) अन्य		3.94	10.23
संदिग्ध माना गया:			
सुरक्षा जमा			
– सरकारी विभाग		0.01	0.01
– अन्य		0.05	0.12
बयाना राशि		0.16	0.16
अनुबंध परिसंपत्ति:			
– ग्राहक के पास पैसे रखना		4.28	4.28
– ग्राहक द्वारा रोका गया पैसा		2.10	2.67
– बिल योग्य राजस्व / प्राप्य देय नहीं		8.69	4.57
इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड से वसूली योग्य।		0.05	0.05
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य		25.81	25.81
ग्राहकों से वसूले जाने योग्य दावे		8.40	7.87
घटाएँ : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति भत्ता		(49.55)	(45.54)
कुल		2,342.21	2,010.65

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

फुटनोट

- (i) (क) इसमें कार्य का मूल्य शामिल है रु. 275.30 करोड़ (31 मार्च 2024 तक: 201.20 करोड़ रुपये) ग्राहक द्वारा प्रमाणित, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि तक बिल नहीं किया गया।
(ख) संबंधित पक्षों से प्राप्तियां शामिल हैं रु. 312.70 करोड़ (31 मार्च 2024 तक: 196.19 करोड़ रुपये) और नोट 37 (ग) 4.2 (क) में उल्लेख किया गया है।
- (ii) निर्माण लागत समूह द्वारा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत बनाए जा रहे राजमार्ग से संबंधित है।
- (iii) संबंधित पक्षों से प्राप्तियां शामिल हैं रु. 47.58 करोड़ (31 मार्च 2024 तक: 58.71 करोड़ रुपये) और नोट: 37 (ग) 4.2 (ख) में उल्लेख किया गया है
- (iv) शामिल रु. 0.32 करोड़ (31 मार्च 2024 : रु. 3.31 करोड़) इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड, एक सहायक कंपनी के संबंध में विभिन्न परियोजनाओं/सांविधिक प्राधिकरणों के विरुद्ध गिरवी रखे गए बीजी के विरुद्ध बैंक में सावधि जमा।
- (v) कंपनी के अधिकारियों, फर्मों, जिनमें कोई निदेशक भागीदार है या निजी कंपनी, जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, को संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों को छोड़कर बकाया ऋण शून्य (31 मार्च 2024 : शून्य रुपये)। इसके अलावा, निदेशक को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याजशून्य (31 मार्च 2024 : शून्य)।

15. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
टीडीएस और अग्रिम कर सहित भुगतान किए गए कर (कर के लिए प्रावधान के बाद)	108.46	72.54
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	108.46	72.54

16. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अच्छा माना जाता है		
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के बदले ठेकेदारों को अग्रिम राशि	139.00	106.01
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम राशि	774.84	1,085.40
अग्रिम राशि निम्नलिखित से वसूली जा सकती है:		
– बिक्री कर (टीडीएस सहित)	320.17	320.23
कम रु विरोध के तहत जमा किया गया	(217.05)	(217.05)
– मूल्य वर्धित कर	68.40	69.52
– वस्तु एवं सेवा कर*	1,164.99	1,123.68
– भवन उपकर	0.81	2.07
– सेवा कर इनपुट क्रेडिट	-	-
सुरक्षा जमा	45.07	45.09
आस्थगित परियोजना संचलन लागत	10.35	12.39
परियोजना निर्माण लागत	29.93	22.63
अर्जित ब्याज:		
– ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास जमा और अग्रिम	62.88	66.42
प्रीपेड खर्च	8.41	26.71
उचित मूल्यांकन समायोजन	0.04	0.03
अन्य	0.01	-
संदिग्ध माना गया :		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम राशि	16.99	16.99
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	30.00	30.00
मूल्य वर्धित कर	9.87	9.87
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए क्षति भत्ता	(56.86)	(56.86)
कुल	2,407.85	2,663.13

*Note: Includes Goods and Services Tax deposited for ₹0.56 Crore (FY 2023-24: Nil) under dispute.

17. बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ	(i) & (ii)	-	-
कुल		-	-

फुटनोट

- (i) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को पुनर्वर्गीकरण के समय उसकी वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर जो राशि कम हो, उसके आधार पर मापा गया। तदनुसार, हानि की हानि शून्य (वित्त वर्ष 2023-24 रु शून्य) का प्रावधान किया गया है।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, उत्तरी क्षेत्र में दो मशीनरी को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय लेखा मानक 105 "बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू संपत्ति" द्वारा बताए गए मानदंड अब पूरे नहीं होते हैं।

18. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
अधिकृत शेयर पूंजी		
200,00,00,000 इक्विटी शेयर 2 रुपये प्रति शेयर		
(31 मार्च 2024 तक 2 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 200,00,00,000 इक्विटी शेयर)	400.00	400.00
	400.00	400.00
जारी/अभिदत्त और चुकता पूंजी		
94,05,15,710 इक्विटी शेयर 2 रुपये प्रति शेयर — पूरी तरह से भुगतान किए गए		
(2 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 94,05,15,710 इक्विटी शेयर — 31 मार्च 2024 तक पूर्ण भुगतान)	188.10	188.10
	188.10	188.10

(क) 5% से अधिक पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	शेयर की संख्या	कक्षा में : होल्डिंग	शेयर की संख्या	कक्षा में : होल्डिंग
भारत के राष्ट्रपति और सरकारी मनोनीत सदस्यों के नाम पर भारत सरकार	61,29,28,392	65.17%	61,29,28,392	65.17%

(ख) बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों, नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए शेयरों और रिपोर्टिंग तिथि से तुरंत पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
	शेयर की संख्या	शेयर की संख्या	शेयर की संख्या	शेयर की संख्या	शेयर की संख्या	शेयर की संख्या
नकदी के अलावा आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयरों के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	47,02,57,870	-	-
इक्विटी शेयर बायबैक	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	47,02,57,870	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए****(ग) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार:****(i) मतदान**

समूह के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य 2 रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ii) परिसमापन

परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद समूह की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

घ) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का मिलान

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपये में	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपये में
वर्ष के प्रारंभ में जारी/अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी बकाया	94,05,15,740	188.10	94,05,15,740	188.10
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी बकाया	94,05,15,740	188.10	94,05,15,740	188.10

घ) प्रमोटरों/प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

क्र. सं.	प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2025 तक प्रमोटर द्वारा धारित शेयर			31 मार्च, 2024 तक प्रमोटर द्वारा धारित शेयर		
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन*	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1.	भारत के राष्ट्रपति और सरकारी मनोनीत सदस्यों के नाम पर भारत सरकार	61,29,28,392	65.17%	0.00%	61,29,28,392	65.17%	8.01%

* वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रमोटर ने होल्डिंग कंपनी में 7,53,73,258 इक्विटी शेयरों की 'बिक्री के लिए प्रस्ताव' के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, जो कंपनी की जारी/सब्सक्राइब और चुकता पूंजी का 8.01% है।

19. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रतिधारित कमाई	2,822.79	2,372.83
सामान्य रिजर्व	3,284.64	3,284.64
पूंजी मोचन रिजर्व	4.93	4.93
अन्य व्यापक आय	25.89	20.42
कुल	6,138.25	5,682.82

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(i) नीचे दिए अनुसार:

(क) प्रतिधारित आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा	2,372.83	1,724.62
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण	727.41	929.57
वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया लाभांश	(122.27)	(112.86)
अंतरिम लाभांश	(155.19)	(169.29)
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन (कर के बाद)	0.04	1.31
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय / (व्यय) का हिस्सा इक्विटी पद्धति (कर पश्चात् निवल) का उपयोग करके हिसाब में लिया गया	(0.01)	(0.01)
शेयर जारी करने का खर्च / अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क का भुगतान	(0.02)	(0.51)
जमा शेष	2,822.79	2,372.83

(ख) सामान्य रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक और समापन शेष	3,284.64	3,284.64

(ग) पूंजी मोचन रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक और समापन शेष	4.93	4.93

(घ) अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा	20.42	9.20
विनिमय हानि को लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया गया	-	13.04
वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा रूपांतरण (कर पश्चात् निवल)	5.47	(1.82)
जमा शेष	25.89	20.42
कुल योग (क+ख+ग+घ)	6,138.25	5,682.82

ii) अन्य रिजर्वों की प्रकृति और उद्देश्य:

(क) प्रतिधारित आय

प्रतिधारित आय समूह के अवितरित लाभ को दर्शाती है।

(ख) सामान्य रिजर्व

सामान्य रिजर्व वैधानिक रिजर्व का प्रतिनिधित्व करता है, यह कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का हिस्सा सामान्य रिजर्व में विभाजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सामान्य रिजर्व में किसी भी राशि का हस्तांतरण समूह के विवेक पर निर्भर करता है।

(ग) पूंजी मोचन रिजर्व

होलडिंग कंपनी ने 26 दिसंबर 2017 को शेयरों की पुनर्खरीद के बाद लाभ से पूंजी मोचन रिजर्व बनाया है।

(घ) अन्य व्यापक आय

अन्य व्यापक आय विदेशी परिचालन के हस्तांतरण पर विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न शेष राशि को दर्शाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए****(iii) लाभांश वितरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
इक्विटी शेयरों पर घोषित/भुगतान किया गया नकद लाभांश:		
वित्त वर्ष 2023-24 का अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान किया जाएगा : 1.30 रुपये प्रति शेयर (वित्त वर्ष 2022-23 का अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान किया जाएगा : 1.20 रुपये प्रति शेयर)	122.27	112.86
2023-24 के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश: 1.65 रुपये प्रति शेयर (वित्त वर्ष 2023-24 : 1.80 रुपये प्रति शेयर)	155.19	169.29
कुल	277.46	282.15

(iv) रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में मान्यता प्राप्त नहीं किए गए लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन:		
31 मार्च 2025 के लिए लाभांश रु 1.00 रुपये प्रति शेयर (31 मार्च 2024 : 1.30 रुपये प्रति शेयर)	94.05	122.27
कुल	94.05	122.27

19 क. गैर-नियंत्रक हित

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा	35.18	13.13
इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा	-	-
डीमड इक्विटी का हिस्सा (ब्याज मुक्त ऋण)	-	22.11
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) का हिस्सा	0.42	(0.06)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय का हिस्सा	-	-
जमा शेष	35.60	35.18

20. गैर-चालू देयताएँ – गैर-चालू वित्तीय देयताएँ**20.1 गैर-चालू वित्तीय देयताएँ – ऋण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
सुरक्षित:		
बैंकों से सावधि ऋण:		
पंजाब नेशनल बैंक से ऋण [नीचे फुट नोट (क) देखें]	252.12	275.04
बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण [नीचे फुट नोट (क) देखें]	1,582.64	1,033.79
इंडियन ओवरसीज बैंक से ऋण [नीचे फुट नोट (क) देखें]	196.51	196.51
भारतीय स्टेट बैंक से ऋण [नीचे फुट नोट (क) देखें]	648.93	580.13
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ऋण [नीचे फुट नोट (क) देखें]	579.82	125.04
ऋण पत्र समर्थित बिल डिस्काउंटिंग:		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से [नीचे फुट नोट (ख) देखें]	665.62	246.17
असुरक्षित:		
डिबेंचर:		
14: वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर रु 10 रुपये प्रति डिबेंचर के 20,90,00,000 (31 मार्च 2024 : शून्य) [नीचे फुट नोट (ग) देखें]	209.00	-
कुल	4,134.64	2,456.68

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

फुट नोट :

क) पुनर्भुगतान शर्तों, ब्याज दर और सुरक्षा प्रकटीकरण का विवरण:

बैंकों से सुरक्षित उधार:

पंजाब नेशनल बैंक से ऋण (इरकॉन दावणगरे हाईवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृति :- 502.76 करोड़ रुपये

1) नियम और शर्तें

- (i) ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज दर 1 महीने की एमसीएलआर 0.30: होगी जो समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है। वर्तमान में, लागू ब्याज दर 8.80: प्रति वर्ष है।
- (ii) पुनर्भुगतान अवधि 10 वर्ष और 6 महीने होगी (24.04.2021 से शुरू होकर 24.07.2031 को अंतिम किस्त)।
- (iii) सावधि ऋण का भुगतान 24 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 42 त्रैमासिक किस्तों में किया जाएगा।
- (iv) ब्याज का भुगतान देय होने पर किया जाएगा।
- (v) सावधि ऋण, एनएचएआई से प्रथम वार्षिकी प्राप्त होने तक या सीओडी प्लस 180 दिन, जो भी बाद में हो, तक होल्डिंग कंपनी (केयर एएए रेटेड) की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा समर्थित होगा।

2) सुरक्षा का विवरण:

- (क) सहायक कंपनी की सभी अचल परिसंपत्तियों (परियोजना परिसंपत्तियों के अलावा) परिसंचालन चरण में कंपनी के मुक्त प्रवाह से अधिग्रहित परिसंपत्तियों को छोड़कर) के बंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार और समय-समय पर ऋणदाता को सूचित किया जाना।
 - (ख) परियोजना के बही ऋणों पर प्रथम प्रभार, परिसंचालन नकदी प्रवाह, प्राप्य, कमीशन, किसी भी प्रकृति का राजस्व और जहां भी उत्पन्न हो, वर्तमान और भविष्य की अमूर्त संपत्तियां, सद्भावना और अप्रयुक्त पूंजी (वर्तमान और भविष्य)।
 - (ग) परियोजना के बैंक खाते पर प्रथम प्रभार, जिसमें निर्दिष्ट बैंक में खोला गया एस्करो खाता भी शामिल है परंतु उस तक सीमित नहीं है, जहां परियोजना से प्राप्त समस्त नकदी जमा की जाएगी तथा प्राप्तियों का उपयोग ऋणदाता और निवेशकों द्वारा तय किए जाने वाले तरीके और प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा।
 - (घ) परियोजना से संबंधित सभी समझौते के तहत समूह के सभी अधिकारों और हितों का हस्तांतरण, ऋण पत्र (यदि कोई हो), तथा उधारकर्ता के पक्ष में परियोजना से संबंधित किसी भी अनुबंध के लिए किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान की गई गारंटी और प्रदर्शन बांड।
 - (ङ) सुविधा के लिए ऋणदाता की ओर से प्राधिकारी द्वारा निष्पादित प्रतिस्थापन समझौता।
 - (च) सभी लागू बीमा पॉलिसियों का असाइनमेंट।
- 3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
- 4) स्वीकृत शर्तों के अनुसार सहायक कंपनी को कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
- 5) सहायक कंपनी ने बैंकों से लिए गए उधार का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उसे लिया गया था।

बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृति रु. 724.12 करोड़ रुपये

1) नियम और शर्तें

- (i) ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर को दिनांक 27.09.2023 से बैंक ऑफ बड़ौदा के 1 माह के एमसीएलआर (रणनीतिक प्रीमियम के बिना) से संशोधित कर बैंक ऑफ बड़ौदा के एक दिन के एमसीएलआर (रणनीतिक प्रीमियम के बिना) प्लस 0.09% कर दिया गया है। वर्तमान में 31.03.2025 तक मासिक ब्याज पर 8.24% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है।
- (ii) सीओडी की तिथि से 7 महीने की मोहलत। सहायक कंपनी ने अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र यानी अनंतिम सीओडी प्राप्त कर लिया है। सहायक कंपनी के अनुसंधान पर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 01.11.2022 को पुनर्भुगतान अनुसूची में क्रमिक बदलाव किया। अगली पुनर्भुगतान अनुसूची 28.03.2024 से शुरू हुई है और अंतिम किस्त 28.03.2033 को।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

- (iii) सावधि ऋण का भुगतान 34.48 करोड़ रुपये प्रति किस्त की 21 अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाएगा।
- (iv) ब्याज का भुगतान डेबिट होने पर किया जाएगा।
- (v) प्रमोटर अर्थात् होल्डिंग कंपनी (एए रेटेड) की कॉर्पोरेट गारंटी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिनांक 25.05.2023 के अनापत्ति पत्र के माध्यम से जारी कर दी गई है।

2) सुरक्षा का विवरण:

- (क) ऋणदाता/सुरक्षा एजेंट के पक्ष में ऋणदाताओं के लाभ के लिए ऋणदाता को संतोषजनक रूप में उधारकर्ता की सभी अचल संपत्तियों, यदि कोई हो, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर, के लिए प्रथम बंधक और प्रभारय उधारकर्ता की सभी चल संपत्तियों, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर, के लिए ऋणदाता/सुरक्षा एजेंट के पक्ष में ऋणदाता के लाभ के लिए प्रथम प्रभार।
- (ख) उधारकर्ता की सभी मूर्त चल परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन, अन्य सभी चल परिसंपत्तियां और वर्तमान और भविष्य की चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर।
- (ग) सभी बैंक खातों पर प्रथम प्रभार, जिसमें किसी नामित बैंक में खोले गए एस्करो खाते और सहायक कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने वाले डीएसआरए शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किए जाएंगे, और उप खाता (या इसके स्थान पर कोई खाता) जो इस समझौते और पूरक एस्करो समझौते या किसी अन्य परियोजना समझौते के अनुसार खोला जा सकता है, बशर्ते ऐसा पहला प्रभार केवल एस्करो समझौते और रियायत समझौते के तहत निर्धारित प्राथमिकताओं के वाटरफॉल के अनुसार अनुमत सीमा तक ही होगा।
- (घ) परियोजना से उधारकर्ता के सभी राजस्व और प्राप्तियों पर पहला प्रभार या अन्यथा, परियोजना के बही ऋण, परिचालन नकदी प्रवाह, कमीशन या किसी भी प्रकृति के राजस्व, ऐसे राजस्व और प्राप्तियों को एस्करो खाते में जमा किए जाने के बाद। बशर्ते कि यहाँ उल्लिखित ऐसा प्रभार केवल तभी उत्पन्न होगा जब किसी भी ऐसे राजस्व और प्राप्तियों पर आय औरध्या वसूली एस्करो खाते में जमा हो जाती है और उसके बाद एस्करो समझौते और रियायत समझौते के तहत वाटरफॉल प्राथमिकताओं के अनुसार अनुमत सीमा तक ही इसका उपयोग किया जाएगा।
- (ङ) ठेकेदार गारंटी, परिसमाप्त क्षति, ऋण पत्र, गारंटी या प्रदर्शन बांड का असाइनमेंट जो किसी भी परियोजना समझौते या अनुबंध के तहत किसी भी काउंटर पार्टी द्वारा सहायक कंपनी और बीमा पॉलिसियों आदि के पक्ष में प्रदान किया जा सकता है।
- (च) परियोजना से संबंधित सभी अनुबंधों, बीमाओं, लाइसेंसों से लेकर सभी परियोजना समझौतों (रियायती समझौते सहित) के अंतर्गत उधारकर्ताओं के सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों पर ऋणदाताओं के पक्ष में असाइनमेंट/समझौते के माध्यम से पहला प्रभार, जिसमें उधारकर्ता पक्ष है, जिसमें ठेकेदार गारंटी, परिसमाप्त क्षति, ऋण पत्र, प्रदर्शन बांड, गारंटी और परियोजना से संबंधित अन्य सभी अनुबंध शामिल हैं, बशर्ते कि ऐसा प्रभार प्रतिस्थापन समझौते के तहत प्रदान की गई सीमा तक सीमित होगा और उत्पन्न होगा।
- (छ) परियोजना दस्तावेजों के किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए किसी भी साख पत्र, प्रदर्शन बांड, गारंटी में कंपनी के सभी अधिकारों, शीर्षक, हितों, लाभों, दावों, अप्रयुक्त पूंजी और मांगों के उधारदाताओं के पक्ष में रियायत समझौते के तहत कंपनी के अधिकारों पर पहला प्रभार असाइनमेंट / सुरक्षा हित।
- (ज) उधारकर्ता की अमूर्त परिसंपत्तियों पर पहला प्रभार, लेकिन परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर वर्तमान और भविष्य की सद्भावना तक सीमित नहीं। बशर्ते कि उससे प्राप्त होने वाली कोई भी वसूली एस्करो खाते में जमा की जाएगी और पूर्वोक्त प्रभार रियायत समझौते और एस्करो समझौते की जलग्रहण प्राथमिकताओं के तहत स्वीकार्य सीमा तक सीमित होंगे।
- (i) सभी लागू बीमा पॉलिसियों का असाइनमेंट

3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

4) स्वीकृत शर्तों के अनुसार सहायक कंपनी को कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

5) सहायक कंपनी ने बैंकों से लिए गए उधार का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उसे लिया गया था।

बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (इरकॉन अकलोल्ली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृति : 686.37 करोड़ रुपये

सहायक कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 686.37 करोड़ रुपये की राशि के

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

लिए सावधि ऋण समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 200.00 करोड़ रुपये (31 मार्च 2024: 125 करोड़ रुपये) का वितरण प्राप्त हुआ है। नियम और शर्तें तथा सुरक्षा का विवरण इस प्रकार है।

1) नियम एवं शर्तें:

- (i) ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज दर ओवरनाइट एमसीएलआर होगी, बिना स्ट्रेटेजिक प्रीमियम 0.09% मासिक शेष के साथ। वर्तमान में, लागू ब्याज दर 8.24% प्रति वर्ष है।
- (ii) पीसीओडी/सीओडी की तारीख से 6 महीने का स्थगन।
- (iii) सावधि ऋण 26 संरचित अर्ध-वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा, जो 6 महीने की समाप्ति (स्थगन) के बाद शुरू होगा जिसमें सीओडी 6 पीसीओडी प्राप्त होता है।
- (iv) ब्याज का भुगतान डेबिट होने पर किया जाएगा। एमसीएलआर/स्प्रेड में परिवर्तन होने पर उसे पुनः निर्धारित किया जाएगा।
- (v) होल्डिंग कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी (एएए रेटेड) एनएचआई से प्रथम वार्षिकी की प्राप्ति या सीओडी, 180 दिन, जो भी बाद में हो, तक उपलब्ध होगी।

2) सुरक्षा का विवरण:

यह सुविधा, सभी ब्याज, शुल्क, कमीशन और अन्य धनराशियों सहित, जो भी निर्धारित हो और ऋणदाता को देय हो, रियायत समझौते के तहत अनुमत सीमा तक निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित की जाएगी:

- (क) उधारकर्ता की सभी अचल संपत्तियों (यदि कोई हो) पर पहला बंधक और भार, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर
 - (ख) उधारकर्ता की सभी मूर्त चल परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन और अन्य सभी चल परिसंपत्तियां, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर शामिल हैं:
 - (ग) ऋणी के सभी खातों पर प्रथम प्रभार, जिसमें एस्करो खाता और उप-खाते (या इसके स्थान पर कोई खाता) शामिल हैं, जो रियायत करार, सुविधा करार, एस्करो करार और पूरक एस्करो करार या किसी अन्य परियोजना दस्तावेज के अनुसार खोले जा सकते हैं और उनमें समय-समय पर जमा की गई सभी निधियां, प्राप्य राशियां और अन्य प्रतिभूतियां, बशर्ते कि उन्हें रियायत करार और एस्करो करार में निर्दिष्ट भुगतानों की प्राथमिकता के जलप्रपात की सीमा तक लागू किया जाए और उससे आगे नहीं और प्राप्य राशियों पर समस्त प्रभार वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया जाएगा कि प्राप्य राशियां एस्करो खाते में जमा की जाएं, ताकि उन्हें रियायत करार और एस्करो करार में निर्दिष्ट भुगतानों की प्राथमिकता के जलप्रपात की सीमा तक लागू किया जा सके और उससे आगे नहीं।
 - (घ) उधारकर्ता की सभी अमूर्त परिसंपत्तियों पर पहला प्रभार, जिसमें सद्भावना, अधिकार, उपक्रम और वर्तमान और भविष्य की अप्रयुक्त पूंजी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है (परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर) (बशर्ते कि इनमें से किसी के कारण प्राप्त सभी राशि एस्करो खाते में जमा की जाएगी और उस पर प्रभार रियायत समझौते और एस्करो समझौते में निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार स्वीकार्य सीमा तक लागू होंगे)। इसके अलावा, अप्रयुक्त पूंजी पर प्रभार, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, रियायत समझौते के प्रावधानों के अधीन होगा।
 - (ई) निम्नलिखित में सुरक्षा के रूप में प्रथम प्रभार या समनुदेशन:
 - परियोजना दस्तावेजों में, उनके प्रति तथा उनके अंतर्गत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें।
 - सभी अनुमोदनों में, उनके लिए और उनके अंतर्गत उधारकर्ता के अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें।
 - परियोजना दस्तावेजों के किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए किसी भी साख पत्र, ठेकेदार गारंटी और परिसमाप्त क्षति और प्रदर्शन बांड सहित ऋणी के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें तथा
 - सभी बीमा अनुबंधों में और उनके अंतर्गत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें।
 - (च) डीएसआरए: 3 महीने के ब्याज और एक मूल किस्त के लिए डीएसआरए।
 - (छ) संपूर्ण प्रतिभूति (एस्करो और प्रतिस्थापन समझौते के निष्पादन सहित) संवितरण से पहले बनाई जाएगी और संवितरण से पहले पूर्ण की जाएगी।
- 3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
 - 4) स्वीकृत शर्तों के अनुसार सहायक कंपनी को कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
 - 5) सहायक कंपनी ने बैंकों से लिए गए उधार का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उसे लिया गया था।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

इंडियन ओवरसीज बैंक से ऋण (इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृत राशि:— इंडियन ओवरसीज बैंक से 12.05.2021 को प्राप्त स्वीकृति पत्र के अनुसार परियोजना के लिए स्वीकृत सीमा 309.68 करोड़ रुपये थीय लेकिन स्वीकृत राशि में से 196.51 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में कोई संवितरण प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा, सहायक कंपनी ने ऋण स्वीकृति के तहत और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार के साथ अपनी परिसंपत्तियों पर प्रभार पंजीकृत कराया है।

1) नियम और शर्तें

- ऋण 10.5 वर्षों में 21 संरचित अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो कमीशनिंग (सीओडी) की तारीख से 6 महीने (स्थगन) के बाद शुरू होगा।
- ब्याज दर एक माह के एमसीएलआर (8.50%) 0.15% स्प्रेड पर होगी अर्थात् 8.65% प्रति वर्ष, जो एमसीएलआर के आधार पर परिवर्तन के अधीन होगी।

2) सुरक्षा का विवरण:

- 1) टर्म लोन, होल्डिंग कंपनी की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा समर्थित है। 2) लोन को आगे निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित किया जाता है: क) कंपनी की सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/चल संपत्तियों के दृष्टिबंधक के माध्यम से अनन्य प्रभार ख) परियोजना के बही ऋण, परिचालन नकदी प्रवाह, प्राप्य, कमीशन, किसी भी प्रकृति के राजस्व और जहां भी उत्पन्न होते हैं, वर्तमान और भविष्य की अमूर्त संपत्ति, सद्भावना, अप्रयुक्त पूंजी (वर्तमान और भविष्य) पर अनन्य प्रभार ग) परियोजनाओं के बैंक खाते पर अनन्य प्रभार, जिसमें एस्क्रो खाता शामिल है परंतु उस तक सीमित नहीं है, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किए जाएंगे और सभी आय का उपयोग बैंक/निवेशकों द्वारा तय किए जाने वाले तरीके और प्राथमिकता में किया जाएगा घ) परियोजना से संबंधित सभी समझौतों के तहत सहायक कंपनी के सभी अधिकारों और हितों का असाइनमेंट, ऋण पत्र (यदि कोई हो), और ऋणदाता के पक्ष में परियोजना से संबंधित किसी भी अनुबंध के लिए किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान की गई गारंटी और प्रदर्शन बांड।
- 3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
- 4) स्वीकृत शर्तों के अनुसार सहायक कंपनी को कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
- 5) सहायक कंपनी ने बैंकों से लिए गए उधार का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उन्हें लिया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में, सहायक कंपनी ने 80 करोड़ रुपये का ऋण लिया है, जिसमें से 79 करोड़ रुपये अस्थायी रूप से एफडीआर में रखे गए हैं और इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग के लिए अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाए गए हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृति:— 570.82 करोड़ रुपये

बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने 570.82 करोड़ रुपये का सावधि ऋण मंजूर किया है। वित्त वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24: 197.00 करोड़ रुपये) के दौरान 247.15 करोड़ रुपये का सावधि ऋण वितरित किया गया।

1) नियम एवं शर्तें

- ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर एमसीएलआर प्लस 0.09% का प्रसार होगी, जिसमें मासिक शेष राशि होगी। वर्तमान में, लागू ब्याज दर 8.24% प्रति वर्ष है।
- पीसीओडी/सीओडी की तारीख से 6 महीने का स्थगन।
- सावधि ऋण 26 संरचित अर्ध-वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा, जिसमें पहला पुनर्भुगतान एससीओडी या सीओडी से 6 महीने के अंत से शुरू होगा, जो भी पहले हो।
- ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर कैलेंडर माह की अंतिम तिथि को किया जाएगा।
- प्रमोटर अर्थात् होल्डिंग कंपनी (एएए रेटेड) की कॉर्पोरेट गारंटी एनएचएआई से प्रथम वार्षिकी की प्राप्ति या सीओडी 180 दिन, जो भी बाद में हो, तक उपलब्ध होगी।

2) सुरक्षा का विवरण:

सुविधा के साथ-साथ सभी ब्याज शुल्क, कमीशन और अन्य धनराशियां जो भी निर्धारित की गई हों और ऋणदाता को देय हों, रियायत समझौते

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

के तहत अनुमत सीमा तक निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित की जाएंगी:

- (क) परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर, उधारकर्ता की सभी अचल संपत्तियों (यदि कोई हो) पर, वर्तमान और भविष्य दोनों पर प्रथम बंधक और भार।
- (ख) उधारकर्ता की सभी मूर्त चल परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन और अन्य सभी चल परिसंपत्तियां, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर शामिल हैं।
- (ग) एस्करो खाते और उप-खातों (या इसके स्थान पर किसी भी खाते) सहित उधारकर्ता के सभी खातों पर पहला प्रभार, जो रियायत समझौते, सुविधा समझौते, एस्करो समझौते और पूरक एस्करो समझौते, या किसी भी अन्य परियोजना दस्तावेजों के अनुसार खोला जा सकता है और समय-समय पर उनमें जमा सभी निधियां, प्राप्य और या अन्य प्रतिभूतियां, बशर्ते कि।
 - इसे रियायत समझौते और एस्करो समझौते में निर्दिष्ट भुगतान की प्राथमिकता के झरने की सीमा तक लागू किया जाएगा, उससे आगे नहीं; तथा
 - प्राप्य राशियों पर समस्त प्रभार वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा लागू किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्य राशियों को एस्करो खाते में जमा किया जाए, ताकि उन्हें रियायत समझौते और एस्करो समझौते में निर्दिष्ट भुगतानों की प्राथमिकता के झरने की सीमा तक लागू किया जा सके, उससे आगे नहीं।
- (घ) ऋणी की सभी अमूर्त परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार, जिसमें परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर सद्भावना, अधिकार, उपक्रम और वर्तमान और भविष्य की अप्रयुक्त पूंजी शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है (बशर्ते कि इनमें से किसी के कारण प्राप्त सभी राशियाँ एस्करो खाते में जमा की जाएंगी और उस पर प्रभार रियायत समझौते और एस्करो समझौते में निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार स्वीकार्य सीमा तक लागू होंगे)। इसके अलावा, अप्रयुक्त पूंजी पर प्रभार, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, रियायत समझौते के प्रावधानों के अधीन होगा।
- (ई) सुरक्षा के माध्यम से पहला प्रभार या असाइनमेंट
 - परियोजना दस्तावेजों में, उनके प्रति तथा उनके अंतर्गत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें।
 - सभी अनुमोदनों में और उनके अंतर्गत उधारकर्ता के अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगे।
 - परियोजना दस्तावेजों में किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए किसी भी साख पत्र, ठेकेदार गारंटी और परिसमाप्त क्षति और प्रदर्शन बांड सहित गारंटियों में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें और
 - सभी बीमा संपर्कों में, उनके लिए और उनके अंतर्गत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें:
- 3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
- 4) स्वीकृत शर्तों के अनुसार सहायक कंपनी को कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
- 5) सहायक कंपनी ने बैंकों से लिए गए उधार का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उसे लिया गया था।

बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (इस्कॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृति:— 823.39 करोड़ रुपये

सहायक कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के साथ परियोजना के वित्तपोषण के लिए 823.39 करोड़ रुपये की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान, 181.98 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023–24: 129.37 करोड़ रुपये) का वितरण प्राप्त हुआ है। नियम और शर्तें तथा सुरक्षा का विवरण इस प्रकार है:

नियम और शर्तें:-

- (i) ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज दर ओवरनाइट एमसीएलआर 0.09% प्रति वर्ष होगी। पहली संवितरण तिथि पर एमसीएलआर लागू होगी। जब भी डेबिट किया जाएगा, ब्याज का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में, लागू ब्याज दर 8.24% प्रति वर्ष है।
- (ii) सावधि ऋण 26 संरचित अर्ध-वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा, जो 6 महीने की समाप्ति (स्थगन) के बाद शुरू होगा जिसमें सीओडीध्वसीओडी प्राप्त होता है।
- (iii) ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर कैलेंडर माह की अंतिम तिथि को किया जाएगा।
- (iv) प्रमोटर अर्थात होल्डिंग कंपनी (एए रेटेड) की कॉर्पोरेट गारंटी एनएचआई से प्रथम वार्षिकी की प्राप्ति या सीओडी + 180 दिन, जो भी बाद

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

में हो, तक उपलब्ध होगी।

2) सुरक्षा का विवरण

प्रस्तावित परियोजना के लिए ऋण सुविधाएं, उससे संबंधित सभी ब्याज, शुल्क, कमीशन और अन्य धनराशियां रियायत समझौते के तहत अनुमत सीमा तक निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित की जाएंगी:

- क) उधारकर्ता की सभी चल संपत्तियों (यदि कोई हो) पर प्रथम बंधक एवं भार, वर्तमान एवं भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर:
- ख) उधारकर्ता की सभी मूर्त चल परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन और अन्य सभी चल परिसंपत्तियां, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर शामिल हैं:
- ग) ऋणी के सभी खातों पर प्रथम प्रभार, जिसमें एस्करो खाता और उप-खाते (या उनके स्थान पर कोई खाता) शामिल हैं, जो रियायत करार, सुविधा करार, एस्करो करार और पूरक एस्करो करार या किसी अन्य परियोजना दस्तावेज के अनुसार खोले जा सकते हैं और उनमें समय-समय पर जमा सभी निधियां, प्राप्य राशियां और अन्य प्रतिभूतियां, बशर्ते कि – इन्हें रियायत करार और एस्करो करार में विनिर्दिष्ट भुगतानों की प्राथमिकता के झरना की सीमा तक लागू किया जाए और उससे आगे नहीं; और – प्राप्य राशियों पर समस्त प्रभार वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया जा सकेगा कि प्राप्य राशियां एस्करो खाते में जमा की जाएं, ताकि इन्हें रियायत करार और एस्करो करार में विनिर्दिष्ट भुगतानों की प्राथमिकता के झरना की सीमा तक लागू किया जा सके और उससे आगे नहीं।

ऋणी की सभी अमूर्त संपत्तियों पर प्रथम प्रभार, जिसमें परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर वर्तमान और भविष्य की सद्भावना, अधिकार, उपक्रम और अप्रयुक्त पूंजी शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है (बशर्ते कि इनमें से किसी के खाते में प्राप्त सभी राशियां एस्करो खाते में जमा की जाएंगी और उस पर प्रभार रियायत समझौते और एस्करो समझौते में निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार स्वीकार्य सीमा के अधीन होंगे)।

- ई) सुरक्षा के रूप में पहला प्रभार/असाइनमेंट – उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें जो भी हों और परियोजना दस्तावेजरू – उधारकर्ता के अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें जो भी हों और सभी अनुमोदनों के तहत – उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें जो भी हों और किसी भी क्रेडिट गारंटी के तहत जिसमें ठेकेदार गारंटी और परिसमाप्त क्षति और परियोजना दस्तावेजों के किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किया गया प्रदर्शन बांड शामिल है और – उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें जो भी हों और सभी बीमा अनुबंधों के तहत।

- 3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
- 4) स्वीकृत शर्तों के अनुसार सहायक कंपनी को कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
- 5) सहायक कंपनी ने बैंकों से लिए गए उधार का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उसे लिया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक से ऋण (इस्कॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड से संबंधित)

मंजूरी:— 501 करोड़ रुपये

सहायक कंपनी ने परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ 501 करोड़ रुपये की राशि का सावधि ऋण समझौता किया है। नियम और शर्तें तथा सुरक्षा का विवरण इस प्रकार है:

1) नियम और शर्तें

- (i) सावधि ऋण का भुगतान ऋण समझौते में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार त्रैमासिक किस्तों में 30.09.2033 तक 11.5 वर्षों में किया जाएगा।
- (ii) लागू ब्याज दर एसबीआई 3 महीने एमसीएलआर की आधार दर प्लस 0.25% का प्रसार है जो 28.03.2022 से प्रभावी है।
- (iii) सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष में प्रमोटर द्वारा बिना शर्त कॉर्पोरेट गारंटी और प्रमोटर की ओर से एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त वचनबद्धता, ऋण में किसी भी कमी और 17.02.2022 के ऋण समझौते में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए

2) सुरक्षा का विवरण:

ऋण समझौते के खंड 12 के अनुसार, विस्तारित ऋण के लिए प्रतिभूतियों का संक्षेप में उल्लेख इस प्रकार है:

- (क) परियोजना से संबंधित उधारकर्ता की सभी मूर्त चल संपत्तियों पर पहला भार;
- (ख) एस्करो खातों और उप-खातों (या इसके प्रतिस्थापन में कोई खाता) या इस समझौते के अनुसार खोले जा सकने वाले किसी भी अन्य बैंक खाते सहित परियोजना से संबंधित उधारकर्ता के सभी खातों पर पहला भार;

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

- (ग) परियोजना से संबंधित सभी अमूर्त संपत्तियों पर पहला भार जिसमें सद्भावना, अधिकार, उपक्रम और वर्तमान और भविष्य की अप्रयुक्त पूंजी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
- (घ) निम्नलिखित में सुरक्षा के रूप में असाइनमेंट/प्रभार, वर्तमान और भविष्य दोनों:
- (i) परियोजना दस्तावेजों में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें;
- (ii) सभी मंजूरी में,
- (iii) परियोजना दस्तावेजों के अनुसरण में उधारकर्ता को किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए किसी भी साख पत्र, गारंटी जिसमें ठेकेदार गारंटी और परिसमाप्त क्षति और प्रदर्शन बांड शामिल हैं, में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें, (iv) परियोजना से संबंधित सभी बीमा अनुबंधों के तहत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें;
- 3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
- 4) स्वीकृत शर्तों के अनुसार सहायक कंपनी को कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
- 5) सहायक कंपनी ने बैंकों से लिए गए उधार का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उसे लिया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से ऋण (इस्कॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृति:— 447.61 करोड़ रुपये

एसबीआई ने 447.61 करोड़ रुपये के रुपया टर्म लोन की उप-सीमा के रूप में 94.71 करोड़ रुपये की मोबिलाइजेशन एडवांस बैंक गारंटी सहित 447.61 करोड़ रुपये का रुपया टर्म लोन स्वीकृत किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एसबीआई ने 104.01 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24: 112.97 करोड़ रुपये) का टर्म लोन वितरित किया है। नियम और शर्तें तथा सुरक्षा का विवरण इस प्रकार है:

1) नियम एवं शर्तें:

- (i) ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर 3एम एमसीएलआर प्लस 0.00: का प्रसार होगी, जिसमें मासिक शेष राशि होगी। वर्तमान में, लागू ब्याज दर 8.55% प्रति वर्ष है।
- (ii) एससीओडीसीओडी की तारीख से 6 महीने का स्थगन, जो भी पहले हो
- (iii) सावधि ऋण 24 संरचित अर्ध-वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा, जिसमें पहला पुनर्भुगतान एससीओडी या सीओडी से 12 महीने के अंत में शुरू होगा, जो भी पहले हो।
- (iv) ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर कैलेंडर माह की अंतिम तिथि को किया जाएगा।

2) सुरक्षा का विवरण:

प्रस्तावित परियोजना के लिए ऋण सुविधाएं, उससे संबंधित सभी ब्याज, शुल्क, कमीशन और अन्य धनराशियां रियायत समझौते के तहत अनुमत सीमा तक निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित की जाएंगी:

- क) उधारकर्ता की सभी चल संपत्तियों (परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर प्रथम प्रभार, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन और अन्य सभी चल संपत्तियां, मशीनरी पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, वर्तमान और भविष्य दोनों शामिल हैं।
- ख) एस्करो खाते में पड़ी सभी धनराशियों का प्रथम दृष्टिबंधकप्रभार और समनुदेशन, जिसमें परियोजना में सभी निवेश और परियोजना के सभी राजस्व, प्राप्य, प्राप्त होने वाली कमी, नकदी और बीमा आय जमा की जानी है, बशर्ते कि एस्करो खाते पर ऐसा प्रभार केवल रियायत समझौते और एस्करो समझौते में निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार स्वीकार्य सीमा तक ही होगा।
- ग) उधारकर्ता के सभी बैंक खातों पर प्रथम प्रभार, जिसमें बिना किसी सीमा के एस्करो खाता, ऋण सेवा आरक्षित खाता और उधारकर्ता द्वारा किसी परियोजना दस्तावेज या अनुबंध के तहत बनाए जाने वाले प्रत्येक अन्य खाते शामिल हैं, बशर्ते कि प्रभार केवल एस्करो समझौते में दिए गए प्राथमिकताओं के वाटरफॉल की सीमा तक ही होगा।
- घ) ऋणी की सभी अमूर्त संपत्तियों (परियोजना परिसंपत्तियों के अलावा) पर प्रथम प्रभार, जिसमें सद्भावना, अप्रयुक्त पूंजी और बौद्धिक संपदा अधिकार, वर्तमान और भविष्य दोनों शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- ड.) ऋणी के सभी अधिकारों, शीर्षक, हितों, लाभों, दावों और मांगों का वर्तमान और भविष्य दोनों में प्रथम प्रभारअसाइनमेंटरू – रियायत समझौते और अन्य परियोजना दस्तावेज और मंजूरी, — ऋण पत्र, गारंटी (ठेकेदार गारंटी सहित) और परियोजना दस्तावेजों के तहत किसी भी

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

परियोजना भागीदार द्वारा प्रदान की गई परिसमाप्त क्षति (संविदात्मक क्षति सहित) और प्रदर्शन बांडय और — सभी बीमा अनुबंध।

- च) प्रमोटर के अंशदान के भाग के रूप में लगाए गए असुरक्षित ऋणों पर प्रभार।
- छ) प्रमोटर अर्थात् होल्डिंग कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी प्रथम वार्षिकी की प्राप्ति तक या सीओडी से 180 दिन तक, जो भी बाद में हो, उपलब्ध रहेगी।
- ज) परियोजना दस्तावेजों के असाइनमेंट जैसी सुरक्षा को प्रथम संवितरण से पहले सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष में बनाया और पूर्ण किया जाएगा।
- 3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
- 4) स्वीकृत शर्तों के अनुसार सहायक कंपनी को कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
- 5) सहायक कंपनी ने बैंकों से लिए गए उधार का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उसे लिया गया था।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ऋण (इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड से संबंधित)

प्रतिबंध रुइरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना) के अंतर्गत भारत में 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं (किश्त-III) स्थापित करने के उद्देश्य से 2,496.70 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ऋण समझौता किया है, जिसमें 2,078.20 करोड़ रुपये का सावधि ऋण, 18.46 करोड़ रुपये का नकद ऋण, 213.00 करोड़ रुपये की निष्पादन बैंक गारंटी और 187.04 करोड़ रुपये की अग्रिम अनुबंध सीमा शामिल है।

1) नियम एवं शर्तों का विवरण:

- i) ब्याज शर्तलागू ब्याज दर सावधि ऋण पर 6 महीने की एमसीएलआर है जो संवितरण की तारीख से प्रभावी है और हर 6 महीने में पुनर्निर्धारित होती है और 1 वर्ष की एमसीएलआर, प्रदर्शन बैंक गारंटी के आधार पर नकद ऋण पर 0.05% जीएसटी की दर से ब्याज लगता है।
- ii) पुनर्भुगतान की शर्तें सावधि ऋण का पुनर्भुगतान 30.09.2026 से शुरू होकर 30.09.2045 को समाप्त होने वाली 77 संरचित त्रैमासिक किस्तों में किया जाएगा, जैसा कि ऋण समझौते में उल्लेख किया गया है।

2) सुरक्षा का विवरण:

ऋण समझौते के अनुसार, ऋण के लिए प्रतिभूतियों का संक्षेप में उल्लेख निम्नानुसार है:

- (क) परियोजना से संबंधित संपूर्ण अचल संपत्तियों पर उधारकर्ता के फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड अधिकार पर बंधक के रूप में प्रथम प्रभार
- (ख) उधारकर्ता की वर्तमान और भविष्य की समस्त चल संपत्तियों, जिनमें चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन, कच्चा माल, व्यापार में स्टॉक, इन्वेंटरी और किसी भी प्रकृति की अन्य सभी चल संपत्तियां शामिल हैं, के दृष्टिबंधक के रूप में प्रथम प्रभार;
- (ग) उधारकर्ता के सम्पूर्ण नकदी प्रवाह, प्राप्य, बही ऋण और राजस्व पर प्रथम प्रभार, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो और जहां भी उत्पन्न हो, वर्तमान और भविष्य दोनों में;
- (घ) उधारकर्ता की संपूर्ण अमूर्त परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार, जिसमें सद्भावना और अप्रयुक्त पूंजी, बौद्धिक संपदा, वर्तमान और भविष्य दोनों शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है;
- (ई) जैसा भी मामला हो, दृष्टिबंधक के माध्यम से पहला प्रभार
- (i) परियोजना दस्तावेजों में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें (सीटीयूआईएल के साथ ट्रांसमिशन समझौतों पर प्रभार को छोड़कर, जिसके लिए सीटीयूआईएल से सहमति प्रदान नहीं की जाएगी), सभी समय-समय पर संशोधित, भिन्न या पूरक के रूप में;
- (ii) लागू कानून के अधीन, मंजूरी में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें, और
- (iii) परियोजना दस्तावेजों में किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए किसी भी ऋण पत्र, गारंटी, प्रदर्शन, बांड, बैंक गारंटी में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें;
- (iv) सभी बीमा अनुबंधों के तहत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें;
- (p) ट्रस्ट और प्रतिधारण खातों (टीआरए), ऋण सेवा रिजर्व और किसी भी अन्य रिजर्व और परियोजना के अन्य बैंक खातों पर प्रथम प्रभार, जहां कहीं भी वितरण उप-खाते को छोड़कर बनाए रखा गया हो।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

- (N) प्रमोटर/प्रायोजक द्वारा उधारकर्ता को दिए गए असुरक्षित ऋणधूप-ऋण के तहत प्रमोटर द्वारा उधारकर्ता से प्राप्त होने वाली सभी धनराशियों पर पहला प्रभार, जो प्रमोटर के योगदान के लिए लाया गया हो।
- 3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
- 4) सहायक कंपनी ने बैंकों से लिए गए उधार का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उसे लिया गया था।
- 5) स्वीकृत शर्तों के अनुसार सहायक कंपनी को कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

बी) लेटर ऑफ़ क्रेडिट समर्थित बिल डिस्काउंटिंग (एलसीबीडी) (इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड से संबंधित)

चालू वर्ष के दौरान, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने ईपीसी ठेकेदारों और मॉड्यूल आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए 1,870.38 करोड़ रुपये की कैपेक्स एलसी सुविधा की उप-सीमा के साथ, सहायक कंपनी को 2,078.20 करोड़ रुपये की रुपया अवधि ऋण सुविधा मंजूर की है, जिसमें सहायक कंपनी को शिपमेंट की तारीख से 3 साल तक की अवधि के साथ कैपेक्स एलसी खोलने की अनुमति है और एलसी को रिटायर करने के लिए एलसी जारी करने वाले ऋणदाता या किसी अन्य ऋणदाता (संघ के बाहर ऋणदाता सहित) से एलसीबीडी सुविधा का लाभ उठाने की भी अनुमति है। एलसी बिल डिस्काउंटिंग से प्राप्त आय का उपयोग आपूर्तिकर्ता को पूर्ण रूप से भुगतान करने के लिए किया जा रहा है और बिल की डिस्काउंटिंग के माध्यम से अग्रिम भुगतान की जाने वाली ऐसी राशि पर ब्याज सहायक कंपनी द्वारा ब्याज अवधि के अंत तक वहन किया जाता है।

सहायक कंपनी ने नीचे दिए गए नियमों और शर्तों के साथ मॉड्यूल आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए उपरोक्त सुविधा का उपयोग किया है:

- (i) बिल डिस्काउंटिंग पर 7.4% प्रति वर्ष की दर से कुल ब्याज लागत 218.37 करोड़ रुपये (31 मार्च 2024: 109.07 करोड़ रुपये) का भुगतान डिस्काउंटिंग बैंक ('बैंक ऑफ़ इंडिया' और 'इंडसइंड बैंक') को बिल डिस्काउंटिंग की तारीख से शुरू होने वाली अवधि और यूसेंस एलसी की समाप्ति की तारीख तक, यानी 1 वर्ष तक के लिए अग्रिम रूप से किया जाएगा।
- (ii) बिल डिस्काउंटिंग पर 7.34% प्रति वर्ष की दर से कुल ब्याज लागत 260.17 करोड़ रुपये (31 मार्च 2024 : 137.09 करोड़ रुपये) का भुगतान डिस्काउंटिंग बैंक ('इंडसइंड बैंक') को बिल डिस्काउंटिंग की तारीख से शुरू होने वाली अवधि और यूसेंस एलसी की समाप्ति की तारीख तक, यानी 1 वर्ष तक के लिए अग्रिम रूप से किया जाएगा।
- (iii) बिल डिस्काउंटिंग पर 7.20% प्रति वर्ष की दर से कुल ब्याज लागत 50.22 करोड़ रुपये (31 मार्च 2024 : शून्य) का भुगतान डिस्काउंटिंग बैंक ('बैंक ऑफ़ इंडिया') को बिल डिस्काउंटिंग की तारीख से शुरू होने वाली अवधि और यूसेंस एलसी की समाप्ति की तारीख के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए अग्रिम रूप से किया जाएगा, अर्थात् 1 वर्ष तक;
- (iv) बिल डिस्काउंटिंग पर 7.25% प्रति वर्ष की दर से कुल ब्याज लागत 102.58.20 करोड़ रुपये (31 मार्च 2024 : शून्य) का भुगतान डिस्काउंटिंग बैंक ('इंडसइंड बैंक') को बिल डिस्काउंटिंग की तारीख से शुरू होने वाली अवधि और यूसेंस एलसी की समाप्ति की तारीख के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए अग्रिम रूप से किया जाएगा, अर्थात् 1 वर्ष तक
- (अ) बिल डिस्काउंटिंग पर 7.30% प्रति वर्ष की दर से कुल ब्याज लागत 34.27 करोड़ रुपये (31 मार्च 2024 : शून्य) का भुगतान डिस्काउंटिंग बैंक ('बैंक ऑफ़ इंडिया') को बिल डिस्काउंटिंग की तारीख से शुरू होने वाली अवधि और यूसेंस एलसी की समाप्ति की तारीख के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए अग्रिम रूप से किया जाएगा, अर्थात् 1 वर्ष तक
- (अप) एल.सी. के अंतर्गत यूसेंस अवधि के अंत में एल.सी. बिल डिस्काउंटिंग को यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया से लिए जाने वाले रुपया अवधि ऋण के माध्यम से उपरोक्त बैंकों को चुकाया जाएगा।

सी) 14: वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर की शर्तें और नियम

- (i) समूह ने वरिष्ठ ऋणदाताओं के साथ वित्तपोषण योजना के तहत सहमत राशि और विलेख की अनुसूची में उल्लिखित राशि के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र के संबंध में पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ दिनांक 05.07.2024 और 21.05.2024 को वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर डीड में प्रवेश किया है।
- (ii) विलेख 14: प्रति वर्ष की ब्याज दर वाले असुरक्षित वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर ('ओसीडी') जारी करने के लिए दर्ज किया गया है।
- (iii) ओ.सी.डी. पर देय लेकिन भुगतान न किए गए संचित बकाया ब्याज पर भी 14% प्रति वर्ष की ब्याज दर लागू होगी, जो जारीकर्ता द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं के साथ किए गए वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों और वरिष्ठ ऋणदाताओं के अनुमोदन के अधीन होगी।
- (iv) ओ.सी.डी. पर देय ब्याज वरिष्ठ ऋणों के ब्याज/मूलधन भुगतान के अधीनस्थ रहेगा और इसका भुगतान केवल ऐसे वरिष्ठ ऋणों की शर्तों के अनुपालन में किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(v) ओ.सी.डी. की अवधि जारी होने की तिथि से 20 वर्ष (निश्चित अवधि) है, जिसे (लागू कानूनों के अधीन) उस तिथि तक बढ़ाया जा सकता है, जिस तिथि को निश्चित अवधि के अंत में बकाया वरिष्ठ ऋण चुकाए जाते हैं।

(vi) ओ.सी.डी. का मोचन सममूल्य पर किया जाएगा।

(vii) ओसीडी वरिष्ठ ऋणों के अधीन होंगे और उन्हें केवल ऐसे वरिष्ठ ऋणों की शर्तों के अनुपालन में ही भुनाया जाएगा। ओसीडी के धारक द्वारा रूपांतरण विकल्प का प्रयोग करने पर, वरिष्ठ ऋणदाताओं की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ, ओसीडी के धारक को VGF की दूसरी किश्त प्राप्त होने के बाद किसी भी समय निर्धारित रूपांतरण अनुपात के अनुसार एक या अधिक किश्तों में अपने द्वारा धारित किसी भी औरध्या सभी ओसीडी को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने का अधिकार होगा, लेकिन यह दायित्व नहीं होगा।

भारतीय लेखा मानक 32 'वित्तीय उपकरण-प्रस्तुति' और भारतीय लेखा मानक 109 'वित्तीय उपकरण' के प्रावधानों के अनुसार, इन ओसीडी को इन वित्तीय विवरणों में ऋण उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

20.2 गैर-वर्तमान वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
पट्टा देयताएं	31.92	2.52
कुल	31.92	2.52

20.3 गैर-चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा	-	-
(i) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	-	-
कुल	-	-

20.4 गैर-चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
जमा और प्रतिधारण धन	584.62	777.42
कुल	584.62	777.42

21. Provisions

(₹ करोड़ में)

विवरण	पाद लेख	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	21.1	141.85	157.34
अन्य प्रावधान	21.2	418.52	373.34
		560.37	530.68
मौजूदा		301.79	308.72
गैर चालू		258.58	221.96

भारतीय लेखा मानक 37 की अपेक्षाओं के अंतर्गत प्रावधानों के संचलन का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

21.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :

क) ये प्रावधान ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, कार्य निष्पादन आधारित वेतन और अवकाश यात्रा खर्चा के प्रयोजन के लिए बनाए गए हैं।

ख) भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार 'कर्मचारी लाभ' का प्रकटीकरण नोट 36 में दिया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

ग) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानों के वहन मूल्य में परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपहार	अवकाश वेतन*	सेवानिवृत्ति पर निपटान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	प्रदर्शन संबंधी वेतन	अवकाश यात्रा रियायत	पीएफ एवं अन्य निधियों में योगदान	कुल
01-अप्रैल-2024 तक	0.12	72.41	1.13	5.17	52.90	0.20	25.41	157.34
मौजूदा	-	8.62	0.13	5.17	52.90	0.02	25.41	92.25
गैर चालू	0.12	63.79	1.00	-	-	0.18	-	65.09
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.09	17.13	0.15	5.02	28.55	0.01	-	50.95
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग	(0.03)	(11.73)	(0.02)	(5.17)	(29.35)	-	(6.58)	(52.88)
कम: वर्ष के दौरान वापस लिखें	-	(0.04)	-	-	(13.66)	-	-	(13.70)
(विनिमय लाभ)/हानि	-	0.23	(0.09)	-	-	-	-	0.14
31 मार्च 2025 तक	0.18	78.00	1.17	5.02	38.44	0.21	18.83	141.85
मौजूदा	-	9.97	0.16	5.02	38.44	0.03	18.83	72.45
गैर चालू	0.18	68.03	1.01	-	-	0.18	-	69.40

* इसमें 0.55 रुपये शामिल हैं करोड़ विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए वास्तविक आधार पर अवकाश वेतन का प्रावधान किया गया है।

21.2 अन्य प्रावधान :

प्रावधानों की प्रकृति और प्रावधानों में उतार-चढ़ाव के संबंध में भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क) विमुद्रीकरण प्रावधान

समूह ने विदेशी परियोजनाओं के संबंध में जनशक्ति तथा संयंत्र एवं उपकरणों के वियोजन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए वियोजन का प्रावधान किया है।

ख) रखरखाव प्रावधान

लागत प्लस अनुबंध में, जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य है, वहां रखरखाव के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

मद दर और एकमुश्त टर्नकी अनुबंधों में, अनुबंध संबंधी दायित्वों, उप-ठेकेदार के दायित्वों, परिचालन टर्नओवर और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए दोष देयता अवधि के दौरान समूह की देयता को कवर करने के लिए रखरखाव का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, टोल रोड के संचालन के लिए रखरखाव मैनुअल के अनुरूप प्रमुख रखरखाव का प्रावधान किया गया है।

ग) कानूनी मामले

कानूनी मामलों के लिए प्रावधान उन देनदारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो न्यायालयों, मध्यस्थता और अपील के मामलों के संबंध में होने की उम्मीद है।

घ) अन्य व्यय के लिए प्रावधान

अन्य व्ययों के लिए प्रावधान अप्रत्यक्ष करों और अन्य के संबंध में अपेक्षित कर देयताओं को दर्शाता है।

ड.) कठिन अनुबंध

समूह के पास एक ऐसा अनुबंध है जिसमें कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक है। ऐसी स्थिति में भारतीय लेखा मानक 115 और भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार, समूह को इन घाटे के लिए प्रावधान करना होगा। यह प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

च) विमुद्रीकरण और बहाली

समूह को पट्टे पर ली गई भूमि पर सौर संयंत्र के संबंध में विघटन और बहाली से संबंधित लागत वहन करनी होगी। समूह पट्टे की अवधि के अंत में साइट को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वियोजन	रख —रखाव	कानूनी मामले	अन्य खर्च	कठिन अनुबंध	विमुद्रीकरण और बहाली	कुल
01—अप्रैल—2024 तक	15.02	192.26	59.49	37.58	68.99	—	373.34
मौजूदा	13.52	89.79	59.49	37.58	16.09	—	216.47
गैर चालू	1.50	102.47	—	—	52.90	—	156.87
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.57	103.99	7.05	38.30	188.69	0.31	338.91
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग	—	(136.75)	(1.47)	(3.29)	(141.80)	—	(283.31)
कम: वर्ष के दौरान वापस लिखें	(0.64)	(8.28)	(1.65)	(3.04)	(0.18)	—	(13.79)
(विनिमय लाभ)/हानि	0.49	0.79	—	0.15	—	—	1.43
छूट समाप्त करना	0.02	1.91	—	—	—	0.01	1.94
31 मार्च 2025 तक	15.46	153.92	63.42	69.70	115.70	0.32	418.52
मौजूदा	13.35	63.59	63.42	69.70	19.28	—	229.34
गैर चालू	2.11	90.33	—	—	96.42	0.32	189.18

22. अन्य गैर—चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
क) अनुबंध दायित्व		
ग्राहकों से अग्रिम राशि	854.03	930.32
ख) अन्य		
एमएफसी के उप—पट्टे से अग्रिम राशि	15.94	16.82
पट्टा समतुल्यकरण दायित्व	5.52	7.62
सरकारी अनुदान (फुटनो नोट (i) देखें)	44.94	112.35
अन्य	2.85	2.55
कुल	923.28	1,069.66

फुटनोट :

i) सरकारी अनुदान: समूह एलओए संख्या 23016/1/2020— इरेडा/आरएफएस/5000 मेगावाट/012021/963 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 की शर्तों के अनुसार दो किस्तों में इरेडा लिमिटेड से 224.70 करोड़ रुपये के सौर मॉड्यूल खरीदने के लिए सरकारी अनुदान (व्यवहारिता अंतर निधि) का हकदार है, जो एक सहायक कंपनी इस्कॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड को प्रदान किया गया है। समूह को वित्तीय वर्ष 2023—24 के दौरान व्यवहारिता अंतर निधि (वीजीएफ) की पहली (1) किस्त 112.35 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है और इसे देयता के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि कोई संबंधित पूंजीगत व्यय नहीं किया गया था। वित्त वर्ष 2024—25 के दौरान, 150 मेगावाट सौर संयंत्र के चालू होने पर, आनुपातिक राशि रु। 67.41 करोड़ रुपये की राशि को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में समायोजित किया गया है (नोट 44 (फुट नो नोट (iv) देखें)। एलओए की शर्तों के अनुसार, निर्धारित कमीशनिंग तिथि से परे परियोजना के कमीशन में देरी की स्थिति में, व्यवहारिता अंतर निधि को वापस किया जाना आवश्यक है। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, समूह का मानना है कि परियोजना निर्धारित समय सीमा के भीतर चालू हो जाएगी।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

23. चालू देयताएँ – चालू वित्तीय देयताएँ

23.1 ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
क) दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता:		
(i) बैंकों से ऋण:		
सुरक्षित:		
(क) पंजाब नेशनल बैंक से ऋण (फुट नोनोट (प) देखें)	22.92	25.12
(ख) बैंक ऑफ़ बड़ौदा से ऋण (फुट नोनोट (प) देखें)	80.28	68.96
(ग) भारतीय स्टेट बैंक से ऋण (फुट नोनोट (प) देखें)	26.48	16.40
कुल	129.68	110.48

फुटनोट:

(i) कृपया नोट 20.1 (फुट नोनोट (ए)) देखें

23.2 चालू वित्तीय देयताएँ – पट्टा देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
पट्टा देयताएं	2.91	0.72
कुल	2.91	0.72

23.3 चालू वित्तीय देयताएँ – व्यापार देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	34.39	6.36
(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा		
(i) ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	1,222.91	887.74
कुल	1,257.30	894.10

फुटनोट:

क) 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल वाला	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	14.15	17.31	2.86	-	0.07	-	34.39
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	467.63	250.23	480.44	3.62	4.12	16.76	1,222.80
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के विवादित बकाये	-	-	-	-	-	0.11	0.11
	481.78	267.54	483.30	3.62	4.19	16.87	1,257.30

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल वाला	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	2.98	-	3.38	-	-	-	6.36
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	451.32	94.55	307.44	4.44	18.45	11.5	887.70
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विवादित बकाया	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के विवादित बकाये	0.02	-	-	-	-	0.02	0.04
	454.32	94.55	310.82	4.44	18.45	11.52	894.10

23.4 चालू देयताएँ – अन्य वित्तीय देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
बैंक से सुरक्षित ऋण पर अर्जित ब्याज क्षणफुट नोट (प) देखेंद्व	0.44	0.25
संबंधित पक्ष को वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर पर अर्जित ब्याज क्षणफुट नोट (पप) देखेंद्व	15.17	-
देय ग्रेच्युटी	4.64	3.81
जमा, प्रतिधारण धन और रोका गया धन	1,729.67	1,707.18
ग्राहक को देय राशि	617.25	630.40
ग्राहक को देय लाभांश	5.31	4.01
ग्राहक से अग्रिम राशि पर देय ब्याज	272.32	337.58
पूंजी आपूर्तिकर्ताओं और सेवाओं के लिए देय	226.15	261.99
अन्य देय (कर्मचारी देयसहित)	152.18	142.34
कुल	3,023.13	3,087.56

फुटनोट:

- (i) नोट 20.1 फुट नोट (क) देखें
(ii) नोट 20.1 फुट नोट (ग) एवं नोट 37 (ग) देखें

24. अन्य चालू देनदारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
क) अनुबंध दायित्व		
ग्राहकों से अग्रिम राशि	1,870.82	1,952.22
– कम: विरोध के तहत जमा	(217.05)	(217.05)
अग्रिम अनुबंध रसीदें	441.11	391.42
ख) अन्य		
सान्वधिक बकाया (फुटनोनोट (i) देखें)	394.57	417.65
एमएफसी के उप-पट्टे से अग्रिम राशि	0.86	0.87
पट्टा समतुल्यकरण दायित्व	2.10	4.31
सीएसआर दायित्व	3.20	-
अन्य	-	0.25
कुल	2,495.61	2,549.67

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

फुटनोट:

i) सान्त्विक बकाया में माल एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सान्त्विक बकाया शामिल हैं।

25. चालू कर देयता (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर के बाद)	15.87	66.56
कुल	15.87	66.56

26. परिचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुबंध राजस्व	10,237.35	11,980.76
टोल परिचालन से राजस्व	206.42	223.54
एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) में समूह का कारोबार हिस्सा	0.96	0.95
मशीनरी किराया शुल्क	3.67	0.20
एमएफसी लीजिंग	25.75	16.44
परियोजना प्रबंधन परामर्श	47.13	79.21
बिजली/विद्युत की बिक्री से राजस्व	24.44	-
घटाएँ: सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित राजस्व	(5.92)	-
अन्य परिचालन राजस्व		
— एससीए के तहत वित्तीय परिसंपत्ति पर ब्याज आय	166.32	182.74
— अन्य	53.46	29.81
कुल	10,759.58	12,513.65

27. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय :		
कर मुक्त बांड और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	8.88	15.28
आयकर वापसी पर ब्याज	12.96	27.30
स्टाफ अग्रिम पर ब्याज	0.06	0.06
संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण पर ब्याज (नोट (i) देखें)	2.01	4.37
अग्रिम राशि और अन्य पर ब्याज	44.95	80.87
घटाएँ: ग्राहकों को दिया गया अन्य ब्याज	(7.32)	(29.17)
वित्तीय साधनों के समापन पर ब्याज आय	0.09	-
बैंक ब्याज सकल	268.06	291.55
घटाएँ: सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित अस्थायी निवेश पर ब्याज	(0.60)	(0.76)
घटाएँ: ग्राहकों को दिया गया ब्याज	(38.76)	(70.72)
Profit on Sale of Assets		
अन्य :		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.49	0.53
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	53.63	37.14
घटाएँ: म्यूचुअल फंड की बिक्री से ग्राहकों को दिया गया लाभ	(4.38)	(9.50)
विविध आय (नोट (ii) देखें)	11.36	7.21
घटाएँ: बीमा दावा पारित	(2.64)	-
विनिमय उतार-चढ़ाव लाभ	328.37	-
घटाएँ: विनिमय उतार-चढ़ाव हानि	(306.72)	-
म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ/हानि	1.01	2.71
कुल	371.45	356.87

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

फुटनोट:

(i) संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज:

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षों का विवरण	2024-25	2023-24
– छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	–	0.29
– छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	1.51	0.78
– महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	0.50	3.30
	2.01	4.37

(ii) एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) में समूह की अन्य आय का हिस्सा शामिल करें ₹. 0.14 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24: 0.17 करोड़ रुपये)

28 (i) उपभोग की गई सामग्री और भंडार

(₹ करोड़ में)

विवरण	पाद लेख	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा		36.74	38.18
जोड़ें: वर्ष के दौरान की गई खरीदारी	(i)	639.58	532.17
		676.32	570.35
जमा शेष		(8.16) 668.16	(36.74) 533.61
कुल		668.16	533.61

फुटनोट:

एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) में समूह की अन्य आय का हिस्सा शामिल करें ₹. **0.14 करोड़** (वित्त वर्ष 2023-24: 0.17 करोड़ रुपये)

28 (ii) (वृद्धि)/डब्ल्यूआईपी में कमी

(₹ करोड़ में)

विवरण	पाद लेख	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक जमा		–	49.52
जोड़ें: वर्ष के दौरान की गई खरीदारी		–	0.24
		–	49.76
जमा शेष		–	49.76
कुल		–	49.76

28 (iii) (वृद्धि)/डब्ल्यूआईपी में कमी

(₹ करोड़ में)

विवरण	पाद लेख	परियोजना व्यय		अन्य खर्चों	
		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्य व्यय		8,579.01	10,109.80	–	–
टोल संचालन और रखरखाव व्यय		58.90	34.33	–	–
डिजाइन, ड्राइंग, व्यवसाय विकास और परामर्श शुल्क		32.54	10.94	–	–
निरीक्षण, भू-तकनीकी जांच एवं सर्वेक्षण अनुभव आदि।		29.23	38.29	–	–
मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव		4.92	7.41	–	–
मशीनरी का किराया प्रभार		3.30	6.39	–	–
विनिमय उतार-चढ़ाव हानि		–	–	–	221.66
घटाएँ: विनिमय उतार-चढ़ाव लाभ		–	–	–	(207.27)
शुद्ध विनिमय उतार-चढ़ाव हानि		–	–	–	14.39

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	पाद लेख	परियोजना व्यय		अन्य खर्चों	
		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी से लाभ और हानि में विनिमय हानि का पुनर्वर्गीकरण		-	-	-	13.04
किराया — गैर-आवासीय		8.20	5.97	0.97	1.06
दरें और कर		15.75	23.94	0.65	0.82
वाहन संचालन एवं रखरखाव		14.59	16.95	2.56	3.07
मरम्मत और रखरखाव					
— इमारत		0.09	0.30	0.35	0.21
— कार्यालय एवं अन्य		5.43	5.72	9.96	10.14
बिजली, विद्युत और जल शुल्क		7.36	8.32	2.32	2.23
बीमा		11.61	14.89	7.69	8.31
यात्रा एवं परिवहन		13.73	12.39	4.08	3.97
मुद्रण और स्टेशनरी		0.95	1.00	0.73	0.45
डाक, टेलीफोन और टेलेक्स		1.08	1.09	0.90	0.41
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क		21.59	6.06	17.25	12.80
सुरक्षा सेवाएँ		2.59	2.14	0.68	0.94
सूचीकरण व्यय		-	-	0.07	0.06
व्यापार संवर्धन		0.40	0.38	1.13	0.58
बट्टे खाते में डालना :					
— ऋण		0.10	0.63	-	-
परिसंपत्तियों/स्टोरों की बिक्री पर हानि		-	-	0.45	0.20
निदेशक की बैठक फीस		-	-	0.18	0.17
दान		-	-	-	-
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	(iii)	-	-	1.18	0.94
विज्ञापन एवं प्रचार		-	-	1.72	1.77
प्रशिक्षण एवं भर्ती		-	-	0.49	0.46
म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ/हानि		-	-	-	-
कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी		-	-	16.31	12.92
विविध व्यय		4.79	4.20	6.56	5.35
बैंक और अन्य वित्त शुल्क		6.01	10.97	2.07	1.07
शुल्क एवं सदस्यता शुल्क		-	-	0.02	0.02
एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) में व्यय का आनुपातिक हिस्सा		0.06	0.31	-	-
प्रावधान (अतिरिक्त — लिखित उत्तर) (नोट 221 देखें)	(i)	353.83	168.95	-	-
एवं फुट नोट (i)					
उपयोग किए गए प्रावधान (नोट 221 देखें) एवं फुट नोट (ii)	(ii)	(283.48)	(90.14)	-	-
कुल		8,892.95	10,401.23	78.32	95.38

फुटनोट:

- (i) शामिल रु. 29.04 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24: 37.25 करोड़ रुपये) प्रावधान संवर्धन-संदिग्ध अग्रिम और ऋणों के अलावा वापिस लिखना
- (ii) शामिल रु. 0.18 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24: 0.62 करोड़ रुपये) संदिग्ध अग्रिम और ऋण के विरुद्ध।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(iii) सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) लेखापरीक्षा शुल्क – चालू वर्ष	0.51	0.48
(ख) कर लेखा परीक्षा शुल्क – चालू वर्ष	0.14	0.14
(ग) त्रैमासिक सीमित समीक्षा के लिए शुल्क	0.28	0.25
(घ) प्रमाणन शुल्क	0.16	0.06
(च) यात्रा एवं जेब से होने वाला खर्च:		
– यात्रा खर्च	0.06	–
– कर्मचारी द्वारा किया गया खर्चा	0.03	0.01
कुल	1.18	0.94

29. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	पाद लेख	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		
		परियोजना व्यय	अन्य खर्चों	कुल	परियोजना व्यय	अन्य खर्चों	कुल
वेतन, मजदूरी और बोनस	(i)	172.01	49.54	221.55	177.63	70.97	248.60
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		10.89	4.03	14.92	11.37	28.19	39.56
विदेश सेवा योगदान		–	2.07	2.07	–	2.10	2.10
सेवानिवृत्ति लाभ		19.72	15.47	35.19	21.91	12.38	34.29
कर्मचारी कल्याण		1.33	0.65	1.98	1.83	0.42	2.25
कुल		203.95	71.76	275.71	212.74	114.06	326.80

फुटनोट:-

(i) इसमें गैर-मौद्रिक भत्तों पर आयकर शामिल है ₹. 0.56 करोड़ (31 मार्च 2024 : 0.53 करोड़ रुपये)

30. वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	पाद लेख	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय	(i)	215.09	145.89
घटाएँ: रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को दिए गए अग्रिम पर ब्याज		– 215.09	(2.07) 143.82
अन्य उधार लागत			
– बैंक गारंटी और अन्य शुल्क		1.54	1.28
पट्टा देयता पर ब्याज लागत		0.46	0.28
वित्तीय साधनों का परिशोधन		0.10	–
प्रावधानों पर छूट की समाप्ति		1.94	3.02
कुल		219.13	148.40

फुटनोट:-

(i) आयकर पर ब्याज शामिल है ₹.0.01 करोड़ (31 मार्च 2024 : 0.26 करोड़ रुपये)

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

31. मूल्यहास, परिशोधन और क्षति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	For the year ended 31 मार्च, 2024 तक
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यहास	31.04	22.71
उपयोग के अधिकार का मूल्यहास – पट्टा परिसंपत्तियाँ	1.31	1.13
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	73.16	64.77
निवेश संपत्ति का मूल्यहास	12.37	11.82
परिसंपत्तियों की क्षति	-	-
कुल	117.88	100.43

32. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के घटक

इक्विटी में प्रत्येक प्रकार के रिजर्व द्वारा ओसीआई में परिवर्तन का विभाजन नीचे दर्शाया गया है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर शुद्ध बीमाकिक लाभ/(हानि)	0.05	1.75
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि) से संबंधित आयकर	(0.01)	(0.44)
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा इक्विटी पद्धति (कर के बाद शुद्ध) का उपयोग करके हिसाब में लिया गया	(0.01)	(0.01)
कुल	0.03	1.30

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	For the year ended 31 मार्च, 2024 तक
वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के परिवर्तन में विनिमय मतभेद	7.30	(2.44)
विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के परिवर्तन में विनिमय अंतर से संबंधित आयकर	(1.84)	0.61
कुल	5.46	(1.83)
कुल योग	5.49	(0.53)

33. क. उचित मूल्य माप

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में समूहीकृत किया जाता है। माप के लिए महत्वपूर्ण इनपुट की अवलोकनीयता के आधार पर तीन स्तरों को परिभाषित किया गया है, इस प्रकार:

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं)

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रमाणित इनपुट

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क) 31 मार्च, 2025 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं: *

(₹ करोड़ में)

विवरण	ले जाने के मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	लेवल 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ ('एफवीटीपीएल')				
म्यूचुअल फंड में निवेश	285.50	285.50	-	-
कुल	285.50	285.50	-	-
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	125.20	-	-	125.20
(ii) ऋण	1.85	-	-	1.85
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5,433.34	-	-	5,433.34
कुल	5,560.39	-	-	5,560.39

(₹ करोड़ में)

विवरण	ले जाने के मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	लेवल 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	4,264.32	-	-	4,264.32
(ii) पट्टा देयताएं	34.83	-	-	34.83
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	3,607.75	-	-	3,607.75
कुल	7,906.90	-	-	7,906.90

ख) 31 मार्च, 2024 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं: *

(₹ करोड़ में)

विवरण	ले जाने के मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	लेवल 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ ('एफवीटीपीएल')				
म्यूचुअल फंड में निवेश	562.00	562.00	-	-
कुल	562.00	562.00	-	-
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड में निवेश	126.70	-	-	126.70
(ii) ऋण	1.37	-	-	1.37
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4,258.44	-	-	4,258.44
कुल	4,386.51	-	-	4,386.51

(₹ करोड़ में)

विवरण	ले जाने के मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	लेवल 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) ऋण	2,567.16	-	-	2,567.16
(ii) पट्टा देयताएं	3.24	-	-	3.24
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	3,864.98	-	-	3,864.98
कुल	6,435.38	-	-	6,435.38

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

प्रबंधन ने यह आकलन किया कि नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार प्राप्त्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य, इन लिखतों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण, उनकी अग्रणीत राशि के लगभग बराबर है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि पर शामिल किया जाता है जिस पर साधन को इच्छुक पक्षों के बीच चालू लेनदेन में बदला जा सकता है। उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया:

- म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा बैलेंस शीट की तिथि पर प्रकाशित विवरणों में बताए गए शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य ('एनएवी') पर आधारित है। एनएवी उस कीमत को दर्शाता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और वह कीमत जिस पर जारीकर्ता निवेशकों से ऐसी इकाइयाँ भुनाएगा।
- संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश को इक्विटी निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका लेखा इक्विटी पद्धति का उपयोग करके किया गया है। चूंकि माप के प्रयोजनों के लिए ये भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे से बाहर हैं, इसलिए इन्हें ऊपर दी गई तालिकाओं में प्रकट नहीं किया गया है।

*वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2023-24 के दौरान स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 उचित मूल्य माप के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह की मुख्य वित्तीय देनदारियों में उधार, व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। समूह की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्तियाँ, तथा नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं। समूह म्यूचुअल फंड, कर मुक्त बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में भी निवेश करता है। समूह की गतिविधियाँ इसे कुछ वित्तीय जोखिमों के प्रति उजागर करती हैं: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह का उचित मूल्य बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव करेगा। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में उधार, व्यापार प्राप्त्य, व्यापार देय और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिचालन करता है और विदेशी मुद्रा जोखिम (मोटी विदेशी मुद्राओं में प्राप्तियों और भुगतानकर्ताओं का आमतौर पर संपर्क के आधार पर मिलान किया जाता है) के प्रति संवेदनशील है, मुख्यतः अमेरिकी डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडएन, बीटीएन, जे एंटरप्राइज, एनपीआर और एमवाईआर के संबंध में। समूह के महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम स्वर्ण-सुरक्षित हैं।

31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 तक, संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 5: की वृद्धि या कमी से हमारे कर-पूर्व लाभ पर क्रमशः लगभग ₹ 28.96 करोड़ और ₹ 2.45 करोड़ का प्रभाव पड़ेगा।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह का विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम निम्नानुसार है:

31 मार्च 2025 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवायआर	जेपीवाई	एमएमके	ज़ार	कुल
संपत्ति										
व्यापार प्राप्तियाँ	11.23	87.20	21.10	-	-	3.32	4.94	-	-	127.78
नकदी एवं बैंक शेष	38.30	0.12	52.14	1.92	3.05	7.45	13.10	0.13	65.17	181.38
ठेकेदारों को अग्रिम राशि	-	-	-	2.55	-	-	77.95	83.07	-	163.57
अन्य परिसंपत्तियाँ	16.50	3.35	60.16	-	1.28	-	6.23	9.44	-	96.96
कुल	66.03	90.66	133.40	4.47	4.33	10.77	102.22	92.64	65.17	569.69
देयताएं										
व्यापार देयताएं	2.14	13.05	46.47	0.73	12.34	0.14	5.52	26.88	-	107.27
ग्राहक से अग्रिम राशि	30.08	-	-	-	-	0.23	746.13	-	-	776.44
अन्य देयताएं	37.16	11.29	195.05	-	5.03	0.16	16.47	-	-	265.16
कुल	69.38	24.34	241.52	0.73	17.37	0.53	768.13	26.88	-	1,148.87

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2024 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवायआर	जेपीवाई	एमएमके	ज़ार	कुल
संपत्ति										
व्यापार प्राप्तियां	22.85	75.12	46.64	-	-	-	47.27	-	-	191.88
नकदी एवं बैंक शेष	184.32	237.44	60.99	2.07	3.95	5.09	60.17	0.34	78.56	632.93
ठेकेदारों को अग्रिम राशि	0.14	-	-	5.16	-	-	32.92	76.95	-	115.17
अन्य परिसंपत्तियां	7.89	5.35	68.08	-	6.74	-	9.92	-	-	97.98
कुल	215.20	317.91	175.71	7.23	10.69	5.09	150.28	77.29	78.56	1,037.96
देयताएं										
व्यापार देयताएं	3.02	30.79	11.24	2.63	23.36	-	-	5.97	-	77.01
ग्राहक से अग्रिम राशि	55.80	-	-	-	-	-	541.55	-	-	597.35
अन्य देयताएं	25.68	8.02	261.54	-	4.85	-	14.27	0.19	-	314.55
कुल	84.50	38.81	272.78	2.63	28.21	-	555.82	6.16	-	988.91

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह का उचित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव करेगा। समूह मुख्य रूप से अस्थिर ब्याज दरों के साथ गैर-वर्तमान उधार से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है। समूह अपने ब्याज जोखिम को समूह की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार प्रबंधित करता है। उधार के अलावा, ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में कर मुक्त बांड, सरकारी प्रतिभूतियाँ और बैंकों के पास जमा राशि शामिल हैं। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर जोखिम बहुत कम है क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर तय की जाती है।

ख) ऋण जोखिम

समूह के ग्राहक प्रोफाइल में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, भारत और विदेश में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ शामिल हैं। तदनुसार, समूह का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन एडवांस, 45 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी की जाने वाली कुछ प्रतिधारण राशि शामिल है। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक/कॉर्पोरेट गारंटी के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की विस्तृत समीक्षा प्रणाली है ताकि वसूली के लिए उचित ध्यान और फोकस सुनिश्चित किया जा सके।

व्यापार और अन्य प्राप्य

समूह का ऋण जोखिम जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और देश का डिफॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक काम करता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का जोखिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए भत्ते को आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (एलईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर चालू निवेश	-	125.19
गैर चालू ऋण	0.28	0.45
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
चालू निवेश		
नकद और नकद के समान		
अन्य बैंक शेष	2,501.79	2,804.55
चालू ऋण	1.57	0.92
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	290.18	368.92
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए भत्ते को सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्तियाँ	1,440.91	891.13
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	5,190.87	3,918.49

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके मापी गई हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
प्रारंभिक भत्ते	99.32	68.11
वर्ष के दौरान प्रदान किया गया	30.48	31.83
वर्ष के दौरान उपयोग	(0.10)	(0.62)
बटूटे खाते में डाली गई राशि	(1.97)	-
समापन भत्ते	127.73	99.32

वर्ष के दौरान, समूह ने हानि भत्ते को मान्यता दी है ₹. 30.48 करोड़ (31 मार्च, 2024 : ₹ 31.83 करोड़ रुपये)

आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके मापी गई हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
प्रारंभिक भत्ते	34.02	28.41
वर्ष के दौरान प्रदान किया गया	0.53	5.63
वर्ष के दौरान उपयोग	(0.08)	(0.01)
बटूटे खाते में डाली गई राशि	-	-
(विनिमय लाभ)/हानि	0.01	(0.01)
समापन भत्ते	34.48	34.02

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आकलन तकनीकों या मान्यताओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया। वर्ष के दौरान, समूह ने हानि भत्ते को मान्यता दी है ₹. 0.53 करोड़ (31 मार्च, 2024 : 5.63 करोड़ रुपये)

ग) तरलता जोखिम

समूह पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखने और पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण लाइनों के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुँच प्राप्त करके तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है। राजकोष विभाग नियमित रूप से अनुमानों के मुकाबले नकदी और नकदी समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन और तुलन पत्र तरलता अनुपात के रखरखाव पर विचार किया जाता है। समूह की निवेश नीति और रणनीति पूंजी के संरक्षण और समूह की तरलता आवश्यकताओं का समर्थन करने पर केंद्रित है। समूह का वरिष्ठ प्रबंधन इसकी निवेश रणनीति की देखरेख करता है और इसके निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करता है। समूह आम तौर पर भारत सरकार के ऋण बांड और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। नीति के अनुसार आम तौर पर निवेश को निवेश ग्रेड होना चाहिए, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मूलधन हानि के संभावित जोखिम को कम करना है। NHA1 बॉन्ड पर ब्याज की एक निश्चित दर होती है, इसलिए वे बॉन्ड यील्ड दरों में बदलाव से प्रभावित नहीं होते हैं और म्यूचुअल फंड अत्यधिक तरल संपत्ति हैं जिनका मासिक भुगतान किया जाता है और फिर से निवेश किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों के बारे में विवरण प्रदान करती है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक		
	वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
ऋण	129.68	213.83	3,920.81
पट्टा देयताएं	2.91	31.92	-
व्यापार देयताएं	1,257.30	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	3,023.13	584.62	-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक		
	वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
ऋण	110.48	531.92	1,924.76
पट्टा देयताएं	0.72	2.52	-
व्यापार देयताएं	894.10	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	3,087.56	777.42	-

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

घ) अत्यधिक जोखिम संके

संकेन्द्रण तब उत्पन्न होता है जब कई प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों में लगे होते हैं, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों से संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता को समान रूप से प्रभावित करती हैं। संकेन्द्रण किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों के प्रति समूह के प्रदर्शन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाता है।

जोखिम के अत्यधिक संकेन्द्रण से बचने के लिए, समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं में विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों के पहचाने गए संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व का विवरण देती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व	5,189.59	5,523.98
	5,189.59	5,523.98

ग. पूंजी प्रबंधन

समूह का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह से करना है कि यह सुनिश्चित हो सके और समूह की क्षमता बनी रहे ताकि समूह शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान कर सके और अन्य हितधारकों को लाभ पहुंचा सके। निदेशक मंडल समूह की लाभांश वितरण नीति के अनुरूप इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की निगरानी भी करता है। समूह ने निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
लाभांश भुगतान	277.46	282.15
कुल	277.46	282.15

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य पर 1.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। यह 2 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। 1.65 प्रति इक्विटी शेयर 2 रुपये के अंकित मूल्य पर

इसके अलावा, समूह आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के मद्देनजर समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है।

समूह पूंजी की निगरानी करता है, जो आमतौर पर उद्योग और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर होता है। समूह ऋण इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करता है जो ऋण को कुल इक्विटी से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। ऋण में दीर्घकालिक ऋण की गैर-वर्तमान और वर्तमान परिपक्वता शामिल होती है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऋण इक्विटी अनुपात इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
ऋण (नोट संख्या 20.1)		
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (नोट संख्या 23.1)	129.68	110.48
ऋण	4,264.32	2,567.16
इक्विटी (नोट संसं. 18)	188.10	188.10
अन्य इक्विटी (नोट संसं. 19)	6,138.25	5,682.82
कुल इक्विटी	6,326.35	5,870.92
ऋण इक्विटी अनुपात	0.67	0.44

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

34. क) समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं, जो 1 जनवरी 2013 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू होते हैं। अप्रैल, 2015. तदनुसार, कंपनी (जिसे होल्डिंग कंपनी भी कहा जाता है) और इसकी सहायक कंपनियाँ (संयुक्त रूपसे 'समूह' के रूप में संदर्भित) संयुक्त नियंत्रण संस्थाओं के साथ समेकित वित्तीय विवरणों में विचारित हैं:

क्र.सं.	सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों का नाम	देश	% आयु शेयर	
			31-03-2025	31-03-2024
	सहायक कंपनियाँ			
1	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
2	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
3	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
4	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
6	इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
7	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	भारत	76.00%	76.00%
8	इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
9	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
10	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
11	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ			
1	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
2	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
3	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
7	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%

(ख) समेकन के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तिथि, होल्डिंग कंपनी के समान ही होगी।

ग) जहाँ तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समान लेनदेन और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एकसमान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं और होल्डिंग कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों के समान ही प्रस्तुत किए जाते हैं। होल्डिंग कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियों में यदि कोई अंतर है, तो वह महत्वपूर्ण नहीं है।

35 अन्य जानकारी—पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25
(पीपीई में वृद्धि, सीडब्ल्यूआईपी में परिवर्तन, उपयोग के अधिकार में वृद्धि, अमूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि, विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों में परिवर्तन, निवेश संपत्ति में वृद्धि)	
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किया गया पूँजीगत व्यय	1261.9
कुल (A)	1261.9
संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किए गए पूँजीगत व्यय में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का हिस्सा, जो पूँजीकृत हैं/पूँजीकृत होने वाली हैं:	
1. इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	50.42
2. छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	64.45
3. छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	375.56
4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	2.40
5. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	151.29
6. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	0.01

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए**

विवरण	2024-25
7. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	-
कुल (ख)	644.13
कुल योग (क+ख)	1,906.03

36. कर्मचारी लाभ

भारतीय लेखा मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क परिभाषित अंशदान योजनाएँ – सामान्य विवरण**(i) पेंशन**

कंपनी ने अपने सेवाकाल पर ध्यान दिए बिना आईडीए स्केल में वेतन पाने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए इरकॉन परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 यानी 01 अप्रैल, 2009 को लागू किया है, सिवाय उन कर्मचारियों के जो 01 जनवरी, 2017 से पहले शामिल हुए थे, लेकिन 15 साल की सेवा पूरी करने से पहले 01 जनवरी, 2017 के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे/इस्तीफा दे देंगे, ऐसे मामले में पेंशन के लिए नियोक्ता का योगदान 01 जनवरी, 2017 से ही प्रभावी होगा। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2015-16 में गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया गया था और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 में, 11 मई, 2023 को आयोजित अपनी 286वीं बैठक में निदेशक मंडल ने एलआईसी के साथ बनाए रखी गई इरकॉन परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एनपीएस में कंपनी का योगदान ₹9.44 करोड़ (एनपीएस के लिए ₹4.72 और पेंशन ट्रस्ट के लिए ₹4.63 करोड़) है।

(ii) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)

कंपनी ने वर्ष 2000-01 के दौरान ₹12.00 करोड़ के प्रारंभिक एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिवर्तनीय ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक कल्याणकारी उपाय के रूप में, सेवाकाल में मृत्यु को प्राप्त होने वाले कर्मचारियों के जीवनसाथी को वार्षिकी, चिकित्सा और अन्य लाभ प्रदान करना था। इसके लिए कंपनी अपने कर्मचारियों को ऐसे लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों (और जीवनसाथी) को चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। कंपनी ने ₹12.00 करोड़ का अंशदान किया है। 5.02 करोड़ (₹ 5.17 करोड़) सुपरएनुएशन लाभों पर डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर।

ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ – सामान्य विवरण(पीआरएमबी)**(i) भविष्य निधि**

कंपनी एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट) को पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि का निश्चित अंशदान देती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। ट्रस्ट को अपने सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना आवश्यक है। ट्रस्ट को आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेश से प्राप्त प्रतिफल और अधिसूचित ब्याज दर के आधार पर ब्याज भुगतान के बीच, यदि कोई कमी हो, तो उसे पूरा करे। इस अवधि के दौरान, कंपनी ने भविष्य निधि के लिए नियोक्ता के अंशदान के रूप में ट्रस्ट को ₹19.86 करोड़ (₹15.78 करोड़) का योगदान दिया है, जिसमें निवेश पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए ₹6.58 करोड़ शामिल हैं।

(ii) ग्रेच्युटी

होलिडिंग कंपनी ने कंपनी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण नौकरी छूटने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इरकॉन कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना लागू की है। इस योजना का प्रबंधन वर्ष 2015-16 में इसी उद्देश्य से गठित और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट की निधियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (स्व) द्वारा किया जाता है। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी की देनदारी ₹1,000 है। 4.68 करोड़ रुपये (3.83 करोड़ रुपये) बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है।

(iii) अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – सामान्य विवरण

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में गृहनगर या उस स्थान पर बसना शामिल है जहाँ वह या उसका परिवार भारत में बसना चाहता है, जिसमें सामान भत्ता भी शामिल है। इस खाते पर देयता बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

31 मार्च, 2025 तक लाभ-हानि विवरण और बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त विभिन्न कर्मचारी लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:**359**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

i) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपहार		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	448.60	453.76	79.44	90.28	1.15	1.15
वर्तमान सेवा लागत	40.03	41.21	4.04	3.76	0.07	0.07
पिछली सेवा लागत	-	-	0.36	1.18	-	-
ब्याज लागत	25.26	35.18	5.74	6.62	0.08	0.08
भुगतान किए गए लाभ	(100.44)	(84.61)	(14.16)	(20.23)	(0.02)	(0.03)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1.23)	3.06	(0.63)	(2.17)	(0.10)	(0.13)
अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	412.22	448.60	74.79	79.44	1.18	1.15

ii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपहार		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	423.20	450.30	75.49	83.03	-	-
नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा योगदान	40.03	41.21	3.81	7.17	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(100.44)	(84.61)	(14.14)	(20.23)	-	-
ब्याज आय	45.23	37.57	4.79	5.73	-	-
तुलन पत्र के अनुसार प्रारंभिक समायोजन	-	1.59	-	-	-	-
नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए वित्त वर्ष 22-23 के लिए ब्याज में कमी	-	2.46	-	-	-	-
तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	-	(25.32)	-	-	-	-
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर प्रतिफल	-	-	-	-	-	-
एलआईसी मृत्यु दर शुल्क	-	-	-	(0.21)	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	408.02	423.20	69.95	75.49	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

iii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ दायित्व का समाधान: (करोड़ रुपये में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपहार		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	408.02	423.20	69.95	75.49	-	-
परिभाषित लाभ दायित्व	412.22	448.60	74.79	79.44	1.18	1.15
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	(4.20)	(25.40)	(4.84)	(3.95)	(1.18)	(1.15)

iv) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपहार		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वर्तमान सेवा लागत	13.26	13.19	4.04	3.77	0.07	0.07
पिछली सेवा लागत	-	-	0.36	1.18	-	-
शुद्ध ब्याज व्यय	-	-	0.29	0.52	0.08	0.08
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि	13.26	13.19	4.69	5.47	0.15	0.15

v) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपहार		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक परिवर्तन	0.08	0.03	(2.36)	(0.45)	0.02	0.01
अनुभव समायोजन	(1.31)	3.04	2.99	2.64	(0.12)	(0.14)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	(19.98)	(2.39)	(0.67)	(0.55)	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि	(21.21)	0.68	(0.04)	1.64	(0.10)	(0.13)

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

vi) कुल योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य की प्रमुख योजना परिसंपत्तियों की श्रेणियां इस प्रकार हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपहार		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	58.30%	52.05%	-	-	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	-	-
केंद्रीय एवं राज्य गारंटीकृत बांड	-	-	-	-	-	-
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	33.94%	36.73%	-	-	-	-
पीएसयू बॉन्ड	-	-	-	-	-	-
पीएसयू बेसल प्ल टियर २ बॉन्ड	-	-	-	-	-	-
डेट म्यूचुअल फंड	0.03%	0.78%	-	-	-	-
ईटीएफ/इंडेक्स/इक्विटी म्यूचुअल फंड	7.41%	4.51%	-	-	-	-
विशेष जमा	0.00%	5.03%	100.00%	100.00%	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.00%	0.00%	-	-	-	-
बैंक में जमा राशि	0.32%	0.90%	-	-	-	-
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0%	0%

vii) कंपनी की योजनाओं के लिए पीएफ/ग्रेच्युटी/पीआरएमबी/सेवानिवृत्ति भत्ता देयता निर्धारित करने में प्रयुक्त प्रमुख धारणाएं नीचे दर्शाई गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए पीएफ	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पीएफ	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट की दर	6.79%	7.23%	6.79%	7.23%	6.79%	7.23%
भविष्य में वेतन वृद्धि/अपेक्षित वैधानिक ब्याज दर	8.25%	8.25%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2012-14)

viii) ऊपर दर्शाई गई महत्वपूर्ण धारणा के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीएफ योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		ग्रेच्युटी योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		सेवानिवृत्ति भत्ता (डीबीओ पर प्रभाव)	
	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024'	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024'	31 मार्च, 2025	31 मार्च, 2024'
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	412.22	448.60	74.79	79.30	1.18	1.15
छूट की दर	6.79%	7.23%	6.79%	7.23%	6.79%	7.23%
0.50% की वृद्धि	(0.09)	(0.07)	(2.63)	(2.43)	(0.05)	(0.04)
0.50% की कमी	0.09	0.07	2.84	2.62	0.05	0.05
भविष्य में वेतन वृद्धि/अपेक्षित वैधानिक ब्याज दर	8.25%	8.25%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
0.50% की वृद्धि	-	-	1.01	1.04	0.05	0.05
0.50% की कमी	-	-	(1.10)	(1.09)	0.05	(0.04)

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऊपर दर्शाई गई प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव का अनुमान लगाता है।

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं नगण्य हैं और इसलिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती है।

ix) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए परिभाषित लाभ योजना में अपेक्षित योगदान है 17.02 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 27.39 करोड़ रुपये)

x) परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व की अवधि (वर्षों में)	भविष्य निधि	उपहार	सेवानिवृत्ति भत्ता
1	61.64	13.29	0.17
2	110.72	7.34	0.11
3		7.44	0.10
4		5.60	0.07
5		4.22	0.07
6	239.85	3.00	0.05
6 वर्ष से आगे		33.86	0.61
कुल	412.21	74.75	1.18

संकट विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना में समूह को कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जोखिम, और इन जोखिमों के प्रभाव के बारे में प्रबंधन का अनुमान इस प्रकार है:

ब्याज जोखिम

योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज दर में कमी से योजना देयता में वृद्धि होगी।

दीर्घायु जोखिम/ जीवन प्रत्याशा

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य, योजना प्रतिभागियों की रोजगार के दौरान और उसके अंत में मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना देयता में भी वृद्धि होगी।

वेतन वृद्धि जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में गणना किया जाता है। योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना देयता में वृद्धि होगी।

37. संबंधित पक्ष लेनदेन

भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

a) संबंधित पक्षों की सूची

(i) सहायक कंपनियाँ

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
 इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
 इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
 इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड
 इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
 इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड,
 इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड
 इरकॉन अक्लोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड
 इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड
 इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड
 इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ

इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड

(iii) गैर-नियंत्रित हित

अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड

(iv) अनिगमित संयुक्त उद्यम (संयुक्त संचालन)

संयुक्त अभियान चल रहा है

एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम

एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम

इरकॉन-पारस-पीसीएम संयुक्त उद्यम

इरकॉन-डीआरए संयुक्त उद्यम

एएमआरआईएल-इरकॉन संयुक्त उद्यम

बीआरसी-इरकॉन संयुक्त उद्यम

इरकॉन-एसएसएनआर संयुक्त उद्यम

संयुक्त अभियान पूरे हुए

इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर

मेट्रो टनलिंग ग्रुप

इरकॉन-एएफसीओएनएस

वित्तीय रूप से बंद संयुक्त संचालन

इरकॉन-कोबरा-एलिओप

इरकॉन- श्री भवानी बिल्डर्स

इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम

इरकॉन-गैनन डंकर्ली

इरकॉन-आरसीएस-पीएफलेइडरर

इरकॉन-एसपीएससीपीएल

रिकॉन

(v) (क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)

पूर्णकालिक निदेशक

नाम	पद का नाम
श्री बृजेश कुमार गुप्ता ¹	सीएमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) (29.04.2024 से समाप्त)
श्री आशीष बंसल ²	सीएमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) (01.07.2024 से समाप्त)
श्री हरि मोहन गुप्ता ³	सीएमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
श्रीमती रागिनी अडवाणी	निदेशक (वित्त)
श्री आनंद कुमार सिंह	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री पराग वर्मा	निदेशक (कार्य) (सेवानिवृत्त के कारण 30.04.2025 से कार्यरत)
श्री नरेश चंद्र करमाली ⁴	निदेशक (कार्य) (15.05.2025 से समाप्त)
श्री अजीत कुमार मिश्रा ⁵	निदेशक (कार्य)

1. श्री बृजेश कुमार गुप्ता (डीआईएन) 10092756 ने 29 अप्रैल, 2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार त्याग दिया है, इसलिए वे कंपनी के सीएमडी और सीईओ नहीं रहेंगे।
2. श्री आशीष बंसल, आईआरएसई, पीईडी/ट्र. (एम एंड एमसी), रेलवे बोर्ड [डीआईएन:10328174] ने 01 जुलाई, 2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार त्याग दिया है, इसलिए वे कंपनी के सीएमडी और सीईओ नहीं रहेंगे।
3. श्री हरि मोहन गुप्ता [डीआईएन: 08453476] ने 01 जुलाई, 2024 से सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 30.06.2026 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।
4. श्री नरेश चंद्र करमाली (डीआईएन) 09103211, आईआरएसई, पीईडी/जीएस, रेलवे बोर्ड, को दिनांक 09.05.2025 (पूर्वाह्न) से रेल मंत्रालय के अगले आदेश तक इरकॉन के निदेशक (कार्य) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री नरेश चंद्र करमाली ने दिनांक 15.05.2025 (पूर्वाह्न) से इरकॉन के निदेशक (कार्य) (अतिरिक्त प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार त्याग दिया है, अतः वे कंपनी के निदेशक (कार्य) नहीं रहेंगे।
5. श्री अजीत कुमार मिश्रा (डीआईएन) 111108237 को 15.05.2025 (एएन) से 5 वर्ष की अवधि के लिए या रेल मंत्रालय के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (कार्य) के रूप में नियुक्त किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी

नाम	पद का नाम
श्री एलिन रॉय चौधरी	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (01.01.2025 से नियुक्त)
श्री बी. मुगुन्थन	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (31.12.2024 से समाप्त)
श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल	कंपनी सचिव (नियुक्ति प्रभावी) 21.05.2024)
श्रीमती पूजा गुरवाला	कंपनी सचिव (28.11.2023 से नियुक्त) (21.05.2024 से समाप्त)

(ख) अन्य निदेशक

सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक

नाम	पद का नाम
श्री अनुपम सिंह	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (6.11.2024 से नियुक्त)
श्री आनंद भाटिया	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (04.02.2025 से नियुक्त)
श्री धनंजय सिंह	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (6.11.2024 से समाप्त)
श्री बृजेश कुमार गुप्ता	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (29.04.2024 से समाप्त)
श्री अजय कुमार चौहान	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर-आधिकारिक) निदेशक (8.11.2024 से समाप्त)
श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर-आधिकारिक) निदेशक (8.11.2024 से समाप्त)
श्रीमती रंजना उपाध्याय	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर-आधिकारिक) निदेशक (8.11.2024 से समाप्त)
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर-आधिकारिक) निदेशक (28.12.2024 से समाप्त)
श्री टी. वरदराजन	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर-आधिकारिक) निदेशक (15.05.2025 से नियुक्त)

(v) रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ

इरकॉन ग्रेच्युटी ट्रस्ट

इरकॉन कर्मचारी अंशदायी पीएफ ट्रस्ट

इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट

इरकॉन डिफाईंड कंट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन पेंशन स्कीम, 2009 ट्रस्ट

(vi) सरकार से संबंधित संस्थाएँ:

कंपनी रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (ब्लैक) है। 31 मार्च, 2025 तक, कंपनी भारत सरकार (GOI) द्वारा नियंत्रित है, जिसके पास भारत के राष्ट्रपति के नाम पर 65.17% इक्विटी शेयर हैं। भारतीय लेखा मानक 24 के पैरा 25 और 26 के अनुसार, जिन संस्थाओं पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग संस्था और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पक्षों के साथ लेन-देन बाजार की शर्तों पर, निष्पक्ष रूप से किए जाते हैं। कंपनी ने सरकारी संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट का उपयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं।

समूह का निम्नलिखित सरकारी संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण लेन-देन है:

संस्था का नाम	संबंध
रेल मंत्रालय	नियंत्रक संस्था
रेल भूमि विकास प्राधिकरण	रेल मंत्रालय के अधीन वैधानिक प्राधिकरण
भारतीय रेलवे वित्त निगम	रेलवे पीएसयू

(v) अन्य संबंधित पक्ष:

संयुक्त उद्यम कंपनियों के सहयोगी

महानदी कोलफील्ड लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के साथ लेन-देन इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

S. No.	विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1	अल्पकालिक रोजगार लाभ (i)	3.57	2.28
2	रोजगार के बाद के लाभ	0.57	0.39
2	अन्य दीर्घकालिक रोजगार लाभ	0.19	0.07
3	बैठने की फीस	0.18	0.18
	कुल	4.51	2.92

नोट:

(i) वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों में पीआरपी शामिल है 0.59 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अनंतिम आधार पर वर्ष के दौरान भुगतान किया गया (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनंतिम आधार पर वर्ष के दौरान भुगतान किया गया 0.31 करोड़ रुपये का पीआरपी शामिल है)।

(ii) निदेशकों से यथा लागू वसूली की गई है, जिन्हें कंपनी आवास और कार उपलब्ध कराई गई है।

अन्य संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	कंपनी का नाम	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री				
1.1	अनुबंध राजस्व	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	143.99	66.36
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	972.34	619.56
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	11.10	15.62
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	363.37	333.48
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	-
		महानदी कोलफील्ड लिमिटेड	संयुक्त उद्यम के सहयोगी	4.41	4.41
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	5088.52	7161.46
1.2	किराये की आय	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.04	0.04
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	0.09	0.10
	खरीदारी	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	1.93	-
2	अतिरिक्त भूमि के लिए सेवा शुल्क	प्रोजेक्ट टेन रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	महत्वपूर्ण प्रभाव वाली सहायक कंपनी	2.75	-
3	प्रतिनियुक्ति स्टाफ व्यय, किराया और अन्य विविध व्यय (आय) की प्रतिपूर्ति	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.64	0.92
		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.52	0.33
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	0.64
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.42	0.42
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.46	0.35
		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.16	0.06
		अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	गैर-नियंत्रित हित	2.63	4.48

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	कंपनी का नाम	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
4	ब्याज आय				
4.1	ऋण पर ब्याज आय	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	0.29
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	1.51	0.78
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.50	3.30
4.2	अग्रिम पर ब्याज आय	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	-	2.07
4.3	बांड पर ब्याज आय	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	3.92	10.85
4.4	लाभांश आय	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	102.50	69.50
5	लाभांश				
5.1	लाभांश वितरण	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	180.82	206.48
5.3	निवेश की बिक्री पर लाभ हस्तांतरित	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	4.18	9.50
6	ब्याज व्यय				
6.1	ब्याज व्यय आगे बढ़ाया गया	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.19	0.20
6.2	ब्याज व्यय आगे बढ़ाया गया	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	29.13	60.90
6.3	ब्याज व्यय आगे बढ़ाया गया	महानदी कोलफील्ड लिमिटेड	संयुक्त उद्यम के सहयोगी	1.14	1.28
6.4	ब्याज व्यय आगे बढ़ाया गया	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	-	2.07
7	इक्विटी शेयरों में निवेश				
7.1	इक्विटी निवेश/ब्याज मुक्त ऋण/(मान्य इक्विटी) - एनसीआई से प्राप्त	अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	गैर-नियंत्रित हित	-	22.11
8	ब्याज मुक्त ऋण/डीमंड इक्विटी)	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ		
		महानदी कोल रेल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	32.50
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	48.36	16.12
		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	15.60	15.00
8.1	14% डिबेंचर जारी करना	अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	गैर-नियंत्रित हित	209.00	-
				16.86	-
8.2	14% डिबेंचर पर ब्याज				
9	ऋणों की वसूली	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	-
10	अग्रिमों की वसूली	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	-	615.31
11	ऋणों का पुनर्भुगतान	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	-	615.31
12	प्राप्त अग्रिम राशि	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	18.05	0.74
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	311.54	65.54
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	456.52	405.61
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	108.13	90.00
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	4336.16	6046.42

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	कंपनी का नाम	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
13	अग्रिम राशि का पुनर्भुगतान	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड रेल भूमि विकास प्राधिकरण रेल मंत्रालय	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ सरकार से संबंधित संस्थाएँ सरकार से संबंधित संस्थाएँ	5.34 292.51 394.86 108.66 4934.15	0.08 86.59 403.76 140.76 5643.10
14	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ				
14.1	वर्ष के दौरान किया गया योगदान	इरकॉन ग्रेच्युटी ट्रस्ट इरकॉन कर्मचारी अंशदायी पीएफ ट्रस्ट इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट इरकॉन डिफाईंड कंट्रीब्यूशन सुपरन्यूएशन पेंशन स्कीम, 2009 ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	4.64 44.40 5.02 -	5.45 42.54 5.17 5.74

टिप्पणी:

- (i) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों और संयुक्त परिचालनों के साथ गारंटी और अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए नोट 40 देखें।
(ii) एमओआर से की गई खरीदारी विषमांगी प्रकृति की है, इसलिए महत्वहीन है। इसलिए इसका खुलासा नहीं किया गया है।

c) संबंधित पक्षों के पास बकाया राशि इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
1	इक्विटी निवेश (मान्य इक्विटी सहित)	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड महानदी कोल रेलवे लिमिटेड झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	64.15 244.06 258.47 110.50 140.37 76.34 52.00	64.15 228.46 210.11 110.50 140.37 76.34 52.00
2	बांड में निवेश	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	55.20	55.20
3	इक्विटी निवेश (मान्य इक्विटी सहित)-प्राप्त	अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	गैर-नियंत्रित हित	-	35.31
4	ऋण के अलावा वसूली योग्य राशि				
4.1	व्यापार प्राप्तियाँ	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड महानदी कोल रेलवे लिमिटेड झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	24.75 69.24 0.93 0.1 13.85	39.69 25.43 0.77 - 14.09

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
4.2	अनुबंध परिसंपत्तियाँ (ए) बिल योग्य राजस्व अदेय प्राप्य और वसूली योग्य मूल्य पर CWIP	महानदी कोलफील्ड लिमिटेड	संयुक्त उद्यम के सहयोगी	0.77	0.82
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	645.65	111.14
		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	55.70	32.76
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	88.90	25.15
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	9.41	9.41
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	26.29	4.23
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	132.40	124.64
		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.83	3.21
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	16.66	18.34
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.06	7.59
(बी)	प्रतिधारण धन और रोका गया धन	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	1.32	1.83
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	22.72	27.74
		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.83	3.21
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	16.66	18.34
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.06	7.59
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	1.32	1.83
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	22.72	27.74
		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.83	3.21
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	16.66	18.34
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.06	7.59
4.3	अग्रिम और वसूली योग्य दावे	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.05	-
		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.65	0.39
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.81	3.35
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.10	0.08
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.02	0.02
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	4.64	19.64
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	12.93	11.57
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.42	2.97
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	10.88	9.56
		भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	2.7	7.63
4.4	ऋण पर अर्जित ब्याज	इरकॉन ग्रेच्युटी ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	0.72	7.16
4.5	अग्रिमों पर अर्जित ब्याज	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	गैर-नियंत्रित हित	224.17	-
4.6	बांड पर अर्जित ब्याज				
4.7	ट्रस्टों से वसूली योग्य राशि				
5	ब्याज सहित बकाया डिबेंचर				
6	देय राशि				
6.1	व्यापार देयताएं				
6.2	अनुबंध देयताएं (अग्रिम और अग्रिम अनुबंध प्राप्तियाँ)	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	496.28	839.87
		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	27.10	8.05

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	लेन-देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
6.3	ग्राहक को देय अन्य	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	114.99	104.01
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	83.32	21.65
		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.61	0.61
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	2.98
		महानदी कोलफील्ड लिमिटेड	संयुक्त उद्यम के सहयोगी	19.35	25.60
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	590.41	593.35
6.4	उधार पर देय ब्याज	प्रोजेक्ट टेन रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	महत्वपूर्ण प्रभाव वाली सहायक कंपनी	2.48	-
6.5	अग्रिम पर देय ब्याज	अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	गैर-नियंत्रित हित	5.40	4.23
		भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	-	-
6.6	ट्रस्ट को देय	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.67	-
		छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.20	-
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.01	0.62
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.14	1.12
		महानदी कोलफील्ड लिमिटेड	संयुक्त उद्यम के सहयोगी	3.40	1.59
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	210.60	284.83
		इरकॉन ग्रेच्युटी ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	4.64	3.81

डी) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें और नियम

- संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन उन शर्तों के समतुल्य किए जाते हैं जो कि आर्म्स लेंथ लेनदेन में प्रचलित होती हैं।
- वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया राशि असुरक्षित होती है और उसका निपटान बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से होता है। ऋण और ब्याज-युक्त अग्रिमों के अलावा ये शेष राशि ब्याज-मुक्त होती है।
- प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को दिए जाने वाले ऋण उन्हीं शर्तों और नियमों पर लागू होते हैं जो अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

38. प्रति शेयर आय

भारतीय लेखा मानक 33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण

मूल ईपीएस की गणना इक्विटी धारकों को वर्ष के लिए मिलने वाले लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

तनुकृत ईपीएस की गणना, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा तनुकरण के प्रभाव पर विचार करने के बाद, इक्विटी धारकों को दिए जाने वाले वर्ष के लाभ को विभाजित करके की जाती है, साथ ही सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों में रूपांतरित करने पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को भी इसमें जोड़ा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(i) प्रति शेयर मूल और पतला आय (₹ में)

विवरण	Note	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी धारकों को देय लाभ (करोड़ रुपये में)	(ii)	727.41	929.57
बेसिक और तनुकृत ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या में)	(iii)	94,05,15,740	94,05,15,740
प्रति शेयर आय (मूल)		7.73	9.88
प्रति शेयर आय (पतला)		7.73	9.88
प्रति शेयर अंकित मूल्य		2.00	2.00

* वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रमोटर ने कंपनी में 7,53,73,258 इक्विटी शेयरों के "विक्री प्रस्ताव" के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश किया है, जो कंपनी की जारी/अभिदत्त और चुकता पूंजी का 8.01% है।

(ii) इक्विटी शेयरधारकों को देय लाभ (अंश के रूप में प्रयुक्त) (करोड़ रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ	727.41	929.57
ईपीएस की गणना के लिए मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ का उपयोग किया जाता है:	727.41	929.57

(iii) Weighted average number of equity shares (used as denominator) (Nos.)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी किए गए इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	94,05,15,740	94,05,15,740
बेसिक ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94,05,15,740	94,05,15,740
तनुकरण प्रभाव:		
तनुकृत ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94,05,15,740	94,05,15,740

39. परिसंपत्तियों की हानि

वर्ष के दौरान, समूह ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक 36, "परिसंपत्तियों की हानि" के ससंसंदर्भ में शुद्ध वसूली योग्य मूल्य और वहन लागत के आधार पर वसूली योग्य राशि की गणना करके व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि पर मूल्यांकन किया है, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम 2016 के साथ पढ़ा गया है। तदनुसार, शून्य (शून्य) की हानि की हानि का प्रावधान किया गया है।

40. प्रावधान, आकस्मिकताएँ और प्रतिबद्धताएँ

(i) प्रावधानों

भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ' के अनुसार वर्ष के दौरान प्रदान किए गए प्रावधानों की प्रकृति और प्रावधानों में परिवर्तन का खुलासा नोट 21 में किया गया है।

(ii) आकस्मिक देयताएँ

भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ' के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	फूट नोट	31 मार्च, 2024 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे	31 मार्च 2025 तक
क)	समूह के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:					
	विवादित प्रत्यक्ष कर मांगें					
	(i) होलिंग कंपनी के संबंध में	1	46.77	0.03	(2.08)	44.72
	(ii) संयुक्त अभियानों के संबंध में			0.01		0.01
	विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगें					
	(i) होलिंग कंपनी के संबंध में	2	248.51	21.93	(67.60)	202.84
	(ii) संयुक्त अभियानों के संबंध में	3	3.07	-	-	3.07
	(iii) सहायक कंपनियों के संबंध में	11	-	10.88		10.88
	कानूनी मामले					
	(i) होलिंग कंपनी के संबंध में	4	552.55	6.56	(31.09)	528.02
	(ii) संयुक्त अभियानों के संबंध में	5	0.02	0.00	-	0.02
	सहायक कंपनी के संबंध में	6	15.12	105.64	-	120.76
ख)	कंपनी की ओर से जारी की गई गारंटी (वित्तीय गारंटी को छोड़कर)					
	सहायक कंपनियां	7 (i&ii)	1,577.32	733.14	(50.26)	2,260.20
ग)	अन्य धनराशि जिसके लिए समूह आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है					
	ग्राहकों द्वारा समय विस्तार के लिए आवेदन के निपटान तक परिसमाप्त क्षतिपूर्ति		9.27			9.27
	कुल		2,452.63	878.19	(151.03)	3,179.79

फुटनोट:

- आयकर प्राधिकरण ने विभिन्न निर्धारण वर्षों से संबंधित विभिन्न अस्वीकृतियों के कारण कर मांगें प्रस्तुत की हैं। इनमें से कई मामलों में कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया गया, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा उच्च अधिकारियों के समक्ष इन पर विवाद किया गया है। समूह इन मांगों का विरोध कर रहा है, जो विभिन्न अपीलीय स्तरों पर लंबित हैं। स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह और अपीलों पर हुए विकास के आधार पर, प्रबंधन को विश्वास है कि अपीलीय कार्यवाही पूरी होने पर इस प्रकार मांगा गया अतिरिक्त कर बकाया नहीं रहेगा और तदनुसार, अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा निर्णय आने तक, इन वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, वैट आदि के अधिकारियों के साथ कई विवाद लंबित हैं। समूह संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाई गई इन मांगों का विरोध कर रहा है और ये विभिन्न अपीलीय अधिकारियों के पास लंबित हैं। अपील के आधार और स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि विभिन्न अधिकारियों के समक्ष सफल होने की उचित और प्रबल संभावना है। उपरोक्त पर अंतिम निर्णय आने तक, इन वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। उपरोक्त विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगों में शामिल हैं: ₹ 144.85 करोड़ जिसकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों से की जाती है।
- समूह के संयुक्त संचालन, इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के मामले में, बिक्री कर अधिकारियों के पास ₹ 1,00,000 की विवादित मांग लंबित है। 3.07 करोड़ श्रम व्यय की अस्वीकृति के कारण (₹3.07 करोड़)। संयुक्त संचालन ने इस मांग के विरुद्ध उपयुक्त अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील दायर की थी। निर्णय अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- समूह निर्माण अनुबंध शर्तों से संबंधित विवादों पर कई कानूनी मुकदमों में एक पक्ष है, जो भारत और विदेशों में विभिन्न अदालतों और मध्यस्थता कार्यवाहियों में लंबित हैं। कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर अनुबंध मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्यसूची में संशोधन, कार्य

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

- की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा, निष्क्रिय शुल्क आदि की माँग करते हुए दावे दायर किए हैं। कंपनी इन दावों का विरोध कर रही है क्योंकि ये संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं। कुल ₹ के दावे के विरुद्ध 592.33 करोड़ (₹ 613.53 करोड़), ₹ का प्रावधान 64.30 करोड़ (₹ 60.99 करोड़) का भुगतान किया गया है और शेष ₹ 528.02 करोड़ (₹ 552.54 करोड़) को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। समूह ने ठेकेदारों पर ₹ के अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य प्रतिदावे भी किए हैं। 255.02 करोड़ (₹ 222.44 करोड़)। दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि इसका पता लगाना संभव नहीं है।
- 5 एक ठेकेदार, मेसर्स साई इंजीनियर्स ने इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्स्ट्रक्टर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। 0.02 करोड़ रुपये अनुबंध की शर्तों पर विवाद के लिए (0.02 करोड़ रुपये)। निर्णय अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 6 (i) IISL कर्मचारियों द्वारा दायर कुछ कानूनी मामलों में पक्षकार है जो भारत में अदालत/मध्यस्थता कार्यवाही के समक्ष लंबित हैं। इन दावों को कंपनी द्वारा सम्मानित अनुबंधों के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं होने और अधिकारियों के समक्ष सफल होने की मजबूत संभावना के रूप में चुनौती दी जा रही है। दावों पर ब्याज अनिश्चित होने के कारण विचार नहीं किया जाता है। हालांकि, समूहों से संबंधित कुछ मामले हैं जो कंपनी के खिलाफ अदालतों में लंबित हैं जिनके संबंध में देयता का पता नहीं लगाया जा सकता है। (ii) IISL उप-लीज समझौते की समाप्ति के बाद MFC रियायतकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न विवादों से संबंधित कई कानूनी/मध्यस्थता मामलों में पक्षकार है। रियायतकर्ताओं ने उप-लीज समझौते की विभिन्न शर्तों पर विवाद किया है और कंपनी पर देय राशि की माफी की मांग करते हुए दावा दायर किया है जो अन्य गैर-वैध मांगों के साथ शर्तों के अनुसार नहीं है। कुल दावे ₹ 144.65 करोड़ (₹ 33.78 करोड़) के विरुद्ध, वित्तीय विवरणों में ₹ 29.27 करोड़ (₹ 22.66 करोड़) का प्रावधान किया गया है और शेष ₹ 115.39 करोड़ (₹ 11.11 करोड़) आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। कंपनी ने इन मामलों के खिलाफ रियायती और अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य ₹ 63.56 करोड़ (₹ 57.38 करोड़) के काउंटर दावे भी किए हैं। दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि यह अनिश्चित है। (iii) आईआईएसएल ठेकेदारों (एमएफसी) के अलावा) के साथ निर्माण अनुबंध शर्तों से संबंधित कुछ कानूनी/मध्यस्थता मामलों में भी पक्ष है जो भारत में अदालत/मध्यस्थता कार्यवाही के समक्ष लंबित हैं। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं होने और अधिकारियों के समक्ष सफल होने की मजबूत संभावना के रूप में चुनौती दी जा रही है। दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया जाता, क्योंकि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता।
- 7(i) समूह ने अपनी सहायक कंपनी इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड की ओर से 1,00,000 रुपये की राशि के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया है। ₹ 2.05 करोड़ (₹ 2.05 करोड़) ग्राहक को प्रस्तुत निष्पादन गारंटी के लिए।
- (ii) समूह ने अपनी सहायक कंपनियों के लिए सावधि ऋण सुविधा के संबंध में विभिन्न बैंकों को कॉर्पोरेट गारंटी दी है। 3,841.63 करोड़ रुपये (3,841.63 करोड़ रुपये)। 31.03.2025 तक सहायक कंपनियों द्वारा लिया गया सावधि ऋण (पुनर्भुगतान के बाद) 2258.15 करोड़ रुपये (1,575.27 करोड़ रुपये)।
- 8 इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड, एनएचएआई द्वारा देरी, निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न कर पाने, संचालन एवं रखरखाव कार्यों में क्षति आदि से संबंधित कुछ दावों में एक पक्ष है। कंपनी द्वारा इन दावों का विरोध किया जा रहा है क्योंकि ये अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं। 16.97 करोड़ रुपये की राशि के ये दावे आकस्मिक देयता हैं। कंपनी ने एनएचएआई पर 96.98 करोड़ रुपये के प्रतिदावे भी किए हैं जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य हैं।
- 9 इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, एनएचएआई द्वारा उठाए गए कुछ दावों में एक पक्ष है, जो देरी, निर्धारित लक्ष्यों को पूरा न कर पाने, संचालन एवं रखरखाव कार्यों में क्षति आदि से संबंधित हैं। कंपनी द्वारा इन दावों का विरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं। कुल 47.42 करोड़ रुपये के इन दावों को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी ने एनएचएआई पर 338.05 करोड़ रुपये के प्रतिदावे भी किए हैं जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य हैं।
- 10 आईपीबीटीएल के संबंध में 132.63 करोड़ रुपये (आयकर पोर्टल पर 50.59 करोड़ रुपये की मांग पर ब्याज को छोड़कर), वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एक आयकर मांग से संबंधित है, जिसके खिलाफ आयकर विभाग में अपील दायर की गई है, कंपनी को देय आयकर रिफंड क्रमशः 1.85 करोड़ रुपये, 2.31 करोड़ रुपये, 0.18 करोड़ रुपये, 0.09 करोड़ रुपये, 0.04 करोड़ रुपये और 0.01 करोड़ रुपये है जो कि विव 2019-20, विव 2020-21, विव 21-22, विव 22-23, विव 23-24 और विव 24-25 से संबंधित है, जिसे आयकर विभाग द्वारा उपरोक्त मांग के खिलाफ जारी नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में अपील दायर की गई और वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान एक सुनवाई हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वित्त वर्ष के अंत में अगली सुनवाई की तारीख की पुष्टि होनी बाकी है। इसके अलावा, जीएसटी अधिकारियों के पास ब्याज और जुर्माने को छोड़कर 112.96 करोड़ रुपये (शून्य करोड़ रुपये) की राशि का एक विवाद लंबित है। यह मामला जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण के पास लंबित है। अपील के आधार और स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष सफल होने की काफी प्रबल संभावना है। उपरोक्त पर अंतिम निर्णय आने तक, वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।
- 11 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, IISL को CGST अधिनियम, 2017 की धारा 73 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 से संबंधित दिनांक 30.08.2024 का एक माँग आदेश प्राप्त हुआ है। कंपनी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई इन माँगों का विरोध कर रही है और ये माँगें अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित हैं। अपील के आधार और स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि प्राधिकारी

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

के समक्ष सफल होने की उचित और प्रबल संभावना है। उपरोक्त पर अंतिम निर्णय आने तक, इन वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है।

- 12 इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड को धारा 143(1) के अंतर्गत एक सूचना मांग आदेश जारी किया गया है, जिसमें निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 1.22 करोड़ रुपये, दिनांक 09.01.2024 और निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए 2.26 करोड़ रुपये, दिनांक 01.03.2024 शामिल हैं। निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए, कंपनी को ITAT से 12.03.2025 के आदेश द्वारा राहत मिली, जिसमें 1.22 करोड़ रुपये की मांग राशि को हटा दिया गया था। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए, कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 250 के अंतर्गत CIT(I) से 09.01.2024 के आदेश द्वारा राहत मिली, जिसमें 2.26 करोड़ रुपये की मांग राशि को हटा दिया गया था।

(iii) आकस्मिक संपत्तियां

भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

- ए) समूह द्वारा अपने कुछ ग्राहकों पर उठाए गए दावे और मध्यस्थों द्वारा समूह के पक्ष में दिए गए फैसले, जिनके विरुद्ध ग्राहक अदालत गए हैं, को प्राप्य के रूप में हिसाब में नहीं लिया गया है। 454.60 करोड़ रुपये (461.40 करोड़ रुपये) जिसमें मध्यस्थता पुरस्कार के अनुसार 31.03.2025 तक की गणना की गई ब्याज भी शामिल है।
- बी) समूह द्वारा उप-ठेकेदारों पर उठाए गए प्रतिदावे और मध्यस्थों द्वारा समूह के पक्ष में दिए गए फैसले, जिसके खिलाफ उप-ठेकेदार अदालत गए हैं, को प्राप्य के रूप में हिसाब में नहीं लिया गया है। 15.36 करोड़ रुपये (14.16 करोड़ रुपये)
- सी) बीमा दावा 0.95 अमेरिकी डॉलर एम.एन. (यूएसडी 0.95 मिलियन) और इथियोपियाई बीर 1.34 मिलियन (1.34 Mn) के बराबर 8.16 करोड़ रुपये (8.03 करोड़ रुपये) जिसमें 31.03.2025 तक की गणना ब्याज भी शामिल है, जिसे माननीय इथियोपिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा समूह के पक्ष में दिया गया था, का हिसाब इथियोपिया हाई कोर्ट द्वारा निष्पादन आदेश लंबित होने के कारण नहीं लगाया गया है।
- डी) आईआईएसएल ने नोट 28(ए)/(ए) के अंतर्गत अंतर्गत उल्लिखित ₹63.56 करोड़ (₹57.38 करोड़) के दावों के विरुद्ध विभिन्न प्रतिदावे किए हैं। कंपनी द्वारा एमएफसी रियायतग्राहियों पर उठाए गए दावे और रेलवे के संपदा अधिकारी द्वारा कंपनी के पक्ष में दिए गए दावे, जिसके विरुद्ध रियायतग्राही अदालत गए हैं, प्राप्य के रूप में हिसाब में नहीं लिए गए हैं, ₹14.27 करोड़ (₹2.46 करोड़) हैं।

(iv) प्रतिबद्धताओं

(₹ करोड़ में)

	विवरण	पाद लेख	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
क)	पूंजी प्रतिबद्धताएं			
	पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिम को घटाकर) और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:	1	53.09	38.71
ख)	अन्य प्रतिबद्धताएं			
(i)	संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से प्रतिबद्ध वित्तपोषण	2	194.50	113.98
(ii)	सहायक कंपनियों के लिए काउंटर बैंक गारंटी	3	245.62	286.88
	सहायक कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गारंटी	4	1452.87	2,186.11
	संयुक्त उद्यम की ओर से प्रायोजक का समर्थन समझौता	5	1712.1	1,712.10
			3658.18	4337.78

फूट नोट :

(₹ करोड़ में)

1.	क्र.सं.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
	1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि		
	2	निवेश संपत्ति पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	0.99	5.95
	3	विकासधीन अमूर्त परिसंपत्तियों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि-होलिडिंग कंपनी	9.15	11.04
		कुल	53.09	38.71

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
		हिस्सेदारी	ऋण	हिस्सेदारी	स्वदे
1	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	0.07	18.07	-	18.14
2	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड*	0.01	128.88	0.01	48.36
3	महानदी कोल रेल लिमिटेड	-	22.13	-	22.13
4	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	0.01	25.33	0.01	25.33
	कुल	0.09	194.41	0.02	113.96

- * होलिंग कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने 26 मार्च, 2025 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके ज़रिए छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड को दी जाने वाली ऋण प्रतिबद्धता में 128.88 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। तदनुसार, प्रतिबद्धताओं के मूल्य का खुलासा कर दिया गया है।
- 3 सहायक कंपनियों को बैंक गारंटी जारी करने के लिए निर्धारित होलिंग कंपनी की गैर-निधि आधारित सीमा ₹747.95 करोड़ (₹747.95 करोड़) है। उक्त सीमा में से, 31.03.2025 तक ₹245.62 करोड़ (₹461.07 करोड़) की बैंक गारंटी का उपयोग किया जा चुका है। अतः, बैंक गारंटी जारी करने की शेष सीमा ₹502.33 करोड़ (₹286.88 करोड़) है।
- 4 होलिंग कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के लिए सावधि ऋण सुविधा के संबंध में विभिन्न बैंकों को ₹ 1,00,000 की राशि की कॉर्पोरेट गारंटी दी है। 3841.63 करोड़ (₹ 3841.63 करोड़) सहायक कंपनियों ने ₹ 3841.63 करोड़ का सावधि ऋण लिया है। 2388.66 करोड़ (₹ 1655.52 करोड़) 31.03.2025 तक। सहायक कंपनियों ने ₹ की राशि चुका दी है। 130.51 करोड़ (₹ 80.25 करोड़) इन सावधि ऋणों के विरुद्ध और 31.03.2025 तक सावधि ऋण शेष ₹ है 2258.15 करोड़ (₹ 1575.27 करोड़)।
- 5 (i) कंपनी ने एसईसीएल (प्रायोजकों) के साथ मिलकर अपने संयुक्त उद्यम, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) की ओर से प्रायोजक समर्थन समझौता निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि वाणिज्यिक परिचालन तिथि की प्राप्ति से पहले उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना के कारण रियायत समझौते की समाप्ति के मामले में, प्रायोजक उधारकर्ता और/या परियोजना का सहारा लिए बिना, ऋणदाताओं की संतुष्टि के लिए, उधारकर्ता के ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करेंगे। रुपया सावधि ऋण की दी गई राशि के अनुसार इरकॉन का हिस्सा ₹ है। 1033.76 करोड़ (कुल ऋण ₹ 3976 करोड़ का 26%) 31 मार्च 2025 तक (31 मार्च, 2024: ₹ 1033.76 करोड़)।
- (ii) कंपनी ने सीसीएल (प्रायोजकों) के साथ मिलकर अपने संयुक्त उद्यम, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) की ओर से प्रायोजक समर्थन समझौता निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि वाणिज्यिक परिचालन तिथि प्राप्त होने से पहले उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना के कारण रियायत समझौते की समाप्ति के मामले में, प्रायोजक उधारकर्ता और/या परियोजना का सहारा लिए बिना, ऋणदाताओं की संतुष्टि के लिए, उधारकर्ता के ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करेंगे। रुपया सावधि ऋण की दी गई राशि के अनुसार इरकॉन का हिस्सा ₹ है। 327.60 करोड़ (कुल ऋण ₹ 1259.75 करोड़ का 26%) 31 मार्च 2025 तक (31 मार्च, 2024: ₹ 327.60 करोड़)
- (iii) कंपनी ने एसईसीएल और सीएसआईडीसीएल (प्रायोजकों) के साथ मिलकर अपने संयुक्त उद्यम, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) की ओर से प्रायोजक समर्थन समझौता निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि वाणिज्यिक परिचालन तिथि प्राप्त होने से पहले उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना के कारण रियायत समझौते की समाप्ति की स्थिति में, प्रायोजक उधारकर्ता और/या परियोजना का सहारा लिए बिना, ऋणदाताओं की संतुष्टि के लिए, उधारकर्ता के ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करेंगे। रुपया सावधि ऋण की दी गई राशि के अनुसार इरकॉन का हिस्सा ₹ 350.74 करोड़ (कुल ऋण ₹ 1,349.00 करोड़ का 26%) 31 मार्च 2025 तक (31 मार्च, 2024: ₹ 350.74 करोड़)।
- 6 पूंजीगत खातों पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि 608.50 करोड़ रुपये (31 मार्च 2024 के लिए 1649.19 करोड़ रुपये) सोआर परियोजनाओं के निर्माण और अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए 37.52 करोड़ रुपये सौर परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड से संबंधित ऋण (38.02 करोड़ रुपये) का ऋण।
- 7 (i) (ii) 31 मार्च, 2025 तक बकाया साख पत्र की राशि है ₹ 135.86 करोड़ (31 मार्च, 2024 ₹ 3.42 करोड़)। आईआरपीएल द्वारा जारी गारंटियाँ, जिनमें ₹494.52 करोड़ का साख पत्र शामिल है।
- 8 देय रियायती शुल्क 395.89 करोड़ रुपये इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड की अन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में टोल रोड की रियायत अवधि के अंत तक एनएचआई को (422.95 करोड़ रुपये)
- 9 आईवीकेईएल के संबंध में विवादित जीएसटी मार्गें 60.12 करोड़ रुपये (191.16 करोड़ रुपये) और आईडीएचएचएल के संबंध में 3.47 करोड़ रुपये (3.47 रुपये)।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

41. खंड रिपोर्टिंग

खंड रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक 108 “अंतिम चरण” के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क. सामान्य जानकारी

परिचालन खंडों को किसी उद्यम के उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके लिए पृथक वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है और जिसका मूल्यांकन मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (CODM) द्वारा संसाधनों के आवंटन और प्रदर्शन के आकलन के तरीके तय करने के लिए नियमित रूप से किया जाता है। समूह का निदेशक मंडल मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (CODM) है। परिचालन खंडों की रिपोर्ट मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (ब्लॉक) को प्रदर्शन की समीक्षा और संसाधनों के आवंटन के लिए प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप की गई है। समूह ने भौगोलिक दृष्टिकोण से रिपोर्ट करने योग्य परिचालन खंडों का निर्धारण किया है।

ख. रिपोर्ट योग्य खंडों के बारे में जानकारी और वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
खंड राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	339.10	574.82	10,420.48	11,938.83	10,759.58	12,513.65
कुल परिचालन राजस्व	339.10	574.82	10,420.48	11,938.83	10,759.58	12,513.65
ब्याज आय	26.18	43.11	264.15	275.67	290.33	318.78
अन्य कमाई	17.61	1.14	63.51	36.95	81.12	38.09
अंतर-खंड	-	-	-	-	-	-
कुल लाभ	382.89	619.07	10,748.14	12,251.45	11,131.03	12,870.52
सेगमेंट परिणाम						
प्रावधान, मूल्यह्रास, ब्याज और असाधारण मद और कर से पहले का लाभ	100.48	206.34	1,468.07	1,425.07	1,568.55	1,631.41
कम: प्रावधान और वापस लिखें	(4.54)	(3.11)	(349.29)	(165.84)	(353.83)	(168.95)
घटाएँ: मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	(3.54)	(3.25)	(114.34)	(97.18)	(117.88)	(100.43)
कम: ब्याज	(0.33)	-	(217.26)	(147.12)	(217.59)	(147.12)
जोड़ें: इक्विटी पद्धति का उपयोग करके संयुक्त उद्यमों के शुद्ध लाभ का हिस्सा	-	-	59.77	46.22	59.77	46.22
कर से पहले का लाभ	92.07	199.98	846.95	1,061.15	939.02	1,261.13
घटाएँ: कर व्यय	(7.74)	(44.17)	(203.45)	(287.45)	(211.19)	(331.62)
कर के बाद लाभ	84.33	155.81	643.50	773.70	727.83	929.51

(₹ करोड़ में)

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
कुल संपत्ति	1,053.19	1,035.10	18,468.09	16,417.06	19,521.28	17,452.16
कुल देनदारियों	825.46	852.45	12,333.87	10,693.61	13,159.33	11,546.06
संयुक्त उद्यमों में निवेश का लेखा इक्विटी पद्धति द्वारा किया जाता है	-	-	885.72	864.50	885.72	864.50
वित्तीय साधनों, आस्थगित कर परिसंपत्तियों, शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों के अलावा गैर चालू परिसंपत्ति	92.56	90.10	3,835.58	2,858.48	3,928.14	2,948.58
समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय (पीपीई), सीडब्ल्यूआईपी, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त संपत्तियां, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां और उपयोग का अधिकार)	1.26	0.09	1,260.64	581.81	1,261.90	581.90

क. प्रमुख ग्राहक के बारे में जानकारी

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्षों के लिए रिपोर्ट योग्य खंडों के साथ कंपनी द्वारा एकल बाहरी ग्राहक से प्राप्त राजस्व को कंपनी के राजस्व के 10 प्रतिशत या उससे अधिक के रूप में प्रस्तुत करती है:

विवरण	खंड	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
बाहरी ग्राहकों से राजस्व:			
एकल प्रमुख ग्राहक-01	घरेलू	48.83%	60.92%
एकल प्रमुख ग्राहक-02	घरेलू	19.45%	19.20%

42. अन्य संस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक 112 "अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण" के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

संयुक्त संचालन में निवेश

निम्नलिखित संयुक्त परिचालनों में निवेश को लागत में शामिल किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त अभियान का नाम	व्यवसाय का मुख्य स्थान और निगमन का देश	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
i)	परिचालन में परियोजनाओं के लिए:					
	एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम	गुजरात और महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
	एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम	महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
	इरकॉन-पारस-पीसीएम संयुक्त उद्यम	उत्तराखंड, भारत	60.00	60.00	0.00	0.00
	इरकॉन-डीआरए संयुक्त उद्यम	ओडिशा, भारत	51.00	51.00	0.00	0.00
	एएमआरआईएल-इरकॉन संयुक्त उद्यम	मणिपुर, भारत	26.00	26.00	0.00	0.00
	बीआरसी-इरकॉन संयुक्त उद्यम	मेघालय, भारत	26.00	26.00	0.00	0.00
	इरकॉन-एसएसएनआर संयुक्त उद्यम	मध्य प्रदेश, भारत	70.00	70.00	0.00	0.00

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	संयुक्त अभियान का नाम	व्यवसाय का मुख्य स्थान और निगमन का देश	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
ii)	संयुक्त अभियान पूरे हुए					
	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्स्ट्रक्टर	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	मेट्रो टनलिंग ग्रुप	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	इरकॉन-एएफसीओएनएस	बांग्लादेश	53.00	53.00	53.00	53.00
iii)	वित्तीय रूप से बंद संयुक्त संचालन					
	इरकॉन-कोबरा-एलिओप	दिल्ली एनसीआर, भारत	61.22	61.22	61.22	61.22
	इरकॉन- श्री भवानी बिल्डर्स	चेन्नई, भारत	24.21	24.21	24.21	24.21
	इरकॉन-एसएमजे परियोजना संयुक्त उद्यम	तमिलनाडु, भारत	55.00	55.00	55.00	55.00
	इरकॉन-गैनन डंकर्ली	उत्तर प्रदेश, भारत	55.70	55.70	55.70	55.70
	इरकॉन-आरसीएस-पीएफलेइडरर	जम्मू और कश्मीर, भारत	65.08	65.08	65.08	65.08
	इरकॉन-एसपीएससीपीएल	जम्मू और कश्मीर, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
	रिकॉन	दिल्ली एनसीआर, भारत	49.00	49.00	49.00	49.00

(ख) संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	व्यवसाय का मुख्य स्थान और निगमन का देश	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक		लेखांकन पद्धति
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	
1	इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00	इक्विटी विधि
2	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	25.31	26.00	25.31	26.00	इक्विटी विधि
3	छत्तीसगढ़ पूर्व-पश्चिम रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	ओडिशा, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	झारखंड, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
7	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	दिल्ली एनसीआर, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि

(ग) संयुक्त परिचालन में संक्षिप्त वित्तीय हित (कंपनी के हिस्से की सीमा तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	संयुक्त परिचालन का नाम											
		इरकॉन-एएफसीओएनएस		एक्सप्रेस माल संघ		इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्स्ट्रक्टर		मेट्रो टनलिंग ग्रुप		इरकॉन-पारस-पीसीएम संयुक्त उद्यम		कुल	
			023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
	वर्ष के अंत तक:												
1	संपत्ति												
	पीपीई			-	-					0.01	-	0.01	-
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर			-	-					-	-	-	-
	अन्य परिसंपत्तियां	-	0.42	-	-	4.51	4.46	0.85	1.87	1.01	-	6.37	6.75
												-	-

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	विवरण	संयुक्त परिचालन का नाम											
		इरकॉन—एएफसीओएनएस		एक्सप्रेस माल संघ		इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर		मेट्रो टनलिंग ग्रुप		इरकॉन—पारस—पीसीएम संयुक्त उद्यम		कुल	
			2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
2	देयताएं											-	-
	प्रावधान	-	-	-	-	0.03	0.02	0.07	0.08	-	-	0.10	0.10
	अन्य देयताएं	-	-	-	-	0.90	0.91	0.02	0.03	1.02	-	1.94	0.94
												-	-
	वर्ष के अंत के लिए:											-	-
3	कुल आय	-	-	1.59	1.65	0.08	0.07	0.07	0.10	-	-	1.74	1.82
4	कुल व्यय	-	0.05	0.68	0.17	0.00	0.01	0.02	0.02	-	-	0.70	0.25
5	कुल कर			0.46	0.53	0.03	0.02	0.02	0.20	-	-	0.51	0.75
6	कर के बाद लाभ	-	(0.05)	0.45	0.95	0.05	0.04	0.03	(0.12)	-	-	0.53	0.82
7	अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कुल व्यापक आय	-	(0.05)	0.45	0.95	0.05	0.04	0.03	(0.12)	-	-	0.53	0.82

टिप्पणी:

1. 'वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, निम्नलिखित नए संयुक्त संचालन बनाए गए हैं जिनका कोई वित्तीय लेनदेन नहीं है:-

- इरकॉन-डीआरए संयुक्त उद्यम
- एएमआरआईएल-इरकॉन संयुक्त उद्यम
- बीआरसी-इरकॉन संयुक्त उद्यम
- इरकॉन-एसएसएनआर संयुक्त उद्यम

2. संयुक्त परिचालन से संबंधित आकस्मिक देयताओं का खुलासा नोट 40 में किया गया है।

(घ) संयुक्त उद्यम कंपनियों की संक्षिप्त बैलेंस शीट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
		31-3-2025 तक	31-3-2024 तक	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक
1	गैर तात्कालिक परिसंपत्ति	0.03	1.26	3810.21	3524.11	4636.69	3191.02	-	-
2	वर्तमान संपत्ति	331.65	331.36	60.19	54.24	129.76	161.46	386.91	374.87
	कुल संपत्ति (क)	331.68	332.61	3,870.40	3,578.35	4,766.45	3,352.47	386.91	374.87
3	गैर मौजूदा देनदारियां	-	-	3,072.80	2,672.58	3,709.65	2,566.61	-	-
4	वर्तमान देनदारियां	38.50	38.69	225.50	211.14	159.54	53.23	70.55	64.14
	कुल देयताएं (ख)	38.50	38.69	3,298.30	2,883.72	3,869.19	2,619.84	70.55	64.14
5	शुद्ध परिसंपत्तियाँ (क+ख)	293.18	293.93	572.10	694.63	897.26	732.64	316.36	310.73
	क) नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं	36.43	34.71	6.42	31.67	127.05	157.61	2.12	0.50
	ख) वित्तीय देयताएं शामिल हैं (व्यापार देयताएं और अन्य देयताएं तथा प्रावधान शामिल नहीं)	-	-	3,077.65	2,672.58	3,709.73	2,566.66	52.72	56.04

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

S. No.	विवरण	इरकॉन — सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	
		31-3-2025 तक	31-3-2024 तक	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक
1	गैर तात्कालिक परिसंपत्ति	102.85	117.00	1517.58	873.84	401.46	405.98
2	चालू संपत्ति	306.66	359.92	71.49	159.31	56.66	46.20
	कुल संपत्ति (क)	409.51	476.92	1,589.07	1,033.14	458.11	452.18
3	गैर मौजूदा देनदारियां	0.18	106.50	1,029.17	478.38	0.26	-
4	चालू देनदारियां	259.90	210.87	2.56	2.20	75.56	72.63
	कुल देयताएं (ख)	260.08	317.37	1,031.72	480.58	75.82	72.63
5	शुद्ध परिसंपत्तियाँ (एबी)	149.44	159.55	557.34	552.56	382.30	379.55
	क) नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं	21.89	13.21	5.76	70.13	49.57	31.81
	ख) वित्तीय देयताएं शामिल हैं (व्यापार) देयताएं और अन्य देयताएं तथा प्रावधान शामिल नहीं)	141.98	250.59	1,029.49	478.56	65.91	71.04

ड.) संयुक्त उद्यम कंपनियों के लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण:

(₹ करोड़ में)

S. No.	विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1	आय	-	-	109.38	51.17	-	-	3.62	5.15
2	ब्याज आय	2.54	2.31	0.05	-	-	-	9.63	9.14
3	अन्य कमाई	-	0.22	0.12	0.04	-	-	0.58	0.32
	कुल आय	2.54	2.53	109.56	51.21	-	-	13.83	14.61
4	संचालन पर व्यय	-	-	32.76	33.57	-	-	3.69	4.34
5	कर्मचारी लाभ	-	-	1.38	1.08	-	-	0.39	1.46
6	मूल्यहास और परिशोधन	0.05	0.01	89.97	88.60	-	-	-	-
7	वित्तीय लागत	-	-	200.50	175.33	-	-	-	-
8	अन्य खर्च	1.85	0.98	3.02	3.39	0.20	0.22	1.25	1.61
	कुल व्यय	1.90	0.99	327.63	301.97	0.20	0.22	5.32	7.41
9	संयुक्त उद्यम के लाभ और हानि का हिस्सा	-	-	-	-	-	-	-	1.84
10	आयकर	1.38	0.40	56.70	155.88	-	-	2.88	2.48
11	वर्ष के लिए लाभ	(0.75)	1.14	(161.37)	(94.88)	(0.20)	(0.22)	5.63	6.56
12	अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-
13	कुल व्यापक आय	(0.75)	1.14	(161.37)	(94.88)	(0.20)	(0.22)	5.63	6.56

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

S. No.	विवरण	इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1	आय	346.75	309.63	-	-	24.16	20.93
2	ब्याज आय	18.74	13.18	6.96	3.76	3.01	1.10
3	अन्य कमाई	1.02	0.31	-	-	-	-
	कुल आय	366.51	323.12	6.96	3.76	27.17	22.03
4	संचालन पर व्यय	111.20	53.09	-	-	0.11	0.18
5	कर्मचारी लाभ व्यय	0.80	0.60	-	-	1.13	1.46
6	वित्तीय लागत	24.99	33.85	-	-	3.40	8.23
7	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	86.74	58.41	0.03	0.03	10.15	12.00
8	अन्य खर्चों	4.50	9.89	0.32	0.25	9.39	1.74
	कुल व्यय	228.22	155.84	0.35	0.28	24.17	23.61
9	आयकर	49.12	31.18	1.84	0.96	0.26	-
	जोड़ें:-असाधारण आइटम	105.72	-	-	-	-	-
10	वर्ष के लिए लाभ	194.90	136.10	4.78	2.52	2.74	(1.58)
11	अन्य व्यापक आय	-0.01	-0.01	-	-	-	-
12	कुल व्यापक आय	194.89	136.09	4.78	2.52	2.74	(1.58)

च) संयुक्त उद्यम कंपनियों की वहन राशियों का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक
आरंभिक शुद्ध परिसंपत्तियाँ	293.92	292.78	694.63	751.05	732.65	720.04	310.73	304.29
वर्ष के लिए लाभ	(0.75)	1.14	(161.37)	(94.88)	(0.20)	(0.22)	5.63	6.56
चुकता शेयर पूंजी में वृद्धि	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-
लाभांश का भुगतान	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	-	-	38.84	38.46	164.82	12.83	-	-
अन्य समायोजन (आवंटन लंबित आवेदन राशि)/	-	-	-	-	-	-	-	-0.12
शेयर जारी करने का खर्च	-	-	-	-	-	-	-	-
समापन शुद्ध परिसंपत्तियाँ	293.17	293.92	572.10	694.63	897.27	732.65	316.36	310.73

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक
समूह का हिस्सा : में								
(i) चुकता शेयर पूंजी और लाभ में	26.00%	26.00%	25.31%	25.31%	26.00%	26.00%	26.00%	26.00%
(ii) शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह का हिस्सा								
(i) चुकता शेयर पूंजी और लाभ में	76.23	76.42	145.02	185.87	209.62	193.55	61.35	59.89
(ii) शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन	-	-	15.60	-	48.36	16.12	-	-
पेसा ले जाने	76.23	76.42	160.62	185.87	257.98	209.67	61.35	59.89

(₹ करोड़ में)

विवरण	इरकॉन — सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	
	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक	31-3-2025 तक	31-3-2024 तक
आरंभिक शुद्ध परिसंपत्तियाँ	159.56	162.46	552.57	545.05	379.56	88.64
वर्ष के लिए लाभ	194.90	136.10	4.78	2.52	2.74	(1.58)
चुकता शेयर पूंजी में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-
लाभांश का भुगतान	(205.00)	(139.00)	-	-	-	-
अन्य वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	-	-	-	5.00	-	292.50
अन्य समायोजन (आवंटन) लंबित आवेदन राशि)	-	-	-	-	-	-
समापन शुद्ध परिसंपत्तियाँ	149.46	159.56	557.35	552.57	382.30	379.56
समूह का हिस्सा : में						
(i) चुकता शेयर पूंजी और लाभ में	50.00%	50.00%	26.00%	26.00%	26.00%	26.00%
(ii) शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	-	-	-	-	-	-
समूह का हिस्सा						
(i) चुकता शेयर पूंजी और लाभ में	177.22	149.28	144.38	143.14	110.44	77.24
अन्य वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	-	-	-	-	-	32.50
अन्य समायोजन	(102.50)	(69.50)	-	-	-	-
धन प्राप्त	74.72	79.78	144.38	143.14	110.44	109.74

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट**31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए****43. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट्स****क) राजस्व का पृथक्करण**

नीचे ग्राहकों के साथ अनुबंधों से समूह के राजस्व का परिचालन खंड और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार के आधार पर विभाजन दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

उत्पाद या सेवाओं का प्रकार	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए						
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व			प्रदर्शन दायित्व को मापने की विधि		अन्य राजस्व	लाभ और हानि विवरण/खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेश	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	7,932.98	300.78	8,233.76	8,233.78	-	19.20	8,252.96
हाइवे	2,300.99	27.85	2,328.84	2,122.42	206.42	0.15	2,328.99
विद्युतीय	-	-	-	-	-	-	-
इमारत	41.41	-	41.41	41.41	-	-	41.41
अन्य	65.64	6.51	72.15	72.15	-	64.07	136.22
कूल	10,341.02	335.14	10,676.16	10,469.76	206.42	83.42	10,759.58

वर्ष के दौरान भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कुल राजस्व में से 10469.76 करोड़ रुपये समयावधि में तथा 206.42 करोड़ रुपये समय-समय पर मान्यता प्राप्त है।

(₹ करोड़ में)

उत्पाद या सेवाओं का प्रकार	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए						
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व			प्रदर्शन दायित्व को मापने की विधि		अन्य राजस्व	लाभ और हानि विवरण/खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेश	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	9,569.36	449.09	10,018.45	10,018.45	-	-	10,018.45
हाइवे	2,204.79	125.48	2,330.27	2,106.73	223.54	-	2,330.27
विद्युतीय	-	-	-	-	-	-	-
इमारत	79.21	-	79.21	79.21	-	-	79.21
अन्य	38.72	-	38.72	38.72	-	47.00	85.72
कुल	11,892.08	574.57	12,466.65	12,243.11	223.54	47.00	12,513.65

वर्ष के दौरान भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कुल राजस्व में से 12243.11 करोड़ रुपए समयावधि में तथा 223.54 करोड़ रुपए समय-समय पर मान्यता प्राप्त है।

समूह ने भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुप्रयोग के लिए संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण लागू किया है और 1 अप्रैल, 2018 तक प्रतिधारित आय पर इसका प्रभाव शून्य है।

ख) अनुबंध शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
व्यापार प्राप्य (नोट 114.2)	1,328.25	803.33
अनुबंध परिसंपत्तियाँ (नोट 110.3 और 14.6)	5,175.80	3,906.97
अनुबंध देयताएँ (नोट 222 और 24)	2,948.91	3,056.91

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(प) व्यापारिक प्राप्तियाँ ब्याज-रहित हैं और ग्राहकों में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, भारत और विदेश में स्थित सरकारी कंपनियाँ शामिल हैं। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान शामिल हैं।

(पप) अनुबंध परिसंपत्तियों को उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जो ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल प्राप्त करने के समूह के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें निर्माणाधीन अनुबंधों के तहत ग्राहकों से देय शेष राशि शामिल है, जो तब उत्पन्न होती है जब समूह अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करता है, हालाँकि राजस्व को इनपुट पद्धति के तहत अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है। अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में पहले मान्यता प्राप्त कोई भी राशि, संलग्न शर्त, यानी भविष्य की सेवा, जो बिलिंग मील का पत्थर हासिल करने के लिए आवश्यक है, की पूर्ति पर व्यापार प्राप्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत की जाती है।

वर्ष के दौरान अनुबंध शेष में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध परिसंपत्ति	3,906.97	2,816.55
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	5,175.80	3,906.97
शुद्ध वृद्धि/कमी	1,268.83	1,090.42

वर्ष 2024-25 और 2023-24 के लिए – शुद्ध वृद्धि हुई है 1268.83 करोड़ रुपये पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹1090.42 करोड़ और ₹1090.42 करोड़ की वृद्धि हुई है, मुख्यतः इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की पहचान के कारण, जबकि किए गए कार्य के बिल अनुबंध की शर्तों के आधार पर प्रमाणित किए जाते हैं।

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, 777.61 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2024 तक, क्रमशः 1 अप्रैल 2024 और 1 अप्रैल 2023 तक 972.96 करोड़ रुपये की अनुबंध परिसंपत्तियों को माइलस्टोन पूरा होने पर ग्राहकों को बिलिंग करने पर व्यापार प्राप्य के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(iii) निर्माण अनुबंधों से संबंधित अनुबंध देयताएँ ग्राहकों को देय शेष राशि होती हैं। ये तब उत्पन्न होती हैं जब किसी विशेष मील के पत्थर का भुगतान, इनपुट पद्धति के अंतर्गत आज तक मान्यता प्राप्त राजस्व और दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों में प्राप्त अग्रिम राशि से अधिक हो जाता है। ग्राहक को चालान जारी होने पर प्राप्त अग्रिम राशि निर्माण अवधि के दौरान समायोजित कर दी जाती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देयताएं	3,056.91	3,574.49
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं	2,948.91	3,056.91
शुद्ध वृद्धि/कमी	(108.00)	(517.58)

वर्ष 2024-25 और 2023-24 के लिए – शुद्ध कमी हुई है रुपये 108 करोड़ और 517.58 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से ग्राहक से प्राप्त अग्रिम के कारण पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

ग) नीचे निम्नलिखित से प्राप्त राजस्व की राशि दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देनदारियों में शामिल राशि	2,527.10	3,020.60
पिछले वर्षों में पूरा किया गया निष्पादन दायित्व	-	-

घ) अनुबंध प्राप्त करने की लागत

31 मार्च, 2025 तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त राशि शून्य रुपये है (31 मार्च, 2024 तक: शून्य रुपये)

वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त परिशोधन राशि शून्य रुपये है (वित्त वर्ष 2023-24: शून्य रुपये)

ड.) अनुबंध को पूरा करने की लागत

31 मार्च, 2025 तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त राशि ₹ 87.53 करोड़ है (31 मार्च, 2024 तक: ₹91.92 करोड़). वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त परिशोधन राशि ₹ 2.04 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24: ₹ 9.92 करोड़) है।

च) प्रदर्शन दायित्व

समूह के निष्पादन दायित्वों के बारे में जानकारी नीचे संक्षेप में दी गई है:

31 मार्च तक शेष निष्पादन दायित्वों (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य निम्नानुसार हैं:

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
एक साल के भीतर	10,094.00	12,708.00
एक वर्ष से अधिक से 2 वर्ष तक	15,924.00	8,594.00
2 वर्ष से अधिक	3,460.00	7,536.00
कुल	29,478.00	28,838.00

सेवा रियायत व्यवस्था

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्थाओं को परिशिष्ट "ग" – सेवा रियायत व्यवस्था (इंड, एएएस-115) के अनुसार दर्ज किया जाता है। परिशिष्ट "ग" लागू होता है यदि:

क) अनुदानकर्ता यह नियंत्रित या विनियमित करता है कि ऑपरेटर को बुनियादी ढांचे के साथ कौन सी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, किसे उन्हें प्रदान करना चाहिए, और किस कीमत पर; और

(ख) अनुदानकर्ता स्वामित्व, लाभकारी अधिकार या अन्यथा के माध्यम से व्यवस्था की अवधि के अंत में बुनियादी ढांचे में किसी भी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित को नियंत्रित करता है।

यदि उपरोक्त दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो वित्तीय परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक ऑपरेटर के पास सेवा के लिए अनुदानकर्ता से या उसके विवेक पर नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त संविदात्मक अधिकार है।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसे प्रदान की गई सेवा के उचित मूल्य और संचालन से सीधे संबंधित अन्य प्रत्यक्ष लागतों के योग के रूप में समझा जाता है। फिर इन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर दर्शाया जाता है या

अमूर्त परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक ऑपरेटर को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं से शुल्क लेने का अधिकार प्राप्त होता है, बशर्ते कि ये शुल्क सेवा के उपयोग की सीमा पर सशर्त हों।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसे प्रदान की गई सेवा के उचित मूल्य और संचालन से सीधे जुड़ी अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में समझा जाता है। फिर इन्हें रियायत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति को मान्यता दी है 3241.13 करोड़ रुपये (रु. 11111111437.64 करोड़) सेवा रियायत समझौते के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि तक अनुबंध की शर्तों के अनुसार माइलस्टोन पूरा होने पर एनएचएआई से देय प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए। समूह ने राजस्व की पहचान की है 1860.44 करोड़ रुपये (1883.05 करोड़ रुपये) और लाभ 91.78 रुपये "ग्राहकों से राजस्व" से संबंधित भारतीय लेखा मानक (इंड, एएएस) 115 के अनुसार एससीए के अंतर्गत सड़क निर्माण पर 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए (27.75 करोड़ रुपये) का ऋण स्वीकृत किया गया है। समूह ने सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्य राशि को मान्यता दी है और इसे अन्य वित्तीय चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया है, जो उसे 31 मार्च 2025 तक माइलस्टोन के पूरा होने के आधार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्राप्त होगी।

समूह ने राजस्व की पहचान की है रु. शून्य (सेवा रियायत समझौते के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर रु. 2.86 करोड़) समूह ने मान्यता दी है रु. शून्य सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों के निर्माण पर लाभ के रूप में (शून्य)। सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों के निर्माण से संबंधित मान्यता प्राप्त राजस्व, सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों के निर्माण हेतु प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य को दर्शाता है। समूह ने मान्यता प्राप्त राजस्व 206.42 करोड़ रुपये (223.54 करोड़ रुपये) टोल सड़कों के संचालन से प्राप्त हुए।

44. पट्टों

क) पट्टेदार के रूप में समूह

एक पट्टेदार के रूप में समूह ने विभिन्न पट्टा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें भूमि, कार्यालय स्थान, अतिथि गृह और वाहनों का पट्टा शामिल है। भारतीय लेखा मानक 116 को अपनाने से पहले, समूह ने अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के रूप में) को आरंभिक तिथि पर वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था।

समूह के पास 12 महीने या उससे कम अवधि के कार्यालयों और अतिथि गृहों के कुछ पट्टे भी हैं। समूह इन पट्टों के लिए 'अल्पकालिक पट्टे' मान्यता छूट लागू करता है।

उपयोग का अधिकार संपत्ति

वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि और गतिविधियों का खुलासा नोट 8 में किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

पट्टा देयताएं

नीचे वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं की वहन राशि और उनमें होने वाली गतिविधियों का विवरण दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
1 अप्रैल, 2024 को शेष राशि	3.24	0.51
जोड़ना	31.66	3.32
रुचि का प्रमाणन	1.75	0.28
भुगतान	(1.83)	(0.87)
31 मार्च, 2025 को शेष राशि	34.82	3.24
मौजूदा	2.91	0.72
गैर चालू	31.92	2.52

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ

पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण नोट – 33 वित्तीय देयताओं की परिपक्वता के तहत वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों और नीतियों में शामिल है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यहास व्यय (नोट 331 देखें)	1.31	1.13
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय (नोट 330 देखें)	0.46	0.28
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (नोट 228 (iii) देखें)	9.17	7.03
	10.94	8.44

समूह के पास कई पट्टा अनुबंध हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति के विकल्प शामिल हैं। इन विकल्पों पर प्रबंधन द्वारा बातचीत की जाती है और ये समूह की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। प्रबंधन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या इन विस्तार और समाप्ति विकल्पों का प्रयोग यथोचित रूप से निश्चित है।

विस्तार और समाप्ति विकल्पों की प्रयोग तिथि के बाद की अवधि से संबंधित बिना छूट वाले संभावित भावी किराये के भुगतान निम्नलिखित हैं, जो पट्टे की अवधि में शामिल नहीं हैं:

31 मार्च, 2025 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	पांच साल के अंदर	पांच साल से अधिक	कुल
विस्तार विकल्पों का प्रयोग न किए जाने की उम्मीद	-	-	-
समाप्ति विकल्पों का प्रयोग किए जाने की उम्मीद	-	-	-

ख) पट्टादाता के रूप में समूह

समूह ने भवन, प्लांट और मशीनरी और एमएफसी को परिचालन पट्टे के तहत दिया है जो संबंधित समझौतों के अनुसार उचित नोटिस देकर रद्द करने योग्य हैं।

- समूह ने विभिन्न उप-पट्टेदारों को 23 एमएफसी को उप-पट्टे पर दिया है, जिसमें से 10 एमएफसी अर्थात् तिरुवल्ला, राजगीर, मैसूर, कन्नूर, हैदराबाद, बिलासपुर, इंदौर, मदुरै और जोधपुर के उप-पट्टा समझौते को 31.03.2025 तक समाप्त कर दिया गया है। इन 10 समाप्त एमएफसी में से, दो एमएफसी अर्थात् तिरुवल्ला और राजगीर की पट्टे पर दी गई संपत्तियां वर्ष 2019-20 में आरएलडीए को वापस कर दी गई।

31.03.2025 तक समाप्त एमएफसी से प्राप्त के खिलाफ प्रावधान के रूप में 24.77 करोड़ रुपये (31.03.2024 रुपये 24.77 करोड़ रुपये) की राशि को मान्यता दी गई है।

- समूह ने परिचालन पट्टे के तहत भवन दिए हैं। पट्टे से प्राप्त आय (किराया और सेवा शुल्क) कुल मिलाकर ₹ 28.08 करोड़ (₹ 23.21 करोड़) पट्टा व्यवस्था के अनुसार लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है।

- समूह ने मशीनरी को परिचालन पट्टे पर दिया है। पट्टे से प्राप्त आय कुल मिलाकर ₹ 3.67 करोड़ (₹ 0.20 करोड़) पट्टा व्यवस्था के अनुसार लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

- (iv) समूह ने एनएचआई के साथ सेवा रियायत व्यवस्था की शर्तों के अंतर्गत, टोल रोड से सटे एक सीमांकित क्षेत्र को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा संचालित किए जाने वाले एक पेट्रोल पंप के लिए पट्टे पर और सिनर्जी इंजीनियर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को विश्राम क्षेत्र का पट्टा और संचालन दिया है। 0.20 करोड़ रुपये (0.19 करोड़ रुपये) एचपीसीएल से प्राप्त हुए और 0.24 करोड़ रुपये (0.22 करोड़ रुपये) सिनर्जी से लीज भुगतान के रूप में प्राप्त किए।

गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के अंतर्गत भविष्य में प्राप्त होने वाले न्यूनतम किराये निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
एक साल के भीतर		
सीमांकित क्षेत्र	0.47	0.25
बहु-कार्यात्मक परिसरों	17.06	16.89
इमारत	16.70	4.41
एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष से अधिक नहीं		
सीमांकित क्षेत्र	1.90	0.90
बहु-कार्यात्मक परिसरों	79.59	75.13
इमारत	45.90	28.37
पांच साल से अधिक		
सीमांकित क्षेत्र	1.67	1.92
बहु-कार्यात्मक परिसरों	437.62	459.48
इमारत	26.89	34.50

45. अन्य नियामक प्रकटीकरण

- (क) समूह का चालू वर्ष और पिछले वर्ष में बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है।
- (ख) समूह के पास वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष में वैधानिक अवधि के बाद कोई भी शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे अभी तक आरओसी के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है।
- (ग) समूह ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- (घ) समूह ने किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ चालू वर्ष और पिछले वर्ष में:
- (क) कंपनी (अंतिम) लाभार्थी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या
- (ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा।
- (ड) समूह ने किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (निधिकरण पक्ष) शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि समूह चालू वर्ष और पिछले वर्ष में:
- (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधिकरण पक्ष (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या
- (ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगा।
- (च) समूह के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे बाद में आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत चालू वर्ष और पिछले वर्ष में चल रहे कर निर्धारण (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के भाग के रूप में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।
- (छ) समूह के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां चालू वर्ष और पिछले वर्ष में किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।
- (ज) समूह को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा चालू वर्ष और पिछले वर्ष में जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- (झ) समूह ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।
- (ट) समूह को 31 मार्च, 2025 और 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों के दौरान कोई अनुदान या दान प्राप्त नहीं हुआ है, सिवाय पिछले वर्ष के दौरान इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड से प्राप्त 112.35 करोड़ रुपये के अनुदान के।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

46. हालिया घोषणा

- (क) कंपनी ने 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी कुछ नए लेखांकन मानकों और संशोधनों को अपनाया है। भारतीय मानक मानक 117, बीमा अनुबंध, जो भारतीय मानक मानक 104 का स्थान लेता है, बीमा अनुबंधों की पहचान, मापन, प्रस्तुति और प्रकटीकरण पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है। हालाँकि, इसका कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने कोई बीमा अनुबंध नहीं किया है।
- (ख) इसके अलावा, भारतीय मानक मानक 116, लीज, में बिक्री और लीजबैक लेनदेन से उत्पन्न लीज देनदारियों से संबंधित एक संशोधन को भी अधिसूचित किया गया था। चूंकि कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है, इसलिए इस संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

47. भारतीय लेखा मानक 8 "लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां" के अनुसार प्रकटीकरण

चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने मेडिकल ट्रस्ट फंड में किए गए योगदान के वर्गीकरण और प्रकटीकरण के संबंध में अपनी लेखांकन नीति को संशोधित किया है। सेवानिवृत्ति के बाद के मेडिकल लाभों (PRMB) के संबंध में देयता DPE दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रदान की गई है, हालाँकि पहले भी बीमाकिक मूल्यांकन किया गया था, जिसे वित्त वर्ष 2024-25 से बंद कर दिया गया है। तदनुसार, कंपनी ने अब मेडिकल ट्रस्ट में योगदान को एक परिभाषित योगदान योजना के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है जबकि पिछले वर्ष में, इसे परिभाषित लाभ योजना के तहत प्रकट किया गया था। इन योगदानों के लेखांकन उपचार, मान्यता या माप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। संशोधन केवल वित्तीय विवरणों में प्रस्तुति और प्रकटीकरण से संबंधित है। तदनुसार, इस परिवर्तन का लाभ और हानि, बैलेंस शीट, या नकदी प्रवाह के विवरण में पहले बताए गए आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

48. अन्य प्रकटीकरण

- (क) (i) होलिंग कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2000-01 से निर्धारण वर्ष 2019-20 तक धारा 80 1A के अंतर्गत कटौती का दावा किया है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) द्वारा धारा 80 1A के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है। हालाँकि, आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2000-01 के ITAT के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2019-20 तक कंपनी DTAA समझौतों के अनुसार आय को छोड़कर भारत में कर के लिए वैश्विक आय की पेशकश कर रही थी, जहाँ विदेशी देशों से अर्जित आय को कराधान के लिए प्रस्तावित वैश्विक आय से बाहर रखा जाता है। होलिंग कंपनी को निर्धारण वर्ष 2005-06 तक बहिष्करण पद्धति की अनुमति थी, उसके बाद विभाग द्वारा वैश्विक आय पर गणना किए गए करों से विदेशों में भुगतान किए गए करों के विरुद्ध क्रेडिट की अनुमति दी गई है। (ii) पिछले वर्षों के आयकर के लिए प्रावधान को वापस लिख दिया गया है/आयकर व्यय को उलट दिया गया है, जिसकी राशि है ₹ 24.32 करोड़ (₹ शून्य) आयकर प्राधिकारियों से प्राप्त अनुकूल आदेशों के कारण।
- (ख) कुछ ठेकेदारों द्वारा लागत से अधिक परियोजनाओं में किए गए दावों के कारण, समूह के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों और अपीलीय प्राधिकारियों में मुकदमेबाजी के कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं। ऐसे मामलों में, समूह अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से पूर्ण प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करता है और संसाधनों के किसी आर्थिक बहिर्वाह की अपेक्षा नहीं करता है। इस संबंध में, कुल दावा ₹ 1779.99 करोड़ (1702.41 करोड़ रुपये) का मामला मुकदमेबाजी में है, जिसके लिए प्रावधान रु. शून्य (₹ शून्य) का भुगतान किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति ग्राहक द्वारा की गई है। होलिंग कंपनी ने ठेकेदारों पर प्रतिदावा भी किया है। ₹ 112.83 करोड़ (120.64 करोड़ रुपये) दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यह अनिश्चित है।
- (ग) माननीय उच्च न्यायालय ने एक मध्यस्थता पुरस्कार जारी करने की अनुमति दी है, जिसकी राशि रु. 97.96 यूपी-05, उरई राजमार्ग परियोजना के लिए एनएचआई के विरुद्ध 1.5 करोड़ रुपये का ऋण, समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर। समूह ने न्यायालय के अंतिम निर्णय तक समतुल्य राशि की देयता प्रस्तुत की है।
- (घ) समूह के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली है। जहाँ तक व्यापार/अन्य देय राशियों और ऋणों एवं अग्रिमों का संबंध है, शेष राशि की पुष्टि के पत्र पक्षों को भेजे गए हैं। कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देय राशियों की शेष राशि की पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। समाधान निरंतर आधार पर किए जाते हैं। हालाँकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टि/समाधान से कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।
- (ङ) प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा गैर-चालू निवेशों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया गया है।
- (च) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलना को बेहतर बनाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण और पुनर्रचना की गई है। इन पुनर्वर्गीकरणों का परिचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (छ) पिछले वर्ष के आंकड़े वर्तमान वर्ष के आंकड़ों से अलग करने के लिए कोष्ठक () के अंतर्गत दिखाए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

49. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त जानकारी।

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	शुद्ध परिसंपत्तियाँ, अर्थात् कुल परिसंपत्तियाँ घटा कुल देनदारियाँ		लाभ या (हानि) में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के : के रूप में	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (करोड़ रुपये में)	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि (करोड़ रुपये में)	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि (करोड़ रुपये में)
मूल कंपनी								
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	60.03%	3,819.19	83.10%	604.86	100.73%	5.53	83.24%	610.39
सहायक								
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	0.29%	18.40	-3.10%	(22.58)	0.00%	-	-3.08%	(22.58)
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	1.72%	109.68	-4.34%	(31.61)	0.00%	-	-4.31%	(31.61)
इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	4.26%	270.94	3.26%	23.76	0.00%	-	3.24%	23.76
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	2.91%	185.12	2.39%	17.37	-0.55%	(0.03)	2.36%	17.34
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस वे लिमिटेड	6.02%	382.75	6.38%	46.43	0.00%	-	6.33%	46.43
इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	1.56%	99.52	0.45%	3.31	0.00%	-	0.45%	3.31
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	1.76%	112.16	0.11%	0.80	0.00%	-	0.11%	0.80
इरकॉन अकोली— शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	1.93%	122.60	0.84%	6.08	0.00%	-	0.83%	6.08
इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	1.87%	119.03	0.91%	6.59	0.00%	-	0.90%	6.59
इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	1.80%	114.20	1.58%	11.48	0.00%	-	1.57%	11.48
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	1.37%	87.22	0.18%	1.32	0.00%	-	0.18%	1.32
कुल सहायक कंपनियाँ		1,621.62		62.95		(0.03)		62.92

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

संस्था का नाम	शुद्ध परिसंपत्तियाँ, अर्थात् कुल परिसंपत्तियाँ घटा कुल देनदारियाँ		लाभ या (हानि) में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के : के रूप में	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (करोड़ रुपये में)	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि (करोड़ रुपये में)	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि (करोड़ रुपये में)
सहायक कंपनियों में गैर-नियंत्रणकारी हित	0.56%	35.42	0.03%	0.25	0.00%	—	0.03%	0.25
सहायक कंपनियों की शुद्ध राशि		1,657.04		63.20	0.00%	(0.03)		63.17
संयुक्त उपक्रम								
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	1.20%	76.23	-0.03%	(0.19)	0.00%	—	-0.03%	(0.19)
छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	2.52%	160.62	-5.61%	(40.84)	0.00%	—	-5.57%	(40.84)
छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	4.06%	257.98	-0.01%	(0.06)	0.00%	—	-0.01%	(0.06)
इरकॉन — सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	1.17%	74.72	13.39%	97.44	-0.18%	(0.01)	13.29%	97.43
झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड	2.27%	144.38	0.17%	1.24	0.00%	—	0.17%	1.24
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	1.74%	110.44	0.10%	0.71	0.00%	—	0.10%	0.71
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	0.96%	61.35	0.20%	1.47	0.00%	—	0.20%	1.47
कुल संयुक्त उद्यम		885.72		59.77		(0.01)		59.76
शुद्ध योग	100%	6,361.95	100%	727.83	100%	5.49	100%	733.32

हमारी संलग्न सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 001770C

ह0/—
मोनिका अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता संख्या: 093769

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई 2025

कृते निदेशक मंडल की ओर से
ह0/—
रागिनी अडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-09575213

ह0/—
एलिन रॉय चौधरी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/—
हरि मोहन गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ
डीआईएन-08453476

ह0/—
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 8874

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) सहपठित धारा 129(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 सहपठित धारा 129(4) के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। 21 मई 2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उन्होंने यह कार्य किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का एक पूरक ऑडिट किया है। हमने सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (परिशिष्ट – I के अनुसार) के वित्तीय विवरणों का एक पूरक ऑडिट किया, लेकिन उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं (परिशिष्ट – II के अनुसार) के वित्तीय विवरणों का पूरक ऑडिट नहीं किया। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139 (5) और 143 (6) (ए) इरकॉन-सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड पर निजी संस्था होने के नाते, उनके वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और पूरक ऑडिट के संचालन के लिए लागू नहीं हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुंच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे ज्ञान में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं आई है, जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक उत्पन्न हो।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह./—

तेज सिंह

प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक

रेलवे वाणिज्य

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 21.08.2025

परिशिष्ट-1

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों की सूची, जिनके लिए वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (4) के साथ धारा 143 (6) (ए) के तहत पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी।

सहायक कंपनियां

1. इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड
2. इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड
3. इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड
4. इरकॉन भोज मोरवे एक्सप्रेसवे लिमिटेड

संयुक्त उद्यम

1. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)।
2. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआर)।
3. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)।
4. छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)।

ह./—

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (एएमजी)
(रेलवे वाणिज्यिक)

परिशिष्ट-2

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों की सूची, जिनका वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

सहायक कंपनियां

1. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड।
2. इरकॉन अक्लोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड
3. इरकॉन लुधियाना-रूपनगर हाईवे लिमिटेड
4. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड।
5. इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड
6. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड।
6. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड।

संयुक्त उद्यम

1. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)
2. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)।

ह./—

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (एएमजी)
(रेलवे वाणिज्यिक)

टिप्पणी

इरकॉन

भविष्य की ओर अग्रसर



इरकॉन

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
IRCON INTERNATIONAL LIMITED

ircon

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

नवरत्न कंपनी

पंजीकृत कार्यालय : सी-4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

सीआईएन : L45203DL1976GOI008171, वेबसाइट : www.ircon.org दूरभाष : +91-11-26530266, फ़ैक्स : +91-11-26522000